सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा - 4

17 मैनुवलों का संग्रह

भाग - 2

मैनुवल 5

खण्ड-पंचम

(रूल्स एवं रेगुलेशन)

निदेशालय,

पुलिस विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैनुअल–5– भाग–2

खण्ड–पंचम
(रुल्स एवं रेगुलेशन)

विषय सूची

क्र० सं०		विवरण	पृष्ठ संख्या
1	सरकारी कर्मचारियों का आचरण		1
	1	सरकारी कर्मचारियों का आचरण नियमावली, 1956	2–
	2	The U.P. Government Servants Conduct(Amendment) Rules, 2002	1:
	3	Extract Of Para 1053 Manual Of Orders, 1989	1
	4	Extract Of Para 1054 Manual Of Orders, 1989	1
2.	नियुक्ति		15–
	1	The Uttar Pradesh Subordinate *Gazetted* (Class II) Services And Post (Appointing Authority) Rules, 1975	1
	2	The U.P. Government Servants (Special ProvisionsRelating To Family Planning) Rules, 1976	18–
	3	The U.P. Government Servants (Special ProvisionsRelating To Family Planning) (First Amendment) Rules, 1976	22–
	4	The Uttar Pradesh Competitive Examination (Medium Of Written Examination) Rules, 1994	2
	5	The U.P. Competitive Examination, Allocation Of Marks Rules, 1986	2
	6	The Uttar Pradesh Government Department Driver's Service Rules, 1993	29
	7	अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग(सीधी भर्ती) नियमावली, 1985	35
	8	समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985	43
	9	The U.P. Urdu Translator – cum – Junior Clark Service Rules, 1994	52
	10	उ0प्र0(लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998	54
	11	पर्वतीय उपसंवर्ग या उत्तरांचल राज्य आवंटन	
		The U.P. Reorganisation Act, 2000	58
	12	उ0प्र0 पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992	63
	13	उ0प्र0 पर्वतीय उपसंवर्ग (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1995	66
	14	उ0प्र0 पर्वतीय उपसंवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1997	67

	15	उ0प्र0 पर्वतीय उपसंवर्ग (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998	69–70
	16	उ0प्र0 पर्वतीय उपसंवर्ग (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1999	70–71
	17	उ0प्र0 (पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992) (यथासंशोधित) का (विखण्डन) नियमावली, 2001	72–78
	18	उ0प्र0 सब्सीडियरी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1990	78–81
	19	उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974	82–85
	20	उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठा संशोधन) नियमावली, 2001	85–86
3	प्रतिनियुक्ति तथा बाहय सेवा		87–88
	1	उ0प्र0 सार्वजनिक उपकमों में सरकारी सेवकों का आमेलन नियमावली, 1984	88–91
	2	उ0प्र0 शासनादेश संख्या 4379/2क–661–1957– सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति से सम्बन्धित	92–97
4	परिवीक्षा एवं स्थायीकरण		98
	1	The Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991	99–102
5	स्थानान्तरण		103–105
	1	U.P. Fundamental Rules, 1942	105–
6	आरक्षण		106–108
	1	The U.P. Public services(Reservation For Backward Classes) Act, 1989	108–109
	2	The U.P. Public services(Reservation For Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Act, 1993	110–111
	3	The Uttar Pradesh Public services(Reservation For Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994	111–117
	4	The U.P. Public services(Reservation For Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 2003	118
	5	विकालांग स्वतन्त्रता सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993	119–124
	6	अधिसूचना संख्या– 4/1/2001– आरक्षण में रोस्टर लागू करना	124–126
	7	शा0सं0–2266/2–बी– Representation Of Scheduled Caste, etc In Public Service Office Memorandum Appoinment(B) Department	126–127
7	ज्येष्ठता निर्धारण		128
	1	The Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991	129–132
8	पदोन्नति		133–134
	1	The U. P. Promotion By Selection in Consultation With Public Serice Commission (Procedure) Rules, 1970	134–139

	2	The U. P. Promotion By Selection in Consultation With Public Serice Commission (Procedure) (Amendment) Rules, 1972	139—1
	3	The U.P. Promotion By Selection in Consultation With Public Serice Commission (Procedure) (Amendment) Rules, 1981	141—1
	4	The U.P. Promotion By Selection in Consultation With Public Service Commission (Procedure) (Third Amendment) Rules, 1984	142—
	5	The U. P. Promotion By Selection in Consultation With Public Service Commission (Procedure) (Amendment) Rules, 1987	143—
	6	The U P.Promotion By Selection in Consultation With Public Serice Commission (Procedure) (Fifth Amendment) Rules, 1992	145—
	7	The U.P. Promotion By Selection in Consultation With Public Serice Commission (Procedure) (Sixth Amendment) Rules, 1998	149—
	8	The Uttar Pradesh Constitution Of Departmental Promotion Committee for posts outside the Purview Of The Servece Commission Rules, 1992	151—
	9	The Uttar Pradesh Government Servants Criterion For Recruitment By Promotion Rules, 1994	153—
	10	The Uttar Pradesh Government Servants Criterion For Recruitment By Promotion Rules, 1996	15
	11	The Uttar Pradesh Government Servants Criterion For Recruitment By Promotion Rules, 1998	15
	12	The U.P. Promotion By Selection (On Posts Outside The Purview Of The Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986	156—
	13	The Uttar Pradesh Promotion By Selection (On Posts Outside The Purview Of The Public Service Commission) Eligibility List (First Amendment) Rules, 1995	157—
	14	The Uttar Pradesh Promotion By Selection (On Posts Outside The Purview Of The Public Service Commission) Eligibility List (Second Amendment) Rules, 2001	158—
	15	The U.P. Service (Removal Of Age-Limit For Promotion) Rules, 1975	16
	16	The Uttar Pradesh Service (Rescission Of Provision Regarding Temporary and Officiating Appointmments) Rules, 1991	161—
	17	The U.P. Regularisation Of AD Hoc Promotions (On Posts Within The Purview Of The Public Service Commission) Rules,1988	163—
	18	The U.P. Regularisation Of AD Hoc Promotions (On Posts Outside The Purview Of The Public Service Commission)(First Amendment) Rules, 2001	164—
	19	The U.P. Regularisation Of AD Hoc Promotions (On Posts Outside The Purview Of The Public Service Commission) Rules, 1988	165—

	20	The U.P. Regularisation Of AD Hoc Promotions (On Posts Outside The Purview Of The Public Service Commission)(First Amendment) Rules, 2001	167—168
	21	The Uttar Pradesh Subordinate Offices Ministerial Group'c' Posts Of the Lowest Grade (Recruitment By Promotion) Rules, 2001	169—173
9	निलम्बन		174—175
	1	The U.P. Government Servant (Discipline And Appeal) Rules, 1999	175—177
	2	The Uttar Pradesh Fandamental Rules, 1942	177—184
	3	The Uttar Pradesh Fandamental (First Amendment) Rules, 1981,	184—187
10	अनुशासनिक कार्यवाही		188—190
	1	The Uttar Pradesh Departmental Inquries (Enforcement Of Attendance Of Witnesses And Production Of Documents) Act, 1976	190—193
	2	The U. P. Government Servant (Discipline And Appeal) Rules, 1999	193—201
	3	The U. P. Police Officers Of The Subordinate Ranks (Punishment And Appeal) Rules, 1991	201—211
	4	The U. P. class II Services (Imposition Of Minor Punishments) Rules, 1973,	212
	5	The U. P. class II Services (Imposition Of Minor Punishments Amendment) Rules, 1980,	212—213
	6	G.O. N0. 22/1- 1972- In Pursuance Of The Provisions Of Rule	213—214
	7	Disciplinary Proceedings (Administrative Tribunal) Rules, 1947	215—220
11		भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन मंजूरी देने हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं आदेश का प्ररुप	221
	1	The Prevention Of Corruption Act, 1988	221—227
	2	Authorisation Of Isnpector of Police In The Crime Branch Of C.I.D., UP To Investigate Any Offence Punishable Under The Prevention Of Corruption Act, 1971	227
12		त्यागपत्र	228
	1	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली, 2000	229—230
	2	The Uttar Pradesh Government Servants' Resigation Rules, 2000	230—232
13		जन्म तिथि निर्धारण/परिवर्तन	233
	1	उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती (जन्म दिनांक का अवधारण) नियमावली, 1974	233—234
14		सेवानिवृत्ति, वैवश्यक एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	235—236
	1	U.P. Fundamental Rules, 1942	236—239
	2	The Uttar Pradesh Fundamental (Amendment) Rules, 2002	239—240

15		सामूहिक बीमा योजना	241–
	1	सामान्य नियम, प्रकिया एवं नामांकन	246–
16	सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर अनुमन्य प्रसुविधाएं		254–
	1	पेंशन एवं उपादान	264–
	2	उ0प्र0पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995	267–
	3	The Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961	270–
	4	Miscellaneous	277–
	5	पेंशन प्रपत्रों से सम्बन्धित	280–
17	वेतन,विशेष वेतन एवं प्रोत्साहन वेतन वृद्धि आदि		295–
18	वाहन, प्रोत्साहन, नगर प्रतिकर एवं नान – प्रैक्टिसिंग भत्ते आदि		306–
19	यात्रा भत्ता		309–
20	अवकाश नियम		317–
	1	The U.P.Government Servants (Employment Leave)Rules, 2003	327–
	2	The Uttar Pradesh Fundamental (Third Amendment) Rules, 1989	33
	3	उ0प्र0 फण्डामेंटल (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1992	332–
21	भवन, भूखण्ड, कार एवं स्कूटर आदि क्रय हेतु अग्रिम		338–
	1	शासनादेश संख्या–बी–3–52–दस–81–1(11)–79–भवन निर्माण अग्रिम	344–
22	सरकारी सेवक नाम/गृह जनपद परिवर्तन		34
	1	Government Orders ,1981	346–
	2	Government Orders, 1989	347–
23	सामान्य भविष्य निधि		349–
	1	सामान्य भविष्य निधि – (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985	355–
	2	सामान्य भविष्य निधि(उत्तर प्रदेश) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997	384–
	3	सामान्य भविष्य निधि(उत्तर प्रदेश) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2000	393–
24	वार्षिक प्रविष्टियाँ, सत्यनिष्ठा		397–
	1	The U.P.Government Servants (Disposal Of Reprentation Against Adverse Annual Confidential Reports And Allied Matters) Rules, 1995	400–

———000———

अध्याय 1

सरकारी कर्मचारियों का आचरण
(Government Servant's Conduct)

सरकारी सेवकों को परम सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से कार्य करना चाहिये, समता का व्यवहार करना चाहिये, अस्पर्शता का व्यवहार नहीं करना चाहिये, नशीले पदार्थों का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करना चाहिये, ड्यूटी के समय नशे की हालत में नहीं रहना चाहिये, अधिक नशा नहीं करना चाहिये, राजनीति व चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिए, कार्यकारी महिलाओं का यौन शोषण तथा अश्लील हरकतें नहीं करनी चाहिये, प्रदर्शन तथा हड़ताल वर्जित है, समाचारपत्रों या रेडियो आदि में अनाधिकृत वार्ता नहीं देनी चाहिये, सरकार की आलोचना, बिना अनुमति साक्ष्य देना, गोपनीयता भंग करना, चन्दे वसूलना तथा भेंट स्वीकार करना वर्जित है किन्तु जातीय, मित्र आदि से विवाह तथा अन्य अवसरों में अपने वेतन के दसांश के बराबर की भेंट स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है। दहेज लेना व देना वर्जित है। सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए किन्तु किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अथवा उसके स्थानान्तरण पर औपचारिक विदायी समारोह आपस में आयोजित किया जा सकता है। निजी व्यापार नहीं करना चाहिये। कम्पनियों का निबन्धन या प्रोमोशन, बीमा कारोबार, अवयस्कों के संरक्षक बनना तथा किसी सम्बन्धी के केस में कार्यवाही करना, सट्टा लगाना, पूँजी लगाना तथा उधार लेना व देना वर्जित है किन्तु दो माह तक के वेतन तक का उधार का व्यवहार किया जा सकता है। सरकारी सेवकों को दिवालिया नहीं होना चाहिये और न ऋण लेने का अभ्यस्त होना चाहिये।

सरकारी सेवकों को चल व अचल सम्पत्ति लेने के पूर्व अनुमति लेनी चाहिये किन्तु एक माह तक के वेतन की चल सम्पत्ति लेने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी ख्यातिप्राप्त या मान्यताप्राप्त डीलर से या उसके माध्यम से सम्पत्ति क्रय-विक्रय की जा सकती है, जिसकी सूचना शासन को दी जायेगी। सरकारी सेवकों को असरकारी प्रभाव नहीं डलवाना चाहिये, उचित माध्यम से प्रत्यावेदन भेजना चाहिये, अनाधिकृत वित्तीय व्यवस्थाएं, बहु-विवाह, सुख सुविधाओं का दुरुपयोग वर्जित है। खरीदारियों के लिये स्वयं भुगतान करना चाहिये, बिना मूल्य दिये सेवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिये, दूसरे की गाड़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहिये, अधीनस्थ कर्मचारियों से खरीदारियाँ नहीं करानी चाहिये। निजी जीवन में भी सरकारी सेवक का आचरण अच्छा होना चाहिये। यदि शासन समझता है कि किसी सरकारी सेवक का आचरण निजी जीवन में नैतिकता से परे है तथा जो शासकीय सेवक के लिए शोभा न दे उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है, चाहे उसका उल्लेख 'सरकारी सेवक आचरण नियमावली' में न हो। सरकारी भ्रमण पर गये सरकारी सेवकों को उन व्यक्तियों से कोई सम्मान-सत्कार नहीं स्वीकार करना चाहिए जिनसे कुछ काम पड़ता हो।

उपरोक्त नियमों के अर्थ लगाने में यदि कोई विवाद हो तो शासन का निर्वचन (इन्टरप्रिटेशन) अन्तिम माना जायेगा।

जो सरकारी सेवक उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करेगा वह दण्ड का भागी होगा।

1

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956

नियम 1. संक्षिप्त नाम.—ये नियम उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956, कहलायेंगे।

नियम 2. परिभाषाएं.—जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अपेक्षित न हो, इन नियमों में—

(क) "सरकार" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(ख) "सरकारी कर्मचारी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो।

स्पष्टीकरण.—इस बात के होते हुए भी, कि उस सरकारी कर्मचारी का वेतन उत्तर प्रदेश की संचित निधि से अतिरिक्त साधनों से लिया जाता है, ऐसे सरकारी कर्मचारी भी, जिसकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी कम्पनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को अर्पित कर दी हों, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, सरकारी कर्मचारी समझा जाएगा।

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में, "परिवार का सदस्य" के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे :—

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की चाहे वह उसके साथ रहता/रहती हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के संबंध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त संबंध या विवाह द्वारा, उक्त सरकारी कर्मचारी का संबंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का संबंधी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नहीं होगी, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक की गई हो। ऐसा लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नहीं होगा/होंगी, जो आगे के लिए, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

नियम 3. सामान्य.—(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों में, परम सत्यनिष्ठता तथा कर्त्तव्यपरायणता से कार्य करता रहेगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत्त विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।

नियम 3-क.[1] **कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध.**—(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्यस्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।

---

1. उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 1998 द्वारा जोड़ा गया। वह दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 से प्रवृत्त है। उच्चतम न्यायालय द्वारा, *विशाका बनाम राजस्थान राज्य*, 1997 (6) एस०सी०सी० 241 में दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह उपबन्ध जोड़ा गया होना प्रतीत होता है।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्यस्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "यौन उत्पीड़न" में, प्रत्यक्षतः या अन्यथा कामवासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है, जैसे कि—

(क) शारीरिक स्पर्श और कामोद्दीप्त प्रणय संबंध चेष्टाएं,

(ख) यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना,

(ग) काम वासना-प्रेरित फब्तियां,

(घ) किसी कामोत्तेजक कार्य व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या

(ङ) यौन संबंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।

नियम 4. सभी लोगों के साथ समान व्यवहार.—(क) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों के साथ, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ या धर्म के क्यों न हों, समान व्यवहार करेगा।

(ख) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।

नियम 4-क. मादक पान, तथा औषधि का सेवन.—कोई भी सरकारी कर्मचारी—

(क) किसी क्षेत्र में, जहां वह तत्समय विद्यमान हो, मादकपान अथवा औषधि संबंधी प्रवृत्त किसी विधि का दृढ़ता से पालन करेगा,

(ख) अपने कर्तव्य पालन के दौरान किसी मादकपान या औषधि के प्रभावाधीन नहीं होगा और इस बात का सम्यक् ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी प्रकार ऐसे पेय या औषधि के प्रभाव से प्रभावित न हो,

(ग) सार्वजनिक स्थान में किसी मादकपान अथवा औषधि के सेवन से अपने को विरत रखेगा,

(घ) मादकपान करके किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा,

(ङ) किसी भी मादकपान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनार्थ 'सार्वजनिक स्थान' का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या भूगृहादि (जिसके अन्तर्गत कोई सवारी भी है) से है, जहां भुगतान करके या अन्य प्रकार से जनता आ-जा सकती हो या उसे आने-जाने की अनुज्ञा हो।

नियम 5. राजनीति तथा चुनावों में हिस्सा लेना.—(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनैतिक दल का, या किसी ऐसी संस्था का, जो राजनीति में हिस्सा लेती है, सदस्य न होगा और न अन्यथा उससे संबंध रखेगा और न वह किसी ऐसे आन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोही हो या उसके प्रति विद्रोही कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती हो।

उदाहरण.—राज्य में "क", "ख", "ग" राजनीतिक दल हैं।

"क" वह दल है जिसके हाथ में सत्ता है और जिसने उस समय की सरकार बनाई है।

"अ" एक सरकारी कर्मचारी है।

इस उप-नियम का प्रतिबन्ध "अ" पर सभी दलों के संबंध में लागू होगा, जिसमें "क" दल भी, जिसके हाथ में सत्ता है, सम्मिलित होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को,

किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया में, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोही है या उसके प्रति विद्रोही कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और, उस दशा में जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया में हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने, या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो वह इस आशय की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देगा।

उदाहरण.—"क" एक सरकारी कर्मचारी है।

"ख" एक "परिवार का सदस्य" है, जैसी कि उसकी परिभाषा नियम 2(ग) में की गई है।

"आ" वह आन्दोलन या क्रिया है, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोही है या उसके प्रति विद्रोही कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

"क" को विदित हो जाता है कि इस उप-नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, "आ" के साथ "ख" का सम्पर्क आपत्तिजनक है। "क" को चाहिए कि वह "ख" के ऐसे आपत्तिजनक सम्पर्क को रोके। यदि "क", "ख" के ऐसे सम्पर्क को रोकने में असफल रहे, तो उसे इस मामले की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देनी चाहिए।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई आन्दोलन या क्रिया इस नियम के क्षेत्र में आती है अथवा नहीं, तो इस प्रश्न पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव में न तो पक्ष-प्रचार करेगा न अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, और न उसके सम्बंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें हिस्सा लेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के अपने अधिकार को प्रयोग में ला सकता है, किन्तु उस दशा में जबकि वह वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, वह इस बात का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना वोट डालने का विचार किया है अथवा किस ढंग से उसने अपना वोट डाला है।

(2) केवल इस कारण से कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के यथोचित पालन में, कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता है, उसके सम्बन्ध में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने इस उपनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

स्पष्टीकरण.—किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, अपनी सवारी गाड़ी, या निवास-स्थान पर, किसी चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन किया जाए तो यह समझा जाएगा कि उसने इस उप-नियम के अर्थ के अन्तर्गत, किसी चुनाव के सम्बन्ध में अपने प्रभाव का प्रयोग किया है।

उदाहरण.—किसी चुनाव के सम्बन्ध में, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, प्रिजाइडिंग आफिसर, मतदान अधिकारी या मतदान लिपिक की हैसियत से कार्य करना उप-नियम (4) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होगा।

नियम 5-क. प्रदर्शन तथा हड़तालें.—कोई सरकारी कर्मचारी—

(1) कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं करेगा या किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा, जो भारत की प्रभुता तथा अखण्डता के हितों, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बंधों, सार्वजनिक सुव्यवस्था, भद्रता या नैतिकता के प्रतिकूल हों अथवा जिससे न्यायालय का अवमान या मानहानि होती हो या अपराध करने के लिए उत्तेजना मिलती हो, अथवा

(2) अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बंध में न तो कोई हड़ताल करेगा और न किसी प्रकार की हड़ताल करने के लिए अवप्रेरित करेगा।

नियम 5-ख. सरकारी कर्मचारियों का संघों का सदस्य बनना.—कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे संघ का न तो सदस्य बनेगा और न उसका सदस्य बना रहेगा, जिसके उद्देश्य अथवा कार्य-कलाप भारत की प्रभुता तथा अखण्डता के हितों या सार्वजनिक सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हों।

नियम 6. समाचार-पत्रों या रेडियो से सम्बन्ध रखना.—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी समाचार-पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन का, पूर्णतः या अंशतः, स्वामी नहीं होगा, न उसका संचालन करेगा, न उसके सम्पादन या प्रबन्ध में भाग लेगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का सद्भाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार-पत्र या पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा और गुमनाम से, अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में, किसी समाचार-पत्र या पत्रिका को कोई पत्र नहीं लिखेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा में जबकि ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक हो, किसी ऐसे स्वीकृत-पत्र के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

नियम 7. सरकार की आलोचना.—कोई सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या गुमनाम से या स्वयं अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख में या समाचार-पत्रों को भेजे गए किसी पत्र में, या किसी सार्वजनिक कथन में, कोई ऐसी तथ्य की बात या मत नहीं व्यक्त करेगा :—

(1) जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना हो या उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो, या

(2) जिससे उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो, या

(3) जिससे केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम में दी हुई कोई भी बात किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्त किए गए किसी ऐसे कथन या विचारों के सम्बन्ध में लागू न होगी, जिन्हें उसने अपने सरकारी पद की हैसियत से या उसे सौंपे गए कर्तव्यों के यथोचित पालन में व्यक्त किया हो।

उदाहरण.—(1) 'क' को, जो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकार द्वारा नौकरी से बर्खास्त किया गया है। 'ख' को, जो कि एक दूसरा सरकारी कर्मचारी है, इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से यह कहे कि दिया गया दण्ड अवैध, अत्यधिक या अन्यायपूर्ण है।

(2) कोई लोक अधिकारी स्टेशन 'क' से स्टेशन 'ख' को स्थानान्तरित किया गया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, उक्त लोक अधिकारी को स्टेशन 'क' पर ही बनाए रखने से सम्बन्धित किसी आन्दोलन में भाग नहीं ले सकता।

(3) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से ऐसे मामलों में सरकार की नीति की आलोचना करे, जैसे किसी वर्ष के लिए निर्धारित गन्ने का भाव, परिवहन का राष्ट्रीयकरण, इत्यादि।

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, निर्दिष्ट आयात की वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए कर की दर के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।

(5) एक पड़ोसी राज्य, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित किसी भू-खण्ड के सम्बन्ध में दावा करता है कि वह भूखण्ड उसका है। कोई सरकारी कर्मचारी उक्त दावे के सम्बन्ध में, सार्वजनिक रूप से, कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।

(6) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह किसी विदेशी राज्य के इस निश्चय पर कोई मत प्रकाशित करे कि उसने उन रियायतों को समाप्त कर दिया है जिन्हें वह एक-दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों को देता था।

नियम 8. किसी समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के सामने साक्ष्य.—(1) उपनियम (3) में उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त, कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जांच के सम्बन्ध में साक्ष्य नहीं देगा।

(2) उस दशा में, जबकि उप-नियम (1) के अन्तर्गत कोई स्वीकृति प्रदान की गई हो, कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के साक्ष्य देते समय, उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति की आलोचना नहीं करेगा।

(3) इस नियम में दी हुई कोई बात, निम्नलिखित के सम्बन्ध में लागू न होगी :—

(क) साक्ष्य, जो सरकार, केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश के विधान-मण्डल या संसद द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के सामने दी गई हो, या

(ख) साक्ष्य, जो किसी न्यायिक जाँच में दी गई हो।

नियम 9. सूचना का अनधिकृत संचार.—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार या उसको सौंपे गए कर्तव्यों का सद्भाव के साथ पालन करते हुए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई सरकारी लेख या सूचना किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा लेख या सूचना देने या संचार करने का उसे अधिकार न हो, न देगा और न संचार करेगा।

स्पष्टीकरण.—किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिए गए अभ्यावेदन में किसी पत्रावली की टिप्पणियों का या टिप्पणियों में से उद्धरण देना इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत सूचना का अनधिकृत संचार माना जायेगा।

नियम 10. चन्दे.—कोई सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, किसी ऐसे धर्मार्थ प्रयोजन के लिए चन्दा या कोई अन्य वित्तीय सहायता माँग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उसके इकट्ठा करने में भाग ले सकता है, जिसका सम्बन्ध डाक्टरी सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों से हो, किन्तु उसे इस बात की अनुमति नहीं है कि वह इनके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए चन्दा, आदि माँगे।

उदाहरण.—कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, जनता के उपयोग के लिए किसी नल-कूप के बेधन के लिए या किसी सार्वजनिक घाट के निर्माण या मरम्मत के लिए, चन्दा जमा कर सकता है।

नियम 11. भेंट[1].—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो :—

(क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका

---

1. संशोधन नियमावली, 1998 द्वारा यथाप्रतिस्थापित।

निकट-सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, कोई भेंट, अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, या

(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे सदस्य को, जो उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट-सम्बन्धी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा :—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी जातीय मित्र से, सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का दशांस या उससे कम मूल का एक विवाहोपहार या किसी रैतिक अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकता है। या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस प्रकार के उपहारों के दिए जाने को भी रोकने का भरसक प्रयत्न करें।

उदाहरण.—एक कस्बे के नागरिक यह निश्चय करते हैं कि "क" को, जो एक सब-डिवीजनल अफसर है, बाढ़ के दौरान उसके द्वारा की गई सेवाओं के सराहनास्वरूप एक घड़ी भेंट में दी जाय, जिसका मूल्य उसके मूल वेतन के दशांस से अधिक है। सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना "क" उक्त उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है।

नियम 12. चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा भेंट, इत्यादि का लिया जाना.—इस प्रश्न से संबंधित विभागीय नियमों को बाधित न करते हुए, कोई चिकित्सा पदाधिकारी अपनी व्यावसायिक सेवाओं के उपलक्ष में, किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह द्वारा सद्भाव से दी गई कोई ऐसी भेंट, ऐसा अनुग्रह-धन या पुरस्कार स्वीकार कर सकता है जिसका मूल्य 51 रु० या उससे कम हो किन्तु यदि भेंट आदि का मूल्य 51 रु० से अधिक हो तो उसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेजनी होगी।

उदाहरण.—एक चिकित्सा पदाधिकारी एक कठिन आपरेशन करता है। आपरेशन सफल होता है। कृतज्ञता प्रकाश-स्वरूप, रोगी उक्त चिकित्सा पदाधिकारी को 300 रु० के मूल्य की अंगूठी उपहार में देता है। उक्त चिकित्सा पदाधिकारी के लिये आवश्यक है कि वह सरकार के पास उक्त उपहार की एक रिपोर्ट भेजे।

नियम 13. रैतिक समारोहों पर खुरपा आदि का उपहारस्वरूप दिया जाना.—कोई सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, किसी भवन के शिलान्यास या उद्घाटन, जैसे किसी रैतिक समारोह के अवसर पर दी गई कोई खुरपा, चाभी अथवा इसी प्रकार की अन्य वस्तु अपने लिये स्वीकार कर सकता है।

नियम 14. सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन.—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, कोई मान-पत्र या विदाई-पत्र नहीं लेगा, न कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा और न अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम में दी हुई कोई बात, किसी ऐसे विदाई समारोह के संबंध में लागू न होगी, जो सारतः निजी तथा अरैतिक स्वरूप का हो, और जो किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में उसके अवकाश प्राप्त करने या स्थानान्तरण के अवसर पर आयोजित हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में आयोजित हो जिसने हाल ही में सरकार की सेवा छोड़ी हो।

उदाहरण.—"क", जो एक डिप्टी कलेक्टर है, रिटायर होने वाला है। "ख" जो जिले में एक दूसरा डिप्टी कलेक्टर है, "क" के सम्मान में एक ऐसा भोज दे सकता है जिसमें चुने हुए व्यक्ति आमंत्रित किये गये हों।

नियम 15. असरकारी व्यापार या नौकरी[1].—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने

---

1. संशोधन नियमावली, 1998 द्वारा यथाप्रतिस्थापित।

सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कार-बार में नहीं लगेगा और न ही कोई नौकरी करेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सामाजिक या धर्मार्थ प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य के द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अड़चन नहीं पड़ती है तथा वह ऐसा कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही अपने विभागाध्यक्ष और यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष हों, तो सरकार को इस बात की सूचना दे दें, किन्तु यदि सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने उसे हाथ में ले लिया है, तो बन्द कर देगा :

किन्तु अग्रेत्तर प्रतिबंध यह है कि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा असरकारी व्यापार या असरकारी नौकरी हाथ में लेने की दशा में ऐसे व्यापार या नौकरी की सूचना सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार को दी जाएगी।

नियम 16. कम्पनियों का निबन्धन, उन्नयन तथा प्रबन्ध.—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनी के निबन्धन, उन्नयन या प्रबन्ध में भाग न लेगा, जो इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, निबद्ध हुआ है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 (ऐक्ट सं० 2, 1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध किसी सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (ऐक्ट सं० 21, 1860) या किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

नियम 17. बीमा कारबार.—कोई सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी को या अपने किसी अन्य संबंधी को जो या तो उस पर पूर्णतः आश्रित हो या उसके साथ निवास करता हो, उसी जिले में, जिसमें वह तैनात हो, बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा।

नियम 18. अवयस्कों का संरक्षकत्व.—कोई सरकारी कर्मचारी, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना, उसी पर आश्रित किसी अवयस्क के अतिरिक्त, किसी अन्य अवयस्क का या उसकी सम्पत्ति के विधिक संरक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा ;

स्पष्टीकरण 1.—इस नियम के प्रयोजन के लिये, आश्रित से तात्पर्य किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी, बच्चों तथा सौतेले बच्चों और बच्चों के बच्चों से है, और इसके अन्तर्गत उसके माता-पिता बहिन, भाई, भाई के बच्चे और बहिन के बच्चे भी सम्मिलित होंगे, यदि वे उसके साथ निवास करते हों और उस पर पूर्णतः आश्रित हों।

स्पष्टीकरण 2.—इस नियम के प्रयोजन के लिये, समुचित प्राधिकारी वही होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है—

विभागाध्यक्ष, डिवीजन के कमिश्नर या कलेक्टर के लिये	..	राज्य सरकार
जिला जज के लिये	..	उच्च न्यायालय का प्रशासकीय जज
अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये	..	संबंधित विभागाध्यक्ष

नियम 19. किसी संबंधी (रिश्तेदार) के विषय में कार्यवाही.—(1) जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में, जो उसका संबंधी हो, चाहे वह संबंध दूर का या निकट का हो, कोई प्रस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही करता है, चाहे यह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, उक्त संबंधी के पक्ष में हो अथवा उसके विरुद्ध हो, तो वह प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव, मत या कार्यवाही के साथ, यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि वह व्यक्ति विशेष उसका संबंधी है अथवा नहीं है और यदि वह उसका ऐसा

संबंधी है, तो इस संबंध का स्वरूप क्या है।

(2) जब किसी प्रवृत्त विधि, नियम या आज्ञा के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रस्ताव, मत या किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय करने की शक्ति रखता है और जब वह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के संबंध में है, जो उसका संबंधी है, चाहे वह संबंध दूर का या निकट का हो, और चाहे उस प्रस्ताव, मत या कार्यवाही का उस व्यक्ति विशेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हो या अन्यथा, वह कोई निर्णय नहीं देगा, बल्कि वह उस मामले को अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को प्रस्तुत कर देगा और साथ ही उसे प्रस्तुत करने के कारण तथा संबंध के स्वरूप को भी स्पष्ट कर देगा।

नियम 20. सट्टा-लगाना.—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विनिधान में सट्टा नहीं लगायेगा।

स्पष्टीकरण.—बहुत ही अस्थिर मूल्य वाली प्रतिभूतियों की सतत खरीद या बिक्री के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इस नियम के अर्थ में विनिधान में सट्टा लगाता है।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या विनिधान, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

नियम 21. विनिधान.—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा, जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या विनिधान उपर्युक्त स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

उदाहरण.—कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह तैनात है, अपनी पत्नी या अपने पुत्र को, कोई सिनेमागृह खोलने, या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नहीं देगा।

नियम 22. उधार देना और उधार लेना.—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर, कोई भूमि या बहुमूल्य संपत्ति हो, रुपया उधार नहीं देगा और न किसी व्यक्ति को ब्याज पर रुपया उधार देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, किसी निजी नौकर को अग्रिम रूप में वेतन दे सकता है, या इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति (उसका मित्र या संबंधी) उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि रखता है, वह अपने किसी मित्र या संबंधी को, बिना ब्याज के, एक छोटी रकम वाला ऋण दे सकता है।

(2)[1] कोई भी सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी बैंक, सरकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार, न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के भीतर, रुपया उधार लेगा, और न अन्यथा, अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय आभार के अन्तर्गत हो जाए, और न वह सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को, इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी जातीय मित्र सम्बन्धी से अपने दो माह के मूल वेतन या उससे कम मूल्य का बिना ब्याज वाला एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधार लेखा चला सकता है।

---

1. संशोधन नियमावली, 1998 द्वारा यथाप्रतिस्थापित।

(3) जब कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्ति या स्थानान्तरण पर भेजा जाय जिसमें उसके द्वारा उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन निहित हो, तो वह तुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों की रिपोर्ट भेज देगा, और उसके बाद समुचित प्राधिकारी द्वारा पारित तत्संबंधी आदेशों के अनुरूप कार्य करेगा।

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो राजपत्रित अधिकारी हैं, समुचित प्राधिकारी सरकार होगी और, दूसरे मामलों में, कार्यालयाध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होगा।

नियम 23. दिवालापन और आभ्यासिक ऋणग्रस्तता.—सरकारी कर्मचारी, अपने जातीय मामलों का ऐसा प्रबन्ध करेगा जिससे वह आभ्यासी ऋणग्रस्तता से या दिवालापन से बच सके। ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध दिवालिया होने के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही चल रही हो, चाहिये कि वह तुरन्त ही उस कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष को, जिसमें वह नौकरी कर रहा हो, सब बातों की रिपोर्ट भेज दे।

नियम 24. चल, अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्ति.—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो, या तो स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से, पट्टा, रेहन, क्रय, विक्रय या भेंट द्वारा या अन्यथा, न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यवहार के लिये, जो किसी नियमित और ख्याति-प्राप्त व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया गया हो, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उदाहरण.—(1) "क", जो एक सरकारी कर्मचारी है, एक मकान खरीदने का प्रस्ताव करता है। उसे समुचित प्राधिकारी को इस प्रस्ताव की सूचना दे देनी चाहिए। यदि यह व्यवहार, किसी नियमित और ख्याति-प्राप्त व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाना है, तो "क" को चाहिये कि वह समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त कर ले। यही प्रक्रिया उस दशा में भी लागू होगी जब "क" अपना मकान बेचने का प्रस्ताव करे।

(2)[1] कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय, विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिये :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा।

(3) प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उचित माध्यम से, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दाय के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्योरे दिये जाने चाहिये।

(4) समुचित प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, किसी भी समय, किसी सरकारी कर्मचारी को यह आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी चल या अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास रही हो या अर्जित की गई हो, और जो आज्ञा में निर्दिष्ट हों, एक सम्पूर्ण विवरण-पत्र प्रस्तुत करें। यदि समुचित प्राधिकारी ऐसी आज्ञा दे तो ऐसे विवरण-पत्र

---

1. संशोधन नियमावली, 1998 द्वारा यथाप्रतिस्थापित।

में, उन साधनों के या स्रोत के ब्योरे भी सम्मिलित हों, जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई थी।

(5) समुचित प्राधिकारी :

(क) राज्य सेवा के किसी सरकारी कर्मचारी के प्रसंग में, उपनियम (1) तथा (4) के प्रयोजनों के निमित्त, सरकार होगी और उप-नियम (2) के निमित्त विभागाध्यक्ष होगा।

(ख) अन्य सरकारी कर्मचारियों के प्रसंग में उप-नियम (1) से (4) तक के प्रयोजनों के निमित्त, विभागाध्यक्ष होगा।

नियम 25. सरकारी कर्मचारियों के कार्यों तथा चरित्र का प्रतिसमर्थन.—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे सरकारी कार्य का, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी आक्षेप का विषय बन गया हो, प्रतिसमर्थन करने के लिये, किसी समाचार-पत्र की शरण न लेगा।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के किसी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि किसी सरकारी कर्मचारी को, अपने चरित्र का या उसके द्वारा निजी रूप में किये गये किसी कार्य का प्रतिसमर्थन करने से प्रतिषेध किया जाता है।

नियम 26. विज्ञप्ति सं० 3110/2-बी-32-52, दिनांक 13 अगस्त, 1960 द्वारा हटाया गया।

नियम 27. असरकारी या अन्य बाह्य प्रभाव का मतार्चन.—कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से सम्बन्धित अपने हितों से सम्बद्ध किसी मामले में कोई राजनीतिक या अन्य बाह्य साधनों से न तो स्वयं, या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा, कोई प्रभाव डालेगा या प्रभाव डालने का प्रयास करेगा।

स्पष्टीकरण.—सरकारी कर्मचारी की, यथास्थिति, पत्नी या पति या अन्य सम्बन्धी द्वारा किया गया कोई कार्य जो इस नियम की व्याप्ति के अन्तर्गत हो, के सम्बन्ध में, जब तक कि इसके विपरीत प्रमाणित न हो जाय, यह माना जायेगा कि वह कार्य सम्बन्धित कर्मचारी की प्रेरणा या मौन स्वीकृति से किया गया।

उदाहरण.—'क', एक सरकारी कर्मचारी है और 'ख', 'क' के कुटुम्ब का एक सदस्य है ; 'ग' एक राजनीतिक दल है और 'ग' के अन्तर्गत 'घ' एक संगठन है। 'ख' ने 'ग' में पर्याप्त ख्याप्तिप्राप्त कर ली और 'घ' में एक पदाधिकारी हो गया। 'घ' के द्वारा 'ख' ने 'क' की बात का समर्थन करना प्रारम्भ किया। यहाँ तक कि 'ख' ने 'क' के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध संकल्प प्रस्तुत किया। 'ख' का यह कार्य उपर्युक्त नियम के उपबन्धों का उल्लंघन होगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह 'क' की प्रेरणा या उसकी मौन स्वीकृति से किया गया है, जब तक कि 'क' यह न प्रमाणित कर दे कि ऐसा नहीं था।

नियम 27-क. सरकारी सेवकों द्वारा अभ्यावेदन.—कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उचित माध्यम से और ऐसे निदेशों के अनुसार जिन्हें सरकार समय-समय पर जारी करे, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नहीं करेगा। नियम 27 का स्पष्टीकरण इस नियम पर भी लागू होगा।

नियम 28. अनाधिकृत वित्तीय व्यवस्थाएं.—कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, कोई ऐसी वित्तीय व्यवस्था नहीं करेगा जिससे दोनों में से किसी एक को या दोनों ही को, अनाधिकृत रूप में या तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के विशिष्ट या अन्तर्निहित उपबन्धों के प्रतिकूल किसी प्रकार का लाभ हो।

उदाहरण.—(1) 'क', किसी कार्यालय में एक सीनियर क्लर्क है, और स्थानापन्न रूप से पदोन्नति पाने का अधिकारी है। 'क' को इस बात का भरोसा नहीं है कि वह उस स्थानापन्न पद के अपने कर्तव्यों का संतोषजनक रूप से निर्वहन कर सकता है। 'ख' जो एक जूनियर क्लर्क है कुछ वित्तीय प्रतिफल को दृष्टि में रखकर 'क' को निजी तौर पर मदद देने को तैयार होता है। तदनुसार 'क' और 'ख' वित्तीय व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार दोनों ही नियम तोड़ते हैं।

(2) यदि क, जो किसी कार्यालय का अधीक्षक है, छुट्टी पर जाय, तो ख, जो कार्यालय का सबसे सीनियर असिस्टेन्ट है, स्थानापन्न रूप से कार्य करने का अवसर पा जायेगा। यदि क, ख के साथ, स्थानापन्न भत्ते में एक हिस्सा लेने की व्यवस्था करने के पश्चात् छुट्टी पर जाय, तो क और ख दोनों ही नियम भंग करेंगे।

नियम 29. द्वि-विवाह.—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी एक पत्नी जीवित है, इस बात के होते हुए भी कि तत्समय उस पर लागू किसी वैयक्तिक विधि के अधीन उसे इस प्रकार की बाद की दूसरी शादी करने की अनुमति प्राप्त है, सरकार की अनुमति प्राप्त किये बगैर, दूसरा विवाह नहीं करेगा।

(2) कोई महिला सरकारी कर्मचारी, सरकार की अनुमति प्राप्त किये बगैर, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी एक पत्नी जीवित हो, विवाह नहीं करेगी।

नियम 30. सुख-सुविधाओं का समुचित प्रयोग.—कोई सरकारी कर्मचारी, ऐसी सुख-सुविधाओं का कुप्रयोग नहीं करेगा और न उनका असावधानी के साथ प्रयोग करेगा, जिनकी व्यवस्था सरकार ने उसके सरकारी कर्तव्यों के पालन में उसे सुविधा पहुंचाने के प्रयोजन से की हो।

उदाहरण.—सरकारी कर्मचारियों के निमित्त जिन सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है उनमें मोटर, टेलीफोन, निवास-स्थान, फर्नीचर, अर्दली, लेखन-सामग्री आदि की व्यवस्था सम्मिलित हैं। इन वस्तुओं के कुप्रयोग या उनके असावधानी के साथ प्रयोग किये जाने के उदाहरण ये हैं—

(1) सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों या उसके अतिथियों द्वारा, सरकारी व्यय पर, सरकारी मोटरों का प्रयोग करना या अन्य असरकारी कार्य के लिये उनका प्रयोग करना,

(2) ऐसे मामलों के बारे में, जिनका सम्बन्ध सरकारी कार्य से नहीं है, सरकारी व्यय पर, टेलीफोन, ट्रंककाल करना,

(3) सरकारी निवास-स्थानों और फर्नीचर के प्रति असावधानी बरतना तथा उन्हें ठीक दशा में बनाये नहीं रखना, और

(4) असरकारी कार्य के लिये सरकारी लेखन-सामग्री का प्रयोग करना।

नियम 31. खरीददारियों के लिये मूल्य देना.—कोई सरकारी कर्मचारी, उस समय तक जब तक किस्तों में मूल्य देना प्रथानुसार या विशेष रूप से उपबन्धित न हो या जब तक किसी सद्भावी व्यापारी के पास उसका उधार-लेखा न खुला हो, उन वस्तुओं का, जिन्हें उसने खरीदा हो, चाहे ये खरीददारियाँ उसने धौरे पर या अन्यथा की हों, तुरंत पूर्ण मूल्य देने से मना नहीं करेगा।

नियम 32. बिना मूल्य दिये सेवाओं का उपयोग करना.—कोई सरकारी कर्मचारी, बिना यथोचित और पर्याप्त, मूल्य दिये, किसी ऐसी सेवा या आमोद का स्वयं इस्तेमाल नहीं करेगा जिसके लिये कोई किराया या मूल्य या प्रवेश शुल्क लिया जाता हो।

उदाहरण.—जब तक ऐसा करना कर्तव्य के एक अंश के तौर पर निर्दिष्ट रूप से निर्धारित न किया गया हो, कोई सरकारी कर्मचारी :

(1) किसी भी किराये पर चलने वाली गाड़ी में बिना मूल्य दिये यात्रा नहीं करेगा;

(2) बिना प्रवेश शुल्क दिये सिनेमा नहीं देखेगा।

नियम 33. दूसरों की सवारी गाड़ियां प्रयोग में लाना.—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय बहुत ही विशेष परिस्थितियों के होने की दशा में, किसी ऐसी सवारी गाड़ी को इस्तेमाल में नहीं लायेगा जो किसी असरकारी व्यक्ति की हो या किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की हो, जो उसके अधीन हो।

नियम 34. अधीनस्थ कर्मचारियों के जरिये खरीददारियाँ.—कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी से, जो उसके अधीन हो, अपनी ओर से या अपनी पत्नी या अपने परिवार के अन्य सदस्य की

ओर से चाहे अग्रिम भुगतान करके या अन्यथा, उसी शहर में या किसी दूसरे शहर में, खरीददारियाँ करने के लिये न तो स्वयं कहेगा और न अपनी पत्नी को या अपने परिवार के किसी ऐसे अन्य सदस्य को, जो उसके साथ रह रहा हो, कहने की अनुमति देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम उन खरीदारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें करने के लिए सरकारी कर्मचारी से सम्बद्ध निम्नकोटि के कर्मचारीवर्ग से कहा जाय।

उदाहरण:—'क', एक डिप्टी कलेक्टर है।

'ख', उक्त डिप्टी कलेक्टर के अधीन एक तहसीलदार है।

'क' को चाहिये कि वह अपनी पत्नी को इस बात की अनुमति न दे कि वह 'ख' से कहे कि वह उसके लिये कपड़ा खरीदवा दे।

नियम 35. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन से सम्बन्धित कोई प्रश्न उठ खड़ा हो, तो उसे सरकार के पास भेज देना चाहिये और उस पर सरकार का जो भी निर्णय हो, वह अन्तिम होगा।

नियम 36. निरसन तथा अपवाद.—इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियम, जो इन नियमों के तत्स्थानी थे और जो उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण के अधीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते थे, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निरसित किये गये नियमों के अधीन जारी हुए किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह आदेश या कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जारी किया गया था या की गयी थी।

2

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CONDUCT (AMENDMENT) RULES, 2002

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Conduct (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into fore at once.[1]

2. Insertion of new rule.—In the "Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956," *after* existing rule 15, the following new rule 15-A shall be *inserted*, namely :

> **"15-A. Prohibition regarding employment of children below 14 years of age.**—No Government Servants shall employ or engage a child below the age of fourteen years in any hazardous work or take begar or other similar forms of forced labour from such child."

---

1. w.e.f. 9.8.2002.

3

EXTRACT OF PARA 1053 OF MANUAL OF ORDERS, 1989 EDITION

1053. Recognised official channel of correspondence in public business.—Officers should invariably adopt the recognised official channels of correspondence in the transaction of public business and that direct communications to Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries in official matters should be scrupulously avoided. This order will not apply to a case in which the Minister specifically desires a communication to be addressed to him direct. Where a letter is written to a Member of Government direct, a copy should be endorsed to the Secretary concerned also.

(Government D.O. letter no. 3489/II-A-816-1952, dated June 6, 1955 to Heads of Departments and Principal Heads of offices).

4

EXTRACT OF PARA 1054 OF MANUAL OF ORDERS, 1989 EDITION

1054. Obligation on the part of a government servant to intimate the fact of his arrest to his superior authority.—It shall be the duty of a Government servant who may be arrested for any reason to intimate the fact of his arrest and the circumstances connected therewith to his official superiors promptly even though he might have subsequently been released on bail. On receipt of such information from the person concerned or from any other source, the concerned authority shall decide whether, in the circumstances of the case, the government servant should be placed under suspension.

(G.O. no. 3015/II-B-72-1955, dated September 3, 1958).

अध्याय 2

नियुक्ति
(Appointment)

सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति, सामान्यतया, निम्नलिखित माध्यमों से की जाती है :—

(1) विभागीय चयन समिति

अथवा

(2) लोक सेवा आयोग।

सामान्यतया समूह "क" एवं "ख" के राजपत्रित अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति लोकसेवा आयोग के माध्यम से की जाती है, किन्तु समूह "ग" के कुछ अराजपत्रित पदों पर भी लोकसेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जाती है, उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में समीक्षा अधिकारी (प्रवर वर्ग सहायक) एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (अवर वर्ग सहायक) के पदों पर लोकसेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जाती है क्योंकि उनसे सम्बन्धित सेवा नियमावली में ऐसा ही प्राविधान है।

समूह "ग" एवं "घ" के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति, सामान्यतः, विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जाती है।

राज्याधीन सेवाओं में भर्ती की प्रक्रिया, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत बनायी गयी नियमावलियों में विहित होती है किन्तु जिन सेवाओं एवं पदों की नियमावली न बनी हो उन पर भर्ती की प्रक्रिया शासन द्वारा "कार्यकारी आदेश" जारी करके विहित की जाती है। नियमावली अथवा कार्यकारी आदेश में विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन करके सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की "नियमित नियुक्ति" होती है।

राज्याधीन सेवाओं में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा आयु सीमा निर्धारित होती है। अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित होती है। राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए ऐसा ही व्यक्ति अर्ह होता है जो कम से कम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो किन्तु जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो। शासन/नियुक्ति प्राधिकारी को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की शक्ति प्राप्त होती है।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक भर्ती वर्ष, जो कि एक जुलाई से 30 जून तक होता है, में होने वाली अनारक्षित एवं आरक्षित रिक्तियों की गणना करके विज्ञापन प्रकाशित कराकर अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं एवं नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा, या साक्षात्कार, या दोनों, आयोजित की जाती है एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर मेरिट क्रम में चयन सूची बनायी जाती है। जब दो या अधिक अभ्यर्थीगण के प्राप्तांक बराबर हों तो, सामान्यतया, निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाकर चयन सूची में उनके नाम रखे जाते हैं :—

(1) यदि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार, दोनों, आयोजित किये गये हों तो जिस अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किया हो, उसका नाम मेरिट क्रम में ऊपर रखा जाता है।

(3) उपर्युक्त परिस्थिति समान होने पर अभ्यर्थीगण की जन्मतिथि के आधार पर उस अभ्यर्थी का नाम ऊपर रखा जाता है जिसकी जन्मतिथि पहले हो।

विभागीय चयन समिति अथवा लोकसेवा आयोग, यथास्थिति, द्वारा चयन सूची तैयार करके उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित कर दिया जाता है जो उस चयन सूची के अनुसार अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश निर्गत करता है। यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश पाने के उपरान्त निर्धारित समय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है बल्कि समय मांगता है तो सामान्यतया उसे एक माह का समय प्रदान कर दिया जाता है। यदि कार्यभार ग्रहण करने हेतु बढ़ाये गये समय के उपरान्त भी वह अभ्यर्थी उस पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

यद्यपि कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 15-11-99 से पहले प्रतीक्षा सूची तैयार करने हेतु कार्यकारी निदेश विद्यमान थे किन्तु कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 15-11-99 द्वारा यह निदेश निर्गत किये गये हैं कि एकल संवर्गों के पदों को छोड़कर, अन्य समस्त सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जायेगा। अतः अब सिर्फ एकल संवर्ग वाले पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करने के लिए आयोजित चयन में चयन सूची के अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची बनायी जानी अपेक्षित है, अन्य मामलों में प्रतीक्षा सूची बनायी जानी अपेक्षित नहीं है।

नियमावली या कार्यकारी निदेश में विहित प्रक्रिया को अपनाये बगैर कर ली गयी नियुक्ति को सामान्यतया "तदर्थ नियुक्ति" कहते हैं। इसके अतिरिक्त अल्पकालिक कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए दैनिक वेतन पर भी नियुक्ति कर ली जाती है। इस ढंग से की गयी नियुक्तियों के परिणामस्वरूप लम्बी अवधि तक कार्यरत व्यक्तियों की तदर्थ या दैनिक वेतन पर की गयी नियुक्ति के विनियमितीकरण हेतु नियमावली विद्यमान है जिसमें एक नियत तिथि से पूर्व नियुक्त किये गये ऐसे कार्मिकों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया विहित है। विनियमितीकरण के फलस्वरूप उसकी 'नियमित नियुक्ति' हो जाती है।

सरकारी निगमों या सार्वजनिक उपक्रमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों को राज्याधीन सेवाओं में आमेलित किये जाने के सम्बन्ध में पहले नियमावली विद्यमान थी जिसे राज्य सरकार ने विखण्डित कर दिया है। अतः अब छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन अनुमन्य नहीं है। सरकारी निगमों या सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये सरकारी सेवकों के आमेलन के बारे में नियमावली विद्यमान है जिसके उपबन्धों के अनुरूप प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये सरकारी सेवकों को उस निगम या सार्वजनिक उपक्रम में आमेलित किया जा सकता है।

जब किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो यथास्थिति उसकी पत्नी या पति अथवा पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री को, भर्ती की उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाये बगैर, सरकारी सेवा में लोकसेवा आयोग की परिधि के बाहर किसी पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाता है। यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित रहा हो तो उस पर निर्भर उसका अविवाहित भाई या अविवाहित बहन या विधवा माता को उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जा सकता है। मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन के लिए यह आवश्यक है कि मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी, यथास्थिति, किसी सरकारी सेवा या सरकारी निगम में सेवायोजित न हो तथा मृतक आश्रित द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के 5 वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन कर दिया गया हो। आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करके उपर्युक्त सेवायोजन प्रदान किया जा सकता है।

1. विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती
(Direct Recruitment through Departmental Selection Committee)

1

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE *GAZETTED* (CLASS II) SERVICES AND POSTS (APPOINTING AUTHORITY) RULES, 1975

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Subordinate *Gazetted* (Class II) Services and Posts (Appointing Authority) Rules, 1975.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Application and overriding effect of these rules.—(1) These rules shall apply to all Subordinate *Gazetted* (Class II) Services and Posts (not including posts under the High Court, the Public Service Commission or in the Legislative Assembly or Legislative Council Secretariat) under the rule-making authority of the Governor.

(2) The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith in any rule or orders in force immediately before the commencement of these rules.

3. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Constitution" means the Constitution of India ;

(b) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

[*(c)* "Head of Department" refers to only such Head of Department the maximum of whose pay scale is Rs. 2500 or above.

4. Appointing authority[2].—The Head of the Department shall be appointing authority in respect of the Subordinate *Gazetted* Posts within his department, the maximum of whose pay scale does not exceed Rs. 1600 per month :

Provided that where by a statutory rules or order any authority other than the Governor has, before the commencement of these rules, been declared by the Governor as appointing authority in respect of any service or post to which these rules apply, such authority shall continue to be the appointing authority in respect of that service or post.

Note.—These rules are subject to the provisions of clause (1) of Article 311 of the Constitution, that is to say, no person shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was actually appointed.]

---

1. w.e.f. 15.1.1975.
2. As amended by the U.P. Subordinate *Gazetted* (Class II) Services and Posts (Appointing Authority (First Amendment) Rules, 1985 (w.e.f. 18.11.1985).

2

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS (SPECIAL PROVISIONS RELATING TO FAMILY PLANNING) RULES, 1976

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and the conditions of the service of persons appointed to services and posts in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh.

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants (Special Provisions Relating to Family Planning) Rules, 1976.

(2) They shall come into force at once.[1]

(3) They shall apply to all services and posts under the rule-making control of the Governor, except that rules 4(2), 4(3) and 11 shall not apply to officers and servants of the High Court or of Courts under the administrative control of the High Court.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(1) "Government servant" means a person serving in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh to whom these rules apply or, as the case may be, the relevant rule applies ;

(2) "eligible person" means a person, being a married person, whose spouse is alive and who together or in the aggregate have or had at the relevant date, not less than three children, but does not include any one of a married couple—

(i) where the husband is above 50 years of age and the wife is or all the wives are above 45 years of age ; or

Explanation.—For the purposes of this sub-clause, the age of the Government servant as recorded in his or her official service records shall be deemed to be the correct age of such Government servant. The age of the wife or husband of a Government servant the age as entered in the High School or equivalent certificate or entry in official service records if any shall be deemed correct and in its absence the age as declared by his or her spouse (the Government servant) shall be deemed to be correct except, that in the latter case the husband shall always be deemed to be older than the wife ;

(ii) where the last child born to the couple was born not less than 10 years before the relevant date ; or

(iii) where a certificate of exemption has been granted by such authority as may be specified by general or special orders of the State Government :

1. w.e.f. 2.7.1976.

Provided that no certificate of exemption shall be granted except on any one of the following grounds—

(a) where one child or more than one child of the couple—

(i) suffer from serious physical disability such as blindness, being crippled or mentally retarded so as to render it unlikely for him or her to lead a normal life ; or

(ii) suffer from such a disease that his or her long survival is doubtful,

and the number of remaining children in normal health does not exceed two ; or

(b) on such other ground or grounds as may be specified by the State Government by a general or special order :

Provided that any such certificate or exemption shall stand withdrawn as soon as one more child in normal health is born to the couple ;

(3) "Disqualification" has the meaning given to the expression in rule 6 ;

(4) "Sterilisation" means any surgical operation performed on any man or woman by a medical practitioner (approved in that behalf under general or special orders of the State Government) with the object of rendering such person incapable of producing an offspring, and a person shall not be deemed to be sterilised unless he produces a certificate in that behalf from the medical practitioner who performed such operation, failing which, by his authorized medical attendant (as defined in the Medical Attendance Rules applicable to him).

3. Submission of declaration.—(1) Every Government servant shall, within three months from the commencement of these rules or from the date of his appointment whichever is later, submit a declaration in the form annexed to these rules to his appointing authority, giving details of his children as on the date of submission of such declaration.

(2) Whenever there is any increase in the number of children of a Government servant after the submission of declaration under sub-rule (1), the concerned Government servant shall duly intimate such increase to his appointing authority within fifteen days thereof.

4. Restrictions on recruitment, promotion, etc.—(1) No person shall be recruited or appointed to or be eligible to appear at any competitive examination or interview for recruitment or appointment to any post or service if he is an eligible person and has not got himself sterilised nor have his or her spouse or all his wives, as the case may be, been sterilised.

(2) No Government servant, being an eligible person shall be allowed to cross efficiency-bar in his scale of pay or be promoted unless he has been sterilised ;

(3) No Government servant being an eligible person shall be confirmed on his initial post or on the post to which he is promoted unless he or she or his or her spouse or all his wives, as the case may be, are sterilised :

Explanation.—This sub-rule applies both to permanency of a temporary Government servant and to confirmation of a probationer or of a person promoted in an officiating capacity.

(4) The aforesaid disqualification shall stand removed, if the person concerned gets himself or his or her spouse or all his wives, as the case may be, sterilised.

5. Withdrawal of certain facilities.—Any Government servant being an eligible person who fails to get himself or his or her spouse or all his wives, as the case may be, sterilised within three months from the commencement of these rules shall be disallowed the following facilities with effect from the expiry of the said period of three months :—

(a) free medical treatment at any Government hospital or dispensary ;

(b) supply of any subsidized article from Government Welfare Shops for Government servants ;

(c) allotment of Government-owned buildings and quarters ;

(d) entitlement to any instalments of dearness allowance that may be sanctioned after the enforcement of these rules ;

(e) in the case of a Government servant belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, the eligibility for being considered for promotion against any reserved quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

6. Restriction on transfer T.A.—Any Government servant being an eligible person, who becomes parent of any child after the enforcement of these rules (hereinafter in these rules, called the disqualified Government servant, the date of such parentage being called the date of incurring disqualification), shall not be entitled to any travelling allowance in respect of the child or children born after such date.

7. Stoppage of Government loans.—No disqualified Government servant shall be entitled to or be granted any Government loan or advance from his provident fund exceeding three months pay or half the amount at his credit whichever is less, or any advance before the expiry of twelve months after the final repayment of all previous advances together with interest thereon, for any purpose whatsoever including house building advance or cycle or motor cycle or motor car advance.

8. Withdrawal of concession in rent.—Every disqualified Government servant shall from the date of incurring such disqualification be disentitled to the facility of paying standard rent or one-tenth of his salary for the Government building allotted to him and he shall from the said date be required to pay and shall be charged rent of such building at the market rate, which shall be deemed equivalent to three times the standard rent fixed for the building.

9. Ban on payment of any honorarium, prize, etc.—No disqualified Government servant shall be sanctioned or allowed or be entitled to any honorarium or prize or the facility of encashment of his leave.

10. Ban on grant of maternity leave.—No woman Government servant who has three children or more at the commencement of these rules shall be allowed any maternity leave for any future delivery :

Provided that such woman Government servant who agrees to undergo sterilisation at the time of delivery may be allowed such leave.

11. Duty to motivate.—It shall be part of the duties of every Government servant to periodically motivate such number of eligible persons to get themselves sterilised and to perform such other work in pursuance of the family planning programme as may, from time to time, be directed by the State Government, failing which the payment of his salary and allowances or his annual increments or both shall be liable to be stopped for such time and subject to such conditions as the State Government may from time to time by general and special order direct :

Provided that the State Government may, on the basis of his subsequent performance in this behalf, direct payment of the whole or part of the salary and allowances the payment of which was so stopped or the accrual of his annual increments which were so stopped.

12. Incentive for sterilisation after two children.—If any Government servant who, being less than 40 years of age, and having not more than two living children gets himself or herself or his or her spouse or all his wives, as the case may be, sterilised, he or she shall be allowed one advance increment from the date of his or her increment next falling due after such sterilisation :

Provided that this rule shall not apply to a Government servant against whom any disciplinary proceedings have been commenced or who has been suspended in contemplation of such proceedings or who has been awarded any penalty of withholding of increments.

13. Reduced age of superannuation on disqualification.—The age of superannuation for a disqualified Government servant shall stand reduced from 58 or 60 years, as the case may be, (as provided in *Fundamental Right* Rule 56) to 55 years or the date of incurring disqualification, whichever is later.

14. Overriding effect of the rules.—The provisions of these rules shall be deemed to be part of the *Fundamental Right* Rules and shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other rules (including the Fundamental Rules) as in force at the commencement of these rules, which shall to the extent of such inconsistency be deemed to have been modified.

DECLARATION

I, ...(Name of the Government servant) .....(post), hereby declare that on the date of submission of the declaration, I have following living children, the details in respect of whom are given below :

Name	Son/Daughter	Date of birth	Age	
			Years	Months
A				
B				
C				
Etc.				

2. Date of birth of the last child born (whether presently living or not).

3. My present age is .....

Date of birth Age

Years Months

4. The present age of my wife/wives/husband is .....

Wife/husband Age

Years Months

Date Signatures

Place Designation

Note.—If a Government servant has more than one wife the age of each of them should be given.

3

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS (SPECIAL PROVISIONS RELATING TO FAMILY PLANNING) (FIRST AMENDMENT) RULES, 1976

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants (Special Provisions relating to Family Planning) Rules, 1976 :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants (Special Provisions relating to Family Planning) (First Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Amendment of rules 2, 3, 4, 5, 6 and 10.—In the Uttar Pradesh Government Servants (Special Provisions relating to Family Planning) Rules, 1976, *for* the rules as set out in column 1 below the rules as set out in column 2, shall be *substituted* :

Column 1	**Column 2**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
2. In these rules, unless the context otherwise requires :	2. In these rules, unless the context otherwise requires :

1. w.e.f. 10.8.1976.

(1) "Government servant" means a person serving in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh to whom these rules apply or as the case may be, the relevant rule applies ;

(2) "eligible person" means a person, being a married person, whose spouse is alive and who together or in the aggregate have or had *at the relevant date*, not less than three children, but does not include any one of a married couple—

(i) where the husband is above 50 years of age and the wife is or all the wives are above 45 years of age ; or

Explanation.—For the purposes of this sub-clause, the age of the Government servant as recorded in his or her official service records shall be deemed to be the correct age of such Government servant. The age of the wife or husband of a Government servant the age as entered in the High School or equivalent certificate or entry in official service records if any shall be deemed correct and in its absence the age as declared by his or her spouse (the Government servant) shall be deemed to be correct except, that in the latter case the husband shall always be deemed to be older than the wife ;

(ii) where the last child born to the couple was born not less than 10 years before the relevant date ; or

(1) "Government servant" means a person serving in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh to whom these rules apply or, as the case may be, the relevant rule applies ;

(2) "eligible person" means a person, being a married person, whose spouse is alive and who together or in the aggregate have or had *on the date of declaration under rule 3*, not less than three children, but does not include any one of a married couple—

(i) where the husband is above 50 years of age and the wife is or all the wives are above 45 years of age ; or

Explanation.—For the purposes of this sub-clause, the age of the Government servant as recorded in his or her official service records shall be deemed to be the correct age of such Government servant. The age of the wife or husband of a Government servant as entered in the High School or equivalent certificate or entry in official service records if any shall be deemed correct and in its absence the age as declared by his or her spouse (the Government servant) shall be deemed to be correct except that in the latter case the husband shall always be deemed to be older than the wife ;

(ii) where the last child born to the couple was born not less than 10 years before the date of declaration under rule 3 ; or

(iii) where a certificate of exemption has been granted by such authority as may be specified by general or special orders of the State Government :

Provided that no certificate of exemption shall be granted except on any one of the following grounds :

(a) where one child or more than one child of the couple—

(i) suffer from serious physical disability such as blindness, being crippled or mentally retarded so as to render it unlikely for him or her to lead a normal life ; or

(ii) suffer from such a disease that his or her long survival is doubtful,

and the number of remaining children in normal health does not exceed two ; or

(b) on such other ground or grounds as may be specified by the State Government by a general or special order :

Provided that any such certificate of exemption shall stand withdrawn as soon as one more child in normal health is born to the couple ;

(3) "disqualification" has the meaning given to the expression in rule 6 ;

(iii) where a certificate of exemption has been granted by such authority as may be specified by general or special orders of the State Government :

Provided that no certificate of exemption shall be granted except on any one of the following grounds :

(a) where one child or more than one child of the couple—

(i) suffer from serious physical disability such as blindness, being crippled or mentally retarded so as to render it unlikely for him or her to lead a normal life ; or

(ii) suffer from such a disease that his or her long survival is doubtful,

and the number of remaining children in normal health does not exceed two ; or

(b) on such other ground or grounds as may be specified by the State Government by a general or special order :

Provided that any such certificate of exemption shall stand withdrawn as soon as one more child in normal health is born to the couple ;

(3) "disqualification" has the meaning given to the expression in rule 5 ;

(4) "sterilisation" means any surgical operation performed on any man or woman by a medical practitioner (approved in that behalf under general or special orders of the State Government) with the object of rendering such person incapable of producing an offspring, and a person shall not be deemed to be sterilised unless he produces a certificate in that behalf from the medical practitioner who performed such operation, failing which, by his authorized medical attendant (as defined in the Medical Attendance Rules applicable to him).

3. (1) Every Government servant shall, within three months from the commencement of these rules or from the date of his appointment whichever is later, submit a declaration in the form annexed to these rules to his appointing authority, giving details of his children as on the date of submission of such declaration.

(2) Whenever there is any increase in the number of children of a Government servant after the submission of declaration under sub-rule (1), the concerned Government servant shall duly intimate such increase to his appointing authority within fifteen days thereof.

4. (1) No person shall be recruited or appointed to or be eligible to appear at any competitive examination or interview for recruitment or appointment to any post or service if he is an eligible person and has not got himself sterilised nor have his or her spouse or all his wives, as the case may be, been sterilised.

(4) "sterilisation" means any surgical operation performed on any man or woman by a medical practitioner (approved in that behalf under general or special orders of the State Government) with the object of rendering such person incapable of producing an offspring, and a person shall not be deemed to be sterilised unless he produces a certificate in that behalf from the medical practitioner who performed such operation, failing which, by his authorized medical attendant (as defined in the Medical Attendance Rules applicable to him).

3. (1) Every Government servant shall up to August 31, 1976 or within fifteen days from the date of his appointment, whichever is later, submit a declaration in the form annexed to these rules to his appointing authority, giving details of his children as on the date of submission of such declaration.

(2) Whenever there is any increase in the number of children of a Government servant after the submission of declaration under sub-rule (1), the concerned Government servant shall duly intimate such increase to his appointing authority within fifteen days thereof.

4. (1) No person shall be recruited or appointed to or be eligible to appear at any competitive examination or interview for recruitment or appointment to any post or service if he is an eligible person and has not got himself sterilised nor have his or her spouse or all his wives, as the case may be, been sterilised.

(2) No Government servant, being an eligible person shall be allowed to cross efficiency-bar in his scale of pay or be promoted unless he has been sterilised.

(3) No Government servant being an eligible person shall be confirmed on his initial post or on the post which he is promoted unless he or she or his or her spouse or all his wives, as the case may be, are sterilised.

Explanation.—This sub-rule applies both to permanency of a temporary Government servant and to confirmation of a probationer or of a person promoted in an officiating capacity.

(4) The aforesaid disqualification shall stand removed, if the person concerned gets himself or his or her spouse or all his wives, as the case may be, sterilised.

5. Any Government servant being an eligible person who fails to get himself or his or her spouse or all his wives, as the case may be, sterilised within three months from the commencement of these rules shall be disallowed the following facilities with effect from the expiry of the said period of three months :

(2) No Government servants, being an eligible person shall be allowed to earn any annual increment or to cross efficiency-bar in his scale of pay or be promoted unless he or she or his or her spouse or all his wives, as the case may be, have been sterilised.

(3) No Government servant being an eligible person shall be confirmed on his initial post or on the post to which he is promoted unless he or she or his or her spouse or all his wives, as the case may be, are sterilised.

Explanation.—This sub-rule applies both to permanency of a temporary Government servant and to confirmation of a probationer or of a person promoted in an officiating capacity.

(4) The aforesaid disqualification shall stand removed, if the person concerned gets himself or his or her spouse or all his wives, as the case may be, sterilised.

5. Any Government servant, being an eligible person who fails to get himself or his or her spouse or all his wives, as the case may be, sterilised within three months from the commencement of these rules or from the date of his becoming an eligible person, whichever is later (hereinafter in these rules called the 'disqualified Government servant') shall be disallowed the following facilities with effect from the date of expiry of the said period of three months (hereinafter called the date of incurring disqualification) for so long he/she does not get himself/herself or his/her spouse or all his wives, as the case may be, sterilised :

(a) free medical treatment at any Government hospital or dispensary ;

(b) supply of any subsidised article from Government Welfare Shops for Government servants ;

(c) allotment of Government-owned buildings and quarters ;

(d) entitlement to any instalments of dearness allowance that may be sanctioned after the enforcement of these rules ;

(e) in the case of a Government servant belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, the eligibility for being considered for promotion against any reserved quota for Scheduled Caste and Scheduled Tribes.

6. Any Government servant being an eligible person, who becomes parent of any child after the enforcement of these rules (hereinafter in these rules, called the disqualified Government servant, the date of such parentage being called the date of incurring disqualification), shall not be entitled to any travelling allowance in respect of the child or children born after such date.

10. No woman Government servant who has three children or more at the commencement of these rules shall be allowed any maternity leave for any future delivery :

Provided that such woman Government servant who agrees to undergo sterilisation at the time of delivery may be allowed such leave.

(a) free medicines and other free medical facilities (not including the facilities of free consultation with authorized medical attendant, at any Government hospital or dispensary), except in cases of emergency ;

(b) supply of any subsidised article from Government Welfare Shop for Government servants ;

(c) allotment of Government-owned building and quarters ;

(d) entitlement to any instalments of dearness allowance that may be sanctioned after the enforcement of these rules ;

(e) in the case of a Government servant belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, the eligibility for being considered for promotion against any reserved quota for Scheduled Caste and Scheduled Tribes.

6. Any Government servant being an eligible person, who becomes parent of any child after the enforcement of these rules, shall not be entitled to any travelling allowance in respect of the child or children born after such date.

10. No woman Government servant who has three children or more shall be allowed any maternity leave in respect of any further delivery :

Provided that such woman Government servants who undergoes sterilisation at the time of delivery may be allowed such leave in respect of that delivery.

4

THE UTTAR PRADESH COMPETITIVE EXAMINATION (MEDIUM OF WRITTEN EXAMINATION) RULES, 1994

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Competitive Examination (Medium of Written Examination) Rules, 1994.

(2) They shall come into force at once.[1]

(3) They shall apply to all examinations.

2. Overriding effect.—The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.

3. Definitions.—In these unless there is anything repugnant in the subject on context :—

(a) 'Candidate' means a person who appears in an examination.

(b) 'Examination' means a written examination or a competitive examination for direct recruitment to any post or service under the rule-making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

(c) 'Constitution' means the Constitution of India.

(d) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh.

(e) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission or the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission, as the case may be.

4. Medium of answering question papers.—A candidate may answer question papers in English in Roman script or Hindi in Devnagri script or Urdu in Persian script except that the language papers must be answered in the same language :

Provided that question paper as a whole, and not for each question separately, must be answered in any of the above script :

Provided further that the question paper shall be in English in Roman script and Hindi in Devnagri script.

5. Examination in General Hindi.—A candidate shall be required to obtain such minimum marks in the compulsory paper of General Hindi as may be determined by the Government or the Commission, as the case may be.

---

1. w.e.f. 18.8.1994.

5

THE UTTAR PRADESH COMPETITIVE EXAMINATION, ALLOCATION OF MARKS RULES, 1986

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Competitive Examination, Allocation of Marks Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.[1]

3. They shall apply in respect of recruitment, on the basis of competitive examination comprising written examination and interview for any service or post in connection with the affairs of Uttar Pradesh and under the rule-making power of the Governor, except where written examination has already been held before the commencement of these rules.

2. Allocation of marks.—Notwithstanding anything to the contrary contained in any rules or orders, the maximum marks for interview shall not exceed 12.2 per cent of total marks :

Provided that where the marks for interview, calculated under this rule, are not a multiple of five, the marks shall be rounded off to a figure, not being a figure exceeding 12.2 per cent of the total marks, which is a multiple of five.

6

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT DEPARTMENT DRIVER'S SERVICE RULES, 1993

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service.

PART—I

GENERAL

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service Rules, 1993.

(2) They shall come into force at once.[2]

2. Status of Service.—The service of Drivers in a Government Department or office comprises group 'C' posts.

---

1. w.e.f. 11.9.1986.
2. w.e.f. 14.10.1993.

3. Application of these rules.—These rules shall apply to Drivers in a Government department or office under the rule-making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

4. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.

5. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(a) "appointing authority" means an authority empowered to make appointment to a post of Driver in a Government Department or office, under relevant service rules or executive instructions, as the case may be ;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution ;

(c) "Constitution" means the Constitution of India ;

(d) "Government" means the Government of Uttar Pradesh ;

(e) "member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service ;

(f) "service" means the Service of Drivers in a Government Department or office, constituted under relevant Service Rules or executive instructions, as the case may be ;

(g) "substantive appointment" means an appointment not being an *ad hoc* appointment on a post in the cadre of the service made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ;

(h) "year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART—II

CADRE

6. Cadre of Service.—The strength of the Service in each Government Department or office shall be such as may be determined by the Government from time to time under the relevant Service Rules or executive instructions, as the case may be.

PART—III

RECRUITMENT

7. Source of Recruitment Reservation.—Recruitment to a post in the Service shall be made by direct recruitment.

8. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART—IV

QUALIFICATIONS

9. **Nationality.**—A candidate for direct recruitment to a post in the service must be—

(a) a citizen of India, or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category *(b)* or *(c)* above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided also that if a candidate belonging to category *(b)* will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category *(c)* above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note.—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

10. **Age.**—A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty-one years and must not have attained the age of more than thirty-two years on the first day of the year of recruitment in which vacancies are advertised or notified :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11. **Technical and academic qualifications.**—A candidate for direct recruitment to the service must—

(i) have passed class VIII examination from a recognised educational institution ; and

(ii) possess a valid driving licence for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than three years preceding the date on which vacancy is notified to the employment exchange under rule 16.

12. Preferential qualification.—A candidate who has—

(i) passed High School examination of the Board of High School and Intermediate education Uttar Pradesh ;

(ii) knowledge of vehicle mechanism ; or

(iii) served in the territorial army for a minimum period two years ;

shall, other things being equal be given preference in the matter of recruitment to the service.

13. Character.—The character of a candidate for recruitment to the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note.—Persons dismissed by the Union Government or a State Government or a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall be ineligible for recruitment to the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

14. Marital status.—A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for recruitment to the Service :

Provided that the Government may if satisfied that there exist special grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

15. Physical fitness.—No person shall be appointed to service by direct recruitment unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment to the service, he shall be required to produce a certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III.

16. Determination of vacancies.—The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other categories under rule 8. The appointing authority shall, notify the vacancies to the Employment Exchange in accordance with the rules and orders of the Government for the time being in force, and he may also advertise the vacancies in the leading newspapers.

17. Procedure for direct recruitment.—(1) For the purpose of direct recruitment there shall be constituted a Selection Committee comprising :

(i) Appointing authority ; *Chairman*

(ii) An officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe nominated by the appointing authority if the appointing authority does not belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe. If the appointing authority belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, an officer other than belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, to be nominated by the appointing authority ; *Member*

(iii) Two officers nominated by the appointing authority, one of whom shall be an officer belonging to Minority Community and the other belonging to Backward Class. If such suitable officers are not available in his department or organisation, such officers shall on the request of the appointing authority be nominated by the concerned District Magistrate ; *Members*

(iv) Regional Transport Officer of the concerned region or his nominee not below the rank of Assistant Regional Transport Officer. *Member*

(2) The applications received directly or through the Employment Exchange shall be scrutinised by the appointing authority who shall call for an interview and driving test to such persons as appear qualified under these rules.

(3) The Selection Committee shall, after the interview and driving test prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in interview and driving test. If two or more candidates obtain equal marks, the Selection Committee shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the post. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25%) than the number of the vacancies. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.

PART—V

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

18. Appointment.—(1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 17.

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

19. Probation.—(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made

sufficient use of his opportunities, or has otherwise failed to give satisfaction his services may be dispensed with.

(4) A probationer whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

20. Confirmation.—A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation if—

(i) his work and conduct are found to be satisfactory ;

(ii) his integrity is certified ; and

(iii) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

21. Seniority.—The seniority of persons substantively appointed to the posts of driver shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 as amended from time to time.

PART—VI

PAY ETC.

22. Scale of pay.—The scale of pay admissible to a person appointed to a post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

23. Pay during probation.—Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

24. Criterion for crossing efficiency bar.—No driver shall be allowed to cross the efficiency bar unless, his work and conduct are reported to be satisfactory and his integrity is certified.

PART—VII

OTHER PROVISIONS

25. Canvassing.—No recommendations, either written or oral, other than these required under these rules applicable to the Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature by other means shall disqualify him for appointment.

26. Regulation of other matters.—In regard to matters not specifically covered by these rules, or by special orders persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

27. Relaxation in the conditions of service.—Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons

7

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1985

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1985 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा नियमावली का लागू होना.—(1) इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिकों के पदों से भिन्न निम्नतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती (जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो और जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर हों) नियंत्रित होगी, किन्तु इसके द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय और राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान के पद नियंत्रित नहीं होंगे।

(2) ऐसे लिपिक वर्गीय पदों पर, जिन पर यह नियमावली लागू होती है, सभी रिक्तियों के प्रति भर्ती इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

3. अन्य नियमों से असंगतता का प्रभाव.—इस नियमावली और किसी विशिष्ट सेवा नियमावली के बीच कोई असंगति होने की दशा में—

(एक) इस नियमावली के उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों, और

(दो) विशिष्ट नियमों के उपबन्ध उस दशा में अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात बनाये जायं।

4. परिभाषाएं.—जब तक संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी", का निर्देश किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी लिपिक वर्गीय पद के सम्बन्ध में, उस प्राधिकारी से है जो उस पद पर सुसंगत नियमों या आदेशों के अधीन नियुक्ति करने के लिये सशक्त हो,

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है,

(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(ङ) "कार्यालय अध्यक्ष" का तात्पर्य किसी कार्यालय के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी से है,

(च) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है, जिसके अन्तर्गत लखनऊ स्थित उसका बेंच भी है,

(छ) "लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग" का निर्देश अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे लिपिक कर्मचारियों से होगा जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करना अपेक्षित हो,

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" का निर्देश सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालयों से है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं हैं,

(झ) "छँटनी किया गया कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है—

(एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिये, नियोजित था,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता हो, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छँटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है।

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

5. सेवा की सदस्य संख्या.—किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद या पदों के किसी वर्ग को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा :

परन्तु यह और कि सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से समय-समय पर किसी विभाग/कार्यालय में ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है जिन्हें आवश्यक समझा जाय।

भाग—दो

भर्ती

6. भर्ती का स्रोत.—किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग की निम्नतम श्रेणी में भर्ती नियम 9 में यथा उपबन्धित शैक्षिक और अन्य उपलब्धियों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी : परन्तु किसी विशिष्ट अधीनस्थ कार्यालय में 15 प्रतिशत रिक्तियां

नियुक्ति प्राधिकारी, द्वारा, समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार, उस कार्यालय के समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से, जो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जा सकती हैं।

टिप्पणी.—इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त आदेश सरकारी आदेश संख्या 37-1-1969-कार्मिक-2, दिनांक 31 अगस्त, 1982 में दिये गये हैं।

भाग—तीन

अर्हताएं

7. आरक्षण.—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

8. राष्ट्रीयता.—इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश- केन्या, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जावेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी.—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

9. शैक्षिक अर्हताएं.—सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडियेट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

10. अधिमानी अर्हता.—अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

11. आयु.—सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

12. भूतपूर्व सैनिकों और कुछ अन्य श्रेणियों के लिये छूट.—भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तर प्रदेश सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों, खिलाड़ियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं में या भर्ती की किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियमों और आदेशों के अनुसार होगी।

13. चरित्र.—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी.—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

14. वैवाहिक परिस्थिति.—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

15. शारीरिक स्वस्थता.—किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

भाग—चार

भर्ती की प्रक्रिया

16. एक जिले में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में भर्ती एक ही साथ होगी.—एक जिले में, समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग की भर्ती इस नियमावली में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार एक ही साथ की जायेगी।

17. चयन समिति का गठन[1].—किसी पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एवं चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाएगा :—

---

1. अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग (सीधी भर्ती), (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 द्वारा यथाप्रतिस्थापित।

(1) नियुक्ति प्राधिकारी।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, और पिछड़े वर्ग से भिन्न कोई एक अधिकारी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो ऐसे उपयुक्त अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसे अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

18. भर्ती प्रतिवर्ष की जाएगी[1].—इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो, किया जायेगा।

19. (निकाल दिया गया)[2]

20. (निकाल दिया गया)[3]

21. चयन का आधार.—चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्यतः अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। तदनुसार सेवायोजन अधिकारी अभ्यर्थियों के नाम भेजते समय, अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों विशेष रूप में, नियम 8 में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखेगा।

22. सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों की सूचना भेजना[4].—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-7 के अधीन आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से भी, जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हो, आवेदन-पत्र सीधे आमंत्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन-पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

23. चयन की प्रक्रिया[5].—(1) जब चयन प्रक्रिया समिति द्वारा अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हो जायें, तब वह निम्नलिखित रीति से अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार करेगी :—

(क) प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने पद के लिये न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में अंकों का प्रतिशत दर्ज किया जायेगा।

(ख) उत्तीर्ण की गयी प्रत्येक उच्चतर परीक्षा के लिये ऐसी, प्रत्येक अन्तिम परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के प्रतिशत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दर्ज किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.—तीन वर्ष की उपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये या स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम के भाग-1 के लिये कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिये जायेंगे।

---

1. अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग (सीधी भर्ती), (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग (सीधी भर्ती), (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 द्वारा निकाल दिया गया।
3. अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग (सीधी भर्ती), (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 द्वारा निकाल दिया गया।
4. अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग (सीधी भर्ती), (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग (सीधी भर्ती), (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी योग्यता सूची चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी।

(3) तत्पश्चात चयन समिति द्वारा साक्षात्कार किया जायेगा और साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा अंक निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे :—

(क) सामान्य ज्ञान	20 अंक तक
(ख) खेलकूद में प्रवीणता	5 अंक तक
(ग) छँटनी किया गया कर्मचारी	15 अंक तक
योग :	40 अंक

टिप्पणी.—(1) खेलकूद में प्रवीणता निर्धारित करने में अंकों का आवंटन निम्न प्रकार से किया जायेगा :—

(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है	—	5 अंक
(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है	—	4 अंक
(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी है	—	3 अंक
(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय स्तर का खिलाड़ी है		2 अंक

(2) छँटनी किये गये किसी कर्मचारी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे :—

(एक) प्रथम एक पूरे वर्ष की सेवा के लिये	—	5 अंक
(दो) आगामी प्रत्येक एक पूरे वर्ष की सेवा के लिये	—	5 अंक

(4) साक्षात्कार में दिये गये अंक शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर दिये गये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे और इस प्रकार प्राप्त कुल अंक से, उप नियम (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक अभ्यर्थी की स्थिति अवधारित की जायेगी और तदनुसार योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के योग में बराबर-बराबर अंक मिलें तो शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायेगा।

(5) ऐसे अभ्यर्थियों की स्थिति में जिनका चयन लिपिक/टंकक के पद के लिए और किसी ऐसे अन्य पद के लिए भी किया जाना हो जिसके लिए टंकण को भी एक आवश्यक अर्हता विहित किया गया हो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में जो टंकण जानते हों, विचार किया जाएगा और योग्यता का अन्तिम निर्धारण हिन्दी टंकण में प्राप्त अंकों को जोड़ने के पश्चात् ही किया जायेगा। अभ्यर्थियों से हिन्दी टंकण की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। हिन्दी टंकण के लिए अंक, अधिकतम 50 अंकों में से दिए जायेंगे। हिन्दी टंकण में प्राप्त अंकों को उपनियम (4) के अधीन पहले से प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में अन्तिम योग्यता सूची कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(6) उन पदों के, जिनके लिये वाणिज्य या कोई अन्य विशेष तकनीकी अर्हता एक आवश्यक अर्हता के रूप में विहित की गई है, अभ्यर्थियों की स्थिति में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जायेगा, जिनके पास वाणिज्य में इन्टरमीडिएट या वाणिज्य में स्नातक की अर्हता अपेक्षित विशेष तकनीकी अर्हता हों।

(7) ऐसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये जिनके लिये सरकार के सामान्य आदेश के अनुसार रिक्तियों को आरक्षित करना अपेक्षित हो, नाम परीक्षा में उनकी परस्पर योग्यता के अनुसार एक पृथक सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे।

(8) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की, जिनके लिये चयन किया गया है, संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत ज्यादा से अधिक नहीं) होगी।

26. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति।—नियम 23 के उपनियम (6) और (7) नियुक्ति में विनिर्दिष्ट चयन सूची चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसमें नियुक्तियां प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में प्राप्त कुल अंक उल्लिखित किये जायेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे और नियुक्ति का प्रस्ताव उसी क्रम में किया जायेगा जिसमें उनके नाम सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये हों। चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी।

27. तदर्थ नियुक्ति.—यदि चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची निःशेषित हो जाय या चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची से कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो तो सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से तदर्थ नियुक्ति की जा सकती है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि के लिये या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी।

28. परिवीक्षा.—(1) जहां किसी विशिष्ट सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों में अन्यथा उपबन्धित हो, उसके सिवाय विभाग/कार्यालय में, किसी स्थायी रिक्ति में, किसी पद पर नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय :—

परन्तु यह और कि परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को उस पद के लिये परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

29. स्थायीकरण.—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण अच्छा पाया जाय, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

30. ज्येष्ठता.—(1) एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, इस नियमावली के अधीन नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्त के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग—छः

वेतन इत्यादि

31. वेतनमान.—(1) विभाग/कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों, या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य, वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान 354-10-424-द० रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550 रुपये है।

32. परिवीक्षा-अवधि में वेतन.—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

33. दक्षतारोध पार करने का मानदण्ड.—किसी व्यक्ति को—

(एक) प्रथम दक्षतारोध पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

(दो) द्वितीय दक्षतारोध पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग—सात

अन्य उपबन्ध

34. पक्ष समर्थन.—पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

35. अन्य विषयों का विनियमन.—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

36. सेवा की शर्तों में शिथिलता.—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

37. व्यावृत्ति.—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

8

समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985

भाग—एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. इस नियमावली का लागू होना.—(1) यह नियमावली जैसा कि नियम 4 के खण्ड (ज) में यथा-परिभाषित सभी अधीनस्थ कार्यालयों में नियम 6 में निर्दिष्ट समूह "घ" के सभी पदों पर लागू होगी।

(2) कोई विशेष पद गैर-तकनीकी पद है या नहीं, ऐसा मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

3. इस नियमावली का अधिभावी प्रभाव.—इस नियमावली और किसी विभाग में उपर्युक्त किसी पद से संबंधित किसी विनिर्दिष्ट नियम या नियमों के बीच कोई असंगति होने की दशा में—

भाग—दो

संवर्ग

5. सेवा की सदस्य संख्या.—किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह "घ" के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा :

परन्तु यह और कि सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से किसी अधिष्ठान में ऐसे स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकता है, जो आवश्यक समझे जायें।

भाग—तीन

भर्ती

6. भर्ती का स्रोत.—समूह "ग" के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का स्रोत निम्नलिखित होगा :—

(क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्राश, सफाईकार, पानीवाला भिश्ती, टिडेल, ठेलामैन, अभिलेख उठाने वाला और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद	सीधी भर्ती द्वारा
(ख) चपरासी/जमादार	स्थायी चपरासियों में से पदोन्नति द्वारा
(ग) दफ्तरी/जिल्दसाज/साइक्लोस्टाइल आपरेटर	अर्ह चपरासियों, संदेशवाहकों, या फर्राशों में से पदोन्नति द्वारा
(घ) फर्राश जमादार	स्थायीफर्राशों में से पदोन्नति द्वारा
(ङ) सफाईकार जमादार	स्थायी सफाईकारों में से पदोन्नति द्वारा
(च) प्रधान माली	स्थायी माली में से पदोन्नति द्वारा

परन्तु यदि ऐसे किसी विशिष्ट पद पर जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो, पदोन्नति के लिये कोई पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

भाग—चार

अर्हता

7. आरक्षण.—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

8. राष्ट्रीयता.—समूह "घ" के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश-केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) व (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी.—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

9. आयु.—समूह "घ" के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

10. शैक्षिक अर्हताएं.—(1) चपरासी, संदेशवाहक या साइक्लोस्टाइल आपरेटर के पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

(2) किसी अन्य श्रेणी के पद के लिये कोई शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं किन्तु उस व्यक्ति को अधिमानता दी जायेगी जो शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता हो।

(3) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे माली के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(4) कोई व्यक्ति दफ्तरी/जिल्दसाज के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(5) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल आपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर जिसके लिये तकनीकी ज्ञान अपेक्षित हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में समुचित अनुभव न हो।

(6) समूह "घ" के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो :

परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू न होगी।

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश-केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) व (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी.—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

9. आयु.—समूह "घ" के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

10. शैक्षिक अर्हताएं.—(1) चपरासी, संदेशवाहक या साइक्लोस्टाइल आपरेटर के पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

(2) किसी अन्य श्रेणी के पद के लिये कोई शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं किन्तु उस व्यक्ति को अधिमानता दी जायेगी जो शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता हो।

(3) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे माली के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(4) कोई व्यक्ति दफ्तरी/जिल्दसाज के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(5) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल आपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर जिसके लिये तकनीकी ज्ञान अपेक्षित हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में समुचित अनुभव न हो।

(6) समूह "घ" के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो :

परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू न होगी।

(7) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो।

11. भूतपूर्व सैनिकों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिये छूट.—भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तर प्रदेश सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों और खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता या और भर्ती की किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियम या आदेश के अनुसार होगी।

12. चरित्र.—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह अधिष्ठान में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लें।

टिप्पणी.—राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति अधिष्ठान में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष-सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

13. वैवाहिक प्रास्थिति.—अधिष्ठान में नियुक्ति के लिये ऐसा कोई पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, और ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्यपाल इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकते हैं यदि उनको समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

14. शारीरिक स्वस्थता.—किसी भी अभ्यर्थी को अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

15. एक जिले में समस्त कार्यालयों में सीधी भर्ती.—एक जिले में, अधीनस्थ कार्यालयों में समूह "घ" के समस्त ऐसे पदों पर जिन पर यह नियमावली लागू होती है, भर्ती एक ही साथ की जायेगी। ऐसी भर्ती अनुवर्ती नियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

भाग—पांच

भर्ती की प्रक्रिया

16. चयन समिति का गठन[1].—सीधी भर्ती एक चयन समिति द्वारा की जायेगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी

1. समूह "घ" कर्मचारी सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1999 द्वारा यथाप्रतिस्थापित।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का न हो।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो।

परन्तु यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसा उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो ऐसा अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसा अधिकारी, मण्डलायुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

17. भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी[1].—इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रति वर्ष या जब कभी आवश्यक हो, किया जायेगा।

18. (निकाल दिया गया)[2]

19. चयन की प्रक्रिया[3].—(1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से भी जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हो, आवेदन पत्र सीधे आमन्त्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(2) जब चयन समिति द्वारा सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों (जिनके लिये सरकारी आदेशों के अधीन रिक्तियां आरक्षित करना अपेक्षित हो) दोनों के नाम प्राप्त हो जाये तब वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और विभिन्न पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

(3) चयन समिति चयन करने में छँटनी किये गये कर्मचारियों को महत्व (वेटेज) देने के लिये निम्नलिखित रीति से अंक देगी :—

(एक) प्रथम एक पूरे वर्ष की सेवा के लिये	5 अंक
(दो) प्रत्येक आगामी एक पूरे वर्ष की सेवा के लिये	5 अंक

परन्तु छँटनी किये गये किसी कर्मचारी को इस उप नियम के अधीन दिया जाने वाला अधिकतम अंक, 15 अंक से अधिक नहीं होगा।

(4) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की, जिनके लिये चयन किया गया है, संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी। चयन सूची में नाम तथा साक्षात्कार में दिये गये अंकों के अनुसार रखे जायेंगे।

---

1. समूह "घ" कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 द्वारा यथासंशोधित।
2. समूह "घ" कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 द्वारा नियम 18 एवं 20 निकाल दिया गया तथा नियम-19 प्रतिस्थापित किया गया।
3. समूह "घ" कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 द्वारा नियम 18 एवं 20 निकाल दिया गया तथा नियम-19 प्रतिस्थापित किया गया।

20. (निकाल दिया गया)[1]

21. सामान्य सूची[2].—जब चयन किये गये सामान्य और आरक्षित दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हो जायं, तब नियुक्ति प्राधिकारी उन्हें एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध करेगा।

प्रथम नाम सामान्य अभ्यर्थियों की सूची से और उसके पश्चात् आरक्षित अभ्यर्थियों का नाम होगा और इसी प्रकार आगे भी। इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी।

22. पदोन्नति की प्रक्रिया.—(1) सभी पदों के संबंध में पदोन्नति का मानदंड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता होगी।

(2) पदोन्नति एक ही अधिष्ठान में, पात्र अभ्यर्थियों में से विभागीय चयन समिति द्वारा चयन करके की जायेगी। विभागीय चयन समिति का गठन जिसमें तीन सदस्य होंगे, विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार किया जायेगा।

भाग—छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थाईकरण और ज्येष्ठता

23. नियुक्ति.—(1) मौलिक रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति नियम 21 या 22 के अधीन तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची से नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम सूची में आये हों।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थानापन्न और अस्थायी रिक्तियों में भी उक्त सूची से और उप नियम (1) में निर्दिष्ट रीति से नियुक्ति करेंगे।

(3) जब चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची निःशेषित हो जाय या चयन किये गये अभ्यर्थियों में से नियुक्ति के लिये कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों में से तदर्थ नियुक्तियां की जा सकती हैं :

परन्तु ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अधिक या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी।

24. परिवीक्षा.—(1) अधिष्ठान में, किसी पद पर, स्थायी रिक्ति में नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु अधिष्ठान के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को उस पद के लिए परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने में गिने जाने के लिये की जा सकती है :

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु यह भी कि परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो,

---

1. समूह "घ" कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 द्वारा नियम 18 एवं 20 निकाल दिया गया तथा नियम-19 प्रतिस्थापित किया गया।
2. समूह "घ" कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं, जिससे वह किसी दशा में प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

25. स्थायीकरण.—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय, नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायी किये जाने के योग्य समझे और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

26. ज्येष्ठता.—(1) एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तिता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उसकी पदोन्नति की गयी।

भाग—सात

वेतन इत्यादि

27. वेतनमान.—(1) अधिष्ठान में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वेतनमान नीचे दिये गये हैं :

	पद का नाम	वेतनमान
(क)	चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्राश, सफाईकार, पानी वाला/भिश्ती, टंडेल, ठेलामैन, अभिलेख उठाने वाला और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद।	305-5-330 द०रो०-6-360 द०रो०-6-390 रुपया।
(ख)	चपरासी-जमादार	315-6-351-द०रो०-6-363-7-384-8-400-द०रो०-8-440 रुपया।
(ग)	दफ्तरी/जिल्दसाज/साइक्लोस्टाइल आपरेटर	315-6-351-द०रो०-6-363-7-384-8-400-द०रो०-8-440 रुपया।

(घ)	फर्राश जमादार	315-6-351-द०रो०-6-363-7-384-8-400-द०रो०-8-440 रुपया।
(ङ)	सफाईकार-जमादार	315-6-351-द०रो०-6-363-7-384-8-400-द०रो०-8-440 रुपया।
(च)	प्रधान माली	315-6-351-द०रो०-6-363-7-384-8-400-द०रो०-8-440 रुपया।

28. परिवीक्षा अवधि में वेतन.—फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समय-मान में उसको प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

29. दक्षतारोध पार करने का मानदण्ड.—किसी व्यक्ति को कोई दक्षतारोध पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि यह न पाया जाय कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य किया है, उसका आचरण अच्छा न रहा हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग—आठ

अन्य उपबन्ध

30. पक्ष समर्थन.—पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

31. अन्य विषयों का विनियमन.—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

32. सेवा की शर्तों में शिथिलता.—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

9

THE UTTAR PRADESH URDU TRANSLATOR-*CUM*-JUNIOR CLERK SERVICE RULES, 1994

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Urdu Translator-*cum*-Junior Clerk Service.

PART—I

GENERAL

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Urdu Translator-*cum*-Junior Clerk Service Rules, 1994.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Status of the Service.—The Uttar Pradesh Urdu Translator-*cum*-Junior Clerk Service is a *non-gazetted* service comprising group "C" posts.

3. Application of these rules.—These rules shall apply to all Government Offices under the control of the Governor other than those of the Secretariat, the State Legislature, the High Court, the Public Service Commission, the Lok Ayukta and the subordinate courts under the supervision and control of the High Court.

4. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under proviso to Article 309 of the Constitution, or executive orders, for the time being in force.

5. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(a) "appointing authority" means an authority empowered to make appointment to a post of Junior Clerk in a Government Department or office, under relevant service rules or executive instructions, as the case may be ;

(b) "citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution ;

(c) "Constitution" means the Constitution of India ;

(d) "Government" means the Government of Uttar Pradesh ;

(e) "member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service ;

1. w.e.f. 9.9.1994.

(f) "service" means the service of Urdu Translator-*cum*-Junior Clerk in a Government Department or office, constituted under relevant service rules or executive instructions, as the case may be ;

(g) "substantive appointment" means an appointment not being an *ad hoc* appointment on a post in the cadre of the service made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ;

(h) "year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART—II

CADRE

6. Cadre of Service.—The strength of the Service in each Government Department or office shall be such as may be determined by the Government from time to time under the relevant service rules or executive instructions, as the case may be.

PART—III

RECRUITMENT

7. Source of Recruitment.—Recruitment to a post in the service shall be made by direct recruitment.

8. Reservation.—Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the relevant Acts and the rules made thereunder and orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART—IV

QUALIFICATION

9. Nationality.—A candidate for direct recruitment to a post in the service must be—

(a) a citizen of India ; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category *(b)* or *(c)* above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category *(b)* will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

10

उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति के अधीन सीधी भर्ती के समूह "ग" के पदों पर लागू होगी, सिवाय उन पदों और विभागों के :—

(एक) जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों और प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस और अग्निशमन सेवाओं को सम्मिलित करते हुए पुलिस विभाग के क्षेत्रान्तर्गत हों,

"(एक-क) जिनकी विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी अर्हता से कम हो।[1]"

(दो) जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा, इस नियमावली के लागू होने से अपवर्जित हों।

2. अध्यारोही प्रभाव.—यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।

3. परिभाषाएं.—इस नियमावली में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य संगत सेवा नियमावली के अधीन नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ङ) "अन्य पिछड़े वर्गों", का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है।

4. रिक्तियों का अवधारण.—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या संगत सेवा नियमावली के अनुसार भी अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।

5. सीधी भर्ती की प्रक्रिया[2].—(1) सीधी भर्ती के लिए आवेदन-पत्र का प्ररूप, सरकार द्वारा, ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

---

1. उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1998 द्वारा अन्तः स्थापित।
2. उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र, उपनियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा :—

(एक) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना-पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो, दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(3) उपनियम (2) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(4) चयन के लिए परीक्षा एक सौ अंकों की होगी। अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी :

(क) (एक) वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का चालीस प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा सिवाय ऐसे अभ्यर्थियों के जिनका चयन किसी ऐसे पद पर किया जाना हो जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो। किसी पद पर, जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का बीस प्रतिशत ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा।

परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हों, तो लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

(दो) अभ्यर्थियों को, प्रश्न-पत्र एवं उत्तर-पत्र (दो प्रति में) दिये जायेंगे। जब परीक्षा समाप्त होगी तो अभ्यर्थियों को अपने साथ उत्तर-पत्र की कार्बन प्रति ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ख) पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का तीस प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(ग) छँटनीशुदा कर्मचारी को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा जो चयन के लिये परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों का अधिकतम पन्द्रह प्रतिशत होगा—

(एक) सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए — पांच अंक

(दो) सेवा के दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए — प्रत्येक वर्ष के लिए पांच अंक

(घ) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा जो चयन के लिये परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों का अधिकतम पांच प्रतिशत होगा :

(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो — पांच अंक

(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो — चार अंक

(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो — तीन अंक

(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो — दो अंक

(ङ) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में यथास्थिति टंकण या आशुलिपि और टंकण की परीक्षा होगी। उक्त परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का बीस प्रतिशत केवल ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण या आशुलिपि और टंकण के लिये विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार

गुना होगी। इस प्रयोजन के लिये, नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबंधों को ध्यान में रखते हुये, अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर पृथक रूप से तैयार की जायेगी।

(5) (क) उपनियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। किसी पद पर, जिसके लिये टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपनियम 4 के खण्ड (ङ) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में सफल हो गया हो, साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा।

(ख) साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिए नियत कुल अंकों के दस प्रतिशत अंकों का होगा। साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे :—

(एक)	विषय/सामान्य ज्ञान —	चार अंकों तक
(दो)	व्यक्तित्व निर्धारण —	तीन अंकों तक
(तीन)	अभिव्यक्ति की क्षमता —	तीन अंकों तक

टिप्पणी.—किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक, चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक रूप से दिये गए अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किये जायेंगे।

(ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उप नियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

(6) उप नियम (5) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उप-नियम (4) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

(7) उप नियम (6) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

6. चयन समिति का गठन.—सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य

(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। — सदस्य

(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। — सदस्य

(पांच) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी। — सदस्य

टिप्पणी 1.—यदि किसी जिले में किसी विभाग में एक से अधिक नियुक्ति प्राधिकारी हों तो उस विभाग हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये एक एकल चयन समिति गठित की जायेगी। ज्येष्ठतम नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

टिप्पणी 2.—यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा विभागाध्यक्ष केवल साक्षात्कार करने के लिये एक से अधिक चयन समिति गठित कर सकता है।[1]

टिप्पणी 3.—यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती की प्रक्रिया उस जिले में की जायेगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।[2]

7. **फीस.**—चयन के लिये अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी.—इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अवधारित फीस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के लिये बीस रुपये और सभी अन्य अभ्यर्थियों के लिये पचास रुपये है।

8. सही उत्तर और अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों का प्रकाशन और प्रदर्शन.—जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो लिखित परीक्षा के प्रश्नों का सही उत्तर और अभ्यर्थी द्वारा उसमें प्राप्त किये गये अंक के साथ यथास्थिति नियम 5 के उपनियम (5) के अधीन प्राप्त अंकों का कुल योग दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

9. अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण.—अभ्यर्थियों को ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करने पर नियम 5 के अनुसार चयन समिति द्वारा की गई चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे पांच रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियाँ भी दी जायेंगी।

---

1. उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

पर्वतीय उपसंवर्ग या उत्तरांचल राज्य आवंटन
(Allocation of Hill sub-cadre/State of Uttaranchal)

14

UTTAR PRADESH REORGANISATION ACT, 2000

EXTRACTS OF SECTIONS 2, 3, 4, 72 TO 78, 86 AND 87

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "appointed day" means the day which the Central Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint ;

(b) "article" means an article of the Constitution ;

(c) "assembly constituency", "council constituency" and "parliamentary constituency" have the same meanings as in the Representation of the People Act, 1950 ;

(d) "Election Commission" means the Election Commission appointed by the President under Article 324 ;

(e) "existing State of Uttar Pradesh" means the State of Uttar Pradesh as existing immediately before the appointed day ;

(f) "law" includes any enactment, ordinance, regulation, order, bye-law, rule, scheme, notification or other instrument having, immediately before the appointed day, the force of law in the whole or in any part of the existing State of Uttar Pradesh ;

(g) "notified order" means an order published in the Official *Gazette* ;

(h) "population ratio", in relation to the States of Uttar Pradesh and Uttaranchal, means the ratio of 1321:70 ;

(i) "sitting member", in relation to either House of Parliament or of the Legislature of the existing State of Uttar Pradesh, means a person who immediately before the appointed day, is a member of that House.

(j) "successor State", in relation to the existing State of Uttar Pradesh, means the State of Uttar Pradesh or Uttaranchal ;

(k) "transferred territory" means the territory which on the appointed day is transferred from the existing State of Uttar Pradesh to the State of Uttaranchal ;

(l) "treasury" includes a sub-treasury ; and

(m) any reference to a district, tehsil or other territorial division of the existing State of Uttar Pradesh shall be construed as a reference to the area comprised within that territorial division on the appointed day.

3. Formation of Uttaranchal State.—On and from the appointed day, there shall be formed a new State to be known as the State of Uttaranchal comprising the following territories of the existing State of Uttar Pradesh, namely :

Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, Uttar Kashi, Chamoli, Dehradun, Nainital, Almora, Pithoragarh, Udham Singh Nagar, Bageshwar, Champawat, Rudraprayag and Hardwar districts,

and thereupon the said territories shall cease to form part of the existing State of Uttar Pradesh.

4. State of Uttar Pradesh and territorial divisions thereof.—On and from the appointed day, the State of Uttar Pradesh shall comprise the territories of the existing State of Uttar Pradesh other than those specified in section 3.

72. Provisions relating to All India Services.—(1) In this section, the expression "State Cadre"—

(a) in relation to the Indian Administrative Service, has the meaning assigned to it in the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 ;

(b) in relation to the Indian Police Service, has the meaning assigned to it in the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 ; and

(c) in relation to the Indian Forest Service, has the meaning assigned to it in the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

(2) In place of the cadres of the Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Forest Service for the existing State of Uttar Pradesh, there shall, on and from the appointed day, be two separate cadres, one for the State of Uttar Pradesh and the other for the State of Uttaranchal in respect of each of these services.

(3) The initial strength and composition of the State cadres referred to in sub-section (2) shall be such as the Central Government may, by order determine before the appointed day.

(4) The members of each of the said services borne on the Uttar Pradesh cadre thereof immediately before the appointed day shall be allocated to the State cadres of the same service constituted under sub-section (2) in such manner and with effect from such date or dates as the Central Government may, by order, specify.

(5) Nothing in this section shall be deemed to affect the operation, on or after the appointed day, of the All-India Services Act, 1951, or the rules made thereunder.

73. Provisions relating to other services.—(1) Every person who immediately before the appointed day is serving in connection with the affairs of the existing State of Uttar Pradesh shall, on and from that day provisionally continue to serve in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh unless he is required, by general or special order of the Central Government to serve provisionally in connection with the affairs of the State of Uttaranchal :

Provided that every direction under this sub-section issued after the expiry of a period of one year from the appointed day shall be issued with the consultation of the Governments of the successor States.

(2) As soon as may be after the appointed day, the Central Government shall, by general or special order, determine the successor State to which every person referred to in sub-section (1) shall be finally allotted for service and the date with effect from which such allotment shall take effect or be deemed to have taken effect.

(3) Every person who is finally allotted under the provisions of sub-section (2) to a successor State shall, if he is not already serving therein be made available for serving in the successor State from such date as may be agreed upon between the Governments concerned or in default of such agreement, as may be determined by the Central Government.

74. Other provisions relating to Services.—(1) Nothing in this section or in section 73 shall be deemed to affect on or after the appointed day, the operation of the provisions of Chapter I of Part XIV of the Constitution in relation to determination of

the conditions of service of persons serving in connection with the affairs of the Union or any State :

Provided that the conditions of service applicable immediately before the appointed day in the case of any person deemed to have been allocated to the State of Uttar Pradesh or to the State of Uttaranchal under section 73 shall not be varied to his disadvantage except with the previous approval of the Central Government.

(2) All services prior to the appointed day rendered by a person,—

(a) if he is deemed to have been allocated to any State under section 73, shall be deemed to have been rendered in connection with the affairs of that State ;

(b) if he is deemed to have been allocated to the Union in connection with the administration of the Uttaranchal, shall be deemed to have been rendered in connection with the affairs of the Union.

for the purposes of the rules regulating his conditions of service.

(3) The provisions of section 73, shall not apply in relation to members of any All India Service.

75. Provisions as to continuance of officers in same post.—(1) Every person who, immediately before the appointed day is holding or discharging the duties of any post or office in connection with the affairs of the existing State of Uttar Pradesh in any area which on that day falls within any of the successor States shall continue to hold the same post or office in that successor State, and shall be deemed, on and from that day, to have been duly appointed to the post or office by the Government of, or any other appropriate authority in that successor State :

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent a competent authority, on and from the appointed day, from passing in relation to such person any order affecting the continuance in such post or office.

76. Advisory Committees.—The Central Government may, by order, establish one or more Advisory Committees for the purpose of assisting it in regard to—

(a) the discharge of any of its functions under this Part ; and

(b) the ensuring of fair and equitable treatment to all persons affected by the provisions of this Part and the proper consideration of any representations made by such persons.

77. Power of Central Government to give directions.—The Central Government may give such directions to the State Government of Uttar Pradesh and the State Government of Uttaranchal as may appear to it to be necessary for the purpose of giving effect to the foregoing provisions of this Part and the State Government shall comply with such directions.

78. Provisions as to State Public Service Commission.—(1) The Public Service Commission for the existing State of Uttar Pradesh shall, on and from the appointed day, be the Public Service Commission for the State of Uttar Pradesh.

(2) The persons holding office immediately before the appointed day as the Chairman or other member of the Public Service Commission for the existing State of

Uttar Pradesh shall, as from the appointed day, be the Chairman or, as the case may be, the other member of the Public Service Commission for the State of Uttar Pradesh.

(3) Every person who becomes the Chairman or other member of the Public Service Commission for the State of Uttar Pradesh on the appointed day under sub-section (2), shall—

(a) be entitled to receive from the Government of the State of Uttar Pradesh conditions of service not less favourable than those to which he was entitled under the provisions applicable to him ;

(b) subject to the proviso to clause (2) of Article 316, hold office or continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions applicable to him immediately before the appointed day.

(4) The report of the Uttar Pradesh Service Commission as to the work done by the Commission in respect of any period prior to the appointed day shall be presented under clause (2) of Article 323 to the Governors of the States of Uttar Pradesh and Uttaranchal, and the Governor of the State of Uttar Pradesh shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining as far as possible, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State of Uttar Pradesh and it shall not be necessary to cause such report or any such memorandum to be laid before the Legislative Assembly of the State of Uttaranchal.

86. Territorial extent of Laws.—The provisions of Part II shall not be deemed to have affected any change in the territories to which the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling of Land Holding Act, 1961 and any other law in force immediately before the appointed day, extends or applies, and territorial references in any such law to the State of Uttar Pradesh shall, until otherwise provided by a competent Legislature or other competent authority be construed as meaning the territories within the existing State of Uttar Pradesh before the appointed day.

87. Power to adapt laws.—For the purpose of facilitating the application in relation to the State of Uttar Pradesh or Uttaranchal of any law made before the appointed day, the appropriate Government may, before the expiration of two years from that day, by order, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and thereupon every such law shall have effect subject to the adaptations and modifications so made until altered, repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority.

Explanation.—In this section, the expression "appropriate Government" means as respects any law relating to a matter enumerated in the Union List, the Central Government, and as respects any other law in its application to a State, the State Government.

12

उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं में पृथक पर्वतीय उपसंवर्ग के गठन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।[1]

2. नियमावली का लागू होना.—यह नियमावली पर्वतीय उपसंवर्ग में निम्नलिखित पदों पर लागू होगी।

3. अध्यारोही प्रभाव.—किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

4. परिभाषायें.—इस नियमावली में :—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य किसी पद पर लागू सुसंगत सेवा नियमावली में यथापरिभाषित नियुक्ति प्राधिकारी से है, या जहां ऐसी नियमावली न हो वहां ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से है,

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(घ) "सामान्य संवर्ग" का तात्पर्य परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों से संबंधित किसी सेवा में समूह "ख", "ग" और "घ" के पदों की सदस्य संख्या से है जो पर्वतीय उपसंवर्ग में सम्मिलित नहीं है,

(ङ) "पर्वतीय उपसंवर्ग" का तात्पर्य नियम-5 के अधीन गठित पर्वतीय उपसंवर्ग से है,

(च) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

(छ) "सेवा" का तात्पर्य परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों में समूह "ख" "ग" और "घ" की सेवा से है,

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सुसंगत नियमावलियों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि ऐसी नियमावली न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये, कार्यपालक अनुदेशों के द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो,

5. पर्वतीय उपसंवर्ग का गठन.—(1) परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों में एक पृथक पर्वतीय उपसंवर्ग होगा जिसमें समूह "ख", "ग" और "घ" के पद, सिवाय उन पदों के जिनके पदधारी इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व के दिनांक को पर्वतीय जिलों अर्थात् अल्मोड़ा, चमोली देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के बाहर स्थानान्तरित किये जाने के दायी नहीं थे, समाविष्ट होंगे।

---

1. यह नियमावली दिनांक 25.11.1992 से प्रवृत्त है।

(2) किसी सेवा में पर्वतीय उपसंवर्ग की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा अवधारित की जाये।

(3) राज्य सरकार परिशिष्ट में ऐसे अन्य विभागों को सम्मिलित कर सकती है जो उसके द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

6. सेवा के सदस्यों का पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन.—(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के विद्यमान सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन के लिए या सामान्य संवर्ग में बने रहने के लिए तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होगा।

(3) यदि उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और अपना आवंटन पर्वतीय उपसंवर्ग में नहीं चाहता है।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उन व्यक्तियों की जिन्होंने पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन के लिए अपना विकल्प दे दिया हो सेवा में उन व्यक्तियों की ज्येष्ठता के अनुसार एक सूची तैयार करेगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यक्तियों का पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन उस क्रम में जिसमें उनके नाम उपनियम (4) के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, किया जायेगा और यदि सूची में व्यक्तियों की संख्या पदों की संख्या से अधिक हो तो पदों की संख्या से अधिक संख्या वाले व्यक्तियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा और जब कभी पर्वतीय उपसंवर्ग में रिक्तियां हों उनका आवंटन किया जायेगा।

(6) यदि उपनियम (4) के अधीन तैयार की गयी सूची में व्यक्तियों की संख्या पर्वतीय उपसंवर्ग में पदों की संख्या से कम हो तो शेष रिक्त पदों को पर्वतीय उपसंवर्ग पर लागू यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलियां या कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार भरा जायेगा :

परन्तु जब तक कि पद यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार न भरे जायें तो पद सामान्य संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा भरे जायेंगे।

7. भर्ती.—पर्वतीय उपसंवर्ग में पदों को, यथास्थिति, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा सेवा पर लागू सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार भरा जायेगा :

परन्तु जहां पर्वतीय उपसंवर्ग में पड़ने वाले किसी पद पर भर्ती पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहां पर्वतीय उपसंवर्ग के सदस्यों की पृथक पात्रता सूची तैयार की जायेगी और उससे भर्ती की जायेगी।

8. ज्येष्ठता.—पर्वतीय उपसंवर्ग में किसी सेवा में पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

9. अन्य विषयों का विनियमन.—ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अधीन न आते हों, पर्वतीय उपसंवर्ग में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

10. व्यावृत्ति.—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

[नियम 4 एवं 5 देखिए]

1. उद्योग विभाग
2. लघु एवं ग्रामीण उद्योग विभाग
3. भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
4. ऊर्जा विभाग
5. कृषि विभाग
6. ग्राम्य विकास विभाग
7. पंचायती राज विभाग
8. ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग
9. पशुपालन विभाग
10. मत्स्य विभाग
11. सहकारिता विभाग
12. दुग्ध विकास विभाग
13. क्षेत्रीय विकास विभाग
14. आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा विभाग
15. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
16. होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग
17. नगर विकास विभाग
18. प्राविधिक शिक्षा विभाग
19. परिवहन विभाग
20. पर्यटन विभाग
21. राजस्व विभाग (चकबन्दी भूमि अध्याप्ति तथा रिकार्ड आपरेशन संगठनों को छोड़कर)
22. लोक निर्माण विभाग
23. शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा सहित)
24. प्रौढ़ शिक्षा विभाग
25. श्रम विभाग
26. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
27. सिंचाई विभाग

28. सूचना व जनसम्पर्क विभाग

29. समाज कल्याण विभाग

30. महिला कल्याण विभाग (बाल विकास योजनाओं सहित).

31. युवा कल्याण विभाग।

[1]

उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1995

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1995 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम-4 का संशोधन.—उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम-4 में—

(क) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ 1 *वर्तमान खण्ड*	स्तम्भ 2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड*
(घ) "सामान्य संवर्ग" का तात्पर्य परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों से संबंधित किसी सेवा में समूह "ख", "ग" और "घ" के पदों की सदस्य संख्या से है जो पर्वतीय उपसंवर्ग में सम्मिलित नहीं हैं ;	(घ) "सामान्य संवर्ग" का तात्पर्य परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों से संबंधित किसी सेवा में समस्त पदों की सदस्य संख्या से है जो पर्वतीय उपसंवर्ग में सम्मिलित नहीं है ;

(ख) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये खण्ड (छ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ 1 *वर्तमान खण्ड*	स्तम्भ 2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड*
(छ) "सेवा" का तात्पर्य परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों में समूह "ख", "ग" और "घ" की सेवा से है ;	(छ) "सेवा" का तात्पर्य परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों की सेवा से है ;

3. नियम-5 का संशोधन.—उक्त नियमावली में नियम-5 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

---

1. यह नियमावली दिनांक 1.12.1995 से प्रवृत्त है।

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
वर्तमान उपनियम	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम*
5. (1) परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों में एक पृथक पर्वतीय उपसंवर्ग होगा जिसमें समूह "ख", "ग" और "घ" के पद सिवाय उन पदों के जिनके पदधारी इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व के दिनांक को पर्वतीय जिलों अर्थात् अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के बाहर स्थानान्तरित किये जाने के दायी नहीं थे, समाविष्ट होंगे।	5. (1) परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों में एक पृथक पर्वतीय उपसंवर्ग होगा जिसमें सिवाय उन पदों के जिनके पदधारी इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व के दिनांक को पर्वतीय जिलों अर्थात् अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और ऊधमसिंहनगर के बाहर स्थानान्तरित किये जाने के दायी नहीं थे, समस्त पद समाविष्ट होंगे।

14

उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1997

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1997 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।[1]

2. नियम-4 का संशोधन.—उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम-4 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (घ) और (छ) के स्थान पर स्तम्भ 2, दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे अर्थात् :—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
वर्तमान खण्ड	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड*
(घ) "सामान्य संवर्ग" का तात्पर्य परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों से सम्बंधित किसी सेवा में समस्त पदों की सदस्य संख्या से है जो पर्वतीय उपसंवर्ग में सम्मिलित नहीं हैं,	(घ) "सामान्य संवर्ग" का तात्पर्य सभी विभागों से सम्बन्धित किसी सेवा में ऐसे समस्त पदों की सदस्य संख्या से है जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग से अपवर्जित हों,
(छ) "सेवा" का तात्पर्य परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों की सेवा से है,	(छ) "सेवा" का तात्पर्य सरकार के विभागों में सेवा से है।

3. नियम-5 का संशोधन.—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

---

1. यह नियमावली दिनांक 2.7.1997 से प्रवृत्त है।

स्तम्भ 1 *वर्तमान नियम*	स्तम्भ 2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
5. पर्वतीय उपसंवर्ग का गठन.—(1) परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों में एक पृथक पर्वतीय उपसंवर्ग होगा जिसमें, सिवाय उन पदों के जिनके पदधारी इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व के दिनांक को पर्वतीय जिलों अर्थात् अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और ऊधमसिंह नगर के बाहर स्थानान्तरित किये जाने के दायी नहीं थे, समस्त पद समाविष्ट होंगे।	**5. पर्वतीय उपसंवर्ग का गठन.**—(1) सरकार के सभी विभागों में एक पृथक पर्वतीय उपसंवर्ग होगा जिसमें निम्नलिखित विभागों और पदों के सिवाय सभी पद होंगे :— (एक) ऐसे विभाग और पदों के पदधारी जो इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व के दिनांक को पर्वतीय जिलों, अर्थात् अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और ऊधमसिंह नगर के बाहर स्थानान्तरित किये जाने के लिये दायी नहीं थे, (दो) जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग से अपवर्जित हों।
(2) किसी सेवा में पर्वतीय उपसंवर्ग की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा अवधारित की जाये।	(2) किसी सेवा में पर्वतीय उपसंवर्ग की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित आदेश द्वारा, अवधारित की जाय।

4. नियम-6 का प्रतिस्थापन.—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ 1 *वर्तमान नियम*	स्तम्भ 2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
6. सेवा के सदस्यों का पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन.—(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के विद्यमान सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन के लिये या सामान्य संवर्ग में बने रहने के लिये तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी।	**6. सेवा के सदस्यों का पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के विद्यमान सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन के लिये तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी।
(2) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय होगा।	(2) उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1997 के प्रारम्भ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी स्थिति में जहां पर्वतीय उपसंवर्ग में विकल्प मांगे जाने की प्रक्रिया पूरी न हुई हो, या आंशिक रूप से पूरी हुई हो, या सामान्य संवर्ग के सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन के लिये ऐसी नियमावली के प्रारम्भ से तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा कर सकता है :

परन्तु उन विभागों और पदों के सम्बन्ध में, जिनसे विकल्प पहले ही मांगे जा चुके हों, उनसे नये विकल्प आमंत्रित नहीं किये जायेंगे।

(3) यदि उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और अपना आवंटन पर्वतीय उप-संवर्ग में नहीं चाहता है।

(3) उपनियम (1) और (2) के अधीन दिया गया विकल्प अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और अपना आवंटन पर्वतीय उपसंवर्ग में नहीं चाहता है।

15

उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।[1]

2. **नियम-6 का प्रतिस्थापन.**—उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जावेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ 1 *वर्तमान नियम*	स्तम्भ 2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
6. सेवा के सदस्यों का पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन.—(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के विद्यमान सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन के लिये तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी।	6. सेवा के सदस्यों का पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन.—(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के विद्यमान सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन के लिये नियम-5 के उपनियम (2) के अधीन आदेश के दिनांक से तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी।
(2) उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1997 के प्रारम्भ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी स्थिति में जहां पर्वतीय उपसंवर्ग में विकल्प मांगे जाने की प्रक्रिया पूरी न	(2) उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1997 के प्रारम्भ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी स्थिति में जहां पर्वतीय उपसंवर्ग में विकल्प मांगे जाने की प्रक्रिया पूरी न

1. यह नियमावली दिनांक 10.6.1998 से प्रवृत्त है।

हुई हो, या आंशिक रूप से पूरी हुई हो, सामान्य संवर्ग के सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन के लिए ऐसी नियमावली के प्रारम्भ के तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा कर सकता है :

परन्तु उन विभागों और पदों के संबंध में जिनसे विकल्प पहले ही मांगे जा चुके हों, उनसे नये विकल्प आमंत्रित नहीं किये जायेंगे।

(3) उपनियम (1) और (2) के अधीन दिया गया विकल्प अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और अपना आवंटन पर्वतीय उपसंवर्ग में नहीं चाहता है।

हुई हो, या आंशिक रूप से पूरी हुई हो, या सामान्य संवर्ग के सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन के लिए नियम-5 के उपनियम (2) के अधीन आदेश के दिनांक से तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा कर सकता है :

परन्तु उन विभागों और पदों के सम्बन्ध में, जिनसे विकल्प पहले ही मांगे जा चुके हों, उनसे नये विकल्प आमंत्रित नहीं किये जायेंगे।

(3) उपनियम (1) और (2) के अधीन दिया गया विकल्प अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और अपना आवंटन पर्वतीय उपसंवर्ग में नहीं चाहता है।

16

उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1999

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1999 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।[1]

2. नियम-6 का प्रतिस्थापन.—उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ 1 *वर्तमान नियम*	स्तम्भ 2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
6. सेवा के सदस्यों का पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन.—(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के विद्यमान सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन के लिये नियम-5 के उपनियम (2) के अधीन आदेश के दिनांक से तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी।	**6. सेवा के सदस्यों का पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के विद्यमान सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन के लिये नियम-5 के उपनियम (2) के अधीन आदेश के दिनांक से तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी।
(2) उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1997 के प्रारम्भ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी स्थिति में जहां पर्वतीय	(2) उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1997 के प्रारम्भ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी स्थिति में जहां पर्वतीय

1. यह नियमावली दिनांक 28.4.1999 से प्रवृत्त है।

उपसंवर्ग में विकल्प मांगे जाने की प्रक्रिया पूरी न हुई हो, या आंशिक रूप से पूरी हुई हो, सामान्य संवर्ग के सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन के लिए नियम-5 के उपनियम (2) के अधीन आदेश के दिनांक से तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा कर सकता है :

परन्तु उन विभागों और पदों के संबंध में जिनसे विकल्प पहले ही मांगे जा चुके हों, उनसे नये विकल्प आमंत्रित नहीं किये जायेंगे।

(3) उपनियम (1) और (2) के अधीन दिया गया विकल्प अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और अपना आवंटन पर्वतीय उपसंवर्ग में नहीं चाहता है।

उपसंवर्ग में विकल्प मांगे जाने की प्रक्रिया पूरी न हुई हो, या आंशिक रूप से पूरी हुई हो, सामान्य संवर्ग के सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन के लिए नियम-5 के उपनियम (2) के अधीन आदेश के दिनांक से तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा कर सकता है :

परन्तु उन विभागों और पदों के सम्बन्ध में, जिनसे विकल्प पहले ही मांगे जा चुके हों, उनसे नये विकल्प आमंत्रित नही किये जायेंगे।

(3) उपनियम (1) और (2) के अधीन दिया गया विकल्प अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और अपना आवंटन पर्वतीय उपसंवर्ग में नहीं चाहता है।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी उन व्यक्तियों की जिन्होंने उपनियम (1) और (2) के अधीन विकल्प दे दिया हो, सेवा में, उनकी ज्येष्ठतानुसार, एक सूची तैयार करेगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग में व्यक्तियों का आवंटन उस क्रम में जिसमें उनके नाम उपनियम (5) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो उस सीमा तक किया जायेगा जिस सीमा तक नियम-5 के उपनियम (2) के अधीन पर्वतीय उपसंवर्ग की सदस्य संख्या निर्धारित की गयी हो।

(7) यदि उपनियम (5) के अधीन तैयार की गयी सूची में व्यक्तियों की संख्या पर्वतीय उपसंवर्ग में पदों की संख्या से कम हो तो शेष रिक्त पदों को पर्वतीय उपसंवर्ग पर लागू यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेश के अनुसार भरा जायेगा :

परन्तु जब तक कि पद यथास्थिति सुसंगत सेवा-नियमावली या कार्यपालक अनुदेश के अनुसार न भरे जायं तब तक पद सामान्य संवर्ग के स्थानान्तरण द्वारा भरे जायेंगे।

17

उत्तर प्रदेश (पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992) (यथासंशोधित) का (विखण्डन) नियमावली, 2001

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992) (यथासंशोधित) का (विखण्डन) नियमावली, 2001 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 9 नवम्बर, 2000 से प्रवृत्त होगी।

2. अधिभावी प्रभाव.—यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य नियमावली में या इस निमित्त जारी किये गये कार्यपालक आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

3. परिभाषायें.—जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

4. विखण्डन.—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल द्वारा लोक सेवाओं से संबंधित पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) को एतद्द्वारा विखण्डित किया जाता है।

I

उत्तर प्रदेश शासन

अर्द्ध शासकीय पत्र सं०–13/8/92–का–1/1997

जगजीत सिंह,
सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक 28 अप्रैल, 1997

विषय :– पर्वतीय क्षेत्रों के रिक्त पद भरे जाने के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन निदेश।

प्रिय महोदय,

पर्वतीय क्षेत्र के रिक्त पदों को भरे जाने की समस्या के निवारणार्थ प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पर्वतीय उप संवर्ग नियमावली 1992" के प्राविधानानुसार उप संवर्ग के गठन एवं उक्त नियमावली में निहित कतिपय प्रावधानों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों से निम्नवत् जिज्ञासायें प्राप्त हुई हैं :—

(1) उपरोक्त नियमावली के तहत विकल्प मांगे जाने हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात् किन्तु निर्धारित तिथि तक प्राप्त-विकल्पों पर अन्तिम निर्णय लिये जाने के पूर्व कुछ और कार्मिकों के विकल्प प्राप्त हो जाने पर उन्हें संज्ञान में लिया जाय अथवा नहीं।

(2) यदि किन्ही मामलों में पर्वतीय उप संवर्ग के पदों की संख्या से बहुत कम संख्या में विकल्प प्राप्त हुये हों, अथवा कोई भी विकल्प प्राप्त न हुआ हो, तो ऐसे मामलों में पर्वतीय उप संवर्ग के पदों को कैसे भरा जायेगा।

(3) पर्वतीय उप संवर्ग में पदोन्नति के लिए आयोजित चयनों में क्या सम्पूर्ण संवर्ग की ज्येष्ठता को ध्यान में नहीं रखा जायेगा? अर्थात् क्या सम्पूर्ण संवर्ग (सामान्य व पर्वतीय उप संवर्ग) की संयुक्त ज्येष्ठता के अनुसार ज्येष्ठ व्यक्तियों को केवल इस आधार पर पदोन्नति से वंचित कर दिया जायेगा कि वे पर्वतीय उप संवर्ग के सदस्य नहीं हैं और पर्वतीय उप संवर्ग के उनके कनिष्ठ को पर्वतीय उप संवर्ग में पदोन्नति प्रदान कर दी जायेगी।

(4) यदि पर्वतीय उप संवर्ग के किन्ही पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है किन्तु पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हताएं धारित करने वाले पर्वतीय उप संवर्ग के पोषक पदों पर कार्यरत व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में पर्वतीय उपसंवर्ग के पदों को किस प्रकार भरा जायेगा।

2. उपरांकित जिज्ञासाओं के क्रम में प्रश्नगत नियमावली के क्रमशः निम्नलिखित प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने की मुझसे अपेक्षा की गई है :—

(1) प्रश्नगत नियमावली के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार यदि निर्दिष्ट समय के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझा जावेगा कि सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और अपना आवंटन पर्वतीय उप संवर्ग में नहीं चाहता है। इसी नियम के खण्ड (2) में यह भी व्यवस्था है कि एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय होगा। चूंकि उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि नियत अवधि के भीतर जिसने कोई विकल्प नहीं दिया है विधिक दृष्टि से उसे सामान्य संवर्ग में बने रहने का विकल्प दिया हुआ मान लिया जायेगा और जो विकल्प एक बार दे दिये गये हैं वे किसी भी दशा में बदले नहीं जायेंगे, अर्थात् एक बार नियत अवधि के भीतर विकल्प दे देने, या (विकल्प न देने के कारण) सामान्य संवर्ग में बने रहने का विकल्प मान लिए जाने के बाद ऐसे विकल्पों में कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं हो सकता। फलतः नियत अवधि के पश्चात् दिये गये विकल्पों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सकता है।

(2) प्रश्नगत नियमावली के नियम-6 के खण्ड (6) में यह प्रावधान है कि पर्वतीय उप संवर्ग में पदों की संख्या से कम विकल्प प्राप्त होने पर शेष रिक्त पदों को पर्वतीय उप संवर्ग पर लागू सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार भरा जायेगा। पर्वतीय उप संवर्ग नियमावली के नियम-7 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पर्वतीय उप संवर्ग के पदों पर वही सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेश लागू होंगे जो सम्बन्धित सेवा पर लागू हों। तात्पर्य यह है कि यदि पर्वतीय उप संवर्ग में नियत पदों की संख्या से कम विकल्प प्राप्त होते हैं तो पर्वतीय उप संवर्ग के पदों को संगत सेवा नियमावली के अनुसार पृथक से भर्ती करके भरा जा सकता है और जब तक इस प्रकार इन पदों को किन्हीं कारणों से भरा जाना सम्भव न हो तब तक पर्वतीय उप संवर्ग के पदों को सामान्य संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा भरा जायेगा।

(3) पर्वतीय उप संवर्ग नियमावली के नियम-7 के परन्तुक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जहां पर्वतीय उप संवर्ग में पड़ने वाले किसी पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की जानी हो, वहां पर्वतीय उप संवर्ग के सदस्यों की पृथक पात्रता सूची तैयार की जायेगी और उससे भर्ती की जायेगी। उपरोक्त का आशय यह है कि यदि कोई सामान्य संवर्ग का व्यक्ति स्थानान्तरण द्वारा पर्वतीय उप संवर्ग के पद पर कार्यरत है या पर्वतीय उप संवर्ग का विकल्प न देने के कारण सामान्य संवर्ग में बना हुआ है तो सम्पूर्ण

संवर्ग की संयुक्त ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठ होते हुए भी पर्वतीय उप संवर्ग में पदोन्नति हेतु उसे पात्र नहीं माना जायेगा, जब कि संयुक्त ज्येष्ठता सूची में उससे कनिष्ठ ऐसे व्यक्ति पदोन्नति के पात्र हो सकते हैं जो अपने विकल्प के आधार पर पर्वतीय उप संवर्ग के पदों पर नियमानुसार आमेलित किये जा चुके हों। उल्लेखनीय है कि किसी पद पर पदोन्नति के लिए वे ही व्यक्ति पात्र होते हैं, जिन्हें नियमानुसार उस पद के लिए पात्र घोषित किया गया हो। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि पर्वतीय उप संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु वे ही व्यक्ति पात्रता सूची में आयेंगे जो पोषक पद पर पर्वतीय उप संवर्ग में आमेलित हों और सम्पूर्ण संवर्ग की संयुक्त ज्येष्ठता सूची में वरिष्ठ होते हुए भी वे व्यक्ति प्रश्नगत पात्रता सूची में नहीं आ सकेंगे, जो सामान्य संवर्ग के सदस्य हैं क्योंकि किन्हीं पदों हेतु पात्रता परिधि में आने वाले कार्मिकों की ज्येष्ठता ही पात्रता सूची बनाने के लिए संगत होती है, जो व्यक्ति किन्हीं पदों के लिए पात्र नहीं है उनकी ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नति के लिए संगत नहीं है।

(4) यदि किन्हीं मामलों में पर्वतीय उप संवर्ग के पदों को पदोन्नति से भरा जाना है तथा पदोन्नति हेतु पर्वतीय उपसंवर्ग के पोषक पद पर कार्यरत व्यक्ति कम संख्या में उपलब्ध हों या बिल्कुल ही न हों तो उपरोक्त व्यवस्था के कारण चूंकि पर्वतीय उप संवर्ग के सभी पदों को नियमित रूप से नहीं भरा जा सकेगा। अतः उन पदों को प्रश्नगत नियमावली के नियम-6 (6) के अनुसार सामान्य संवर्ग से स्थानान्तरण के माध्यम से भरा जायेगा। स्थानान्तरण के आधार पर कार्यरत ऐसे व्यक्ति को सामान्य संवर्ग में रिक्ति उपलब्ध होने पर वापस कर दिया जायेगा और इस वापसी के परिणामस्वरूप पर्वतीय उप संवर्ग में रिक्त हुए पद को पर्वतीय उप संवर्ग के पात्र व्यक्तियों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने पर विचार किया जायेगा किन्तु यदि इस अवसर पर भी पर्वतीय उप संवर्ग में पोषक पद पर कार्यरत पात्र कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो या अपेक्षित संख्या से कम व्यक्ति उपलब्ध हों तो आवश्यकतानुसार पर्वतीय उप संवर्ग के पदों को पुनः सामान्य संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा भरा जायेगा और भविष्य में जैसे ही सामान्य संवर्ग में रिक्ति उपलब्ध होगी, पर्वतीय उप संवर्ग में स्थानान्तरण द्वारा कार्यरत सम्बन्धित व्यक्ति को उसके सामान्य संवर्ग में वापस कर दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार पर्वतीय उप-संवर्ग के पदों को भरा जा सकेगा।

3. पर्वतीय क्षेत्र के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कृपया उपरांकित निर्देशानुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए।

भवदीय,
जगजीत सिंह,
सचिव।

समस्त प्रमुख सचिव या सचिव या विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

I

उत्तर प्रदेश शासन

अर्धशासकीय प० सं०-बी-814/का-1-98

सुधीर कुमार,
सचिव।
कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक 8 सितम्बर, 1998

विषय :— उत्तर प्रदेश पर्वतीय उप सम्वर्ग नियमावली, 1992 के सम्बन्ध में निदेश।

प्रिय महोदय,

पर्वतीय क्षेत्र के रिक्त पदों को भरे जाने की समस्या के निवारणार्थ प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992" समय-समय पर यथासंशोधित के प्राविधानानुसार उपसंवर्ग के गठन एवं उक्त नियमावली में निहित कतिपय प्राविधानों के क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से निम्नवत जिज्ञासायें प्राप्त हुई हैं :—

(1) उपरोक्त नियमावली के तहत विकल्प मांगे जाने हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात् किन्तु निर्धारित तिथि तक प्राप्त विकल्पों पर अंतिम निर्णय लिये जाने के पूर्व कुछ और कार्मिकों के विकल्प प्राप्त हो जाने पर उन्हें संज्ञान में लिया जाय अथवा नहीं।

(2) यदि किन्हीं मामलों में पर्वतीय उपसंवर्ग के पदों की संख्या से बहुत कम संख्या में विकल्प प्राप्त हुये हों अथवा कोई भी विकल्प प्राप्त न हुआ हो, तो ऐसे मामलों में पर्वतीय उपसंवर्ग के पदों को कैसे भरा जायेगा।

(3) पर्वतीय उपसंवर्ग में पदोन्नति के लिए आयोजित चयनों में क्या संपूर्ण संवर्ग की ज्येष्ठता को ध्यान में नहीं रखा जायेगा? अर्थात क्या संपूर्ण संवर्ग (सामान्य व पर्वतीय उपसंवर्ग) की संयुक्त ज्येष्ठता के अनुसार ज्येष्ठ व्यक्तियों को केवल इस आधार पर पदोन्नति से वंचित कर दिया जायेगा कि वे पर्वतीय उपसंवर्ग के सदस्य नहीं है और पर्वतीय उपसंवर्ग के उनके कनिष्ठ को पर्वतीय उपसंवर्ग में पदोन्नति प्रदान कर दी जायेगी।

(4) यदि पर्वतीय उपसंवर्ग के किन्हीं पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है किन्तु पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हतायें धारित करने वाले पर्वतीय उपसंवर्ग के पोषक पदों पर कार्यरत व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में पर्वतीय उपसंवर्ग के पदों को किस प्रकार भरा जायेगा।

(5) सेवा में विद्यमान सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग के लिए विकल्प मांगे जाने हेतु तीन मास की अवधि की गणना किस तिथि से की जायेगी।

2. उपरांकित जिज्ञासाओं के क्रम में प्रश्नगत नियमावली के क्रमशः निम्नलिखित प्राविधानों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने की मुझसे अपेक्षा की गयी है :—

(1) प्रश्नगत नियमावली के नियम 6(3) के प्राविधानानुसार यदि निर्दिष्ट समय के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता तो यह समझा जायेगा कि सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और अपना आवंटन पर्वतीय उपसंवर्ग में नहीं चाहता है। इसी नियम के खण्ड (2) में यह भी व्यवस्था है कि एक बार दिया गया विकल्प अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होगा। चूंकि उपरोक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि नियत अवधि के भीतर जिसने कोई विकल्प नहीं दिया है, विधिक दृष्टि से उसे सामान्य संवर्ग में बने रहने का विकल्प दिया हुआ मान लिया जायेगा और जो विकल्प एक बार दे दिये गये हैं वे किसी भी दशा में बदले नहीं जायेंगे, अर्थात एक बार नियत अवधि के भीतर विकल्प दे देने या (विकल्प न देने के कारण) सामान्य संवर्ग में बने रहने का विकल्प मान लिये जाने के बाद ऐसे विकल्पों में कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं हो सकता। फलतः नियत अवधि के पश्चात् दिये गये विकल्पों पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकता है।

(2) प्रश्नगत नियमावली के नियम-6 के खण्ड (6) में यह प्राविधान है कि पर्वतीय उपसंवर्ग में पदों की संख्या से कम विकल्प प्राप्त होने पर शेष रिक्त पदों को पर्वतीय उपसंवर्ग पर लागू सेवानियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार भरा जायेगा। पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली के नियम-7 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पर्वतीय उपसंवर्ग के पदों पर वही सेवानियमावली या कार्यपालक अनुदेश लागू होंगे जो संबंधित सेवा पर लागू हों। तात्पर्य यह है कि यदि पर्वतीय उपसंवर्ग में नियत पदों की संख्या से कम विकल्प प्राप्त होते हैं तो पर्वतीय उपसंवर्ग के पदों को संगत सेवानियमावली के अनुसार पृथक से भर्ती करके भरा जायेगा और जब तक इस प्रकार इन पदों को किन्हीं कारणों से भरा जाना संभव न हो तब तक पर्वतीय उपसंवर्ग के पदों को सामान्य संवर्ग से स्थानांतरण द्वारा भरा जायेगा।

(3) पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली के नियम-7 के परन्तुक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जहां पर्वतीय उपसंवर्ग में पड़ने वाले किसी पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की जानी हो, वहां पर्वतीय उपसंवर्ग के सदस्यों की पृथक पात्रता सूची तैयार की जायेगी और उससे भर्ती की जायेगी। उपरोक्त का आशय यह है कि यदि कोई सामान्य संवर्ग का व्यक्ति स्थानांतरण द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग के पद पर कार्यरत है या पर्वतीय उपसंवर्ग का विकल्प न देने के कारण सामान्य संवर्ग में बना हुआ है तो संपूर्ण संवर्ग की संयुक्त ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठ होते हुए भी पर्वतीय उपसंवर्ग में पदोन्नति हेतु उसे पात्र नहीं माना जायेगा, जबकि संयुक्त ज्येष्ठता सूची में उससे कनिष्ठ ऐसे व्यक्ति पदोन्नति के पात्र हो सकते हैं जो अपने विकल्प के आधार पर पर्वतीय उपसंवर्ग के पदों पर नियमानुसार आमेलित किये जा चुके हों। उल्लेखनीय है कि किसी पद पर पदोन्नति के लिए वे ही व्यक्ति पात्र होते हैं, जिन्हें नियमानुसार उस पद के लिए पात्र घोषित किया गया हो। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि पर्वतीय उपसंवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु वे ही व्यक्ति पात्रता सूची में आयेंगे जो पोषक पद पर पर्वतीय उपसंवर्ग में आमेलित हों और संपूर्ण संवर्ग की संयुक्त ज्येष्ठता सूची में वरिष्ठ होते हुए भी वे व्यक्ति प्रश्नगत पात्रता सूची में नहीं आ सकेंगे, जो सामान्य संवर्ग के सदस्य हैं क्योंकि किन्हीं पदों हेतु पात्रता परिधि में आने वाले कार्मिकों की ज्येष्ठता ही पात्रता सूची बनाने के लिए संगत होती है, जो व्यक्ति किन्हीं पदों के लिए पात्र नहीं हैं, उनकी ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नति के लिए संगत नहीं है।

(4) यदि किन्हीं मामलों में पर्वतीय उपसंवर्ग के पदों को पदोन्नति से भरा जाना है तथा पदोन्नति हेतु पर्वतीय उपसंवर्ग के पोषक पद पर कार्यरत व्यक्ति कम संख्या में उपलब्ध हों या बिल्कुल ही न हों तो उपरोक्त व्यवस्था के कारण चूंकि पर्वतीय उपसंवर्ग के सभी पदों को नियमित रूप से नहीं भरा जा सकेगा। अतः उन पदों को प्रश्नगत नियमावली के नियम-6(6) के अनुसार सामान्य संवर्ग से स्थानांतरण के माध्यम से भरा जायेगा। स्थानांतरण के आधार पर कार्यरत ऐसे व्यक्ति को सामान्य संवर्ग में रिक्ति उपलब्ध होने पर वापस कर दिया जायेगा और इस वापसी के परिणामस्वरूप पर्वतीय उपसंवर्ग में रिक्त हुए पद को पर्वतीय उपसंवर्ग के पात्र व्यक्तियों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने पर विचार किया जायेगा किन्तु यदि इस अवसर पर भी पर्वतीय उपसंवर्ग में पोषक पद पर कार्यरत पात्र कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो या अपेक्षित संख्या से कम व्यक्ति उपलब्ध हों तो आवश्यकतानुसार पर्वतीय उपसंवर्ग के पदों को पुनः सामान्य संवर्ग से स्थानांतरण द्वारा भरा जायेगा और भविष्य में जैसे ही सामान्य संवर्ग में रिक्ति उपलब्ध होगी, पर्वतीय उपसंवर्ग

में स्थानान्तरण द्वारा कार्यरत संबंधित व्यक्ति को उसके सामान्य संवर्ग में वापस कर दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार पर्वतीय उपसंवर्ग के पदों को भरा जा सकेगा।

(5) सेवा के विद्यमान सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग के लिए विकल्प मांगे जाने की नियत समय सीमा पूर्व में पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1992 के प्रख्यापन की तिथि, दिनांक 25-11-92 से प्रारंभ होकर तीन माह की अवधि थी। परन्तु दिनांक 10 जून 1998 को प्रख्यापित उ० प्र० पर्वतीय उपसंवर्ग (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998 के नियम-6(1) के अनुसार अब उक्त तीन माह की अवधि की गणना पर्वतीय उपसंवर्ग के लिए पदों के चिन्हीकरण विषयक आदेश के निर्गमन की तिथि से की जायेगी।

3. पर्वतीय क्षेत्र के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कृपया उपरांकित निर्देशानुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहें।

सादर,

भवदीय,

सुधीर कुमार।

1–समस्त प्रमुख सचिव या सचिव या विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उ० प्र०।

सं०–27/9/2001–एस०आर० (एस)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110 003
दिनांक 11.09.2001

आदेश

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा [73] के उपखण्ड [2] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि वे सभी अधिकारी और कर्मचारी :

(क) जिनका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा [73] में विनिर्दिष्ट 13 जिलों में से एक जिला स्तर अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है और जो दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य में आते हैं अथवा जिनकी सेवाएं उपरिनिर्दिष्ट जिला क्षेत्रों के भीतर सामान्यतः स्थानान्तरण हेतु अधीनस्थ हैं अथवा

(ख) जिनका नियुक्ति प्राधिकारी, दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के गढ़वाल और कुमाऊँ डिवीजन का एक प्रभागीय स्तर का अधिकारी है अथवा जिनकी सेवाएं उपर्युक्त डिवीजन क्षेत्रों के अन्दर सामान्यतः स्थानान्तरण हेतु अधीनस्थ हैं अथवा

(ग) जो 9 नवम्बर, 2000 से तत्काल पूर्व विद्यमान उत्तरांचल राज्य के हिल सब काडर से सम्बन्धित हैं या जिनकी सेवाएं 9 नवम्बर, 2000 से तत्काल पूर्व विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए हिल सब काडर जिलों के अन्दर सामान्यतः स्थानान्तरण हेतु अधीनस्थ हैं अथवा

(घ) जो दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के राज्य क्षेत्र के भाग में विशेष परियोजना अथवा उपक्रम हेतु नियुक्त हैं और जिनकी सेवाएं 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के राज्य क्षेत्र के भाग भौगोलिक क्षेत्र के बाहर सामान्यतः स्थानान्तरण योग्य नहीं है,

9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य की सेवा हेतु अंतिम रूप से आवंटित किये जाते हैं।

आर० आर० प्रसाद,
निदेशक (रा० पु०)।

नागरिकता, चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण तथा निवास प्रमाण-पत्र
(Citizenship, Character verification, Health Examination and Certificate of Residence)

17

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

संख्या-जी-1-152/दस-534 (15)-67

लखनऊ, दिनांक 10 अप्रैल, 1990

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सब्सीडियरी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1990

फाइनेन्शियल हैन्ड बुक खण्ड दो, भाग दो में दिये गये फन्डामेन्टल रूल 10 के अधीन शक्ति, और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल फाइनेन्शियल हैन्ड बुक खन्ड दो, भाग तीन में दिये गये सब्सीडियरी रूल्स को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सब्सीडियरी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1990 कही जायेगी।

(2) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. सब्सीडियरी रूल्स, 12, 13, 14, 15, 16 तथा 17 का संशोधन.—फाइनेन्शियल हैन्ड बुक खन्ड दो, भाग तीन में दिये गये सब्सीडियरी रूल्स में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियमों के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे :—

स्तम्भ 1
वर्तमान नियम

12. The Certificate shall, except in the case of women candidates or of posts on pay not exceeding Rs. 50 per mensem, be signed by the Civil Surgeon of the district in which the candidate is resident or in which he is to be employed, provided that a Civil Surgeon shall not examine a candidate or grant him a certificate except on the written request of the appointing authority.

13. Before the Civil Surgeon is requested to examine a candidate, the appointing authority shall, as far as possible, satisfy himself that the candidate has not previously been rejected as unfit for permanent employment by any medical authority in England or India and if the candidate has been so rejected the appointing authority shall bring the fact prominently to the notice of the Civil Surgeon and shall state the cause of the rejection, if known or ascertainable in the letter to the Civil Surgeon.

14. In the case of a candidate for appointment to a post of which the pay does not exceed Rs. 50 per mensem, the appointing authority may, at his discretion, accept a certificate in the prescribed form from any Medical Practitioner who has registered his name under the U.P. Medical Act, III, of 1917 or from a Vaidya or Hakeem registered with Board of Indian Medicine, Uttar Pradesh, under the Uttar Pradesh Indian Medicine Act, 1939 (Act X of 1939) or from a Homeopathic Medical

स्तम्भ 2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

12. महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर स्वस्थता प्रमाण-पत्र पर उस जिले के सरकारी अस्पताल, जिसका वह निवासी है या जिसमें उसको नियुक्त होना है, के ज्येष्ठ अधीक्षक, मुख्य या प्रमुख अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे परन्तु सरकारी अस्पताल के ज्येष्ठ अधीक्षक मुख्य या प्रमुख अधीक्षक बिना नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के लिखित अनुरोध के किसी अभ्यर्थी की परीक्षा नहीं करेगा या उसका प्रमाण-पत्र नहीं देगा। ऐसे सरकारी अस्पताल में जहां ज्येष्ठ अधीक्षक, मुख्य या प्रमुख अधीक्षक के पद नहीं है या पदधारी की नियुक्ति नहीं की गई है या वह लम्बे अवकाश पर है और वह ज्येष्ठ वेतनमान का अन्य अधिकारी प्रभारी है, वहां प्रमाण-पत्र पर उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

13. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से किसी अभ्यर्थी की स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अनुरोध करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी यथासम्भव, अपना समाधान करेगा कि अभ्यर्थी को पहले किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा स्थायी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त समझ कर अस्वीकार तो नहीं कर दिया गया है और यदि अभ्यर्थी को इस प्रकार से अस्वीकार कर दिया गया हो तो नियुक्त प्राधिकारी इस तथ्य को प्रमुख रूप से उस चिकित्सा अधिकारी की जानकारी में लायेगा जिसे नियम 12 या नियम 17 के अधीन मामला परीक्षण के लिए निर्दिष्ट किया जाय और अस्वीकृति का कारण, यदि ज्ञात हो या अभिनिश्चित किया जा सके, बतायेगा।

14. (निकाल दिया गया)।

Practitioner registered with the Board of Homeopathic Medicine Uttar Pradesh under the U.P. Homeopathic Medical Act, 1951 (U.P. Act no. VIII of 1952) ; provided that where a candidate has previously been rejected as unfit for permanent employment, the appointing authority shall require an examination by the Civil Surgeon and shall, as in the preceding rule, take steps to make the Civil Surgeon acquainted with the facts, as far as known or ascertainable, regarding the candidate's previous rejection.

Note.—Executive Engineers in the Public Works Department, Buildings and Roads Branch, exercise the powers of the appointing authority under this rule in respect of Government servants under their control.

15. If in any case a candidate is not satisfied with the decision of the Civil Surgeon, he may appeal to the Divisional Medical Invaliding Board through the head of the office or department concerned, and the latter may, at his discretion, accept and forward the appeal or refuse to do so, provided that he shall refuse to forward the appeal in any case in which a member of the Divisional Board has already expressed or recorded an opinion unfavourable to the employment of the candidate. When an appeal is allowed the candidate must appear, at his own expense, at next meeting of the Board.

16. When a Government servant in whom a defect has been noticed by the examining surgeon, but which defect is not considered to be a disqualification for employment in the particular office or department in which he is serving, is subsequently transferred to another office or department the duties of which are of a different character, the transfer shall not be regarded as permanent until the civil surgeon or other medical authority has at the written request of the head of the new office or department, certified either that

15. यदि किसी मामले में कोई अभ्यर्थी, यथास्थिति, ज्येष्ठ अधीक्षक, मुख्य या प्रमुख अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या अधीक्षक (महिला) के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है तो वह संबंधित कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से मंडलीय चिकित्सा असमर्थकारी (इनवैलिडिंग) परिषद के पास अपील कर सकता है, और पश्चातवर्ती अधिकारी अपील को परिषद को अग्रसारित करेगा। परिषद अपील की प्राप्ति पर उसके निस्तारण के लिए कोई दिनांक नियत करेगा और अभ्यर्थी को नियत समय और दिनांक की सूचना देगा। अभ्यर्थी अपने व्यय पर नियत दिनांक को परिषद के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

16. जब किसी सरकारी कर्मचारी में परीक्षा करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई दोष पाया जाय परन्तु यह दोष उस विशेष कार्यालय या विभाग में जिसमें वह सेवा कर रहा हो नियुक्ति के लिए अयोग्यता न माना गया हो और वह आगे चल कर किसी अन्य कार्यालय या विभाग में स्थानान्तरित हो जाता है जिसकी ड्यूटी भिन्न स्वरूप की हो, तो उसका स्थानान्तरण उस समय तक स्थायी नहीं माना जायेगा जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने नये कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष के लिखित अनुरोध पर यह प्रमाणित न कर दिया हो कि या तो पूर्व में पाया गया दोष दूर हो गया है या सरकारी कर्मचारी

the defect previously noticed has disappeared or that it does not constitute a disqualification for the new duties entrusted to the Government servant.

को सौंपी गई नई ड्यूटी के लिए यह दोष अयोग्यता नहीं है।

17. No woman candidate for permanent employment in the service of the Government shall be required to undergo a Medical examination by a male Medical Officer. In such a case the appointing authority may, at his discretion, accept a certificate in the prescribed form from any registered medical woman, and preferably from a registered Medical woman in Government employment.

17. सरकारी सेवा में स्थायी नियुक्ति के लिए किसी महिला अभ्यर्थी से किसी पुरुष चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा कराने की अपेक्षा नहीं की जावेगी। ऐसे मामले में नियुक्ति प्राधिकारी जिले के सरकारी महिला अस्पताल के ज्येष्ठ अधीक्षक, मुख्य या प्रमुख अधीक्षक (महिला) का प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार कर सकता है। ऐसे जिला महिला अस्पताल में जिसमें ज्येष्ठ अधीक्षक, मुख्य या प्रमुख अधीक्षक (महिला) के पद नहीं है या पदधारियों की नियुक्ति नहीं की गयी है या वे लम्बे अवकाश पर हैं जिला अस्पताल के अधीक्षक (महिला) द्वारा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

Note.—In the case of woman teachers in the girls model schools, the appointing authority is authorized to accept a certificate from the circle inspectress of schools concerned to the effect that the candidate is physically and mentally fit for service under the Government. If the inspectress has any doubt as to the physical fitness of a candidate the production of a certificate in the prescribed form from a registered medical woman, and preferably from a registered woman in Government employment, should be insisted upon.

टिप्पणी.—निकाल दिया गया।

आज्ञा से,

भोला नाथ तिवारी,

सचिव।

मृत सेवक के आश्रितों की नियुक्ति
(Appointment of Dependents of Deceased Servants)

19

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2) यह 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. परिभाषाएं.—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के संबंध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो—

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था, या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था, या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण.—"नियमित रूप से नियुक्ति" का तात्पर्य यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है।

(ख) "मृत सरकारी सेवक" का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय,

(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित संबंधी होंगे—

(1) पत्नी या पति,

(2) पुत्र,

(3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां

(4) [1]मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहिन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

(घ) "कार्यालय का प्रधान" का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

3. नियमावली का लागू किया जाना.—यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

4. इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव.—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली तथा तद्धीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

5.[2]मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती.—(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :—

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसा सेवायोजन, यथा सम्भव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

---

1. उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठा संशोधन) नियमावली, 2001 द्वारा अंतः स्थापित, जो दिनांक 12 अक्टूबर, 2001 से प्रवृत्त है।
2. उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पाँचवां संशोधन) नियमावली, 1999 द्वारा यथाप्रतिस्थापित (दिनांक 20 जनवरी, 1999 से प्रवृत्त)।

"(3) उप नियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।"[1]

(4) जहां उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उप नियम (3) के अधीन उत्तरदायी है, तो उसकी सेवाएं, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।[2]

5क[3]. नियम-5 या किसी अन्य नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध पुलिस या प्राविन्शियल आर्म्ड कान्सटेबुलरी के ऐसे बाइस कार्मिकों के, जिनकी मृत्यु मई, 1973 में हुए उपद्रव के परिणामस्वरूप हुई थी, कुटुम्ब के सदस्यों के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते हैं।

6. सेवायोजन के लिये आवेदन-पत्र की विषयवस्तु.—इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र, जिस पद पर नियुक्ति अभिलषित है, उस पद से संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सूचना दी जायेगी :—

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहां और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था,

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय संबंधी ब्योरे,

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा, और,

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं, यदि कोई हों।

7. प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों.—यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिये व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

8. आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता.—(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) चयन के लिये प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से, यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

---

1. उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठा संशोधन) नियमावली, 2001 द्वारा अंतः स्थापित, जो दिनांक 12 अक्टूबर, 2001 से प्रवृत्त है।
2. उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठा संशोधन) नियमावली, 2001 द्वारा अंतः स्थापित, जो दिनांक 12 अक्टूबर, 2001 से प्रवृत्त है।
3. अधिसूचना संख्या-4/7/1979-कार्मिक-2, दिनांक 20.2.81 द्वारा अंतः स्थापित।

(3)[1] "इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जाएगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।"

9. सामान्य अर्हताओं के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान.—किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि—

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

टिप्पणी.—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हैं जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हों और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

10. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे।

20

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठा संशोधन) नियमावली, 2001

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठां संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।[2]

---

1. उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991 द्वारा यथाप्रतिस्थापित। यह संशोधन दिनांक 12.8.91 से प्रवृत्त है।
2. यह संशोधन नियमावली दिनांक 12.10.2001 से प्रवृत्त है।

2. **नियम-2 का संशोधन.**—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नियम-2 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ 1 *वर्तमान खण्ड*	स्तम्भ 2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड*
(ग) "कुटुम्ब" के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :—	(ग) "कुटुम्ब" के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :—
1. पत्नी या पति,	1. पत्नी या पति,
2. पुत्र,	2. पुत्र,
3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।	3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां,
	4. मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

3. **नियम-5 का संशोधन.**—उक्त नियमावली में नियम-5 में वर्तमान उपनियम 2 (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(3) उपनियम (1) के अधीन दी गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।"

4. जहां उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाएं, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

अध्याय 3

प्रतिनियुक्ति तथा बाह्य सेवा
(Deputation and Foreign Service)

जब किसी उपक्रम, निगम, विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण अथवा अन्य स्व-शासित संस्था में सरकारी सेवक को तैनात किया जाता है तो मूल नियम 9(7) के अन्तर्गत बाह्य सेवा में उसकी इस तैनाती को "प्रतिनियुक्ति" कहा जाता है।

सामान्यतया लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बाह्य सेवा में नहीं भेजा जाता है। बाह्य सेवा में भेजे जाने वाले आदेश के अन्तर्गत वहाँ पर देय सुविधाओं और शर्तों जैसे कि वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, आदि का उल्लेख रहता है।

पहले शासन का प्रशासकीय विभाग किसी भी अधिकारी को बाह्य सेवा में 5 वर्षों के लिए भेज सकता था किन्तु अब यह अवधि घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है और विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से इसे 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

पहले 50 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी सेवकों को बाह्य सेवा में नहीं भेजा जा सकता था किन्तु अब 55 वर्ष तक की आयु के सेवकों को बाह्य सेवा में भेजा जा सकता है। यदि 55 वर्ष की आयु से अधिक आयु वालों को बाह्य सेवा में, जनहित में भेजना अत्यन्त आवश्यक हो, तो यह वित्त विभाग की सहमति से किया जा सकता है।

किसी सरकारी सेवक को किसी बाह्य सेवा की अवधि पूरी करने के पश्चात् अपने पैतृक विभाग में 2 वर्ष की सेवा करना पहले अनिवार्य होता था किन्तु शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-1-205/दस-97-534(46)/76, दिनांक 8-4-97 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि सामान्यतया बीच की अवधि 2 वर्ष रहेगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में गुणावगुण के आधार पर इसे छह मास तक रखने का अधिकार प्रशासकीय विभाग में प्रतिनिहित कर दिया गया है परन्तु 6 मास से कम की अवधि के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

बाह्य सेवा की अवधि में सरकारी सेवक को उसके पैतृक विभाग में समय-समय पर देय वेतन के ऊपर 5 प्रतिशत का प्रतिनियुक्ति भत्ता जो अधिकतम 500/- प्रति माह तक हो सकता है उसी जिले में प्रतिनियुक्ति पर दिया जाता है और यदि उसकी तैनाती के जिले के बाहर किसी अन्य जिले में बाह्य सेवा पर भेजा जाता है तो पैतृक विभाग में उसको समय-समय पर देय वेतन के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि जो अधिकतम 1000/- प्रति माह तक हो सकती है, प्रतिनियुक्ति भत्ता के रूप में दी जाती है किन्तु दोनों का योग रु० 22000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए।

यदि सरकारी सेवक अपनी प्रार्थना पर कहीं बाह्य सेवा में भेजा जाता है तो उसको प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होता है।

प्रतिनियुक्ति की अवधि उस पद पर वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु मूल नियम 26(e) के अन्तर्गत सम्मिलित की जाती है जिस पद से वह बाह्य सेवा पर गया हो तथा पैतृक विभाग में समय-समय पर देय प्रोन्नतियों का लाभ भी उसको मूल नियम 113 के अन्तर्गत देय होता है तथा तद्नुसार बाह्य सेवा में उसको देय वेतन एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता को विनियमित किया जाता है।

बाह्य सेवायोजक संस्था द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 15 अप्रैल तक सरकारी सेवक के संबंध में पेंशनरी तथा अवकाश वेतन से संबंधित अंशदानों का भुगतान पैतृक विभाग को मूल नियम 115 तथा 116 के अनुसार करते रहना चाहिए।

उपरोक्त धनराशियों के बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक प्राप्त होने पर शासकीय विभागों द्वारा उसको अपने प्राप्ति के लेखा शीर्षक के अन्तर्गत स्टेट बैंक में ट्रेजरी चालान के द्वारा जमा करना चाहिए तथा उसकी प्रविष्टि, सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका में अवश्य कर देनी चाहिए अन्यथा सेवानिवृत्ति पर वाह्य सेवा की अवधि को पेंशन हेतु गिने जाने में कठिनाई आती है।

वाह्य नियोजक से प्राप्त अवकाश वेतन के अंशदान को सरकारी सेवक के पैतृक विभाग से सम्बन्धित अधिष्ठान के प्राप्ति शीर्षक के अंतर्गत ट्रेजरी चालान द्वारा जमा किया जायेगा तथा समस्त पेंशनरी अंशदान, प्राप्ति शीर्षक "0071-पेंशन तथा अन्य नैवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित वसूलियाँ-01-सिविल-101-अभिदान अंशदान-05-सार्वजनिक उपक्रमों में वाह्य सेवा पर गये सरकारी सेवकों की पेंशनों के लिए अंशदान" के अंतर्गत जमा किये जायेंगे।

वाह्य सेवा में सरकारी सेवक जब नियमित अवकाश लेता है तो उसको देय अवकाश वेतन की गणना, अवकाश पर जाने की तिथि के ठीक पूर्व प्राप्त वेतन तथा उस पर देय वाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग पर की जाती है।

किसी उपक्रम, निगम अथवा विश्वविद्यालय आदि स्वायत्त शासित संस्था में वाह्य सेवा पर गया सरकारी सेवक यदि शासन के अपने पैतृक विभाग में वापस आने की बजाय उसी संस्था में स्थायी रूप से बना रहना चाहता है तो इसके लिए सन् 1984 की आमेलन नियमावली में प्रावधान विद्यमान है जिसके अनुसार आमेलन की कार्यवाही की जा सकती है।

1

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों का आमेलन नियमावली, 1984

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त अन्य समस्त नियमों का अतिक्रमण करके राज्यपाल सार्वजनिक उपक्रमों में उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में नियोजित सरकारी सेवकों के आमेलन की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों का आमेलन नियमावली, 1984 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।[1]

2. परिभाषायें.—जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में, :—

(क) "आमेलित व्यक्ति" का तात्पर्य किसी ऐसे सरकारी सेवक से है जिसका किसी उपक्रम की सेवा में आमेलन नियम 5 के अधीन सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया हो।

(ख) "प्रतिनियुक्ति" का तात्पर्य सरकार द्वारा किसी सरकारी सेवक की सेवा किसी उपक्रम की वाह्य सेवा पर देने से है।

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

---

1. यह नियमावली दिनांक 1.12.1984 से प्रवृत्त है।

(घ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कार्यकलाप के सम्बन्ध में लोक सेवा में या किसी पद पर पेंशनयुक्त अधिष्ठान में स्थायी रूप में नियुक्त व्यक्ति से है।

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(च) "वैज्ञानिक कर्मचारी" का तात्पर्य किसी ऐसे सरकारी सेवक से है जो वैज्ञानिक अर्हतायें रखता हो और किसी ऐसे पद पर नियुक्त हो जिसके कर्तव्य और कृत्य राज्यपाल की राय में, वैज्ञानिक प्रकृति के हों।

(छ) "उपक्रम" का तात्पर्य :—

(एक) उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम या किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन निगमित सांविधिक निकाय से हैं,

(दो) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत किसी सरकारी कम्पनी से है,

(तीन) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 4 के खण्ड (25) के अर्थान्तर्गत किसी स्थानीय प्राधिकारी से है,

(चार) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी वैज्ञानिक संगठन से है जो पूर्णतः या अंशतः केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रण में हो।

3. प्रतिनियुक्ति के लिए आयु सीमा[1].—(1) 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त कोई सरकारी सेवक प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जायेगा।

(2) यदि 55 वर्ष की आयु के उपरान्त किसी सरकारी सेवक को नितान्त आवश्यक परिस्थितियों एवं जनहित में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की आवश्यकता है तो प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त करेंगे।

4. प्रतिनियुक्ति के लिए समय सीमा.—किसी भी सरकारी सेवक को साधारणतया पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. उपक्रम में आमेलन.—(1) किसी सरकारी सेवक को उस उपक्रम की सेवा में, जिसमें वह प्रतिनियुक्ति पर हो, आमेलित होने की अनुमति दी जा सकती है, यदि—

(एक) वह अपनी प्रतिनियुक्ति के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष समाप्त होने के पूर्व या 53 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक से पूर्व जो भी पहले हो, सरकार को उपक्रम में अपने आमेलन के लिये आवेदन करे और सम्बन्धित उपक्रम भी ऐसी अवधि के भीतर सरकार से उसके आमेलन के लिए प्रस्ताव करें,

(दो) सरकार लोक-हित में ऐसे आमेलन के लिए सहमत हो :

परन्तु कोई ऐसा सरकारी सेवक, जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को किसी उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर हो, ऐसे प्रारम्भ के छः मास के भीतर या खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जो भी बाद में समाप्त होती हो, अपने आमेलन के लिये आवेदन कर सकता है और उपक्रम उसके आमेलन के लिये प्रस्ताव कर सकता है।

---

1. उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों का आमेलन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित, जो दिनांक 6.1.97 से प्रवृत्त है।

(2) सरकार निम्नलिखित आमेलन पर सहमत न होगी :—

(क) समूह "घ" के किसी सरकारी सेवक के उपक्रम में किसी पद पर।

(ख) ऐसे किसी सरकारी सेवक के जो सरकार के अधीन किसी लिपिक वर्गीय पद पर हो, उपक्रम में किसी लिपिक वर्गीय पद पर।

(ग) जब तक कि उस सरकारी सेवक को उपक्रम में किसी समकक्ष पद पर व उपक्रम में किसी ऐसे उच्च पद पर जिस पर वह कम से कम 3 वर्ष से प्रतिनियुक्ति पर रहा हो, आमेलित न किया जाना हो।

(घ) जब तक कि उस पद के, जिस पर उसे आमेलित किया जाना हो, वेतनमान में उसका वेतन उस-प्रक्रम पर निर्धारित न किया जाय जो मूल विभाग में उसके पद के वेतनमान में उसे अनुमन्य वेतन प्रतिनियुक्ति भत्ते को जोड़कर आये और उसे उसका मूल वेतन माना जाय।

(एक) यदि उपक्रम के वेतनमान में ऐसा कोई प्रक्रम न हो तो उसका वेतन उस प्रक्रम के ठीक नीचे के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा और धनराशि में अन्तर की कमी को वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जायेगा जिसे भविष्य में होने वाली वेतनवृद्धियों में आमेलित किया जायेगा।

(दो) यदि मूल विभाग के वेतनमान में अनुमन्य वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ते का योग उपक्रम के वेतनमान के न्यूनतम वेतन से कम हो, तो उसका वेतन ऐसे न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जायेगा और यदि ऐसा योग उपक्रम के वेतनमान की अधिकतम धनराशि से अधिक हो तो उसका वेतन ऐसे अधिकतम पर निर्धारित किया जायेगा और धनराशि में अंतर को वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जायेगा।

(तीन) ऐसा आमेलन किसी ऐसे दिनांक से, जब उपक्रम सरकारी सेवक को अपनी सेवा में आमेलित करने की अपनी सहमति पहली बार सूचित करें, पूर्व के किसी दिनांक से स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. **आमेलन का प्रभाव.**—कोई सरकारी सेवक, जिसका आमेलन किसी उपक्रम में सरकार द्वारा स्वीकार किया जाय, उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 56 में किसी बात के होते हुए भी अपने आमेलन के दिनांक से सरकारी सेवा से निवृत्त माना जायेगा और उस दिनांक से उसका अपने मूल विभाग में कार्यभाराधिकार समाप्त हो जायेगा।

7. **सेवानिवृत्ति लाभ.**—कोई ऐसा सरकारी सेवक, जिसे नियम 6 के अधीन सेवानिवृत्त समझा जाय, सरकार के अधीन पेंशन के लिये अपनी अर्हकारी सेवा के आधार पर आनुपातिक पेंशन के साथ मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक का हकदार होगा और उसका भुगतान तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जायेगा। यदि अर्हकारी सेवा दस वर्ष से कम हो तो उसे पेंशन के बजाय मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति के साथ सेवा आनुतोषिक दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण.—सरकारी सेवक अपने सेवानिवृत्ति के दिनांक के पश्चात् प्रवृत्त होने वाले पेंशन नियमों में किसी उदारता के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

8. **अन्यत्र सेवायोजन.**—यदि उपक्रम में किसी आमेलित व्यक्ति की सेवा, चाहे उपक्रम की या आमेलित

व्यक्ति की प्रेरणा पर किसी भी रीति से समाप्त हो जाय, तो वह पेंशन से वंचित हो जायेगा। यदि वह सरकार की पूर्व-लिखित अनुज्ञा के बिना सरकारी सेवा से अपनी निवृत्ति के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी वाणिज्यिक संस्था में सेवा कर लेता है।

9. पारिवारिक पेंशन.—(1) तत्समय लागू सुसंगत नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन का लाभ केवल उन कर्मचारियों के परिवारों को अनुमन्य होगा जो इस नियमावली के अधीन सरकार से पेंशन के हकदार थे और उन कर्मचारियों के परिवारों को अनुमन्य नहीं होगा जो केवल सेवा आनुतोषिक के हकदार हैं (अर्थात् जो सरकार के अधीन 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के पूर्व उपक्रम में आमेलित कर लिये गये है।)

(2) पारिवारिक पेंशन सरकार से केवल उसी दशा में अनुमन्य होगी जबकि उपक्रम से कोई ऐसी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न हो।

10. सेवानिवृत्ति के पश्चात् असाधारण पेंशन और यात्रा भत्ता.—नियम 6 में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकार किसी भी असाधारण पेंशन या यात्रा भत्ता के लिये उत्तरदायी न होगी।

11. पेंशन का राशिकरण.—आमेलित व्यक्ति अपनी पेंशन के अंश का राशिकरण उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स के उपबन्धों के अनुसार कराने का हकदार होगा।

12. उपार्जित छुट्टी का अन्तरण.—उपक्रम, जिसमें कर्मचारी आमेलित किया जाय, सरकारी सेवा से सरकारी सेवक के निवृत्ति के समय उसके खाते में जमा उपार्जित छुट्टी और निजी कार्य पर छुट्टी के संबंध में दायित्व लेगा और उसके बदले में सरकार उपक्रम को एकमुश्त धनराशि का भुगतान करेगी जो सरकारी सेवक को ऐसे उपक्रम में उसके आमेलन के दिनांक को देय ऐसी छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन के बराबर हो।

13. भविष्य निधि का अन्तरण.—किसी आमेलित व्यक्ति के भविष्य निधि लेखा में जमा अभिदान की धनराशि और उस पर ब्याज का भुगतान उसे सरकारी सेवा से उसके निवृत्त होने के समय सुसंगत नियमों के अनुसार किया जा सकता है किन्तु, यदि वह ऐसा चाहे, धनराशि का अन्तरण उपक्रम के अधीन उसके नये भविष्य निधि लेखा में किया जा सकता है, बशर्ते सम्बन्धित उपक्रम भी ऐसे अन्तरण के लिये सहमत हो। भविष्य निधि के शेष का एक बार इस प्रकार अन्तरण हो जाने पर, सम्बन्धित व्यक्ति सरकार के लागू भविष्य निधि नियमों द्वारा नियंत्रित न होकर संबंधित उपक्रम के लागू भविष्य निधि नियमों द्वारा नियंत्रित होगा।

14. वैज्ञानिक कर्मचारियों के संबंध में सरकार के अधीन की गई सेवा का लाभ.—(1) नियम 7 के उपबंधों के होते हुए भी सरकार केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के किसी स्वायत्त वैज्ञानिक संगठन में जिसमें उसके कर्मचारियों के लिये पेंशन संबंधी लाभ है, आमेलित किसी वैज्ञानिक कर्मचारी के संबंध में पेंशन संबंधी दायित्व का निर्वहन कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर या ऐसे संगठन की सेवा से निवृत्ति के समय ऐसे संगठन की सेवा आनुतोषिक या यथास्थिति मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के अंश के साथ कर्मचारी की सेवा अवधि के आधार पर उसके पेंशन के अंश के पूँजीकृत मूल्य का भुगतान करके कर सकती है।

(2) उपनियम (1) का उपबंध लागू न होगा जब तक कि आमेलित व्यक्ति ने संगठन में आमेलन के लिये अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का एक लिखित विकल्प, जो स्वायत्त संगठन द्वारा सम्यक रूप से पृष्ठांकित होगा, भी न दे कि नियम 7 के अधीन तुरन्त पेंशन प्राप्त करने के बजाय वह उपनियम (1) के अधीन लाभ के लिये विकल्प करता है।

(3) यदि कोई कर्मचारी नियम 8 के अधीन पेंशन संबंधी लाभ से वंचित हो जाता है तो संगठन को पेंशन या आनुतोषिक में कर्मचारी अंश के भुगतान का प्रश्न नहीं उठेगा।

2

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति (ख) विभाग

संख्या-4379/2-क-661-1957

लखनऊ, 19 नवम्बर, 1959

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :– **सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति (deputation) आदि विनियमित करने तथा अन्य पदों के लिये आवेदन-पत्रों के निस्तारण के सिद्धांत।**

हाल में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मूल विभाग से बाहर के पदों पर प्रतिनियुक्ति करने तथा अन्य पदों के लिये उनके आवेदन-पत्रों के निस्तारण के विषय में फिर से विचार किया। इस संबंध में पार्श्वलिखित परिपत्रों के अनदेयों पर विचार किया गया। यह विदित हुआ है कि उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता इस उद्देश्य से है कि प्रतिनियुक्तियां आदि स्वीकृत करने में पालन किये जाने वाले सिद्धांतों तथा ऐसे मामलों पर कार्यवाही करने के हेतु अनुसारित की जाने वाली प्रक्रिया, इन दोनों ही के संबंध में उक्त विषय अधिक स्पष्ट तथा युक्ति-युक्त आधार पर रखा जा सके। तदनुसार, निम्नहस्ताक्षरी को इस विषय पर जारी किये गये उपर्युक्त परिपत्रों को अधिक्रांत करके स्थिति को पुनः स्पष्ट करने का निदेश हुआ है।

(1) शासकीय आज्ञा संख्या ए-2911/2-ए-1957, दिनांक 2 दिसम्बर, 1957.

(2) शासकीय आज्ञा संख्या ए-114/2-ए-1958, दिनांक 11 फरवरी, 1958.

(3) शासकीय आज्ञा संख्या 2697/2-ए-661-1957, दिनांक 25 अप्रैल, 1958.

(4) सचिवों को सम्बोधित अर्द्धशासकीय आज्ञा संख्या 8928/2-ए-1958 दिनांक 24 जनवरी, 1959.

2. अपने मूल विभाग को छोड़कर अन्य सेवा के लिये सरकारी कर्मचारियों के मामले निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी न किसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं—

क. प्रतिनियुक्तियां।

ख. विदेश सेवा (Foreign Service) के हेतु स्थानान्तरण।

ग. स्थानीय निधियों के अधीन सेवा।

घ. अपने मूल विभाग से बाहर, सेवा के हेतु स्थायी सरकारी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र।

ङ. अन्यत्र सेवा के हेतु, अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र।

च. विविध।

मामलों की इन श्रेणियों में से प्रत्येक का विवरण नीचे दिया गया है :

क-प्रतिनियुक्तियां

(क) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य,

(ख) राज्य सेवाओं के सदस्य।

(ग) अन्य स्थायी सरकारी कर्मचारी—

(1) राज्य सरकार के क्षेत्र से बाहर,

(2) राज्य सरकार के अन्य विभागों को।

(घ) अस्थायी सरकारी कर्मचारी—

(1) राज्य सरकार के क्षेत्र से बाहर,

(2) राज्य सरकार के अन्य विभागों को।

(ङ) सामान्य (General Point).

3. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य.—अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के मामलों पर सरकार का नियुक्ति विभाग उन अधिकारियों पर लागू नियमों के अधीन कार्यवाही करता है।

4. राज्य सेवाओं के सदस्य.—राज्य सेवाओं के सदस्यों की भारत सरकार और या संघ प्रशासनों में प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच कुछ व्यवस्था है। ऐसे मामलों पर, पहले की भांति, इन व्यवस्थाओं के अनुरूप, संबंधित विभाग में कार्यवाही की जाती रहेगी। अन्य मामलों में इस ज्ञाप के उपबन्ध लागू होंगे।

5. राज्य सरकार के क्षेत्र से बाहर स्थायी सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति.—इस प्रकार की प्रतिनियुक्तियां भारत सरकार, अन्य राज्य सरकारों या संघ प्रशासनों से की जा सकती है। यदि इन साधनों से इस राज्य के उपयुक्त, सरकारी कर्मचारियों की सेवायें उधार लेने के लिये अनुरोध किया गया हो तो ऐसी प्रतिनियुक्ति से यदि सारे देश का अपेक्षाकृत अधिक हित होने की संभावना हो तो ऐसे आवेदनों पर विचार किया जाना चाहिये। इस बात का ध्यान रखते हुए कि देश की सरकार एक है और वह कोई अलग चीज नहीं है, राज्य सरकार का हित कुछ हद तक इस व्यापक हित के सामने गौण समझा जाना चाहिये।

6. यदि इस प्रकार के किसी आवेदन के पश्चात् फिर यह अनुरोध किया जाय कि उस सरकारी कर्मचारी की, जिसका कि नाम दिया गया हो, सेवायें उपलब्ध की जायं तो इस उपरोक्त आवेदन पर सामान्यतया तब तक स्वीकृति न दी जानी चाहिये, जब तक कि वह पदधारी जिसका कि नाम दिया गया हो, उस कार्य के लिये जो उधार लेने वाली सरकार के अधीन उसे दिये जाने का प्रस्ताव हो, अपवाद-स्वरूप विशेष अर्हता प्राप्त न हो और साथ ही जब तक कि वह एक और शर्त पूरी न करता हो कि वह अपनी अर्हताओं, अनुभव आदि के आधार पर निकट भविष्य में मूल विभाग में उच्चतर पद पर पदोन्नति पाने के योग्य है, किन्तु नाम से, किसी अधिकारी की सेवाओं के लिये किये गये आवेदन को, सेवाओं की दृष्टि से सदाचार तथा अनुशासन के हित में प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये।

7. इन मामलों में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया अधिकतम तीन वर्ष तक सीमित रखनी चाहिये। यदि उधार लेने वाली सरकार उत्तर प्रदेश के किसी पदधारी की सेवायें और अधिक समय तक के लिये चाहे, तब भी मूल प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक न बढ़ाई जाय, किन्तु मूल पदधारी के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति, यदि उपलब्ध हो, भेजा जा सकता है। केवल बहुत अपवादित स्थितियों में किसी विशेष पदधारी की सेवाओं के हेतु किये गये आवेदनों को तीन वर्ष से अधिक समय तक के लिए स्वीकृत किया जाना चाहिये और ऐसे मामलों में भी, अवधि सामान्यतया, चार वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिये। प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति की आज्ञा जारी करने से पूर्व इस बात का समाधान उधार लेने वाली सरकार के साथ विशेषरूप से कर लेना चाहिये। इन आज्ञाओं में भी प्रतिनियुक्ति की अवधि संबंधी शर्त उल्लिखित की जानी चाहिए।

8. स्थायी सरकारी कर्मचारियों की राज्य सरकार के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति.—इस प्रकार के मामलों पर कार्यवाही करने के संबंध में कोई अनन्य अनुदेश संभव नहीं है और प्रत्येक मामले पर उसके

गुणानुसार विचार किया जाना चाहिये। किन्तु ऐसे भी सभी मामलों पर विचार करने के लिये मुख्य बात यह ध्यान में रखनी चाहिये कि क्या यह प्रतिनियुक्ति उस विभाग के हित में है जिसमें कि पदधारी की प्रतिनियुक्ति की जाय। उदाहरणार्थ, सचिवालय सेवा के किसी पदधारी को किसी विभागाध्यक्ष के कार्यालय में आवश्यक सुधार करने के लिये प्रतिनियुक्ति करना आवश्यक हो सकता है। इसी प्रकार विभागाध्यक्ष के कार्यालय के किसी कर्मचारी को, सचिवालय में, किसी ऐसे विशेष कार्य के निमित्त, जिसके लिये वह विशेष रूप से अर्हतावान हो, प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है। इसी के समान दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ऐसी प्रतिनियुक्तियों की अनुमति तभी दी जा सकती है, यदि इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग के कार्य-दक्षता पर कोई विशेष विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो। इस प्रकार एक-दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिनियुक्ति करने से (exchanges) बहुधा मानसिक थकावट दूर होती है और कार्य-दक्षता बढ़ती है, किन्तु यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि केवल इसी आधार पर ऐसी प्रतिनियुक्तियों की अनुमति न दी जाय।

9. **अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की राज्य सरकार के क्षेत्र के बाहर प्रतिनियुक्ति.**—सामान्यतया अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार-क्षेत्र के बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। अस्थायी सरकारी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति के अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि इससे मूल विभाग (Parent Department) में जटिलता पैदा हो जाती है। ऐसी जटिलताओं की यहां पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल बिरले ही मामलों में ऐसे अपवाद हो सकते हैं और जिनके संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि मूल विभाग में कठिनाइयों तथा जटिलताओं के होते हुए भी देश के व्यापक हित में प्रतिनियुक्ति की अनुमति दी जानी चाहिये; किन्तु, सामान्य परिस्थितियों में दूसरी सरकार के लिये यह संभव होगा कि वह या तो स्वयं अपने कर्मचारियों में से या बाहर से प्रार्थियों का चयन करके अथवा किसी स्थायी कर्मचारी की सेवाओं को उधार मांग कर किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन कर सकती है। ऐसे विभागों के अस्थायी कर्मचारियों की दशा में भी अपवाद हो सकते हैं जो कई वर्षों से अस्थायी आधार पर चल रहे हों और व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये अर्द्ध स्थायी (Quasi-Permanent) विभागों की तरह हों।

10. ऐसे मामलों में, जिनमें उपर्युक्त स्थिति से विपरीत निश्चय किया जाय, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रतिनियुक्ति की अनुमति दी जायेगी।

(क) प्रतिनियुक्ति सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिये नहीं होनी चाहिये। इस अवधि में सेवायें उधार लेने वाली सरकार को, सम्बद्ध पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिये अन्य व्यवस्था कर लेनी चाहिए।

(ख) राज्य सरकार के अधीन, किसी पद पर, सरकारी कर्मचारी का औपचारिक संबंध, उसके कार्यभार सौंप देने के दिनांक को स्वतः समाप्त हो जायेगा, दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित खंड (ग) के अधीन उसे नियमों के अन्तर्गत बाद में उक्त पद पर वापस आने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। यह उल्लेखनीय है कि उसके द्वारा रिक्त किये गये पद पर उसके धारणाधिकार (Lien) का कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है, क्योंकि नियमों के अधीन किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी का किसी पद पर कोई धारणाधिकार नहीं हो सकता है, फंडामेंटल रूल 9 (13) में धारणाधिकार (Lien) की परिभाषा देखिए।

(ग) किन्तु यह निश्चय हो जाना चाहिये कि यदि उसकी प्रतिनियुक्ति तीन वर्षों के पूर्व या तीन वर्ष बीत जाने पर समाप्त हो जाय तो उसके मूल पद पर, उसकी पुनर्नियुक्ति के मामले पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसके वापस होने के दिनांक को उक्त पद का अस्तित्व रहे और उसकी पुनर्नियुक्ति में कोई प्रशासकीय या अन्य कठिनाई न प्रतीत

हो। ऐसे मामलों में, जिनमें सम्बद्ध पद लोक सेवा आयोग के अधिकार-क्षेत्र (Purview) के अन्तर्गत हो और मूल पद के लिये आयोग के परामर्श से संबंधित कर्मचारी का चयन किया गया हो, तो ऐसा संभव है कि मामले को विशेष परिस्थितियों में आयोग से उसकी पुनर्नियुक्ति के संबंध में अथवा उसकी पुनर्नियुक्ति को विनियमित करने के लिये फिर से परामर्श लिया जा सकता है।

(घ) ऐसे मामलों में, जिनमें किसी सरकारी कर्मचारी को उपर्युक्त खंड के अधीन पुनः नियुक्त किया जा सके तो उसकी मूल पद पर पुनः नियुक्त करने पर उसका वेतन निर्धारित करने में वित्त विभाग की सहमति से, उसके द्वारा प्रतिनियुक्ति पर बिताई गई अवधि पर विचार किया जा सकता है अर्थात् उक्त पद में वेतन-वृद्धियों के लिये प्रतिनियुक्ति की अवधि को गिना जा सकता है।

(ङ) यदि तीन वर्षों की अथवा उससे लम्बी अवधि के, जब तक के लिये उसकी सेवायें उधार ली गई हों, समाप्त होने पर सरकारी कर्मचारी अपने मूल पद पर, यदि वह पद उस समय रहे, वापस नहीं आता है तो न उसकी पुनर्नियुक्ति के मामलों में और न पुनर्नियुक्त होने पर उसके वेतन निर्धारण के मामले में कोई विशेष विचार किया जायेगा। पुनर्नियुक्ति के लिये उसके प्रार्थना-पत्र पर उसी आधार पर विचार किया जायेगा जैसा कि बिल्कुल बाहर वालों के नौकरी के प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जाता है, जिसमें लोक सेवा आयोग से किया जाने वाला परामर्श यदि आवश्यक हो, सम्मिलित है। इस खण्ड के उपबन्धों को ऐसे मामलों में शिथिल किया जा सकता है जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि सरकारी कर्मचारी की स्वयं वापस आने की इच्छा होने पर भी सेवायें उधार लेने वाली सरकार ने उसे कार्यभार से मुक्त न किया हो।

(च) इसी प्रकार सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी को उस पद पर जिस पर वह प्रतिनियुक्ति पर जाते समय कार्य करता था, पुनः नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि के समाप्त होने पर अथवा उसके पूर्व उक्त पद का अस्तित्व, जिस पर वह प्रतिनियुक्ति के समय कार्य करता था, न रहे। किन्तु उसे ऐसे निम्नपद पर, यदि कोई हो, जिस पर वह उस पद में, जहां से वह प्रतिनियुक्ति पर गया था, स्थानापन्न रूप से पदोन्नति प्राप्त करने के पूर्व कार्य करता था, नियुक्त किया जा सकता है।

11. सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी को उपर्युक्त शर्तों के सम्बन्ध में कोई सन्देह न रहे, इस उद्देश्य से उसकी प्रतिनियुक्ति के प्रश्न पर विचार करने के पूर्व उससे विशेषतः लिखित रूप में तत्सम्बन्धी अनुबन्ध करा लिया जायेगा। इसी प्रकार इन शर्तों के सम्बन्ध में सेवायें उधार लेने वाली सरकार से अनुबन्ध करा लिया जायेगा। अन्त में उक्त अनुबन्ध प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति की आज्ञा में समाविष्ट किये जायेंगे और उनकी प्रतिलिपियां, सेवायें उधार लेने वाली सरकार तथा सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी को भेज दी जायेंगी।

12. अस्थायी सरकारी कर्मचारी की राज्य सरकार के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति.—राज्य सरकार के क्षेत्र के बाहर अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित उपर्युक्त परिच्छेद 9 (II) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन करने के पश्चात राज्य सरकार के अन्य विभागों में अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में इस परिष्कार के साथ लागू होंगे कि पद "सेवाएं उधार लेने वाली सरकार" के स्थान पर जहां-कहीं भी वह उपर्युक्त परिच्छेदों में आया हो, पर "सेवायें उधार लेने वाला विभाग" समझा जायेगा। विशेषतया, प्रतिनियुक्ति के वस्तुतः स्वीकृत होने के पूर्व सेवायें उधार लेने वाले विभाग से परिच्छेद 10 में उल्लिखित शर्तों के सम्बन्ध में अनुबन्ध प्राप्त किया जायेगा।

13. प्रतिनियुक्तियों के सम्बन्ध में एक सामान्य बात.—सामान्यतया सेवायें उधार लेने वाली सरकार अथवा प्रशासन के अनुरोध पर ही प्रतिनियुक्ति के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

ख–विदेश सेवा के लिये स्थानान्तरण

14. विदेश सेवा में स्थानान्तरण सम्बन्धी उपबन्ध फन्डामेंटल रूल्स तथा उन नियमों के अधीन राज्यपाल की आज्ञाओं में दिये गये हैं। इन नियमों के अधीन वित्त विभाग द्वारा भी कतिपय अधिकार सौंपे गये हैं, देखिये फाइनेन्शियल हैंडबुक, खण्ड 2, भाग-4, विदेश सेवा में स्थानान्तरण के मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये उन उपबन्धों का उल्लेख किया जाना चाहिये।

ग–स्थानीय निधियों के अधीन सेवा

15. स्थानीय निधियों के अधीन सेवा सम्बन्धी सुसंगत नियम फाइनेन्शियल हैंडबुक, खण्ड 2 के अध्याय 13 में दिये गये हैं। ऐसी निधियों के अधीन सेवा में स्थानान्तरण के मामलों में उन नियमों के अधीन तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

घ–अपने मूल विभाग से बाहर, सेवा के हेतु स्थायी सरकारी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र

16. (1) अपने मूल विभाग से बाहर एक निर्दिष्ट अवधि के लिये किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवा का मामला या तो विदेश सेवा (Foreign Service) का मामला होगा या प्रतिनियुक्ति का, चाहे यह राज्य सरकार के बाहर की प्रतिनियुक्ति हो, या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में की जाने वाली प्रतिनियुक्ति, यदि यह मामला विदेश सेवा का हो तो इस पर फण्डामेण्टल रूल्स के लागू होने वाले नियमों के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। प्रतिनियुक्ति के मामले में प्रस्ताव पर भावी उधार लेने वाली सरकार अथवा प्रशासन के निवेदन पर ही विचार किया जाना चाहिये। प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी से कोई आवेदन-पत्र नहीं लिया जाना चाहिये किन्तु विशेष मामले में कोई खास बात होने पर आवेदन-पत्र लेना प्रशासकीय विभाग के विवेक पर होगा।

(2) स्थायी सरकारी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र यदाकदा भारत सरकार, अन्य राज्य सरकार या संघ प्रशासन, सरकार द्वारा नियंत्रित निगम (Corporation), स्थानीय निकाय अथवा निधि या लोक सेवा आयोग को भेजे जाने के लिये प्राप्त होते हैं। ये आवेदन-पत्र इन प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विज्ञापन, जिनमें कतिपय वर्ग के पदों के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे जाते हैं, के अनुसरण में प्रस्तुत किये जाते हैं। ये आवेदन-पत्र उसी दशा में आगे भेजे जायेंगे यदि सरकारी कर्मचारी के पदों के लिये आवेदन-पत्र यू०पी० प्राविंशियल, विशेषज्ञ और अधीनस्थ सेवायें सम्बन्धी नियमों (देखिये निम्नलिखित पैरा 21) के नियम 3 की अपेक्षाओं की पूर्ति की गई हो।

(3) उस दशा में जबकि अन्त में किसी सरकारी कर्मचारी का नये नियोजक के अधीन नियुक्ति के लिये चुनाव हो जाये और वह जाना चाहे तो वह राज्य सरकार के अधीन अपने पद से मुक्त कर दिया जायेगा और फण्डामेण्टल रूल्स के नियमों के अधीन उसका धारणाधिकार (Lien) मूल स्थायी पद पर रहेगा।

ङ–अन्यत्र सेवा के हेतु, अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र

17. अस्थायी सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्य के हेतु अन्यत्र आवेदन-पत्र भेजे जाने के मामले बहुधा होते रहते हैं। इन आवेदन-पत्रों का प्रयोजन कभी-कभी वर्तमान पद के कायम रहने की अनिश्चितता पर तथा साथ ही साथ अन्यत्र सुरक्षित पद प्राप्ति के लिये होता है। कुछ मामलों में अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद काम मिलने का उद्देश्य होता है। इन कारणों की वैधता को राज्य सरकार ने मान लिया है। अतएव, यह निश्चय किया गया है कि नियमतः ऐसे आवेदन-पत्रों को भावी नियुक्ति प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिये, इस विषय पर ब्योरेवार अनुदेश नीचे दिये जाते हैं।

18. आवेदन-पत्र साधारणतया इस अभ्युक्ति के साथ भेजे जाने चाहिये कि प्रार्थी राज्य सरकार के अधीन एक अस्थायी पद पर कार्य करता है। उक्त पद के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण जैसे उसका पदनाम, वेतन-क्रम भी दिये जाने चाहिये।

19. यदि कोई सरकारी कर्मचारी उस कार्य के लिए जिसके हेतु उसने इस प्रकार आवेदन-पत्र भेजा है,

चुन लिया जाय और अपने वर्तमान पद को छोड़ना चाहे तो, उसके द्वारा लिखित आवेदन-पत्र दिये जाने पर उसे उसके कर्तव्यों से मुक्त कर देना चाहिये। साधारणतया बाद में उसका अपने पूर्व पद पर वापस आने का कोई प्रश्न नहीं उठता परन्तु यदि वस्तुतः कोई ऐसा मामला सामने आता है तो उस पर तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार विचार किया जायेगा।

20. उपर्युक्त अनुदेश इन दोनों प्रकार के आवेदन-पत्रों पर लागू होंगे जो (1) किसी अन्य प्रकार या प्रशासन के अधीन सेवाओं के लिये भेजे जायं और (2) जो किसी स्थानीय निधि, सरकार द्वारा नियंत्रित निगम (Corporation) अथवा अन्य सरकारी संगठन या बिल्कुल निजी नियोजक सदृश्य किसी अन्य अधिकारी को भेजे जायं।

21. पदों के लिये सरकारी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र (यू० पी० प्राविंशियल, स्पेशिलिस्ट एंड सबार्डिनेट सर्विसेज) रूल्स, 1934.—इन नियमों के नियम 3 में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार के अन्य कार्यालय या विभाग में अथवा भारत सरकार या अन्य सरकार या प्रशासन के अधीन किसी पद या स्थानान्तरण के हेतु किसी सरकारी कर्मचारी को आवेदन-पत्र भेजने की अनुमति उस समय तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उस कार्यालय या विभाग का अध्यक्ष, जिसमें वह कार्य करता है, यह न विचार कर ले कि इस प्रकार की अनुमति जन-सेवा के हित में ठीक होगी। इस ज्ञाप के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दी गई किसी बात से ऐसे मामलों पर उसके प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनमें यह नियम लागू होता हो, अर्थात् ऐसे मामलों पर जिनमें कोई सरकारी कर्मचारी स्वयं किसी सरकार या अन्य प्रशासन के अधीन सेवा के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही ऐसे मामलों में इस नियम के उपबन्ध तत्सम आधार पर लागू किये जाने चाहिये जिनमें कोई सरकारी कर्मचारी भारत सरकार या संघ प्रशासन के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारी के अधीन सेवा के लिये आवेदन-पत्र भेजे।

22. नियुक्ति विभाग से परामर्श.—अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में, चाहे जिस पद पर वे कार्य करते हों, केन्द्रीय सरकार, अन्य राज्य सरकार और संघ प्रशासन के पत्र इत्यादि, प्रायः सदैव मुख्य सचिव को ही सम्बोधित किये जाते हैं और उन्हीं के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, यद्यपि वास्तविक प्रतिनियुक्ति तत्सम्बन्धी सेवा से सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है (ऐसे निर्देश तथा अनुवर्ती अनुस्मारक आदि) जो बहुत अधिक संख्या में होते हैं, अविलम्ब निपटाने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया गया है कि सरकार के प्रशासकीय विभाग के आदेश करने के पूर्व यह सुविधाजनक होगा कि सम्बद्ध पत्रावली नियुक्ति विभाग को भेज दी जाय। इस प्रक्रिया से एक और लाभ यह होगा कि प्रतिनियुक्ति के मामलों में कुछ हद तक एकरूपता आ जायेगी तथा उक्त विषय पर एक समन्वित नीति अपनाई जा सकेगी। तद्नुसार प्रशासकीय विभागों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे केन्द्रीय सरकार, अन्य राज्य सरकार, संघ प्रशासन अथवा सरकार नियंत्रित निगम या निकाय या स्थानीय निधि में राजपत्रित अधिकारियों (Gazetted Officers) की प्रतिनियुक्ति के प्रस्तावों पर कार्यवाही करते समय इस प्रक्रिया का अनुसरण करें। तत्पश्चात् नियुक्ति विभाग सम्बद्ध प्रशासकीय विभागों के विचारार्थ अपनी टिप्पणी अभिलिखित करेगा। सरकार का यह विचार नहीं है कि वह प्रशासकीय विभागों को उनके अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में दिये गये अधिकारों को सीमित करे।

23. अवशिष्ट मामले (Residual Cases).—इस ज्ञाप में इस बात का प्रयास किया गया है कि वे मामले, जो सामान्यतया सचिवालय के प्रशासकीय विभागों अथवा नियुक्ति प्राधिकारियों के सामने आते हैं, इसके अन्तर्गत आ जायं। ऐसे मामलों पर, यदि कोई हो, जो इस ज्ञाप के उपबन्धों के अन्तर्गत न आते हों, नियुक्ति विभाग के परामर्श से कार्यवाही की जायेगी। विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष तद्नुसार अपने पास आने वाले ऐसे अवशिष्ट मामलों का निर्देश सरकार के प्रशासकीय विभाग को करेंगे।

24. इस ज्ञाप के उपबन्ध मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स, और जहां तक आवश्यक होगा सेक्रेटेरियट मैनुअल में यथासमय समाविष्ट कर लिये जायेंगे।

गोविन्द नारायण,

मुख्य सचिव।

अध्याय 4

परिवीक्षा एवं स्थायीकरण
(Probation and Confirmation)

सरकारी सेवा में नियमित रूप से नियुक्त किये गए व्यक्तियों को एक या दो वर्ष के लिए, जैसा भी उनकी सेवा नियमावली में निर्धारित हो, परिवीक्षा पर रखा जाता है। यदि परिवीक्षा के लिए निर्धारित अवधि में किसी कार्मिक का कार्य व आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता तो नियुक्ति प्राधिकारी प्रोबेशन की अवधि को कुछ समय के लिए बढ़ा सकता है। सामान्यतया यह अवधि अधिकतम् एक वर्ष तक बढ़ाई जाती है तथा अत्यन्त विशेष मामलों में दो वर्ष तक बढ़ाई जाती है। परिवीक्षा अवधि बढ़ाये जाने के आदेश में उसके कारण भी अभिलिखित किये जाने चाहिए तथा वह अवधि सीमा भी जिसके लिए उसे बढ़ाया गया हो।

यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोषजनक सेवा प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाएं समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में, उस पर लागू सेवा नियमों के अनुसार स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो ; या

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो, या

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो, एवं

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो,

(ङ) राज्यपाल अथवा नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त हैं।

(च) इसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अथवा न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही न चल रही हो।

मूल नियम 9(6)(क)(1), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2 से 4 के अनुसार परिवीक्षा-अवधि को "ड्यूटी" माना जाता है।

1

THE UTTAR PRADESH STATE GOVERNMENT SERVANTS CONFIRMATION RULES, 1991

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the Official *Gazette*.[1]

(3) They shall apply to all persons holding a civil post in connection with the affairs of Uttar Pradesh and who are under the rule-making control of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

2. Overriding effect.—The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.

3. Definitions.—In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) "Appointing Authority" in relation to any post or service means the authority empowered to make appointment to such post or service under the relevant service rules executive or the instructions issued by the Government ;

(b) "Constitution" means the Constitution of India ;

(c) "Cadre" means the strength of a service or part of service sanctioned as a separate unit ;

(d) "Government" means the Government of Uttar Pradesh ;

(e) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(f) "Government Servant" means a person appointed to a public service or post in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh ;

(g) "Lien" means the right or title of a Government Servant to hold substantively a regular post, whether permanent or temporary either immediately or on termination of the periods of absence ;

(h) "Prescribed" means prescribed by the rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution or by executive instructions issued by the Government in respect of a particular service ;

(i) "Service" means the service as defined in the relevant service rule or the executive instructions issued by the Government from time to time ;

1. w.e.f. 7.2.1991.

(i) "Substantive appointment" means an appointment not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service made after selection in accordance with the rule and if there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government.

4. Confirmation where necessary.—(1) Confirmation of a Government servant shall be made only on the post on which he is substantively appointed *(i)* through direct recruitment or, *(ii)* by promotion, if direct recruitment is one of the sources of recruitment or, *(iii)* by promotion if the post belongs to a different Service.

(2) Such confirmation shall be made :

(i) against a post, whether permanent or temporary, on which any other person does not hold a lien ;

(ii) subject to the fulfilment of the conditions of confirmation laid down in the relevant service rules, or executive instructions issued by Government, as the case may be ;

(iii) formal order shall be necessary to be issued by the appointing authority with regard to confirmation ;

Explanation.—Notwithstanding the fact that a Government servant is confirmed anywhere else, if he is directly recruited on any post, or is promoted to a post, where direct recruitment is one of the sources of recruitment, he will have to be confirmed thereon.

5. Confirmation where not necessary.—(1) Confirmation will not be necessary if a Government servant is promoted, on a regular basis, after following the prescribed procedure to a post in the cadre where promotion is the only source of recruitment.

(2) On promotion to a post referred to in sub-rule (1), the Government servant will have all the benefits that a person confirmed in that grade would have if no probation had been prescribed.

(3) Where probation is prescribed the appointing authority shall on completion of the prescribed period of probation assess the work and conduct of the Government servant himself and in case the conclusion is that the Government servant is fit to hold the higher grade, he will issue an order declaring that the person concerned has successfully completed the probation. If the appointing authority considers that the work and conduct of the Government servant concerned has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, he may revert him to the post or grade from which he was promoted, or extend the period of probation in the manner prescribed.

(4) Where confirmation on a lower feeding post is prescribed as a necessary condition for eligibility for promotion to a higher post, a person confirmed on the lowest post under sub-rule (1) of rule 4 shall be eligible for promotion to the higher post and his confirmation on the lower feeding post shall not be necessary if his work and conduct on that post has been satisfactory.

Illustrations

(1) In the Lekhpal Service Rules "direct recruitment" is the only source of

recruitment to the post of Lekhpal. "A" is appointed as Lekhpal through direct recruitment. "A" will have to be confirmed on the said post, under sub-rule (1) of rule 4.

(2) "B" a Government servant confirmed on the post of Tahsildar is promoted under the provisions of the Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch) Rules, 1982, to a post in the ordinary grade in Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch). "B" will have to be confirmed again, under sub-rule (1) of rule-4, on the latter post.

(3) "C" is appointed as an Assistant Engineer in the Irrigation Department through direct recruitment and "D" is promoted to the post of Assistant Engineer against promotion quota under the provisions of United Provinces Services of Engineers Class II (Irrigation Branch), Rules, 1936. Both "C" and "D" will have to be confirmed on the post of Assistant Engineer because direct recruitment is one of the sources of recruitment to the post of Assistant Engineer.

(4) "E" confirmed Assistant Engineer in the Irrigation Department is promoted to the post of Executive Engineer in accordance with the executive instruction issued by the Government. It will not be necessary to confirm "E" on the post of Executive Engineer again because promotion is the only source of recruitment to the post of Executive Engineer.

(5) The post of Upper Division Assistant in Uttar Pradesh Secretariat belongs to the Ministerial service. The post of Section Officer belongs to a different service, namely, the Uttar Pradesh Secretariat Service. "F" a confirmed Upper Division Assistant will have to be confirmed again on promotion to the post of Section Officer, under sub-rule (1) of rule 4. On further promotion to the post of Under-Secretary and other higher posts, his case will be covered by sub-rule (1) of rule 5 and "F" will not have to be confirmed again on the posts in higher grades.

(6) Under the Uttar Pradesh Secretariat Service Rules, 1983, only a confirmed Under-Secretary is eligible for promotion to the post of Deputy Secretary in the Uttar Pradesh Secretariat Service. The service rules containing the above provision will be deemed to have been amended under sub-rule (4) of rule 5 of these rules to the extent that confirmation will not be necessary for such eligibility for promotion.

6. Posts to which these rules shall not apply.—These rules shall not apply where appointments are made against post under establishment, which are created for definite and purely temporary periods such as Committees, Commissions of Enquiry, Organisations created for meeting a particular emergency which is not expected to last for more than a few years, posts created for projects for specified periods and purely temporary organisations.

7. Right to hold a lien.—A Government Servant who is confirmed on a post under sub-rule (1) of rule 4 or who has been promoted to a higher post and declared under sub-rule (3) of rule 5 of these rules, as having completed the probation prescribed or who has been promoted on a regular basis to a higher post where no probation is prescribed, as the case may be, shall be deemed to hold a lien on that post.

8. Savings.—Nothing in these rules shall effect reservation and other concess required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Sched Tribes and other special categories of persons in accordance with the order of Government issued from time to time in this regard.

अध्याय 5

स्थानान्तरण
(Transfer)

सेवाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से मूल नियम 15, (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 भाग 2 से 4) के अन्तर्गत स्थानान्तरण का प्रावधान है, इसके अनुसार किसी सरकारी सेवक को एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है, किन्तु उसके द्वारा धारित पद से निम्न पद पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता किन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में निम्न कोटि के पद पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है—

(1) अदक्षता अथवा दुर्व्यवहार के कारण।

(2) उसके लिखित प्रार्थना पर।

जनहित में शासन द्वारा किसी कर्मचारी को किसी दूसरे संवर्ग में तथा किसी निःसंवर्गीय पद पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक स्थानांतरण नीति से संबंधित आदेश जारी किए जाते हैं, इन्हीं नीति निर्देशों के अनुसार ही स्थानांतरण किये जाने चाहिए। स्थानांतरण के संबंध में राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार के दबाव डलवाना वर्जित है तथा ऐसा करने वाले सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों तो उनको यथासंभव एक ही स्थान पर तैनात/स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

जनहित में स्थानांतरण होने पर सरकारी सेवकों को नियम 42, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 में दी हुई दरों पर स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी देय होता है। आवश्यक ज्वाइनिंग टाइम भी देय होता है।

स्वयं अपनी प्रार्थना पर स्थानांतरण होने पर यह भत्ता देय नहीं होता है।

मूल नियम 9 (10) के अनुसार सरकारी सेवक को जनहित में स्थानांतरण पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तैयारी तथा यात्रा हेतु जो समय दिया जाता है उसको कार्यभार ग्रहणकाल कहते हैं। इसको मूल नियम 9 (6) (क) *(ii)* के अनुसार ड्यूटी माना जाता है तथा वेतनवृद्धि आदि हेतु गिना जाता है। इससे संबंधित विस्तृत व्यवस्थाएं मूल नियम 105 से 108 तक तथा सहायक नियम 173 से 184 तक, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 में दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त पैरा 1032 से 1035 तक, M.G.O. में भी उल्लिखित है।

सहायक नियम 174 के अनुसार कार्यभार ग्रहणकाल सामान्यतया निम्न प्रकार से देय होता है :—

(क)	रेल द्वारा अथवा बस द्वारा	प्रत्येक 500 कि० मी० या उसके किसी अंश के लिए एक दिन।
(ख)	समुद्री स्टीमर द्वारा	प्रत्येक 350 कि० मी० या उसके किसी अंश के लिए एक दिन।
(ग)	नदी के स्टीमर द्वारा	प्रत्येक 150 कि० मी० या उसके किसी अंश के लिए एक दिन।
(घ)	मोटर कार द्वारा	प्रत्येक 150 कि० मी० या उसके किसी अंश के लिए एक दिन।
(ङ)	अन्य साधन से	प्रत्येक 25 कि० मी० या उसके किसी अंश के लिए 1 दिन।

आठ कि० मी० तक की स्थानीय यात्रा इसमें सम्मिलित नहीं की जायेगी।

दूरी की गणना सीधे रूट से की जायेगी, चाहे कर्मचारी किसी रूट से यात्रा करे। (सहायक नियम 176)।

यदि एक पद का कार्यभार सौंपकर दूसरे पद पर जाते समय किसी अन्य पद पर तैनाती के आदेश प्राप्त हो जाए तो संशोधित आदेश प्राप्त होने के दूसरे दिन से कार्यभार ग्रहण काल की गणना की जायेगी परन्तु तैयारी के लिए पुनः छः दिन अनुमन्य नहीं होंगे।

भारत के अन्दर 120 दिन तक के अर्जित अवकाश से लौटने पर नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तथा भारत के बाहर इससे भी अधिक अर्जित अवकाश से वापस आने पर कार्यभार ग्रहणकाल बन्दरगाह या हवाई अड्डे से अपने घर आकर गृहस्थी को सुव्यवस्थित करने हेतु कार्यभार ग्रहणकाल देय होगा। (मूल नियम 105 तथा उसके नीचे राज्यपाल के आदेश व आडिट इन्ट्रक्शन)।

यदि मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी स्टेशन पर कार्य छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है तो उस स्थान से कार्यभार की गणना की जानी चाहिए।

केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार का सेवक जब अपने पद से त्याग-पत्र देने के पश्चात् इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त होता है तो उसको कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा जब तक कि उसकी नियुक्ति उ० प्र० शासन के अन्तर्गत अधिक जनहित में न हुई हो।

प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति भी भाग ले सकते हों अथवा साक्षात्कार के फलस्वरूप नियुक्ति होने पर कार्यभार ग्रहणकाल निम्न प्रकार से विनियमित किया जायेगा :—

(1) उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहणकाल देय होगा किन्तु केन्द्रीय शासन के अथवा अन्य राज्य के उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो वहां स्थायी हों।

(2) कार्यभार ग्रहणकाल का वेतन केवल स्थायी कर्मचारियों को ही देय होगा चाहे वे किसी शासन के व्यक्ति हों।

यदि कार्यभार ग्रहणकाल की समाप्ति के पश्चात् रविवार अथवा कोई छुट्टी पड़ती हो तो उसको संयोजित करने की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है। परन्तु यदि कार्यभार आरम्भ करने के पूर्व कोई छुट्टी पड़ती है तो उसे संयोजित नहीं किया जा सकता है। (सहायक नियम 38 तथा 39)।

उसी स्थान अर्थात स्टेशन पर किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरित हो जाने की दशा में अर्थात् जब तैनाती के स्थान या निवास स्थान एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में नहीं परिवर्तित होता है तो केवल एक दिन का कार्यभार ग्रहणकाल मिलेगा। उदाहरणार्थ यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय लखनऊ से मुख्य अभियन्ता कार्यालय लखनऊ को हो जाता है तो एक दिन का कार्यभार ग्रहणकाल मिलेगा। यदि एक ही विभाग में एक ही अधिकारी के नियंत्रण में एक ही स्थान पर स्थानांतरण हो तो कोई कार्यभार ग्रहणकाल नहीं मिलेगा।

जब एक पद का कार्यभार सौंपकर दूसरे पद पर जाते समय कोई कर्मचारी अवकाश लेता है तो पुराने पद का कार्यभार सौंपने के पश्चात् जो समय कार्यभार ग्रहणकाल में व्यतीत हो गया हो उसे भी नियमित अवकाश में परिवर्तित कर दिया जायेगा, जब तक कि उसके द्वारा लिया गया 4 माह से अनधिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र का अवकाश न हो। उदाहरणस्वरूप यदि कोई कर्मचारी 3 जून, 1999 अपरान्ह में अपने पद का कार्यभार छोड़ देता है तथा 4 से 6 जून 1999 तक 3 दिन के कार्यभार ग्रहणकाल में रहने के पश्चात् 7/6/1999 से 15 दिन का अर्जित अवकाश ले लेता है तो 4 से 6 जून की अवधि भी अर्जित अवकाश में परिवर्तित हो जायेगी किन्तु यदि वह 7/6/1999 से 15 दिन का चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अपनी बीमारी के कारण चिकित्सा अवकाश लेता है तो 4 से 6 जून 1999 की अवधि कार्यभार ग्रहणकाल ही बना रहेगा तथा 7 से 21/6/1999 तक 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की समाप्ति के पश्चात् उसे 22/6/99 से 25/6/99 तक शेष 4 दिन का कार्यभार ग्रहण काल पुनः मिलेगा। (सहायक नियम 179)।

1

U.P. FUNDAMENTAL RULES, 1942

(F.H.B.—VOLUME II, PART 2 TO 4)

EXTRACT OF RULE 15

15. *(a)* a government servant may be transferred from one post to another ; provided that, except—

(1) on account of inefficiency or misbehaviour, or

(2) on his written request,

a government servant shall not be transferred substantively to, or, except in a case covered by rule 49, appointed to officiate in a post carrying less pay than the pay of the permanent post on which he holds a lien, or would hold a lien had his lien not been suspended under rule 14.

(b) Notwithstanding anything to the contrary contained in these Rules, the Governor may in the public interest transfer a government servant to a post in another cadre or to an ex-cadre post.

(c) Nothing contained in clause *(a)* of this rule or in clause (13) of rule 9 shall operate to prevent the retransfer of a government servant to the post on which he would hold a lien, had it not been suspended in accordance with the provisions of clause *(a)* of rule 14.

अध्याय - 6

आरक्षण
(Reservation)

सरकारी सेवाओं, स्थानीय प्राधिकारी की सेवाओं एवं सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम, सहकारी समिति, कम्पनी, शिक्षण संस्थान तथा राज्य विश्वविद्यालयों की सेवाओं में एवं पदों पर, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करते समय निम्नलिखित आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित करके इन आरक्षित पदों पर सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जायेगा :—

वर्टिकल आरक्षण	(1)	अनुसूचित जाति	21%	
	(2)	अनुसूचित जनजाति	02%	
	(3)	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	
हारिज़ान्टल आरक्षण	(4)	स्त्री	20%	
	(5)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02%	
	(6)	भूतपूर्व सैनिक	05%	(सिर्फ समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर)
	(7)	शारीरिक रूप से विकलांग	03%	(राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदों पर) आरक्षण

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को क्रमशः 21%, 2% एवं 27% आरक्षण देय है। यह 'वर्टिकल आरक्षण' है, जिसके अंतर्गत सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने की अनिवार्यता है।

प्रत्येक सेवा-संवर्ग में विद्यमान पदों की संख्या के आधार पर पूर्वोक्त प्रतिशत में वर्टिकल आरक्षण की गणना की जायेगी। किसी संवर्ग में सिर्फ एक ही पद हो तो उसे आरक्षित नहीं किया जायेगा। विहित प्रतिशत में आरक्षण देने हेतु एक सौ पदों का 'रोस्टर' बना हुआ है। इसी रोस्टर के अनुसार आरक्षित पदों/रिक्तियों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जानी चाहिए। यह रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक क्रियान्वित किया जायेगा जब तक पूर्व चर्चित तीनों आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद भर न जाय। जब संवर्ग में विद्यमान सभी आरक्षित पद रोस्टर के अनुसार आरक्षित व्यक्तियों से भर लिए जायं तब रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जायेगा अर्थात् उसके उपरान्त रोस्टर का क्रियान्वयन नहीं होगा एवं तत्पश्चात् जब कभी कोई पद रिक्त होगा तो उसे उसी वर्ग के व्यक्ति से भरा जायेगा जिस वर्ग के व्यक्ति के लिए यह पद रोस्टर में रहा हो।

प्रत्येक राज्य के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची भारत सरकार द्वारा बनायी जाती है। संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (यथासंशोधित) में प्रत्येक राज्य के अनुसूचित जातियों की सूची दी गयी है तथा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (यथासंशोधित) में प्रत्येक राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची दी हुई है। संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 (यथासंशोधित) में उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची दी हुई है। उत्तर प्रदेश की पूर्व चर्चित लोक सेवाओं में सिर्फ

उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।

"अन्य पिछड़ा वर्ग" की सूची राज्य सरकार द्वारा बनायी जाती है। पूर्वोक्त आरक्षण अधिनियम की अनुसूची-एक में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' की सूची दी हुई है, जिसमें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया जाता है। किन्तु ऐसे अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जो अनुसूची-दो में दिये हुए "क्रिमीलेयर" से सम्बन्धित है। अधिसूचना दिनांकित 8-12-95 द्वारा "क्रिमीलेयर" को चिन्हित किया गया है। इस अधिसूचना से आच्छादित अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

पूर्वोक्त आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत "जाति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करें।

यह आरक्षण सम्बन्धित सेवा संवर्ग के कुल पदों की संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। किसी सेवा में पहली बार आयोजित सीधी भर्ती में उस भर्ती वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक रिक्तियां आरक्षित नहीं की जायेंगी। उस भर्ती में जितने आरक्षित पद भरे नहीं जा सके हों उन्हें अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत करके उन्हें "बैकलाग" के रूप में भरा जायेगा एवं ऐसी दशा में उन बैकलाग आरक्षित रिक्तियों को अगले भर्ती वर्ष में पचास प्रतिशत की सीमा के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

यदि सीधी भर्ती करते समय अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो उसे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी से भरा जायेगा तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर उसे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से भरा जायेगा। इस प्रकार नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को, भविष्य में उसके लिए आरक्षित पद रिक्त होने पर, समायोजित कर लिया जायेगा। इस प्रकार अन्य आरक्षित वर्ग का पूर्वोक्त पद रिक्त हो जायेगा।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्त्रियों को हारिज़ान्टल आरक्षण देय है। मेरिट के आधार पर, अनारक्षित एवं वर्टिकल आरक्षण वाले आरक्षित अभ्यर्थियों की चयन सूची बनाकर यह देखा जायेगा कि क्या उपर्युक्त आधार पर हारिज़ान्टल आरक्षण वाला कोई अभ्यर्थी चयनित हुआ है या नहीं? यदि हाँ तो कितने? यदि इस प्रकार पहले ही हारिज़ान्टल आरक्षण के अभ्यर्थी चयनित हो चुके हों तो पुनः ऐसे किसी अभ्यर्थी को चयनित नहीं किया जायेगा। यदि किसी हारिज़ान्टल आरक्षण वाले वर्ग का कोटा पूरा न हुआ हो तो हारिज़ान्टल आरक्षण के उस वर्ग के अभ्यर्थियों को अपेक्षित संख्या में चुनकर, उसके वर्ग के पूर्व निर्मित मेरिट क्रम में नीचे अवस्थित उतने अभ्यर्थियों के नाम निकालकर, हारिज़ान्टल आरक्षण वाले चयनित अभ्यर्थियों को चयन सूची में समायोजित किया जायेगा।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाती है तथा उनसे सिर्फ एक तिहाई परीक्षा शुल्क लिया जाता है।

आरक्षण सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी का होता है किन्तु जहाँ श्री राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकारी हैं वहां आरक्षण सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव अथवा सचिव, यथास्थिति, का होता है। यदि वे प्राधिकारी जानबूझकर आरक्षण अधिनियम के प्रयोजनों का उल्लंघन करें तो वे तीन मास तक के कारावास अथवा रुपये एक हजार तक का जुर्माना अथवा दोनों, से दण्डनीय अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसके लिए उनके विरुद्ध, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, न्यायालय में अभियोजन किया जा सकता है।

जिन पूर्व चर्चित सेवाओं में एवं पदों पर सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान करना होता है, उन सेवाओं में एवं पदों पर पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति के कार्मिकों के लिए 21% तथा

अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों के लिए 2% आरक्षण प्रदान किया जाता है। अन्य पिछड़े वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाता है।

पदोन्नति में आरक्षण के लिए अलग रोस्टर है। किसी संवर्ग में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या के सापेक्ष रोस्टर क्रियान्वित करते हुए, आरक्षण प्रदान किया जायेगा। रोस्टर का क्रियान्वयन पूर्व चर्चित ढंग से ही किया जायेगा। यदि संवर्ग में पदोन्नति से भरा जाने वाला सिर्फ एक ही पद हो तो उसे आरक्षित नहीं किया जायेगा।

चयन-समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी अधिकारी को रखा जाना आवश्यक है।

1. सीधी भर्ती में आरक्षण
(Reservation in Direct Appointment)

1

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR BACKWARD CLASSES) ACT, 1989

(U.P. Act No. 21 of 1989)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An Act to provide for the reservation of appointments or posts in favour of backward classes of citizens and to validate certain appointments

It is hereby enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Act, 1989.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 20, 1977.

2. Reservation of posts in favour of backward classes.—(1) In public services and posts in connection with the affairs of the State there shall be reserved the following percentages of posts at the stage of direct recruitment in favour of backward classes of citizens specified in the Schedule,—

(i) fifteen per cent in Group A, Group B and Group C Posts ;

(ii) ten per cent in Group D posts.

(2) In this section groups A, B, C and D mean the groups of posts respectively falling in the said groups under the orders of the State Government for the time being in force.

3. Validation of certain appointments.—Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, any appointment of the members of backward classes of citizens specified in the Schedule to any post or service in connection with the affairs of the State made in pursuance of any rules or Government orders providing for reservation for such class shall be deemed to have been made under the provisions of this Act and shall be deemed to have always been valid.

4. Repeal and saving.—(1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for

Backward Classes) Ordinance, 1989, (U.P. Ordinance No. 11 of 1989) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

SCHEDULE

(*See* Sections 2 and 3)

1. Ahir
2. Arakh
3. Kachchi
4. Kahar
5. Kewat or Mallah
6. Kisan
7. Koeri
8. Kumhar
9. Kurmi
10. Kamboj
11. Kasgar
12. Kunjra or Raeen
13. Gosain
14. Gujar
15. Gadariya
16. Gaddi
17. Giri
18. Chikwa (Qassab)
19. Chhippi
20. Jogi
21. Jhoja
22. Dhafali
23. Tamoli
24. Teli
25. Darzi
26. Dhiver
27. Naqqal
28. Nat (Those not included in Scheduled Castes category)
29. Naik
30. Faqir
31. Banjara
32. Barhai
33. Bari
34. Beragi
35. Bind
36. Biyar
37. Bhar
38. Bhurji or Bharbhunja
39. Bhathiara
40. Mali
41. Manihar
42. Murao or Murai
43. Momin (Ansar)
44. Mirasi
45. Muslim Kayastha
46. Naddaf (Dhuniya), Mansoori Marchchas
48. Rangrez
49. Lodh, Lodha, Lodhi, Lot, Lodhi-Rajput
50. Lohar
51. Lonia
52. Sonar
53. Sweeper (Those not included in Scheduled Castes category)
54. Halwai
55. Hajjam (Nai) Scheduled Castes category)

2

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ACT, 1993

(U.P. Act No. 3 of 1993)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An Act to provide for the reservation of posts in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and for matters connected therewith or incidental thereto

It is hereby enacted in the Forty-fourth Year of the Republic of India as follows :

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Act, 1993.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 11, 1993.

2. Definition.—In this Act "year of recruitment" means a period of twelve months commencing on the first of July.

3. Reservation of vacancies in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.—(1) In public services and posts, in connection with the affairs of the State there shall be reserved the following percentages of vacancies at the stage of direct recruitment in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes,—

(a) in the case of the Scheduled Castes—eighteen per cent ;

(b) in the case of the Scheduled Tribes—two per cent :

Provided that if on the date of commencement of this Act, reservation was applicable to posts to be filled by promotion, such reservation shall continue to be applicable for a period of five years from November 16, 1992.

(2) If persons belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancies reserved for them under sub-section (1), such vacancies shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes.

(3) For the purposes of sub-section (1), an year of recruitment shall be taken as the unit and not the entire strength of the cadre or service, as the case may be :

Provided that at no point of time the reservation shall, in the entire strength of the cadre or service as the case may be, exceed the percentages fixed under sub-section (1).

Explanation.—A person mentioned in sub-section (6) shall not be counted for the purposes of this proviso.

(4) If in any year of recruitment any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled, efforts shall be made to fill such vacancy by special recruitment from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes before the process for the next selection is started.

(5) In case the vacancy referred to in sub-section (4) remains unfilled due to non-availability of suitable candidates or for any other reason, it may be carried over to the next year of recruitment subject to the condition that the total reservation of vacancies including reservation for the backward classes of citizens under the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Act, 1989, shall not exceed fifty per cent of the total vacancies in that year of recruitment.

(6) If a person belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes gets selected on the basis of merit in an open competition on the same standards as fixed for the general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved under sub-section (1).

4. Removal of difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty

(2) No order under sub-section (1) shall be made after expiration of the period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of Section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

5. Savings.—The provisions of this Act shall not apply to cases in which selection process has started before the commencement of this Act.

6. Repeal and savings.—(1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Ordinance, 1993, (U.P. Ordinance No. 3 of 1993) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

3

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) ACT, 1994

(U.P. Act No. 4 of 1994)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly)

An Act to provide for the reservation in Public Services and Posts in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens and for matters connected therewith or incidental thereto

It is hereby enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 11, 1993.

2. Definitions.—In this Act,—

(a) "appointing authority" in relation to public services and posts means the authority empowered to make appointment to such services or posts ;

(b) "other backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule I ;

(c) "public services and posts" means the services and posts in connection with the affairs of the State and includes services and posts in—

(i) a local authority ;

(ii) a co-operative society as defined in clause *(f)* of section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 in which not less than fifty-one per cent of the share capital of the society is held by the State Government ;

(iii) a Board or a Corporation or a statutory body established by or under a central or a Uttar Pradesh Act which is owned and controlled by the State Government, or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 in which not less than fifty-one per cent of the paid-up share capital is held by the State Government ;

(iv) an educational institution owned and controlled by the State Government or which receives grants-in-aid from the State Government, including a university established by or under a Uttar Pradesh Act, except an institution established and administered by minorities referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution.

(v) respect of which reservation was applicable by Government orders on the date of the commencement of this Act and which are not covered under sub-clauses *(i)* to *(iv)* ;

(d) "year of recruitment" in relation to a vacancy means a period of twelve months commencing on the first of July of a year within which the process of direct recruitment against such vacancy is initiated.

3. Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes.—(1) In public services and posts, there shall be reserved at the stage of direct recruitment, the following percentages of vacancies to which recruitments are to be made in accordance with the roster referred to in sub-section (5) in favour of the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens,—

(a) in the case of Scheduled Castes	twenty-one per cent ;
(b) in the case of Scheduled Tribes	two per cent ;

(c)	in the case of other backward classes of citizens	twenty-seven per cent ;

Provided that the reservation under clause *(c)* shall not apply to the category of other backward classes of citizens specified in Schedule II.

(2) If, even in respect of any year of recruitment, any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (1) remains unfilled, special recruitment shall be made for such number of times, not exceeding three, as may be considered necessary to fill such vacancy from amongst the persons belonging to that category.

(3) If, in the third such recruitment referred to in sub-section (2), suitable candidates belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancy reserved for them, such vacancy shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes.

(4) Where, due to non-availability of suitable candidates any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled even after special recruitment referred to in sub-section (2), it may be carried over to the next year commencing from first of July, in which recruitment is to be made, subject to the condition that in that year total reservation of vacancies for all categories of persons mentioned in sub-section (1) shall not exceed fifty per cent of the total vacancies.

(5) The State Government shall, for applying the reservation under sub-section (1), by a notified order, issue a roster which shall be continuously applied till it is exhausted.

(6) If a person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) gets selected on the basis of merit in an open competition with general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).

(7) If, on the date of commencement of this Act, reservation was in force under Government Orders for appointment to posts to be filled by promotion, such Government Orders shall continue to be applicable till they are modified or revoked.

4. Responsibility and powers for compliance of the Act.—(1) The State Government may, by notified order, entrust the appointing authority or any officer or employee with the responsibility of ensuring the compliance of the provisions of this Act.

(2) The State Government may, in the like manner, invest the appointing authority or officer or employee referred to in sub-section (1) with such powers or authority as may be necessary for effectively discharging the responsibility entrusted to him under sub-section (1).

5. Penalty.—(1) Any appointing authority or officer or employee entrusted with the responsibility under sub-section (1) of section 4 who wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purposes of this Act shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by an order.

(3) An offence punishable under sub-section (1) shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sub-section (1) of section 262, section 263, section 264 and section 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall *mutatis mutandis* apply.

6. Power to call for record.—If it comes to the notice of the State Government, that any person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) of section 3 has been adversely affected on account of non-compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders in this behalf by the appointing authority, it may call for such records and take such action as it may consider necessary.

7. Representation in Selection Committee.—The State Government may, by order, provide for nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other backward classes of citizens in the Selection Committee to such extent and in such manner as it may consider necessary where such Committee is constituted either under the service rules or otherwise.

8. Concession and relaxation.—(1) The State Government may, in favour of the categories of persons mentioned in sub-section (1) of section 3, by order, grant such concessions in respect of fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age limit, as it may consider necessary.

(2) The Government orders in force on the date of the commencement of this Act, in respect of concessions and relaxations, including concession in fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age limit and those relating to reservation in direct recruitment and promotion, in favour of categories of persons referred to in sub-section (1), which are not inconsistent with the provisions of this Act, shall continue to be applicable till they are modified or revoked, as the case may be.

9. Caste certificate.—For the purposes of reservation provided under this Act, caste certificate shall be issued by such authority or officer and in such manner and form, as the State Government may, by order, provide.

10. Removal of difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

11. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

12. Power to make rules.—The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

13. Power to amend the Schedules.—The State Government may, by notification, amend the Schedules and upon the publication of such notification in the *Gazette*, the Schedules shall be deemed to be amended accordingly.

14. Laying of Orders etc.—Every order made under sub-section (5) of section 3,

sub-sections (1) and (2) of section 4 and section 10 and every notification issued under section 13 shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

15. Savings.—(1) The provisions of this Act shall not apply to cases in which selection process has been initiated before the commencement of this Act and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of law and Government orders as they stood before such commencement.

Explanation.—For the purposes of this sub-section the selection process shall be deemed to have been initiated where, under the relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of—

(i) written test or interview only, the written test or the interview, as the case may be, has started, or

(ii) both written test and interview, the written test has started.

(2) The provisions of this Act shall not apply to the appointment, to be made under the Uttar Pradesh Recruitment of Dependent of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974.

16. Repeal savings.—(1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Act, 1989, (U.P. Act No. 21 of 1989) the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Act, 1993, (U.P. Act No. 3 of 1993) and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Ordinance, 1994, (U.P. Ordinance No. 5 of 1994) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Acts and the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

SCHEDULE-I

[*See* Section 2 (6)]

1. Ahir
2. Arakh
3. Kachchi
4. Kahar
5. Kewat or Mallah
6. Kisan
7. Koeri
8. Kumhar
9. Kurmi
10. Kamboj
11. Kasgar
12. Kunjra or Raeen
13. Gosain
14. Gujar
15. Gadariya
16. Gaddi
17. Giri
18. Chikwa (Qassab)
19. Chhippi
20. Jogi
21. Dhafali
22. Jhoja

23. Tamoli
24. Teli
25. Darzi
26. Dhiver
27. Naqqal
28. Nat (Those not included in Scheduled Castes category)
29. Naik
30. Faqir
31. Banjara
32. Barhai
33. Bari
34. Beragi
35. Bind
36. Biyar
37. Bhar
38. Bhurji or Bharbhunja
39. Bhathiara
40. Mali, Saini
41. Manihar
42. Murao or Murai
43. Momin (Ansar)
44. Mirasi
45. Muslim Kayastha
46. Naddaf (Dhuniya), Mansoori
47. Marchcha
48. Rangrez
49. Lodh, Lodha, Lodhi, Lot, Lodhi-Rajput
50. Lohar
51. Lonia
52. Sonar
53. Sweeper (Those not included in Scheduled Castes category)
54. Halwai
55. Hajjam (Nai)

SCHEDULE–II

[*See* Section 3 (b)]

1. Son or daughter of—

(a) a member of Indian Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Police Service, Indian Forest Service or other Central Service whether directly recruited or promoted from any State Service ; or

(b) a member of Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch), Uttar Pradesh Police Service or other State Service, who has been directly recruited to such Service ; or

(c) such Group A/Class I officer of any Department or Ministry of Government of India or educational, research or other institutions under such Department or Ministry, who is not included in sub-category *(a)* ; or

(d) such Group A/Class I officer of any Department or Institution of the State Government, who is not included in sub-category *(b)* ; or

(e) an officer of the defence forces or paramilitary forces who is not below the rank of a Colonel or equivalent rank :

Provided that the income from salary of such member or service or officer is Rupees ten thousand or more per mensem, his spouse is at least a graduate and he or his spouse owns a house in an urban area.

2. Son or daughter of a person engaged in profession as a doctor, surgeon, engineer, lawyer, architect, chartered accountant, media and information professional.

management and other consultant, film artiste and other film professional, running educational institution or coaching institute or engaged in the business as share or stockbroker or in entertainment business :

Provided that his average income from all sources for three consecutive financial years is not less than rupees ten lakh per annum, his spouse is at least a graduate and his family owns immovable property worth at least rupees twenty lakh.

3. Son or daughter of a businessman whose average income for three consecutive financial years is not less than rupees ten lakh per annum, his spouse is at least a graduate and his family owns immovable property worth at least rupees twenty lakh.

4. Son or daughter of an industrialist whose level of investment in running units is over rupees ten crore and such units are engaged in commercial production for at least five years and his spouse is at least a graduate.

5. Son or daughter of a person who has holding within the limit fixed under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, has an income of rupees ten lakh in a financial year from sources other than agriculture such as salary, business or industry and the like and his spouse is at least a graduate.

6. Son or daughter of a person, not included in any of the aforementioned categories, whose average income from all sources for three consecutive financial years is not less than rupees ten lakh per annum, his spouse is at least a graduate and his family owns immovable property worth at least rupees twenty lakh.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR THE SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2003[1]

(U.P. Ordinance No. 7 of 2003)

(Promulgated by the Governor in the Fifty-fourth Year of the Republic of India)

An Ordinance further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :

1. Short title.—This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 2003.

2. Amendment of section 3 of U.P. Act No. 4 of 1994.—In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 *for* sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely :

"(3) Where a suitable candidate belonging to the Scheduled Tribes or Scheduled Castes, as the case may be, is not available in a recruitment either under sub-section (1) or sub-section (2), the vacancy reserved for him may be filled in such recruitment, from amongst the suitable candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, and as soon as a vacancy earmarked in the roster referred to in sub-section (5) for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, arises such person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, shall be adjusted against such vacancy of his own category."

अध्याय 6

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलाँग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993[2]

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से

---

1. यह अध्यादेश सरकारी गजट मे प्रकाशन की तिथी दिनांक 1.4.2003 से प्रवृत्त है।
2. उ० प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा यथासंशोधित। यह संशोधन अधिनियम दिनांक 21 मई, 1999 से प्रवृत्त है।

contd.-

विकलाँग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 कहा जायेगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषायें.—इस अधिनियम में—

(क) "दृष्टिहीनता" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित हो, अर्थात् :—

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव ; या

(दो) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आँख में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) से अनधिक दृष्टि की तीक्षणता ; या

(तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना ;

(कक) "प्रमस्तिष्क अंगघात" का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन या शैशव काल में होने वाले परिस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से पारिणामिक असामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है।"

(ख) "आश्रित" का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के—

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और

(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहिता पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

(ग) "भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेना, नौसेना या वायुसेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो—

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है,

और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—

(एक) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,

(दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और

(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

(घ) "स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और—

(एक) जिसने वीर गति प्राप्त की हो ; या

(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा हो ; या

(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए निरुद्ध हुआ हो ; या

(चार) जिसने कम से कम दस बेतों का दण्ड भोगा हो ; या

(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो ; या

(छः) जिसे फरार घोषित किया गया हो ; या

(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो ; या

(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो ; या

(नौ) जो इन्डिया इण्डपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो ; या

(दस) जिसे गांधी-इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं समझा जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

(घघ) "श्रवण ह्रास" का तात्पर्य संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि से है ;

(घघघ) "चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता" का तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो ;

(घघघघ) "कम दृष्टि" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार के पश्चात् भी दृष्टि सम्बन्धी कृत्य के ह्रास से ग्रसित हो किन्तु वह समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो ;

(ङ) "शारीरिक रूप से विकलांग" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित से ग्रसित हो :—

(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि ;

(दो) श्रवण ह्रास ;

(तीन) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित

शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उस समय अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।"

3. शारीरिक रूप से विकलाँग आदि के पक्ष में रिक्तियों का आरक्षण.—(1) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नलिखित आरक्षण होगा :—

(एक)[1] लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए,

(एक-क)[2] समूह "क" के पदों या समूह "ख" के पदों से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में 21 मई, 1999 को और से रिक्तियों का दो प्रतिशत, और ऐसे दिनांक को और से जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलाँग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 गजट में प्रकाशित किया जाय, रिक्तियों का पाँच प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए,"

(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अभिज्ञात करे, रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए :—

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि,

(ख) श्रवण ह्रास,

(ग) चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात

(2)[3] ....

(3) उप धारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबंधित है। उदाहरण के लिए यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जाएगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जाएगा, यदि वह नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जाएगा। इसी प्रकार यदि वह खुली प्रतियोगिता श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा।

(4)[4] ....

(5) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रनीत किया जाएगा।

---

1. उ० प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा यथाप्रतिस्थापित। यह दिनांक 28 जुलाई, 1999 को गजट में प्रकाशित हुआ है।
2. उ० प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा यथाप्रतिस्थापित। यह दिनांक 28 जुलाई, 1999 को गजट में प्रकाशित हुआ है।
3. उपधारा (2) एवं (4), उ० प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा निकाल दी गयी है।
4. उपधारा (2) एवं (4), उ० प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा निकाल दी गयी है।

4. **कठिनाइयों को दूर करना.**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

[1](2) ....

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

5. **अपवाद.**—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें 1997 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

(1-क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे, जिनमें 1997 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण.—उपधारा (1) और (1-क) के प्रयोजनों के लिए वहां चयन प्रक्रिया आरम्भ की गयी समझी जाएगी, जहां सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती—

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और वहां यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो, या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के आधार पर की जानी हो और वहां लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो गयी हो।"

6. **निरसन और अपवाद.**—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीनकृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के प्रावधान सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

7. **निरसन और अपवाद.**—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल

---

1. उपधारा (2) उ० प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा निकाल दी गयी है।

अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

16

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2

लखनऊ, दिनांक 25 जून, 2002

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 4/1-का-2-2001, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 का अतिक्रमण करके राज्यपाल महोदय वर्ष 1994 के उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए निम्नलिखित रोस्टर जारी करते हैं :—

1. अनुसूचित जाति
2. अनारक्षित
3. अन्य पिछड़ा वर्ग
4. अनारक्षित
5. अनुसूचित जाति
6. अनारक्षित
7. अन्य पिछड़ा वर्ग
8. अनारक्षित
9. अन्य पिछड़ा वर्ग
10. अनारक्षित
11. अनुसूचित जाति
12. अनारक्षित
13. अन्य पिछड़ा वर्ग
14. अनारक्षित
15. अनुसूचित जाति
16. अनारक्षित
17. अन्य पिछड़ा वर्ग
18. अनारक्षित
19. अन्य पिछड़ा वर्ग
20. अनारक्षित
21. अनुसूचित जाति
22. अनारक्षित
23. अन्य पिछड़ा वर्ग
24. अनारक्षित
25. अनुसूचित जाति
26. अनारक्षित
27. अन्य पिछड़ा वर्ग
28. अनारक्षित
29. अन्य पिछड़ा वर्ग
30. अनारक्षित
31. अनुसूचित जाति
32. अनारक्षित

33. अन्य पिछड़ा वर्ग
34. अनारक्षित
35. अनुसूचित जाति
36. अनारक्षित
37. अन्य पिछड़ा वर्ग
38. अनारक्षित
39. अन्य पिछड़ा वर्ग
40. अनारक्षित
41. अनुसूचित जाति
42. अनारक्षित
43. अन्य पिछड़ा वर्ग
44. अनारक्षित
45. अनुसूचित जाति
46. अनारक्षित
47. अनुसूचित जनजाति
48. अनारक्षित
49. अनुसूचित जाति
50. अनारक्षित
51. अन्य पिछड़ा वर्ग
52. अनारक्षित
53. अनुसूचित जाति
54. अनारक्षित
55. अन्य पिछड़ा वर्ग
56. अनारक्षित
57. अन्य पिछड़ा वर्ग
58. अनारक्षित
59. अनुसूचित जाति
60. अनारक्षित
61. अन्य पिछड़ा वर्ग
62. अनारक्षित
63. अनुसूचित जाति
64. अनारक्षित
65. अन्य पिछड़ा वर्ग
66. अनारक्षित
67. अन्य पिछड़ा वर्ग
68. अनारक्षित
69. अनुसूचित जाति
70. अनारक्षित
71. अन्य पिछड़ा वर्ग
72. अनारक्षित
73. अनुसूचित जाति
74. अनारक्षित
75. अन्य पिछड़ा वर्ग
76. अनारक्षित
77. अन्य पिछड़ा वर्ग
78. अनारक्षित
79. अनुसूचित जाति
80. अनारक्षित
81. अन्य पिछड़ा वर्ग
82. अनारक्षित
83. अनुसूचित जाति
84. अनारक्षित
85. अन्य पिछड़ा वर्ग
86. अनारक्षित
87. अन्य पिछड़ा वर्ग
88. अनारक्षित
89. अनुसूचित जाति
90. अनारक्षित

91. अन्य पिछड़ा वर्ग
92. अनारक्षित
93. अनुसूचित जाति
94. अनारक्षित
95. अन्य पिछड़ा वर्ग
96. अनारक्षित
97. अनुसूचित जनजाति
98. अनारक्षित
99. अनुसूचित जाति
100. अनारक्षित

आज्ञा से,
राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Appointment (B) Department

No. 0-2266/II-B—13-1946

Dated, Lucknow, August 26, 1950

OFFICE MEMORANDUM

Subject :– Representation of Scheduled Castes, etc. in Public Service.

The orders, issued in Office Memorandum no. 6160/II—13-46, dated July 24, 1947, provide for communal representation in services in cases in which recruitment is not made by competitive tests and a general 10 per cent reservation for members of the Scheduled Castes with the proviso that if in any year the required number of candidates of the Scheduled Castes is not forthcoming the deficiency will be made good next year.

2. The Constitution of India contains definite provisions relating to opportunities of the citizens of India for employment in public services.

Article 16 of the Constitution provides for equality of opportunity in matters of public employment. Clause (1) of the Article reads :

"There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State."

Clause (2) of the Article reads :

"No citizen shall on grounds only of **religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any** of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of any employment or office under the State."

Clause (4) of the Article reads :

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State is not adequately represented in the services under the State."

Article 335 of the Constitution which relates to the claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts reads :

"The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

It will be seen that while under the Constitution all citizens regardless of religion, race, caste, sex, etc., are entitled to an equal opportunity for appointment to public services, reservation of appointments is permissible only for the backward class of citizens.

3. In view of the above provisions of the Constitution, the orders, regarding communal representation in services referred to in paragraph 1 cannot stand and are hereby abrogated.

[4. In pursuance of the provisions of clause (4) of Article 16 and of Article 335 of the Constitution, the Governor is now pleased to order that, consistently with the maintenance of efficiency of administration—

(i) the interest of the backward classes shall in general be borne in mind in making appointments ; and

(ii) there shall be a general reservation of 10 per cent of the vacancies for members of the Scheduled Castes in making appointments to services and posts in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh :

Provided that if in any one year candidates of the Scheduled Castes fail to be recruited to any service of establishment to the extent of 10 per cent, the deficiency shall be made good in the recruitment to the service or establishment concerned in the following year :

Provided further that the reservation on account of the deficiency shall not be carried forward for more than one year.

To,

All Departments of the Secretariat.

BHAGWAN SAHAY,

Chief Secretary.

अध्याय - 7

ज्येष्ठता निर्धारण

(Fixation of Seniority)

"उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991" द्वारा ज्येष्ठता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं :—

(1) जहां नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई है।

(2) पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे।

(3) जहां नियुक्तियां एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा ही की जाती हों वहां प्रोन्नत व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।

(4) जहां नियुक्तियां एक से अधिक पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा की जाएं वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने-अपने पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक अथवा उसमें वर्णित स्थायीकरण की तिथि के अनुसार अवधारित की जायेगी किन्तु किसी उच्च वेतनमान प्राप्त व्यक्ति को निम्न वेतन वाले व्यक्तियों से ज्येष्ठ माना जायेगा। आरक्षित पद पर प्रोन्नत अनुसूचित जाति या जनजाति का कार्मिक अपनी प्रोन्नति की तिथि से ज्येष्ठता पायेगा।

(5) जहां नियुक्ति, सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा, दोनों स्रोतों से, की गयी हो तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में रखी जायेगी। प्रथम स्थान पदोन्नति व्यक्ति का होगा।

(6) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से अधिक हों वहां कोटा से अधिक नियुक्त की ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार नियुक्तियाँ हों।

(7) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गयी रिक्तियों के प्रतिनियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जायं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उस वर्ष की ज्येष्ठता पावेंगे जिनमें उनकी नियुक्तियाँ की जायं किन्तु उनके नाम उस वर्ष नियुक्त अन्य व्यक्तियों के शीर्ष पर रखे जायेंगे।

(8) जहाँ किसी स्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियाँ अन्य स्रोत से भरी जायं और कोटा से अधिक नियुक्तियाँ की जायं तो इस प्रकार से अधिक नियुक्त किये गये व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे। मानो वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रतिनियुक्ति किये गये थे।

परस्पर ज्येष्ठता निर्धारित करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करके कम से कम 7 दिन का समय देते हुए आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम ज्येष्ठता सूची जारी कर देनी चाहिए।

1

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS SENIORITY RULES, 1991

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules for determination of seniority of persons appointed to the services under the State Government :

PART—I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Application.—These rules shall apply to all Government servants in respect of whose recruitment and conditions of service rules may be or have been made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

3. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other service rules made heretobefore.

4. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context, the expression—

(a) "appointing authority" in relation to any service means the authority empowered to make appointments to such service under the relevant service rules ;

(b) "Cadre" means the strength of the service, or part of the service sanctioned as a separate unit ;

(c) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission, or the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, as the case may be ;

(d) "Committee" means the Committee constituted to make selections for appointments to the service under the relevant service rules ;

(e) "feeding cadre" means the cadre of service from amongst the members whereof, promotion is made to a higher service or post under the relevant service rules ;

(f) "service" means the service in which the seniority of the member of the service has to be determined :

(g) "service rules" means the rules made under the proviso to Article 309 of the Constitution, and where there are no such rules, the executive instructions issued by the Government, regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the relevant service ;

1. w.e.f. 20.3.1991.

(h) "substantive appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the service rules relating to that service.

PART—II

DETERMINATION OF SENIORITY

5. Seniority where appointments by direct recruitment only—Where according to the service rules appointments are to be made only by the direct recruitment, the seniority *inter se* of the persons appointed on the result of any one selection, shall be the same as it is shown in the merit list prepared by the Commission or the Committee, as he case may be :

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority, if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him, the decision of the appointing authority as to the validity of reasons, shall be final :

Provided further that the persons appointed on the result of a subsequent selection shall be junior to the persons appointed on the result of a previous selection.

Explanation.—Where in the same year separate selections for regular and emergency recruitment are made, the selection for regular recruitment shall be deemed to be the previous selection.

6. Seniority where appointments by promotion only from a single feeding cadre.—Where according to the service rules, appointments are to be made only by promotion from a single feeding cadre, the seniority *inter se* of persons so appointed shall be the same as it was in the feeding cadre.

Explanation.—A person senior in the feeding cadre shall, even though promoted after the promotion of a person junior to him in the feeding cadre shall, in the cadre to which they are promoted, regain the seniority as it was in the feeding cadre.

7. Seniority where appointments by promotion only from several feeding cadres.—Where according to the service rules, appointments are to be made only by promotion but from more than one feeding cadres, the seniority *inter se* of persons appointed on the result of any one selection shall be determined according to the date of the order of their substantive appointment in their respective feeding cadres.

Explanation.—Where the order of the substantive appointment in the feeding cadre specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other cases it will mean the date of issuance of the order :

Provided that where the pay scales of the feeding cadres are different, the persons promoted from the feeding cadre having higher pay scale shall be senior to the persons promoted from the feeding cadre having lower pay scale :

Provided further that the persons appointed on the result of a subsequent selection shall be junior to the persons appointed on the result of a previous selection.

8. Seniority where appointments are by promotion and direct recruitment.—(1) Where according to the service rules appointments are made both by promotion and

by direct recruitment, the seniority of persons appointed shall, subject to the provisions of the following sub-rules, be determined from the date of the order of their substantive appointments, and if two or more persons are appointed together, in the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that if the appointment order specifies a particular back date, with effect from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other cases, it will mean the date of issuance of the order :

Provided further that a candidate recruited directly may lose his seniority, if fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him, the decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.

(2) The seniority *inter se* of persons appointed on the result of any one selection,—

(a) through direct recruitment, shall be the same as it is shown in the merit list prepared by the Commission or by the Committee, as the case may be :

(b) by promotion, shall be as determined in accordance with the principles laid down in rule 6 or rule 7, as the case may be, according as the promotion are to be made from a single feeding cadre or several feeding cadres.

(3) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment on the result of any one selection the seniority of promotees *vis-a-vis* direct recruits shall be determined in a cyclic order (the first being a promotee) so far as may be, in accordance with the quota prescribed for the two sources.

Illustrations.—(1) Where the quota of promotees and direct recruits is in the proportion of 1 : 1 the seniority shall be in the following order :

First	Promotee
Second	Direct recruits
and so on.	

(2) Where the said quota is in the proportion of 1 : 3 the seniority shall be in the following order :

First	Promotee
Second to fourth	Direct recruits
Fifth	Promotee
Sixth to eighth	Direct recruits
and so on :	

Provided that—

(i) where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, for seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota :

(ii) where appointments from any source fall short of the prescribed quota, and appointment against such unfilled vacancies are made in subsequent year or

years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that their names shall be placed at the top followed by the names in the cyclic order of the other appointees ;

(iii) where, in accordance with the service rules the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant service rules be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies of their quota.

PART—III

SENIORITY LIST

9. Preparation of seniority list.—(1) As soon as may be after appointments are made to a service, the appointing authority shall prepare a tentative seniority list of the persons appointed substantively to the service in accordance with the provisions of these rules.

(2) The tentative seniority list shall be circulated amongst the persons concerned inviting objections, by a notice of reasonable period, which shall not be less than seven days from the date of circulation of the tentative seniority list.

(3) No objections against the vires or validity of these rules shall be entertainable.

(4) The appointing authority shall, after disposing of the objection by a reasoned order, issue a final seniority list.

(5) It shall not be necessary to prepare a seniority list of the cadre to which appointments are made only by promotion from a single feeding cadre.

अध्याय 8

पदोन्नति
(Promotion)

सरकारी सेवकों को, उन पर लागू सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, उच्च पद या उच्च वेतनमान में पदोन्नति का अवसर, सामान्यतया, उपलब्ध रहता है। पदोन्नतियाँ निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम से चयन कराकर की जाती हैं :—

(1) विभागीय चयन समिति,

अथवा

(2) लोक सेवा आयोग।

सरकारी सेवा में जिन पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है उन पदों पर पदोन्नति भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होती है। अन्य मामलों में, सामान्यतया, विभागीय चयन समिति के माध्यम से प्रोन्नतियाँ की जाती हैं।

सरकारी सेवा में पदोन्नतियों के लिए, सामान्यतया, निम्नलिखित मानदण्डों में से कोई एक मानदण्ड अपनाया जाता है :—

(1) ज्येष्ठता, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए,

अथवा

(2) श्रेष्ठता।

विभागाध्यक्ष एवं उनसे ठीक एक पंक्ति नीचे के पद तथा ऐसे पद, जिसके वेतनमान का अधिकतम रु० 18,300/- या इससे अधिक हो, पर पदोन्नति के लिए "श्रेष्ठता" का मानदण्ड अपनाया जाता है तथा उपर्युक्त से भिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" का मानदण्ड अपनाया जाता है।

प्रथम मानदण्ड अपनाये जाने पर "ज्येष्ठता" की मुख्य भूमिका होती है लेकिन कोई सरकारी सेवक सिर्फ अपनी ज्येष्ठता के आधार पर अधिकार-स्वरूप प्रोन्नति की मांग नहीं कर सकता है। यदि उसके सेवा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर उसे प्रोन्नति के लिए "अनुपयुक्त" पाया जाये तो उसे छोड़ते हुए उससे कनिष्ठ सरकारी सेवक को, जो उपयुक्त पाया जाये, प्रोन्नत किया जा सकता है।

द्वितीय मानदण्ड में सरकारी सेवक की मेरिट/योग्यता की मुख्य भूमिका होती है, ज्येष्ठता की भूमिका कम रहती है। जब दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट लगभग एक समान हो तभी ज्येष्ठता निर्णायक भूमिका अदा करती है।

उपयुक्तता एवं श्रेष्ठता, दोनों, का निर्धारण अर्ह सरकारी सेवक के सेवा-अभिलेख के आधार पर किया जाता है। यदि सरकारी सेवक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी हो अथवा उसे दण्डित किया गया हो तब वह "अनुपयुक्त" की श्रेणी में आता है। प्रथम मानदण्ड में सिर्फ "अच्छा" कोटि का सरकारी सेवक भी पदोन्नति के लिए उपयुक्त होता है किन्तु श्रेष्ठता के मानदण्ड में "उत्कृष्ट", "अति-उत्तम" या "उत्तम" श्रेणी के अर्ह सरकारी सेवक ही पदोन्नत किये जाते हैं।

किसी भी भर्ती वर्ष में होने वाली रिक्तियों एवं आरक्षित वर्ग की रिक्तियों, यदि कोई हों, की

संख्या का आगणन करके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता-सूची बनायी जाती है। सम्बन्धित सेवा नियमावली के उपबन्धों में विहित पात्रता की शर्तों के अनुसार यह पात्रता-सूची बनायी जानी अपेक्षित है। सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की अलग-अलग पात्रता-सूचियाँ बनायी जाती हैं जिसे "ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की पात्रता-सूची" कहते हैं। पात्रता-सूची तैयार करने के लिए भी संगत नियमावलियों में कानूनी प्रावधान दिये हुए हैं जिसके अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्रता-सूची तैयार की जानी चाहिए। पात्रता-सूची के साथ उन अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेख/वार्षिक प्रविष्टियाँ, यथास्थिति, विभागीय चयन समिति अथवा लोक सेवा आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी जो पात्र अभ्यर्थियों की उपयुक्तता या श्रेष्ठता का विनिश्चय करके चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा। तदुपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी चयन सूची से अभ्यर्थियों की प्रोन्नति का आदेश निर्गत करेंगे।

यदि कोई सरकारी सेवक निलम्बित हो, या उसके विरुद्ध आरोप-पत्र निर्गत किया जा चुका हो, या न्यायालय में उसके विरुद्ध आपराधिक मामले में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका हो, तो उसके बारे में चयन समिति/आयोग द्वारा की गयी संस्तुति को मुहरबन्द लिफाफा में रख लिया जायेगा तथा अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक मामले का परिणाम प्राप्त होने पर मुहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा एवं उस परिणाम के आलोक में पूर्व की संस्तुति पर विचार करते हुए उसे प्रोन्नत करने अथवा प्रोन्नत न करने का विनिश्चय किया जायेगा।

यदि किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिए चयन समिति/आयोग द्वारा संस्तुति की जा चुकी हो किन्तु प्रोन्नति आदेशों के क्रियान्वयन से पूर्व, पूर्वोक्त तीनों परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति सामने आ जाये तो उस सरकारी सेवक को प्रोन्नत नहीं किया जायेगा और अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक मामले का परिणाम प्राप्त होने पर उसके आलोक में चयन समिति/आयोग की संस्तुति को उसी ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा जैसे कि उसकी संस्तुति को मुहरबन्द लिफाफा में रखा गया हो।

1

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION IN CONSULTATION WITH PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE) RULES, 1970

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

PART—I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Extent of application.—These rules shall apply to all services and posts in connection with the affairs of Uttar Pradesh to which recruitment by promotion is required to be made by selection in consultation with the Uttar Pradesh Public Service

1. w.e.f. 6.10.1970.

Commission otherwise than on the results of a competitive Examination.

3. Overriding effect of these rules.—The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith in any service rules in force immediately before the commencement of these rules.

4. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) "appointing authority" in relation to any service or post means the authority empowered to make appointments to that service or post, and in the case of the Governor being the appointing authority, includes the Chief Secretary to Government or the Secretary to Government in the Department concerned ;

(b) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission ;

(c) "Government" means the Government of Uttar Pradesh ;

(d) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(e) "service rules" means rules, regulations or government orders regulating recruitment to, or the conditions of service of persons appointed to any service or post in connection with the affairs of Uttar Pradesh ;

(f) "year of recruitment" means the period of twelve months beginning from the first day of July of a calendar year.

PART—II

CRITERIA FOR PROMOTION

5. Criterion of promotion.—(1) Where any service rules provide either "strict merit" or "primarily on merit" or "rigorous selection on merit from the whole field of eligibility" or "strictly on merit" or "seniority counting where merits are equal" or any such other criterion, howsoever expressed, as lays primary stress on merit as the basis of selection for promotion the criterion to be followed on and after the commencement of those rules shall be "merit".

(2) Where any service rules provide either "seniority" or "seniority-*cum*-fitness" or "seniority subject to the rejection of the unfit" or any such other criterion, howsoever expressed, as lays primary stress on seniority as the basis of selection for promotion, the criterion to be followed on and after the commencement of these rules shall be "seniority subject to the rejection of the unfit".

(3) In all cases in which no service rules exist, or in which the service rules do not lay down clearly which of two criteria for promotion mentioned in sub-rules (1) and (2) is to be followed, such criterion of the two shall be followed as may be decided upon by the Governor in consultation with the Commission.

6. Other conditions of eligibility.—(1) Except as provided in sub-rule (3), nothing in these rules shall affect any provision in any service rule in respect of the conditions of eligibility for promotion relating to age, educational or technical qualifications, nature of experience or length of service.

(2) In the absence of any provision in the service rules in respect of the conditions of eligibility as aforesaid, the said conditions shall be such as may be determined by the

Governor in consultation with the Commission.

(3) Where any age limit for promotion is prescribed by any service rules a candidate who was eligible in all respects on the date of occurrence of the vacancy to be filled shall be deemed to remain eligible for selection even if the selection is delayed to such extent that he becomes overage in the meantime.

PART—III

PROCEDURE OF PROMOTION WHERE THE CRITERION IS MERIT

7. Application of this part.—Where by virtue of the provisions of rule 5 promotion is to be made on the criterion of merit, the procedure laid down in this Part shall be followed.

8. Preparation of eligibility list.—The appointing authority shall prepare a list (hereinafter in this Part referred to as the eligibility list) of the senior-most eligible candidates containing names so far as may be, in the following proportion :

For 1 to 5 vacancies	..	5 times the number of vacancies subject to a minimum of 15 ;
For 6 to 12 vacancies	..	4 times the number of vacancies subject to a minimum of 25 ;
For over 12 vacancies	..	3 times the number of vacancies subject to a minimum of 50 :

Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year in such a case while preparing the eligibility list for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be—

(*a*) for the second year	..	the number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year ;
(*b*) for the third year	..	the number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second years ;

and so on :

Provided further that candidates who are not considered suitable, *prima facie*, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion, and a note to the effect that they are not so considered shall be *added* against their names :

Provided also that in the case of higher research posts in departments in which research work is done, the names of all eligible candidates shall be included in the list irrespective of the number of vacancies.

Explanation I

In this rule—

(a) "the number of vacancies" means the total number of substantive, temporary or officiating vacancies occurring during the year of recruitment, after taking into account the probable absorption of candidates of list "B" against

substantive vacancies.

(b) "higher research posts" means posts requiring technical knowledge and ability of a high order for undertaking and guiding research work.

Explanation II

A single eligibility list shall be prepared to cover all types of vacancies.

9. Sending of lists to Commission.—The appointing authority shall forward to the Commission the eligibility list or lists together with the gradation list of all persons within the field of eligibility and the character rolls of the candidates included in the eligibility list or lists and also intimate to it the numbers of different types of vacancies taken into account for the purpose of preparing the list or lists.

10. Revision of eligibility list.—If in any case the Commission feels that the requisite number of suitable candidates may not be available from amongst those whose names are included in the list or lists received by it under rule 9, it may ask the appointing authority to include therein the names and character rolls of such larger number of the senior-most, or of all eligible candidates, as it thinks fit, and the appointing authority shall notwithstanding anything contained in rule 8 revise the list or lists accordingly.

11. Selection Committee.—A Selection Committee consisting of the following shall be constituted by the appointing authority—

(i) the Chairman or Member representing the Commission who will be the Chairman of the Committee ;

(ii) the appointing authority ; and

(iii) a senior officer of that or any other department nominated by the Government, provided that where the appointing authority is the Governor the head of that department shall ordinarily be nominated under this clause.

12. Fixing of dates for selection.—(1) The appointing authority shall in consultation with the Commission fix a date for selection ;

Provided that the process of selection may spread over the dates more than one.

(2) In case the Commission or the appointing authority considers it necessary that all or any of the candidates included in the eligibility list or lists should be interviewed by the Selection Committee, the appointing authority shall call such candidate or candidates, as the case may be, for the purpose on the aforesaid date or dates.

(3) The Selection Committee shall in each case consider the character rolls of the candidates and may consider any other factor relevant in its opinion.

13. Lists A and B.—(1) The Selection Committee shall prepare two lists in order of merit as follows, namely :

(i) *List A*—Containing names of candidates recommended for substantive appointment against the permanent vacancies intimated to the Commission under rule 9 ;

(ii) *List B*—Containing names of candidates recommended for temporary or officiating appointments intimated to the Commission under rule 9 as well as the names of candidates, if any, carried over on review from any pending List B in accordance with sub-rule (2) of rule 16 :

Provided that if recruitment is made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, the selection in respect of each such year shall be made from the eligibility list prepared for that year. In such a case, the names of candidates selected against vacancies of one year will be excluded from the eligibility lists or lists of subsequent year or years, as the case may be, before making the selection from eligibility lists of the second and subsequent years.

(2) Notwithstanding anything in sub-rule (1), List A need not be prepared in case the number of permanent vacancies does not exceed the number of candidates remaining to be absorbed in permanent vacancies from List B.

14. Commission's approval.—The Commission shall consider the recommendations of the Selection Committee and thereafter send the Lists A and B as approved to the appointing authority.

15. Rearrangement of each List in order of seniority.—Subject to the provisions of sub-rule (1) and the proviso to sub-rule (2) of rule 16, the appointing authority shall rearrange each of the Lists A and B in order of seniority.

16. Duration of lists.—(1) The names of candidates, included in List A, for whom permanent vacancies cannot be found during the year of recruitment shall, at the end of the year, be transferred to the top of List B in the order in which their names appear in List A as rearranged under rule 15.

(2) The names of candidates included in List B for whom vacancies cannot be found during the year shall be reviewed at the time of every succeeding selection and in case the Selection Committee constituted for the succeeding year of recruitment considers that the work or conduct of any candidate since the preceding selection justifies, it may remove his name from that list :

Provided that candidates who are selected for List B for the first time shall be placed below those already on that List.

17. Appointment from List 'A'.—(1) Candidates included in List A shall be appointed against permanent vacancies in the order in which their names appear in the List as rearranged under rule 15.

(2) Candidates included in List A, for whom permanent vacancies are not immediately available, shall be appointed in the said order, against temporary or officiating vacancies in preference to those included in List B.

18. Appointment from List 'B'.—Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 17, candidates included in List B shall be appointed in the order in which their names appear in the List as rearranged under rule 15 against temporary or officiating vacancies and after List A is exhausted also against permanent vacancies :

Provided that if it appears to the appointing authority at any time that a government servant appointed against a temporary or officiating vacancy has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, it may

revert him to the post from which he was promoted without assigning any reason.

19. Absorption of List B candidates in substantive vacancies.—Subject to the provisions of rule 18, candidates remaining in List B shall be appointed against fresh substantive vacancies in preference to any candidate selected for List A at the succeeding year of recruitment for the first time.

PART—IV

PROCEDURE OF PROMOTION

Where the Criterion is Seniority Subject to the Rejection of the Unfit

20. Application of this Part.—Where by virtue of the provisions of rule 5, promotion is to be made on the criterion of seniority subject to the rejection of the unfit, the procedure laid down in this Part shall be followed.

21. Preparation of Eligibility List.—(1) Except as otherwise provided in rule 22, the appointing authority shall prepare a list to be called the eligibility list of the senior-most eligible candidates containing names, so far as may be, in the following proportion :

For 1 to 5 vacancies	..	2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5
For over 5 vacancies	..	1½ times the number of vacancies subject to a minimum of 10

The provisos and the explanations to rule 8 shall *mutatis mutandis* apply to this rule.

(2) The rest of the procedure prescribed in Part III shall *mutatis mutandis* apply to promotion made under this Part except that each of the two Lists A and B referred to in Part III shall be prepared by the Selection Committee in order of seniority subject to the rejection of the unfit and that from among those considered fit, the senior-most candidates shall be placed in List A.

22. Power to dispense with Selection Committee in certain cases.—Notwithstanding anything in rule 21 if in any case the number of vacancies to be filled is small, and the appointing authority considers the senior-most candidate or candidates clearly fit for promotion and accordingly no supersession is involved, the Commission may, if it agrees with the view of the appointing authority, approve the proposal straightway. In that case no Selection Committee need be constituted and the candidate or candidates so approved shall be deemed to have been duly selected for promotion.

2

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION IN CONSULTATION WITH PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE) (AMENDMENT) RULES, 1972

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the

Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from October 6, 1970.

2. Addition of new rule or sub-rule.—In the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, promulgated with notification no. 42/4/66—Apptt. (B), dated October 6, 1970 (hereinafter referred to as the said rules) ;

(1) after rule 4 (*d*), the following shall be *inserted* as a new sub-rule ;

(*dd*) "Select List" means the list of candidates selected for temporary or officiating appointment in accordance with the rules or orders in force prior to the commencement of these rules ;

(2) after rule 7, the following new rules shall be *inserted* :

7-A. Rearrangement of the Select List.—Notwithstanding anything contained in these rules, but subject to the proviso to rule 18, the names of candidates on the select list appointed in temporary or officiating vacancies prior to the date of issue of this notification shall be rearranged in order of seniority.

7-B. Appointment from Select List.—The candidates of the select list, as rearranged in accordance with rule 7-A, shall be appointed against substantive vacancies in preference to any candidate selected in accordance with the provisions of these rules.

Column 1 the rules or parts as set out in Column 2 shall be *substituted*.

3. Amendment in the existing rules.—In the said rules, for the existing rules or parts thereof as set out in

Column 1	**Column 2**
Existing rules or parts thereof	*Rules or parts as hereby substituted*
4. Definitions	**4. Definitions**
(a) "appointing authority" in relation to any service or post means the authority empowered to make appointments to that service or post, and in the case of the Governor being the appointing authority, includes the Chief Secretary to Government or the Secretary to Government in the Department concerned ;	*(a)* "appointing authority" in relation to any service or post means the authority empowered to make appointments to that service or post, and in the case of the Governor being the appointing authority includes the Chief Secretary to Government or the Secretary, or Special Secretary to Government in the Department concerned ;

6. Other conditions of eligibility.— (1) Except as provided in sub-rule (3), nothing in these rules shall affect any provision in any service rule in respect of the conditions of eligibility for promotion relating to age, educational or technical qualifications, nature of experience or length of service.

Explanation I

In this rule—

(a) "the number of vacancies" means the total number of substantive, temporary or officiating vacancies occurring during the year of recruitment, after taking into account the probable absorption of candidates of List 'B' against substantive vacancies.

13. (2) Notwithstanding anything in sub-rule (1), List A need not be prepared in case the number of permanent vacancies does not exceed the number of candidates remaining to be absorbed in permanent vacancies from list 'B'.

6. Other conditions of eligibility.— (1) Nothing in these rules shall affect any provision in any service rule in respect of the conditions of eligibility for promotion relating to age, educational or technical qualifications nature of experience or length of service except to the extent that the relevant date with reference to which a candidate shall be deemed to have fulfilled such conditions shall be the date of commencement of the year of recruitment.

Explanation I

In this rule—

(a) "the number of vacancies" means the total number of substantive, temporary or officiating vacancies occurring during the year of recruitment, after taking into account the probable absorption of candidates of the Select List (as rearranged in accordance with rule 7-A or of List "B" against substantive vacancies.

13. (2) Notwithstanding anything in sub-rule (1), List 'A' need not be prepared in case the number of permanent vacancies does not exceed the number of candidates of the Select List (as rearranged in accordance with rule 7-A) or of List 'B' remaining to be absorbed in permanent vacancies.

4. Deletion.— Sub-rule (3) of rule 6 of the said rules shall be *deleted.*

3

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION IN CONSULTATION WITH PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE) (AMENDMENT) RULES, 1981

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules namely :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar

Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from October 6, 1970.

2. Amendment of rule 7-A.—In the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, published with Government notification no. 42/IV-66—Appointment B, dated October 6, 1970, as amended by the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) (Amendment) Rules, 1972, published with Government notification no. 42/IV-66—Appointment (B), dated July 4, 1972, *for* the existing rule 7-A set out in column 1, the rule as set out in column 2, shall be *substituted* :

Column 1	**Column 2**
Existing Rules	*Rules as hereby substituted*
7-A. Notwithstanding anything contained in these rules, but subject to the proviso to rule 18, the names of candidates on the select list appointed in temporary or officiating vacancies prior to the date of issue of this notification shall be rearranged in order of seniority.	**7-A.** Notwithstanding anything contained in these rules, but subject to the proviso to rule 18, the names of candidates on the select list appointed in temporary or officiating vacancies prior to July 4, 1972 shall be rearranged in order of seniority.

4

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION IN CONSULTATION WITH PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE) (THIRD AMENDMENT) RULES, 1984

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) (Third Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force at once[1].

2. Amendment of rule 21 (1).—In rule 21 of the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970 for the existing sub-rule (1) set out in column 1, the sub-rule as set out in column 2, shall be *substituted*.

1. w.e.f. 21.6.1984.

Column 1	Column 2
Existing sub-rule (1)	*Sub-rule (1) as hereby substituted*
21. (1) Except as otherwise provided in rule 22, the appointing authority shall prepare a list to be called the eligibility list of the senior-most eligible candidates containing names, so far as may be, in the following proportion :	**21.** (1) Except as otherwise provided in rule 22, the appointing authority shall prepare 3 lists to be called the eligibility lists of the senior-most eligible candidates from each of the section namely general, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said sections containing names so far as may be, in the following proportion :
For 1 to 5 vacancies : 2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5.	For 1 to 5 vacancies : 2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5.
For over 5 vacancies : 1½ times the number of vacancies subject to a minimum of 10.	For over 5 vacancies : 1½ times the number of vacancies subject to a minimum of 10.
The proviso and the explanations to rule 8 shall *mutatis mutandis* apply to this rule.	The proviso and the explanations to rule 8 shall *mutatis mutandis* apply to this rule.

5

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION IN CONSULTATION WITH PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE) (AMENDMENT) RULES, 1987

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force at once[1].

2. Amendment of rule 4.—In rule 4 of the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) (Amendment) Rules, 1970, hereinafter referred to as the said rules, clause (*dd*) shall be *deleted*.

3. Deletion of rules 7-A and 7-B.—In the said rules, rule 7-A and 7-B shall be *deleted*.

1. w.e.f. 24.4.1987.

4. Amendment of rule 8.—In rule 8 of the said rules—

(i) *For* the words and figures—

"For 1 to 5 vacancies	..	5 times the number of vacancies subject to a minimum of 15,
For 6 to 12 vacancies	..	4 times the number of vacancies subject to a minimum of 25.
For over 12 vacancies	..	3 times the number of vacancies subject to a minimum of 50."

The following words and figures shall be *substituted* :

"3 times the number of vacancies subject to the minimum of 8."

(ii) *After* the third proviso the following proviso shall be *inserted*, namely :

"Provided also that if eligibility list is being prepared for substantive vacancies, the names of candidates who have previously been appointed in temporary or officiating vacancies from list B shall be included in the eligibility list if otherwise found eligible."

(iii) In the explanation, the words, "after taking into account the probable absorption of candidates of the select list as rearranged in accordance with rules (7-A) or of list 'B' against substantive vacancies" shall be *omitted*.

5. Amendment of rule 13.—In rule 13 of the said rules—

(a) in sub-rule (1) in clause (II) thereof, the words "as well as the names of the candidates, if any carried over on review from any pending list B in accordance with sub-rule (2) of rule 16" shall be *omitted*.

(b) sub-rule (2) shall be *omitted*.

6. Substitution of rule 15.—In the said rules, *for* rule 15, the following rule shall be *substituted*, namely :

"15—the appointing authority shall rearrange each of the Lists A and B in the order of seniority."

7. Deletion of rule 16.—In the said rules, rule 16 shall be *deleted*.

8. Amendment of rule 18.—In the said rules, *for* the rule 18 the following rule shall be *substituted*, namely :

"18—Subject to the provisions of sub-rule (2) or rule 17 candidates included in list B shall be appointed in the order in which their names appear in the list, as rearranged under rule 15, against temporary or officiating vacancies :

Provided that subject to the provisions of the rule, list B, remaining unutilised after completion of one year from the date of receipt of select list, shall cease to be operative :

Provided further that subject to the provisions of the sub-rule (2) list A, remaining unutilised after completion of one year from the date of receipt of select list, shall cease to be operative :

Provided also that list A and list B of a year of a recruitment shall be utilised only

for vacancies of that year of recruitment :

Provided that if it appears to the appointing authority at any time that a Government servant appointed against a temporary or officiating vacancy had not made sufficient use of his opportunity or has otherwise failed to give satisfaction, it may revert him to the post from which he was promoted without assigning any reason."

9. Deletion of rule 19.—In the said rules, rule 19 shall be *deleted.*

6

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION IN CONSULTATION WITH PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE) (FIFTH AMENDMENT) RULES, 1992

In exercise of the powers under proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) (Fifth Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Amendment of rules 8, 9, 13, 14, 15 and 17.—In the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, hereinafter referred to as the said rules for rules set out in column 1, below, the rule as set out in column 2, shall be *substituted.*

Column 1	Column 2
Existing Rules	*Rules as hereby substituted*
8. Preparation of eligibility list.—The appointing authority shall prepare a list (hereinafter in this para referred to as the eligibility list) of the senior-most eligible candidates containing names, so far as may be, in the following proportion :	**8. Preparation of eligibility list.**—The appointing authority shall prepare a list (hereinafter in this Part referred to as the eligibility list) of the senior-most eligible candidates containing names, so far as may be, in the following proportion :
3 times the number of vacancies subject to the minimum of 8.	3 times the number of vacancies subject to the minimum of 8.
Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate	Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment,

1. w.e.f. 20.5.1992.

eligibility lists will be prepared in respect of each such year. In such a case while preparing the eligibility list for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be—

(a) **For the second year.**—The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year ; and so on :

(b) **For the third year.**—The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year ; and so on :

Provided further that candidates who are not considered suitable, *prima facie*, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion, and a note to the effect that they are not so considered shall be *added* against their names :

Provided also that in the case of higher research posts in departments in which research work is done, the names of all eligible candidates shall be included in the list irrespective of the number of vacancies.

Provided also that if eligibility list is being prepared for substantive vacancies, the names of candidates who have previously been appointed in temporary or officiating vacancies from list B shall be included in the eligibility list if otherwise found eligible.

Explanation I

In this rule *(a)* "the number of vacancies" means the total number of substantive, temporary or officiating vacancies occurring during the year of recruitment.

(b) "higher research posts"

separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year. In such a case while preparing the eligibility list for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to the included in the eligibility list shall be—

(a) **For the second year.**—The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year ; and so on :

(b) **For the third year.**—The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year, and so on :

Provided further that candidates who are not considered suitable, *prima facie*, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion, and a note to the effect that they are not so considered shall be *added* against their names :

Explanation I

In this rule "the number of vacancies" means the total number of substantive, temporary or officiating vacancies occurring during the year of recruitment.

Explanation II

A single eligibility list shall be prepared to cover all types of vacancies.

means posts requiring technical knowledge and ability of a high order for undertaking and guiding research work.

Explanation II

A single eligibility list shall be prepared to cover all types of vacancies.

9. Sending of lists to Commission.—The appointing authority shall forward to the Commission the eligibility list or lists together with the gradation list of all persons within the field of eligibility and the character rolls of the candidates included in the eligibility list or lists, and also intimate to it the number of different types of vacancies taken into account for the purpose of preparing the list or lists.

13. Lists A and B.—(1) The Selection Committee shall prepare two lists, in order of merit, as follows, namely :

(i) List A—Containing names of candidates recommended for substantive appointment against the permanent vacancies intimated to the Commission under rule 9.

(ii) List B—Containing names of candidates recommended for temporary or officiating appointments intimated to the Commission under rule 9.

Provided that if recruitment is made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, the selection in respect of each such year shall be made from the eligibility list prepared for that year. In such a case, the names of candidates selected against vacancies of one year will be excluded from the eligibility list or lists of subsequent year or years, as the case may be, before making

9. Sending of lists to Commission.—The appointing authority shall forward to the Commission the eligibility list or lists together with the gradation list of all persons within the field of eligibility and the character rolls of the candidates included in the eligibility list or lists, and also intimate to it the number of vacancies of each year of recruitment for which selection is proposed.

13. Select list.—The Selection Committee shall prepare two lists. in order of merit, namely select list, containing names of candidates recommended for substantive appointment against the permanent vacancies intimated to the Commission under rule 9.

Provided that if recruitment is made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, the selection in respect of each such year shall be made from the eligibility list prepared for that year. In such a case, the names of candidates selected against vacancies of one year will be excluded from the eligibility list or lists of subsequent year or years, as the case

the selection from eligibility lists of the second and subsequent years.	may be, before making the selection from eligibility lists of the second and subsequent years.
14. Commission's approval.—The Commission shall consider the recommendations of the Selection Committee and thereafter send the Lists A and B as approved to the appointing authority.	**14. Commission's approval.**—The Commission shall consider the recommendations of the Selection Committee and thereafter send the select list, as approved, to the appointing authority.
15. Rearrangement of each list in order of seniority.—The appointing authority shall rearrange each of the Lists A and B in order of seniority.	**15. Rearrangement of select list in order of seniority.**—The appointing authority shall rearrange the select lists in the order of seniority.
17. Appointment from List 'A'.—(1) Candidates included in List A shall be appointed against permanent vacancies in the order in which their names appear in the List as rearranged under rule 15.	**17. Appointment from select list.**—Candidates included in the select list shall be appointed against vacancies as notified to the Commission under rule 9, in the order in which their names appear in the list as rearranged under rule 15.
(2) Candidates included in List A, for whom permanent vacancies are not immediately available, shall be appointed, in the said order, against temporary or officiating vacancies in preference to those included in List B.	Provided that if it appears to the appointing authority at any time during the period of probation that a Government servant appointed in substantive vacancy has failed to give satisfaction, it may without assigning any reason revert him to the post from which he was promoted. Provided further that the select list of a year of recruitment shall be utilised only for vacancies of that year of recruitment.

3. Omission of rule 18.—In the said rules, rule 18 shall be *omitted*.

4. Substitution of rule 21.—In the said rules, for rule 21 set out in column 1 below the rule as set out in column 2 shall be *substituted*.

Column 1	Column 2
Existing Rules	*Rules as hereby substituted*
21. Preparation of eligibility list.—(1) Except as otherwise provided in rule 22, the appointing authority shall prepare 3 lists to be called the eligibility lists of the senior-most eligible candidates from each of the sections namely General, Scheduled	**21. Preparation of eligibility list.**—(1) Except as otherwise provided in rule 22, the appointing authority shall prepare 3 lists to be called the eligibility lists of the senior-most eligible candidates from each of the sections

Caste and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said sections containing names, so far as may be, in the following proportion :

For 1 to 5 vacancies.—2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5.

For over 5 vacancies.—1½ times the number of vacancies subject to a minimum of 10.

The proviso and the explanations to rule 8 shall *mutatis mutandis* apply to this rule.

(2) The rest of the procedure prescribed in Part III shall *mutatis mutandis* apply to promotion made under this Part except that each of the two Lists A and B referred to in Part III shall be prepared by the Selection Committee in order of seniority subject to the rejection of the unfit and that from among those considered fit, the senior-most candidates shall be placed in List A.

namely General, Scheduled Caste and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said sections containing names, so far as may be, in the following proportion :

For 1 to 5 vacancies.—2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5.

For over 5 vacancies.—1½ times the number of vacancies subject to a minimum of 10.

The first proviso and the explanations to rule 8 shall *mutatis mutandis* apply to this rule.

(2) The rest of the procedure prescribed in Part III shall *mutatis mutandis* apply to promotion made under this Part except that the select list referred to in Part III shall be prepared by the Selection Committee in order of seniority subject to the rejection of the unfit.

7

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION IN CONSULTATION WITH PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE) (SIXTH AMENDMENT) RULES, 1998

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970 :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) (Sixth Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force at once[1].

2. Substitution of rule 8.—In the Uttar Pradesh Promotion by Selection in

1. w.e.f. 31.3.1998.

Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970 *for* existing rule 8 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be *substituted* namely :

Column 1	Column 2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
8. Preparation of eligibility list.—The appointing authority shall prepare a list (hereinafter in this part referred to as the eligibility list) of the senior-most eligible candidates containing names so far as may be in the following proportion :	**8. Preparation of eligibility list.**—The appointing authority shall prepare these lists to be called the eligibility lists, of the senior-most eligible candidates from each of the category namely, General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said categories containing names as far as possible, three times the number of vacancies subject to the minimum of eight :
Three times the number of vacancies subject to the minimum of eight :	
Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year. In such a case, while preparing the eligibility list for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be—	Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility lists for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility lists shall be as follows :
(a) **For the second year.**—The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year ;	*(a)* **For the second year.**—The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year ;
(b) **For the third year.**—The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year and so on :	*(b)* **For the third year.**—The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year and so on :
Provided further that candidates who are not considered suitable *prima facie* for promotion, shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be *added* against their names.	Provided further that the candidates who are not considered suitable *prima facie* for promotion, shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names.

8

THE UTTAR PRADESH CONSTITUTION OF DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE FOR POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE SERVICE COMMISSION RULES, 1992

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for posts outside the purview of the Service Commission Rules, 1992.

(2) They shall come into force at once[1].

(3) They shall apply to the posts of promotion quota under the rule-making power of the Governor, except the posts which are within the purview of the Service Commission.

2. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

3. Definitions.—Unless there is anything repugnant in the subject or context, the expression—

(a) "Agriculture Production Commissioner" means the Agriculture Production Commissioner of Uttar Pradesh and Principal Secretary to Government in Agriculture Production and Rural Development Department ;

(b) "Chief Secretary" means the Chief Secretary to Government ;

(c) "Concerned Department" means the department for which selection is being made ;

(d) "Constitution" means the Constitution of India ;

(e) "Departments under the Branch of Agriculture Production Commissioner" mean the following departments, namely :

1. Rural Development Department ;
2. Rural Engineering Department ;
3. Minor Irrigation Department ;
4. Ground Water Department ;
5. Agriculture Department ;
6. Horticulture and Food Processing Department ;
7. Co-operative Department ;
8. Fisheries Department ;

1. w.e.f. 25.3.1992.

9. Animal Husbandry Department.

(f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh ;

(g) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(h) "Secretary Karmik" means the Secretary to Government in Karmik Department ;

(i) "Selection Committee" means the Committee constituted to make selections for posts under the service rules ;

(j) "Service Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission. It includes the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission also.

4. Constitution of Selection Committee.—Notwithstanding anything contrary contained in any other rules or orders, the Selection Committee shall be constituted as follows :

(a) For the post of Head of Department and Additional Head of Department in the Departments under the Branch of Agriculture Production Commissioner :—

(1)	Chief Secretary	*Chairman*
(2)	Agriculture Production Commissioner	*Member*
(3)	Secretary Karmik	*Member*
(4)	Principal Secretary and/or Secretary to Government in the concerned Department as the case may be	Member (s)

(b) For the post of Head of Department and Additional Head of Department in the departments other than the departments under the Branch of Agriculture Production Commissioner—

(1)	Chief Secretary	*Chairman*
(2)	Secretary Karmik	*Member*
(3)	Principal Secretary and/or Secretary to Government in the concerned department as the case may be	Member (s)

(c) For the promotion quota of the posts belonging to Group 'A' and Group 'B' as classified by Government from time to time, where no departmental Selection Committee for promotion is prescribed in any other rules—

(1) Principal Secretary and/or Secretary to Government in the concerned department, as the case may be ;

(2) Secretary Karmik or his nominee, not below the rank of Joint Secretary to Government ;

(3) Head of the Department of the concerned department and where there is no Head of the Department, an officer not below the rank of Joint Secretary to Government nominated by the Secretary to Government in the concerned department, the seniormost member shall be the Chairman of the Committee.

(d) For promotion quota of the posts to Group "C" including the posts in respect of direct recruitment quota whereof notification has been made under sub-section (1) of section 2 of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 1988—

(1)	Appointing Authority	*Chairman*
(2)	Two *gazetted* officers nominated by the Appointing Authority, have supervisory capacity of the post for which selection is made	*Members*

5. Nomination.—For the posts not covered under clauses *(a)*, *(b)*, *(c)* or *(d)* of rule 4, where Secretary Karmik is a member of a Selection Committee he may, on his behalf nominate an officer not below the rank of Joint Secretary to Government.

9

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CRITERION FOR RECRUITMENT BY PROMOTION RULES, 1994

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994.

(2) They shall come into force at once.[1]

(3) They shall apply to a recruitment by promotion to a post or service for which no consultation with the Public Service Commission is required on the principles to be followed in making promotions under the Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1954, as amended from time to time.

2. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other service rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.

3. Definitions.—Unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'Constitution' means the Constitution of India ;

(b) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh ;

(c) 'Post' or 'Service' means a post or service under the rule-making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

4. Criterion for recruitment by promotion.—Recruitment by promotion to the

1. w.e.f. 10.10.1994.

post of Head of Department, to a post just one rank below the Head of Department and to a post in any service carrying the pay scale the maximum of which is Rs. 6700/- or above, shall be made on the basis of merit, and to rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a *non-gazetted* post to a *gazetted* post or from one service to another service, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

10

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CRITERION FOR RECRUITMENT BY PROMOTION (FIRST AMENDMENT) RULES, 1996

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion (First Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Substitution of rule 4.—In the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, for existing rule 4 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted* namely :

Column 1	Column 2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
4. Criterion for recruitment by promotion.—Recruitment by promotion to the post of Head of Department to a post just one rank below the Head of Department and to a post in any service carrying the pay scale the maximum of which is Rs. 6700/- or above, shall be made on the basis of merit, and to the rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a *non-gazetted* post to a *gazetted* post or from one service to another service, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.	**4. Criterion for recruitment by promotion.**—Recruitment by promotion to the post of Head of Department to a post just one rank below the Head of Department and to a post in any service carrying the pay scale the maximum of which is Rs. 5700/- or above, shall be made on the basis of merit, and to the rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a *non-gazetted* post to a *gazetted* post or from one service to another service, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

1. w.e.f. 23.2.1996.

M.G.O. 37

11

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CRITERION FOR RECRUITMENT BY PROMOTION (SECOND AMENDMENT) RULES, 1998

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion (Second Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Substitution of rule 4.—In the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, for existing rule 4 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted* namely :

Column 1	Column 2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
4. Criterion for recruitment by promotion.—Recruitment by promotion to the post of Head of Department, to a post just one rank below the Head of Department and to a post in any service carrying the pay scale the maximum of which is Rs. 5700/- or above, shall be made on the basis of merit, and to the rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a *non-gazetted* post to a *gazetted* post or from one service to another service, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.	**4. Criterion for recruitment by promotion.**—Recruitment by promotion to the post of Head of Department, to a post just one rank below the Head of Department and to a post in any service carrying the pay scale the maximum of which is Rs. 18300/- or above, shall be made on the basis of merit, and to the rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a *non-gazetted* post to a *gazetted* post or from one service to another service, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

1. w.e.f. 10.6.1998.

12

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION (ON POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) ELIGIBILITY LIST RULES, 1986

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.[1]

(3) They shall apply to posts under the rule-making power of the Governor except the posts which are within the purview of Public Service Commission.

2. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

3. Definition.—Unless there is anything repugnant in the subject or context—

(i) "appointing authority" in relation to any service or post meant the authority empowered to make appointments to that service or post and the case of the Governor being the appointing authority, includes the Chief Secretary to Government or the Secretary, Special Secretary to Government in the department concerned

(ii) "year of recruitment" means the period of twelve months beginning from the first day of July of a calendar year.

4. Preparation of eligibility list where the criterion is merit.—Where the criterion for promotion is merit, the appointing authority shall prepare a list of the senior-most candidates containing names as far as possible, three times the number of vacancies subject to the minimum of eight provided that, if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility list for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be as follows :

(1)	for the second year ;	The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year ;
(2)	for the third year ;	The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year ; and so on :

Provided further that candidates who are not considered suitable, *prima facie*, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be *added* against their names ;

1. w.e.f. 27.10.1986.

5. Preparation of eligibility list where the criterion is seniority, subject to the rejection of unfit.—(1) Where the criterion of promotion is seniority subject to the rejection of unfit the appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists of the senior-most eligible candidates from each of the category namely, General, Scheduled Caste and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said category containing names, so far as may be, in the following proportion :

For 15 vacancies	:	2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5
For over 5 vacancies	:	1½ times the number of vacancies subject to a minimum of 10

(2) The provisions contained in proviso to rule 4 shall, *mutatis mutandis*, apply if preparing an eligibility list under this rule.

13

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION (ON POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) ELIGIBILITY LIST (FIRST AMENDMENT) RULES, 1995

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List (First Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Substitution of rule 4.—In the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986 for existing rule 4 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2, shall be *substituted* namely :

Column 1	Column 2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
4. Preparation of eligibility list where the criterion is merit.—Where the criterion for promotion is merit, the appointing authority shall prepare a list of the senior-most candidates containing names as far as possible, three times the number of vacancies subject to the	**4. Preparation of eligibility list where the criterion is merit.**—Where the criterion for promotion is merit, the appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists of the senior-most eligible candidates from each of the category namely, General,

1. w.e.f. 29.8.1995.

minimum of eight :

Scheduled Cases and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said categories containing names as far as possible, three times the number of vacancies subject to the minimum of eight :

Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility list for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be as follows :

1. For the second year.—The number according to the said proportion *plus* the number of vacancies in the first year ;

2. For the third year.—The number according to the said proportion *plus* the number of vacancies in the first and second year and so on ;

Provided further that the candidates who are not considered suitable, *prima facie*, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be *added* against their names.

Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility lists for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be as follows :

1. For the second year.—The number according to the said proportion *plus* the number of vacancies in the first year ;

2. For the third year.—The number according to the said proportion *plus* the number of vacancies in the first and second year and so on ;

Provided further that the candidates who are not considered suitable, *prima facie*, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be *added* against their names.

14

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION (ON POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) ELIGIBILITY LIST (SECOND AMENDMENT) RULES, 2001

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the Purview of the Pubic Service Commission) Eligibility List Rules. 1986.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the Purview of the Public Service

Commission) Eligibility List (Second Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Substitution of rule 4.—In the Uttar Pradesh Promotion by Selection (On Posts Outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, hereinafter referred to as the said rules, *for* existing rule 4 set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :

Column 1	**Column 2**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
4. Preparation of eligibility list where the criterion is merit.—Where the criterion for promotion is merit, the appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists of the senior-most eligible candidates from each of the category namely, General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said categories containing names as far as possible, three times the number of vacancies subject to the minimum of eight :	**4. Preparation of eligibility list where the criterion is merit.**—Where the criterion for promotion is merit, the appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists of the senior-most eligible candidates from each of the category namely, General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said categories containing names as far as possible, three times the number of vacancies subject to the minimum of eight :
Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility lists for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility lists shall be as follows :	Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility lists for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in he eligibility lists shall be as follows :
1. **For the second year.**—The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year ;	1. **For the second year.**—The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year ;
2. **For the third year.**—The number according to the said proportion *plus* the number of vacancies in the first and second year, and so on :	2. **For the third year.**—The number according to the said proportion *plus* the number of vacancies in the first and second year, and so on :

1. w.e.f. 25.9.2001.

Provided further that the candidates who are not considered suitable, *prima facie*, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be *added* against their names.

Provided further that the candidates who are not considered suitable, *prima facie*, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a notice to the effect that they are not so considered shall be *added* against their names.

Provided also that if, in a year of recruitment, no vacancy is available for Scheduled Castes or Scheduled Tribes but a person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, is entitled to be included, by virtue of his seniority, in the eligibility list of the general category candidates, such person shall also be included in the eligibility list of General category candidates.

3. Substitution of rule 5.—In the said rules, *for* existing rule 5 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :

Column 1	Column 2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
5. Preparation of eligibility list where the criterion is seniority, subject to the rejection of unfit.—(1) Where the criterion for promotion is seniority subject to the rejection of unfit the appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists of the senior-most eligible candidates from each of the category, namely, General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said category containing names, so far as may be, in the following proportion :	**5. Preparation of eligibility list where the criterion is seniority, subject to the rejection of unfit.**—(1) Where the criterion for promotion is seniority subject to the rejection of unfit the appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists of the senior-most eligible candidates from each of the category, namely, General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said category containing names, so far as may be, in the following proportion :
For 1 to 5 vacancies—	For 1 to 5 vacancies—
2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5 ;	2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5 ;
For over 5 vacancies—	For over 5 vacancies—
1½ times the number of vacancies subject to a minimum of 10.	1½ times the number of vacancies subject to a minimum of 10 :
	Provided that if in a year of recruitment no vacancy is available for

recruitment no vacancy is available for Scheduled Castes or Scheduled Tribes but a person belonging to Scheduled Cases or Scheduled Tribes, as the case may be, is entitled to be included, by virtue of his seniority, in the eligibility list of the General Category candidates, such person shall also be included in the eligibility list of general category candidates.

(2) The provisions containing in proviso to rule 4 shall *mutatis mutandis*, apply if preparing an eligibility list under this rule.

(2) The provisions containing in proviso to rule 4 shall *mutatis mutandis*, apply if preparing an eligibility list under this rule.

15

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE (REMOVAL OF AGE-LIMIT FOR PROMOTION) RULES, 1975

In exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Public Services (Removal of age-limit for Promotion) Rules, 1975.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Upper age limit not to preclude promotion.—No person otherwise eligible for promotion in substantive, temporary or officiating vacancies for any service or post under the State Government shall be precluded from being so promoted on account merely of any upper age-limit.

3. Rescission.—The Uttar Pradesh Public Services (Age-limit for Promotion) (Amendment) Rules, 1970, and all other rules and orders imposing any upper age limit for promotion to any service or post referred to in rule 2 are hereby rescinded.

16

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESCISSION OF PROVISIONS REGARDING TEMPORARY AND OFFICIATING APPOINTMENTS) RULES, 1991

In exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

---

1. w.e.f. 9.9.1975.

1. Short title and commencement.—*(a)* These rules shall be called the Uttar Pradesh Public Services (Rescission of Provisions Regarding Temporary and Officiating Appointments) Rules, 1991.

(b) They shall come into force at once.[1]

2. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution or executive orders issued in this behalf.

3. Definitions.—In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context—

(a) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh.

(b) "Constitution" means the Constitution of India.

4. Rescission.—The provisions regarding appointments in temporary and officiating capacity, if any, contained in rules relating to public services made by the Governor in exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution prior to commencement of these rules are hereby rescinded.

17

THE UTTAR PRADESH REGULARISATION OF AD HOC PROMOTION (ON POSTS WITHIN THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) RULES, 1988

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Regularisation of *Ad hoc* Promotion (on posts within the purview of the Public Service Commission) Rules, 1988.

(2) They shall come into force at once.[2]

(3) They shall apply to posts under the rule-making power of the Governor except the posts which are not within the purview of the Public Service Commission.

2. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

3. Definitions.—Unless there is anything repugnant in the subject or context—

(1) "Appointing Authority" in relation to any post means the authority empowered to make appointments to such post ;

(2) "Available vacancy" means a vacancy for which no candidate has been recommended by the Commission before the date of notification of these rules ;

---

1. w.e.f. 8.11.1991.
2. w.e.f. 3.11.1988.

(3) ''Commission'' means the Uttar Pradesh Public Service Commission ;

(4) ''Governor'' means the Governor of Uttar Pradesh.

4. Regularisation of *ad hoc* promotions.—(1) Any person who—

(i) was appointed by promotion on *ad hoc* basis before January 1, 1985 and is continuing in service either on the post on which he was so promoted or on an equivalent or higher post on the date of the commencement of these rules ;

(ii) was eligible for regular promotion on the date of *ad hoc* promotion ; and

(iii) has completed or, as the case may be, after he has completed three years service on the post or posts referred to in clause (1),

shall be considered for regular appointment by promotion in permanent or temporary vacancy, as may be available, on the basis of record and suitability before any regular appointment by promotion is made in such vacancy in accordance with the relevant service rules or orders.

(2) In making regular appointment under these rules, reservation for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be made in accordance with the orders of the Government in force at the time of consideration under sub-rule (1).

(3) For the purpose or the sub-rule (1), the appointing authority shall constitute a Selection Committee :

Provided that where constitution of Selection Committee is provided for in any rules or orders, relating to the relevant post or service the constitution of the committee for the purposes of these rules shall, as far as possible, as provided in such rules or orders but nothing herein contained shall be construed to mean inclusion of the representative of the Commission in such Committee.

(4) The appointing authority shall, having regard to the provisions of sub-rule (1) prepare an eligibility list of the candidates, arranged in order of seniority on the post from which promotion was made, and place it before the Selection Committee along with the character rolls including the confidential entries given after *ad hoc* promotion, and such other record as may be considered necessary to assess their suitability.

(5) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of their records, referred to in sub-rule (4).

(6) The Selection Committee shall prepare a select list of candidates, arranged in the same order of seniority as is referred to in sub-rule (4) and forward it to the appointing authority.

(7) Where in respect of any person, who is eligible for being considered for regularisation under these rules a formal departmental enquiry is pending or there is an order of the court on account of which or for any other reason it is not possible to make regular appointment by promotion of such a person, Selection Committee shall place its recommendation in a sealed cover and shall mention this fact against the name of the concerned person in the list prepared under sub-rule (5).

5. Appointment.—The appointing authority shall, subject to the provisions of sub-rules (2) and (7) of rule 4 make appointments from the list prepared under sub-rule (6) of the said rule in the order in which the names stand in the lists :

Provided that in the case covered by the provisions of sub-rule (7) of rule 4, action shall be taken by the appointing authority in accordance with the orders of the Government.

6. Appointments be deemed to be under the relevant service rules etc.—Appointments made under these rules shall be deemed to be appointment under the relevant service rules or orders, if any.

7. Seniority.—A person appointed under these rules, shall be entitled to seniority in accordance with the relevant service rules or orders, regulating condition of service of persons regularly appointed in the service or on the post, and for this purpose selection under these rules shall be deemed to be selection under the said service rules or orders.

8. Reversion.—Where a person, promoted on *ad hoc* basis, is not found suitable or whose case is not covered by sub-rule (i) of rule 4 of these rules, he shall, at once, be reverted to the substantive post from which *ad hoc* promotion was made and on such reversion he shall not be entitled to compensation.

Explanation.—Where a person has been given more than one *ad hoc* promotions, he shall be reverted to the substantive post from which first of such *ad hoc* promotions was made.

18

THE UTTAR PRADESH REGULARISATION OF *AD HOC* PROMOTIONS (ON POSTS WITHIN THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2001

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Regularisation of *Ad hoc* Promotions (on posts within the purview of the Public Service Commission) Rules, 1988.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Regularisation of *Ad hoc* Promotions (On Posts Within the Purview of the Public Service Commission) (First Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Amendment of rule 4.—In the Uttar Pradesh Regularisation of *Ad hoc* Promotions (on posts within the purview of the Public Service Commission) Rules, 1988 in rule 4 for existing sub-rule (1) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :

1. w.e.f. 20.12.2001.

Column 1	Column 2
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(1) Any person who—	(1) Any person who—
(i) was appointed by promotion on *ad hoc* basis before January 1, 1985 and is continuing in service either on the post on which he was so promoted or on an equivalent or higher post on the date of the commencement of these rules ;	*(i)* was appointed by promotion on *ad hoc* basis on or before June 30, 1998 and is continuing in service either on the post on which he was so promoted or on an equivalent or higher post on the date of the commencement of the Uttar Pradesh Regularisation of *Ad hoc* Promotions (on posts within the purview of the Public Service Commission) (First Amendment) Rules, 2001 ;
(ii) was eligible for regular promotion on the date of *ad hoc* promotion ; and	*(ii)* was eligible for regular promotion on the date of *ad hoc* promotion ; and
(iii) has completed or, as the case may be, after he has completed three years service on the post or posts referred to in clause (1), shall be considered for regular appointment by promotion in permanent or temporary vacancy as may be available on the basis of record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the relevant service rules or orders.	*(iii)* has completed of, as the case may be, after he has completed three years service on the post or posts referred to in clause (1) ; shall be considered for regular appointment by promotion in permanent or temporary vacancy as may be available on the basis of record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the relevant service rules or orders.

19

THE UTTAR PRADESH REGULARISATION OF *AD HOC* PROMOTIONS (ON POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) RULES, 1988

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Regularisation of *Ad hoc* Promotions (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Rules, 1988.

(2) They shall come into force at once.[1]

(3) They shall apply to posts under the rule-making power of the Governor except the posts which are within the purview of the Public Service Commission.

2. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

3. Definitions.—Unless there is anything repugnant in the subject or context—

(i) "Appointing Authority" in relation to any post means the authority empowered to make appointments to such post ;

(ii) "Available vacancy" means a vacancy for which no candidate has been recommended in accordance with the service rules or orders relating to regular appointment before the date of notification of these rules ;

(iii) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission ;

(iv) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh.

4. Regularisation of *ad hoc* promotions.—(1) Any person who—

(i) was appointed by promotion on *ad hoc* basis before January 1, 1985 and is continuing in service either on the post on which he was so promoted or on an equivalent or higher post on the date of the commencement of these rules ;

(ii) was eligible for regular promotion on the date of *ad hoc* promotion ; and

(iii) has completed or, as the case may be, after he has completed three years service on the post or posts referred to in clause (i), shall be considered for regular appointment by promotion in permanent or temporary vacancy as may be available on the basis of record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the relevant service rules or orders.

(2) In making regular appointment under these rules, reservation for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be made in accordance with the orders of the Government in force at the time of consideration under sub-rule (1).

(3) For the purpose of the sub-rule (1), the appointing authority shall constitute a Selection Committee :

Provided that where constitution of Selection Committee is provided for in any rules or orders, relating to the relevant post or service, the constitution of the committee for the purpose of these rules shall, as far as possible, be as provided in such rules or orders.

(4) The appointing authority shall, having regard to the provisions of sub-rule (1), prepare an eligibility list of the candidates, arranged in order of seniority on the post from which promotion was made, and place it before the Selection Committee alongwith the character rolls, including the confidential entries after *ad hoc* promotion, and such other records as may be considered necessary to assess their suitability.

(5) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of

---

1. w.e.f. 3.11.1988.

their records, referred to in sub-rule (4).

(6) The Selection Committee shall prepare a select list of candidates, arranged in the same order of seniority as is referred to in sub-rule (4) and forward it to the appointing authority.

(7) Where in respect of any person, who is eligible for being considered for regularisation under these rules, a formal departmental enquiry is pending or there is an order of the court on account of which or for any other reason it is not possible to make regular appointment by promotion of such a person, selection committee shall place its recommendation in a sealed cover and shall mention this fact against the names of the concerned person in the list prepared under sub-rule (6).

5. Appointments.—The appointing authority shall, subject to the provisions of sub-rules (2) and (7) of rule 4 make appointments from the list prepared under sub-rule (6) of the said rule in the order in which the names appear in the list :

Provided that in the case covered by the provision of sub-rule (7) of rule 4, action shall be taken by the appointing authority in accordance with the orders of the Government.

6. Appointments be deemed to be under the relevant service rules etc.—Appointments made under these rules shall be deemed to be appointment under the relevant service rules or orders, if any.

7. Seniority.—A person appointed under these rules shall be entitled to seniority in accordance with the relevant service rules or orders, regulating conditions of service of person regularly appointed in the service or on the post, and for this purpose selection under these rules shall be deemed to be selection under the said service rules or orders.

8. Reversion.—Where a person promoted on *ad hoc* basis, is not found suitable or whose case is not covered by sub-rule (1) of rule 4 of these rules, he shall, at once, be reverted to the substantive post from which *ad hoc* promotion was made and on such reversion he shall not be entitled to compensation.

Explanation.—Where a person has been given more than one *ad hoc* promotions, he shall be reverted to the substantive post from which first of such *ad hoc* promotion was made.

20

THE UTTAR PRADESH REGULARISATION OF AD HOC PROMOTIONS (ON POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2001

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Regularisation of the *Ad hoc* Promotions (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Rules, 1988.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Regularisation of *Ad hoc* Promotions (on posts outside the purview of the Public Service Commission) (First Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Amendment of rule 4.—In the Uttar Pradesh Regularisation of *Ad hoc* Promotions (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Rules, 1988 in rule 4 *for* existing sub-rule (1) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :

Column 1	**Column 2**
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(1) Any person who—	(1) Any person who—
(i) was appointed by promotion on *ad hoc* basis before January 1, 1985 and is continuing in service either on the post on which he was so promoted or on an equivalent or higher post on the date of the commencement of these rules ;	*(i)* was appointed by promotion on *ad hoc* basis on or before June 30, 1998 and is continuing in service either on the post on which he was so promoted or on an equivalent or higher post on the date of the commencement of the Uttar Pradesh regularisation of *ad hoc* promotions (on posts outside the purview of the Public Service Commission) (First Amendment) Rules, 2001 ;
(ii) was eligible for regular promotion on the date of *ad hoc* promotion ; and	*(ii)* was eligible for regular promotion on the date of *ad hoc* promotion ; and
(iii) has completed or, as the case may be, after he has completed three years service on the post or posts referred to in clause (1), shall be considered for regular appointment by promotion in permanent or temporary vacancy as may be available on the basis of record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the relevant service rules or orders.	*(iii)* has completed of, as the case may be, after he has completed three years service on the post or posts referred to in clause (1) shall be considered for regular appointment by promotion in permanent or temporary vacancy as may be available on the basis of record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the relevant service rules or orders.

1. w.e.f. 20.12.2001.

21

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE OFFICES MINISTERIAL GROUP 'C' POSTS OF THE LOWEST GRADE (RECRUITMENT BY PROMOTION) RULES, 2001

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment by promotion to ministerial Group 'C' posts of the lowest grade from amongst Group 'D' employees in the subordinate offices of the Government.

PART—I

GENERAL

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Subordinate Offices Ministerial Group 'C' Posts of the Lowest Grade (Recruitment by Promotion) Rules, 2001.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Application of these rules.—(1) These rules shall govern recruitment by promotion to the ministerial Group 'C' posts of the lowest grade (which are outside the purview of the Public Service Commission, Uttar Pradesh) from amongst Group 'D' employees in all subordinate offices under the control of the Government excluding the Uttar Pradesh Secretariat, of the offices of the State Legislature, Lok Ayukt Uttar Pradesh, Public Service Commission Uttar Pradesh, High Court, the Subordinate Courts under the control and superintendence of the High Court, the Advocate General, Uttar Pradesh and of the establishments under the control of the Advocate General, Uttar Pradesh.

(2) Recruitment by promotion against all the vacancies of ministerial Group 'C' posts of the lowest grade to which these rules apply shall be made in accordance with the provisions of these rules.

3. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

4. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'appointing authority' in relation to a ministerial Group 'C' post of the lowest grade in a subordinate office means the authority empowered under the relevant rules or orders to make appointment on that post ;

(b) 'Constitution' means the Constitution of India ;

(c) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh ;

(d) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh ;

---

1. w.e.f. 22.12.2001.

(e) 'High Court' means the High Court of Judicature at Allahabad, including its Bench at Lucknow ;

(f) 'Ministerial Group 'C' Posts of the Lowest Grade' shall refer to the Ministerial group 'C' posts of the lowest scale of pay, excluding the posts belonging to the Stenographer cadre, Accounts cadre or the posts of technical nature in the subordinate offices which are filled both by direct recruitment and by promotion and which are outside the purview of the Public Service Commission, Uttar Pradesh ;

(g) 'Subordinate Offices' shall refer to all the offices under the control of the Government excluding the Uttar Pradesh Secretariat, of the offices of the State Legislature, Lok Ayukt Uttar Pradesh, Public Service Commission Uttar Pradesh, High Court, the Subordinate Courts under the Control and Superintendence of the High Court, the Advocate General, Uttar Pradesh and of the establishment under the control of the Advocate General, Uttar Pradesh ;

(h) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of calendar year.

PART—II
RECRUITMENT

5. Source of recruitment.—Recruitment to twenty per cent of the vacancies of the ministerial group 'C' posts of the lowest grade in a subordinate office shall be made by promotion through the Selection Committee from the following sources :

(1) Fifteen per cent from amongst such substantively appointed group 'D' employees who have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto and who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(2) Five per cent from amongst such substantively appointed Group 'D' employees who have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto and who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

6. Reservation.—Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART—III
PROCEDURE FOR RECRUITMENT

7. Determination of vacancies.—The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes and

Scheduled Tribes under rule 6.

8. Procedure for recruitment by promotion.—(1) For the purpose of recruitment by promotion, there shall be constituted a Selection Committee in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for posts outside the purview of the Public Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

Note.—Nomination of Officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.

(2) Recruitment by promotion shall be made on the basis of merit as disclosed by marks obtained in the test for selection through the Selection Committee constituted under sub-rule (1). The test for selection shall include a simple written test, interview and evaluation of character roll. The maximum marks to be assigned for written test, interview and evaluation of character roll shall be as given below :

(a)	Written Test	-	Thirty marks
(b)	Interview	-	Ten marks
(c)	Evaluation of character roll	-	Ten Marks
		Total	Fifty marks

Note 1.—The written test shall include a single question paper. The question paper shall contain two questions. Each question shall carry fifteen marks. One question shall be on

Hindi Essay writing on a simple topic and the other shall be on General knowledge.

Note 2.—Where recruitment by promotion is being made for the post of Typist or a post for which Hindi Typewriting is essential, there shall be conducted a qualifying test of Hindi Typewriting also, as prescribed by the Government from time to time. To qualify this test a candidate must have a minimum speed of twenty-five words per minute in Hindi Typewriting.

(3) The Selection Committee shall conduct the test of eligible candidates under sub-rule (2). After the marks obtained by the candidates in the said test have been tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with rule 6, prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by marks obtained by them in the said test and recommend such number of candidates as, on the basis of the result of the said test have come up to the standard fixed by the Selection Committee in this respect. If two or more candidates obtain equal marks the candidate obtaining higher marks in the written test shall be placed higher in the list. In case two or more candidates obtain equal marks in the written test also, the candidate senior in age shall be placed higher in the select list. The Selection

Committee shall forward the list to the appointing authority.

PART—IV

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

9. Appointment.—(1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 8.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

10. Probation.—(1) Except where otherwise provided in the rules applicable to any particular service or post, a person on substantive appointment to a post in the Subordinate office shall be placed on probation for a period of one year.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities he may be reverted to his substantive post.

(4) A probationer who is reverted under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

11. Confirmation.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if—

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory, and

(b) his integrity is certified.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

12. Seniority.—The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the cadre shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended form time to time.

PART—V
PAY ETC.

13. Scale of pay.—(1) The scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of ministerial group 'C' posts of the lower grade in the subordinate offices shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is Rs. 3050-75-3950-80-4590.

14. Pay during probation.—(1) Notwithstanding any provision in the fundamental rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and the second increment after he is confirmed.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART—VI
OTHER PROVISIONS

15. Canvassing.—(1) No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

16. Regulation of other matters.—In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to posts in subordinate offices shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

17. Relaxation from the conditions of service.—Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to posts in subordinate offices causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

18. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

अध्याय 9

निलम्बन

(Suspension)

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को निम्नलिखित परिस्थितियों में निलम्बित किया जा सकता है :—

(1) जब उस सेवक के ऐसे आचरण के विरुद्ध कोई जांच अनुध्यात हो, जिसके सिद्ध हो जाने की दशा में, सामान्यतः, महादण्ड का समुचित आधार हो सकता हो।

अथवा

(2) जब उस सेवक के ऐसे आचरण के विरुद्ध किसी अनुशासनिक जांच की कार्यवाही चल रही हो, जिसके सिद्ध हो जाने की दशा में, सामान्यतः, महादण्ड का समुचित आधार हो सकता हो।

अथवा

(3) जब उस सेवक के विरुद्ध या सम्बन्ध में किसी आपराधिक आरोप से सम्बन्धित कोई अन्वेषण या जांच या विचारण लम्बित हो तथा वह आपराधिक आरोप सरकारी सेवक के रूप में उसकी प्रास्थिति से सम्बन्धित हो अथवा उससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने में संकट उत्पन्न होने की सम्भावना हो अथवा जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हो।

उपर्युक्त निलम्बन के आदेश का प्ररूप विहित है। उसी प्ररूप में निलम्बन आदेश किया जाना चाहिए। "निलम्बन-आदेश" निर्गत होने की तिथि से उपर्युक्त निलम्बन प्रभावी होता है।

परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में सम्बन्धित सरकारी सेवक को निलम्बित हुआ मान लिया जाता है :—

(1) जब सरकारी सेवक को 48 घण्टे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो तो उसके निरोध के दिनांक से उसे निलम्बित माना जायेगा।

(2) जब सरकारी सेवक को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक आरोप के लिए दोषी पाने के उपरान्त 48 घण्टे से अधिक अवधि के कारावास की सजा दी गयी हो तो उसके दोषी ठहराये जाने की तिथि से उसे निलम्बित हुआ माना जायेगा।

(3) जहाँ किसी सरकारी सेवक की पदच्युति या सेवा से हटाने के दण्डादेश को अपील या पुनर्विलोकन में, अथवा न्यायालय द्वारा, निरस्त करके मामले की अग्रेतर जांच करने का आदेश किया गया हो तथा दण्डादेश के ठीक पूर्व वह सेवक निलम्बित रहा हो तो उपर्युक्त दण्डादेश के दिनांक से वह सेवक निलम्बित हुआ माना जायेगा।

संगत नियमावली में कानूनी उपबन्ध द्वारा निलम्बित माने जाने के बारे में उपधारणा की गयी है जिसके प्रभाववश उपर्युक्त परिस्थितियों में सम्बन्धित सरकारी सेवक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से, निलम्बित हुआ मान लिया जाता है, भले ही वास्तव में कोई आदेश निर्गत न किया गया हो। सक्षम प्राधिकारी को जैसे ही उपर्युक्त में से किसी तथ्य एवं परिस्थिति की जानकारी हो वैसे ही उन्हें सुसंगत प्रावधान का अवलम्ब लेकर पूर्वगामी तिथि से उस सेवक के निलम्बन का आदेश निर्गत कर देना चाहिए जिससे कि सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में तत्सम्बन्धी परिणामी कार्रवाई सुगमता से की जा

जब किसी सरकारी सेवक को निलम्बित किया जाता है या निलम्बित हुआ माना जाता है तो उसका निलम्बन तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी उसके निलम्बन को समाप्त करने का आदेश न कर देवें। जब किसी सरकारी सेवक को अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो तो उस अभिरक्षा से मुक्त होने के उपरान्त उसे निरोध के बारे में लिखित सूचना सक्षम प्राधिकारी को दे देनी चाहिए। यदि वह चाहे तो अभिरक्षा के कारण हुए निलम्बन को समाप्त करने के लिए अभ्यावेदन भी दे सकता है। ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा संगत नियमों के उपबन्धों के आलोक में विचार करके निलम्बन को जारी रखने अथवा उसे समाप्त करने का विनिश्चय करके यथोचित आदेश करेंगे।

निलम्बित सरकारी सेवक से कोई सरकारी कार्य नहीं लिया जा सकता है एवं निलम्बन की अवधि में उसे सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता मिलता है, पूर्ण वेतन नहीं मिलता है। निलम्बित सरकारी सेवक को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। निलम्बन के दौरान सम्बन्धित सरकारी सेवक "सेवा" में बना रहता है तथा उसका धारणाधिकार, यदि कोई हो, भी बना रहता है।

जब अनुशासनिक जांच, अथवा आपराधिक मामले, में निर्णय हो जाता है तब सक्षम प्राधिकारी को यह विनिश्चय करना होता है कि उपर्युक्त कार्यवाही के दौरान किया गया निलम्बन औचित्यपूर्ण था या नहीं? इसका विनिश्चिय करके निलम्बन अवधि के अवशेष वेतन एवं भत्तों के भुगतान तथा निलम्बन की अवधि को "ड्यूटी अवधि" माने जाने या न माने जाने के बारे में विनिश्चय करके यथोचित आदेश करना होता है।

1

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANT (DISCIPLINE AND APPEAL) RULES, 1999

EXTRACT OF RULE 4

4. Suspension.—(1) A Government servant against whose conduct an inquiry is contemplated, or is proceeding, may be placed under suspension pending the conclusion of the inquiry in the discretion of the Appointing Authority :

Provided that suspension should not be resorted to unless the allegations against the Government Servant are so serious that in the event of their being established may ordinarily warrant major penalty :

Provided further that concerned Head of the Department empowered by the Governor by an order in this behalf may place a Government Servant or class of Government Servants belonging to Group 'A' and 'B' posts under suspension under this rule :

Provided also that in the case of any Government Servant or class of Government Servants belonging to Group 'C' and 'D' posts, the Appointing Authority may delegate its power under this rule to the next lower authority.

(2) A Government Servant in respect of, or against whom an investigation, inquiry or trial relating to a criminal charge, which is connected with his position as a Government Servant or which is likely to embarrass him in the discharge of his duties or which involves moral turpitude, is pending, may, at the discretion of the Appointing Authority or the Authority to whom the power of suspension has been delegated under

these rules, be placed under suspension until the termination of all proceedings relating to that charge.

(3)*(a)* A Government Servant shall be deemed to have been placed or, as the case may be, continued to be placed under suspension by an order of the Authority competent to suspend, with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether the detention is on criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours.

(b) The aforesaid Government Servant shall, after the release from the custody, inform in writing to the competent Authority about his detention and may also make representation against the deemed suspension. The competent Authority shall, after considering the representation in the light of the facts and circumstances of the case as well as the provisions contained in this rule, pass appropriate order continuing the deemed suspension from the date of release from custody or revoking or modifying it.

(4) Government Servant shall be deemed to have been placed or, as the case may be, continued to be placed under suspension by an order of the Authority competent to suspend under these rules, with effect from the date of his conviction if in the event of a conviction for an offence he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed consequent to such conviction.

Explanation :

A period of forty-eight hours referred to in sub-rule 11 be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment shall be taken to account.

(5) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon a Government Servant is set aside in appeal or on review under these rules or under rules rescinded by these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions :

(a) if he was under suspension immediately before the penalty was awarded to him, the order of his suspension shall, subject to any such directions as aforesaid, be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal ;

(b) if he was not under suspension, he shall, if so directed by the Appellate or Reviewing Authority, be deemed to have been placed under suspension by an order of the Appointing Authority on and from the date of the original order of dismissal or removal :

Provided that nothing in this sub-rule shall be construed as affecting the power of the Disciplinary Authority in a case where a penalty of dismissal or removal in service imposed upon a Government Servant is set aside in appeal or on review under these rules grounds other than the merits of the allegations which, the said penalty was imposed but the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions to pass an order of suspension being further inquiry against him on those allegations so, however, that any such suspension shall not have retrospective effect.

(6) Where penalty of dismissal or removal from service imposed upon a

Government Servant is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the Appointing Authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal or removal was originally imposed, whether the allegations remain in their original form or are clarified or their particulars better specified or any part thereof of a minor nature *omitted* :

(a) if he was under suspension immediately before the penalty was awarded to him, the order of his suspension shall, subject to any direction of the Appointing Authority, be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal.

(b) if he was not under such suspension, he shall, if so directed by the Appointing Authority, be deemed to have been placed under suspension by an order of the Competent Authority on and from the date of the original order of dismissal or removal.

(7) Where a Government Servant is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the Authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the Government Servant shall continue to be under suspension till the termination of all or any of such proceedings.

(8) Any suspension ordered or deemed to have been ordered or to have continued in force under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the competent Authority.

(9) A Government Servant placed under suspension or deemed to have been placed under suspension under this rule shall be entitled to subsistence allowance in accordance with the provisions of Fundamental Rule 53 of the Financial Hand Book, Volume-II, Part II to IV.

2

THE UTTAR PRADESH FUNDAMENTAL RULES, 1942 (F.H.B., VOLUME II, PART 2 TO 4)

EXTRACTS OF RULES 53, 54, 54-A, 54-B & 55

53.—(1) A government servant under suspension or deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority shall be entitled to the following payments, namely :

(a) a subsistence allowance at an amount equal to the leave salary which the government servant would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary :

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the authority which made or is deemed to have made the order of suspension

shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows :

(i) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding 50 per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the government servant ;

(ii) the amount of subsistence allowance may be reduced by a suitable amount not exceeding 50 per cent of the subsistence allowance admissible during the period of the first three months, if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Government servant ;

(iii) the rate of dearness allowance will be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under sub-clauses (i) and (ii) above.

(b) Any other compensatory allowance admissible from time to time on the basis of pay of which the Government servant was in receipt on the date of suspension :

Provided that the government servant shall not be entitled to the compensatory allowances unless the said authority is satisfied that the government servant continues to meet the expenditure for which they are granted.

(2) No payment under sub-rule (1) shall be made unless the Government servant furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation :

Provided that in the case of a Government servant dismissed or removed from service, who is deemed to have been placed or to continue to be under suspension from the date of such dismissal or removal and who fails to produce such a certificate for any period or periods during which he is deemed to be placed or to continue to be under suspension, he shall be entitled to the subsistence allowance and other allowances equal to the amount by which his earnings during such period or periods, as the case may be, fall short of the amount of subsistence allowance and other allowances that would otherwise be admissible to him ; where the subsistence and other allowances admissible to him are equal to or less than the amount earned by him, nothing in this proviso shall apply to him.

(This amendment shall be deemed to have come into force with effect from December 26, 1981).

Orders of the Governor regarding rule 53

1. The suspending authority may appoint a substitute in place of a government servant under suspension, provided that the period of suspension does not exceed six months. The word 'substitute' here means the substitute appointed in the

resultant vacancy or at the bottom in the chain of arrangements.

2. Departments of the government are authorised to appoint a substitute in place of a government servant under suspension for more than six months.

3. The Board of Revenue is authorised to appoint a substitute in place of a government servant under suspension for more than six months under intimation to Government every three months.

4. Commissioners of Divisions are authorised to appoint a substitute in place of government servant under suspension for more than six months under intimation to the Board of Revenue every three months.

Note.—The authority sanctioning such employment shall draw the special attention of the Accountant General to the sanction.

(Effective with effect from July 13, 1974).

54.—(1) When a Government servant who has been dismissed, removed or compulsorily retired is reinstated as a result of appeal or review or would have been so reinstated but for his retirement on superannuation while under suspension or not, the authority competent to order reinstatement shall consider and make a specific order—

(a) regarding the pay and allowances to be paid to the Government servant for the period of his absence from duty including the period of suspension preceding his dismissal, removal, or compulsory retirement, as the case may be ; and

(b) Whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty.

(2) Where the authority competent to order reinstatement is of opinion that the Government servant who had been dismissed, removed or compulsorily retired, has been fully exonerated the Government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (6), be paid the full pay and allowances to which he would have been entitled, had he not been dismissed, removed or compulsorily retired or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be :

Provided that where such authority is of opinion that the termination of the proceedings instituted against the Government servant had been delayed due to reasons directly attributable to the Government servant, it may, after giving him an opportunity to make his representation within sixty days from the date on which the communication in this regard is served on him and after considering the representation, if any, submitted by him, direct, for reasons to be recorded in writing, that the Government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (7), be paid for the period of such delay, only such amount (not being the whole) of such pay and allowances as it may determine.

(3) In a case falling under sub-rule (2), the period of absence from duty including the period of suspension preceding dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, shall be treated as a period spent on duty for all purposes.

(4) In case other than those covered by sub-rule (2) [including cases where the order of dismissal, removal or compulsory retirement from service is set aside by the appellate or reviewing authority solely on the ground of non-compliance with the requirements of clause (1) or clause (2) of article 311 of the Constitution and no further inquiry is proposed to be held], the Government servant shall, subject to the provisions

of sub-rule (6) and (7), be paid such amount (not being the whole) of the pay and allowances to which he would have been entitled had he not been dismissed, removed or compulsorily retired or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, as the competent authority may determine, after giving notice to the Government servant of the quantum proposed and after considering the representation, if any, submitted by him in that connection, within such period (which in no case shall exceed sixty days from the date on which the notice has been served) as may be specified in the notice.

(5) In a case falling under sub-rule (4), the period of absence from duty including the period of suspension preceding his dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, shall not be treated as a period spent on duty, unless the competent authority specifically directs that it shall be so treated for any specified purpose :

Provided that if the Government servant so desires such authority may direct that the period of absence from duty including the period of suspension preceding his dismissal, removal or compulsory retirement as the case may be, shall be converted into leave of any kind due and admissible to the Government servant.

Note.—The order of the competent authority under the preceding proviso shall be absolute and no higher sanction shall be necessary for the grant of—

(a) extraordinary leave in excess of three months in the case of temporary Government servant ; and

(b) leave of any kind in excess of five years in the case of permanent Government servant.

(6) The payment of allowances under sub-rule (2) of sub-rule (4) shall be subject to all other conditions under which such allowances are admissible.

(7) The amount determined under the proviso to sub-rule (2) or under sub-rule (4), shall not be less than the subsistence allowance and other allowances admissible under rule 53.

(8) Any payment made under this rule to a Government servant on his reinstatement shall be subject to adjustment of the amount, if any, earned by him through an employment during the period between the date of his removal, dismissal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of reinstatement. Where the emoluments admissible under this rule are equal to or less than the amounts earned during the employment elsewhere, nothing shall be paid to the Government servant.

Note.—Where the Government servant does not report for duty within reasonable time after the issue of the orders of reinstatement after dismissal, removal or compulsory retirement, no pay and allowances will be paid to him for such period till he actually takes over charge.

54-A.—(1) Where the dismissal, removal or compulsory retirement of a Government servant is set aside by a court of law and such Government servant is reinstated without holding any further inquiry, the period of absence from duty shall be regularised and the Government servant shall be paid pay and allowances in accordance with the provisions of sub-rule (2) or (3) subject to the directions, if any, of

the court.

(2)*(i)* Where the dismissal, removal or compulsory retirement of a Government servant is set aside by the court solely on the ground of non-compliance with the requirements of clause (1) or clause (2) of article 311 of the Constitution, and where he is not exonerated on merits, and no further inquiry is proposed to be held, the Government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (7) of rule 54, be paid such amount (not being the whole) of the pay and allowances to which he would have been entitled had he not been dismissed, removed or compulsorily retired or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, as the competent authority may determine, after giving notice to the Government servant of the quantum proposed and after considering the representation, if any, submitted by him in that connection within such period (which in no case shall exceed sixty days from the date on which the notice has been served) as may be specified in the notice :

(ii) The period intervening between the date of dismissal, removal or compulsory retirement including the period of suspension preceding dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of judgment of the court shall be regularised in accordance with the provisions contained in sub-rule (5) of rule 54.

(3) If the dismissal, removal or compulsory retirement of a Government servant is set aside by the court on the merits of the case, the period intervening between the date of dismissal, removal or compulsory retirement including the period of suspension preceding such dismissal, removal, or compulsory retirement, as the case may be, and the date of reinstatement shall be treated as duty for all purposes and he shall be paid the full pay and allowances for the period, to which he would have been entitled, had he not been dismissed, removed or compulsorily retired or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be.

(4) The payment of allowances under sub-rule (2) or sub-rule (3) shall be subject to all other conditions under which such allowances are admissible.

(5) Any payment made under this rule to a Government servant on his reinstatement shall be subject to adjustment of the amount, if any, earned by him through an employment during the period between the date of dismissal, removal or compulsory retirement and the date of reinstatement. Where the emoluments admissible under this rule are equal to or less than those earned during the employment elsewhere, nothing shall be paid to the Government servant.

Note.—Where the Government servant does not report for duty within reasonable time after the issue of the orders of reinstatement after the dismissal, removal or compulsory retirement, no pay and allowances will be paid to him for such period till he actually takes over charge.

54-B.—(1) When a Government servant who has been suspended is reinstated or would have been so reinstated but for his retirement on superannuation while under suspension, the authority competent to order reinstatement shall consider and make a specific order.

(a) regarding the pay and allowances to be paid to the Government servant for the period of suspension ending with reinstatement or the date of his retirement on superannuation, as the case may be ; and

(b) whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty.

(2) Notwithstanding anything contained in rule 53, where a Government servant under suspension dies before the disciplinary or court proceedings instituted against him are concluded, the period between the date of suspension and the date of death shall be treated as duty for all purposes and his family shall be paid the full pay and allowances for that period to which he would have been entitled had he not been suspended, subject to adjustment in respect of subsistence allowance already paid.

(3) Where the authority competent to order reinstatement is of the opinion that the suspension was wholly unjustified, the Government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (8), to be paid the full pay and allowances to which he would have been entitled, had he not been suspended :

Provided that where such authority is of the opinion that the termination of the proceedings instituted against the Government servant had been delayed due to reasons directly attributable to the Government servant, it may, after giving him an opportunity to make his representation within sixty days from the date on which the communication in this regard is served on him and after considering the representation, if any, submitted by him, direct, for reasons to be recorded in writing that the Government servant shall be paid for the period of such delay only such amount (not being the whole) of such pay and allowances as it may determine.

(4) In a case falling under sub-rule (3) the period of suspension shall be treated as a period spent on duty for all purposes.

(5) In cases other than those falling under sub-rules (2) and (3), the Government servant shall subject to the provisions of sub-rules (8) and (9), be paid such amount (not being the whole) of the pay and allowances to which he would have been entitled had he not been suspended, as the competent authority may determine, after giving notice to the Government servant of the quantum proposed and after considering the representation, if any, submitted by him in that connection within such period (which in no case shall exceed sixty days from the date on which the notice has been served) as may be specified in the notice.

(6) Where suspension is revoked pending finalisation of the disciplinary or court proceedings, any order passed under sub-rule (1) before the conclusion of the proceedings against the Government servant, shall be reviewed on its own motion after the conclusion of the proceedings by the authority mentioned in sub-rule (1), who shall make an order according to the provisions of sub-rule (3) or sub-rule (5), as the case may be.

(7) In a case falling under sub-rule (5) the period of suspension shall not be treated as a period spent on duty unless the competent authority specifically directs that it shall be so treated for any specified purpose :

Provided that if the Government servant desires, such authority may order that the period of suspension shall be converted into leave of any kind due and admissible to the Government servant.

Note.—The order of the competent authority under the preceding proviso shall be absolute and no higher sanction shall be necessary for the grant of—

(a) Extraordinary leave in excess of three months in the case of temporary Government servant ; and

(b) Leave of any kind in excess of five years in the case of permanent Government servant.

(8) The payment of allowances under sub-rule (2), sub-rule (3) or sub-rule (5) shall be subject to all other conditions under which such allowances are admissible.

(9) The amount determined under the proviso to sub-rule (3) or under sub-rule (5) shall not be less than the subsistence allowance and other allowances admissible under rule 53.

(10) Any payment made under this rule to Government servant on his reinstatement shall be subject to adjustment of the amount, if any, earned by him through an employment during the period between the date of suspension and the date of reinstatement or the date of retirement on superannuation while under suspension. Where the emoluments admissible under this rule are equal to or less than those earned during the employment elsewhere, nothing shall be paid to the Government servant.

Note.—Where the Government servant does not report for duty within reasonable time after the issue of the order of reinstatement after suspension, on pay and allowances will be paid to him for such period till he actually takes over charge.

Orders of the Governor regarding rule 54

1. This rule permits a revising or an appellate authority to convert a period spent under suspension into one of leave.

2. In a case where a government servant is punished by an original authority but the order is reversed in appeal, the following procedure should be observed :

(a) If the appellate authority finds the original order entirely wrong, the appellant should be reinstated with effect from the date of the original order and should not be deprived of a part or the whole of his emoluments during the interval between the dates of the original and the appellate orders, as it is an accepted principle that no government servant may suffer as the result of a mistake not committed by himself. If some other government servant has received promotion during the same period, the demand for recovery of the additional pay drawn by him should be waived with the sanction of the Government. The revision or appellate authority can, however, write-off such additional expenditure up to a limit of Rs. 500 in each case provided that the period of employment of the substitute does not exceed six months.

(b) If the appellate authority finds the appellant to be blameworthy but the order passed to be too severe, it may, if it so desires, order restoration from the date of the appellate order. In such a case the demand for recovery of the additional pay drawn by some other government servant during the period in question will not arise.

3. The above procedure does not apply to cases where an ordinary order of promotion has been reversed as a result of an appeal preferred by a superseded government servant. An order of punishment set aside in appeal differs from an

order of promotion reversed in appeal in one important respect. In the former case the government servant punished as previously held the post in which he has been reinstated as a result of his appeal and the period of suspension or dismissal is treated as a period spent on duty. In the latter case the government servant promoted to a post in consequence of the reversion of orders has not previously held that post and can, therefore, draw the pay, attached to it only from the date when he takes over that post, and accordingly the orders of the appellate authority can take effect only from the date on which they are passed. No question of recovery or write-off of the promotion pay drawn by the government servant wrongly promoted will arise.

4. Orders contained in paragraph 3 above cannot be applied to grade promotions in the same cadre, which are given with retrospective effect from the date of the vacancy while the duties and the posting of the government servants concerned remain unchanged. In such cases when an appellate authority for good reason, decides to grant grade promotion to the appellant not from the date of his order but from the date of the occurrence of the vacancy and when the promotion does not involve assumption of different duties and responsibilities, the additional pay drawn by the government servant originally promoted need not be recovered but should be written-off with the sanction of the Government.

55.—Leave may not be granted to a government servant under suspension.

3

THE UTTAR PRADESH FUNDAMENTAL (FIRST AMENDMENT) RULES, 1981

In exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Fundamental Rules contained in the Financial Handbook Volume II, Part II.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Fundamental (First Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.[1]

2. Amendment of Fundamental Rule 53.—In the Uttar Pradesh Fundamental Rules contained in the Financial Handbook Volume II, Part II, *for* the rule set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted* :

Column 1	Column 2
Existing F. R. 53	*F. R. 53 as hereby substituted*
53. (1) A government servant	53. (1) A government servant

1. w.e.f. 21.8.1981.

under suspension or deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority shall be entitled to the following payments, namely :

(a) a subsistence allowance at an amount equal to the leave salary which the government servant would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary :

Provided that where the period of suspension exceeds six months, the authority which made or is deemed to have made the order of suspension shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first six months as follows :

(i) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding 50 per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first six months, if in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the government servant ;

(ii) the amount of subsistence allowance may be reduced by a suitable amount not exceeding 50 per cent of the subsistence allowance admissible during the

under suspension or deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority shall be entitled to the following payments, namely :

(a) a subsistence allowance at an amount equal to the leave salary which the government servant would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary :

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the authority which made or is deemed to have made the order of suspension shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows :

(i) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding 50 per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the government servant ;

(ii) the amount of subsistence allowance may be reduced by a suitable amount not exceeding 50 per cent of the subsistence allowance admissible during the

period of the first six months, if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged due to reasons to be recorded in writing, directly attributable to the Government servant ;

(iii) the rate of dearness allowance will be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under sub-clauses (i) and (ii) above.

(b) Any other compensatory allowance admissible from time to time on the basis of pay of which the Government servant was in receipt on the date of suspension :

Provided that the government servant shall not be entitled to the compensatory allowances unless the said authority is satisfied that the government servant continues to meet the expenditure for which they are granted.

(2) No payment under sub-rule (1) shall be made unless the Government servant furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation :

Provided that in the case of a Government servant dismissed or removed from service, who is deemed to have been placed or to continue to be under suspension from the date of such dismissal or

period of the first three months, if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged due to reasons to be recorded in writing, directly attributable to the Government servant ;

(iii) the rate of dearness allowance will be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under sub-clauses (i) and (ii) above.

(b) Any other compensatory allowance admissible from time to time on the basis of pay of which the Government servant was in receipt on the date of suspension :

Provided that the government servant shall not be entitled to the compensatory allowances unless the said authority is satisfied that the government servant continues to meet the expenditure for which they are granted.

(2) No payment under sub-rule (1) shall be made unless the Government servant furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation :

Provided that in the case of a Government servant dismissed or removed from service, who is deemed to have been placed or to continue to be under suspension from the date of such dismissal or

removal, and who fails to produce such a certificate for any period or periods during which he is deemed to be placed or to continue to be under suspension, he shall be entitled to the subsistence allowance and other allowances equal to the amount by which his earnings during such period or periods, as the case may be, fall short of the amount of subsistence allowance and other allowances that would otherwise be admissible to him ; where the subsistence and other allowances admissible to him are equal to or less than the amount earned by him, nothing in this proviso shall apply to him.

removal, and who fails to produce such a certificate for any period or periods during which he is deemed to be placed or to continue to be under suspension, he shall be entitled to the subsistence allowance and other allowances equal to the amount by which his earnings during such period or periods, as the case may be, fall short of the amount of subsistence allowance and other allowances that would otherwise be admissible to him ; where the subsistence and other allowances admissible to him are equal to or less than the amount earned by him, nothing in this proviso shall apply to him.

अध्याय 10

अनुशासनिक कार्यवाही

(Disciplinary Proceedings)

जब सरकारी सेवक कोई दुराचरण या दुर्व्यवहार या अनियमितता करे तो संगत नियमों एवं कार्यकारी आदेशों के अनुरूप उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ करने से पूर्व अनुशासनिक प्राधिकारी को यह विनिश्चय कर लेना चाहिए कि कथित दुराचरण की क्या प्रकृति है? इसके सिद्ध होने पर उस सरकारी सेवक को लघु दण्ड दिया जाना उपयुक्त होगा अथवा महादण्ड? यदि लघु दण्ड दिये जाने का मामला हो तो इसके लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए। इसकी प्रक्रिया, संक्षिप्त होती है। कथित दुराचरण से सम्बन्धित अभिकथन उस सरकारी सेवक को देकर उसे अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जाता है। उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तथा सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी यथोचित आदेश पारित करके सम्बन्धित सरकारी सेवक को संसूचित करेंगे।

यदि कथित दुराचरण गम्भीर प्रकृति का हो तथा उसके सिद्ध पाये जाने पर महादण्ड दिये जाने का मामला बनता हो तो इसके लिए विहित जांच प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। महादण्ड अधिरोपित करने से पूर्व निम्नलिखित जांच प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए :—

(1) आरोप-पत्र तैयार करके प्रस्तावित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रतिलिपि तथा साक्षीगण की सूची को संलग्न करते हुए आरोपित सेवक को आरोप-पत्र दिया जायेगा एवं उसे कम से कम 15 दिनों का अवसर अपना लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु दिया जायेगा। साथ ही जांच-अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

(2) आरोपित सेवक पर आरोप-पत्र का तामीला व्यक्तिगत रूप से कराया जायेगा। यदि ऐसा सम्भव न हो तो कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध उसके पता पर पंजीकृत डाक से आरोप-पत्र प्रेषित करके तामीला कराया जायेगा। यदि इस ढंग से भी आरोप-पत्र तामील न हो सके तो व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार-पत्र में उसका प्रकाशन कराकर तामीला कराया जायेगा।

(3) आरोप-पत्र का तामीला होने के बावजूद यदि आरोपित सेवक नियत तिथि को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है अथवा लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करता है तो जांच अधिकारी उसके विरुद्ध एकतरफा जांच की कार्यवाही कर सकते हैं। ऐसी दशा में आरोप-पत्र में नामित साक्षी को बुलाकर उसका एकतरफा साक्ष्य अभिलिखित किया जायेगा। उस साक्षी से दस्तावेजी साक्ष्यों को सिद्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जांच अधिकारी, जांच रिपोर्ट तैयार करके अनुशासनिक प्राधिकारी को सम्पूर्ण अभिलेखों सहित प्रेषित कर देंगे।

(4) जब जांच में नियत तिथि को आरोपित सेवक उपस्थित होवे या लिखित कथन प्रस्तुत करके आरोपों से इन्कार करे तब जांच अधिकारी साक्ष्य हेतु तिथि नियत करके आरोप-पत्र में नामित साक्षियों को बुलाने की कार्यवाही करेगा। साक्ष्य के लिए नियत तिथि को आरोपित सेवक की उपस्थिति में उस साक्षी का शपथ पर बयान लिखा जायेगा तथा आरोपित सेवक को उससे [illegible]

की कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरान्त आरोपित सेवक को अपनी सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा एवं उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी का बयान शपथ पर अभिलिखित किया जायेगा। उसके द्वारा दिये गये दस्तावेजी साक्ष्य को भी ग्राह्य किया जायेगा। जांच अधिकारी किसी भी साक्षी से या आरोपित सेवक से, किसी भी समय, कोई प्रश्न पूछ सकता है।

(5) जांच अधिकारी, जांच पूरी हो जाने पर, अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करके, समस्त अभिलेखों के साथ, अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषित करेगा। जांच रिपोर्ट में प्रत्येक आरोप से सम्बन्धित संक्षिप्त, तथ्यों तथा लिखित कथन में अभिकथित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण तथा जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा। जांच अधिकारी दण्ड के बारे में कोई संस्तुति नहीं करेगा।

(6) अनुशासनिक प्राधिकारी, जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों से सहमत या असहमत हो सकते हैं। यदि जांच अधिकारी ने आरोपित सेवक को सभी आरोपों से दोषमुक्त करने का निष्कर्ष दिया हो और अनुशासनिक प्राधिकारी उससे सहमत हों तो तद्नुसार आरोपित सेवक को दोषमुक्त करने का आदेश कर दिया जायेगा। यदि जांच अधिकारी ने आरोपित सेवक को सभी या किसी आरोपों के लिए दोषी पाने का निष्कर्ष दिया हो तथा अनुशासनिक प्राधिकारी उससे सहमत हों तो जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि आरोपित सेवक को देकर उससे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। उसके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, तथा सभी सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जायेगा। यदि अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त भी अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्षों से सहमत हों तो आरोपित सेवक को दोषी ठहराते हुए यथोचित दण्ड का आदेश किया जायेगा। यदि श्री राज्यपाल द्वारा दण्डादेश पारित किया जाना हो तो अंतिम आदेश करने से पूर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जायेगा।

यदि जांच अधिकारी ने आरोपित सेवक को दोषमुक्त करने का निष्कर्ष निकाला हो किन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी उससे असहमत हों तो असहमति का कारण अभिलिखित करते हुए आरोपित सेवक को जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि के साथ उन कारणों को संसूचित किया जायेगा तथा उसे अपना अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उसके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, तथा संगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्तानुसार अंतिम आदेश किया जायेगा।

सामान्यतया किसी सरकारी सेवक को पूर्वोक्तानुसार जांच करने के उपरान्त ही कोई महादण्ड अधिरोपित किया जा सकता है। किन्तु निम्नलिखित तीन अपवादिक मामलों में जांच किये बगैर ही महादण्ड अधिरोपित किया जा सकता है :—

(क) यदि सरकारी सेवक को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक आरोप के लिए दोषी ठहराया गया हो,

या

(ख) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि पूर्वोक्तानुसार जांच करना युक्ति-युक्त रूप से साध्य नहीं है,

या

(ग) यदि श्री राज्यपाल का यह समाधान हो जाये कि राज्य की सुरक्षा के हित में पूर्वोक्तानुसार जांच किया जाना समीचीन नहीं है।

सरकारी सेवक, राज्यपाल द्वारा पारित दण्डादेश के सिवाय, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित

किसी दण्डादेश के विरुद्ध उनसे उच्च प्राधिकारी को अपील कर सकता है। यह अपील, दण्डादेश की संसूचना के दिनांक से, 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए अन्यथा यह विलम्ब के कारण ही खारिज की जा सकती है।

श्री राज्यपाल द्वारा पारित दण्डादेश का पुनर्विलोकन उनके द्वारा किया जा सकता है यदि पूर्व आदेश में विधि की कोई तात्विक त्रुटि होनी पायी गयी हो अथवा कोई नयी सामग्री या साक्ष्य, जो पहले उपलब्ध नहीं था, उपलब्ध हो गया हो।

राज्य सरकार, अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पूर्वोक्त अनुशासनिक कार्रवाई में पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण कर सकती है।

1. अधिनियम एवं नियमावलियां
(Enactments and Rules)

1

THE UTTAR PRADESH DEPARTMENTAL INQUIRIES (ENFORCEMENT OF ATTENDANCE OF WITNESSES AND PRODUCTION OF DOCUMENTS) ACT, 1976

(U.P. Act No. 4 of 1976)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An Act to provide for the enforcement of attendance of witnesses and production of documents in certain departmental inquiries and for matters connected therewith or incidental thereto.

It is hereby enacted in the Twenty-seventh year of the Republic of India as follows :

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1976.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on September 17, 1975.

2. Departmental inquiries to which the Act shall apply.—The provisions of this Act shall apply to every departmental inquiry made in relation to—

(a) persons who are members of any civil service of the State or who hold any civil post under the State ;

(b) persons who are in the service of or hold any post under :—

(i) any local authority ;

(ii) any Board or Corporation (not being a company within the meaning of the Companies Act, 1956), (Act 1 of 1956) owned or controlled by the State Government ;

(iii) any Government Company, within the meaning of section 617 of the

Companies Act, 1956, in which not less than fifty per cent of the paid-up share capital is held by the State Government, or any company which is a subsidiary of such Government Company ;

(iv) any society registered under the Societies Registration Act, 1860, (Act 21 of 1860) the governing body whereof consists, under rules or regulations of the society, wholly of public officers, or nominees of the State Government, or both ;

(c) persons who have ceased to be members of a service or holders of a post referred to in clause (a) or clause (b), in relation to their acts or omissions while they were members of such service or holders of such post.

3. Definitions.—For the purposes of this Act—

(a) "departmental inquiry" means an inquiry held under and in accordance with—

(i) any law made by the State Legislature or any rule made thereunder, or

(ii) any rule made under the proviso to Article 309, or continued under Article 313 of the Constitution,

into any charges against any person referred to in section 2 ;

(b) "inquiring authority" means any officer or authority who is empowered by or under any law or rule for the time being in force to hold a departmental inquiry, and includes an officer or authority to whom the power to hold such inquiry is delegated by the competent authority ;

(c) "charges" include any allegation in respect of which disciplinary action is proposed to be taken against a person while he is in service or while he holds a post, or where he has ceased to be in service or to hold a post, any misconduct or negligence on account of which action by way of withholding or withdrawing pension or any part of it or of recovery from pension of any pecuniary loss caused to the employer is proposed to be taken against him.

4. Power of authorised inquiring authority to enforce attendance of witnesses and production of document.—(1) Every inquiring authority shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, (Act 5 of 1908) while trying a suit, in respect of the following matters, namely :—

(a) the summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath ;

(b) requiring the discovery and production of any document or other material which is producible as evidence ;

(c) subject to any claim of privilege (in respect of which sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872, (Act 1 of 1872) shall *mutatis mutandis* apply but section 162 thereof shall not apply), the requisitioning of any public record from any court or office.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the authorised inquiring authority shall not compel the Reserve Bank of India, the State Bank of India, any

subsidiary bank as defined in clause (k) of section 2 of the State Bank of India, (Subsidiary Banks) Act, 1959, (Act 38 of 1959) or any corresponding new Bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (Act 5 of 1970).

(a) to produce any books of account or other documents which the Reserve Bank of India, the State Bank of India the subsidiary bank or the corresponding new bank claims to be of a confidential nature, or

(b) to make any such books or documents a part of the record of the proceedings of the departmental inquiry, or

(c) to give inspection of any such books or documents, if produced to any party before it or to any other person.

(3) Any process issued by an inquiring authority for the attendance of any witness or for the production of any document may be served and executed either direct (by post or by messenger) or through the District Judge within the local limits of whose jurisdiction the witness or other person on whom the process is to be served or executed, voluntarily resides or carries on business or personally works for gain.

(4) Where a process is served and executed through the District Judge in accordance with sub-section (3), it shall, for the purposes of taking any action for the disobedience thereof, be deemed to be a process issued by the Court of the District Judge.

(5) Where a process is issued by a tribunal constituted under the Uttar Pradesh Disciplinary Proceedings (Administrative Tribunal) Rules, 1947, and is served and executed without its being routed through the District Judge, the tribunal shall, for the purposes of taking any action for the disobedience of any such process, have the same powers as are vested in a civil court under rules 10 to 18 of order 16 in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, (Act 5 of 1908).

(6) Every inquiring authority making any departmental inquiry under this act shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973, (Act 2 of 1974).

5. Territorial limits in which powers specified in section 5 may be exercised.—For the purposes of exercising the powers specified in section 4, the territorial jurisdiction of every authorised inquiring authority shall extend to the limits of the territory to which this Act extends.

6. Power to make rules.—The State Government may, by notification make rules for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

7. Repeal and savings.—(1) The Uttar Pradesh Disciplinary Proceedings (Summoning of Witnesses and Production of Documents) Act, 1953, (Act 20 of 1953) is repealed with effect from September 17, 1975.

(2) The Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Ordinance, 1976, (U.P. Ordinance No. 1 of 1976) is hereby repealed.

(3) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents)

Ordinance, 1975, by the aforesaid Ordinance of 1976, anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act was in force on all material dates.

2

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANT (DISCIPLINE AND APPEAL) RULES, 1999

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1930 and Punishment and Appeal Rules for Subordinate Service, Uttar Pradesh, 1932, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999.

(2) They shall come into force at once.[1]

(3) They shall apply to Government servants under the rule-making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution except the Officers and Servants of the High Court of Judicature at Allahabad covered under Article 229 of the Constitution of India.

2. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) "Appointing Authority" means the authority empowered to make appointments to the posts under the relevant service rules ;

(b) "Constitution" means the Constitution of India ;

(c) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission ;

(d) "Departmental Inquiry" means the inquiry under rule 7 of these rules ;

(e) "Disciplinary Authority" means an Authority empowered under rule 6 to impose penalties ;

(f) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(g) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh ;

(h) "Government Servant" means a person appointed to public services and posts in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh ;

(i) "Group A, B, C and D posts" means the posts mentioned as such in the relevant Service Rules or the Orders of the Government issued from time to time in his regard ;

(j) "Service" means the public services and posts in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh.

---

1. w.e.f. 9.6.1999.

3. Penalties.—The following penalties may, for good and sufficient reason and as hereinafter provided, be imposed upon the Government Servants :—

Minor Penalties—

(i) Censure ;

(ii) Withholding of increments for a specified period ;

(iii) Stoppage at an efficiency bar ;

(iv) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders ;

(v) Fine in case of persons holding Group 'D' posts :

Provided that the amount of such fine shall in no case exceed twenty-five per cent of the month's pay in which the fine is imposed.

Major Penalties—

(i) Withholding of increments with cumulative effect ;

(ii) Reduction to a lower post or grade or time scale or to a lower stage in a time scale ;

(iii) Removal from the service which does not disqualify from future employment ;

(iv) Dismissal from the service which disqualifies from future employment.

Explanation.—The following shall not amount to penalty within the meaning of this rule, namely :

(i) Withholding of increment of a Government Servant for failure to pass a departmental examination or for failure to fulfil any other condition in accordance with the rules or orders governing the service ;

(ii) Stoppage at the efficiency bar in the time scale of pay on account of ones not being found fit to cross the efficiency bar ;

(iii) Reversion of a person appointed on probation to the service during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of appointment or the rules and orders governing such probation ;

(iv) Termination of the service of a person appointed on probation during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of the service or the rules and orders governing such probation.

4. Suspension.—(1) A Government servant against whose conduct an inquiry is contemplated, or is proceeding, may be placed under suspension pending the conclusion of the inquiry in the discretion of the Appointing Authority :

Provided that suspension should not be resorted to unless the allegations against the Government Servant are so serious that in the event of their being established may ordinarily warrant major penalty :

Provided further that concerned Head of the Department empowered by the Governor by an order in this behalf may place a Government Servant or class of Government Servants belonging to Group 'A' and 'B' posts under suspension under

this rule :

Provided also that in the case of any Government Servant or class of Government Servants belonging to Group 'C' and 'D' posts, the Appointing Authority may delegate its power under this rule to the next lower authority.

(2) A Government Servant in respect of, or against whom an investigation, inquiry or trial relating to a criminal charge, which is connected with his position as a Government Servant or which is likely to embarrass him in the discharge of his duties or which involves moral turpitude, is pending, may, at the discretion of the Appointing Authority or the Authority to whom the power of suspension has been delegated under these rules, be placed under suspension until the termination of all proceedings relating to that charge.

(3)*(a)* A Government Servant shall be deemed to have been placed or, as the case may be, continued to be placed under suspension by an order of the Authority competent to suspend, with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether the detention is on criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours.

(b) The aforesaid Government Servant shall, after the release from the custody, inform in writing to the competent Authority about his detention and may also make representation against the deemed suspension. The competent Authority shall, after considering the representation in the light of the facts and circumstances of the case as well as the provisions contained in this rule, pass appropriate order continuing the deemed suspension from the date of release from custody or revoking or modifying it.

(4) Government Servant shall be deemed to have been placed or, as the case may be, continued to be placed under suspension by an order of the Authority competent to suspend under these rules, with effect from the date of his conviction if in the event of a conviction for an offence he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed consequent to such conviction.

Explanation :

A period of forty-eight hours referred to in sub-rule 11 be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment shall be taken to account.

(5) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon a Government Servant is set aside in appeal or on review under these rules or under rules rescinded by these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions :

(a) if he was under suspension immediately before the penalty was awarded to him, the order of his suspension shall, subject to any such directions as aforesaid, be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal ;

(b) if he was not under suspension, he shall, if so directed by the Appellate or Reviewing Authority, be deemed to have been placed under suspension by an order of the Appointing Authority on and from the date of the original order

of dismissal or removal :

Provided that nothing in this sub-rule shall be construed as affecting the power of the Disciplinary Authority in a case where a penalty of dismissal or removal in service imposed upon a Government Servant is set aside in appeal or on review under these rules grounds other than the merits of the allegations which, the said penalty was imposed but the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions to pass an order of suspension being further inquiry against him on those allegations so, however, that any such suspension shall not have retrospective effect.

(6) Where penalty of dismissal or removal from service imposed upon a Government Servant is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the Appointing Authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal or removal was originally imposed, whether the allegations remain in their original form or are clarified or their particulars better specified or any part thereof of a minor nature *omitted* :

(a) if he was under suspension immediately before the penalty was awarded to him, the order of his suspension shall, subject to any direction of the Appointing Authority, be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal.

(b) if he was not under such suspension, he shall, if so directed by the Appointing Authority, be deemed to have been placed under suspension by an order of the Competent Authority on and from the date of the original order of dismissal or removal.

(7) Where a Government Servant is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the Authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the Government Servant shall continue to be under suspension till the termination of all or any of such proceedings.

(8) Any suspension ordered or deemed to have been ordered or to have continued in force under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the competent Authority.

(9) A Government Servant placed under suspension or deemed to have been placed under suspension under this rule shall be entitled to subsistence allowance in accordance with the provisions of Fundamental Rule 53 of the Financial Hand Book, Volume-II, Part II to IV.

5. Pay and allowances etc. the suspension period.—After the order is passed in the departmental enquiry or in the criminal case, as the case may be under these rules, the decision as to the pay and allowances of the suspension period of the concerned Government Servant and also whether the said period shall be treated as spent on duty or not, shall be taken by the Disciplinary Authority after giving a notice to the said Government Servant and calling for his explanation within a specified period under rule 54 of the Financial Hand Book Volume-II, Part II to IV.

6 Disciplinary Authority.—The Appointing Authority of a Government Servant

shall be his Disciplinary Authority who, subject to the provisions of these rules, may impose any of the penalties specified in rule 3 on him :

Provided that no persons shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was actually appointed :

Provided further that the Head of Department notified under the Uttar Pradesh Class II Services (Imposition of Minor Punishments) Rules, 1973, subject to the provisions of these rules, shall be empowered to impose minor penalties mentioned in rule 3 of these rules :

Provided also that in case of a Government Servant belonging to Group 'C' and 'D' posts, the Government, by a notified order, may delegate the power to impose any penalty, except dismissal or removal from service under these rules, to any Authority subordinate to the Appointing Authority and subject to such conditions as may be prescribed therein.

7. Procedure for imposing major penalties.—Before imposing any major penalty on a Government Servant, an inquiry shall be held in the following manner :

(i) The Disciplinary Authority may himself inquire into the charges or appoint an Authority subordinate to him as Inquiry Officer to inquire into the charges.

(ii) The facts constituting the misconduct on which it is proposed to take action shall be reduced in the form of definite charge or charges to be called charge-sheet. The charge-sheet shall be approved by he Disciplinary Authority :

Provided that where the Appointing Authority is Governor, the charge-sheet may be approved by the Principal Secretary or the Secretary, as the case may be, of the concerned department.

(iii) The charges framed shall be so precise and clear as to give sufficient indication to the charged Government Servant of the facts and circumstances against him. The proposed documentary evidences and the name of witnesses proposed to prove the same alongwith oral evidences, if any, shall be mentioned in the charge-sheet.

(iv) The charged Government Servant shall be required to put in a written statement of his defence in person on a specified date which shall not be less than 15 days from the date of issue of charge-sheet and to state whether he desires to cross-examine any witness mentioned in the charge-sheet and whether desires to give or produce evidence in his defence. He shall also be informed that in case he does not appear or file the written statement on the specified date, it will be presumed that he has none to furnish and inquiry officer shall proceed to complete the inquiry ex parte.

(v) The charge-sheet, alongwith the copy of documentary evidences mentioned therein and list of witnesses and their statements, if any shall be served on the charged Government Servant personally or by registered post at the address mentioned in the official records in case the charge-sheet could not be served in aforesaid manner, the charge-sheet shall be served by publication in a daily newspaper having wide circulation :

Provided that where the documentary evidence is voluminous, instead of furnishing its copy with charge-sheet, the charged Government servant shall be permitted to inspect the same before the Inquiry Officer.

(vi) Where the charged Government Servant appears and admits the charges; the Inquiry Officer shall submit his report to the Disciplinary Authority on the basis of such admission.

(vii) Where the charged Government Servant denies the charges the Inquiry Officer shall proceed to call the witnesses proposed in the charge-sheet and record their oral evidence in presence of the charged Government Servant who shall be given opportunity to cross-examine such witnesses. After recording the aforesaid evidences, the Inquiry Officer shall call and record the oral evidence which the charged Government Servant desired in his written statement to be produced in his defence :

Provided that the Inquiry Officer may for reasons to be recorded in writing refuse to call a witness.

(viii) The Inquiry Officer may summon any witnesses to give evidence or require any person to produce documents before him in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1976.

(ix) The Inquiry Officer may ask any question he pleases, at any time of any witness or from person charged with a view to discover the truth or to obtain proper proof of facts relevant to charges.

(x) Where the charged Government Servant does not appear on the date fixed in the inquiry or at any stage of the proceeding in spite of the service of the notice on him or having knowledge of the date, the Inquiry Officer shall proceed with the inquiry ex parte. In such a case the Inquiry Officer shall record the statement of witnesses mentioned in the charge-sheet in absence of the charged Government Servant.

(xi) The Disciplinary Authority, if it considers it necessary to do so, may, by an order appoint a Government Servant or a legal practitioner, to be known as "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the charge.

(xii) The Government servant may take the assistance of any other Government Servant to present the case on his behalf but not engage a legal practitioner for the purpose unless the presenting officer appointed by the Disciplinary Authority is a legal practitioner of the Disciplinary Authority having regard to the circumstances of the case so permits :

Provided that this rule shall not apply in following cases :

(i) Where any major penalty is imposed on a person on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge ; or

(ii) Where the Disciplinary Authority is satisfied, that for reason to be recorded by it in writing, that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules ; or

(iii) Where the Governor is satisfied that, in the interest of the security of the State,

it is not expedient to hold an inquiry in the manner provided in these rules.

8. Submission of Inquiry Report.—When the inquiry is complete, the Inquiry Officer shall submit its inquiry report to the Disciplinary Authority alongwith all the records of the inquiry. The inquiry report shall contain a sufficient record of brief facts, the evidence and statement of the findings on each charge and the reasons thereof. The Inquiry Officer shall not make any recommendation about the penalty.

9. Action on Inquiry Report.—(1) The Disciplinary Authority may, for reasons to be recorded in writing, remit the case for re-inquiry to the same or any other Inquiry Officer under intimation to the charged Government Servant. The Inquiry Officer shall thereupon proceed to hold the inquiry from such stage as directed by the Disciplinary Authority, according to the provisions of Rule 7.

(2) The Disciplinary Authority shall, if it disagrees with the findings of the Inquiry Officer on any charge, record its own findings thereon for reasons to be recorded.

(3) In case the charges are not proved, the charged Government Servant shall be exonerated by the Disciplinary Authority of the charges and informed him accordingly.

(4) If the Disciplinary Authority, having regard to its findings on all or any of charges is of the opinion that any penalty specified in rule 3 should be imposed on the charged Government Servant, he shall give a copy of the inquiry report and his findings recorded under sub-rule (2) to the charged Government Servant and require him to submit his representation if he so desires, within a reasonable specified time. The Disciplinary Authority shall, having regard to all the relevant records relating to the inquiry and representation of the charged Government Servant, if any, and subject to the provisions of rule 16 of these rules, pass a reasoned order imposing one or more penalties mentioned in rule 3 of these rules and communicate the same to the charged Government Servant.

10. Procedure for imposing minor penalties.—(1) Where the Disciplinary Authority is satisfied that good and sufficient reasons exist for adopting such a course, it may, subject to the provisions of sub-rule (2) impose one or more of the minor penalties mentioned in rule 3.

(2) The Government Servant shall be informed of the substance of the imputations against him and called upon to submit his explanation within a reasonable time. The Disciplinary Authority shall, after considering the said explanation, if any, and the relevant records, pass such orders as he considers proper and where a penalty is imposed, reason thereof shall be given. The order shall be communicated to the concerned Government Servant.

11. Appeal.—(1) Except the orders passed under these rules by the Governor, the Government Servant shall be entitled to appeal to the next higher authority from an order passed by the Disciplinary Authority.

(2) The appeal shall be addressed and submitted to the Appellate Authority. A Government Servant preferring an appeal shall do so in his own name. The appeal shall contain all material statements and arguments relied upon by the appellant.

(3) The appeal shall not contain any intemperate language. Any appeal, which contains such language may be liable to be summarily dismissed.

(4) The appeal shall be preferred within 90 days from the date of communication of impugned order. An appeal preferred after the said period shall be dismissed summarily.

12. Consideration of Appeals.—The Appellate Authority shall pass such order as mentioned in clauses (a) to (d) of rule 13 of these rules, in the appeal as he thinks proper after considering—

(a) Whether the facts on which the order was based have been established ;

(b) Whether the facts established afford sufficient ground for taking action ; and

(c) Whether the penalty is excessive, adequate or inadequate.

13. Revision.—Notwithstanding anything contained in these rules, the Government may of its own motion or on the representation of concerned Government servant call for the record of any case decided by an authority subordinate to it in the exercise of any power conferred on such authority by these rules ; and

(a) confirm, modify or reverse the order passed by such authority, or

(b) direct that a further inquiry be held in the case, or

(c) reduce or enhance the penalty imposed by the order ; or

(d) make such other order in the case as it may deem fit.

14. Review.—The Governor may at any time, either on his own motion or on the representation of the concerned Government servant, review any order passed by him under these rules, if it has brought to his notice that any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the impugned order or any material error of law occurred which has the effect of changing the nature of the case.

15. Opportunity before imposing or enhancing penalty.—No order under rules 12, 13 and 14 imposing or enhancing any penalty shall be made unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity or showing cause against the proposed imposition or enhancement, as the case may be.

16. Consultation with the Commission.—Before any order is passed by the Governor under these rules, the Commission, as required under the Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Function) Regulation, 1954, as amended from time to time, shall also be consulted.

17. Rescission and savings.—(1) The Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1930 and the Punishment and Appeal Rules for Subordinate Services, Uttar Pradesh, 1932 are hereby rescinded.

(2) Notwithstanding such rescission,—

(a) Delegation of power mentioned in Punishment and Appeal Rules for Subordinate Services Uttar Pradesh, 1932 and any order issued under the Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1930 or Punishment and

Appeal Rules for Subordinate Services, Uttar Pradesh 1932 delegating the power of imposing any of the penalties mentioned in rule 3 or power of suspension that any authority shall be deemed to have been issued under these rules and shall remain valid unless cancelled or rescinded :

(b) any inquiry appeal, revision or review pending on the date of coming into force of these rules shall be continued and concluded in accordance with the provisions of these rules ;

(c) nothing in these rules shall operate to deprive any person of any right of appeal, revision or review which he would have had if these rules had not been in force in respect of any order passed before the commencement of these rules and such appeal, revision or review shall be preferred under these rules and disposed of accordingly as if the provisions of this rule were in force at all material times.

3

THE UTTAR PRADESH POLICE OFFICERS OF THE SUBORDINATE RANKS (PUNISHMENT AND APPEAL) RULES, 1991

In exercise of the powers under sub-sections (2) and (3) of Section 46 read with Sections 2 and 7 of the Police Act, 1861 (Act No. 5 of 1861) and all other power enabling him in this behalf and in supersession of all existing rules issued in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the departmental proceedings, punishment and appeals of the police officers of the subordinate ranks of the Uttar Pradesh Force.

1. Short title and commencement.—(1) This rules may be called the Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules, 1991.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Application.—These rules shall apply to all the Police Officers of the Subordinate ranks below the rank of Deputy Superintendent of Police.

3. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) "appointing authority" means the authority empowered to make appointments to the post which a Police Officer for the time being holds ;

(b) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh ;

(c) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(d) "Director General" means the Director General-cum-Inspector General of Police, Uttar Pradesh ;

(e) "Inspector-General" includes all officers of the rank of Inspector General of

1. w.e.f. 21.3.1991.

Police in Uttar Pradesh ;

(f) "Deputy Inspector-General" means the Deputy Inspector-General of Police and Officers of the equivalent rank ;

(g) "Police Officer" means police officer of the subordinate ranks, below the rank of Deputy Superintendent of police.

4. Punishment.—(1) The following punishments may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed upon a Police Officer, namely :—

(a) Major Penalties :—

(i) Dismissal from service.

(ii) Removal from service.

(iii) Reduction in rank including reduction to a lower-scale or to a lower stage in a time scale.

(b) Minor Penalties :—

(i) Withholding of promotion.

(ii) Fine not exceeding one month's pay.

(iii) Withholding of increment, including stoppage at an efficiency bar.

(iv) Censure.

(2) In addition to the punishments mentioned in sub-rule (1) Head Constables and Constables may also be inflicted with the following punishments :—

(i) Confinement to quarters (this term includes confinement to Quarter Guard for a term not exceeding fifteen days extra guard or other duty).

(ii) Punishment Drill not exceeding fifteen days.

(iii) Extra guard duty not exceeding seven days.

(iv) Deprivation of good conduct pay.

(3) In addition to the punishments mentioned in sub-rules (1) and (2) Constables may also be punished with Fatigue duty, which shall be restricted to the following tasks :

(i) Tent pitching ;

(ii) Drain digging ;

(iii) Cutting grass, cleaning jungle and picking stones from parade grounds ;

(iv) Repairing huts and butts and similar work in the lines ;

(v) Cleaning Arms.

5. Procedure for award of Punishment.—(1) The cases in which major punishments enumerated in clause (a) of sub-rule (1) of rule 4 may be awarded shall be dealt with in accordance with the procedure laid down in sub-rule (1) of rule 14.

(2) The cases in which minor punishments enumerated in clause (b) of sub-rule (1) of rule 4 may be awarded, shall be dealt with in accordance with the procedure laid down in sub-rule (2) of Rule 14.

(3) The cases in which minor penalties mentioned in sub-rules (2) and (3) of rule 4 may be awarded shall be dealt with in accordance with the procedure laid down in rule 15.

6. Place of enquiry.—An enquiry against a police officer may be held either in the district in which the act or omission regarding which enquiry is proposed to be made took place or where the police officer may be posted at the time of institution of the Inquiry.

7. Powers of punishment.—(1) The Government or any officer of police department not below the rank of the Deputy Inspector-General may award any of the punishments mentioned in rule 4 on any police officer.

(2) The Superintendent of Police may award any of the punishments mentioned in sub-clause (iii) of clause (a) and clause (b) of sub-rule (1), of rule 4 on Inspectors and Sub-Inspectors.

(3) The Superintendent of Police may award any of the punishments mentioned in rule 4 on such police officers as are below the rank of Sub-Inspectors.

(4) Subject to the provisions contained in these rules all Assistant Superintendents of Police and Deputy Superintendents of Police who have completed two years of service as Assistant Superintendents of Police and Deputy Superintendents of Police as the case may be, may exercise powers of Superintendent of Police except the powers to impose major punishments under rule 4.

(5) Notwithstanding anything contained in these rules Reserve Inspector, Inspector of Station Officer may award the punishments of drill and fatigue duty to any constable under his charge for a period not exceeding three days, but he shall inform the Superintendent of Police concerned of his order immediately and in any case within 24 hours of passing the order.

8. Dismissal and removal.—(1) No Police Officer shall be dismissed or removed from service by an authority subordinate to the appointing authority.

(2) No Police officer shall be dismissed, removed or reduced in rank except after proper inquiry and disciplinary proceedings as contemplated by these rules :

Provided that this rule shall not apply—

(a) Where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge ; or

(b) Where the authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practicable to hold such enquiry ; or

(c) Where the Government is satisfied that in the interest of the security of the State it is not expedient to hold such enquiry.

(3) All orders of dismissal and removal of Head Constables or Constables shall be passed by the Superintendent of Police. Cases in which the Superintendent of Police recommends dismissal or removal of a Sub-Inspector or an Inspector shall be

forwarded to the Deputy Inspector-General concerned for orders.

(4) *(a)* The punishment for intentionally or negligently allowing a person in police custody or judicial custody to escape shall be dismissal unless the punishing authority for reasons to be recorded in writing awards a lesser punishment.

(b) Every officer convicted by the court for an offence involving moral turpitude shall be dismissed unless the punishing authority for reasons to be recorded in writing considers it otherwise.

9. Punishment of reduction.—No Police Officer shall be reduced to rank lower than that to which he was originally appointed. An officer may be reduced from his rank to next lower rank or to a lower time scale from any stage in time scale to a lower stage for a specified period.

10. Punishment of withstanding of increment.—Every order withholding increment as a punishment shall state the period for which it is withheld and whether it shall have the effect of postponing the future increment as provided in Financial Hand Book, Volume II, Part II to IV.

11. Inquiring powers of superior officers.—All or any of the functions exercised by Inquiry Officer under these rules may also be exercised by an officer of the police force superior in rank to the Superintendent of Police.

12. Transfer of departmental enquiry.—The Director General, Inspector-General and the Deputy Inspector-General or the Superintendent of Police may for reasons to be recorded in writing, either on his own motion or on the request of the inquiry officer holding the departmental inquiry, transfer the inquiry to any officer of the Police Force of an equivalent or higher rank.

13. Officer not competent to conduct disciplinary proceedings.—A *gazetted* officer of the Police Force who is either a prosecution witness in the case or has earlier conducted a preliminary enquiry in that case shall not conduct inquiry in that case under these Rules. In case the said *gazetted* officer is the Superintendent of Police himself, the Deputy Inspector-General concerned shall be moved to transfer the case to some other district or unit as the case may be.

14. Procedure for conducting departmental proceedings.—(1) Subject to the provisions contained in these rules, the departmental proceedings in the cases referred to in sub-rule (1) of Rule 5 against the police officers may be conducted in accordance with the procedure laid down in Appendix I.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) punishments in cases referred to in sub-rule (2) of Rule 5 may be imposed after informing the police officer in writing of the action proposed to be taken against him and of the imputations of act or omission on which it is proposed to be taken and giving him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal.

(3) The charged police officer shall not be represented by Counsel in any proceedings instituted under these Rules.

15. Orderly room punishments.—Reports of petty breaches of discipline and trifling cases of misconduct by a Police Officer, not above the rank of Head Constable,

shall be enquired into and disposed of in orderly room by the Superintendent of Police or other *gazetted* officer of the Police Force. In such cases punishment may be awarded in a summary manner after informing the Police Officer verbally of the act or omission on which it is proposed to punish him and giving him an opportunity to make verbal representation. A register in Form 2 appended to these rules shall be maintained for such cases. In this Register, text of the summary proceeding shall be recorded.

16. Proceedings in absentia.—(1) Departmental proceedings against delinquent police officers may be taken in absentia by the authorities competent to take departmental proceedings if, the police officer, against whom departmental proceedings are pending or against whom it is proposed to start such proceedings or to whom it is impossible for the inquiry officer to contact, deliberately absents himself from the place of his posting or from the proceedings when in progress.

(2) Before taking departmental proceedings in absentia, the concerned authority shall record in writing that inspite of all reasonable steps having been taken to contact the police officer, it has not been possible to serve the charge on him and obtain from him explanation or to secure his personal presence.

Explanation.—Where the police officer is contacted personally or the charge or the notice is sent to him by registered post at the address given by him as recorded in his character roll and at the place of his present stay, or sent to him by Special Messenger at the place of his present stay, and at the address given by him as recorded in his character roll it shall be presumed that reasonable steps have been taken to contact the police officer concerned.

17. Suspension.—(1) *(a)* A Police Officer against whose conduct an enquiry is contemplated, or is proceeding, may be placed under suspension pending the conclusion of the enquiry in the discretion of appointing authority or by any other authority not below the rank of Superintendent of Police, authorised by him in this behalf.

(b) A Police Officer in respect of or against whom an investigation, enquiry or trial relating to a criminal charge is pending may at the discretion of the appointing authority under whom he is serving be placed under suspension, until the termination of all proceedings relating to that charge, if the charge is connected with his position as a Police Officer or is likely to embarrass him in the discharge of his duties or involves moral turpitude. If the prosecution is instituted by a private person on complaint, the appointing authority may decide whether the circumstances of the case justify the suspension of the accused.

(2) A Police Officer shall be deemed to have been placed, or, as the case may be, continued to be placed, under suspension by an order of the appointing authority—

(a) with effect from the date of his detention if he is detained in custody whether the detention is on criminal charge or otherwise for a period exceeding forty-eight hours ;

(b) with effect from the date of his conviction if in the event of a conviction for an offence he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed consequent to such conviction.

Explanation.—The period of forty-eight hours referred to in clause (b) of this sub-rule shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon a police officer is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions—

(a) If he was under suspension immediately before the penalty was awarded to him, the order of his suspension shall, subject to any such directions as aforesaid, be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal ;

(b) If he was not under suspension, he shall, if so directed by the appellate or reviewing authority, be deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority, on and from the date of the original order of dismissal or removal ;

Provided that nothing in this sub-rule shall be construed as effecting the power of the competent authority, in a case where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon a police officer is set aside in appeal or on removal from service imposed upon a police officer is set aside in appeal or on review under these rules on grounds other than the merits of the allegations on which the said penalty was imposed but the case is not remitted for further inquiry or action or with any direction, to pass an order of suspension pending further inquiry against him on those allegations, so, however, that any such suspension shall not have retrospective effect.

(4) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon a police officer is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the appointing authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal or removal was originally imposed, whether the allegations remain in their original form are clarified or their particulars better specified or any part thereof a minor nature *omitted*—

(a) if he was under suspension immediately before the penalty was awarded to him, the order of his suspension shall, subject to any direction of the appointing authority, be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal ;

(b) if he was not under suspension, he shall, if so directed by the appointing authority, be deemed to have been placed under suspension on and from the date of original order of dismissal or removal.

(5) *(a)* Any suspension ordered or deemed to have been or to have continued in force under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by any authority specified in sub-rule (1).

(b) Where a police officer is suspended or is deemed to have been suspended whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that

suspension, the authority competent to place him under suspension may for reasons to be recorded by him in writing, direct that the police officer shall continue to be under suspension till the termination of all or any such proceedings.

(6) Subsidiary Rule 199, Financial Hand Book, Volume II, Part II to IV, shall cease to apply to the police officers governed by this rule.

18. Strictures by court.—Where a court adversely comments the conduct of a police officer, an enquiry shall be made immediately into the points which the court had hold deserving of censure, without waiting for the result of an appeal, if any.

19. Leave during enquiry.—Leave may not be granted to a police officer under suspension or against whose enquiry is pending or is contemplated except on medical certificate signed by the Chief Medical Officer of the district to which the police officer is posted.

20. Appeal.—(1) Every Police Officer against whom an order of punishment mentioned in sub-clauses (i) to (iii) or clause (a) and sub-clauses (i) to (iv) or clause (b) entitled to prefer an appeal against the order of such punishment to the authority mentioned below :

(a) to the Deputy Inspector General, if the original order is of the Superintendent of Police or officers empowered under sub-rule (4) of rule 7 of these rules ;

(b) to the Inspector General, if the original order is of the Deputy Inspector General ;

(c) to the Director-General, if the original order is of Inspector General ;

(d) to the State Government, if the original order is of Director General.

(2) No appeal shall lie against an order inflicting any of the petty punishments enumerated in sub-rules (2) and (3) of rule 4.

(3) Every officer desiring to prefer an appeal shall do so separately.

(4) Every appeal, preferred under these rules shall contain all materials, statements, arguments relied on by the police officers preferring the appeal, and shall be complete in itself, but shall not contain disrespectful or improper language. Every appeal shall be accompanied by a copy of final order which is the subject of appeal.

(5) Every appeal, whether the appellant is still in service of Government or not, shall be submitted through the Superintendent of Police of the district or in the case of police officers not employed in district work through the head of the office to which the appellant belongs or belonged.

(6) An appeal will not be entertained unless it is preferred within three months from the date on which the police officer concerned was informed of the order of punishment :

Provided that appellate authority may, at his discretion, for good cause shown extend the said period up to six months.

(7) If the appeal preferred does not comply with the provisions of sub-rule (4) the appellate authority may require the appellant to comply with the provisions of the said sub-rule within one month of the notice of such order to him and if the appellant fails

to make the above compliance the appellate authority may dispose of the appeal in the manner as it deems fit.

(8) The Director-General or an Inspector-General may, for reasons to be recorded in writing, either on his own motion or on request from an appellate authority before whom the appeal is pending, transfer the same to any other officer of corresponding rank.

21. Submission of documents with appeal.—(1) When the appellate authority admits the appeal and sends for the records, all the papers should be submitted, which were considered by the officer against whose order the appeal is made including the character roll and service roll of the officer punished.

(2) Copies or orders passed in appeal which are furnished to the Superintendent of Police by the appellate authority shall invariably be accompanied with the departmental punishment file and shall be submitted therewith when the record is called for.

22. Counting of dismissal period.—Where an appeal against the orders of dismissal or removal succeeds, the appointing authority shall consider and make a specific order (i) regarding the period of suspension preceding his dismissal or removal as the case may be, and (ii) whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty in accordance with the provisions of Rule 54 of the Financial Hand Book, volume II, Part II to IV.

23. Revision.—(1) An officer whose appeal has been rejected by any authority subordinate to the Government is entitled to submit an application for revision to the authority next in rank above by which his appeal has been rejected within the period of three months from the date of rejection of appeal. On such an application the powers of revision may be exercised only when, in consequence of flagrant irregularity, there appears to have been material injustice or miscarriage of justice :

Provided that the revising authority may on its own motion call for and examine the records of any order passed in appeal against which no revision has been preferred under this rule for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such order or as to the regularity of such procedure and pass such order with respect thereto as it may think fit :

Provided further that no order under the first proviso shall be made except after giving the person effected a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The procedure prescribed for appeal applies also to application for revision. An application for revision of an order rejecting an appeal shall be accompanied by a copy of the original order as well as the order of appellate authority.

24. Enhancement of punishment.—A punishment may be enhanced by :—

(a) an appellate authority on appeal ; or

(b) any authority superior to the authority to whom an application will lie, in exercise of revisionary powers :

Provided that before enhancing the punishment such authority shall call upon the officer punished, to show cause why his punishment should not be so enhanced, and that an order by such authority so enhancing a punishment shall be deemed to be an original order of punishment.

25. Powers of Government.—Notwithstanding anything contained in these Rules, the Government may, on its own motion or otherwise, call for and examine the records of any case decided by an authority subordinate to it in the exercise of any power conferred on such authority by these rules, and against which no appeal has been preferred under these rules and—

(a) confirm, modify or revise the order passed by such authority ; or

(b) direct that a further inquiry be held in the case ; or

(c) reduce or enhance the penalty imposed by the order ; or

(d) make such other order in the case as it may deem fit :

Provided that where it is proposed to enhance the penalty imposed by any such order that police officer concerned shall be given an opportunity of showing cause against the proposed enhancement.

26. Copies of official document.—An officer is entitled to receive free of charge one copy of any order against which an appeal, application for revision or petition lies under these rules.

27. Supply of copies of documents on payments.—A Police officer is entitled, on payment at the rates to be fixed from time to time by the Government, copies of all papers material to an appeal, application for revision or petition which lies under these rules except confidential papers, the publication of which would be prejudicial to the administration.

Note.—Officer making reports in punishment cases shall as far as possible, exclude all matter, the publication of which might be prejudicial to the administration.

APPENDIX—I

PROCEDURE RELATING TO THE CONDUCT OF DEPARTMENTAL PROCEEDINGS AGAINST POLICE OFFICER

[*See* Rule 14(1)]

Upon institution of a formal enquiry such police officer against whom the enquiry has been instituted shall be informed in writing of the grounds on which it is proposed to take action and shall be afforded an adequate opportunity of defending himself. The grounds on which it is proposed to take action shall be used in the form of a definite charge or charges as in Form 1 appended to these Rules which shall be communicated to the charged police officer and which shall be so clear and precise as to give sufficient indication to the charged police officer of the facts and circumstances against him. He shall be required, within a reasonable time, to put in, in a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person. If he so desires, or if the Inquiry Officer so directs an oral enquiry shall be held in respect of such of the allegation as are not admitted. At that enquiry such oral evidence will be recorded as the Inquiry Officer considers necessary. The charged police officer shall be entitled to cross-examine the witnesses, to give evidence in person and to have such witnesses called as he may wish : provided that the Inquiry Officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to call a witness. The proceedings shall contain a

sufficient record of the evidence and statement of the findings and the ground thereof. The Inquiry Officer may also separately from these proceedings make his own recommendation regarding the punishment to be imposed on the charged police officer.

FORM—1

Form of charge to be used in proceedings under section 7 of the Police Act, 1861

Office of the

To, Dated : 199

(Full name and designation of the police officer charged)

You are hereby charged as follows :—

(1) that you on (or about) .....(or between)..... .....and .....dated) while posted as designation

(Facts of the case)

and hereby

committed a breach of rule.....

or, were guilty of failure to discharge your duty, or etc.

Evidence which it proposed to consider in support of the charge—

(I) +

(II) +

(III) +

(2) that you* etc.

(3) that you* etc.

+(to be repeated as many times as there charges)

You are hereby required on or before .....to put in a written statement of your defence in reply to each of the charges. You are warned that if no such statement is received from you by the undersigned within the time allowed, it will be presumed that have none to furnish and orders will be passed in your case accordingly.

You are further required simultaneously to inform the undersigned in writing whether you desire to be heard in person and, in case you wish to examine or cross-examine any witnesses to submit along with your written statement their names and addresses together with a brief indication of the evidence which each such witness shall be expected to give.

(Signature and Designation of Inquiring Officer)

(*For* and on behalf of*)

Certified that the charge has been read over and explained to.....(party charged) in simple Hindi and a copy of the same was handed over to .....Received a copy of charge.

(Signature and Designation of Inquiry Officer)

Signature of party charged

NOT TO FORM PART OF THE CHARGE

Instructions :

(I) The charge-sheet should be given to the person concerned and his signature should be taken on a copy of the charge-sheet. If that is not possible, it should be served by registered post.

(II) Each charge should be drawn up precisely and clearly, care being taken to avoid vagueness.

(III) State the act, or commission by the Government servant with as much precision as possible.

(IV) If the act, or commission can be related to any specific rule or order it should be shown here, if not a general statement like "were there by guilty of dishonesty, dereliction of duty" etc. should be.

(V) It is not necessary that the evidence should be set in detail. It is enough to specify the different places evidence which it is proposed to take into account against the Government servant charged e.g. statement of so and so or letter or report of so and so, dated such and such. Care should be taken, however, to see that the evidence cited is exhaustive as no further place of evidence can be considered against the Government servant charged later on, unless he gives fresh notice of it and so also an opportunity to meet it.

FORM—2

[*See* Rule 15]

Proforma of orderly room register

Appeal room's register Division

S. No.	Name Designation and no. of charged party	Offence	Date of Offence	Statement of witnesses and circumstances	Statement of charged party	Directions regarding previous offences and punishments	Decision of Superintendent or officer in orderly room	Order of Superintendent and date	Report about execution of the punishment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4

THE UTTAR PRADESH CLASS II SERVICES (IMPOSITION OF MINOR PUNISHMENTS) RULES, 1973

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Class II Services (Imposition of Minor Punishments) Rules, 1973.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Extent of application.—These rules shall apply to all Class II services of Uttar Pradesh whose appointing authority is the Governor.

3. Overriding effect of these Rules.—The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith in any rule or order in force immediately before the commencement of these rules.

4. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(b) "Head of department" means an authority specially declared as such by the Governor ;

(c) "Minor punishments" means—

(i) censure ;

(ii) Withholding of increments including stoppage at efficiency bar, or,

(iii) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders.

5. Delegation of power.—The power of the Governor to inflict minor punishments in respect of officers belonging to Class II Services of Uttar Pradesh and serving under the Heads of Departments may, subject to the control of the Governor, be exercised also by the respective Head of Department.

5

THE UTTAR PRADESH CLASS II SERVICES (IMPOSITION OF MINOR PUNISHMENTS) (AMENDMENT) RULES, 1980

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Class II Services (Imposition of Minor Punishments) (Amendment) Rules 1980.

---

1. w.e.f. 21.7.1973.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Amendment of rule 4 (b).—In the U.P. Class II Services (Imposition of Minor Punishments) (Amendment) Rules, 1975 in rule 4 *for* clause (b) set out in column 1 below, Clause as set out in column 2 shall be *substituted*.

Column 1	**Column 2**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
(b) "Head of Department" means an authority specially declared as such by the Governor.	*(b)* "Head of Department" includes an Additional Head of Department and means an authority specially declared as such by the Governor.

6

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

APPOINTMENT SECTION-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 22/1-1972—Appointment-3, dated November 29, 1973 :

No 22/1-1972—Appointment—3
November 29, 1973

In pursuance of the provisions of rule 4(b) of the Uttar Pradesh Class II Service (Imposition of Minor Punishments) Rules, 1973, published with Government notification no. 22/1/1972—Appointment-3, dated July 21, 1973 the Governor is pleased to declare the following authorities as the Head of Department for purposes of these rules :

(1) Chairman, Board of Revenue,

(2) Inspector-General of Police,

(3) Commissioners of Divisions,

(4) Chief Conservator of Forests.

(5) Director, Medical and health Services,

(6) Engineer-in-Chief (or Chief Engineer) Irrigation Department,

(7) Chief Engineer, Public Works Department,

(8) Chief Engineer, Local Self- Government Department,

(9) Inspector-General of Prisons,

(10) Director of Agriculture,

1. w.e.f. 8.7.1980.

(11) Director of Industries,

(12) Director, Animal Husbandry,

(13) Director of Information,

(14) Director of Panchayats,

(15) Director, Harijan and Social Welfare,

(16) Director, Basic Education,

(17) Director, Secondary Education,

(18) Director, Higher Education,

(19) Director, Training and Employment,

(20) Director, Technical Education,

(21) Director, Civil Defence,

(22) Director, Ayurvedic and Unani Services,

(23) Director, Vigilance,

(24) Director, Krishi Vigyan Sansthan,

(25) Director, Geology and Mining,

(26) Director, Fisheries,

(27) Registrar, Cooperative Societies,

(28) Commissioner, Agriculture Production and Rural Development,

(29) Consolidation Commissioner,

(30) Commissioner, Food and Civil Supplies,

(31) Commissioner, Sales Tax,

(32) Commissioner, Entertainment and Betting Tax,

(33) Excise Commissioner,

(34) Labour Commissioner,

(35) Cane Commissioner,

(36) Transport Commissioner,

(37) Commissioner, Relief and Rehabilitation,

(38) Chief Electoral Officer and Director of Elections,

(39) Chief Town and Country Planner,

(40) Chairman, Public Service Commission,

(41) Principal, Officers Training School, and

(42) Commandant General, Home Guards.

By order,

GYAN PRAKASH,

Mukhya Sachiv.

7

DISCIPLINARY PROCEEDINGS (ADMINISTRATIVE TRIBUNAL) RULES, 1947

In exercise of the powers conferred by sections 241(2) and 266(3) of the Government of India Act, 1935, as amended, and sections 234*(a)* and *(b)* of the United Provinces Land Revenue Act (Act III of 1901) and section 7 of the Police Act (Act V of 1861) and all other powers enabling him to do so, the Governor of the Uttar Pradesh is pleased to make the following rules for regulating in certain cases the conduct of disciplinary proceedings and the award of punishment to members of the public services under the Governor's rule making control :

1. (1) These rules may be called the Disciplinary Proceedings (Administrative Tribunal) Rules, 1947.

(2) They shall come into force with effect from November 8, 1947.

(3) They shall apply to all Government servants under the rule-making control of the Governor, and will be applicable to any acts, omissions or conduct arising before the date of the commencement of these rules as they are applicable to those arising after that date.

[1](4) They shall also apply to all persons who have retired from such Government service as is referred to in sub-rule (3), insofar as required for purposes mentioned in rule 10-A.

2. For the purposes of these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(a) "Government" means the Government of the Uttar Pradesh.

[2]*(b)* "Tribunal" means an Administrative Tribunal constituted under rule 3.

[3]**3.** (1) Government may from time to time constitute one or more Administrative Tribunals as it may consider necessary for enquiry into such cases or classes of cases as Government may by general or special order direct.

(2) Each Tribunal shall consist of two members, one of whom shall be an officer of adequate seniority to be the head of a department or the Commissioner of a division and the other a Judicial Officer qualified for appointment as a Judge of the High Court :

Provided that nothing herein contained shall prevent the appointment of the same person as member of more tribunals than one.

[4](3) Government shall nominate one of the members of each Tribunal to be the presiding officer of that Tribunal.

---

1. *Vide* notification no. 2565/XXXIX—2(7)—70, dated November 7, 1975.
2. *Substituted* by notification no. 937/XXXIX—2(5)—68, dated March 19, 1968.
3. "Tribunal" *substituted* by notification no. 1844/XXXIX—2(5)—68, dated June 12, 1969.
4. *Substituted* by notification no. 1844/XXXIX—2(5)—68, dated June 12, 1969.

[1](3-A) Without prejudice to the generality of its power to replace any member or assessor whose services cease to be available for functioning as such, Government may, if it is satisfied that it is expedient so to do for the ends of justice (1) transfer any case pending before any Tribunal either to another Tribunal having a new set of members, or to a Tribunal reconstituted by replacing one of its members, or (2) replace the assessor appointed to assist it.

[2](4) The Tribunal shall be assisted by an Assessor who will be appointed by the Governor taking into account the rank of the charged Government servant, so however that he shall always be a *gazetted* Government servant and shall be an officer drawing pay in a scale higher than that of the charged Government servant or, where more than one Government servant has been charged in the same proceedings, in a scale of pay higher than that of the highest charged Government servant. As far as possible, the Governor will select as assessor an Officer serving with the same Department as the charged Government servant, or where more than one Government servant has been charged in the same proceedings, the charged Government servant in the highest scale of pay.

[3](5) Where no officer serving with the same department as the charged Government servant and drawing pay in a scale higher than that of the charged Government servant is available for appointment as Assessor under sub-rule (4), the Governor may appoint as Assessor, an officer drawing higher pay than, though in the same scale as, the charged Government servant.

(6) If an officer appointed as Assessor fulfilled the qualifications mentioned in sub-rule (4) or sub-rule (5) at the time of his appointment, as such, he shall, unless otherwise ordered by the Governor, continue to act as Assessor notwithstanding that during the continuance of the proceedings before the Tribunal :

(a) the charged Government servant has got into the same pay scale as such Assessor ; or

(b) such Assessor has retired from Government service and has been simultaneously re-employed in the post from which he retired.

[4](7) Notwithstanding anything in the foregoing sub-rules, a Tribunal to which a case relating to a member of any of the following services is referred shall consist of two officers, each of whom shall be qualified for appointment as a Judge of the High Court, and no assessor shall be appointed to assist such a Tribunal :

(a) U.P. Higher Judicial Service,

(b) U.P. State Judicial Service,

(c) U.P. Judicial Officers' Service :

---

1. *Added* by *Ibid.*
2. *Substituted* by notification no. 937/XXXIX—2(5)—68, dated March 19, 1968.
3. Has effect from March 19, 1968 shall apply to all Government servants under the rule-making control of the Governor other than Government servants referred to in Section 234 (a) of the U.P. Land Revenue Act (Act No. III of 1901) and section 7 of the Police Act (Act No. V of 1861). Notification no. 859/XXXIX—(2)2(5)—68, dated June 8, 1973.
4. Notification no. 2565/XXXIX(2)—2(7)—70, dated November 7, 1975.

Provided that nothing herein contained shall prevent the appointment of a member of a Tribunal referred to in sub-rule (2), who is qualified as mentioned in this sub-rule, as a member of a Tribunal under this sub-rule and the provisions of sub-rules (3) and (3-A) of this rule and rules 8-A and 9 shall *mutatis mutandis* apply to a Tribunal referred to in this sub-rule :

Provided further that the power under sub-rule (1) or under sub-rule (3-A) shall, in relation to a Tribunal mentioned in this sub-rule, be exercised by the Government only on the recommendation or with the consent of the High Court.

[1]**4.** The Governor may refer to the Tribunal cases relating to an individual government servant or a class of government servants in respect of any imputation of misconduct or misbehaviour :

Provided that in respect of a case relating to an officer belonging to a service referred to in sub-rule (7) of Rule 3, hereinafter in these rules referred to as a "Judicial Officer", the Governor shall make a reference if, and only if, so recommended by the High Court.

[2]**5.** (1) In forwarding any case to the Tribunal, the Government shall state—

(a) the particulars of the official involved ;

(b) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour reduced into definite and distinct articles of charge ;

(c) a statement of imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain—

(i) a statement of relevant facts, including any admission or confession made by the official ;

(ii) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom the articles of charge are proposed to be sustained ;

(1-A) The Tribunal shall have the power to amend the articles of charge but not so as to affect the substance thereof and also to make any correction in the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge.

(1-B) The Tribunal may, where it thinks fit in the interest of justice, summon and examine any witness not included in the list referred to in sub-rule (1).

(2) The Tribunal shall be entitled to the perusal of all records having a bearing on the case before it.

6. Subject to the general or special directions of the Governor the Tribunal may hold its sitting at any place in the State.

[3]**7.** (1) The proceedings of the Tribunal shall be held in camera.

(2) The Government may appoint a Government servant or a legal practitioner to be known as the Presenting Officer, to present the case in support of the articles of charge.

---

1. Notification no. 2565/XXXIX—(2)—2(7)—70, dated November 7, 1975.
2. Notification no. 2565/XXXIX—(2)—2(7)—70, dated November 7, 1975.
3. Notification no. 2565/XXIX (2)—2(7)—70, dated November 7, 1975.

(3) The Government servant may take the assistance of any other Government servant to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the Governor is a legal practitioner or the Tribunal having regard to the circumstances of the case, so permits :

Provided that nothing in this sub-rule shall be construed to authorise the payment of any travelling or daily allowance to any Government servant for enabling him to assist the charged Government servant.

(4) If the Government servant who has not admitted any of the articles of charge, in his written statement of defence, or has not submitted any written statement of defence, appears before the Tribunal, the Tribunal "shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the Tribunal shall record the plea, sign the record and obtain his signatures thereon".

8. (1) The Tribunal shall in each case make such enquiry as may be appropriate.

(2) In conducting such enquiry the Tribunal shall be guided by rule of equity and natural justice and shall not be bound by formal rule relating to procedure and evidence.

8-A. (1) If a member of the Tribunal ceases at any time to available for functioning as such, the remaining member shall be deemed to validly constitute the Tribunal for the purposes of cases pending before it.

[1](2) The replacement of a member of, or an assessor appointed to assist, a Tribunal during the pendency of any case, or the transfer of any case from one Tribunal to another shall not necessitate the reopening of the proceedings of such case or a *de novo* enquiry into it.

[2](3) If a member or assessor, if any, is absent at a particular hearing then in the case of a Tribunal referred to in sub-rule (7) of rule 3 the remaining member, and in any other case, the remaining member with the assessor, or, as the case may be, both the members without the assessor may proceed with the case.

9. (1) After completing the proceedings the Tribunal shall make a record of the case in which it shall state the charges the explanation of its own findings and the views of the assessor. It shall where satisfied that punishment be imposed, also formulate its recommendations about punishment.

[3](2) The Tribunal may recommend any punishment mentioned in the Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules or compulsory retirement with or without full or proportionate pension or with or without gratuity or compassionate allowance as it may deem suitable or may recommend any action under Article 351-A of the Civil Service Regulations.

(3) Where the Tribunal makes a recommendation for compulsory retirement as aforesaid it shall be competent to the Governor to impose that penalty, notwithstanding

---

1. Notification no. 1844/XXXIX—2(5)—69, dated June 12, 1969.
2. Notification no. 2565/XXXIX (2)—2(7)—70, dated November 7, 1975.
3. Notification no. 2565/XXXIX—(2)—2(7)—70, dated November 7, 1975.

that it is not a penalty mentioned in the Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.

[1]10. (1) On receipt of the Tribunal's recommendation, the Governor shall, in a case relating to a Judicial Officer send the recommendations to the High Court and the High Court may pass an order awarding a penalty other than one of dismissal or removal or compulsory retirement itself, or recommend to the Governor the imposition of the penalty of dismissal or removal or compulsory retirement or pass such other order as it may deem fit.

(2) In a case relating to a Government servant not being a Judicial Officer, the Governor, on receipt of the Tribunal's recommendations, may pass an order awarding the punishment recommended by the Tribunal or a higher or lesser punishment or pass such other order as he may deem fit.

(3) The Governor or the High Court as the case may be, may at any time, if he or it considers necessary, call for a clarification or supplementary finding from the tribunal.

(4) No appeal shall lie against an order passed by the Governor or the High Court under this rule.

(5) Consultation with the Public Service Commission is not necessary in view of the first proviso to regulation 8(*a*) of the U.P. Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1954 before passing an order of punishment under these rules.

[2]10-A. (1) Notwithstanding anything in these rules, the Governor may refer to the tribunal a case against a retired Government servant where proceedings are proposed to be held under Article 351-A of the Civil Service Regulations.

(2) Where a Government servant retires during the pendency of any proceedings against him under these rules, the Governor may order the proceedings to be continued for purposes of Article 351-A of the Civil Service Regulations.

(3) Any action under this rule in respect of a judicial officer shall be taken only on the recommendation or with the consent of the High Court.

(4) For the purposes of proceedings under this rule, an assessor to be appointed in the case of a retired Government servant shall be of a rank not lower than the rank held by the charged Government servant before his retirement.

[3]11. During or in contemplation of proceedings under these rules a Government servant may be placed under suspension by the authority competent under the ordinary rules :

Provided that in the case of a judicial officer the power of suspension may be exercised by the High Court or on its recommendation by the Governor :

Provided further that in relation to judicial officers, references in rule 49-A of the

---

1. *Ibid* Rules 10(1) amended by U.P. Civil Services (Amendment) Rules, 1977. Notification no. 7/1/77—Karmik—1, dated April 27, 1977.
2. Notification no. 2565/XXXIX(2)—2(7)—1970, dated November 7, 1975.
3. Notification no. 2565/XXXIX(2)—2(7)—1970, dated November 7, 1975.

before the court or such proceeding or order has been adjudicated void by the court.

Further proceedings shall be taken in the manner hereinafter provided.

(2) Where the proceedings are pending before the Tribunal immediately before the commencement of these rules and the case falls in categories (a) and (i) mentioned in sub-rule (1), then further proceedings shall be taken in accordance with sub-rules (2) and (3) of rule 7 as hereby amended.

(3) Where the case falls in category (a) and category (ii) or (iii) mentioned in sub-rule (1), then subject to the orders, if any, of any court of law, the case shall stand referred back to the Tribunal for fresh proceedings in accordance with sub-rules (2) and (3) of rule 7 as hereby amended.

(4) Where the case falls in categories (b) and (iii) mentioned in sub-rule (1), then subject to the orders, if any, of any court of law, the Governor may recall the notice or order of punishment and issue a fresh notice to show cause along with a copy of the findings of the Tribunal or of its recommendations as to punishment, as the case may be, and take further action thereafter accordingly.

(5) If the case falls under category (c) an either of the categories (i), (ii) and (iii) mentioned in sub-rule (1), then subject to the orders, if any, of any court of law, the case shall stand referred to a new Tribunal constituted in accordance with sub-rule (7) of rule 3 of the amended rules, and the new Tribunal shall proceed afresh in accordance with the amended rules.

Explanation.—Nothing in this sub-rule shall be deemed to require the High Court to be consulted again in respect of a stage of the proceedings where proceedings of that stage had been originally taken on the recommendation or with the consent of the High Court.

(6) In any further proceedings under sub-rule (1), sub-rule (3) or sub-rule (5), the Tribunal may act on the evidence recorded in the case earlier by itself or by any other Tribunal :

Provided that if such Tribunal is of opinion that further examination of all or any of the witnesses whose evidence had already been recorded is necessary in the interests of justice it may and where the charged Government servant so requests it shall re-summon any such witnesses and after such further examination, cross-examination and re-examination if any, as it may direct, the witnesses shall be discharged.

(7) In any proceedings pending before the Tribunal under the said rules immediately before the commencement of these rules or in any proceedings recommended under the foregoing sub-rules any reference to a charge of the nature defined in clause *(c)*, clause *(d)* or clause *(e)* of rule 2 or of the nature mentioned in clause *(a)*, or clause *(b)* clause *(c)*, or clause *(d)*, or clause *(e)* of sub-rule (1) of rule 4 of the said rules as they stood before their amendment by these rules shall be deemed to be a reference to misconduct or misbehaviour of the charged Government servant.

(8) The provisions of sub-rule (4) of rule 49-A of the Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules shall apply in relation to any further inquiry

अध्याय 11

भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन मंजूरी देने हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं आदेश का प्ररूप

(Competent Authorities to grant Prosecution Sanction in Corruption Cases and Proforma of Orders)

जब कोई लोकसेवक, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में वर्णित अपराध कारित करना पाया जाय तो न्यायालय में उसका अभियोजन करने से पूर्व धारा 19 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन की मंजूरी लेनी पड़ती है। अपराध का अन्वेषण करने वाले अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन की मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। सामान्यतया पुलिस उपाधीक्षक या उनसे उच्च रैंक का पुलिस अधिकारी ही पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों का अन्वेषण कर सकता है ; किन्तु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस निरीक्षकों को भी पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। विभिन्न वर्ग के लोकसेवकों के अभियोजन की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारीगण एवं अभियोजन की मंजूरी का प्ररूप, शासनादेश द्वारा विहित किया गया है ; जिसके अनुरूप अभियोजन की मंजूरी प्रदान करने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

1

THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988

EXTRACTS OF SECTIONS 2, 7 TO 15, 19, 24, 30 AND 31

2. Definitions.—In this act, unless the context otherwise requires,—*(a)* ''election'' means any election, by whatever means held under any law for the purpose of selecting members of Parliament or of any Legislature, local authority or other public authority ;

(b) ''public duty'' means a duty in the discharge of which the State, the public or the community at large has an interest ;

Explanation.—In this clause ''State'' includes a corporation established by or under a Central, Provincial or State Act, or an authority or a body owned or controlled or aided by the Government or a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) ;

(c) ''public servant'' means—

(i) any person in the service or pay of the Government or remunerated by the Government by fees or commission for the performance of any public duty ;

(ii) any person in the service or pay of a local authority ;

(iii) any person in the service or pay of a corporation established by or under a Central, Provincial or State Act, or an authority or a body owned or controlled

or aided by the Government or a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) ;

(iv) any Judge, including any person empowered by law to discharge, whether by himself or as a member of any body of persons, any adjudicatory functions ;

(v) any person authorised by a court of justice to perform any duty, in connection with the administration of justice, including a liquidator, receiver or commissioner appointed by such court ;

(vi) any arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by a court of justice or by a competent public authority ;

(vii) any person who holds an office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election ;

(viii) any person who holds an office by virtue of which he is authorised or required to perform any public duty ;

(ix) any person who is the president, secretary or other office-bearer of a registered cooperative society engaged in agriculture, industry, trade or banking, receiving or having received any financial aid from the Central Government or a State Government or from any corporation established by or under a Central, Provincial or State Act, or any authority or body owned or controlled or aided by the Government or a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) ;

(x) any person who is a chairman, member or employee of any Service Commission or Board, by whatever name called, or a member of any selection committee appointed by such Commission or Board for the conduct of any examination or making any selection on behalf of such Commission or Board ;

(xi) any person who is a Vice-Chancellor or member of any governing body, professor, reader, lecturer or any other teacher or employee, by whatever designation called, of any University and any person whose services have been availed of by a University or any other public authority in connection with holding or conducting examinations ;

(xii) any person who is an office-bearer or an employee of an educational, scientific, social, cultural or other institution, in whatever manner established, receiving or having received any financial assistance from the Central Government or any State Government, or local or other public authority.

Explanation 1.—Persons falling under any of the above sub-clauses are public servants, whether appointed by the Government or not.

Explanation 2.—Wherever the words "public servant" occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation.

7. Public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act.—Whoever, being, or expecting to be a public servant, accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person, for himself or for any

other person, any gratification whatever, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act or for showing or forbearing to show, in the exercise of his official functions, favour or disfavour to any person or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person, with the Central Government or any State Government or Parliament or the Legislature of any State or with any local authority, corporation or Government company referred to in clause (c) of Section 2, or with any public servant, whether named or otherwise, shall be punishable with imprisonment which shall be not less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine.

Explanations.—(a) "Expecting to be a public servant." If a person not expecting to be in office obtains a gratification by deceiving others into a belief that he is about to be in office, and that he will then serve them, he may be guilty of cheating, but he is not guilty of the offence defined in this section.

(b) "Gratification." The word "gratification" is not restricted to pecuniary gratifications or to gratifications estimable in money.

(c) "Legal remuneration." The words "legal remuneration" are not restricted to remuneration which a public servant can lawfully demand, but include all remuneration which he is permitted by the Government or the organisation, which he serves, to accept.

(d) "A motive or reward for doing." A person who receives a gratification as a motive or reward for doing what he does not intend or is not in a position to do, or has not done, comes within this expression.

(e) Where a public servant induces a person erroneously to believe that his influence with the Government has obtained a title for that person and thus induces that person to give the public servant, money or any other gratification as a reward for this service, the public servant has committed an offence under this section.

8. Taking gratification, in order, by corrupt or illegal means, to influence public servant.—Whoever accepts or obtains, or agrees to accept, or attempts to obtain, from any person, for himself or for any other person, any gratification whatever as a motive or reward for inducing, by corrupt or illegal means, any public servant, whether named or otherwise, to do or to forbear to do any official act, or in the exercise of the official functions of such public servant to show favour or disfavour to any person, or to render or attempt to render any service or disservice to any person with the Central Government or any State Government or Parliament or the Legislature of any State or with any local authority, corporation or Government company referred to in clause (c) of Section 2, or with any public servant, whether named or otherwise, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine.

9. Taking gratification, for exercise of personal influence with public servant.—Whoever accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain, from any person, for himself or for any other person, any gratification whatever, as a motive or reward for inducing, by the exercise of personal influence, any public servant whether named or otherwise to do or to forbear to do any official act, or in the exercise of the official functions of such public servant to show favour or disfavour to any

person, or to render or attempt to render any service or disservice to any person with the Central Government or any State Government or Parliament or the Legislature of any State or with any local authority, corporation or Government company referred to in clause (c) of Section 2, or with any public servant, whether named or otherwise, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine.

10. Punishment for abetment by public servant of offences defined in Section 8 or 9.—Whoever, being a public servant, in respect of whom either of the offences defined in Section 8 or Section 9 is committed, abets the offence, whether or not that offence is committed in consequence of that abetment, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine.

11. Public servant obtaining valuable thing, without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant.—Whoever, being a public servant, accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain for himself, or for any other person, any valuable thing without consideration, or for a consideration which he knows to be inadequate, from any person whom he knows to have been, or to be, or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by such public servant, or having any connection with the official functions of himself or of any public servant to whom he is subordinate, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine.

12. Punishment for abetment of offences defined in Section 7 or 11.—Whoever abets any offence punishable under Section 7 or Section 11 whether or not that offence is committed in consequence of that abetment, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine.

13. Criminal misconduct by a public servant.—(1) A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct,—

(a) if he habitually accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person for himself or for any other person any gratification other than legal remuneration as a motive or reward such as is mentioned in section 7 ; or

(b) if he habitually accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain for himself or for any other person, any valuable thing without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have been, or to be, or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by him, or having any connection with the official functions of himself or of any public servant to whom he is subordinate, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned ; or

(c) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or under his control as a public servant

or allows any other person so to do ; or

(d) if he,—

(i) by corrupt or illegal means, obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage ; or

(ii) by abusing his position as a public servant, obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage ; or

(iii) while holding office as a public servant, obtains for any person any valuable thing or pecuniary advantage without any public interest ; or

(e) if he or any person on his behalf, is in possession or has, at any time during the period of his office, been in possession for which the public servant cannot satisfactorily account, of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income.

Explanation.—For the purposes of this section, "known sources of income" means income received from any lawful source and such receipt has been intimated in accordance with the provisions of any law, rules or orders for the time being applicable to a public servant.

(2) Any public servant who commits criminal misconduct shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than one year but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

14. Habitual committing of offence under Sections 8, 9 and 12.—Whoever habitually commits—

(a) an offence punishable under Section 8 or Section 9 ; or

(b) an offence punishable under Section 12,

shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than two years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

15. Punishment for attempt.—Whoever attempts to commit an offence referred to in clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of Section 13 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine.

19. Previous sanction necessary for prosecution.— (1) No court shall take cognizance of an offence punishable under sections 7, 10, 11, 13 and 15 alleged to have been committed by a public servant, except with the previous sanction,—

(a) in the case of a person who is employed in connection with the affairs of the Union and is not removable from his office save by or with the sanction of the Central Government, of that Government ;

(b) in the case of a person who is employed in connection with the affairs of a State and is not removable from his office save by or with the sanction of the State Government, of that Government ;

(c) in the case of any other person, of the authority competent to remove him from his office.

(2) Where for any reason whatsoever any doubt arises as to whether the previous

sanction as required under sub-section (1) should be given by the Central Government or the State Government or any other authority, such sanction shall be given by that Government or authority which would have been competent to remove the public servant from his office at the time when the offence was alleged to have been committed.

(3) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),—

(a) no finding, sentence or order passed by a Special Judge shall be reversed or altered by a Court in appeal, confirmation or revision on the ground of the absence of, or any error, omission or irregularity in, the sanction required under sub-section (1), unless in the opinion of that court, a failure of justice has in fact been occasioned thereby ;

(b) no court shall stay the proceedings under this Act on the ground of any error, omission or irregularity in the sanction granted by the authority, unless it is satisfied that such error, omission or irregularity has resulted in a failure of justice ;

(c) no court shall stay the proceedings under this Act on any other ground and no court shall exercise the powers of revision in, relation to any interlocutory order passed in any inquiry, trial, appeal or other proceedings.

(4) In determining under sub-section (3) whether the absence of, or any error, omission or irregularity in, such sanction has occasioned or resulted in a failure of justice the court shall have regard to the fact whether the objection could and should have been raised at any earlier stage in the proceedings.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(a) error includes competency of the authority to grant sanction ;

(b) a sanction required for prosecution includes reference to any requirement that the prosecution shall be at the instance of a specified authority or with the sanction of a specified person or any requirement of a similar nature.

UTTAR PRADESH STATE AMENDMENT

Insert the following clause in section 19, in sub-section (1), after clause (C).—

"(d) [1]Notwithstanding anything contained in clause (c), the State Government may, where it considers necessary so to do, require the authority referred to in clause (c), to give previous sanction within the period specified in this behalf and if the said authority fails to give the previous sanction within such period, the previous sanction may be given by the State Government.

Explanation.—(1) For the purpose of this clause "authority" does not include any authority under the control of the Central Government.

(2) For removal of doubts it is hereby declared that the power of the State Government under this clause may be exercised also in a case where the authority referred to in clause (c) has earlier refused to give the previous sanction."

---

1. *Inserted* by U.P. Act No. 4 of 1991.

24. Statement by bribe giver not to subject him to prosecution.—Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a statement made by a person in any proceeding against a public servant for an offence under Sections 7 to 11 or under Section 13 or Section 15, that he offered or agreed to offer any gratification (other than legal remuneration) or any valuable thing to the public servant, shall not subject such person to a prosecution under Section 12.

30. Repeal and saving.—(1) The Prevention of Corruption Act, 1947 (2 of 1947) and the Criminal Law Amendment Act, 1952 (46 of 1952) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, but without prejudice to the application of Section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), anything done or any action taken or purported to have been done or taken under or in pursuance of the Acts so repealed shall, insofar as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under or in pursuance of the corresponding provision of this Act.

31. Omission of certain sections of Act 45 of 1860.—Sections 161 to 165-A (both inclusive) of the Indian Penal Code shall be *omitted*, and Section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply to such omission as if the said sections had been repealed by a Central Act.

2

AUTHORISATION OF INSPECTOR OF POLICE IN THE CRIME BRANCH OF C.I.D., U.P. TO INVESTIGATE ANY OFFENCE PUNISHABLE UNDER THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT

No. 5193/XXXIX-3(6)/1970, dated 12.2.1971

Satarkata Vibhag

NOTIFICATION

In exercise of the powers under the first proviso to sub-section (1) of Section 5-A of the Prevention of Corruption Act, 1947 (Act No. II of 1947) as amended by the Anti-Corruption Laws (Amendment) Act, 1964 (Act No. 40 of 1964), the Governor is pleased to authorise the Police Officers in the Crime Branch of the Criminal Investigation Department, Uttar Pradesh, not below the rank of Inspector of Police, to investigate any offence punishable under Section 161, Section 165 or Section 165-A of the Indian Penal Code or under Section 5 of the Prevention of Corruption Act, 1947, without the order of a Magistrate of the first class :

Provided that an offence referred to in clause *(c)* of sub-section (1) of Section 5 of the Prevention of Corruption Act, 1947, as amended by the Anti-Corruption Laws (Amendment) Act, 1964, shall not be investigated without the order of a police officer not below the rank of Superintendent of Police.

अध्याय 12

त्यागपत्र

(Resignation)

कोई भी सरकारी सेवक तीन मास की लिखित सूचना देकर अपनी सेवा से त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र की सूचना—

(1) स्वैच्छिक और बिना शर्त होनी चाहिए, तथा

(2) उस प्राधिकारी को जिसके अधीन उक्त सरकारी सेवक त्यागपत्र देने के समय कार्य कर रहा हो, सूचित करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित की जायेगी।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक को बिना किसी सूचना के या किसी अल्प सूचना पर पद त्यागने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होता है।

सरकारी सेवक का त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और उसके औपचारिक आदेश जारी नहीं किये जाते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेकानुसार त्यागपत्र स्वीकार करने से इनकार कर सकता है यदि—

(1) सरकारी सेवक सरकार के प्रति किसी धनराशि का देनदार हो और/या कोई अन्य दायित्व हो तो जब तक कि देय धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो या दायित्व का निर्वहन न किया गया हो।

या

(2) सरकारी कर्मचारी निलम्बित हो,

(3) उसके विरुद्ध कोई जांच अनुध्यात या लम्बित हो,

या

(4) आपराधिक आरोप से सम्बन्धित अन्वेषण, जांच या परीक्षण लम्बित हो और ऐसा आरोप सरकारी सेवक के रूप में उसकी शासकीय स्थिति से सम्बन्धित हो। नियुक्ति प्राधिकारी, यथासम्भव, सूचना की अवधि के अवसान के पूर्व त्यागपत्र की प्रार्थना पर विनिश्चय करके उस सरकारी सेवक को तद्नुसार संसूचित करेगा। उस सरकारी सेवक की सेवायें उसके त्यागपत्र स्वीकृति के आदेश के जारी होने के दिनांक से या ऐसे भविष्यवर्ती दिनांक से, जैसा उसमें उल्लिखित किया जाय, समाप्त हो जायेंगी।

[illegible] नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित त्यागपत्र देकर अपनी सेवाओं की पूर्वोक्त

1

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली, 2000

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली, 2000" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।[1]

2. अध्यारोही प्रभाव.—यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या इस निमित्त जारी किये गये कार्यपालक आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।

3. परिभाषाएं.—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में पद—

(क) किसी सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियाँ करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(घ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है,

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(च) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और उस सेवा से संबंधित सेवा नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो।

4. त्यागपत्र की सूचना.—(1) कोई सरकारी सेवक लिखित रूप में तीन मास की सूचना देकर अपनी सेवा से त्याग-पत्र दे सकता है।

(2) त्यागपत्र की सूचना—

(एक) स्वैच्छिक और बिना शर्त होगी,

(दो) प्राधिकारी जिसके अधीन उक्त सरकारी सेवक त्यागपत्र देने के समय कार्य कर रहा हो, को सूचित करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी को संबोधित की जायेगी।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक को बिना किसी सूचना या किसी अल्पतर सूचना के त्यागपत्र की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

5. त्यागपत्र का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना.—(1) सरकारी सेवक का त्याग-पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और उसके औपचारिक आदेश जारी नहीं किये जाते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेकानुसार त्याग-पत्र स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है यदि—

(एक) सरकारी सेवक सरकार के प्रति किसी धनराशि का देनदार हो और/या कोई अन्य दायित्व हो तो

---

1. यह नियमावली दिनांक 26.6.2000 से प्रवृत्त है।

जब तक कि देय धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो या दायित्व का निर्वहन न किया गया हो।

या

(दो) सरकारी कर्मचारी निलंबित हो,

या

(तीन) उसके विरुद्ध कोई जांच अनुध्यात या लंबित हो,

या

(चार) आपराधिक आरोप से संबंधित अन्वेषण, जांच या परीक्षण लंबित हों और ऐसा आरोप सरकारी सेवक के रूप में उसकी शासकीय स्थिति से संबंधित हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी यथासंभव सूचना की अवधि के अवसान के पूर्व त्याग-पत्र की प्रार्थना पर विनिश्चय करेगा।

6. सेवा समाप्ति.—उक्त सरकारी सेवक की सेवायें उसके त्यागपत्र स्वीकृति के आदेश के जारी होने के दिनांक से या ऐसे भविष्यवर्ती दिनांक से जैसा उसमें उल्लिखित किया जाय, समाप्त हो जायेंगी।

7. त्यागपत्र का वापस लेना.—सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में एक निवेदन के द्वारा इस नियमावली के नियम-6 में यथाउपबंधित अपनी सेवाओं की समाप्ति के दिनांक के पूर्व ही अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है।

2

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS' RESIGNATION RULES, 2000

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called ''The Uttar Pradesh Government Servants' Resignation Rules, 2000''.

(2) They shall come into force at once.[1]

2. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution or executive orders issued in this behalf.

3. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context, the expression—

(a) ''Appointing Authority'' in relation to any service means the authority empowered to make appointments to such service under the relevant service rules ;

(b) ''Constitution'' means the Constitution of India ;

1. w.e.f. 26.6.2000.

(c) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh ;

(d) "Government Servant" means a person substantively appointed to a post under the relevant service rule made under Article 309 of the Constitution ;

(e) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(f) "Substantive appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the service rules relating to that service.

4. Notice of Resignation.—(1) A Government servant may resign from his service by giving three months' notice in writing.

(2) The notice of resignation shall be—

(i) voluntary and unconditional,

(ii) addressed to the appointing authority under intimation to the authority under whom the said Government Servant is working at the time of tendering resignation.

Provided that it shall be open to the appointing authority to allow a Government Servant to resign without any notice or by a shorter notice.

5. Acceptance or refusal of resignation.—(1) The resignation of the Government servant shall not be effective unless it is accepted by the appointing authority and formal order is issued thereof. The appointing authority may, in his discretion, refuse to accept the resignation, if—

(i) the Government servant owes to the Government any sum of money and/or any other liability unless the amount due has been paid or the liability discharged.

or

(ii) the Government servant is under suspension,

or

(iii) any inquiry is contemplated or pending against him,

or

(iv) investigation, inquiry or trial relating to criminal charge is pending and such charge is connected with his official position as the Government servant.

(2) The appointing authority shall, as far as possible take decision on the request of resignation before the expiry of the period of notice.

6. Termination of service.—The services of the said Government servant shall stand terminated with effect from the date of issue of order of the acceptance of his resignation or from such future date as mentioned therein.

7. Withdrawal of resignation.—The Government servant may withdraw his resignation by making a request in writing to the Appointing Authority only before the date of termination of his services as provided in rule 6 of these rules.

निर्णय संदर्भ

(Case Laws)

[1] The petitioner, a lecturer of Kumaon Engineering College, submitted his resignation dt. 6.9.93 which was accepted by the State Government on 17.1.94, but in the meanwhile he withdrew that resignation by registered letter dt. 10.9.93.

> "It was held that the Principal had no authority or jurisdiction to accept the petitioner's resignation as the petitioner's appointing authority is the Board of Governors and hence only the Board of Governors can accept his resignation. In fact, the Principal has recognised this legal position as he forwarded the papers to the Board, but there was no acceptance by the Board of Governors and instead it was the State Government which accepted the resignation on 17.1.1994 i.e. long after the petitioner had withdrawn his resignation".

Ultimately, the High Court set aside the impugned order dated 27.(17).1.1994. (acceptance of resignation) and held that the petitioner validly withdrew his resignation. *[Lalit Mohan Upadhyay vs. Principal, Kumaon Engineering College, Dwarhat, Almora, 2000 (2) AWC 917].*

[2] The resignation, in spite of its acceptance, can be withdrawn before the "effective date." *[Shambhu Murari Sinha vs. Project and Development India, 2000 (3) AWC 2330 (SC)].*

[3] To constitute a "resignation", it must be unconditional and with intent to operate as such. There must be an intention to relinquish a portion of the term of office accompanied by an act of relinquishment. It is to give back, to give up in a formal manner an office. *[Dr. Prabha Atri vs. State of U.P., 2003 (1) AWC 574 (SC)].*

[4] A resignation takes effect from the date mentioned in it and that cannot be advanced by accepting it from an earlier date. *[Nand Keshwar Prasad vs. Indian Farmers Fertilizers Co-operative Ltd., 1999 (1) AWC 87 (SC)].*

[5] If resignation is withdrawn before acceptance by appointing authority, it cannot be accepted. Acceptance of resignation subsequently was quashed. *[Rajesh Tripathi vs. Board of Governors, 1997 AWC (Supp) 224 : 1997 (2) All CJ 1421].*

अध्याय 12

जन्मतिथि निर्धारण/परिवर्तन
(Determination/Change of Date of Birth)

सरकारी सेवकों की जन्मतिथि उनकी सेवानिवृत्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण एवं निर्णायक होती है। अतः सरकारी सेवक की जन्मतिथि का निर्धारण अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है। जन्मतिथि का निर्धारण निम्नलिखित ढंग से किया जाना चाहिए :—

(1) यदि सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले ही सरकारी सेवक हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो तो उसकी जन्मतिथि का निर्धारण, उपर्युक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र में अभिलिखित उसकी जन्मतिथि के अनुसार किया जायेगा।

(2) यदि सरकारी सेवा में नियुक्ति के उपरान्त सरकारी सेवक ने हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तो उसकी जन्मतिथि का निर्धारण, "सेवा-पुस्तिका" में अभिलिखित उसकी जन्मतिथि के अनुसार, किया जायेगा।

(3) यदि सरकारी सेवक ने हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया हो तो उसकी जन्मतिथि का निर्धारण, "सेवा-पुस्तिका" में अभिलिखित उसकी जन्मतिथि के अनुसार किया जायेगा।

यद्यपि सरकारी सेवक की पूर्वोक्त ढंग से निर्धारित जन्मतिथि को परिवर्तित या शुद्ध करने के लिए कोई प्रत्यावेदन ग्राह्य न होना प्राविधानित है, तथापि "किसी त्रुटि" का परिशोधन करने से इनकार नहीं किया जा सकता है, यदि इस बारे में समुचित एवं पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो।

सरकारी सेवक की जन्मतिथि में किसी भी परिवर्तन से पूर्व उसे सुनवाई का यथोचित एवं युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

1

उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती (जन्म दिनांक का अवधारण) नियमावली, 1974

(अद्यतन संशोधित)

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती (जन्म दिनांक का अवधारण) नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. ठीक जन्म दिनांक या आयु का अवधारण[1].—किसी सरकारी सेवक का जन्म दिनांक, जैसा कि सेवा में, उनके प्रवेश के समय उसके हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र में

---

1. उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती (जन्म दिनांक का अवधारण) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1980 द्वारा यथाप्रतिस्थापित जो दिनांक 28.5.1974 से प्रवृत्त समझा गया।

अभिलिखित हो, या जहां किसी सरकारी सेवक ने उपर्युक्त ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या सेवा में, प्रवेश करने के पश्चात् ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वहां उसके सरकारी सेवा में प्रवेश करने के समय उसकी सेवा-पुस्तिका में अभिलिखित जन्म दिनांक या आयु उसकी सेवा के सम्बन्ध में सभी प्रयोजनों के लिये, जिसके अन्तर्गत पदोन्नति, अधिवार्षिकी, समय पूर्व सेवा-निवृत्ति या सेवा-निवृत्ति लाभ के लिये पात्रता भी है, यथास्थिति, उसका ठीक जन्म दिनांक या आयु, समझी जायेगी और ऐसे दिनांक या आयु को शुद्ध करने के बारे में कोई आवेदन-पत्र या अभ्यावेदन किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे जो भी हों, ग्रहण नहीं किया जायेगा।

3. अधिभावी प्रभाव.—यह नियमावली, संगत सेवा नियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

निर्णय संदर्भ

(Case Laws)

In *Union of India vs. Harsam Singh, 1993 (67) FLR 262*, the Apex Court has held :

The date of birth entered in the service records of a civil servant is, thus, of utmost importance for the reason that the right to continue in service stands decided by its entry in the service records. A Government servant who has declared his age at the initial stage of the employment is, of course, not precluded from making a request later on for correcting his age..... if he is in possession of irrefutable proof relating to his date of birth. *[Heera Lal vs. Regional Manager, U.P.S.R.T.C., Agra, 2003 (1) AWC 135].*

अध्याय 14

सेवानिवृत्ति, वैवश्यक एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

(Superannuation, Compulsory and Voluntary Retirement)

वर्तमान नियमों के अनुसार प्रत्येक सरकारी सेवक उस माह के अंतिम दिन के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेगा जिसमें वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण करे। उदाहरणार्थ यदि किसी सरकारी सेवक की जन्म तिथि 14 जून 1944 है तो वह 30 जून 2004 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जाएगा। इसे अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होना कहा जाता है। उसे पेंशन आदि सेवानैवृत्तिक लाभ मिलते हैं।

2. सेवाओं में स्वच्छता एवं दक्षता लाने के उद्देश्य से अधिवर्षिता आयु से पहले शासन द्वारा वैवश्यक सेवानिवृत्ति की जा सकती है। जिन सरकारी सेवकों का कार्य सुधार योग्य नहीं रह गया है और उन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है उनको तीन माह की नोटिस देकर अथवा नोटिस के स्थान पर 3 माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करके, जनहित में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन्हें सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

3. वैवश्यक सेवानिवृत्ति करने हेतु राजपत्रित अधिकारियों के मामले में शासन स्तर पर एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाती है जिसका अध्यक्ष प्रशासकीय विभाग का प्रमुख सचिव होता है और दो अन्य अधिकारी सदस्य होते हैं। इनमें से एक उस विभाग का विभागाध्यक्ष होता है और दूसरा सदस्य मुख्य सचिव द्वारा नामित अधिकारी होता है। इस कमेटी द्वारा उन अधिकारियों के मामलों में विचार किया जाता है जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। इनमें से जिन अधिकारियों का कार्य एवं आचरण असंतोषजनक चल रहा हो और सुधार की आशा न हो अथवा उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो उनको वैवश्यक सेवानिवृत्त किये जाने की संस्तुति कमेटी कर सकती है। संबंधित विभाग के मंत्री को कमेटी की संस्तुतियों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा और मंत्री का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् वैवश्यक सेवानिवृत्ति की नोटिस जारी कर दी जायेगी।

4. अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष, नियुक्ति प्राधिकारी होता है तथा अन्य दो सदस्य उसके द्वारा नामित अधिकारी होते हैं।

5. उपरोक्त दोनों कमेटियों द्वारा निर्णय लेने के पूर्व निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना अपेक्षित है :—

(क) संबंधित सरकारी सेवक की चरित्र पंजी की सभी प्रविष्टियां जिनमें से पिछले दस वर्षों की प्रविष्टियों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(ख) प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध लंबित प्रत्यावेदन जिस पर निर्णय होना हो।

(ग) उ० प्र० सतर्कता अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत गठित सतर्कता अधिष्ठान की रिपोर्ट।

उ० प्र० शासन ने कार्यालय-ज्ञाप संख्या जी-2-514/दस-1995 दिनांक 19 जुलाई 1995 में निम्नलिखित आदेश जारी किये हैं :—

(1) तीन माह की नोटिस के बदले वेतन देकर जिस तिथि को किसी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त किया जायेगा उस तिथि को उसे सेवानिवृत्ति के आदेश के साथ अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर तीन माह की वेतन की धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इसके साथ ही उसे सेवानिवृत्ति के दिनांक से ही पेंशन का भुगतान भी पूरा किया जायेगा। इन [illegible] किसी प्रकार परस्पर समायोजन नहीं किया जायेगा तथा नोटिस अवधि का

(ii) तीन माह के वेतन के साथ मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता भी यथावत् अनुमन्य किये जायेंगे जैसा कि उन्हें सेवा में रहने पर उस वेतन पर देय होता।

(iii) नोटिस के तीन माह की अवधि में अनुमन्य होने वाली वेतनवृद्धि का लाभ देय नहीं होगा।

(iv) चूंकि संबंधित सरकारी सेवक उस तिथि को सेवानिवृत्त हो जायेगा अतः नोटिस के तीन माह की अवधि को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा हेतु गणना नहीं की जायेगी और सेवानिवृत्ति के दिनांक को जितनी सेवा पूरी हो जायेगी उसी को अर्हकारी सेवा मानकर पेंशन स्वीकृत की जायेगी।

(v) उक्त तीन माह के वेतन एवं भत्ते (से) स्रोत पर आयकर की कटौती की जायेगी।

6. तीन माह के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या जी-2-647/दस-534(19)/75 दिनांक 9 मई 75 द्वारा अग्रिम आहरित करने हेतु पहले ही प्राधिकृत किया जा चुका है।

7. स्वैच्छिक अथवा वैवश्यक सेवानिवृत्ति, दोनों मामलों में; सरकारी सेवक को उसकी सेवा अवधि के अनुसार रिटायरिंग पेंशन तथा ग्रेच्युटी आदि अनुमन्य होता है। वैवश्यक सेवानिवृत्त किये गये सरकारी सेवकों को नियम 81, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 3 के अनुसार पहले घर जाने हेतु यात्रा भत्ता भुगतान की सुविधा नहीं मिलती थी किन्तु शासनादेश संख्या-सा-4-290/दस-98-626/60, दिनांक 13-4-98 द्वारा वैवश्यक सेवानिवृत्ति के मामले में भी घर जाने हेतु यात्रा भत्ता, सामान्य रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की भांति, देय होगा।

8. सरकारी सेवक भी, जिसने 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो अथवा 20 वर्ष की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो, वह नियुक्ति प्राधिकारी को तीन माह की नोटिस देकर स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त हो सकता है। जिस कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही चल रही हो और उसके द्वारा स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की नोटिस दी जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी यदि उसको अस्वीकार करना चाहता है तो नोटिस की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही कर्मचारी को अपने निर्णय से लिखित रूप से अवगत करा देना चाहिए।

9. स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के मामले में, शासनादेश संख्या 5/7/77(3) कार्मिक-1, दिनांक 24-8-1977 के अनुसार 5 वर्ष का सेवा लाभ अथवा जिस तिथि से वह सामान्यतया अधिवर्षता की आयु पूर्ण कर लेता, जो भी कम हो, दिया जाता है किन्तु वेतन-वृद्धियां नहीं बढ़ाई जाती हैं। उदाहरणार्थ- यदि कोई कर्मचारी जो सामान्यतया 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होता, वह 56 वर्ष की आयु पर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का अनुरोध करता है उसे 4 वर्ष की सेवा का लाभ और दिया जायेगा। उपरोक्त लाभ उन्हीं मामलों में दिया जायेगा जिनमें सरकारी सेवक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो।

1

U.P. FUNDAMENTAL RULES, 1942

EXTRACT OF RULE 56

(FINANCIAL HANDBOOK, VOLUME II, PARTS 2 TO 4)

56. [1]*(a)* Except as otherwise provided in this Rule, every Government servant other than a Government servant in inferior service shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty-eight years.

1. These amended sub-rules (a) & (b) are effective from April 1, 1975.

He may be retained in service after the date of compulsory retirement with the sanction of the Government on public grounds, which must be recorded in writing, but he must not be retained after the age of 60 years except in very special circumstances.

[1]*(b)* A Government servant in inferior service shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years. He must not be retained in service after that date, except in very special circumstances and with sanction of the Government.

[2]*(c)* Notwithstanding anything contained in clause (a) or clause (b), the appointing authority may, at any time, by notice to any Government servant (whether permanent or temporary), without assigning any reason, require him to retire after he attains the age of fifty years or such Government servant may by notice to the appointing authority voluntarily retire at any time after attaining the age of forty-five[3] years or after he has completed qualifying service of twenty years.

[4]*(d)* The period of such notice shall be three months :

Provided that—

(i) any such Government servant may by order of the appointing authority, without such notice or by a shorter notice, be retired forthwith at any time after attaining the age of fifty years, and on such retirement the Government servant shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances, if any, for the period of the notice, or as the case may be, for the period by which such notice falls short of three months, at the same rates at which he was drawing immediately before his retirement ;

(ii) it shall be open to the appointing authority to allow a Government servant to retire without any notice or by a shorter notice without requiring the Government servant to pay any penalty in lieu of notice :

Provided further that such notice given by the Government servant against whom a disciplinary proceeding is pending or contemplated, shall be effective only if it is accepted by the appointing authority, provided that in the case of a contemplated disciplinary proceeding the Government servant shall be informed before the expiry of his notice that it has not been accepted :

Provided also that the notice once given by a Government servant under clause (c) seeking voluntary retirement shall not be withdrawn by him except with the permission of the appointing authority.

[5]*(e)* A retiring pension shall be payable and other retirement benefits, if any, shall be available in accordance with and subject to the provisions of the relevant rules to every Government servant who retires or is required or allowed to retire under this rule.

[6]Provided that where a Government servant who voluntarily retires or is allowed

---

1. These amended sub-rules (a) & (b) are effective from April 1, 1975.
2. These sub-rules (c) & (d) are effective from June 7, 1975.
3. This figure—'Forty-five years' was *substituted* with effect from November 18, 1976.
4. These sub-rules (c) & (d) are effective from June 7, 1975.
5. This sub-rule is effective from June 7, 1975.
6. This proviso came into effect from November 18, 1976.

voluntarily to retire under this rule the appointing authority may allow him, for the purposes of pension and gratuity, if any, the benefit of additional service of five years or of such period as he would have served if he had continued till the ordinary date of his superannuation, whichever be less ;

Explanation.—(1) The decision of the appointing authority under clause (c) to require the Government servant to retire as specified therein shall be taken if it appears to the said authority to be in the public interest, but nothing herein contained shall be construed to require any recital, in the order, of such decision having been taken in the public interest.

(2) In order to be satisfied whether it will be in the public interest to require a Government servant to retire under clause (c) the appointing authority may take into consideration any material relating to the Government servant and nothing herein contained shall be construed to exclude from consideration—

(a) any entries relating to any period before such Government servant was allowed to cross any efficiency bar or before he was promoted to any post in an officiating or substantive capacity or on an ad hoc basis ; or

(b) any entry against which a representation is pending, provided that the representation is also taken into consideration along with the entry ; or

(c) any report of the Vigilance Establishment constituted under the Uttar Pradesh Vigilance Establishment Act, 1965.

(2-A) Every such decision shall be deemed to have been taken in the public interest.

(3) The 'expression' appointing authority means the authority which for the time being has the power to make substantive appointments to the post or service, from which the Government servant is required or wants to retire ; and the expression 'qualifying service' shall have the same meaning as in the relevant rules relating to retiring pension.

(4) Every order of the appointing authority requiring a Government servant to retire forthwith under the first proviso to clause (d) of this rule shall have effect from the afternoon of the date of its issue, provided that if after the date of its issue, the Government servant concerned, bona fide and in ignorance of that order performs the duties of his office, his acts shall be deemed to be valid notwithstanding the fact of his having earlier retired.

Note.—(1) (*Deleted*)

Note.—(2) The grant, under rule 86, of leave extending beyond the date on which a Government servant must compulsorily retire, or beyond the date upto which a Government servant has been permitted to remain in service, shall not be treated as sanctioning an extension of service, and the Government servant shall not be permitted to retain a lien on his permanent post or any other post during the period of such leave.

(This shall come into force with effect from April 1, 1965).

Note.—(3) A Government servant whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on

attaining the age of fifty-eight or sixty years, as the case may be.

Audit instructions regarding Rule 56

1. When a Government servant is required to retire, revert or cease to be on leave, on attaining a specified age, the day on which he attains that age is reckoned as a non-working day, and the Government servant must retire, revert or cease to be on leave (as the case may be) with effect from and including that day. [* * *]

1-A. Clause (a) [* * *] of Fundamental Rule 56 applies to all Government servants to whom the Fundamental Rules as a whole apply, whether they be holding temporary or permanent posts substantively or in an officiating capacity.

1-B. [* * *] The purpose of Fundamental Rule 56 is not to confer upon Government servants any right to be retained in service up to a particular age, but to prescribe the age beyond which they may not be retained in service.

1-C. Fundamental Rule 56 is generally applicable to re-employed personnel, and the rules in Chapter XXI of the Civil Service Regulations are subject to the conditions laid down in Fundamental Rule 56. Article 520, Civil Service Regulations, however, from the nature of its concession and conditions, puts the re-employment of a person in receipt of a superannuation or retiring pension in a special class outside Fundamental Rule 56 and subject to the conditions stated in the article itself which must be observed with every renewal of sanction.

Orders of the Governor regarding Rule 56

Rule 56 shall not apply to patwaris in the Revenue Department except those in the Kumaun Division. The normal age at which patwari of the Kumaun Division should retire has been fixed at 55 years, subject to the condition that the Deputy Commissioner-in-charge, Kumaun Division, may, on public grounds, grant annual extensions up to the age of 60 years.

2

THE UTTAR PRADESH FUNDAMENTAL (AMENDMENT) RULES, 2002

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Fundamental Rules contained in the Financial Handbook, Volume II, Part II-IV.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Fundamental (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall be deemed to have come into force on November 28, 2001.

2. Amendment of Fundamental Rule 56.—In the Uttar Pradesh Fundamental Rules, contained in the Financial Handbook, Volume II, Parts II-IV in Rule 56,

(a) *For* clause (a) set out in Column 1 below, the clauses as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely :

Column 1 *Existing Clause*	Column 2 *Clause as hereby substituted*
"**56.** (a) Except as otherwise provided in other clauses of this rule, every Government servant shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty-eight years. He may be retained in service after the date of retirement on superannuation, with the sanction of the Government, on public grounds, which must be recorded in writing, but he must not be retained after the age of sixty years except in very special circumstances : Provided that a Government servant, recruited before November 5, 1985 and holding the Group 'D' post shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 (sixty) years. *Explanation.*—The above proviso shall not be applicable in those cases where the status of a post/posts referred to in the above proviso, has been changed after February 27, 1982 and categorized in higher group of post/posts."	"**56.** (a) Except as otherwise provided in this rule, every Government servant shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years : Provided that a Government servant, whose date of birth is the first day of a month, shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years : Provided further that a Government servant, who has attained the age of fifty-eight years on or before the first day of November, 2001 and is on extension in service, shall retire from service on expiry of his extended period of service. (a-1) No Government servant shall be granted extension in service beyond the age of retirement of sixty years : Provided that a Government servant dealing with budget work or working as a full time member of a committee which is to be wound up within a short period of time may be granted, by the Government, extension of service for a period not exceeding three months in public interest :

अध्याय – 15

सामूहिक बीमा योजना
(Group Insurance Scheme)

सामूहिक बीमा योजना, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मार्च देय अप्रैल 1976 से प्रभावी की गयी (शासनादेश संख्या सा-832/दस-14/76, दिनांक 24-5-76)।

2. मार्च 1976 के वेतन से 10 रु० प्रतिमाह प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से काटा जाना आरम्भ किया गया। मार्च 1980 से यह 20 रु० कर दिया गया।

3. 1 मार्च 1985 से समूह 'क' के अधिकारियों के वेतन से 80 रु० प्रतिमाह की दर से कटौती की जाने लगी तथा समूह "ख" के अधिकारियों के वेतन से 40 रु० प्रतिमाह, समूह "ग" एवं "घ" अर्थात् अराजपत्रित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन से 20 रु० प्रतिमाह की ही कटौती दिनांक 28-2-90 तक की जाती रही।

4. दिनांक 1-3-90 से समूह "क" के अधिकारियों से 120 रु०, समूह "ख" से 60 रु० तथा समूह "ग" व "घ" के कर्मचारियों से 30 रु० की कटौती आरम्भ की गई।

5. यदि कोई कर्मचारी किसी समूह से अर्थात् "ग" से "ख" में वर्ष के बीच किसी माह में प्रोन्नत होता है अथवा "क", "ख" या किसी समूह से निम्न समूह में पदावनत होता है, तो मासिक अभिदान की कटौती की दरें तथा बीमा आच्छादन अगली 1 मार्च से ही प्रभावी होगा (शासनादेश संख्या बीमा-2602/दस-87-87/1983, दिनांक 15-10-89)।

6. दिनांक 1-3-90 के पूर्व उपरोक्त मासिक कटौतियों को 'बचत फण्ड' एवं 'बीमा फण्ड' में निम्न प्रकार से विभाजित करके जमा किया जाता था :—

कटौती की धनराशि	बचत फण्ड	बीमा फण्ड
(i) रु० 80	रु० 55.00	रु० 25.00
(ii) रु० 40	रु० 27.50	रु० 12.50
(iii) रु० 20	रु० 13.95	रु० 6.05

7. दिनांक 1-3-1990 के पूर्व सेवाकाल में ही देहान्त हो जाने की दशा में मृत सेवक के परिवार को निम्नलिखित धनराशि एकमुश्त देय होती थी :—

(i) समूह 'क' के अधिकारी के परिवार को जिनका अभिदान 80 रु० था, को रु० 80,000.

(ii) समूह 'ख' अन्य राजपत्रित अधिकारी जिनका मासिक अभिदान प्रतिमाह रु० 40 अतिमाह था, को रु० 40,000.

(iii) समूह 'ग' और 'घ' के अराजपत्रित कर्मचारी जिनका मासिक अभिदान रु० 20 प्रतिमाह था, को रु० 25,000.

8. दिनांक 1-3-90 के बाद सेवानिवृत्त एवं दिवंगत होने वाले सरकारी सेवकों के मामले में स्थिति निम्न प्रकार हो गई :—

समूह	मासिक अभिदान	बीमा फण्ड	बचत फण्ड	दिवंगत होने पर परिवार को देय धनराशि
'क'	रु० 4001 या उससे अधिकतम वेतनमान पाने वाले - 120 रु०	36 रु०	84 रु०	रु० 1,20,000
'ख'	रु० 2300 से रु० 4000 तक अधिकतम वेतनमान पाने वाले - 60 रु०	18 रु०	42 रु०	रु० 60,000
'ग'	रु० 2299 तक अधिकतम वेतनमान पाने वाले - 30 रु०	9 रु०	21 रु०	रु० 30,000
'घ'	रु० 2299 तक अधिकतम वेतनमान पाने वाले - 30 रु०	9 रु०	21 रु०	रु० 30,000

(शासनादेश संख्या बीमा-1027/दस-90-87/1983, दिनांक 5-7-90)

(शासनादेश संख्या बीमा-959/दस-93-189 (9) 89825-6-93 दिनांक 1-7-93 से प्रभावी)

9. मृत्यु के मामले में उपरोक्त धनराशियों के अतिरिक्त 'बचत फण्ड' में जमा धनराशि भी ब्याज सहित परिवार को भुगतान की जायेगी।

10. इस योजना हेतु परिवार की परिभाषा निम्नलिखित है :—

(1) पत्नी/पति (जैसी भी स्थिति हो)।

(2) पुत्रगण
(3) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियां } सौतेले तथा दत्तक पुत्र-पुत्रियों सहित।

(4) भाई (18 वर्ष की आयु से कम) तथा अविवाहित व विधवा बहनें (सौतेले भाई एवं बहनों सहित)।

(5) पिता तथा माता।

(6) विवाहित पुत्रियां (सौतेली पुत्रियों सहित)।

(7) पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व पुत्रियां।

11. सेवानिवृत्ति अथवा अन्य किसी कारण सेवा छोड़ने पर केवल 'बचत फण्ड' में जमा धनराशि ब्याज सहित सरकारी सेवक को भुगतान की जायेगी।

12. बचत फण्ड पर बारह प्रतिशत तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा अर्थात् हर तिमाही मूलधन में जोड़ दिया जायेगा और इस मिश्रधन पर अगले तिमाही में ब्याज की गणना की जायेगी।

13. बीमा निधि की धनराशि में जो बचत होती है उससे शासन ने 90 प्रतिशत की धनराशि से एक 'उ० प्र० इम्प्लाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड' खोला है। इसका गठन निम्न प्रकार से है :—

अध्यक्ष	मुख्य सचिव
सदस्यगण	सचिव, वित्त विभाग, कार्मिक सचिव, राज्य कर्मचारी संगठन में से एक प्रतिनिधि।
संयोजक एवं कोषाध्यक्ष	संयुक्त निदेशक, बीमा निदेशालय, उ० प्र०।

यदि सेवानिवृत्ति के पूर्व कोई सेवक बीमारी एवं अपंगता आदि के कारण बीच में ही सेवा से अशक्त हो जाता है, तो उसे मृत्यु पर देय धनराशि के आधे के बराबर अनुदान दिया जायेगा। विशेष मामलों में यह पूरी धनराशि के बराबर भी हो सकती है। कर्मचारी के प्रतिभाशाली बच्चे, जो राज्य में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर पोजीशन लायें, को छात्रवृत्ति भी इस फण्ड से दी जाती है।

14. यह योजना सभी स्थायी एवं अस्थायी सरकारी सेवकों पर लागू होगी किन्तु दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

15. निलम्बन तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि में भी कटौती होगी किन्तु पुनर्नियुक्ति अथवा सेवा विस्तार में कटौती नहीं होगी।

16. प्रत्येक सरकारी सेवक को अपना नामांकन-पत्र अवश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए। एक नामिनी के अतिरिक्त दो वैकल्पिक नामिनी और अंकित करना चाहिए ताकि नामिनी के देहान्त हो जाने पर वैकल्पिक नामिनी को स्वतः अधिकार प्राप्त हो जाय। नामांकन-पत्र सेवा पुस्तिका में लगा देना चाहिए तथा उसकी प्रविष्टि भी की जानी चाहिए। अधिकारियों द्वारा अपने नामांकन-पत्र की एक प्रतिलिपि बीमा निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ को भी प्रेषित की जानी चाहिए (शासनादेश-संख्या सा-3-2105/दस-14/77/नामांकन, दिनांक 26-12-78)।

17. नामांकन न होने की दशा में मृत्यु होने पर निम्न क्रम से भुगतान किया जायेगा :—

(1) पत्नी/पति, जैसी भी स्थिति हो।

(2) अवयस्क पुत्र तथा अविवाहित पुत्रियां।

(3) वयस्क पुत्र।

(4) माता व पिता।

(5) अवयस्क भाई तथा अविवाहित बहनें।

(6) विवाहित पुत्रियां।

(7) पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व अविवाहित पुत्रियां।

18. बीमा तथा बचत योजना के अंतर्गत देय धनराशि से शासकीय बकायों की वसूली नहीं की जा सकती (शासनादेश संख्या बीमा-20/दस-93-67(बी)/92, दिनांक 27-2-93)।

19. दिनांक 1 मार्च, 1980 से इस योजना का संचालन बीमा निगम से लेकर शासन ने अपने अधीनस्थ बीमा निदेशालय, उ० प्र०, स्थापित करके आरंभ कर दिया है। निदेशालय के अधिकारी प्रत्येक कार्यालय का निरीक्षण इस आशय से कर सकते हैं कि लाभार्थियों को भुगतान में विलम्ब न हो (शासनादेश संख्या बीमा-475/दस-2/80, दिनांक 7-6-80)।

20. पहले सभी विभागाध्यक्षों को अपने पद नाम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया में खाता खोलकर बीमा निगम से लाभार्थियों को भुगतान हेतु प्राप्त चेकों को जमा करना होता था। तत्पश्चात् स्वयं अपनी चेक से उनको भुगतान किया जाता था (शासनादेश संख्या बीमा-2333/दस-87-58/1987, दिनांक 30-11-87) (शासनादेश संख्या-125/दस-2/80, दिनांक 23-8-80)। इस प्रक्रिया में बहुत विलम्ब होता था अतएव अब चेक लाभार्थी के नाम से बनाया जायेगा तथा कार्यालयाध्यक्षों के माध्यम से उनको भेजा जायेगा (शासनादेश संख्या बीमा-145/दस, दिनांक 5-2-94)।

21. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (एल०पी०सी०) में बीमा की कटौतियों का पूरा विवरण दर्शा देना चाहिए (दिनांक 1-3-76 से रु० 10 प्रतिमाह, दिनांक 1-3-80 से रु० 20 प्रतिमाह) ग्रुप 'क' के अधिकारियों के लिए दिनांक 1-3-85 से रु० 80 तथा ग्रुप 'ख' के राजपत्रित अधिकारियों के लिए रु० 40 की दरें दिनांक 28-2-90 तक प्रभावी रहीं। मासिक कटौती की दरें दिनांक 1-3-90 से रु० 120 ग्रुप 'क' के लिए, रु० 60 ग्रुप 'ख' के लिए तथा रु० 30 ग्रुप 'ग' व 'घ' के लिए क्रमशः कर दी गयी हैं।

22. सभी सेवा पुस्तिकाओं में निम्न प्ररूप में एक फार्म लगा देना चाहिये और उसमें बीमा की वार्षिक कटौतियां दर्शाना चाहिये :—

प्ररूप का प्रपत्र

1. अभिदाता का नाम .....

2. नामित लाभार्थी का नाम, पता व रिश्ता .....

3. अभिदाता के योजना में प्रवेश का दिनांक .....

सक्षम अधिकारी के

हस्ताक्षर व पद नाम

4. कटौतियों का वार्षिक विवरण :—

कटौती की अवधि		कटौती की दरें	सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
कब से	कब तक		

23. बीमा की कटौतियां प्राप्ति शीर्षक :— "8011 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-2, कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन" के अन्तर्गत, इस हेतु निर्धारित शिड्यूल सहित जमा की जानी चाहिए।

24. त्रुटिपूर्ण कटौतियों की वापसी का दावा प्रपत्र-24 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

25. सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के देय धनराशि में विलम्ब के निवारणार्थ, शासनादेश संख्या-बीमा-768/दस-99/61/A/99, दिनांक 16-7-99 द्वारा आदेश जारी किये गये हैं कि 30 सितम्बर, 1999 को और उससे आगे सेवानिवृत्त होने वाले अथवा दिवंगत होने वाले कर्मचारियों के उक्त भुगतान के दावे निर्धारित प्रपत्र 26 अथवा 27, जैसा भी मामला हो, अब बीमा निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ को न भेजकर सम्बन्धित जिला कोषागार/इरला चेक अनुभाग/पे एण्ड एकाउण्ट आफिस को आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित किये जायेंगे। कोषाधिकारियों द्वारा देय धनराशि तथा ब्याज की धनराशि का सत्यापन करके एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस करेंगे जो उसी के अनुसार देयक बनाकर कोषाधिकारी को भेजेंगे। कोषाधिकारी उसको पारित करके सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक/लाभार्थी के पक्ष में एकाउण्टपेयी चेक बनाकर आहरण एवं वितरण अधिकारी को उपलब्ध करा देंगे जो उसे सम्बन्धित कर्मचारी/लाभार्थी को दे देंगे। अतः सेवा के अंतिम माह की कटौती एक माह पूर्व की कटौती के साथ करके, अंतिम भुगतान का दावा सेवानिवृत्त के एक माह पूर्व प्रपत्र-26 में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कोषाधिकारी को भेज देना चाहिए। मृत्यु के मामले में लाभार्थी का दावा प्रपत्र-27 में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं कोषाधिकारी को भेजा जाना चाहिए। अब लाभार्थी से कोई प्रपत्र भरवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे परिवार आदि का विवरण तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति ले लेनी चाहिए।

1. सामान्य नियम, प्रक्रिया एवं नामांकन
(General Rules, Procedure and Nomination)

1

संख्या-बीमा-1316/दस-16-80

प्रेषक,

श्री जे० एल० बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा
अन्य समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त (बीमा) अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 21 अक्तूबर, 1981

विषय :- राज्य कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा एवं बचत योजना।

महोदय,

मुझे सरकारी सेवकों पर दिनांक 1 मार्च, 1980 से लागू की गई सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में वित्त (बीमा) अनुभाग द्वारा पार्श्वांकित शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के संबंध में जो आदेश समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित किये गये हैं उन्हें विभिन्न कार्यालयों में समुचित रूप से सम्बद्ध नहीं किया जा सका है जिसके फलस्वरूप यह देखने में आया है कि शासन स्तर पर जो दावे प्राप्त होते हैं उनमें अनेक कमियां तथा त्रुटियां पाई जाती हैं। इन त्रुटियों का निवारण कराने के लिये दावों को वापस करना होता है जिससे इनके निस्तारण में विलम्ब होता है। अतएव यह निर्णय लिया गया है कि पार्श्वांकित समस्त आदेशों का एक संहत आदेश जारी किया जाय जिससे इस योजना का कार्यान्वयन सही-सही रूप में सुनिश्चित हो सके।

1. सं0 बीमा-1/दस-2-80 दिनांक 19-2-80.
2. सं0 बीमा-13/दस-2-80 दिनांक 17-3-80.
3. सं0 बीमा-235/दस-2-80 दिनांक 12-5-80.
4. सं0 बीमा-75/दस-2(2)-80 दिनांक 30-1-1981.
5. सं0 बीमा-911/दस-81 दिनांक 18-8-81.

2. सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सरकारी सेवक के वेतन से प्रत्येक मास कटौती की जायेगी जो प्रदेश के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "088-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-अन्य प्राप्तियां-कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन-राज्य कर्मचारियों का अभिदान-(क) पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर शेष अन्य समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा (ख) पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा" के अन्तर्गत, यथास्थिति, क्रेडिट की जायेगी। उपरोक्त लेखा शीर्षक के अन्तर्गत यह क्रेडिट दिनांक 1-4-1981 से किया जायेगा।

3. प्रत्येक सरकारी सेवक से जो कटौती उसके वेतन से होगी वह निम्न प्रकार की जायेगी :—

(1) पुलिस राजपत्रित अधिकारी — रु० 40 प्रतिमास

(2) पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी [illegible]

(3) अन्य समस्त अधिकारी/कर्मचारी [illegible] 20 [illegible]

समूह 'घ' वर्ग के ऐसे कर्मचारियों से जो अभी तक रु० 165-[illegible] 170-275 के वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके माह सितम्बर, 1981 तक के वेतन से [illegible] जायेगी और दिनांक 30-9-81 तक उत्पन्न दावों का निस्तारण भी [illegible] सेवारत मृत्यु होने पर बीमा धनराशि रु० 12,000 होगा और [illegible] उत्पन्न होने वाले दावों में बीमा धन रु० 25,000 होगा तथा माह [illegible] भी रु० 20 की दर से की जायेगी।

4. किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवारत मृत्यु होने पर उसके परिवार को [illegible] के अतिरिक्त उसके बचत खाते में जमा धनराशि 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस लौटाई जायेगी। सेवानिवृत्त होने पर तथा सेवा से अन्यथा पृथक होने पर, केवल त्याग-पत्र देकर सेवा से पृथक होने [illegible] मामलों को छोड़कर, सरकारी सेवक को बचत खाते में जमा धनराशि 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित [illegible] की जायेगी जो कम से कम उतनी धनराशि अवश्य होगी जो उसने उसकी सेवा अवधि में उसके वेतन से काटी गई हो। त्याग-पत्र देकर सेवा से पृथक होने की दशा में संबंधित सरकारी सेवक को केवल बचत खाते में जमा धनराशि 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस की जायेगी। बचत खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की संगणना पूरे मास के आधार पर की जायेगी क्योंकि सरकारी सेवक द्वारा उसकी सेवा के अंतिम माह या उसके किसी भाग के लिये पूरा अभिदान जमा कराया जाता है और बचत खाते से पूरी धनराशि की वापसी भी की जाती है।

5. दिनांक 1 मार्च, 1980 से लागू सामूहिक बीमा योजना शासन के नियमित अधिकारियों में नियुक्त राज्य सरकार के अधीन समस्त पूर्णकालिक स्थायी एवं अस्थाई सेवकों पर लागू होगी। यह योजना उत्तर प्रदेश शासन के अधीन नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होगी। उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी/कर्मचारी जो शासन के किसी भी पद पर नियुक्त हों अथवा बाहर देश पर हों अथवा भारत सरकार/किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर हों इस योजना से आच्छादित रहेंगे। समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इस योजना के निमित्त अपना मासिक अभिदान शासन को देना होगा चाहे वह ड्यूटी पर हों, चाहे अवकाश पर हों अथवा निलम्बित हों। अवकाश की अवधि तथा निलम्बन अवधि में चूंकि उनका रिस्क कवर्ड (Covered) रहेगा, इसलिये उक्त अवधियों में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपना अभिदान दिया जाना आवश्यक है। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो दिनांक 1 मार्च, 1980 को प्रतिनियुक्ति पर हों, उनके बारे में संबंधित बाह्य सेवायोजक अथवा उस शासन द्वारा जिसके अधीन वह कार्य कर रहे हों ऊपर पैरा 2 में निर्धारित दर से कटौती माह मार्च, 1980 के वेतन से आरम्भ करके उत्तर प्रदेश शासन को ट्रेजरी चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजेंगे और इस प्रकार से जमा की गई धनराशि का पूर्ण विवरण जैसे कर्मचारी का नाम, शासन के अधीन ग्रहण किया गया पद तथा विभाग का नाम, ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट संख्या तथा दिनांक तथा बैंक का नाम/ट्रेजरी का नाम देते हुए यह सूचना संबंधित बाह्य सेवा योजक/संबंधित शासन द्वारा उस अधिकारी/कर्मचारी के प्रशासनिक विभाग को दी जायेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में यह सूचना उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति अनुभाग-1, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए गृह (पुलिस सेवाएं) अनुभाग को तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में यह सूचना वन विभाग को भेजनी होगी।

6. शासन द्वारा लागू की गई उपरोक्त योजना ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं है जो अल्पकालीन रिक्तियों में अथवा सीजनल कार्य के लिये नियुक्त किये गये हों। यह योजना शासन के कोषागारों में नियुक्त कैश स्टाफ पर भी लागू नहीं होती है। उक्त योजना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशों पर भी स्वतः लागू नहीं होगी, परन्तु यदि वह इस योजना का लाभ उठाना चाहें तो उन्हें इसके लिये अपना विकल्प देना होगा और उस विकल्प के अनुसार वह अपना अभिदान शासन को देकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिये भी यह योजना ऐच्छिक

रहेगी, अर्थात् यदि वह चाहें तो विकल्प शासन को देकर अपना अभिदान दे सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शासन द्वारा लागू की जाने वाली यह योजना संबंधित सरकारी सेवकों पर उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि तक ही प्रभावी रहेगी, अर्थात् उस माह के अंतिम दिवस तक जिस माह में वह अतिवयता आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्त होते हों, और यदि सेवानिवृत्ति अतिवयता आयु प्राप्त करने से पूर्व ही किसी अन्य कारण से होती है तो यह योजना उनकी ऐसी सेवानिवृत्ति के दिनांक तक ही लागू रहेगी। प्रायः सेवा-निवृत्ति के उपरांत सरकारी सेवक सेवा में पुनर्योजित भी कर लिये जाते हैं अथवा उन्हें सेवा में प्रसार दे दिया जाता है। ऐसे मामलों में यह योजना उनकी सेवा में प्रसार की अवधि में लागू नहीं होगी और सेवानिवृत्ति के दिनांक के उपरांत की गई सेवा के लिये न तो उनके वेतन से कोई कटौती की जायेगी और न ही उस पर शासन का कोई अंशदान देय होगा। अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि इस योजना के अन्तर्गत अल्पकालीन रिक्तियों में नियुक्त कर्मचारियों, सीजनल कर्मचारियों, कोषागारों के कैश स्टाफ तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत सेवा में बनाये रखे गये अधिकारियों/कर्मचारियों से कटौती नहीं की जानी है।

7. अधिकारियों एवं कर्मचारियों से की गई मासिक कटौती अधिष्ठान बिलों के माध्यम से की जायेगी और इसके लिये प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक वेतन बिल में इस आशय का प्रमाण-पत्र देगा कि वेतन बिल में दिखाये गये अल्पकालीन रिक्तियों में नियुक्त कर्मचारियों को छोड़कर शेष समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित कटौतियां कर ली गई हैं और कटौती की कुल धनराशि वेतन बिल के प्रथम पृष्ठ पर सामूहिक बीमा योजना की कटौती के रूप में दिखा दी गई है। राजपत्रित अधिकारियों के वेतन बिलों में भी जो अपना बिल स्वयं आहरित करते हैं, यह कटौती बिल के प्रथम पृष्ठ पर प्रस्तुत की जायेगी। जिन विभागों में, जैसे सचिवालय के इरला योजना से आच्छादित अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को चेक द्वारा भुगतान होता है, इन विभागों में भी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अधिष्ठान बिलों से कटौती कर लेने का प्रमाण-पत्र, उपरोक्तानुसार देना होगा। उपरोक्तानुसार सामूहिक बीमा योजना से संबंधित कटौती की धनराशि कोषागारों के लेखों में संक्रामक प्रविष्टि द्वारा नहीं ली जायेगी अपितु इसे सीधे ही महालेखाकार कार्यालय में भुगतान किये हुए बाउचरों से लेखा शीर्षक "088-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-अन्य प्राप्तियां-कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन-राज्य कर्मचारियों का अभिदान" के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में ले लिया जायेगा। वेतन बिल भुगतान हेतु पारित करने से पूर्व कोषाधिकारी यह देख लेंगे कि वेतन बिलों पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ने उपरोक्त प्रमाण-पत्र दे दिया है और राजपत्रित एवं अराजपत्रित वेतन बिलों में सामूहिक बीमा योजना से संबंधित कटौती कर ली गई है।

8. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होने पर उसे अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र दिया जाना अनिवार्य होता है। अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में उन सभी कटौतियों आदि का उल्लेख किया जाता है जो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से प्रतिमास काटी जाती है। चूंकि सामूहिक बीमा योजना के संबंध में वेतन से मासिक कटौती नियमित रूप से की जाती है, इसलिये यह आवश्यक है कि अंतिम वेतन-प्रमाण-पत्र में इस कटौती का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। अतएव यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अथवा संबंधित कोषाधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, यह उल्लेख किया जायेगा कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ने अमुक दिनांक से अपना मासिक अभिदान निर्धारित दर से दिया है। इसी प्रकार सेवानिवृत्त होने अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा/संबंधित कोषाधिकारी द्वारा/पेंशन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा तथा अन्य किसी दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा शासन को यह सूचना देनी होगी कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ने सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 मार्च, 1976 से अथवा इसके बाद नियुक्त होने की दशा में नियुक्ति के दिनांक से (नियुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए) अथवा दिनांक 1 मार्च, 1980 अथवा दिनांक 1 मार्च, 1980 के उपरांत नियुक्त होने पर (नियुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए) अपना अभिदान संबंधित अवधि में निर्धारित दर पर निरन्तर रूप से दिया है। इस सूचना के

आधार पर शासन द्वारा उस अधिकारी/कर्मचारी को दिये जाने वाले धन का आगणन किया जायगा और उसका भुगतान बचत खाते से 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर किया जायेगा।

9. (क) सेवारत मृत्यु होने की दशा में मृतक अधिकारी/कर्मचारी के परिवार को बीमा धन तथा मृतक कर्मचारी द्वारा दिये गये अभिदान की बचत खाते में जमा धनराशि वापस किये जाने तथा सेवानिवृत्ति होने अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने पर बचत खाते में जमा धनराशि की वापसी के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अनुसार शासन से दावे का भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रपत्र संख्या-1 में अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को 3 प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पर कर्मचारी/लाभग्राही द्वारा 20 पैसे का रसीदी टिकट भी पहले से लगाना होगा। प्रपत्र संख्या-1 संबंधित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित किया जायेगा और प्रविष्टियों को अपने अभिलेखों से पुष्टि करने के उपरांत अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, यथास्थिति, को प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र संख्या-1 के आधार पर समस्त दावों को संहत रूप से प्रपत्र सं०-2 के पृ० 1 में भरकर राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को 3 प्रतियों में भेजेंगे। प्रत्येक दावे के प्रपत्र संख्या-1 की भी एक मूल प्रति रसीदी टिकट तथा अग्रसारण अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर के साथ निदेशालय को भेजनी होगी।

(ग) प्रपत्र संख्या-2 के पृ० 1 के विभिन्न स्तम्भों में विवरण का उल्लेख साफ-साफ तथा सेवा-अभिलेखों से सत्यापित किये जाने के उपरांत भरा जायेगा। विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी, यथास्थिति, प्रपत्र-2 के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये प्रमाण-पत्र पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करके तथा अपनी मोहर लगाकर उक्त निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजेंगे। प्रपत्र-2 के पृ० 2 के स्तम्भों में कोई भी प्रविष्टि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष आदि स्तर पर नहीं की जायेगी परन्तु विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र-2 के पृ० 2 पर भी अपने हस्ताक्षर एवं अपनी मोहर लगाकर दावा निदेशालय को भेजेंगे।

(घ) सामूहिक बीमा योजना निदेशालय प्रपत्र-1 तथा प्रपत्र-2 की प्रतियां प्राप्त होने पर आवश्यक जांच-पड़ताल के उपरांत दावेदारों/लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि प्रपत्र संख्या-2 के पृ० 2 पर दिये गये स्तम्भों में अंकित करेंगे तथा अन्य स्तम्भ भी भरे जायेंगे। प्रत्येक दावेदार/लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि के लिये जारी किये गये चेक/चेकों की संख्या, दिनांक तथा धनराशि अंकित की जायेगी। धनराशियों के भुगतान का चेक मृतक अथवा सेवानिवृत्त/सेवा से अन्यथा पृथक व्यक्ति के संबंध में उसके विभागाध्यक्ष के नाम से जारी किया जायेगा। चेक के साथ सामूहिक बीमा योजना निदेशालय विभागाध्यक्ष को मृतक/सेवानिवृत्त आदि कर्मचारी के संबंध में प्रपत्र संख्या-2 की दो प्रतियां आवश्यक विवरणों सहित अपने हस्ताक्षर तथा मोहर सहित वापस लौटायेंगे। दावों के प्रस्तुत करने से पूर्व केवल न्यूनतम तथा अत्यन्त आवश्यक तथ्यों की जांच-पड़ताल ही पर्याप्त होगी परन्तु शासन से प्राप्त धनराशि का भुगतान करते समय समस्त सम्भावित तथ्यों की पुष्टि की जानी आवश्यक होगी जिससे धनराशि का भुगतान सही व्यक्ति को ही किया जा सके।

(च) समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में अपने नाम से एक खाता इस आशय का खोले जाने के आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या सा-3-2005/दस-79-14-77, दिनांक 17 सितम्बर, 1979 में जारी किये जा चुके हैं। धनराशियों के चेक उपरोक्त खाते में ही जमा किये जायेंगे और संबंधित विभागाध्यक्ष अपने तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के मृतक कर्मचारियों के लाभार्थियों/सेवानिवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक कर्मचारियों के नाम से चेक जारी करेंगे जो "एकाउन्ट पेयी" होंगे। कार्यालयाध्यक्ष संबंधित व्यक्तियों के बारे में इस बात की पूरी जांच करके कि भुगतान सही व्यक्ति को ही किया जा रहा है, चेक जारी करेंगे। यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि संबंधित व्यक्ति को विभागाध्यक्ष से प्राप्त चेक दिये जाने की कार्यवाही तुरन्त एवं शीघ्रता से की जाय। संबंधित व्यक्ति द्वारा चेक प्राप्त होने पर निर्धारित प्ररूप में रसीद प्राप्त की जायेगी जिसे संबंधित कार्यालय बीमा योजना निदेशालय को रिकार्ड हेतु भेजेंगे। प्रस्तावित रसीद का प्रपत्र फार्म संख्या-4 में उपलब्ध है।

10. सामूहिक बीमा योजना के लिये वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या सा-3-2105/दस-14-77-नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 द्वारा आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। उपरोक्त आदेश

आधार पर शासन द्वारा उस अधिकारी/कर्मचारी को दिये जाने वाले धन का आगणन किया जायगा और उसका भुगतान बचत खाते से 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर किया जायेगा।

9. (क) सेवारत मृत्यु होने की दशा में मृतक अधिकारी/कर्मचारी के परिवार को बीमा धन तथा मृतक कर्मचारी द्वारा दिये गये अभिदान की बचत खाते में जमा धनराशि वापस किये जाने तथा सेवानिवृत्ति होने अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने पर बचत खाते में जमा धनराशि की वापसी के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अनुसार शासन से दावे का भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रपत्र संख्या-1 में अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को 3 प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पर कर्मचारी/लाभग्राही द्वारा 20 पैसे का रसीदी टिकट भी पहले से लगाना होगा। प्रपत्र संख्या-1 संबंधित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित किया जायेगा और प्रविष्टियों को अपने अभिलेखों से पुष्टि करने के उपरांत अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, यथास्थिति, को प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र संख्या-1 के आधार पर समस्त दावों को संहत रूप से प्रपत्र सं०-2 के पृ० 1 में भरकर राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को 3 प्रतियों में भेजेंगे। प्रत्येक दावे के प्रपत्र संख्या-1 की भी एक मूल प्रति रसीदी टिकट तथा अग्रसारण अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर के साथ निदेशालय को भेजनी होगी।

(ग) प्रपत्र संख्या-2 के पृ० 1 के विभिन्न स्तम्भों में विवरण का उल्लेख साफ-साफ तथा सेवा-अभिलेखों से सत्यापित किये जाने के उपरांत भरा जायेगा। विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी, यथास्थिति, प्रपत्र-2 के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये प्रमाण-पत्र पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करके तथा अपनी मोहर लगाकर उक्त निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजेंगे। प्रपत्र-2 के पृ० 2 के स्तम्भों में कोई भी प्रविष्टि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष आदि स्तर पर नहीं की जायेगी परन्तु विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र-2 के पृ० 2 पर भी अपने हस्ताक्षर एवं अपनी मोहर लगाकर दावा निदेशालय को भेजेंगे।

(घ) सामूहिक बीमा योजना निदेशालय प्रपत्र-1 तथा प्रपत्र-2 की प्रतियां प्राप्त होने पर आवश्यक जांच-पड़ताल के उपरांत दावेदारों/लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि प्रपत्र संख्या-2 के पृ० 2 पर दिये गये स्तम्भों में अंकित करेंगे तथा अन्य स्तम्भ भी भरे जायेंगे। प्रत्येक दावेदार/लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि के लिये जारी किये गये चेक/चेकों की संख्या, दिनांक तथा धनराशि अंकित की जायेगी। धनराशियों के भुगतान का चेक मृतक अथवा सेवानिवृत्त/सेवा से अन्यथा पृथक व्यक्ति के संबंध में उसके विभागाध्यक्ष के नाम से जारी किया जायेगा। चेक के साथ सामूहिक बीमा योजना निदेशालय विभागाध्यक्ष को मृतक/सेवानिवृत्त आदि कर्मचारी के संबंध में प्रपत्र संख्या-2 की दो प्रतियां आवश्यक विवरणों सहित अपने हस्ताक्षर तथा मोहर सहित वापस लौटायेंगे। दावों के प्रस्तुत करने से पूर्व केवल न्यूनतम तथा अत्यन्त आवश्यक तथ्यों की जांच-पड़ताल ही पर्याप्त होगी परन्तु शासन से प्राप्त धनराशि का भुगतान करते समय समस्त सम्भावित तथ्यों की पुष्टि की जानी आवश्यक होगी जिससे धनराशि का भुगतान सही व्यक्ति को ही किया जा सके।

(च) समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में अपने नाम से एक खाता इस आशय का खोले जाने के आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या सा-3-2005/दस-79-14-77, दिनांक 17 सितम्बर, 1979 में जारी किये जा चुके हैं। धनराशियों के चेक उपरोक्त खाते में ही जमा किये जायेंगे और संबंधित विभागाध्यक्ष अपने तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के मृतक कर्मचारियों के लाभार्थियों/सेवानिवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक कर्मचारियों के नाम से चेक जारी करेंगे जो "एकाउन्ट पेयी" होंगे। कार्यालयाध्यक्ष संबंधित व्यक्तियों के बारे में इस बात की पूरी जांच करके कि भुगतान सही व्यक्ति को ही किया जा रहा है, चेक जारी करेंगे। यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि संबंधित व्यक्ति को विभागाध्यक्ष से प्राप्त चेक दिये जाने की कार्यवाही तुरन्त एवं शीघ्रता से की जाय। संबंधित व्यक्ति द्वारा चेक प्राप्त होने पर निर्धारित प्ररूप में रसीद प्राप्त की जायेगी जिसे संबंधित कार्यालय बीमा योजना निदेशालय को रिकार्ड हेतु भेजेंगे। प्रस्तावित रसीद का प्रपत्र फार्म संख्या-4 में उपलब्ध है।

10. सामूहिक बीमा योजना के लिये वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या सा-3-2105/दस-14-77-नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 द्वारा आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। उपरोक्त आदेश

14. [illegible] कर्मचारियों के हैं, प्रत्येक जिले के कोषागार द्वारा [illegible] किये जाते हैं, अतः प्रत्येक कोषागार [illegible] सूचना उपलब्ध करनी है कि किस कार्यालय से किस माह में कितनी कटौती आयुक्त [illegible] योजना के अन्तर्गत की गई है। प्रत्येक कोषाधिकारी [illegible] निदेशालय को प्रत्येक मास के अन्त में [illegible] योजना के अन्तर्गत की गई कटौतियों के आँकड़े उपलब्ध कराये जाते हैं। यह सूचना [illegible] एक निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिये प्रपत्र संख्या-10 निर्धारित [illegible] है। संबंधित कोषागार [illegible] कर्मचारी के [illegible] सूचना [illegible] हो तो विवरण [illegible] कि वह भी इसी प्रपत्र के अनुसार [illegible] कार्यालय में आयेंगे।

15. प्रत्येक कार्य शासन को प्राप्त होने पर [illegible] रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। [illegible] निर्धारित प्रपत्र में रखा जायेगा जिसका प्ररूप जी०आई०एस० फार्म संख्या 3 में दिया गया है। स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से फार्म संख्या 2 में जो सूचना प्राप्त होगी उसके आधार पर फार्म संख्या 3 रखा जायेगा। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि जी०आई०एस० फार्म संख्या 2 में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जो भी सूचना शासन को भेजी जायेगी वह सही होनी चाहिए। [illegible] रजिस्टर में शासन द्वारा संबंधित व्यक्ति को जो भुगतान स्वीकृत किया जायेगा उसकी प्रविष्टियाँ की जायेंगी तथा भुगतान चेक द्वारा अधिकृत किया जायेगा।

16. शासन द्वारा जो चेक जारी किये जायेंगे वह विशेष प्रकार के कागज पर [illegible] जायेंगे। चेक का प्रारूप जी०आई०एस० फार्म संख्या 7 में निर्धारित है। यह चेक जारी करने के [illegible] से तीसरे महीने के अंतिम दिवस तक प्रभावी होंगे और उसके उपरांत वह स्वयं ही [illegible] जायेंगे। यह चेक "नान-नेगोशियेबिल" तथा "एकाउन्ट पेयी" होंगे। शासन द्वारा जारी किये गये चेक [illegible] स्टेट बैंक आफ इंडिया, अशोक मार्ग शाखा, लखनऊ, पर जारी किये जायेंगे और लेखा शीर्षक [illegible]-चेक्स एण्ड बिल्स-बुध इंश्योरेन्स स्कीम चेक्स" के नामे डाले जायेंगे। इस्तलिखित चेकों पर क्रास इन्डो [illegible] की जायेगी। जारी किये गये चेकों का रजिस्टर जी०आई०एस० फार्म संख्या 8 में निर्धारित है। चेकों के [illegible] ([illegible] फाइल) पर बिल की संख्या तथा उसकी शुद्ध धनराशि को अलग-अलग दिखाया जायेगा और आवश्यकतानुसार योग भी निकाला जायेगा, जैसे यदि चेक किसी सेवारत मृतक कर्मचारी की विधवा को भुगतान हेतु जारी किया जा रहा है तो बीमा धनराशि, मृतक कर्मचारी के खाते में उपलब्ध धनराशि तथा उस पर ब्याज की धनराशि अलग-अलग दिखायी जायेगी और उसका योग भी प्रतिपर्ण पर अंकित किया जायेगा।

17. प्रपत्र संख्या 10 द्वारा जो सूचना प्रदेश के कोषागारों द्वारा शासन को भेजी जायेगी वह पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये अलग-अलग भेजनी होगी। यह सूचना प्राप्त होने पर शासन स्तर पर खोले गये प्राप्तियों के रजिस्टर में दर्ज की जायेगी जिसका प्ररूप जी० आई० एस० फार्म संख्या 5 में निर्धारित किया गया है। इस रजिस्टर में कोषागारों में नकद जमा तथा बुक ट्रांसफर से जमा धनराशियों के विवरण भी इंगित किये जायेंगे। कुल प्राप्तियों का मासिक योग एक अन्य रजिस्टर में ले लिया जायेगा जिसका प्ररूप जी०आई०एस० फार्म संख्या 6 में निर्धारित किया गया है। फार्म संख्या 6 में प्राप्तियों तथा भुगतानों का विवरण दो प्रतियों में रखा जायेगा और माह के अन्त में इनका योग निकाला जायेगा और शेष धनराशि प्रदर्शित की जायेगी। इसकी एक प्रति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-1, इलाहाबाद को प्रति मास भेजी जायेगी। प्राप्तियों तथा व्यय के आँकड़ों का मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, कार्यालय से प्रत्येक 6 मास पर किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को प्रत्येक मास प्राप्तियों तथा भुगतानों का मासिक विवरण शिड्यूल्स तथा वाउचरी सहित संबंधित माह के आगामी माह की 5 तारीख तक भेजा जायेगा। इसलिये इस योजना के अन्तर्गत लेखे/जोखे नियमित रूप से रखने होंगे और प्रत्येक कोषागार से जो विवरण प्राप्त होंगे उन्हें शासन के अन्दर ही प्राप्त करना होगा। अतः प्रत्येक कोषागार इस बात को भलीभांति सुनिश्चित कर लें कि मासिक सूचनायें शासन को विलम्बतम 3 तारीख तक उपलब्ध हो जायें।

18. शासन द्वारा जो भुगतान चेकों से किये जायेंगे, वह जो एक निर्धारित अवधि तक ही प्रभावी होंगे

जिसका उल्लेख ऊपर पैरा (4) में किया गया है। यह भी हो सकता है कि चेक जारी किया जाय वह किसी प्रकार खो जाय या फट जाय या विकृत हो जाय तो इस प्रकार निरस्तीकृत, कालातीत, खोये, फटे तथा विकृत चेकों का भुगतान संभव नहीं होगा और ऐसे चेक शासन को वापस लौटाने होंगे। भुगतान न हुए चेकों की तीन सूचियां बनाई जायेंगी जिनमें से दो सूचियां मासिक लेखे के साथ महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-1, इलाहाबाद को भेजी जायेगी। पुराना चेक वापस प्राप्त हो जाने के उपरांत ही डुप्लीकेट चेक के रूप में नया चेक जारी होगा। नये चेक जारी करने के पूर्व पुराने प्राप्त हुए चेकों का भी लेखा-जोखा रखा जायेगा और यह लेखा-जोखा जी०आई०एस० फार्म संख्या 9 में निर्धारित किया गया है।

19. चूंकि दिनांक 29-2-80 तक की अवधि के लिये सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से किया गया है और उस योजना के अन्तर्गत शासन ने प्रीमियम का भुगतान भी किया है, अतः दिनांक 29-2-80 तक उत्पन्न दावों के निस्तारण का दायित्व जीवन बीमा निगम का है। दिनांक 1-3-80 को जीवन बीमा निगम द्वारा शासन को "रिस्क प्लान" तथा "डिपाजिट एडमिनिस्ट्रेशन प्लान" के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशियां वापस लौटानी हैं। इस प्रयोजन के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करके शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है। शासन को प्राप्त होने वाली धनराशि की सही-सही स्थिति वास्तविक तथ्यों तथा आंकड़ों के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।

20. सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत सामान्यतः ऐसी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है जिसमें शासन को कोई हानि का अवसर आये। इस योजना में हानि का अवसर उसी समय हो सकता है जब "रिस्क फण्ड" में जमा धनराशि से अधिक धनराशि का भुगतान किसी वर्ष में बीमाधन के रूप में करने की आवश्यकता हो जाये। यदि ऐसा कभी कोई अवसर आयेगा भी तो शासन "रिस्क फण्ड" में जमा धनराशि से अधिक धनराशि का भुगतान स्वयं वहन करेगा और इसके लिये किसी कर्मचारी से कोई अतिरिक्त योगदान नहीं लिया जायेगा। दूसरे शब्दों में, इस योजना में यदि कभी कोई हानि होगी तो उस हानि की शत-प्रतिशत पूर्ति शासन द्वारा स्वयं की जायेगी।

21. इस योजना के अन्तर्गत "रिस्क फण्ड" में उपलब्ध धनराशि के विरुद्ध समस्त सेवारत मृत्यु के दावों का भुगतान होगा तथा वर्ष के अन्त में जो धनराशि शेष बचेगी वह लाभ होगा। इस लाभ का 90 प्रतिशत अंश शासन द्वारा सरकारी सेवकों तथा उनके परिवारों के लिये कल्याणकारी योजनाओं पर एक बेनीवोलैण्ड फण्ड गठित करके उपयोग किया जायेगा। इस फण्ड के गठन तथा इसकी कार्यविधि के लिये समुचित नियम बनाये जायेंगे और "रिस्क फण्ड" से प्राप्त लाभांश की धनराशि इस फण्ड में हस्तान्तरित की जायेगी।

22. सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत प्राप्तियों तथा भुगतानों के संबंध में लेखा-जोखा राज्य सरकार के आय-व्ययक में निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जायेगा :—

(1) प्रत्येक सरकारी सेवक के मासिक वेतन से की गयी कटौती की धनराशि प्राप्ति लेखा शीर्षक "088-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-अन्य प्राप्तियां-कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन-राज्य कर्मचारियों का अभिदान-(क) पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर शेष अन्य समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा (ख) पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा" के अन्तर्गत क्रेडिट की जायेंगी।

(2) राज्य सरकार का इस योजना के अन्तर्गत देय अंशदान पर होने वाला व्यय लेखा शीर्षक "288-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-क-अन्य बीमा योजनायें (1) कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन 6-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता" के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

(3) सरकारी सेवकों से प्राप्त की गयी कुल धनराशि लेखा शीर्षक "088" में क्रेडिट की जायेगी जिसे अन्ततः सामूहिक बीमा योजना निधि को संक्रमण किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये लेखा

शीर्षक "288-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-क-अन्य बीमा योजनायें-(2) राज्य सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि को संक्रमण-अन्तरलेखा संक्रमण" के अधीन प्राविधान रखा जायेगा।

(4) सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों को प्राप्त होने वाली वह धनराशि जो संबंधित कर्मचारी के बचत खाते से देय होगी, 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित शासन द्वारा वापस की जायेगी। देय ब्याज की धनराशि का भुगतान आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "249-ब्याज का भुगतान-ख-अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-4 बीमा तथा पेंशन निधियों पर ब्याज-राज्य सरकार बीमा निधि पर ब्याज-2 कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज (भारित)" के अन्तर्गत किया जायेगा।

(5) सरकारी सेवकों से प्राप्त धनराशि, शासन द्वारा दिये गये अंशदान की धनराशि तथा ब्याज के लिये व्यवस्थित धनराशियां संहत रूप में आय-व्ययक के लोक लेखा पक्ष के लेखा शीर्षक "811" के अधीन प्राप्तियों के रूप में क्रेडिट की जायेंगी और इसी लेखा शीर्षक के भुगतान पक्ष से समस्त भुगतान किये जायेंगे। इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत एक निधि का सृजन भी करना आवश्यक है। अतः इस प्रयोजन के लिये लेखा शीर्षक "811-बीमा और पेंशन निधियां-क-राज्य सरकार बीमा निधि-(1) कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि" के अधीन कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि गठित की गई है।

23. यह आदेश दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 से प्रभावी किये जाते हैं और ऊपर पैरा 1 के पार्श्व में उल्लिखित शासनादेश इसी दिनांक से निरस्त किये जाते हैं।

भवदीय,

जे० एल० बजाज,

सचिव।

अध्याय 16

सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर अनुमन्य प्रसुविधाएं
(Benefits admissible on Retirement or Death)

सरकारी सेवक के सेवानिवृत्त होने, अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर, उसके परिवार, जैसा कि संगत नियमावली या शासनादेश में परिभाषित हो, को निम्नलिखित धनराशियां मिलती हैं :—

(1) पेंशन, पेंशन का राशिकरण अथवा पारिवारिक पेंशन (मृत्यु की दशा में)

(2) उपदान (Gratuity)

(3) सामान्य भविष्य निधि की धनराशि

(4) सामूहिक बीमा योजना की धनराशि

(5) अर्जित अवकाश का नकदीकरण

(6) यात्रा-भत्ता

(7) उपदान पर ब्याज (यदि भुगतान में विलम्ब हुआ हो)

सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर, उपर्युक्त 'धन' के अलावा, उसके परिवार के किसी एक सदस्य को 'सेवायोजन' तथा उसके द्वारा लिए गये अग्रिमों (advances) पर ब्याज से छूट मिलती है।

पेंशनभोगियों एवं उसके परिवार के सदस्यों, तथा मृत सेवक के परिवार के सदस्यों, को चिकित्सा सुविधा भी मिलती है।

पेंशन

पेंशन मुख्यतः निम्नलिखित चार प्रकार की होती है :—

1. अधिवर्षता पेंशन (Superannuation Pension) :—

यह पेंशन उन सरकारी सेवकों को, सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 458, के अंतर्गत देय होती है जो शासन द्वारा निर्धारित आयु 60 वर्ष, पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं।

2. अशक्तता पेंशन (Invalid Pension) :—

यदि किसी कर्मचारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो उसको मेडिकल बोर्ड के समक्ष परीक्षण हेतु संदर्भित कर दिया जाता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जिला मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष भेजा जाता है। यदि इसको मेडिकल बोर्ड अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, अशक्त 'इनवेलिड' घोषित कर दिया जाता है तो उसको सक्षम अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी को जो पेंशन देय होती है उसको अशक्तता (इनवेलिड) पेंशन कहते हैं। देय पेंशन की धनराशि उसके द्वारा की गयी सेवा अवधि के अनुपात में निकाली जाती है अर्थात् यदि सेवा 33 वर्ष से कम हो तो उसी अनुपात में पेंशन की धनराशि भी कम हो जाती है। किन्तु यह धनराशि उस धनराशि से कम नहीं होती जो इनवेलिडेशन की तिथि को देहान्त होने की दशा में उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होती है। इनवेलिड पेंशन से संबंधित नियम सी० एस० आर० के अनुच्छेद 441 से 447 में दिये हुए हैं।

3. प्रतिकर पेंशन (Compensation Pension) :—

यदि कोई स्थायी पद समाप्त कर दिया जाता है और उसके धारक को कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं प्रदान की जाती है तो उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और उसके द्वारा की गयी सेवा अवधि के अनुसार आनुपातिक पेंशन देय होती है। इसी को प्रतिकर पेंशन कहते हैं। इससे संबंधित नियम सी० एस० आर० के अनुच्छेद 424 में दिए हुए हैं।

4. रिटायरिंग पेंशन (Retiring Pension) :—

मूल नियम 56 के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय किसी सरकारी सेवक (चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी) को उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् तीन मास की नोटिस देकर सेवानिवृत्त कर सकता है। सरकारी सेवक 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर या 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने पर किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को 3 मास की नोटिस देकर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है। अल्पावधि की नोटिस देने पर भी तत्काल सेवानिवृत्त किया जा सकता है किन्तु नोटिस 3 मास से जितनी कम होगी उतनी अवधि के लिए उसी दर पर वेतन और भत्ते देय होंगे जो कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहा था। यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह सरकारी सेवक को, किसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस के बदले उससे किसी राशि का भुगतान करने की अपेक्षा किये बिना, सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान कर सकता है। इस प्रकार सेवानिवृत्त किये जाने या होने पर 'रिटायरिंग पेंशन' देय होती है।

सरकारी सेवक के स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे पेंशन और आनुतोषिक के प्रयोजनार्थ 5 वर्ष या ऐसी अवधि को जिसे उसने अधिवर्षता की आयु के साधारण दिनांक तक कार्य किया होता, जो भी कम हो, की अतिरिक्त सेवा के लिये लाभ की अनुज्ञा दे सकता है।

स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के मामले में 5 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ तभी दिया जाता है जब उस कर्मचारी की सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो। यदि कोई ऐसा कर्मचारी जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही हो उसको यदि नियुक्ति प्राधिकारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति होने की अनुमति नहीं प्रदान करता तो कर्मचारी द्वारा दी गयी नोटिस की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही उसको इसकी लिखित सूचना दे देनी चाहिए।

अर्हकारी (क्वालीफाइंग) सेवा :—

पेंशन हेतु सेवा गिनी जाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी आवश्यक है :—

(1) 20 वर्ष से कम आयु में की गयी सेवा पेंशन हेतु नहीं गिनी जाती।

(2) सेवा शासन के अधीन होनी चाहिये अर्थात् सरकारी सेवा होनी चाहिए।

(3) वेतन का भुगतान सरकारी राजस्व से होना चाहिए।

(4) नियुक्ति स्थायी होनी चाहिए (अनुच्छेद 368 सी० एस० आर०)।

उल्लेखनीय है कि अंतिम शर्त अर्थात् सेवा में स्थायी होना शासन ने शिथिल कर दिया है तथा शासनादेश संख्या सा-3-1152/दस, दिनांक 1-7-89 (जो 1-6-89 से प्रभावी किया गया) द्वारा यह आदेश जारी किए हैं कि यदि कोई कर्मचारी बिना किसी पद पर स्थायी हुए भी अधिवर्षता की आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्त हो जाता है अथवा अस्वस्थता के कारण इनवेलिड होकर रिटायर होता है अथवा स्वेच्छा से, 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करके अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करके, सेवानिवृत्त होता है तो उपरोक्त तीनों दशाओं में भी उसको स्थायी कर्मचारी की भांति पेंशन तथा ग्रेच्युटी देय होगी, यदि उसने कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो। यदि किसी कर्मचारी को अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया जाता है तो उसको पेंशन तथा ग्रेच्युटी तभी देय होगी जब वह किसी पद पर स्थायी हो।

उत्तर प्रदेश में सिविल सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पूर्व यदि किसी कर्मचारी ने मिलिट्री म सेवा कर रखी हो, वह भी पेंशन हेतु गिनी जाती है किन्तु उसको मिलिट्री से प्राप्त डिस्चार्ज ग्रेच्युटी की धनराशि को रिफण्ड करना पड़ता है (अनुच्छेद 356)।

यदि किसी कर्मचारी ने उत्तर प्रदेश में किसी पद पर नियुक्ति के पूर्व भारत सरकार में सेवा कर रखी हो और वहां से अनुमति लेकर राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त हुआ हो तो भारत सरकार की सेवा भी पेंशन हेतु गिनी जायेगी (शासनादेश संख्या सा-3-1239/दस, दिनांक 13-9-82)।

यदि किसी सरकारी सेवक ने उत्तर प्रदेश में किसी सरकारी विभाग में नियुक्ति के पूर्व किसी उपक्रम, निगम अथवा विश्वविद्यालय में सेवा कर रखी हो, तो वह सेवा भी पेंशन हेतु गिनी जायेगी, यदि वह उपक्रम, निगम में अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और उस पर देय ब्याज सहित, संपूर्ण राशि राज्य सरकार के खाते में जमा कर दे और राज्य सरकार के अधीन पेंशन प्रयोजनों हेतु अर्ह सेवा में जुड़वाने का विकल्प दे (शासनादेश संख्या सा-3-728/दस-98-901-98, दिनांक 10-7-98)।

यदि किसी कर्मचारी ने अपनी सेवा में बिना वेतन का अवकाश लिया हो और वह चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर न लिया गया हो तो वह अवधि सेवा से निकाल दी जायेगी। अन्य प्रकार की समस्त सेवावधियां जिनमें चाहे वे पूरे वेतन पर रही हों अथवा अर्द्धवेतन पर उनको पेंशन हेतु सेवा अवधि गिनने में ड्यूटी ही मानी जायेगी अर्थात् कुल सेवा से घटाया नहीं जायेगा। यदि किसी की सेवा में कोई व्यवधान (ब्रेक) हो तो वह स्वतः क्षमा किया गया (condoned) माना जायेगा और ब्रेक के पूर्व की सेवा भी पेंशन हेतु गिनी जायेगी किन्तु सेवा में ब्रेक, हड़ताल में भाग लेने के कारण नहीं होना चाहिए (अनुच्छेद 408 सी० एस० आर० तथा शासनादेश संख्या-सा-3-2085/दस, दिनांक 13-12-1977)।

पेंशन की गणना हेतु परिलब्धियाँ

सेवानिवृत्ति के पूर्व के 10 माह के औसत परिलब्धियों के आधार पर पेंशन दी जाती है। विशेष वेतन या वैयक्तिक वेतन नहीं गिना जायेगा। 33 वर्ष या उससे अधिक सेवा हो, तो पूरी पेंशन मिलेगी अर्थात् पिछले 10 माह के औसत के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा स्वीकृत राहत भी मिलेगी। यदि किसी की सेवा 33 वर्षों से कम होती है, तो उसको उसी के अनुपात से पेंशन मिलती है। 3 माह अथवा इससे अधिक के अंश को 1/2 वर्ष मान लिया जाता है और 3 माह से कम की अवधि को छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी की सेवा 31 वर्ष 3 माह हो तो उसे 31½ वर्ष माना जायेगा। यदि अवधि 9 माह या अधिक हो तो उसे 32 वर्ष माना जायेगा। रिटायरमेंट होने पर यदि सेवा 10 वर्ष से कम हो तो पेंशन नहीं मिलेगी। उसे केवल सर्विस ग्रेच्युटी मिलेगी। वह प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिये आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी।

पेंशन गणना के लिये सेवानिवृत्ति के 10 माह पूर्व की अवधि के मूल वेतन का औसत लिया जाता है। विशेष वेतन व वैयक्तिक वेतन नहीं गिना जायेगा। यदि कोई कर्मचारी उक्त अवधि में स्थानापन्न पद से अवकाश पर गया हो तो मूल नियम 26(बी)(दो) का प्रमाण-पत्र भी आवश्यक होता है कि यदि वह अवकाश पर न जाता, तो अपने स्थानापन्न पद पर कार्य करता रहता। यदि कोई कर्मचारी अन्तिम दिन अवकाश पर रहता है, तो ग्रेच्युटी के लिये वही वेतन लिया जायेगा जो ड्यूटी पर रहने में पाता। यदि कोई सेवा के पिछले 10 माह की अवधि में बिना वेतन के अवकाश पर रहता है तो उसे निकाल दिया जाता है और 10 माह पूर्व की उतनी ही अवधि का वेतन, औसत निकालने के लिये जोड़ लिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय निलम्बित हो तो उसे प्रोविजनल पेंशन दी जायेगी तथा इसकी गणना निलम्बन के पूर्व तक की सेवा के आधार पर की जायेगी। सी० एस० आर० के अनुच्छेद 416 एवं 417 के अनुसार निलम्बन की अवधि उसी

दशा में पेंशनयोग्य सेवा गिनी जायेगी जब उसे कोई दण्ड बिना पुनः सेवा में ले लिया जाय अथवा सक्षम अधिकारी विशेष रूप से आदेश दे दें कि वह सेवा गिनी जाय।

8(क) शासनादेश संख्या-सा-3-697/दस-308/97, दिनांक 5 मई, 2000 में यह स्पष्टीकरण जारी किये गये कि यदि 1 जनवरी, 1996 से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की पेंशन की गणना हेतु 10 माह के औसत निकालने में 1-1-96 के पूर्व की भी कुछ अवधि पुराने वेतनमान की पड़ती हो, तो उनके 10 माह पूर्व के वेतन की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी :—

(1) मूल वेतन (वेतनवृद्धियों सहित, यदि मध्यवर्ती अवधि के दौरान आहरित की गयी)

(2) महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1510 तक अर्थात् मूल वेतन के 148 प्रतिशत, 111 प्रतिशत और 96 प्रतिशत की दर से जैसा भी मामला हो।

(3) संगत अवधि के दौरान आहरित मूल वेतन पर अंतरिम राहत की समुचित पहली और दूसरी किश्तें।

(4) पूर्व संशोधित वेतनमान में मूल वेतन पर 40 प्रतिशत निर्धारित लाभ देते हुए मूल वेतन में सैद्धान्तिक वृद्धि।

(ख) उस अवधि हेतु जिसमें वेतन संशोधित वेतनमान में आहरित किया गया :—

उन महीनों के मूल वेतन का पूर्ण योग जिसमें संशोधित वेतनमान में वेतन आहरित किया गया।

अंतिम 10 माह के औसत वेतन की गणना उपरोक्त 8(क) (1), (2), (3), (4) एवं 8(ख) की मदों को जोड़कर की जायेगी।

पेंशन के लिए सम्पूर्ण स्थानापन्न तथा अस्थायी वेतन गिना जाता है। वेतन वही माना जायेगा जैसा कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2, भाग-2 के मूल नियम 9(21)(1), में परिभाषित है अर्थात् विशेष वेतन एवं वैयक्तिक वेतन, 1-1-86 से, पेंशन गणना हेतु नहीं गिना जायेगा। 1-1-86 से पूर्व पेंशन व ग्रेच्युटी के लिये पुराने वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त 608 मूल सूचकांक पर 1-1-86 को अनुमन्य पूरा महंगाई भत्ता, तदर्थ भत्ता तथा अन्तरिम सहायता भी गिनी जाती थी किन्तु 1-1-86 से नये वेतनमान में केवल मूल वेतन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों आदि व मेडिकल कालेज के अध्यापक आदि को मिलने वाला प्रैक्टिस बन्दी वेतन भी पेंशन व ग्रेच्युटी आदि नैवृत्तिक लाभों के लिये गिना जायेगा। पेंशन की अधिकतम धनराशि 31-12-95 तक रु० 4500/- प्रतिमाह थी किन्तु 1-1-96 से अब कोई सीमा नहीं है। एक्स काडर पद पर आहरित किया गया वेतन भी पेंशन के लिये गिना जाता है (शासनादेश संख्या-जी-3-3534/दस-938/75, दिनांक 24-5-77) तथा सा-3-1720/दस, दिनांक 23-12-97.

अशक्त (इनवैलिड) पेंशन के मामले में पेंशन की धनराशि उस धनराशि से कम न होगी, जो सरकारी कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलती, यदि सरकारी कर्मचारी की इनवैलिडेशन की तिथि को मृत्यु हो जाती।

पेंशन के प्रकरणों के निस्तारण की समय सारिणी

उ० प्र० पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995 के अनुसार निम्नलिखित समय सारिणी विहित है :—

क्र० सं०	कार्य का विवरण		समय अनुसूची अर्थात् समय जिसके भीतर कार्य किया जाना है।	कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति
1.	सेवापुस्तिका का पूरा किया जाना और सत्यापन।		प्रत्येक वर्ष का जून मास	1-विभाग के सम्बन्धित अधिष्ठान का सम्बन्धित लिपिक 2-कार्यालय का अधीक्षक 3-कार्यालयाध्यक्ष
2.	सेवापुस्तिका का पुनरावलोकन और कमी यदि कोई हो, का पूरा किया जाना।		सेवानिवृत्ति के 8 मास पूर्व	1-संबंधित अधिष्ठान लिपिक 2-कार्यालय अधीक्षक 3-कार्यालयाध्यक्ष
3.	अदेयता प्रमाण-पत्र का (सेवा अवधि में) जारी किया जाना।		सेवानिवृत्ति के दो मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष
4-क.	सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी को पेंशन प्रपत्र प्रदान किया जाना।		सेवानिवृत्ति के 8 मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष
ख.	पेंशन प्रपत्र का भरा जाना।		सेवानिवृत्ति के 6 मास पूर्व	सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी सेवक
5.	मृत्यु के मामलों में प्रपत्र का भरा जाना।		मृत्यु के एक मास पश्चात्	1-पेंशन लिपिक 2-कार्यालय अधीक्षक 3-कार्यालयाध्यक्ष
6.	नियुक्ति प्राधिकारी से जाँच किया जाना कि क्या कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है या नहीं।		सेवानिवृत्ति के 8 मास पूर्व	1-कार्यालय अधीक्षक 2-कार्यालयाध्यक्ष
7.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त सूचना की पूर्ति।		सेवानिवृत्ति के 7 मास पूर्व।	नियुक्ति प्राधिकारी
8.	पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण :—			
	क.	सेवा पेंशन	सेवानिवृत्ति के 5 मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष
	ख.	पारिवारिक पेंशन	मृत्यु के एक मास पश्चात्	कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष

9.	पेंशन प्रपत्रों आदि का परीक्षण और समीक्षा और यदि उसमें कोई आपत्ति या कमी पायी जाये तो, उसे दूर करने के लिए विभाग को लिखा जाना।	पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति के दो मास	1-लेखाकार 2-सहा० लेखाधिकारी 3-पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
10.	आपत्तियों का निराकरण।	आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात् एक मास	विभागीय कार्यालयाध्यक्ष
11.	पेंशन मामले का पुनः परीक्षण/निस्तारण	शुद्ध किये गये प्रपत्रों के प्राप्त होने के पश्चात् एक मास	1-लेखाकार 2-सहायक लेखाधिकारी 3-पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
12.	रोके गये उपादान के निर्मुक्त किये जाने के लिये प्रपत्र-2 पर अदेयता प्रमाण-पत्र का अग्रसारण।	सेवानिवृत्ति के दो मास पश्चात्	कार्यालयाध्यक्ष
13.	(पेंशन/उपादान/पेंशन के राशिकरण) के भुगतान आदेश का जारी किया जाना।	सेवानिवृत्ति की संध्या तक	1-लेखाकार 2-सहायक लेखाधिकारी 3-पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
14.	अन्तरिम पेंशन की स्वीकृति (यदि अन्तिम रूप दिया जाना संभव न हो)।	सेवानिवृत्ति/मृत्यु के एक मास के अन्दर	1-पेंशन लिपिक 2-कार्यालय अधीक्षक 3-कार्यालयाध्यक्ष
15.	अनन्तिम पेंशन का भुगतान।	प्रत्येक मास के सातवें दिन तक	आहरण और वितरण अधिकारी
16.	पेंशन का भुगतान	भुगतान आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक मास	कोषाधिकारी/आहरण और वितरण अधिकारी
17.	सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही।	सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351-क में दी गई प्रक्रिया के अनुसार और सरकारी आदेश के प्राप्त होने के तीन मास के भीतर निर्णय का लिया जाना। यदि विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्ति के पूर्व संस्थित की गयी हो तो इसे	सरकार का प्रशासनिक विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी

		सेवानिवृत्ति के दिनांक से 6 मास के भीतर पूरा कर दिया जाना चाहिए।	
18.	पेंशन से सम्बन्धित मामलों के संबंध में दायर विधिक वादों का प्रतिवाद	न्यायालय के आदेश के अनुसार या रिट याचिका की प्राप्ति के दिनांक से दो मास के भीतर, जो पहले हो, प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत होना चाहिए।	संबंधित विभाग का प्रतिवादी

शासनादेश संख्या-सा-3-1713/दस-89-933/89, दिनांक 28-7-89 के अनुसार प्रत्येक विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष को चाहिए कि वे प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को ऐसे सरकारी सेवकों की सूची जारी करें जो अगले वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने को हों तथा उसकी प्रतिलिपियाँ निदेशक, पेंशन अथवा मुख्य लेखाधिकारियों को जो पेंशन भुगतान आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत हों तथा पेंशन पत्रक बनाने हेतु उत्तरदायी कोष्ठक को एवं सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को प्रेषित की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ 1-4-99 को ऐसे व्यक्तियों की सूची जारी की जानी चाहिए जो अगले वित्तीय वर्ष 2000 से 2001 तक में अर्थात् 1-4-2000 से 31-3-2001 तक सेवानिवृत्त होने को हों ताकि पर्याप्त समय पूर्व से सेवा अभिलेखों को पूर्ण करने तथा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पेंशन पत्रक तैयार करके इनका समय से निस्तारण किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि पेंशन निदेशक तथा शासन के प्रशासकीय विभागों एवं विभागाध्यक्षों के नोडल अधिकारियों द्वारा पेंशन प्रकरणों की मानीटरिंग हेतु शासनादेश संख्या-सा-3-642/दस-1993, दिनांक 24-4-93 में ये आदेश जारी किये गये कि प्रत्येक पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को अगले 24 माह में सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी सेवकों की सूचियाँ तैयार करा कर शासन के प्रशासकीय विभागों को, पेंशन निदेशक, उ० प्र० को तथा सम्बन्धित मुख्य लेखाधिकारियों को 31 जनवरी/31 जुलाई तक प्रेषित की जानी चाहिए ताकि पेंशन प्रकरणों की प्रत्येक स्तर पर मानीटरिंग की जा सके। ये सूचियाँ विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा तैयार करायी जायेंगी।

पेंशन के प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब के निवारण हेतु शासन ने जी० ओ० संख्या-सा-3-697/दस, दिनांक 8-10-99 तथा सा०-3-1212/दस, दिनांक 26-10-99 यह निदेश जारी किये हैं कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के पेंशन आदि के भुगतान आदेश जारी किये जाने का कार्य पेंशन निदेशक, उ० प्र० लखनऊ द्वारा किया जायेगा तथा सचिवालय सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उक्त कार्य इरला चेक अनुभाग, उ० प्र० सचिवालय द्वारा किया जायेगा।

अन्य समस्त विभागों के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के पेंशन आदि से सम्बन्धित कार्य मण्डल के संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा भौगोलिक आधार पर निष्पादित किया जायेगा। उक्त संयुक्त निदेशक यह कार्य मण्डलायुक्त (डिवीजनल कमिश्नर) के प्रशासकीय नियंत्रण में करेंगे।

उल्लेखनीय है कि पंचम वेतन आयोग, भारत सरकार की संस्तुतियों के आधार पर उ० प्र० शासन ने भी शासनादेश संख्या-सा-3-1062/दस-308/97, दिनांक 24-8-98 द्वारा 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 1-1-96 से पुनरीक्षित करने के आदेश जारी किये जिसके अनुसार उक्त सरकारी सेवकों के वेतनों को उनके द्वारा धारित पद के जो वेतन थे उनको 1-1-86 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमानों में सैद्धान्तिक रूप से निर्धारित

करके उन्हीं के अनुसार पेंशनों को महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा पुनरीक्षित करने के निदेश दिये गये।

उपरोक्त के अतिरिक्त 1 जनवरी, 1986 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1996 के पूर्व जो सरकारी सेवक सेवानिवृत्त/दिवंगत हुए उनके पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन को इस प्रकार से पुनरीक्षित किये जाने के आदेश जारी किये गये कि उनके द्वारा 1-1-96 के पूर्व धारित पदों के जो वेतनमान 1-1-96 से स्वीकृत किये गये हैं, उनके आरम्भिक वेतन के 50 प्रतिशत से कम पेंशन नहीं होगी यदि सेवा 33 वर्ष से कम न रही हो अन्यथा उसी के अनुपात में पेंशन कम हो जायेगी तथा पारिवारिक पेंशन उक्त आरम्भिक वेतन के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इस प्रकार का पुनरीक्षण सम्बन्धित सेवकों के विकल्प के अनुसार कोषाधिकारियों द्वारा ही कर दिया जायेगा। इस पुनरीक्षण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-सा-3-1712/दस 2000-300/99, दिनांक 5 जनवरी, 2001 में आवश्यक स्पष्टीकरण एवं मार्गदर्शन जारी किये गये। मूल आदेश शा० आ० संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 में जारी किये गये थे।

पेंशन ऐक्ट 1871 की धारा 11 जो अनुच्छेद 943, सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के नीचे छाप दी गयी है, के अनुसार पेंशन से किसी प्रकार की सरकारी बकायों की वसूलियाँ अथवा किसी न्यायालय के आदेश पर भी कोई वसूली नहीं की जा सकती किन्तु ग्रेच्युटी से यू० पी० रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल, 1961 के नियम 9(4) के अंतर्गत की जा सकती है क्योंकि ग्रेच्युटी को शासन की ओर से उपहार (गिफ्ट) माना जाता है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण का निस्तारण

यह कार्य शासनादेश संख्या-सा-3-297/दस-913/92, दिनांक 26-5-93 द्वारा समस्त कार्यालयाध्यक्षों को, जहाँ उनका वेतन आहरित किया जाता है, सौंप दिया गया है।

पहचान-पत्र

शासनादेश संख्या-सा-3-789/दस-96-901/96, दिनांक 22-6-96 द्वारा आदेश जारी किये गये हैं कि कोषाधिकारियों द्वारा प्रत्येक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को पहचान-पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें उनकी संयुक्त फोटो लगी होगी तथा पदनाम व पेंशन की धनराशि आदि व अन्तिम वेतन तथा सेवानिवृत्ति की तिथि अंकित होगी। यह उनको पेंशन आहरित करने, चिकित्सालय आदि में उपचार हेतु व अन्य प्रयोजनों हेतु मान्य होगा।

शासनादेश संख्या-सा-4-1585/दस, दिनांक 3-11-87 के अनुसार सरकारी सेवक की मृत्यु पर तत्काल बिना प्रार्थना-पत्र की प्रतीक्षा के उसके परिवार को रु० 3000/- का अग्रिम स्वीकृत करके कार्यालय तिजोड़ी में उपलब्ध किसी भी धनराशि से भुगतान कर देना चाहिए तथा यह अग्रिम परिवार को देय ग्रेच्युटी आदि से समायोजित कर लेना चाहिए। इस आशय का लिखित आश्वासन भुगतान के पूर्व प्राप्त कर लेना चाहिए।

पेंशन का राशिकरण

शासन ने पेंशन की राशिकरण की सुविधा प्रदान कर रखी है। इस हेतु सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को पेंशन के निर्धारित प्रार्थना-पत्र, भाग-1 के स्तम्भ 9 के सामने यह लिखना होता है कि वह अपनी पेंशन के कितने अंश का राशिकरण कराना चाहता है। दिनांक 1-1-1996 के पूर्व पेंशन का एक तिहाई तक का राशिकरण कराया जा सकता था किन्तु शासनादेश संख्या-सा-3-1720/दस, दिनांक 23-12-97 द्वारा 1-1-1996 से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक अपनी पेंशन का 40 प्रतिशत तक का राशिकरण करा सकते हैं।

58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वालों की पेंशन का 1/- रुपये का समतुल्य बराबर है रु०

125.52 पैसे तथा 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वालों का रु० 117.72 पैसे है।

उदाहरणार्थ यदि किसी की स्वीकृत पेंशन रु० 4000/- प्रतिमाह हो, तो वह उसका 40 प्रतिशत अर्थात् रु० 1600 तक का राशिकरण करा सकता है। यदि वह 58 वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्त हुआ हो तो चूंकि पेंशन का 1/-(एक रुपया) बराबर है रु० 125.52, अतएव रु० 1600 का मूल्य बराबर होगा रु० 125.52 x 1600 = रु० 2,00,832/- (दो लाख, आठ सौ बत्तीस रुपये मात्र)।

उपरोक्त धनराशि पेंशनर को एकमुश्त भुगतान कर दी जायेगी तथा उसकी पेंशन रु० 4000/- में से रु० 1600/- घट जायेंगे और केवल रु० 2400/- प्रतिमाह पेंशन देय होगी किन्तु महंगाई राहत, शासन द्वारा समय-समय से स्वीकृत दरों पर, पूरी पेंशन अर्थात् 4000/- पर ही मिलती रहेगी।

यदि पेंशनर 15 वर्ष तक जीवित रहता है, तो उसको पुनः रु० 4000/- प्रतिमाह की दर से पेंशन देय हो जायेगी।

पारिवारिक पेंशन

यदि किसी सरकारी कर्मचारी की एक वर्ष से कम की भी सेवा करने के पश्चात् मृत्यु हो जाती है तो चाहे स्थायी हो अथवा स्थानापन्न हो, उसके परिवार को जीवनपर्यन्त पारिवारिक पेंशन मिलती है तथा डेथ ग्रेच्युटी भी मिलती है, यदि उसकी नियुक्ति, नियमानुसार चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् हुई हो तथा उसकी आयु 20 वर्ष से कम न हो (शासनादेश संख्या-सा-3-1358/दस-918/79, दिनांक 21-9-79)।

यदि नियुक्ति तदर्थ रूप से हुई है तो यह सुविधा तभी अनुमन्य होगी जब उसकी कम से कम एक वर्ष की सेवा हो। नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार चिकित्सा परीक्षा तथा सेवा के लिये ठीक पाया जाना भी एक वर्ष से कम की सेवा पर पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिये आवश्यक है। इस प्रयोजन हेतु परिवार में निम्नलिखित सदस्य हकदार माने जायेंगे :—

1. पत्नी/पति जीवनपर्यन्त किन्तु पुनर्विवाह करने की तिथि से समाप्त हो जायेगी।
2. पुत्र तथा गोद लिया एवं सौतेला पुत्र 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा स्वयं जीविकोपार्जन की तिथि के पूर्व तक, जो भी पहले हो।
3. अविवाहित पुत्री 25 वर्ष की आयु तक अथवा शादी की तिथि से पूर्व तक या स्वयं जीविकोपार्जन करने लगने की तिथि के पूर्व तक, जो भी पहले हो।

शासनादेश संख्या-सा-3-984/दस, दिनांक 24-7-98 द्वारा यह आदेश जारी किये गये हैं कि यदि परिवार में उपरोक्त वर्णित सदस्य न हों तो निम्नलिखित में से किसी एक को पारिवारिक पेंशन मिल सकती है :—

(i)	विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री	25 वर्ष की आयु तक किन्तु मासिक आय रु० 2550 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(ii)	माता/पिता	मासिक आय रु० 2550 से कम होनी चाहिए।

विकलांग पुत्र/पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी और न केवल 25 वर्ष तक की आयु तक, चाहे विकलांगता सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के पूर्व प्रकट हुई हो अथवा बाद में। पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिये कि वह अपनी जीविकोपार्जन के लिये सक्षम नहीं है (शासनादेश संख्या जी-3-1155/दस-2-81, दिनांक 6-8-81) तथा सा०-3-1513/दस, दि० 12-11-97.

पारिवारिक पेंशन उपरोक्त सदस्यों में से केवल एक को ही एक समय में देय होगी परन्तु उसके

न होने पर दूसरे श्रेणी के सदस्यों को, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, वरीयता के अनुसार देय होगी अर्थात् यदि पत्नी है तो उसी को मिलेगी और यदि पत्नी नहीं है तो बड़े लड़के को 25 वर्ष की आयु तक अथवा स्वावलम्बी होने के पूर्व तक और यदि लड़का न हो तो अविवाहित पुत्री को 25 वर्ष की आयु तक अथवा स्वावलम्बी होने की तिथि के पूर्व तक मिलेगी। यदि उपरोक्त में से कोई भी सदस्य परिवार में नहीं है तो किसी को नहीं मिलेगी।

पारिवारिक पेंशन 1-1-96 से मृत्यु की तिथि के वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर होगी किन्तु कम से कम रु० 1275 प्रति माह।

नई पारिवारिक पेंशन योजना से शासित ऐसे मामलों में जिनमें सरकारी कर्मचारी ने मृत्यु से पूर्व 7 वर्ष या इससे अधिक की अविरल सेवा कर ली हो, तो मृत्यु की तिथि के अगले दिन से 7 वर्ष तक की अवधि के लिए, उपरोक्त अनुमन्य धनराशि के दुगने के बराबर अथवा अन्तिम दिन के वेतन के आधे के बराबर, जो भी कम हो, पारिवारिक पेंशन मिलेगी। सेवानिवृत्ति के पश्चात् देहान्त होने पर दुगुनी दर पर पारिवारिक पेंशन उस तिथि तक मिलेगी जब तक वह जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता तथा पारिवारिक पेंशन की धनराशि मृतक की पेंशन से अधिक नहीं होगी। तत्पश्चात् सामान्य दर से मिलेगी।

यदि किसी सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति पर पेंशन के अतिरिक्त उसके पति/पत्नी, जो सरकारी सेवक रहे हों, की मृत्यु के कारण पारिवारिक पेंशन भी मिलती हो, तो दोनों पेंशनों के योग पर उसको अनुमन्य महंगाई राहत की गणना की जायेगी।

यदि सरकारी सेवक की मृत्यु में उसकी पत्नी/पति का षड्यंत्र पाया जाता है, तो उसे पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी।

उपदान (**Gratuity**)

यू० पी० लिबरेलाइज्ड पेंशन रूल्स अथवा रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स से नियंत्रित होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के अतिरिक्त ग्रेच्युटी भी देय होती है। ग्रेच्युटी की धनराशि सेवानिवृत्ति की तिथि को मिलने वाली परिलब्धियों पर निकाली जाती है और अधिकतम ग्रेच्युटी इसके 16½ गुना के बराबर होगी, यदि अर्हकारी सेवा 33 वर्ष या उससे अधिक हो। ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि 31-12-95 तक रु० 2,50,000/- (ढाई लाख रुपये) थी। 1-1-96 से यह रु० 3,50,000 कर दी गई। यदि सेवा 33 वर्ष से कम होती है, तो उसी के अनुसार ग्रेच्युटी मिलती है। 1-1-1996 से ग्रेच्युटी की गणना करने हेतु पूरा महंगाई भत्ता भी जोड़ा जायेगा, शा०आ० संख्या-सा-3-1720/दस, दिनांक 23-12-97. ग्रेच्युटी की गणना का फार्मूला निम्न प्रकार है :—

1/4 ई० x वाई

ई० = अन्तिम दिन की परिलब्धि (वेतन + महंगाई भत्ता)

वाई = सेवा की कुल पूर्ण छमाहियाँ

सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी अर्हकारी सेवा कम से कम 5 वर्ष हो। ग्रेच्युटी निकालने के लिये परिलब्धियों की कोई अधिकतम धनराशि नहीं है।

किसी भी अधिकारी को 3,50,000 (साढ़े तीन लाख) रुपये से अधिक ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। ग्रेच्युटी भुगतान में 3 माह से अधिक विलम्ब पर 12 प्रतिशत ब्याज भुगतान करना पड़ेगा जो विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

दिनांक 1-1-86 को या उसके उपरान्त सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को देय उपदान की दरें इस प्रकार हैं :—

सेवा अवधि	डेथ ग्रेच्युटी की दरें परिलब्धि = अन्तिम दिन का वेतन (+) पूरा महंगाई भत्ता
(1) एक वर्ष से कम सेवा पर मृत्यु होने पर	अन्तिम दिन की परिलब्धियों का दो गुना
(2) एक वर्ष या उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम सेवा में मृत्यु पर	6 गुना
(3) 5 वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम सेवा पर मृत्यु होने की दशा में	12 गुना
(4) 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा पर मृत्यु होने पर	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए अन्तिम दिन की परिलब्धियों के आधे के बराबर अर्थात् जितने वर्ष की सेवा उतने ही माह का वेतन (+) महंगाई भत्ता। अधिकतम 33 गुना या 3.50 लाख रुपये, जो भी कम हो।

इसका भुगतान परिवार के नामांकित सदस्य को किया जायेगा। यदि नामांकन न हो तो उपदान पति/पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्रियों (सौतेली सन्तानों को सम्मिलित करते हुए) को बराबर वितरित की जायेगी।

1. पेंशन एवं उपदान
(Pension and Gratuity)

1

CIVIL SERVICE REGULATIONS

EXTRACTS OF ARTICLES 353, 355, 361, 362, 368, 369, 370, 372, 373, 385 AND 386

Misconduct or Inefficiency

353. No pension may be granted to an officer dismissed or removed for misconduct, insolvency or inefficiency ; but to the officer so dismissed or removed compassionate allowance may be granted when he is deserving of special consideration ; provided that the allowance granted to any officer shall not exceed two-third of the pension which would have been admissible to him if he had retired on invalid pension.

Limitations

355. *(a)* An officer cannot earn two pensions in the same office at the same time, or by the same continuous service.

(b) Two officers may not simultaneously count service in respect of the same office.

Conditions of qualifications

361. The service of an officer does not qualify for pension unless it conforms to the following three conditions :—

First—The service must be under Government.

Second—The employment must be substantive and permanent.

Third—The service must be paid by Government.

These three conditions are fully explained in the following section.

Section II—First Condition

362. The service of an officer does not qualify unless he is appointed and his duties and pay are regulated by the Government, or under conditions determined by the Government. The following are examples of officers excluded from pension by this Article :

(1) [* * *]

(2) Officers of a Municipality ;

(3) Officers of Grant-in-aid Schools and Institutions *e.g.*, the Asiatic Society and Canning College at Lucknow ;

(4) Subordinates appointed by treasurers on their own responsibility, *e.g.*, Tahsildars in the Province of Agra.

Section III—Second Condition

General Principles

368.—Service does not qualify unless the officer holds a substantive office on a permanent establishment.

369.—An establishment, the duties of which are not continuous but are limited to certain fixed periods in each year, is not a temporary establishment. Service in such an establishment, including the period during which the establishment is not employed, qualifies ; but the concession of counting as service the period during which the establishment is not employed does not apply to an officer who was not on actual duty when the establishment was discharged, after completion of its work, or to an officer who was not on actual duty on the first day on which the establishment was again re-employed.

370.—Continuous temporary or officiating service under the Government of Uttar Pradesh followed without interruption by confirmation in the same or any other post shall qualify except—

(i) periods of temporary or officiating service in non-pensionable establishment ;

(ii) periods of service in work-charged establishment ; and

(iii) periods of service in a post paid from contingencies.

Note.—If service rendered in a non-pensionable establishment, work-charged establishment or in a post paid from contingencies, falls between two periods of temporary service in a pensionable establishment or between periods of temporary

service and permanent service in a pensionable establishment, it will not constitute an interruption of service.

Apprentices and probationers

Rule 372.—Service as an apprentice does not qualify, except in the following cases :—

Engineer or Examiner Apprentices	In the Public Works Department.
Qualified students of the Thomson College under practical training who passed out prior to the year 1924.	

[* * *]

373.—The service of a probationer who holds a substantive office and draws substantive pay qualifies. So does that of an officer who is on probation for a substantive office if he is employed in a vacancy reserved for him pending probation, and in which no other officer simultaneously counts service.

Section IV—Third Condition

Sources of Remuneration

385.—Service which satisfies the conditions prescribed in Sections II and III qualifies, or does not qualify, according to the source from which it is paid ; with reference to this article, service is classified as follows :

(a) Paid from the General Revenues.

(b) Paid from Local Funds.

(c) Paid from Funds in respect to which the Government holds the position of Trustee.

(d) Paid by Fees levied by law, or under the authority of the Government or by Commission.

(e) Paid by the Grant, in accordance with law or custom, or a tenure in land, or of any source of income, or right to collect money.

General Revenues

386.—Service paid from the General Revenues qualifies. The fact that arrangements are made for the recovery, on the part of the Government, of the whole, or part, of the cost of an establishment or officer, does not affect the operation of this principle : Provided that the establishment or officer is appointed, controlled, and paid by the Government.

Note.—In making arrangements for the recovery or cost of establishments, it should not be forgotten that Government has to bear not only the immediate cost but also that of leave allowances and pensions—*(See* Article 783).

2

उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।[1]

2. परिभाषायें.—जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :—

(क) "मुख्य नोडल अधिकारी" का तात्पर्य पेंशन निदेशक, उत्तर प्रदेश से है ;

(ख) "विलम्ब" का तात्पर्य समय-अनुसूची से अधिक अवधि से है ;

(ग) "अग्रसारण अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो समय-समय पर सरकार द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिये सशक्त हो ;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(च) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य समय-समय पर सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है ;

(छ) "कार्यालयाध्यक्ष" का तात्पर्य समय-समय पर सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है ;

(ज) "नोडल अधिकारी" का तात्पर्य समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार इस रूप में सशक्त व्यक्ति से है ;

(झ) "पेंशन" का तात्पर्य सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 41 में यथापरिभाषित पेंशन से है ;

(ञ) "पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी" का तात्पर्य समय-समय पर सरकार के द्वारा इस रूप में सशक्त व्यक्ति से है ;

(ट) "समय अनुसूची" का तात्पर्य अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट किसी कार्य के संबंध में स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट समय से है।

3. अध्यारोही प्रभाव.—किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में अन्तर्दिष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, यह नियमावली प्रभावी होगी।

4. समय अनुसूची और सहबद्ध विषयों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया.—(1) किसी विलम्ब को नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी :—

(क) पेंशन प्राप्तकर्ता/पेंशन प्राप्तकर्ताओं के संगठनों की शिकायत पर ;

(ख) पेंशन के मामलों के निस्तारण के अनुवर्तन पर, अभिनिश्चित कर सकते हैं।

(2) जब कभी नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी की जानकारी में कोई विलम्ब का मामला आता है तो वह विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से विलम्ब के कारणों के संबंध में सभी सुसंगत सूचनायें प्रस्तुत करने

1. यह नियमावली दिनांक 2.11.1995 से प्रवृत्त है।

की अपेक्षा करेगा और ऐसी जांचोपरान्त जिसे वे उचित समझें विलम्ब के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का पता लगायेगा और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये एक प्रस्ताव सम्बद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा। नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण होने तक मामले का अनुसरण करेगा और ऐसी कार्यवाही का अभिलेख रखेगा। नोडल अधिकारी ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के संबंध में मुख्य नोडल अधिकारी को सूचित करेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के संबंध में या उससे संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में अपेक्षित सूचना नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी को देने में असफल रहता है, या जो विलम्ब के लिये उत्तरदायी है, वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्डात्मक नियमों के अधीन दण्डनीय होगा।

(4) सम्यक् रूप से पूर्ण पेंशन के कागज पत्रों को सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ उसके संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के भीतर, पेंशन स्वीकृतकर्ता/ प्राधिकारी को भेजा जायेगा।

(5) मुख्य नोडल अधिकारी/नोडल अधिकारी और पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी पेंशन के मामलों का समय-अनुसूची के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करेगा।

(6) पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी ऐसे अधिकारियों/पदधारियों की नियमित मासिक बैठक आयोजित करेगा या आयोजित होने देगा, जो ऐसे मामलों में व्यवहार करते हों और ऐसे मामलों के परीक्षण और निस्तारण के लिये सभी समुचित कदम उठायेगा।

(7) सरकार में संबंधित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव सभी पेंशन संबंधी मामलों के संबंध में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और समय-अनुसूची के भीतर ऐसे मामलों का परीक्षण और निस्तारण सुनिश्चित करायेगा।

अनुसूची

[नियम 3(ख) और 3(ट) देखिये]

समय अनुसूची

क्र० सं०	कार्य का विवरण	समय जिसके भीतर कार्य किया जाना है	कार्य के लिये उत्तरदायी व्यक्ति
1	2	3	4
1.	सेवा-पुस्तिका का पूरा किया जाना और सत्यापन	प्रत्येक वर्ष का जून मास	1–विभाग के संबंधित अधिष्ठान का संबंधित लिपिक 2–कार्यालय का अधीक्षक 3–कार्यालयाध्यक्ष
2.	सेवा-पुस्तिका का पुनर्विलोकन और कमी, यदि कोई हो, का पूरा किया जाना	सेवानिवृत्ति के 8 मास पूर्व	1–संबंधित अधिष्ठान लिपिक 2–कार्यालय अधीक्षक 3–कार्यालयाध्यक्ष
3.	अदेयता प्रमाण-पत्र का (सेवा अवधि में) जारी किया जाना	सेवानिवृत्ति के दो मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष
4.	क-सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी को पेंशन-प्रपत्र प्रदान किया जाना	सेवानिवृत्ति के 8 मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष

	ख-पेंशन प्रपत्र का भरा जाना	सेवानिवृत्ति के 6 मास पूर्व	सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी सेवक
5.	मृत्यु के मामलों में प्रपत्र का भरा जाना	मृत्यु के एक मास पश्चात्	1-पेंशन लिपिक 2-कार्यालय अधीक्षक 3-कार्यालयाध्यक्ष
6.	नियुक्ति प्राधिकारी से जांच किया जाना कि क्या कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है या नहीं	सेवानिवृत्ति के 8 मास पूर्व	1-कार्यालय अधीक्षक 2-कार्यालयाध्यक्ष
7.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त सूचना की पूर्ति	सेवानिवृत्ति के 7 मास पूर्व	नियुक्ति प्राधिकारी
8.	पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण		
	(क) सेवा पेंशन	सेवानिवृत्ति के पांच मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
	(ख) पारिवारिक पेंशन	मृत्यु के एक मास पश्चात्	कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
9.	पेंशन प्रपत्रों आदि का परीक्षण और संवीक्षा और यदि उसमें कोई आपत्ति या कमी पायी जाये तो, उसे दूर करने के लिये विभाग को लिखा जाना	पेंशन प्रपत्रों को प्राप्ति के दो मास	1-लेखाकार 2-सहायक लेखाधिकारी 3-पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
10.	आपत्तियों का निराकरण	आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात् एक मास	विभागीय कार्यालयाध्यक्ष
11.	पेंशन मामले का पुनः परीक्षण/निस्तारण	शुद्ध किये गये प्रपत्रों के प्राप्त होने के पश्चात् एक मास	1-लेखाकार 2-सहायक लेखाधिकारी 3-पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी।
12.	रोके गये उपादान के निर्मुक्त किये जाने के लिये प्रपत्र-2 पर अदेयता प्रमाण-पत्र का अग्रसारण	सेवानिवृत्ति के दो मास पश्चात्	कार्यालयाध्यक्ष
13.	(पेंशन/उपादान/पेंशन के सारांशीकरण) के भुगतान आदेश का जारी किया जाना	सेवानिवृत्ति की संध्या तक या पर	1-लेखाकार 2-सहायक लेखाधिकारी 3-पेंशन भुगतान आदेश जारी करने

			वाला अधिकारी
14.	अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति (यदि अन्तिम रूप दिया जाना सम्भव न हो)	सेवानिवृत्ति/मृत्यु के एक मास पश्चात्	1–पेंशन लिपिक 2–कार्यालय अधीक्षक 3–कार्यालयाध्यक्ष
15.	अनन्तिम पेंशन का भुगतान	प्रत्येक मास के सातवें दिन तक	आहरण और वितरण अधिकारी
16.	पेंशन का भुगतान	भुगतान आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक मास	कोषाधिकारी/आहरण और वितरण अधिकारी
17.	सेवानिवृत्त कार्यकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही	सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351-क में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार और सरकारी आदेश के प्राप्त होने के तीन मास के भीतर निर्णय का लिया जाना यदि विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्ति के पूर्व संस्थित की गयी हो तो इसे सेवानिवृत्ति के दिनांक से छः मास के भीतर पूरा कर दिया जाना चाहिये।	सरकार का प्रशासनिक विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी
18.	पेंशन से संबंधित मामलों के संबंध में दायर विधिक वादों का प्रतिवाद	न्यायालय के आदेश के अनुसार या रिट याचिका की प्राप्ति के दिनांक से दो मास के भीतर, जो पहले हो, प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत होना चाहिए।	संबंधित विभाग का प्रतिवादी

3

THE UTTAR PRADESH RETIREMENT BENEFITS RULES, 1961[1]

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rules :

1. (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961.

(2) They shall and be deemed to have come into force with effect from April 1, 1961.

1. Published originally with notification no. G-2-749/X-917-1961, dated March 29, 1962 and corrected up to 20-6-1979.

2. Application.—(1) These rules shall apply to all officers under the rule making power of the Governor, other than those who retired before the date of the coming into force of these rules :

Provided firstly, that [a person who was an officer][1] on the date immediately preceding the date of commencement of these rules shall have the option to elect for the existing pension rules applicable to him, in which case he will not be eligible for any of the benefits granted under these rules except as provided in rule 11. The option shall be exercised within a period of [six months][2] from the date of notification of these rules in the official *Gazette*. The option once exercised shall be final :

["Provided secondly that in the event of a person entitled to the option under the first proviso, dying without having exercised that option after March 31, 1961 but before the expiry of the period for exercising the said option, the pension sanctioning authority shall forward full particulars of the case to Government who will decide, keeping in view the interest of the deceased, whether pension should be regulated under these rules or the existing pension rules applicable to him and if the Government decides that the pension should be regulated under these rules, the sanctioning authority shall, keeping in view the interest of the deceased, further decide whether the pension for the purposes of family pension should be calculated in accordance with the Annexure to these Rules or in accordance with rule 11"][3].

(2) The pension provisions contained in Civil Service Regulations shall continue to apply to officers governed by these rules except in so far as they are inconsistent with any of the provisions of these rules.

3. Definitions.—In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context—

(1) "Audit Officer" means the Accountant General, Uttar Pradesh ;

(2) "Emoluments" means the pay as defined in rule 9(21) of the U.P. Fundamental Rules, which the officer was receiving immediately before his retirement :—

Provided that in the case of an officer who on the date of his retirement is drawing pay in the scale of pay as in force on 29-3-62 the term "emoluments" shall also include the dearness allowance as admissible therein on that date.

Note.—If an officer immediately before his retirement or death, has been absent from duty on leave with allowance, his emoluments for the purpose of calculating service gratuity and/or death-cum-retirement gratuity should be taken at what they would have been, had he not been absent from duty.

Provided that the amount of gratuity is not increased on account of increase in pay not actually drawn and that benefit of higher officiating or temporary pay is given only if it is certified that he would have continued to hold the higher officiating or

---

1. *Substituted* by notification no. G-2-1008(1)/X-917-1961, dated April 15, 1963 and given retrospective effect from April 1, 1961.
2. *Substituted* by notification no. G-2-2650/X-917-1961, dated August 23, 1962 and given retrospective effect from April 1, 1961.
3. *Substituted* by notification no. G-2-1008(1)/X-917-1961, dated April 15, 1963 and given retrospective effect from April 1, 1961.

temporary appointment but for his proceeding on leave.

[1](3) "Family" means the following relatives of an officer :

(i) wife, in the case of a male officer;

(ii) husband, in the case of a female officer,

(iii) sons (including such stepchildren and adopted children)

(iv) unmarried and widowed daughters. (including such stepchildren and adopted children)

(v) brothers below the age of 18 years and unmarried and widowed sisters (including stepbrothers and stepsisters),

(vi) father,

(vii) mother,

(viii) married daughters (including stepdaughters), and

(ix) children of a predeceased son ;

(4) "Government" means the Government of Uttar Pradesh ;

(5) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(6) "Officer" means a Government Servant (whether belonging to superior or inferior service) who holds a lien on a permanent pensionable post under the Government or would have held a lien on such a post had his lien not been suspended ;

(7) "Person" includes any company or association or body of individuals, whether incorporated or not ;

(8) "Qualifying service" means service which qualifies for pension in accordance with the provisions of Article 368 of the Civil Service Regulations :

Provided that continuous temporary or officiating service under the Government of Uttar Pradesh followed without interruption by confirmation in the same or any other post except—

(i) periods of temporary or officiating service in a non-pensionable establishment,

(ii) periods of service in a work-charged establishment, and

(iii) periods of service in a post paid from contingencies, shall also count as qualifying service.

Note.—If service rendered in a non-pensionable establishment, work-charged establishment or in a post paid from contingencies falls between two periods of temporary service in a pensionable establishment or between a period of temporary service and permanent service in a pensionable establishment, it will not constitute an interruption of service.

(9) "Retirement" means discharge of an officer from Government service on superannuation, retiring, invalid or compensation pension or gratuity.

---

1. As amended *vide* notification no G-3-1200/X-935/75, dated 20.6.79.

PART—I

PENSION

4. Pension.—(1) The amount of superannuation, retiring, invalid and compensation pension or gratuity shall be the appropriate amount set out in the Annexure.

(2) No special additional pensions shall be granted.

PART—II

DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY[1]

[2]**5. Death-cum-retirement Gratuity.**—(1) An officer may, on retirement, be paid an additional gratuity, the amount of which shall, subject to a maximum of 16½ times the emoluments, be an amount equal to one-fourth of the emoluments multiplied by the total number of completed six monthly periods of qualifying service.

[3](2) If an officer dies while in service a gratuity, the amount of which shall, subject to a minimum of 12 times and a maximum of 16½ times the emoluments, be an amount equal to one-fourth of the emoluments of the officer multiplied by the total number of six monthly periods of qualifying service, shall be paid to the person or persons on whom the right to receive the gratuity is conferred under sub-rules (1) to (8) of Rule 6 and if there is no such person, it shall be paid in the manner indicated in sub-rule (9) of that rule.

(3) If an officer who has become eligible for or has actually received a pension or gratuity under part I of these rules, dies within a period of five years from the date of retirement and the aggregate of any sums admissible to him or actually received by him till the time of death on account of such gratuity or pension together with the gratuity granted under sub-rule (1) and the commuted value of any portion of pension commuted by him is less than the amount equal to 12 times his "emoluments" a gratuity equal to the deficiency shall be granted to the person or persons referred to in sub-rule (2).

[4](4) The amount of gratuity admissible in accordance with sub-rule (1) or sub-rule (2) above shall in no case, exceed Rs. 36,000 and the emoluments exceeding Rs. 2,500 per month shall be ignored in computing the amount of such gratuity.

NOMINATION

6. Nomination.—(1) A Government servant shall, as soon as he acquires or if he already holds a lien on a permanent pensionable post, make a nomination conferring on one or more persons the right to receive any gratuity that may be sanctioned under sub-rule (2) or sub-rule (3) of rule 5 and gratuity which after becoming admissible to him

---

1. For entitlements in respect of Death-cum-retirement Gratuity in cases to which the New Family Pension Scheme, 1965 apply, *see* G.O.s nos. G-2-769/X-917-61 and G-2-561/X-917-61 dated August 24, 1966.
2. As amended vide notification no. G-3-543/X-910/82, dated April 13, 1983.
3. As amended *vide* notification no. G-3-543/X-910/82, dated April 13, 1983.
4. As amended *vide* notification no. G-3-543/X-910/82, dated April 13, 1983.

under sub-rule (1) of that rule is not paid to him before death :

Provided that if at the time of making the Notification the officer has a family, the nomination shall not be in favour of any person other than one or more of the members of his family.

Note.—While a nomination as also any change therein will normally be made by an officer during his service, he may be allowed in the case of a non-*gazetted* officer, by the head of office, and in the case of a *gazetted* officer, by the Audit Officer to make a fresh nomination or a change in his earlier nomination after retirement if such a contingency arises.

(2) If an officer nominates more than one person under sub-rule (1) above, he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole amount of the gratuity.

An officer may provide in a nomination—

(a) that in the event of any specified nominee predeceasing the officer the right conferred upon that nominee shall pass to such other person as may be specified in the nomination ; provided that if at the time of making the nomination the officer has a family consisting of more than one member the person so specified shall not be a person other than a member of his family.

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein.

(4) The nomination made by an officer who has no family at the time of making the nomination or a provision made in a nomination under clause *(a)* of sub-rule (3) by an officer whose family consists, at the date of making the nomination of only one member, shall become invalid in the event of the officer subsequently acquiring a family, or an additional member in the family, as the case may be.

(5) *(a)* Every nomination shall be in such one of the Forms A to D as may be appropriate in the circumstances of the case.

(b) An officer may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the appropriate authority mentioned in sub-rule (7) below, provided that the officer shall, along with such notice, send a fresh nomination made in accordance with these rules.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no provision about the passing of his right to another person has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule (3) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-rule (3) or sub-rule (4), the officer shall send to the appropriate authority a notice in writing formally cancelling the nomination together with the fresh nomination made in accordance with these rules.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by an officer under this rule, shall be sent by the officer to the Audit Officer in the case of a *gazetted* officer and to the head of his office in the case of a *non-gazetted* officer. Immediately on receipt of a nomination from a *non-gazetted* officer, the head of the office shall countersign it indicating the date of receipt and keep it under his custody.

(8) Every nomination made, and every notice of cancellation given, by an officer

shall, to the extent it is valid, take effect on the date on which it is received by the authority mentioned in sub-rule (7).

(9) If an officer having a family dies without making a nomination conferring on one or more of the members of his family the right to receive the amount of death-cum-retirement gratuity, it shall be paid in equal shares to those surviving members of this family who belong to categories *(i)* to *(iv)* mentioned in sub-rule (3) of rule 3 except widowed daughters. Where there are no such surviving members, but there is/are surviving widowed daughter(s) and/or one or more members of the family of the officer who belong to categories *(v)* to *(ix)* mentioned in the said sub-rule, the gratuity shall be paid to such person or to all such persons in equal share.

[1](10) If an officer dies while in service or after retirement without receiving the amount of gratuity and such officer leaves behind no family and has made no nomination or the nomination made by him does not subsist, the amount of death-cum-retirement gratuity payable to him under these rules shall lapse to Govt.

PART—III

FAMILY PENSION[2]

7. Family Pension.—(1) A family pension not exceeding the amount specified in sub-rule (2) below may be granted for a period of ten years to the family of an officer who dies, whether after retirement or while still in service after completion of not less than 20 years' qualifying service :

[3]Provided that the period of payment of family pension shall in no case extend beyond a period of five years from the date on which the deceased officer reached or would have reached the age of compulsory retirement.

Notes.—(1) Government may, in exceptional circumstances, consider at their discretion the award of family pension to the family of an officer who may die before completing 20 years' qualifying service but after completing not less than 10 years' qualifying service.

(2) In cases where the qualifying service is less than the prescribed minimum the deficiency should not be condoned by invoking the provisions of Article 423 (1) of the Civil Service Regulations.

(2) The amount of family pension will be—

(a) in the event of death while in service, one-half of the superannuation pension which would have been admissible to the officer had he retired on the date following the date of his death, and

(b) in the event of death after retirement, one-half of the pension sanctioned to him at the time of retirement :

---

1. As *added* vide notification no. G-3-1200/X-935/75, dated 20.6.79.
2. For family pension benefits as in force from April 1, 1965, *see* New Family Pension Scheme, 1965 as detailed in G.O.s nos. G-2-769/X-917-61 and G-2-561/X-917-61, dated August 24, 1966 and Nos. G-2-2098/X-917-61 and G-2-2099/X-917-1961, dated August 3, 1967.
3. As amended *vide* notification no. G-3-2173/X-917-64, dated 29.9.75.

Provided that the amount of family pension will be subject to a maximum of Rs. 150 per mensem and a minimum of Rs. 30 per mensem :

Provided further that the minimum pension will not in any case, exceed the full amount of the pension sanctioned to the deceased officer at the time of his retirement or, in case he dies while in service, the pension that would have been admissible to him if he had retired on a superannuation pension on the date following the date of his death.

Note.—The amount of family pension will be reduced by the amount of pension commuted, if any, by the pensioner before his death. For example, if the ordinary pension was Rs. 90 per mensem and an amount of Rs. 30 out of this had been commuted, the amount of family pension will be Rs. 90/2-30=Rs. 15 per mensem.

(3) No pension shall be payable under this Part—

(a) to a person mentioned in clause (b) of sub-rule (4) below unless the pension sanctioning authority is satisfied that such person was dependent on the deceased officer for support ;

(b) to an unmarried female member of the family, in the event of her marriage ;

(c) to a widowed female member of the family, in the event of her re-marriage ;

(d) to a brother of the deceased officer on his attaining the age of 18 years ; and

(e) to a person who is not a member of the deceased officer's family.

(4) Except as may be provided by a nomination under sub-rule (5) below :

(a) a pension sanctioned under this Part shall be granted—

(i) to the eldest surviving widow, if the deceased was a male officer or to the husband, if the deceased was a female officer ;

(ii) failing the widow or husband, as the case may be, to the eldest surviving son ;

(iii) failing (i) and (ii) above, to the eldest surviving unmarried daughter ;

(iv) these failing, to the eldest widowed daughter, and

(b) in the event of the pension not becoming payable under clause (a) the pension may be granted—

(i) to the father ;

(ii) failing the father, to the mother ;

(iii) failing the father and mother both, to the eldest surviving brother below the age of 18 ;

(iv) these failing, to the eldest surviving unmarried sister ;

(v) failing *(i)* to *(iv)* above, to the eldest surviving widowed sister ; and

(vi) failing *(i)* to *(v)* above, to the children of a predeceased son in the order it is payable to the children of the deceased officer under clause (a) *(ii)*, *(iii)* and *(iv)*, above.

Note.—The expression "eldest surviving widow" occurring in clause (a) (i) above,

should be construed with reference to the seniority according to the date of marriage with the officer and not with reference to the age of surviving widows.

(5) A Government servant shall immediately after his confirmation, make a nomination in Form "E" indicating the order in which a pension sanctioned under this Part should be payable to the members of his family ; and to the extent it is valid the pension will be payable in accordance with such nomination provided the nominee concerned is not ineligible, on the date on which the pension may become payable to him or her to receive the pension under the provisions of sub-rule (3). In case the nominee concerned is or has become ineligible to receive the pension under the said sub-rule, the pension shall be granted to the person next lower in the order in such nomination. The provisions of sub-rules (5) (b), (7) and (8) of rule 6 shall apply in respect of nominations under this sub-rule.

(6) *(a)* A pension awarded under this Part shall not be payable to more than one member of the deceased officer's family at the same time.

(b) If a pension awarded under this Part ceases to be payable before the expiry of the period mentioned in the proviso to sub-rule (1) on account of death or marriage of the recipient or any other cause, it will be regranted to the person next lower in the order mentioned in sub-rule (4) or to the person next lower in the order shown in the nomination under sub-rule (5), as the case may be, who satisfies the other provisions of this Part.

(7) A pension sanctioned under this Part will be tenable in addition to any extraordinary pension, gratuity or compensation that may be granted to the members of an officer's family under the existing rules or Acts.

(8) Future good conduct of the recipient is an implied condition of every grant of pension under this Part. Government reserve to themselves the right of withholding or withdrawing such pension or any part thereof, if the recipient be convicted of serious crime or be guilty of grave misconduct. Decision of the Government in such matters shall be final.

PART—IV
COMMUTATION

8. **Commutation.**—Facilities for commuting pension in accordance with the Uttar Pradesh Civil Pension (Commutation) Rules will continue, but the maximum amount of pension which may be commuted will be restricted to one-third of the pension admissible under Part I of these Rules :

Provided that where option had been exercised under rule 11 the maximum amount of pension which may be commuted will be restricted to one-third of the pension admissible after deduction of the pension equivalent of death-cum-retirement gratuity subject to the condition that the pension actually payable after commutation is not in any case less than one-half of the pension admissible under Articles 474 and 474-A of the Civil Service Regulations :

Provided further that the pension actually payable after commutation is not less than Rs. 20.

PART—V

MISCELLANEOUS

9. Miscellaneous.—(1) Government will have the right to effect recoveries from a gratuity or family pension sanctioned under Parts II and III in the same circumstances as recoveries can be effected from an ordinary pension under Article 351-A of the Civil Service Regulations.

(2) No gratuity or family pension may be granted under Parts II and III if the officer was dismissed or removed for misconduct, insolvency or inefficiency. Compassionate grant may, however, be made under these parts in accordance with Article 353 of the Civil Service Regulations.

(3) A gratuity or family pension shall be sanctioned under Parts II and III after giving due regard to the provisions of Article 470 of the Civil Service Regulations.

(4) Death cum-retirement gratuity admissible in addition to pension calculated at the rate given in the annexure shall be treated as gift and recoveries of any Government dues may be effected from the same.

(5) The existing rules which apply to the grant of an ordinary pension shall also apply in respect of a gratuity or family pension that may be sanctioned under Parts II and III in so far as such rules are not inconsistent with the Rules.

10. [The entire assets in, and liabilities to, the Contributory Provident Pension Fund, if any, including interest thereon, of an officer governed by these rules or only by rule 11 shall be transferred to his General Provident Fund opened in accordance with the General Provident Fund (U.P.) Rules. Such person will not be entitled to Government's contribution to his Contributory Provident Pension Fund:

Provided that no such transfer will be necessary in the case of an officer who retires, dies, resigns or is removed or dismissed from service on or before December 31, 1962.

Note.—The assets in the Contributory Provident Fund will include the amount of premia, if any, realised by per contra debit to the Contributory Provident Pension Fund towards the policy of an insurant in whose case insurance is compulsory under rule 20 of the U.P. Contributory Provident Fund Pension-Insurance Rules, 1948].[1]

[**11.** (1) A person exercising option under the first proviso to sub-rule (1) of rule 2 may also opt for death-cum-retirement gratuity and family pension benefits admissible under Parts II and III of these rules. Such option shall be in supersession of option, if any, to be governed by the U.P. Liberalised Pension Rules, 1961. Procedure for exercising such option shall be the same as for opting the existing rules and the option once exercised shall be final.

(2) On the exercise of such option the person will be governed by rules 8, 9

1. *Substituted* by notification no. G-2-1008 (1)/X-917-1961, dated April 15, 1963 and given retrospective effect from April 1, 1961.

(except sub-rule 4) and 10. His pension shall be calculated on the emoluments as defined in these rules and in accordance with the provisions of the Civil Service Regulations, but the amount of such pension will be reduced by the pension equivalent to the gratuity admissible under Part II of these rules.

Note.—(1) The pension equivalent will be determined on the basis of the commutation table given in the Uttar Pradesh Civil Pensions (Commutation) Rules.

(2) Where an officer actually retires on one of his birthdays, the age on the next birthday for the calculation of pension equivalent to the gratuity shall be taken as the completed years of age on the date of retirement. In all other cases, the pension equivalent should be calculated on the basis of the age on the next birthday.][1]

12.[2] (1) If a person, who in the event of death of a Government servant while in service, is eligible to receive death-cum-retirement gratuity or/and family pension under these rules, is charged with the offence of murdering the Government servant or for abetting in the commission of such an offence, his claim to receive his share of gratuity and in the case of family pension, the claim of such a person, including other eligible member/members of the family to receive the family pension, shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him.

(2) *(i)* If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in sub-rule (1) above, the person concerned—

(a) is convicted for the murder or abetting in the murder of the Government servant, he shall be debarred from receiving his share of gratuity or/and family pension which shall be payable to other eligible member/members of the family, if any ;

(b) is acquitted of the charge of murdering or abetting in the murder of the Government servant, his share of gratuity or/and family pension shall be payable to him.

(ii) The family pension under clauses *(a)* and *(b)* above shall be payable from the date of death of the Government servant.

(3) The provisions of sub-rule (1) and sub-rule (2) above shall also apply to the undisbursed death-cum-retirement gratuity which after becoming admissible to the Government servant is not paid to him before death and the family pension becoming payable on the death of a Government servant after his retirement.

---

1. *Substituted* by notification no. G-2-1008 (1)/X-917-1961, dated April 15, 1963 and given retrospective effect from April 1, 1961.
2. As *inserted vide* notification no. G-3-1253/X-935-75, dated 16.9.1981.

अध्याय-16

खण्ड-1 (नियम तथा प्रक्रिया)

1. पेन्शन प्रपत्रों की तैयारी :

पेन्शन प्रपत्रों की तैयारी सेवानिवृत्ति के दिनांक से 24 मास पूर्व प्रारम्भ की जायेगी और उसके लिए निम्नलिखित 24 मासीय समयसारणी का पालन करना होगा।

(1) 16 मास की अवधि में पेन्शन प्रपत्र की तैयारी हेतु सर्वप्रथम सेवापुस्तिका की जांच करके अर्हकारी सेवा की गणना की जायेगी। यदि सेवापुस्तिका के कोई अंश असत्यापित हो अथवा पूर्ण न हों तो ऐसे अंशों को सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर सत्यापित करके सेवापुस्तिका को पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सरकारी सेवक के विरुद्ध अवशेष देयों की जानकारी हेतु इस प्रकार कदम उठाये जायेंगे कि ऐसी जानकारी सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व उपलब्ध हो जाय।

(2) सेवापुस्तिका को पेन्शन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। पेन्शन देयों की स्वीकृति के उपरान्त सेवापुस्तिका को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर दिया जायेगा।

(3) अगले आठ मास की अवधि में—

(क) प्रथम मास की अवधि में पेन्शन प्रपत्र की तैयारी का वास्तविक कार्य पूर्ण कर सेवानिवृत्ति के

Contd.-

कम से कम 6 मास पूर्व पेन्शन प्रपत्र को निदेशक पेन्शन/मुख्य लेखाधिकारी के पास भेज दिया जायेगा।

(ख) यदि पेन्शन प्रपत्र तथा सेवापुस्तिका पूर्ण हो तो उनकी प्राप्ति के उपरान्त निदेशक पेन्शन/मुख्य लेखाधिकारी द्वारा भुगतान आदेश इस अभ्युक्ति के साथ निर्गत किये जायेंगे कि कौन सा भुगतान किस तिथि से प्रभावी होगा। यदि प्रपत्रों में कोई कमी पायी जायेगी तो उन्हें सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर दिया जायेगा और उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे त्रुटि सुधार करने के उपरान्त उन्हें तत्काल वापस कर दें।

(ग) पेन्शन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरण के भुगतानादेश सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के दिनांक को दे दिये जायेंगे किन्तु यह भुगतानादेश अगले दो मास तक इस उद्देश्य से अनन्तिम समझे जायेंगे कि दो माहों में अवशेष देयों की स्थिति स्पष्ट करके ग्रेच्युटी की धनराशि अन्तिम रूप से भुगतान हो जाय। इस सम्बन्ध में अग्रसारण अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के दिनांक के अगले दिन निर्धारित प्रारूप पर एक पत्र निदेशक पेंशन/मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी को भेजा जायेगा।

2. सेवा का इतिहास :

पेन्शन प्रपत्र के भाग-4 में सेवा का इतिहास दिया जायेगा। इस हेतु पूरी सेवापुस्तिका की प्रतिलिपि करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा सेवासमाप्ति के दिनांक, मास तथा वर्ष देना पर्याप्त है। टूटी अवधियां जोड़ने के प्रयोजन के लिए एक माह 30 दिन का गिना जाता है।

सरकारी सेवा में प्रवेश/पदोन्नति तथा प्रत्यावर्तन आदि के दिनांक सही रूप में अभिलिखित एवं प्रमाणित किये जाने चाहिए। जिस सरकारी सेवक को कभी निलम्बित, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो, सेवा से हटाया गया हो या पदच्युत किया गया हो और तत्पश्चात् उसे सेवा में पुनर्स्थापित किया गया हो तो उसके पुनर्स्थापन के आदेश की प्रतिलिपि यदि उपलब्ध हो, तो उसे लगाया जाना चाहिए।

3. जन्म दिनांक :

(क) प्रत्येक सरकारी सेवक का जन्म दिनांक जैसा उसके सेवा में प्रवेश के समय हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र में अभिलिखित हो, माना जायेगा लेकिन जहां किसी सरकारी सेवक ने ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण ही न की हो या सेवा में प्रवेश करने के पश्चात् ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो वहां उसके सरकारी सेवा में प्रवेश करने के समय उसकी सेवापुस्तिका में अभिलिखित दिनांक उसके सेवा सम्बन्धी सभी प्रयोजनों के लिए जिसके अन्तर्गत पदोन्नति/अधिवार्षिकी/समयपूर्व सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति सम्मिलित है, उसका ठीक जन्म दिनांक माना जायेगा और ऐसे दिनांक को शुद्ध करने के बारे में कोई आवेदन-पत्र या अभ्यावेदन किसी भी परिस्थिति में ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(ख) जन्म दिनांक के सामने केवल वर्ष का उल्लेख होने पर उस वर्ष की पहली जुलाई जन्मतिथि मानी जायेगी और सरकारी सेवक 30 जून को सेवानिवृत्त होगा। यदि वर्ष और मास दोनों लिखे हैं तो जन्म दिनांक उस मास की 16 तारीख माना जायेगा और सरकारी सेवक मास के अन्तिम दिन को सेवानिवृत्त होगा। मास का प्रथम दिन जन्मदिनांक होने पर सरकारी सेवक पिछले मास के अन्तिम दिनांक को सेवानिवृत्त हो जायेगा।

4. पेन्शन अर्ह सेवा :

(क) सेवा प्रारम्भ करने के दिनांक से सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिनांक तक की गयी सेवा पेन्शन अर्ह सेवा मानी जाती है। 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की गयी सेवा पेन्शन अर्ह नहीं होगी। सारी कार्यावधि

(ड्यूटी) तथा सारा सवेतन अवकाश, चाहे पूर्ण वेतन पर हो या अर्द्ध वेतन पर, पेन्शन अर्ह होगा। वेतन रहित अवकाश निम्नलिखित तीन स्थितियों के अतिरिक्त पेन्शन अर्ह नहीं है :—

1. सक्षम चैकित्सिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर,
2. नागरिक अशान्ति होने के कारण ड्यूटी पर आने अथवा पुनः आने में उसकी असमर्थता, अथवा
3. उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों में अनुशीलन के कारण।

निलम्बन की अवधि पेन्शन अर्ह नहीं है किन्तु सेवापुस्तिका में किसी विशेष प्रविष्टि के न होने पर निलम्बन की अवधि अर्ह सेवा में गिनी जायेगी। सेवा में हुआ व्यवधान पेन्शन अर्ह नहीं है किन्तु सेवा रेकार्ड में कोई विशेष संकेत न होने पर राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी सेवा की दो अवधियों के बीच हुये व्यवधान/व्यवधानों को स्वतः मर्षित माना जायेगा और पेन्शन के लिए व्यवधान/व्यवधानों से पूर्व पेन्शन अर्ह मानी जायेगी सिवाय इसके कि जहां अन्यथा यह जानकारी हो कि व्यवधान सेवा से त्याग-पत्र देने, बरखास्त कर दिये जाने अथवा सेवा से निकाल दिये जाने अथवा किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण हुआ हो।

(ख) पूर्ण अर्हकारी सेवा को पूर्ण छमाहियों में परिवर्तित किया जायेगा और ऐसी छमाहियों की गणना करते समय तीन मास या उससे अधिक की अवधि को एक छमाही माना जायेगा। उदाहरणार्थ 29 वर्ष 9 मास की पेन्शन अर्ह सेवा 30 वर्ष या 60 छमाहियां मानी जायेगी।

5. पेन्शन का आगणन :

दिनांक 1-1-86 से पेन्शन की धनराशि मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित सेवानिवृत्ति के अन्तिम दस मास के औसत वेतन का 50% होगी बशर्ते सरकारी सेवक ने 33 वर्ष की पेन्शन अर्ह सेवा पूर्ण कर ली हो। यदि पेन्शन अर्ह सेवा की अवधि कम है तो पेन्शन की धनराशि उसी अनुपात में कम हो जायेगी। ऐसे सरकारी सेवक जो 1-1-86 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हों किन्तु उनकी सेवा के अन्तिम दस माह का कुछ भाग 1-1-86 से पूर्व का हो तो उस भाग के लिए जो 1-1-86 से पूर्व का है, परिलब्धियों का आशय मूल नियम 9(21) में परिभाषित वेतन से होगा।

6. ग्रेच्युटी :

(क) सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी :

दिनांक 1-1-86 के उपरान्त सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी केवल उन्हीं सरकारी सेवकों को अनुमन्य है जिन्होंने पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो। सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी जिसका अधिकतम परिलब्धियों के साढ़े सोलह गुने के बराबर अथवा रुपये एक लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। उदाहरणार्थ यदि मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित वेतन रु० 1660 है और पेन्शन अर्ह सेवा 30 वर्ष है तो सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी = 1/4x1660x60=24,900/- होगी।

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी :

मृत्यु ग्रेच्युटी की दरें निम्न प्रकार हैं :—

सेवा अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
1. एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुना
2. एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का छः गुना
3. पांच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुना
4. 20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण

छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अंतिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रुपये 2.50 लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

7. ग्रेच्युटी भुगतान हेतु परिवार की परिभाषा :

परिवार में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं :—

(क) पत्नी/पति

(ख) पुत्र ऐसी सौतेली और गोद ली गयी सन्तानें भी।

(ग) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियां

(घ) 18 वर्ष की आयु से कम भाई, अविवाहित तथा विधवा बहनें (सौतेले भाई बहन भी)

(च) पिता/माता

(छ) विवाहित पुत्रियां (सौतेली पुत्रियां भी)

(ज) पूर्व मृत पुत्र की सन्तानें भी।

8. पारिवारिक पेन्शन की दरें :

दिनांक 1.1.86 के उपरान्त निम्न दरों पर पारिवारिक पेन्शन अनुमन्य है :—

मूल वेतन प्रतिमास :	पारिवारिक पेन्शन दर :
1500 रु० से अनधिक	मूल वेतन का 30%
1500 रु० से अधिक किन्तु 3000 रु० से अनधिक	मूल वेतन का 20% जिसका न्यूनतम रु० 450 प्रतिमास होगा।
3000 रु० से अधिक	मूल वेतन का 15% जिसका न्यूनतम रु० 600 तथा अधिकतम रु० 1250 होगा।

9. पारिवारिक पेन्शन के लिये परिवार की परिभाषा :

(1) पत्नी/पति

(2) मृत्यु के दिन 21 वर्ष की आयु से कम के पुत्र

(3) मृत्यु के दिन 24 वर्ष से कम आयु की अविवाहित पुत्रियां — सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तानें भी।

पारिवारिक पेन्शन उपर्युक्त क्रम में एक समय में एक सदस्य को ही अनुमन्य है। विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं है।

10. अस्थायी सरकारी सेवकों को पेन्शन की अनुमन्यता :

ऐसे अस्थायी सरकारी सेवकों को जिन्होंने दिनांक 1.6.89 के पूर्व अथवा उसके बाद अपनी सेवानिवृत्ति के दिनांक तक कम से कम 10 वर्ष की अस्थायी सेवा पूर्ण कर ली हो, स्थायी सरकारी सेवकों की भांति, सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अन्तर्गत, पेन्शन-अनुमन्य होगी।

खण्ड-2 (प्रपत्र भरने के सम्बन्ध में अनुदेश)

भाग-1

(सामान्यतया दो प्रतियों में भरा जायेगा। प्रदेश से बाहर पेन्शन आहरित करने के मामलों में चार प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी)

1. यह प्रार्थना-पत्र अधिवर्षता पर, स्वेच्छा से, अनिवार्य रूप से, अथवा अन्य प्रकार से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों द्वारा भरा जायेगा। कम्पेन्सेशन तथा इनवैलिड पेन्शन के मामलों में भी यही प्रार्थना-पत्र प्रयोग में लाया जायेगा। अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामलों में इस प्रार्थना-पत्र को सेवानिवृत्ति के दिनांक के आठ माह पूर्व भरा जाना अनिवार्य है।

2. इस प्रार्थना-पत्र को संबंधित सरकारी सेवक द्वारा सावधानीपूर्वक भरा जायेगा क्योंकि त्रुटि अथवा अपूर्ण छोड़ देने से उसके पेन्शन स्वीकृति के मामले में विलम्ब हो सकता है।

3. इस भाग में उल्लिखित घोषणा पर संबंधित सरकारी सेवक द्वारा सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरान्त हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

4. घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साक्ष्य हेतु संबंधित साक्षी यथासंभव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए जहां से सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हुआ है। साक्षियों के उसी कार्यालय के सदस्य न होने की स्थिति में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष साक्षियों के चयन में अपने पूर्ण विवेक से काम लेंगे क्योंकि शासन को हानि होने की दशा में साक्षी जिम्मेदार होंगे।

भाग-2

(सामान्यतया दो प्रतियों में भरा जायेगा। प्रदेश से बाहर पारिवारिक पेन्शन आहरित करने के मामलों में चार प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी)

1. यह प्रार्थना-पत्र पारिवारिक पेन्शन/मृत्यु ग्रेच्युटी प्राप्त करने हेतु सरकारी सेवक की मृत्यु के उपरान्त विधवा अथवा परिवार के सम्बन्धित सदस्य, जिसे पारिवारिक पेन्शन/मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत की जा सकती है, द्वारा भरा जायेगा।

2. इस प्रार्थना-पत्र को मृत सरकारी सेवक के परिवार के सम्बन्धित सदस्य द्वारा सावधानीपूर्वक भरा जायेगा क्योंकि त्रुटि अथवा अपूर्ण छोड़ देने से उसके पारिवारिक पेन्शन/मृत्यु ग्रेच्युटी की स्वीकृति के मामले में विलम्ब हो सकता है।

3. इस भाग में उल्लिखित घोषण-पत्र पर सरकारी सेवक के परिवार के सम्बन्धित सदस्य द्वारा सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरान्त हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

4. घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साक्ष्य हेतु सम्बन्धित साक्षी यथासम्भव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए जहां सरकारी सेवक मृत्यु के पूर्व कार्यरत था। साक्षियों के उसी कार्यालय के सदस्य न होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष साक्षियों के चयन में अपने पूर्ण विवेक से काम लेंगे क्योंकि शासन को हानि होने की दशा में साक्षी जिम्मेदार होंगे।

भाग-3

1. यह विवरण सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा तथा सेवारत मृत्यु के उपरान्त परिवार के सम्बन्धित सदस्य द्वारा, दोनों दशाओं में भरा जायेगा।

2. स्तम्भ 3 एवं 4 में नमूने के हस्ताक्षर करवाये जायेंगे किन्तु यदि प्रार्थी हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो स्तम्भ 5 में पुरुष की स्थिति में बायें हाथ के अथवा स्त्री की स्थिति में दायें अंगूठे तथा उंगलियों के निशान लगवाये जायेंगे।

3. पहचान चिन्ह शरीर के ऐसे भागों जैसे चेहरा, हाथ आदि जो बाहर दिखते हैं, के होने चाहिए। यदि बाहरी भागों पर कोई ऐसा चिन्ह न हो तो भीतरी भाग के पहचान चिन्ह भी इंगित किये जा सकते हैं।

4. सामान्यतया सरकारी सेवक को अपनी पत्नी/पति के साथ का संयुक्त फोटो देना चाहिए। यदि पत्नी/पति में से एक ही जीवित हो अथवा पत्नी/पति में सम्बन्ध विच्छेद हो गया हो तो पेन्शनर अथवा पारिवारिक पेन्शनर केवल अपना फोटो ही दे सकता है। फोटो की 3 प्रतियां प्रस्तुत की जायेंगी जिनमें से दो प्रतियां दो फार्म्स पर चिपकायी जायेंगी तथा एक प्रति छोटे लिफाफे में पेन्शन प्रपत्र के साथ डिस्बर्सहाफ पर लगाने हेतु अलग से रख दी जायेगी। प्रदेश से बाहर पेन्शन लेने पर 5 प्रतियां प्रस्तुत की जायेंगी जिनमें से 4 प्रतियां चारों फार्म्स पर तथा पांचवी प्रति एक छोटे लिफाफे में डिस्बर्सहाफ पर लगाने हेतु अलग से रख दी जायेगी। फोटोग्राफों की सभी प्रतियों को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा।

5. उपरोक्त विवरण केवल 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु के प्रार्थियों का ही दिया जायेगा। भुगतान पाने के लिए अर्ह व्यक्ति के अवयस्क होने की दशा में विधिक संरक्षक को भुगतान किया जायेगा।

भाग-4

इस भाग में सेवापुस्तिका के आधार पर आगणित अर्हकारी सेवा का इतिहास दिया जायेगा, इस हेतु पूरी सेवापुस्तिका की प्रतिलिपि करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा सेवा समाप्ति के दिनांक, मास तथा वर्ष देना पर्याप्त है। अनर्हकारी सेवा की अवधियों तथा उनका पूर्ण विवरण भी दिया जायेगा। यदि कोई अवधि मर्षण योग्य हो तो उसका भी विवरण दिया जायेगा।

भाग-5

1. पेन्शन, पारिवारिक पेन्शन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की राशियों के आगणन हेतु कृपया खण्ड-1 में उल्लिखित अनुदेश भली प्रकार पढ़ लिये जायं।

2. सरकारी सेवक के विरुद्ध देयों की स्थिति की जानकारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ करनी चाहिए और स्तम्भ-26 के द्वारा पेन्शन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को विभिन्न देयों/जांच के बारे में सेवानिवृत्ति की तिथि के आठ माह पूर्व की स्थिति से अवगत करा दिया जाय। अदेयता प्रमाण-पत्र अन्तिम पांच वर्ष की सेवा की छानबीन के आधार पर निर्गत किया जायेगा। यदि अन्यथा इस बात की जानकारी हो कि पांच वर्ष से पहले की अवधि से सम्बन्धित सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई शासकीय देय है तो पांच वर्ष से पहले के अभिलेखों की भी जांच की जाय। 5 वर्ष की अवधि की छानबीन करने हेतु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उन सभी कार्यालयों से जहां सम्बन्धित सरकारी सेवक ने कार्य किया हो अदेयता के विषय में पूछताछ की जायेगी और सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व की स्थिति को भाग-5 में दर्शा दिया जायेगा। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि इस भाग में दर्शाये गये सभी देयों की सेवानिवृत्ति के दिनांक तक वसूली पूर्ण हो जाय किन्तु यदि किसी मद में वसूली पूर्ण न हो पाये अथवा किसी अधिकारी से देयता के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो पाये तो संलग्नक-1 पर इस आशय का एक बन्ध-पत्र भरवाकर यदि सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के अन्दर उसके विरुद्ध कोई देय निकलते हैं तो उसकी वसूली उससे कर ली जायेगी, ग्रेच्युटी की शेष धनराशि भी अवमुक्त कर दी जायेगी। सेवारत मृत्यु होने की दशा में उत्तराधिकारियों से संलग्नक-2 पर बन्धक पत्र भरवाया जायेगा। बन्धक पत्रों पर देय स्टैम्प ड्यूटी शासन द्वारा वहन की जायेगी।

3. इस भाग के स्तम्भ-27 में दर्शायी गयी विभिन्न मदों के सम्बन्ध में कार्यवाही निम्नवत् की जायेगी :—

(1) सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष भवन निर्माण, वाहन अथवा अन्य अग्रिमों की वसूली की आठ माह पूर्व की स्थिति का आकलन अपने अभिलेखों के आधार पर करेंगे। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा लिये गये अग्रिमों की स्थिति का आंकलन कोषागार, इरला चेक अनुसूची अथवा महालेखाकार के लेखों के आधार पर किया जायेगा। सामान्यतया सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व ऐसे देयों की स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए और सेवानिवृत्ति के पूर्व ऐसे देयों की वसूली पूर्ण हो जानी चाहिए किन्तु यदि किसी कारणवश ऐसा न हो पाये तो शेष धनराशि की वसूली को बन्धक पत्र-1 से आच्छादित मानकर ग्रेच्युटी को अवमुक्त कर दिया जायेगा।

(2) सरकारी भवन में आवासित सरकारी सेवकों से किराया वसूल करने का दायित्व राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा जिलों के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। उनका दायित्व है कि वे नियमित रूप से ऐसी वसूली करते रहें किन्तु यदि किसी मामले में कोई अवशेष देय रह जाय तो सम्बन्धित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व तक की पूर्ण सूचना राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा जिलों के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर दी जायेगी जिससे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उसकी अगले आठ माह में वसूली करके शून्य "लास्ट ड्यूज सर्टिफिकेट" भेजा जा सके और सेवानिवृत्ति के उपरान्त के चार माह के किराये (एक माह का किराया सामान्य दर पर तथा तीन माह का किराया मानक दर पर) की वसूली ग्रेच्युटी से करके ग्रेच्युटी अवमुक्त की जा सके।

(3) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अन्य सभी प्रकार की वसूलियों की स्थिति का आंकलन भी हर दशा में सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व पूर्ण कर लेना चाहिए और शेष आठ माहों में वसूल होने वाली शेष धनराशि को इस भाग में दर्शाकर शेष धनराशि अगले आठ माह में वसूल कर लेना चाहिए। सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से सेवानिवृत्ति के दिनांक तक जानकारी में आ गये देयों की वसूली की जा सकती है। अतः सेवानिवृत्ति के दिनांक तक जानकारी में न आ पाये देयों की वसूली हेतु बन्धक पत्र (संलग्नक-1) भरवाकर शेष ग्रेच्युटी अवमुक्त कर दी जाय।

(4) इसी स्तम्भ के उप पैरा (8) में आठ माह पूर्व तक की न्यायिक, वैभागिक अथवा प्रशासनाधिकरण की जांच की स्थिति दर्शायी जायेगी। सेवानिवृत्ति के दिनांक की स्थिति पुनः "लास्ट ड्यूज सर्टिफिकेट" में दर्शा दी जायेगी जिससे पेन्शन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह जानकारी हो जाय कि ग्रेच्युटी की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा सकती है अथवा नहीं। सतर्कता आयोग द्वारा की जा रही जांच के आधार पर ग्रेच्युटी नहीं रोकी जायेगी।

परिशिष्ट-16

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश

1. पेंशन प्रकरण प्राप्त होते ही इसे मास्टर इन्डेक्स तथा चेक रजिस्टर में अंकित करें जिसका प्रारूप शासनादेश संख्या सा-3-1446/दस-912/85, दिनांक 6 अगस्त, 1985 में दिया हुआ है। ये दोनों अभिलेख स्थाई हैं।

2. पेंशनयुक्त पद पर सेवाओं के लिये ही पेंशन देय होती है, यह देख लिया जाय कि सेवायें पेंशन पदयुक्त की ही हैं। सामान्यतया स्वीकृत अधिष्ठान स्थाई/अस्थाई सेवायें पेंशनयुक्त हैं (सी०एस०आर० का अनुच्छेद 350)।

contd. Next -

3. नियत वेतन, अवधि विशिष्ट कार्य हेतु सृजित पद, आकस्मिक व्यय से भुगतान की गई सेवायें, पेंशन युक्त नहीं हैं (सी०एस०आर० के अनुच्छेद 352)।

4. विभागीय/न्यायिक कार्यवाही से आच्छादित मामलों में अन्तिम रूप से पेंशन न स्वीकृत की जाए। ऐसे मामलों में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा मामले में अन्तिम निर्णय तक अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की जाएगी, किन्तु ग्रेच्युटी रुकी रहेगी। (सी०एस०आर० का अनुच्छेद 351) 'क' 'क'।

5. पेंशन स्वीकृत न होने की दशा में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष पूरी सेवा पेंशन तथा मृत्यु की दशा में 90% पारिवारिक पेंशन अनन्तिम रूप से स्वीकृत कर देंगे और ग्रेच्युटी एक माह के वेतन या रुपया 3,000 रोक कर स्वीकृत की जाएगी जो अन्तिम भुगतान में से समायोजित की जायेगी।

6. पेंशन का मामला निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की सेवानिवृत्ति के संबंध में हो सकता है,

(1) **मूल नियम 56 के अन्तर्गत :—**

(क) **अधिवर्षता पर.**—यह दिनांक 5 नवम्बर, 1985 से पूर्व नियुक्ति समूह ध (इन्फीरियर सर्विस) के कर्मचारियों के मामले में 60 वर्ष पर तथा अन्य सभी मामलों में 58 वर्ष की आयु पर होगी।

(ख) **स्वेच्छा.**—20 वर्ष की अर्हकारी सेवा या 45 वर्ष की आयु के बाद कर्मचारियों द्वारा ली गई स्वेच्छा सेवानिवृत्ति।

(ग) **अनिवार्य.**—50 वर्ष की आयु के बाद नियुक्ति अधिकारी द्वारा नोटिस देकर की गई सेवानिवृत्ति।

(2) **अन्य :—**

(क) **अशक्तता.**—सरकारी सेवा के लिए अशक्त होने पर सक्षम चिकित्साधिकारी के परामर्श पर की गई सेवानिवृत्ति।

(ख) **प्रतिकर.**—स्थायी पद समाप्त होने की दशा में कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने पर की गई सेवानिवृत्ति।

(ग) सेवारत मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन।

7. पेंशन प्रपत्र सेवा पेंशन हेतु प्रपत्र-1 भाग-1, 3 (दो प्रतियों में) 4 तथा 5 ठीक से भरे होने चाहिए। मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन हेतु पेंशन प्रपत्र-1, भाग-1 के बजाय भाग-2 भरा जायेगा, शेष उक्तानुसार होंगे। प्रविष्टियां तथा फोटो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये।

8. अर्ह सेवा की पुष्टि में सेवापुस्तिका/सेवारोल अथवा सेवा विवरण होना चाहिये।

9. जन्म तिथि सेवा में प्रवेश के समय सेवा में अंकित तिथि को मान्यता दी जानी चाहिये। इस तिथि में अपर लेखन की दशा में इसे हाईस्कूल के प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा जो हाईस्कूल पास नहीं हैं उनके लिये अन्य प्रमाणों के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये।

10. यदि कोई सरकारी सेवक त्रुटिवश अथवा अन्यथा अधिवर्षता की आयु के उपरांत भी सेवा में बना रहता है तो उसकी पेंशन अधिवर्षता की वास्तविक तिथि के अन्तिम दस माह के औसत वेतन तथा उस तिथि तक की गयी सेवा के आधार पर स्वीकृत की जानी चाहिये। ग्रेच्युटी भी अधिवर्षता की तिथि तक की गई सेवा के आधार पर दी जानी चाहिये। अधिवर्षता की तिथि के उपरान्त की गयी सेवा से संबंधित वेतन आदि के अधिक भुगतान का उत्तरदायित्व निर्धारित करके दोषी सरकारी सेवक से इसकी वसूली की जायेगी।

11. पेंशन हेतु अर्ह सेवा आगणित करने के लिये यह सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य है कि निम्न तीन शर्तें पूरी होती हैं (सी०एस०आर० का अनुच्छेद 361)।

1. सेवा सरकार के अधीन हो,
2. सेवा मौलिक तथा स्थाई हो किन्तु दिनांक 1-6-1989 के बाद अधिवर्षता, स्वेच्छा, अशक्तता तथा प्रतिकर पेंशन सेवानिवृत्त होने वालों का स्थाई होना अनिवार्य नहीं है। इन प्रकरणों में 10 वर्ष की नियमित सेवा पर अर्ह सेवा की गणना स्थाई की भांति की जायेगी।
3. सेवा के लिये सरकारी कोष से भुगतान होना चाहिए। इस शर्त की पुष्टि सेवा प्रमाण से की जायेगी।
4. 20 वर्ष से कम आयु की सेवा को पेंशन हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा (सी०एस०आर० के अनुच्छेद 358).
5. सेवा में व्यवधान की अवधि मर्षित किये जाने पर भी ऐसे व्यवधान की अवधि अर्हकारी सेवा में नहीं जोड़ी जायेगी। अवैतनिक अवकाश की अवधि जो चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के आधार पर नहीं है, पेंशन हेतु अर्ह नहीं होगी।
6. सेवा में व्यवधान के मामले सिविल सर्विस रेग्युलेशन के अनुच्छेद 422 से आच्छादित हैं। यदि यह व्यवधान त्यागपत्र देने, हड़ताल में भाग लेने के कारण अथवा सेवा से निकाल देने के कारण नहीं हुआ है, तो स्वतः मर्षित मान लिया जावेगा। मर्षित न होने का प्रभाव पूर्व की सेवाओं के व्यपगत होने के रूप में होगा।

12. अर्हकारी सेवा की गणना हेतु—

1. सेवानिवृत्ति की तिथि से सेवा में प्रवेश की तिथि से घटाने पर आई सेवा।
2. पूर्व की सैन्य सेवा जिस पर सेना से पेंशन प्राप्त नहीं हुई है (सी०एस०आर० के अनुच्छेद 356) और उस सेवा के लिये सेना से प्राप्त उपादान सरकारी कोष में जमा कर दिया गया है। इसकी पुष्टि हेतु अपेंडिक्स "ए" पर सेना कार्यालय से सेवा सत्यापित होनी चाहिए।
3. यदि किसी कर्मचारी ने भारत सरकार में सेवा की है और उसके उपरान्त राज्य सरकार में नियुक्त हो जाता है तो ऐसी दशा में शासनादेश संख्या सा-3-1239/दस-917/79, दिनांक 13-9-82 सपठित शासनादेश संख्या सा-3-882/दस-910/84, दिनांक 9-5-1985 की व्यवस्थाओं के अधीन भारत सरकार के अधीन प्रदत्त सम्पूर्ण सेवा पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा मानी जायेगी। इस प्रयोजन के लिए अवकाश वेतन/पेंशनीय अनुदान का विभाजन नहीं होगा। सम्पूर्ण दायित्व राज्य सरकार वहन करेगी।
4. 20 वर्ष की आयु से पूर्व की सेवा अवधि पेंशन हेतु अर्ह नहीं है।
5. पेंशन में ऐसी अवधि का व्यवधान जिसे मर्षित नहीं किया गया है, पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा नहीं मानी जायेगी।
6. पेंशन हेतु अनर्ह निलम्बन अवधि यदि दण्डन आदेश में निलम्बनकाल को पेंशन हेतु अर्ह नहीं बताया गया है, तो यह अवधि अर्ह सेवा से कम की जाएगी यदि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो यह पेंशन हेतु अर्ह मानी जाएगी और नहीं घटाई जाएगी।
7. (–) अन्य सेवा जो पेंशन हेतु अनर्ह हो वह अपेन्शनयुक्त पद की सेवा अथवा देश से बाहर की प्रतिनियुक्ति की अवधि हो सकती है जिसका अंशदान न जमा किया गया हो।

शुद्ध अर्ह सेवा (1+2+3)(–)(4+5+6+7)

(+) स्वेच्छा सेवानिवृत्ति की दशा में अधिवर्षता सेवानिवृत्ति में शेष अवधि, अधिकतम 5 वर्ष का

लाभ देय होगा बशर्ते स्वेच्छा सेवानिवृत्ति स्वीकृति आदेश में अन्यथा उल्लेख न हो।

13. शुद्ध अर्हकारी सेवा छमाहियों में आगणित की जाएगी। 3 माह या उससे अधिक अवधि पूरी छमाही मान ली जाएगी। 66 छमाही अधिकतम पर पेंशन की देयता है।

14. अनिवार्य सेवानिवृत्ति 1-7-89 के शासनादेश से आच्छादित नहीं है अतः अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर पेंशन की देयता के लिए स्थाई होना आवश्यक है।

15. पेंशन, अर्हकारी सेवा और परिलब्धियों के अनुपात में देय होती है। पेंशन के लिए परिलब्धियों से तात्पर्य मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित वेतन से है इसमें वैयक्तिक वेतन अथवा विशेष वेतन शामिल नहीं होगा किन्तु चिकित्सकों को मिलने वाला प्रैक्टिस बन्दी भत्ता परिलब्धियों का भाग होगा।

16. पेंशन की गणना हेतु पिछले 10 माह की परिलब्धियों का औसत आधार होगा और पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी अंतिम आहरित परिलब्धियों पर आगणित की जाएगी।

17. औसत परिलब्धियों की गणना करते समय सेवानिवृत्ति के पूर्व के दस माहों में अवकाश तथा निलम्बन की ऐसी अवधि जिसमें पूर्ण वेतन से कम मिला है और यह अवधि अर्हकारी सेवा में जोड़ी जानी है तो इस अवधि के लिए वह पूर्ण वेतन जोड़ा जायेगा जिसे वह अवकाश अथवा निलम्बन की तिथि में न होने पर प्राप्त करता। अनर्ह अवकाश अवधि, निलम्बन अथवा व्यवधान की अवधि निकाल दी जायेगी और उतनी पिछली अवधि शामिल कर ली जायेगी।

18. पेंशन 66 छमाही अर्हकारी सेवा पर औसत परिलब्धियों का 50% होगी और इसे अगले रुपया तक पूर्णांकित किया जायेगा। 66 छमाही से कम अर्हकारी सेवा पर पेंशन अनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। यह निम्न सूत्र से आगणित की जायेगी।

$$\frac{\text{औसत परिलब्धियों} \times \text{अर्हकारी सेवा की छमाहियां}}{132}$$

(क) पेंशन 10 वर्ष या अधिक की अर्हकारी सेवा होने की दशा में ही देय होती है।

(ख) दिनांक 1-4-1990 से न्यूनतम पेंशन 375/- है। सेवा में भूतपूर्व पेंशनरों की सेना और सिविल पेंशन मिलाकर 375/- से कम होती है तो बढ़ाकर 375/- कर दी जायेगी अन्यथा सिविल पेंशन वास्तविक गणनानुसार स्वीकृत की जाएगी।

(ग) अशक्तता पेंशन की दशा में पेंशन उस धनराशि से कम नहीं होगी जो तत्समय मृत्यु की दशा में उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होती।

(घ) पेंशन प्रपत्र भाग-1 के कालम 9 पर मांग के अनुसार राशिकरण वास्तविक स्वीकृत पेंशन पर अनुमन्य होगा, यह सामान्यतः पेंशन के अधिकतम 1/3 तक अनुमन्य हो सकता है।

(च) राशिकरण की धनराशि सेवानिवृत्ति की अगली जन्म-तिथि को आयु के गणनांक जो संलग्नक में दिये हैं, में 12 से गुणाकर एक रुपये का राशिकृत मूल्य मानकर की जाएगी, 58 वर्ष की आयु के लिए 125.52 तथा 60 वर्ष के लिए 117.72 रु० हैं।

(छ) सेवानिवृत्ति के समय वांछित राशिकृत भाग की कटौती प्राधिकार-पत्र जारी होने के तीन माह या राशिकरण की धनराशि प्राप्त होने की तिथि, जो पहले हो, से की जाएगी। बाद में आवेदित राशिकरण की दशा में राशिकृत भाग कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रार्थना-पत्र की तिथि से कम किया जाएगा।

(ज) प्राधिकार-पत्र जारी होने के एक वर्ष तक बिना चिकित्सीय जांच के राशिकरण कराया जा सकेगा। बाद में चिकित्सीय जांच आवश्यक होगी।

19. उपादान :—

उपादान की गणना अन्तिम आहरित परिलब्धियों पर की जावेगी। 16-9-1993 के बाद सेवानिवृत्ति की दशा में 20% मंहगाई भत्ता तथा 1-4-1995 या उसके पश्चात् से होने वाले मामलों में निम्न मंहगाई भत्ता परिलब्धियों में शामिल होगा।

3500 तक 97%

3500 से 6000 तक 73% न्यूनतम 3395

6000 से कम 63% न्यूनतम 4380

(क) दस वर्ष से कम सेवा पर प्रति छमाही अर्हकारी सेवा उपादान आधे माह की परिलब्धियों के बराबर देय होगी। 5 वर्ष से अधिक अर्ह सेवा की दशा में प्रति छमाही 1/4 माह की परिलब्धियों के बराबर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी देय होगी, जो अधिकतम परिलब्धियों का 16½ गुनी ग्रेच्युटी देय होगी।

(ख) दस वर्ष से कम की अर्ह सेवा होने की दशा में ग्रेच्युटी की देयता हेतु स्थाई होना आवश्यक है।

(ग) 1-4-1995 को या इसके बाद सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि 2.50 लाख रुपया अनुमन्य होगी।

(घ) सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने की दशा में ग्रेच्युटी एक माह के वेतन के बराबर अधिकतम 3000 रु० रोकी जायेगी जिसे प्रपत्र-2 पर अंतिम अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही मुक्त कर दिया जाएगा।

20. मृत्यु उपादान की दरें निम्न हैं :—

सेवा अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
1. एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुना
2. एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का छः गुना
3. पांच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुना
4. 20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अंतिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा 2.50 लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

21. मृत्यु उपादान की पात्रता :—

कर्मचारी द्वारा नामांकन के आधार पर होगी। नामांकन के अभाव में पात्रता के लिए परिवार को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी के परिवार के सदस्यों में उपादान की धनराशि बराबर-बराबर देय होगी। यदि इस श्रेणी का कोई व्यक्ति नहीं है तो दूसरी श्रेणी के परिवार के सदस्यों में इसे बराबर-बराबर बांटा जाएगा। यदि नामांकन नहीं है और परिवार में कोई सदस्य नहीं है तो ग्रेच्युटी शासन के पक्ष में व्यपगत हो जाएगी।

22. परिवार-प्रथम श्रेणी :—

पत्नी या पति

पुत्र ..... सौतेली तथा गोद ली संतानें भी शामिल होंगी।

अविवाहित पुत्रियां,

दूसरी श्रेणी :

विवाहित पुत्री एवं विधवा पुत्रियां 18 वर्ष से कम उम्र के भाई तथा अविवाहित बहनें, माता/पिता, पूर्व मृत पुत्र की संतानें,

23. पारिवारिक पेंशन की दरें :—

दिनांक 1-1-1986 के उपरान्त निम्न दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है :—

मूल वेतन प्रतिमास	पारिवारिक पेन्शन दर
1500 रु० से अनधिक	मूल वेतन का 30% किन्तु न्यूनतम 375 रुपया प्रतिमाह
1500 रु० से अधिक किन्तु 3000 रु० से अनधिक	मूल वेतन का 20% जिसका न्यूनतम 450 रु० प्रतिमाह होगा।
3000 रु० से अधिक	मूल वेतन का 15% जिसका न्यूनतम 600 रु० तथा अधिकतम 1250 रु० होगा।

7 वर्ष की अविरल सेवा के बाद मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन उक्त दरों की दूनी, परिलब्धियों का आधा अगले 7 वर्ष या कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक देय होगी। उसके उपरान्त सामान्य दर पर अनुमन्य होगी।

24. पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता :—

(1) पति/पत्नी को आजीवन, या पुनर्विवाह तक,

(2) पुत्र— 25 वर्ष की आयु तक या आजीविका अर्जन तक

(3) पुत्री— 25 वर्ष की आयु तक या आजीविका कमाने तक या विवाह तक, जो भी पहले तय हो, तक देय होगी। विकलांग संतान को आजीवन, किन्तु पति/पत्नी की मृत्यु के बाद संतान को आयु की वरीयता क्रम में देय होगी किन्तु विकलांग संतान यदि वरीयता में पहले आती है तो पहले सभी संतानों का क्रम समाप्त होने पर विकलांग की पेंशन पुनः जीवित हो जाएगी।

1. यदि उत्तर-जीवी दो पत्नियां हैं तो वरिष्ठ अर्थात् जिसका विवाह पहले हुआ हो को पहले क्रम से पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी, बाद में दूसरी पत्नी को।

2. विकलांग तथा अवयस्क को पेंशन का भुगतान विधिक संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा।

3. पारिवारिक पेंशन, सेवा पेंशन के साथ ही स्वीकृत कर दी जाएगी, ताकि पेंशनर की मृत्यु के साथ ही उसके परिवार को पेंशन आरम्भ हो सके।

4. यदि माता तथा पिता दोनों सरकारी सेवा में थे और उनकी मृत्यु पर उनके पात्र संतानों को शासनादेश सं० सा-3-296/दस-93, दिनांक 12-3-1993 के अनुसार दोनों की पेंशन देय होगी। दोनों पेंशनें साधारण दर की दशा में 1250 तथा विशेष दर की दशा में 2500 रु०

तक होगी। इन मामलों में विशेष दर सामान्य दर के 1½ गुना ही की जाएगी।

25. ग्रेच्युटी से वसूली :—

भाग-5 के कालम 16 तथा कालम 26 में अंकित धनराशि ग्रेच्युटी से वसूल की जाएगी। पेंशन से वसूली हेतु सी०एस०आर० के अनुच्छेद 351ए के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

26. पुनः वैधीकरण :—

यदि प्राधिकार जारी होने के एक वर्ष तक किसी कारण से भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो पेंशन स्वीकृता अधिकारी कोषागार से आवश्यक रिपोर्ट लेकर पुनर्वेध कर देंगे।

27. कार्यालय से स्वीकृति हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :—

(क) प्रकरण प्राप्ति के बाद प्रथम आगत प्रस्तुत के अनुसार लेखाकार प्रकरण संबंधी सूचना नोटशीट पर निम्न चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्तुत करेंगे :—

1. ..... से लगातार पेंशन युक्त पद पर नियुक्त रहते हुए ..... पद पर ..... को स्थाई घोषित हुए।
2. पेंशन प्रपत्र-1/2 भाग-1 के सभी कालम ठीक से भरे हैं और इस पर घोषित पत्र गवाहों के सामने कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया है।
3. भाग-3 दो प्रतियों में है, इस पर फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।
4. भाग-4 में सेवा विवरण सेवा पुस्तिका के अनुसार ठीक है।
5. वेतन निर्धारण ठीक है।
6. सेवा में प्रवेश के समय जन्म तिथि सेवा पुस्तिका के प्रथम खण्ड पर निर्विवाद स्पष्ट है।
7. मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।
8. नामांकन उपलब्ध है।
9. क्या पेंशन प्रपत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अथवा कार्यालयाध्यक्ष के स्वयं के मामले में उच्चतम अधिकारी द्वारा अग्रसारित किए गए हैं।
10. पेंशनर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है/नहीं है।
11. भाग-5 के कालम 16 तथा 26 के अनुसार .....रु० ग्रेच्युटी से वसूल होने हैं।
12. अनन्तिम पेंशन ..... तथा ..... अनन्तिम ग्रेच्युटी विभाग द्वारा स्वीकृत की गई है इसका समायोजन किया गया है।
13. प्रकरण में निम्न कमी है इन्हें दूर कराया जाना चाहिए।
14. पे०नि० फार्म 6 पर आगणन प्रस्तुत है :—

लेखाकार सहायक लेखाधिकारी स्वीकृताधिकारी

28. सहायक लेखाधिकारी गणना तथा अनुमन्यता चेक कर आगणन चार्ट पर हस्ताक्षर कर देंगे और स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा अनुमोदन के उपरान्त पे०नि० फार्म-5 पर अग्रसारण बनाया जाएगा तथा पेंशन

ग्रेच्युटी तथा राशिकरण के प्राधिकार-पत्र बनाए जायेंगे।

29. प्राधिकार पत्रों पर इम्बोसिंग सील लगाई जाएगी जो 2" व्यास की बनवाई जाएगी।

30. कोषाधिकारियों को स्वीकृताधिकारी अपने नमूने के हस्ताक्षर निदेशक, कोषागार/पेंशन से प्रमाणित कराकर भेजेंगे।

31. पेंशन की देयता तथा नियमों में भ्रम हो तो निदेशक, पेंशन/शासन से स्थिति स्पष्ट करा ली जाए।

32. समय सारणी :—

पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने के दो माह के भीतर इनकी जांच कर ली जाए यदि कोई कमी नहीं है तो प्राधिकार-पत्र जारी कर दिया जाय। यदि कमी है तो आपत्ति पत्र भेज दिया जाए।

आपत्ति/कमी की दशा में विभाग से आपत्ति निवारण/अनुपालन के एक माह के प्रकरण निस्तारित कर दिये जाएं।

33. पेंशन संबंधी नियम सी०एस०आर०, आर०बी०आर० 1961, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों में संकलित है। विवाद की दशा में नियमों से पुष्टि की जाए।

34. अंत में स्वीकृताधिकारियों को सुनिश्चित करना है :—

1. नैवृत्तिक लाभ पात्र व्यक्ति को मिल जाए।
2. जितना देय है उतना मिल जाए।
3. भुगतान शासन के किसी सकारात्मक आदेश से आच्छादित हो।

35. पेंशन स्वीकृति का अनुश्रवण विभाग स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारियों द्वारा तथा प्रदेश स्तर पर निदेशक पेंशन द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा।

अध्याय - 17

वेतन, विशेष वेतन एवं प्रोत्साहन वेतन वृद्धि आदि
(Pay, Special Pay and Incentive Increments etc.)

वेतन निर्धारण के स्थायी नियम, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम-22 से 31 में दिए हुए हैं तथा जब कभी कोई वेतन आयोग अथवा वेतन समिति गठित होती है तो उसकी संस्तुतियों के अनुसार नये वेतनमान प्रभावी करने के शासनादेश में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया विहित कर दी जाती है और उसी के अनुसार समस्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारित होते हैं।

सामान्य रूप से वेतन निर्धारण के निम्नलिखित बिन्दु महत्वपूर्ण हैं :—

अधिक उत्तरदायित्व के पद पर वेतन निर्धारण.—जब किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति अथवा नियुक्ति अधिक उत्तरदायित्व के पद पर होती है तो उसका वेतन मूल नियम-22-B के अंतर्गत निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा :—

(क) उसके द्वारा निम्न पद पर प्रोन्नति की तिथि को प्राप्त वेतन में निम्न पद की ही एक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से जोड़ी जायेगी।

(ख) जो योग आये उसके ऊपर उच्च पद के वेतनमान में जहां भी अगला स्तर होगा वहीं पर वेतन निर्धारित कर दिया जायेगा। इसके पश्चात् निम्न पद पर वेतन-वृद्धि होने पर पुनः वेतन नहीं बढ़ाया जायेगा अर्थात् मूल नियम-31(2) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि मूल नियम-22-B के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ उन अधिकारियों को पहले अनुमन्य नहीं था जब वे किसी प्रथम श्रेणी के पद से उससे भी उच्च प्रथम श्रेणी के दूसरे पद पर प्रोन्नति या नियुक्त होते थे किन्तु शासनादेश संख्या सा-2-724/दस दिनांक 17-9-88 द्वारा यह लाभ 1 जनवरी, 1988 से उक्त श्रेणी के अधिकारियों को भी अनुमन्य करा दिया गया है।

मूल नियम-22-B के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के मामले में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या सा-2-854/दस दिनांक 17-9-88 द्वारा 14 अगस्त 1988 से यह लाभ भी प्रदान किया गया कि सम्बन्धित सरकारी सेवक अधिक उत्तरदायित्व के पद पर प्रोन्नत होने में अपना वेतन चाहे तो प्रोन्नति की तिथि से ही निर्धारित करा ले अथवा निम्न पद पर होने वाली अगली वेतनवृद्धि की तिथि से करा ले। इस आशय का लिखित विकल्प, सादे कागज पर, प्रोन्नति की तिथि से एक माह के अंदर दे देना चाहिए अन्यथा प्रोन्नति की तिथि से ही वेतन निर्धारित कर दिया जायेगा। प्रोन्नति पर वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देने की दशा में निम्न प्रकार से वेतन निर्धारित किया जायेगा :—

(क) प्रोन्नति की तिथि को निम्न वेतनमान में प्राप्त वेतन के ऊपर पहले निम्न पद की ही एक साधारण वेतनवृद्धि ही जोड़ी जायेगी ;

(ख) तत्पश्चात् निम्न पद के वेतनमान की ही एक काल्पनिक वेतनवृद्धि जोड़ी जायेगी ;

(ग) उपरोक्त तीनों का जो योग आये उसके ठीक ऊपर उच्च पद के वेतनमान में जहां भी अगला स्तर होगा उसी पर वेतन निर्धारित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त मामले में प्रोन्नति की तिथि से निम्न पद पर होने वाली वेतनवृद्धि की तिथि के ठीक पूर्व तक की अंतरिम अवधि के लिए मूल नियम 22(a)(i) के अन्तर्गत वेतन निर्धारित होगा अर्थात्

प्रोन्नति की तिथि को निम्न पद पर प्राप्त वेतन के ठीक ऊपर उच्च पद के वेतनमान में जहाँ भी अगला स्तर होगा वहीं पर वेतन निर्धारित कर दिया जायेगा।

उदाहरण.—वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कार्यरत कोई अधिकारी दिनांक 1-6-99 से वेतनमान रु० 10,000-325-15200 के पद पर प्रोन्नत होता है तथा प्रोन्नति की तिथि को यदि उसका वेतन रु० 10,750 हो तो 1-6-99 से उसका वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया जायेगा :—

(i) निम्न पद पर प्रोन्नति की तिथि को प्राप्त वेतन		रु० 10750.00
(ii) निम्न पद के वेतनमान की एक काल्पनिक वेतनवृद्धि		रु० 275.00
	योग	रु० 11025.00

(iii) चूंकि रु० 11025 के ऊपर उच्च पद के वेतनमान रु० 10,000-325-15,200 में अगला स्तर रु० 11,300 पर है, अतएव 1-6-99 से इनका वेतन रु० 11,300 पर निर्धारित होगा।

उपरोक्त अधिकारी की निम्न पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि की तिथि यदि 1-8-99 हो और वे वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् 1-8-99 से वेतन निर्धारण का विकल्प देते हैं तो 1-8-99 से उनका वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित होगा :—

(i) निम्न पद पर प्रोन्नति की तिथि को प्राप्त वेतन	रु०	10750.00
(ii) निम्न पद के वेतनमान की एक साधारण वेतनवृद्धि जिसकी उसने प्रतीक्षा की	रु०	275.00
(iii) निम्न पद की ही एक काल्पनिक वेतनवृद्धि	रु०	275.00
योग	रु०	11,300.00

(iv) चूंकि रु० 11,300 के ऊपर उच्च पद के वेतनमान रु० 10,000-325-15,200 में अगला स्तर रु० 11,625 पर है अतएव 1-8-99 से रु० 11,625 वेतन निर्धारित होगा।

उपरोक्त अधिकारी को अंतरिम अवधि अर्थात् 1-6-99 से 31-7-99 तक की दो माह की अंतरिम अवधि के लिए उसके द्वारा निम्न पद पर प्राप्त वेतन रु० 10,750 के ऊपर उच्च पद के वेतनमान में चूंकि अगला स्तर रु० 10,975 पर है, अतएव उसको उक्त दो माह की अवधि के लिए वेतनमान रु० 10,000-325-15,200 में रु० 10,975 वेतन देय होगा।

यदि प्रोन्नति की तिथि को कोई सरकारी सेवक निम्न पद के वेतनमान के अधिकतम (maximum) पर वेतन पा रहा हो तो अधिक उत्तरदायित्व के पद पर प्रोन्नत होने पर उसका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होगा :—

(1) निम्न पद पर अधिकतम तक पहुँचने के पूर्व अंतिम वेतनवृद्धि की जो धनराशि हो वह काल्पनिक रूप से उसके द्वारा प्राप्त वेतन में जोड़ी जायेगी।

(2) उपरोक्त का जो योग आये उसके ठीक ऊपर उस पद के वेतनमान में जहां भी अगला स्तर होगा वहीं पर वेतन निर्धारित कर दिया जायेगा। (वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 की

विज्ञप्ति संख्या-818/दस, दिनांक 4-8-89)।

यदि किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसे पद पर होती है जो अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण न हो तो उसका वेतन मूल नियम 22(a)(ii) के अन्तर्गत निम्न प्रकार से निर्धारित किया जायेगा :—

(1) यदि पूर्व पद के वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त वेतन पर निम्न पद पर जिसमें उसकी नियुक्ति हुई हो, स्तर (Stage) हो तो वहीं पर वेतन निर्धारित कर दिया जायेगा।

(2) यदि वहां पर स्तर न हुआ तो उससे उच्च स्तर पर वेतन निर्धारित किया जायेगा। (वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या जी-2-16/दस-98-303/96 दिनांक 2 जुलाई, 1998)।

किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति सम्वर्गीय पद से किसी निःसम्वर्गीय (Ex-cadre) पद पर होती है तो उसके द्वारा सम्वर्गीय पद पर प्राप्त वेतन का लाभ निःसम्वर्गीय पद पर वेतन निर्धारण हेतु दिया जायेगा किन्तु यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति निःसम्वर्गीय पद से सम्वर्गीय पद पर होती है तो निःसम्वर्गीय पद पर उसके द्वारा प्राप्त वेतन का लाभ, सम्वर्गीय पद पर वेतन निर्धारण हेतु नहीं दिया जायेगा।

सेलेक्शन ग्रेड में वेतन निर्धारण.—एक जनवरी, 96 के पूर्व किसी कर्मचारी की किसी पद पर 8 वर्ष की निरंतर तथा संतोषजनक सेवा होने पर उसी वेतनमान में एक वेतनवृद्धि दे दी जाती थी और जब वार्षिक वेतनवृद्धि की सामान्य तिथि आने पर वेतन वही हो जाने पर उसे उस तिथि से एक वेतनवृद्धि और दे दी जाती थी। 1-1-96 से सेलेक्शन ग्रेड का लाभ फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। यदि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा आगे कोई निर्णय लिया जाता है तो तद्नुसार वेतन निर्धारित होगा। शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-560/दस-45(एम)/99, दिनांक 2-12-2000 द्वारा ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जिनके वेतनमान का अधिकतम रु० 10,500/- तक है, सेलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नत वेतनमान के लाभों को 1-1-96 से पुनः स्वीकृत कर दिया। उक्त श्रेणी के सरकारी सेवक जो एक पद पर 8(आठ) वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद की तिथि को पूर्ण करते हैं, उन्हें समयमान वेतनमान के अंतर्गत सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु पद के पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को एक वेतनवृद्धि स्वीकृत कर दी जायेगी।

समयमान वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-604/दस-2001-45(एम)-1999, दिनांक 10-4-2001 द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया गया है :—

(1) ऐसे मामलों में जहाँ दिनांक 1-3-1995 से प्रभावी समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अंतर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि 8 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम की अवधि पर दिनांक 1 मार्च, 1995 से स्वीकृत की गयी हो, उनमें नियमित पदधारकों को प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान सम्बन्धित पद पर कुल 14 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पर अनुमन्य किया जायेगा।

(2) ऐसे नियमित पदधारकों जिन्हें दिनांक 1-3-1995 से वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान 14 वर्ष से अधिक किन्तु 16 वर्ष से कम अवधि पर मिला हो, उन्हें उस वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ सम्बन्धित पद पर कुल 20 वर्ष की सेवा पर दिया जायेगा।

प्रोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण.—कतिपय वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर अर्थात् शासन द्वारा जिन पदों के लिए जितने वर्ष निर्धारित किए गये हों उतने वर्ष की निरंतर सेवा किसी पद पर पूर्ण होने पर नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों को, जिनका कार्य संतोषजनक हो, अगला वेतनमान दे दिया जाता था, जिसको प्रोन्नत वेतनमान कहा जाता था।

उच्च वेतनमान स्वीकृत होने पर उसके द्वारा साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन के ऊपर जहाँ भी अगला स्तर, प्रोन्नति के वेतनमान में होता था, वहीं पर वेतन निर्धारित कर दिया जाता था। उसी स्तर पर अथवा उससे अधिक हो जाने पर, उस तिथि से प्रोन्नत वेतनमान में एक वेतनवृद्धि और दे दी जाती थी। इसके पश्चात् जब ज्येष्ठता के अनुसार उसी पद पर नियमित प्रोन्नति होती थी तो उस तिथि से उसको प्रोन्नति के वेतनमान में एक वेतनवृद्धि और दे दी जाती थी। ज्ञातव्य हो कि 1-1-96 से प्रोन्नत वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(1) यह लाभ शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-560/दस-45(एम)-99, दिनांक 2-12-2000 द्वारा 1 जनवरी, 1996 से पुनः निम्नलिखित ढंग से प्रदान कर दिया गया है ।

(2) **प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान.**—उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हों, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अंतर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य है, किन्तु यदि किसी कर्मचारी को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ पूर्व में 10 वर्ष की सेवा के आधार पर मिला हो तो उक्त प्रयोजनार्थ सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की अवधि का प्रतिबन्ध 4 वर्ष रखा जायेगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान की अनुमन्यता हेतु अधिकारी/कर्मचारी का सम्बन्धित पद पर नियमित होना आवश्यक है। अन्य शर्तों की पूर्ति पर भी सम्बन्धित पद पर नियमित न होने की दशा में पदधारक को यह लाभ उस तिथि से ही अनुमन्य होगा, जिस तिथि से सम्बन्धित पद पर वह नियमित किया जायेगा।

(3) **प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में वेतनवृद्धि.**—उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) के अनुसार वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें ऐसे प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उक्त सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान/अगला वेतनमान पहले मिल चुका हो, तो उसे उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने की तिथि से 4 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त ऐसे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

(4) **द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान.**—प्रत्येक नियमित कर्मचारी को वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उपर्युक्त प्रस्तर-1(3) के अनुसार एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 5 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित न्यूनतम 24 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक रूप से द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

2. वेतन निर्धारण/पुनर्निर्धारण.—(1) समयमान वेतनमान के अंतर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में उपर्युक्त प्रस्तर-1(1) तथा 1(3) के अंतर्गत वेतनवृद्धि स्वीकृत होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन अनुमन्यता की तिथि को उसी वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(2) उपर्युक्तानुसार प्रथम तथा द्वितीय वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् वेतनवृद्धि की तिथि

वही रहेगी जो उपर्युक्त लाभ न पाने की दशा में होती।

(3) ऐसे मामलों में जहां समयमान वेतनमान के अंतर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि का लाभ संवर्ग में किसी वरिष्ठ कर्मचारी को दिनांक 1-1-1996 के पूर्व तथा कनिष्ठ कर्मचारी को दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी से कम हो जाय तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर निर्धारित कर दिया जाय।

(4) उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) के अंतर्गत वैयक्तिक रूप से स्वीकृत प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(5) उपर्युक्त प्रस्तर-1(4) के अंतर्गत वैयक्तिक रूप से स्वीकृत द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) प्रथम अथवा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में यदि किसी समय बिन्दु पर किसी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन उसे क्रमशः पद के साधारण वेतनमान अथवा प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अनुमन्य वेतन स्तर की तुलना में कम या बराबर हो जाय तो क्रमशः प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा दूसरे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में उसका वेतन ऐसे वेतन स्तर के अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप प्रथम तथा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि, वेतन पुनर्निर्धारण की तिथि से 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी।

(7) यदि किसी पदधारक को समयमान वेतनमान के अंतर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1-1-1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि तक अनुमन्य हो रहा हो, तो उस दशा में पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन, पद के साधारण पुनरीक्षित वेतनमान तथा पदधारक को अनुमन्य पुनरीक्षित वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अलग-अलग, निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार वेतन निर्धारित करने पर यदि किसी पदधारक का वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में निर्धारित वेतन उसके पद के साधारण वेतनमान में निर्धारित वेतन के बराबर अथवा उससे कम हो तो वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उसका वेतन अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय।

(8) यदि कोई पदधारक पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण की तिथि (दिनांक 1-1-1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि) से समयमान वेतनमान के अंतर्गत देय लाभ के लिए अर्ह होता है, तो उसे यह लाभ वर्तमान वेतनमान अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।

(9) ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति उसी वेतनमान में होती है, जो उसे दिनांक 1-1-1996 या उसके बाद से समयमान वेतनमान के अंतर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में मिल रहा था, तो ऐसे पद पर उसका वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 22-ए(1) में निहित प्रक्रियानुसार अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होगा और इसमें मूल नियम 22-बी के प्राविधान लागू नहीं होंगे। शासनादेश संख्या-प० मा० नि०-357/दस-21(एम)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर 8(1) तथा प्रस्तर-8(2) निरस्त समझे जायें।

3. वृद्धिरोध वेतनवृद्धि.—(1) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रु० 10500 तक है, जब अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जायें, तो उनके वेतनमान को उसमें अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर तीन वेतनवृद्धियों की धनराशि जोड़कर बढ़ा दिया जाये। यह वेतनवृद्धियां सम्बन्धित पदधारक को वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में पद के वेतनमान के

अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् वार्षिक आधार पर देय होगी। यह वेतनवृद्धि ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होगी जिन्हें वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने तक सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य हो चुकी हो किन्तु सम्बन्धित पदधारक द्वारा पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के उपरान्त सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के रूप में देय वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(2) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रू० 10500 से अधिक है, उन्हें पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के उपरान्त वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक वेतनवृद्धि दी जाय। ऐसी वेतनवृद्धियों की अधिकतम संख्या 3 होगी।

(3) वृद्धिरोध वेतनवृद्धि का लाभ केवल पद के साधारण वेतनमान में अनुमन्य होगा। यह लाभ वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला उच्च वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान में अनुमन्य नहीं होगा।

(4) इस प्रकार अनुमन्य वृद्धिरोध वेतनवृद्धि को सम्बन्धित वेतनमान का भाग माना जायेगा तथा मूल नियमों के अंतर्गत वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसे वेतन का अंग माना जायेगा।

4. शर्तें एवं प्रतिबन्ध.—(1) उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) तथा 1(4) के अंतर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिए प्रोन्नति के पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा धारित पद से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति का प्राविधान हो। यदि किसी पद हेतु वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु दो या अधिक वेतनमानों में पद उपलब्ध हों तो समयमान वेतनमान के अंतर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में पदोन्नति हेतु उपलब्ध निम्नतम पद का वेतनमान ही अनुमन्य होगा। किसी अधिकारी/कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में उसे, वह वेतनमान अनुमन्य होगा जो शासनादेश संख्या-प०मा० नि०-357/दस-21(एम)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के संलग्नक-ग पर उपलब्ध सूची के अनुसार अगला वेतनमान हो।

(2) किसी पदधारक के उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में निम्न पद पर सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि पदधारक द्वारा धारित उच्च पद का वेतनमान उसे निम्न पद पर वैयक्तिक रूप से सेवा अवधि के आधार पर देय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के समान या उससे उच्च है तो उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में उसे निम्न पद पर समयावधि के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा और यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि को देय होगा।

(3) संतोषजनक सेवा के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा मार्ग-दर्शक व्यवस्था शासनादेश संख्या-761/कार्मिक-1-93, दिनांक 30 जून, 1993 में जारी की गयी है। अतः समयमान वेतनमान के अंतर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि वैयक्तिक रूप से देय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड तथा उच्च वेतनमान की अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवा का निर्धारण शासनादेश दिनांक 30-6-1993 को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये।

(4) किसी अधिकारी/कर्मचारी को वास्तविक प्रोन्नति होने की दशा में यदि वह प्रोन्नति के पद पर जाने से इनकार करता है तो उसे उस तिथि तथा उसके पश्चात् की तिथि से देय सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेलेक्शन ग्रेड/सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/अगला उच्च वेतनमान किसी पद/संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किये गये हैं, अतः वास्तविक प्रोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारियों के मामले में

सेवा में वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता है।

(5) जिस कर्मचारी ने दिनांक 1-1-1996 के बाद की किसी तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान चुना है, यदि उस कर्मचारी को सेवा अवधि के आधार पर एक वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1-1-1996 तथा उसके विकल्प के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में आने की तिथि के मध्य से देय है, तो यह लाभ उसे वर्तमान वेतनमान में ही देय होगा।

(6) समयमान वेतनमान के अंतर्गत अनुमन्य उपर्युक्त चार लाभों में से यदि किसी पदधारक को कोई लाभ दिनांक 1-1-1996 से पूर्व मिल चुका है तो उसे दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में यह लाभ पुनः नहीं मिलेगा। उसे तत्पश्चात् देय लाभ, यदि कोई हो, ही अनुमन्य होगा।

(7) समयमान वेतनमान के अंतर्गत एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का लाभ देने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की संतोषजनक अनवरत सेवा की शर्त के परीक्षण हेतु उसकी चरित्र पंजिका देखना होगा। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी को यह लाभ अनुमन्य होने पर तत्सम्बन्धी आदेश जारी किये जायं। परन्तु जिनके सम्बन्ध में दिनांक 1-1-1996 के बाद आदेश जारी किये जा चुके हैं, उनके लिए पुनरीक्षित आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नियुक्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी माने जायेंगे।

5. ऐसे पदधारक, जिनके पद का दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान रु० 8000-13500 या उससे अधिक है, के लिए समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित वेतनमान में भी दिनांक 31 दिसम्बर, 2000 तक लागू रहेगी। दिनांक 1 जनवरी, 2001 या उसके पश्चात् उपर्युक्त वेतनमान के पदों पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था सम्बन्धी आदेश बाद में जारी किये जायेंगे।

6. अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया.—(1) समयमान वेतनमान के अंतर्गत देय लाभ स्वीकृत होने के फलस्वरूप अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 1-4-2000 से भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 1-1-1996 से दिनांक 31-3-2000 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, जो दिनांक 31-3-2002 तक निकाली नहीं जा सकेगी। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन० एस० सी०) के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टीफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दे दी जायेगी।

(2) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 2001 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान नकद किया जायेगा।

7. उक्त निर्णय के फलस्वरूप यदि कोई प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान चुनने के लिए पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करना चाहें तो उसे इस शासनादेश के जारी होने अथवा सम्बन्धित पदधारक को उपर्युक्तानुसार लाभ स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी होने की तिथि, जो भी बाद में हो, के 90 दिन के अन्दर पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

8. (1) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था शैक्षिक पदों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(2) शासनादेश संख्या-प०मा०नि०-356/दस-22(एम)-97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 का प्रस्तर-4 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(3) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 एवं उसके साथ पठित अन्य शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायं।

1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण.—भारत सरकार द्वारा गठित पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों पर विचार करने हेतु उ० प्र० शासन द्वारा गठित वेतन समिति (1997) की संस्तुतियों के अनुसार शासनादेश संख्या प०मा०नि० 357/दस-21 (एम)/97, दिनांक 31-12-97 द्वारा वेतन निर्धारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रियायें निर्धारित की गयी हैं :—

निम्नलिखित मदों को जोड़कर वेतन निर्धारित किया जायेगा :—

(एक) 1 जनवरी, 96 को पुराने वेतनमान में प्राप्त वेतन।

(दो) 1 जनवरी, 96 को उक्त वेतन पर अनुमन्य महंगाई भत्ता जिसकी दरें निम्न प्रकार हैं :—

(i) 3500 रु० तक वेतन पर	148 प्रतिशत
(ii) 3501 से 6000 रु० तक	111 प्रतिशत किन्तु कम से कम रु० 5180.
(iii) 6000 से ऊपर	96 प्रतिशत किन्तु कम से कम रु० 6660.

(तीन) रु० 100 की प्रथम अंतरिम सहायता।

(चार) 1-1-96 को पुराने वेतनमान में प्राप्त वेतन के 10% के बराबर द्वितीय अंतरिम सहायता किन्तु कम से कम 100 रुपया।

(पांच) 1-1-96 को प्राप्त वेतन के 40% के बराबर धनराशि।

उपरोक्त पांचों मदों का जो योग आये उसके ठीक ऊपर 1-1-96 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में जहां भी अगला स्तर होगा वहीं पर वेतन निर्धारित कर दिया जायेगा।

यदि किसी कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तिथि पुराने वेतनमान में एक जनवरी के अतिरिक्त कुछ और रही हो तो उसी तिथि से 1-1-96 से निर्धारित वेतन के ऊपर नये वेतनमान में एक वेतनवृद्धि दे दी जायेगी। यह नयी प्रकार की लाभप्रद व्यवस्था उपरोक्त शासनादेश के पैरा 6(1) में दी हुई है। उदाहरणार्थ-यदि किसी की वेतनवृद्धि पुराने वेतनमान में 1-4-95 रही हो तो 1-1-96 से उसका जो वेतन निर्धारित होगा, उसके ऊपर 1-4-96 से एक वेतनवृद्धि नये वेतनमान में दे दी जायेगी।

उपरोक्त प्रकार से वेतन निर्धारण में यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पुराने वेतनमान में प्रत्येक तीन वेतनवृद्धियों के लिए नये वेतनमान में आरंभिक वेतन के ऊपर एक वेतनवृद्धि अवश्य मिले। यह व्यवस्था उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31-12-1997 के पैरा 4(2) में दी गयी है। जिसकी प्रक्रिया यह है कि 1-1-96 को पुराने वेतनमान में जो वेतन हो उसमें से पुराने वेतनमान का आरंभिक वेतन घटाया जायेगा जो शेष आये उसको पुराने वेतनवृद्धि की धनराशि से भाग दिया जायेगा। इसका जो भागफल आयेगा उसको तीन से भाग दिया जायेगा। इसका जो भागफल आयेगा उतनी ही वेतनवृद्धियां नये वेतनमान में देकर वेतन निर्धारित कर दिया जायेगा। उदाहरणार्थ-यदि पुराने वेतनमान 2200-75-2800-100-4000 में यदि कोई अधिकारी 1-1-96 को 2725 वेतन पा रहा था तो उसमें से 2200 घटाने के पश्चात् 525 आयेगा। इसको वेतनवृद्धि की धनराशि 75 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। 7 को 3 से भाग देने पर पूरा-पूरा भागफल 2 आयेगा। अतएव इनको 1-1-96 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान रु० 8000-275-13500 में 275 रु० की दो वेतनवृद्धियां देते हुए नये वेतनमान में 1-1-96 से रु० 8550 के स्तर पर वेतन निर्धारित किया जायेगा। यदि इनकी वेतनवृद्धि की तिथि पुराने वेतनमान में 1-4-95 रही है तो नये वेतनमान में भी 1-4-96 से इनको वेतनवृद्धि देकर वेतन रु० 8825 कर दिया जायेगा।

ज्ञातव्य हो कि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के मामले में पुरानी तिथि को ही वेतनवृद्धि देने का लाभ दिनांक 31-12-97 के मूल शासनादेश के पैरा-6 में उपलब्ध नहीं था। इस मामले पर आगे विचार करके शासनादेश संख्या प०मा०नि० 700/दस-21(एम)-98, दिनांक 31

अगस्त, 1998 द्वारा यह लाभ प्रदान किया गया।

उपरोक्त शासनादेश में यह भी कहा गया कि यदि कोई सरकारी सेवक 31-12-95 को पुराने वेतनमान के अधिकतम (maximum) पर एक वर्ष से अधिक से रुका रहा हो तो 1-1-96 को उसका पुनरीक्षित वेतनमान में जो वेतन निर्धारित हो उसके ऊपर नये वेतनमान की एक वेतनवृद्धि देकर 1-1-96 से ही वेतन बढ़ा दिया जायेगा।

विकल्प

एक जनवरी, 1996 से जो नये वेतनमान स्वीकृत किए गये हैं उनको उस समय कार्यरत सरकारी सेवक 1-1-96 से चुनने का विकल्प निर्धारित प्रपत्र पर, निर्धारित तिथि के अंदर दे सकते हैं अथवा पुराने वेतनमान में 1-1-96 के पश्चात् होने वाली अगली वेतनवृद्धि की तिथि से दे सकते हैं। 1-1-96 के पश्चात् प्रोन्नति की तिथि से नये वेतनमान चुनने का विकल्प अनुमन्य नहीं है।

वार्षिक वेतनवृद्धि.—मूल नियम-26 के अंतर्गत किसी वेतनमान में की गयी समस्त सेवा उस वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु गिनी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई सरकारी सेवक भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाता है अथवा किसी उपक्रम या निगम आदि में वाह्य सेवा पर भेज दिया जाता है अथवा वह किसी प्रकार का नियमित अवकाश लेता है जिसमें पूर्ण वेतन मिले अथवा अर्द्धवेतन, यह सभी अवधियां वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु उस पद पर ड्यूटी गिनी जाती है जिस पद पर वह कार्यरत रहता है। यदि कोई सरकारी सेवक अपनी बीमारी के कारण चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर बिना वेतन का असाधारण अवकाश भी ले लेता है तो वह भी वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु ड्यूटी माना जाता है। अर्थात् उस अवधि के लिए उसकी वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि आगे नहीं खिसकायी जाती। यदि कोई कर्मचारी अन्य किसी प्रकार के बिना वेतन के असाधारण अवकाश पर रहता है तो उतनी अवधि के लिए उसकी वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि आगे खिसका दी जाती है। यदि असाधारण अवकाश उच्च अध्ययन हेतु या ऐसे कारण से लिया जाता है जो सरकारी सेवक के बस का न हो तो राज्यपाल महोदय विशेष रूप से आदेश दे सकते हैं कि उसे वेतन वृद्धि हेतु ड्यूटी गिना जाय।

स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि की स्वीकृति

नियुक्ति अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-170/दो-2-2000-19/2(18)/94, दिनांक 25-8-2000 में यह निदेश जारी किये गये कि चिकित्सा अनुभाग-11 के शासनादेश सं०प०क०-4601/16-11-79-9-155-80, दिनांक 23-2-80 के अनुसार ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने 40 वर्ष की आयु से पूर्व अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो तथा अपना अथवा यथास्थिति अपनी पत्नी या अपने पति या समस्त पत्नियों का नसबन्दी आपरेशन करा लिया हो अथवा 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वे सरकारी सेवक जिनका परिवार दो बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 9(23)(बी) के अंतर्गत उसकी अगली देय वेतनवृद्धि के बराबर की धनराशि का वैयक्तिक वेतन (पर्सनल पे) स्वीकृत होगा जो भविष्य में उसी पद पर या पदोन्नति पर भी पूर्ण सेवाकाल में मिलता रहेगा। प्रतिबन्ध यह है कि यह सुविधा ऐसे सरकारी सेवकों को देय नहीं होगी जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गयी हो या ऐसी कार्यवाही की अपेक्षानुसार निलम्बित किया गया हो या वेतन वृद्धिरोकने की शास्ति दी गयी हो।

इस प्रकार अतिरिक्त वेतन का लाभ सरकारी सेवक को उक्त शासनादेश की शर्तों को पूरा करने की अर्हता की तिथि से बनता है, सेवक द्वारा आवेदन करने की तिथि से नहीं।

चिकित्सा अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-जी-68/5-9-2000-9(236)/89, दिनांक 18 अप्रैल, 2000 में यह आदेश जारी किये गये हैं कि 1-1-96 से पूर्व वेतनमानों में स्वीकृत स्वैच्छिक परिवार कल्याण प्रोत्साहन के वैयक्तिक वेतन को इस प्रकार से 1-1-96 से पुनरीक्षित किया जाय कि

पुराने पद हेतु 1-1-96 से जो वेतनमान स्वीकृत किया गया हो, उसके आरम्भिक वेतनवृद्धि के बराबर हो जाय। यह पुनरीक्षित वैयक्तिक वेतन 1-1-1996 से देय हो जायेगा।

महंगाई भत्ता

सरकारी सेवकों को उन्हें देय वेतन पर महंगाई भत्ता भी स्वीकृत किया जाता है। मूल्य सूचकांक में निर्धारित वृद्धि होने पर, महंगाई भत्ते में भी तद्नुसार वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

महंगाई भत्ता पूर्णकालिक नियमित सेवाओं में कार्यरत सरकारी सेवकों को देय होता है अर्थात् दैनिक भुगतान या आकस्मिक व्यय की मद से भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को यह अनुमन्य नहीं होता। इसके अतिरिक्त वर्क चार्जड कर्मचारियों तथा ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी यह देय नहीं है।

उत्तर प्रदेश शासन ने यह निर्णय ले लिया है कि राज्य के सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों पर महंगाई भत्ता देय होगा जिन दरों पर केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलता है। भारत सरकार, मूल्य सूचकांक बढ़ने पर, प्रत्येक पहली जनवरी तथा पहली जुलाई से अर्थात् पूरे कैलेण्डर वर्ष में दो बार, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि कर देती है तथा उत्तर प्रदेश शासन भी उसी का अनुसरण करता है।

महंगाई भत्ता अवकाश की अवधि में भी देय होता है। इसकी गणना अवकाश वेतन की वास्तविक धनराशि पर की जाती है अर्थात् कर्मचारी जब पूरे वेतन पर अवकाश पर होता है तो उस पर महंगाई भत्ते की धनराशि भी परिगणित की जायेगी और जब अर्ध वेतन पर अवकाश पर होगा तब उसी अर्द्ध- वेतन की धनराशि पर देय महंगाई भत्ता की गणना की जायेगी। बिना वेतन के असाधारण अवकाश की अवधि में कोई महंगाई भत्ता देय नहीं है।

पहले महंगाई भत्ते का पूर्णांकन 10 पैसे में होता था परन्तु अब 50 पैसे से कम धनराशि को छोड़ दिया जाता है तथा 50 पैसे या अधिक को अगला एक रुपया बना दिया जाता है।

महंगाई भत्ता सेवानिवृत्त सरकारी पेंशनरों को भी शासन द्वारा समय-समय से स्वीकृत दरों पर देय होता है किन्तु इसको महंगाई राहत कहते हैं। यदि किसी कर्मचारी को दो पेंशनें मिलती हैं यथा एक अपने सेवानिवृत्त होने की पेंशन तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन, तो दोनों पेंशनों की धनराशियाँ जोड़ने पर जो योग आये उस पर महंगाई भत्ता देय होगा। सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी तथा मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना करने हेतु 1 जनवरी, 1996 से पूरा देय महंगाई भत्ता भी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु की तिथि को देय वेतन में जोड़कर जो योग आये उसके आधार पर ग्रेच्युटी की गणना की जायेगी।

यदि कोई सरकारी सेवक विदेश में प्रशिक्षण पर चला जाता है तो उसको पूरी अवधि के लिये महंगाई भत्ता देय होगा, यदि उसका परिवार उपरोक्त अवधि में भारत में ही रहता है।

निलम्बित कर्मचारी को जो जीवन निर्वाह भत्ता प्रति माह मिलता है उस पर महंगाई भत्ते की गणना की जायेगी।

1 जनवरी, 1996 से शासन ने सभी वेतन स्तर के सरकारी सेवकों को एक ही दर पर महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। 1 जनवरी, 1996 से नये वेतनमानों में निम्न प्रकार से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है :—

1-1-96 से 30-6-96 तक	शून्य
1-7-96 से 31-12-96 तक	4 प्रतिशत
1-1-97 से 30-6-97 तक	8 प्रतिशत
1-7-97 से 31-12-97 तक	13 प्रतिशत

(1) गृह निर्माण अग्रिम, मोटर कार, मोटर साइकिल तथा स्कूटर अग्रिम आदि की स्वीकृति में अन्य सरकारी सेवकों की अपेक्षा उनको प्राथमिकता दी जायेगी जिन्होंने परिवार नियोजन करा लिया है।

(2) नसबन्दी आपरेशन कराने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

(3) महिला कर्मचारियों को लूप लगवाने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(4) एक बार आपरेशन बिगड़ जाने पर दूसरी बार आपरेशन कराने हेतु भी विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जायेगा।

(5) महिला कर्मचारियों को गर्भपात कराने हेतु प्रत्येक बार 6 सप्ताह का पूर्ण वेतन पर विशेष प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। ऐसा अवकाश उनको अब सेवाकाल में असीमित बार मिल सकता है किन्तु इसके लिए राजकीय महिला चिकित्सालय की मुख्य अधीक्षिका का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। प्रसूति अवकाश के मध्य 2 वर्ष के अंतर होने की शर्त भी लागू नहीं होगी (विज्ञप्ति संख्या सा-4-484/दस, दिनांक 3-5-1990)।

चिकित्सा अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-4601/16-11-79-91-155/99, दिनांक 23-2-80 द्वारा ऐसे सरकारी सेवकों को, जिन्होंने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा है, कतिपय शर्तों के अधीन प्रोत्साहन के रूप में एक वेतनवृद्धि के बराबर धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में दिनांक 1-9-79 से स्वीकृत की गयी है तथा शासनादेश संख्या वे०आ०-1-1928/दस-46 (एम) 1982, दिनांक 29-5-82 द्वारा उपरोक्त वैयक्तिक वेतन को दिनांक 1-7-79 से स्वीकृत नये वेतनमानों के आधार पर देने के आदेश जारी किये गये हैं। शासनादेश संख्या 3258/16-11-85-6 (70)/85, दिनांक 5-7-1985 द्वारा वैयक्तिक वेतन स्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया गया है :—

(1) जिन्होंने 40 वर्ष की आयु के पूर्व अपना परिवार दो बच्चों तक सीमित रखा हो और अपनी या अपनी पत्नी की नसबंदी करा ली हो।

अथवा

(2) 40 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कर्मचारी जिनके परिवार दो बच्चों तक सीमित हों और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो।

(3) शासनादेश संख्या वे०आ०-1-3148/दस-46(एम)/82, दिनांक 16-10-82 के अनुसार उक्त वैकल्पिक वेतन सेवानिवृत्ति की तिथि तक मिलता रहेगा।

(4) शासनादेश संख्या 2540/5-11-90-9(235)/89, दिनांक 6-2-91 में यह सुविधा प्रदान की गयी है कि उपरोक्त स्वीकृत वैयक्तिक वेतन को बढ़ाकर समकक्ष पद हेतु पुनरीक्षित वेतनमान जो 1 जनवरी, 1986 से समता समिति की संस्तुतियों के अनुसार स्वीकृत किया गया हो उसकी प्रथम वेतनवृद्धि की धनराशि के बराबर कर दिया जायेगा।

शासनादेश संख्या 68/5-9-2000-9(236)/89, दिनांक 18 अप्रैल, 2000 द्वारा यह आदेश जारी किये गये हैं कि जिस पद पर प्रोत्साहनस्वरूप वैयक्तिक वेतन स्वीकृत किया गया था उस पद हेतु दि० 1-1-96 से जो वेतनमान स्वीकृत किया गया हो उसके न्यूनतम वेतनवृद्धि अर्थात उस वेतनमान की प्रथम वेतनवृद्धि की धनराशि के बराबर कर दिया जायेगा। यह वृद्धि दि० 1-1-96 से की जायेगी।

यह लाभ उन सरकारी सेवकों को देय नहीं होता जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही चल रही हो।

अध्याय-18

वाहन, प्रोत्साहन, नगर प्रतिकर एवं नान-प्रैक्टिसिंग भत्ते आदि
(Conveyance, Incentive, City Compensatory and Non-practicing Allowances etc.)

सरकारी सेवकों को नगर प्रतिकर भत्ता, वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता तथा वर्दी धुलाई भत्ता आदि भी मिलता है। इनको प्रतिकर भत्ता माना जाता है। मूल नियम 9(5) के अनुसार प्रतिकर भत्ता उनको कहते हैं जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ड्यूटी करने में होने वाले अतिरिक्त निजी व्यय को वहन करने हेतु दिये जाते हैं। मूल नियम 44 के अनुसार इनको इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए कि वे लाभ के साधन न हों।

नगर प्रतिकर भत्ता.—शासनादेश संख्या जी-1-375/दस-99-203/99 दिनांक 10 जून 1999 द्वारा 1 जून 1999 से कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, आगरा तथा इलाहाबाद नगरों में कार्यरत समस्त पूर्णकालिक सरकारी सेवकों को निम्नलिखित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता स्वीकृत किया गया है :—

मूल वेतन	नगर प्रतिकर भत्ता की दरें (रु०)		
	कानपुर	लखनऊ तथा वाराणसी	बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, आगरा तथा इलाहाबाद
1	2	3	4
3,000 से कम	55	40	25
3,000 से 5,499	80	60	40
5,500 से 7,999	120	90	60
8,000 तथा अधिक	150	120	100

मूल वेतन का तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है।

उपर्युक्त नगरों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य नगर में नगर प्रतिकर भत्ता दिया जा रहा है तो वह दिनांक 1 जून 1999 से आहरित नहीं किया जायेगा।

शासनादेश संख्या जी-1-890/दस-99-203/99, दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 में ये आदेश जारी किये कि नगर प्रतिकर भत्ते की अनुमन्यता हेतु, उपरोक्त शासनादेश संख्या जी-1-375/दस, दिनांक 10 जून, 1999 के स्तम्भ-2 में कानपुर के साथ नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्धनगर) को भी जोड़ दिया जाय तथा मुरादाबाद और अलीगढ़ नगरों को नगर प्रतिकर भत्ते की अनुमन्यता हेतु, उक्त शासनादेश दिनांक 10-6-99 के स्तम्भ-4 में अंकित, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, आगरा और इलाहाबाद के साथ वर्गीकृत कर दिया जाय।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी राज्य कर्मचारियों के समान उक्त संशोधित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य होगा।

ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को जो उ० प्र० के बाहर नियुक्त हैं, नगर प्रतिकर भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को उतने वेतन पर देय हो।

शासनादेश संख्या जी-1-527/दस-203/99, दिनांक 22 जुलाई, 1999 में ये आदेश जारी किए गये कि कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, आगरा तथा इलाहाबाद नगरों में कार्यरत सहायताप्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर समस्त पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्हें नगर प्रतिकर भत्ता पूर्व में अनुमन्य था, 1 जून, 1999 से उपरोक्त पुनरीक्षित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता देय होगा।

उपरोक्त 1.6.99 से प्रभावी दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा कतिपय अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में तभी लागू होंगे जब वे इसको अपने यहाँ लागू करने का निर्णय लें।

अवकाश की अवधि में भी नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य होगा यदि यह 120 दिन से अधिक का न हो और यदि अवकाश की अवधि इससे अधिक है, तो केवल प्रथम 120 दिन की अवधि के लिए यह अनुमन्य होगा जैसा कि सहायक नियम 1-A (3) में व्यवस्था है।

वाहन भत्ता

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 82, के अनुसार शासन किसी ऐसे सरकारी सेवक को मासिक वाहन भत्ता स्वीकृत कर सकता है जिनको मुख्यालय पर अथवा मुख्यालय से कुछ दूरी पर सरकारी काम से जाना होता है तथा जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होता। वाहन भत्ता पूरे वर्ष मिलता है तथा मुख्यालय से अनुपस्थित की अवधि में इसमें कोई कटौती नहीं की जाती। यह अन्य यात्रा भत्ता, जो नियमानुसार देय है, के अतिरिक्त मिलता है। जिन अधिकारियों को मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड रखने का मासिक वाहन भत्ता मिलता है उनको इन साधनों से यात्रा करने में मील भत्ता अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होता है। जिन सरकारी सेवकों को उपरोक्त वाहन भत्ता देय होता है उनकी सूची वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 की परिशिष्ट VIII, में दी गई है।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-4-229/दस-2000-626/2000, दिनांक 10 मार्च 2000 के अनुसार वाहन भत्ता की प्रचलित दरें निम्नवत हैं :—

क्रम संख्या	वाहन का नाम	वाहन भत्ते की वर्तमान दरें रुपये प्रतिमाह	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरें प्रतिमाह
1	2	3	4
1.	मोटरकार (जहां औसत स्थानीय यात्रा 400 कि०मी० प्रतिमाह से अधिक होती है	रु० 300/-	रु० 800/-
2.	मोटर साइकिल/स्कूटर	रु० 120/-	रु० 350/-
3.	मोपेड	रु० 50/-	रु० 150/-
4.	साइकिल	रु० 20/-	रु० 50/-

प्रोत्साहन भत्ता

शासनादेश संख्या जी-1-1406/दस-238/89, दिनांक 24 दिसम्बर, 1991 द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों/कार्यालयों में कम्प्यूटरों को संचालित करने हेतु ऐसे अधिकारियों/

कर्मचारियों को, जो अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त कम्प्यूटर भी संचालित करते हैं, रु० 150/- प्रतिमाह तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये रु० 100/- प्रतिमाह का प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत किया गया था, जिसे दिनांक 10.4.2000 से, शासनादेश संख्या जी-1-243/दस-2000-202/2000. दिनांक 10-4-2000 द्वारा रु० 200/- प्रतिमाह कर दिया गया है।

यह भत्ता केवल लिपिकवर्गीय कर्मचारियों, जिनमें आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव भी सम्मिलित हैं, को देय होगा।

उपरोक्त भत्ते की अनुमन्यता में यह भी शर्त रखी गई है कि सरकारी सेवक प्रत्येक माह कम से कम 7 दिन तथा सात दिन में कम से कम 35 (पैंतीस) घन्टे कम्प्यूटर संचालित करता है।

नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता

प्रादेशिक चिकित्सा सेवा के अधिकारी तथा राजकीय मेडिकल कालेज के अध्यापक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इस प्रतिबन्ध के एवज़ में उन्हें नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता दिया जाता है। वर्तमान में प्रभावी इस भत्ता की दरें इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का वेतन	नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता की दरें
1.	रु० 10,000 से कम	रु० 1500
2.	रु० 10,000 से 11,999 तक	रु० 2000
3.	रु० 12,000 एवं उससे अधिक	रु० 2250

किन्तु अधिकारी का वेतन तथा नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता का योग रु० 25,550/- से अधिक नहीं होना चाहिए। इस अधिकतम सीमा से अधिक भत्ता की धनराशि नहीं मिलेगी।

उदाहरण.—यदि 'क' का वेतन रु० 24000/- है तो

वेतन	रु० 24000
+ भत्ता	रु० 2250
योग	रु० 26050

किन्तु 'क' को रु० 25,550 ही मिलेगा अर्थात भत्ता के रूप में उसे रु० 1550 ही मिलेगा।

अवकाश अवधि में देय भत्ते

शासनादेश संख्या सा-4-871/दस-1999, दिनांक 25-3-2000 में यह स्पष्टीकरण जारी किया गया कि अवकाश की अवधि में सामान्यतया जो विशेष वेतन अथवा भत्ते किसी कार्य विशेष के लिये दिये जाते हैं उन्हें अवकाश अवधि में दिये जाने का औचित्य नहीं है, परन्तु जो विशेष वेतन/भत्ते वैयक्तिक योग्यता के आधार पर देय होते हैं, वे सवेतन अवकाश में दिये जाने चाहिये, यथा स्नातकोत्तर भत्ता, परिवार कल्याण भत्ता, वैयक्तिक योग्यता भत्ता। इन विशेष वेतन तथा अन्य भत्तों का भुगतान अवकाश की अवधि में अधिकतम 120 दिन की सीमा के अन्तर्गत अनुमन्य होगा, अर्थात 120 दिन से अधिक के सवेतन अवकाश के प्रकरणों में यह भत्ते 120 दिन तक ही अनुमन्य होंगे।

अध्याय – 19

यात्रा भत्ता
(Travelling Allowance)

सरकारी सेवकों द्वारा जनहित में की गयी यात्रा में जो व्यय होता है उसकी प्रतिपूर्ति हेतु जो भत्ता दिया जाता है उसको "यात्रा-भत्ता" कहते हैं। यात्रा-भत्ता एक प्रतिकर भत्ता है। इससे संबंधित नियम वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-3 में दिये हैं तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा उनमें संशोधन होते रहते हैं। यात्रा-भत्ता की अनुमन्यता के बारे में निम्नलिखित प्रावधान हैं :—

(1) नियम 1 (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3)

वास्तविक यात्रा व्यय :—

वास्तविक यात्रा व्यय से तात्पर्य सरकारी कर्मचारी के उसके व्यक्तिगत सामान सहित यात्रा पर आने-जाने वाले व्यय से है। इसमें जहां आवश्यक हो उसमें नाव या पीपे के पुलों का टैक्स एवं टोल तथा कैम्प सामान की ढुलाई का व्यय सम्मिलित होगा।

(2) नियम 5—दिन :—

दिन से तात्पर्य मध्यरात्रि से प्रारंभ होकर मध्यरात्रि को समाप्त होने वाले कैलेण्डर दिन से है।

(3) नियम 5-ए—दैनिक भत्ता :—

यह सामान्य भत्ता है जो मुख्यालय से आठ किलोमीटर की परिधि से बाहर ड्यूटी पर होने के कारण मुख्यालय में प्रत्येक अनुपस्थिति के दिन के लिए दौरे के कारण सामान्य दैनिक व्यय पूर्ति करने के उद्देश्य से कर्मचारी को स्वीकृत किया जाता है। यदि अवस्थान कम से कम 8 घण्टे हो।

(4) नियम 6—परिवार में कर्मचारी के निम्नांकित संबंधी सम्मिलित हैं :—

(1) पति या पत्नी जैसा मामला हो, किन्तु एक से अधिक पत्नी नहीं।

(2) वैधानिक बच्चे यदि वे कर्मचारी के साथ रहते हों और उस पर पूरी तरह से आश्रित हों।

(3) सौतेले बच्चे।

(4) माता-पिता।

(5) अविवाहित बहनें (जिसका गौना न हुआ हो)।

(6) अवयस्क भाई (18 वर्ष से कम आयु का)।

(5) नियम 9-ए—मील भत्ता :—

मील भत्ता का तात्पर्य यात्रा-भत्ता के उस प्रकार से है जो यात्रा की दूरी के आधार पर आगणित की जाती है और जो किसी यात्रा विशेष के व्यय के वहन करने के लिये दिया जाता है। जैसे - वायुयान, रेल या बस का किराया।

(6) नियम 11—जन सामान्य का यात्रा साधन :—

जनसामान्य का यात्रा साधन से तात्पर्य रेल सेवा अथवा यात्रा के अन्य साधन जो नियमित रूप

से जन सामान्य के लिये चलाये जाते हैं, से है किन्तु इसमें टैक्सी या अन्य यात्रा के साधन, जिन्हें यात्रा-विशेष के लिए किराये पर लिया जाता है, सम्मिलित नहीं हैं।

(7) नियम 11-ए —पहाड़ :—

विशेष दर से यात्रा-भत्ता की गणना हेतु निम्नांकित क्षेत्र पहाड़ माने जाते हैं :—

(1) देहरादून जिले में पूरी चकराता तहसील एवं देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में गंगा एवं यमुना नदियों के बीच पड़ने वाले मसूरी पहाड़ियों का वह क्षेत्र जो राजपुर से अधिक ऊँचाई पर है।

(2) नैनीताल एवं गढ़वाल में सबमोन्टन सड़कों से ऊपर का क्षेत्र।

(3) मिर्जापुर जिले में कैमूर रेंज एवं सोन नदी के दक्षिण का क्षेत्र।

(4) सम्पूर्ण टेहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा जनपद।

(8) सामान्य नियम :—

नियम-12 ए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 तथा 12-1 बजट मैनुअल :—

(क) यात्रा भत्ता प्रतिपूरक भत्ता है और इसे इस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए कि वे प्राप्तकर्ता के लिए लाभ का स्रोत न बने।

(ख) यात्रा भत्ता क्लेम का पुनरीक्षण सामान्यतः स्वीकार्य नहीं है।

(ग) केवल जहां वि०नि० संग्रह, खण्ड-3 में विशेष रूप से प्राविधानित है, उसके अलावा सरकारी कार्य से कर्मचारी के यात्रा पर उसके साथ परिवार के यात्रा व्यय कर्मचारी को देय न होगा।

(घ) यात्रा प्रारम्भ होने या समाप्त होने का बिन्दु जिलाधिकारी कार्यालय माना जायेगा किन्तु यदि जिलाधिकारी कार्यालय न हो, अथवा यदि यात्रा प्रारम्भ या समाप्ति स्थल से रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड की दूरी 8 किलोमीटर से अधिक हो तो वास्तविक प्रस्थान या गन्तव्य बिन्दु को ही यात्रा प्रारंभ या समाप्ति का बिन्दु माना जायेगा। (नियम-14 तथा परिशिष्ट-5)

(9)(च) यदि दो स्थानों के बीच यात्रा के लिए रेलों अथवा सड़कों की वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव है तो, वास्तविक यात्रा मार्ग के अनुसार यात्रा-भत्ता का आगणन किया जायेगा, परन्तु यह कि—

(1) यदि वास्तविक यात्रा मार्ग एवं वैकल्पिक यात्रा मार्ग में खर्च एवं लगने वाले समय की दृष्टि से काफी अंतर हो और

(2) नियंत्रक अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि लम्बे मार्ग से यात्रा करना जनहित में न हो, तो वह आदेश दे सकता है कि यात्रा-भत्ता का आगणन सबसे कम दूरी वाले और सस्ते मार्ग के आधार पर किया जाय।

(छ) यदि दो स्थानों के बीच बस एवं रेल दोनों हों तो यात्रा रेल द्वारा की जानी चाहिए बशर्ते कि बस यात्रा रेल यात्रा से सस्ती न हो अथवा नियंत्रक अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि बस यात्रा किया जाना जनहित में है। (नियम-14-ए)

दिनांक 1-6-99 से यात्रा-भत्ता की प्रभावी दरें निम्नवत हैं (शासनादेश संख्या-4-395/दस-99-600/99, दिनांक 11-6-99) :—

क्र०सं०	वेतन सीमा	किस साधन से यात्रा अनुमन्य	आनुषंगिक व्यय	स्थानीय मील भत्ता
1.	रु० 25000 या अधिक	वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास	रु० 30.00 प्रति ट्रिप	रु० 4.00 प्रति कि० मी०
2.	रु० 18400 से 24999 तक	वायुयान द्वारा अथवा रेल का ए.सी.(I) अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास	एयर रु० 30.00 रेल 11 पैसा प्रति कि० मी०	रु० 4.00 प्रति कि० मी०
3.	रु० 16400 से 18399 तक	रेल का ए.सी.(I) तथा 500 कि० मी० से अधिक यात्रा पर वायुयान अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास	एयर रु० 30.00 रेल 11 पैसा प्रति कि० मी०	रु० 4.00 प्रति कि० मी०
4.	रु० 8000 से 16399 तक	रेल की प्रथम श्रेणी या ए.सी.(II) कोच 2 टियर या शताब्दी में ए.सी. चेयर क्लास	11 पैसा प्रति कि० मी०	रु० 4.00 प्रति कि० मी०
5.	रु० 5000 से 7999 तक	रेल प्रथम श्रेणी या ए. सी.(III) टियर कोच या ए.सी. चेयर कार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)	8 पैसा प्रति कि० मी०	रु० 4.00 प्रति कि० मी०
6.	रु० 5000 से कम	रेल की द्वितीय श्रेणी (स्लीपर)	5 पैसा प्रति कि० मी०	रु० 4.00 प्रति कि० मी०

क्र०सं०	वेतन सीमा	दैनिक भत्ता की दरें			नोट
		'क' वर्ग (शहर ए)	'ख' वर्ग (शहर बी)	'ग' वर्ग (शहर सी)	
1.	रु० 16400 या अधिक	रु० 155.00	रु० 125.00	रु० 100.00	उ० प्र० के बाहर उक्त दरों पर सभी को उसी दर से दैनिक भत्ता देय
2.	रु० 8000 से 16399 तक	रु० 140.00	रु० 110.00	रु० 90.00	
3.	रु० 6500 से 7999 तक	रु० 120.00	रु० 95.00	रु० 80.00	

4.	रु० 4100 से 6499 तक	रु० 100.00	रु० 80.00	रु० 65.00	होगा जो केन्द्रीय कर्मचारियों के वहाँ ठहरने में मिलता है। होटल में ठहरने की विशेष दरें भी अनुमन्य होंगी।
5.	रु० 4100 से कम	रु० 65.00	रु० 50.00	रु० 40.00	

'क' वर्ग के शहरों में रु० 8000.00 या अधिक वेतन वाले जिन्हें होटल अथवा अन्य संस्थानों में ठहरना पड़े, पूर्व शर्तों के अनुसार, निम्न दरों से विशेष दरें—

1. रु० 16400.00 या अधिक वेतन वाले — रु० 400.00
2. रु० 8000.00 से 16399 वेतन वाले — रु० 300.00

शासनादेश संख्या-सा-4-802/दस-99-600/99 टी०सी०, दिनांक 1-11-99 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि शासन में तैनात विशेष सचिव, चाहे उनका वेतन रु० 16400 प्रति माह से कम हो किन्तु रुपये 12750/- से कम न हो, रेल के वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) में यात्रा कर सकते हैं तथा यदि दूरी 500 किलोमीटर से अधिक है तो वायुयान से भी यात्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जो जनपद अथवा क्षेत्र स्तर पर तैनात हों और उनका वेतन रु० 12750/- से कम न हो, भी उक्त सुविधाओं के हकदार होंगे। यह संशोधन 1-11-1999 से प्रभावी है।

शासनादेश संख्या-सा-4-78/दस-2000, दिनांक 29-2-2000 द्वारा यह सुविधा प्रदान की गई कि लोकहित में निरस्त की गई यात्राओं से सम्बन्धित अप्रयुक्त वायुयान टिकटों की वापसी पर निरस्तीकरण प्रभार की प्रतिपूर्ति कार्यालय के प्रासंगिक व्यय से कर देनी चाहिये। इसके लिये इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि यात्रा जनहित में निरस्त करनी पड़ी।

जिले के बाहर ट्रान्सफर पर एकमुश्त भुगतान के स्थान पर अब कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट देय होगा। यह मूल वेतन के आधे के बराबर होगा किन्तु अधिकतम रु० 10000.00. पैकिंग भत्ता, सड़क मील भत्ता तथा आनुषंगिक व्यय अब अलग से नहीं देय होंगे (स्थानान्तरण पर)।

जिले के अन्दर ट्रान्सफर पर पैकिंग भत्ता निम्न प्रकार से देय होगा :—

1. रु० 6500.00 या अधिक वेतन वाले — रु० 500.00 प्रति माल
2. रु० 6499.00 तक वेतन वाले — रु० 250.00 प्रति माल

सामान की ढुलाई मालगाड़ी से अपने रिस्क पर

क्र०सं०	वेतन सीमा	सामान की ढुलाई की सीमा
1.	रु० 16400 या अधिक	6000 किलोग्राम अथवा 4 पहियों का एक वैगन
2.	रु० 8000 से 16399 तक	6000 किलोग्राम अथवा 4 पहियों का एक वैगन
3.	रु० 6500 से 7999 तक	3000 किलोग्राम
4.	रु० 4100 से 6499 तक	2500 किलोग्राम
5.	रु० 4100 से कम	1250 किलोग्राम

यदि अकेले यात्रा की जाती है तो उपरोक्त सीमा का दो तिहाई मिलेगा।

सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की गई यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23 (बी)(2) के अधीन सड़क मील भत्ता अनुमन्य है। सरकारी सेवकों की नये वेतनमानों में सड़क मील भत्ता अब निम्न प्रकार देय होगा :—

(I) रु० 10000 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :—

(क) अपनी या किराये की गाड़ी से मोटरकार, मोटर ट्रक, मोटर कैरियर या जीप कार से प्रतिमाह की गई सड़क यात्राओं के लिए

		रुपये प्रति कि० मी०	
		पेट्रोल चालित वाहन वाहन	डीजल चालित
(1)	प्रथम 500 कि० मी० तक तय की गई दूरी के लिये।	रु० 4.50	रु० 3.50
(2)	500 कि० मी० से अधिक परन्तु 1200 कि० मी० तक तय की गई दूरी के लिये।	रु० 3.25	रु० 2.75
(3)	1200 कि० मी० से अधिक तय की गई दूरी के लिये।	.....शून्य.....	
(ख)	उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर साइकिल/स्कूटर इत्यादि से की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 2.00 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 400 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।	
(ग)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 0.60 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 120 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।	

(II) रु० 10,000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :—

(क)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधन से की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 2.00 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 400 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।
(ख)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 0.60 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रुपये 120 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।

कोटि एक तथा दो के सरकारी सेवक दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास में सरकारी कार्यवश टैक्सी से की गयी यात्राओं का वास्तविक व्यय पायेंगे तथा कोटि 3 व 4 के कर्मचारी उक्त शहरों में तिपहिया वाहन से की गई यात्राओं का वास्तविक व्यय पायेंगे। कोटि एक के अधिकारियों को यह व्यय दैनिक भत्ते में बिना किसी कटौती के अनुमन्य होगा परन्तु कोटि 2, 3 तथा 4 के सरकारी सेवकों के दैनिक भत्ते में एक चौथाई कटौती कर दी जायेगी (शासनादेश संख्या-सा-4-646/दस-81-629/88, दिनांक 28-4-81)।

कोटि एक के अधिकारी बंगलौर, पटना, हैदराबाद, शिमला, अहमदाबाद, चंडीगढ़ एवं श्रीनगर में भी टैक्सी से यात्रा कर सकते हैं और उनके दैनिक-भत्तों में कोई कटौती नहीं की जायेगी (23-बी (4) के नीचे अपवाद)।

जब पी०ए०सी०/पुलिस बल के सदस्य विशिष्ट अभियान में बीहड़ क्षेत्र में डकैतों का पीछा करते हुए जायें उस अवधि के लिए उपरोक्त दर पर अनुमन्य दैनिक भत्ते की दर से दुगुनी दर पर दैनिक भत्ता देय होगा। दैनिक-भत्ता 8 घंटे ठहरने पर ही अनुमन्य होगा।

शासनादेश संख्या-सा-4-578/दस-2000, दिनांक 4-8-2000 द्वारा यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि निम्नलिखित सुविधायें जो शासनादेश संख्या-सा-4-73/दस-89-603/88, दिनांक 4 मार्च, 1989 में स्वीकृत की गई थीं, वे नयी दरों के शासनादेश संख्या-सा-4-395/दस-99-600/99, दिनांक 11-6-99 के जारी होने से प्रभावित नहीं होंगी और पूर्व की भाँति मिलती रहेंगी :—

1. "क" वर्ग के नगरों से भिन्न प्रदेश के अन्य पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले शासकीय सेवक साधारण दर पर अनुमन्य दैनिक भत्ता के ऊपर 25 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार होंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा भत्ता नियमों के अधीन अन्यथा अनुमन्य हो।
2. प्रदेश के पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले सरकारी सेवक अनुमन्य रोड किलोमीटर भत्तों की दरों में 33-1/3 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार होंगे।
3. जब पी०ए०सी०/पुलिस दल के सदस्य विशेष अभियान के संदर्भ में वास्तविक भिड़न्त इत्यादि के लिए अपने अस्थायी पड़ाव (बेस कैम्प) से क्षेत्र में जायें, जैसे एन्टी डक्वायटी अभियान में बेस कैम्प से बीहड़ क्षेत्र में डकैतों का पीछा करते हुए जायें, तो उन्हें उस अवधि के लिए नियमानुसार अनुमन्य दैनिक भत्ता की दर से दुगुनी दर पर दैनिक भत्ता ग्राह्य होगा।
4. महालेखाकार कार्यालय, उ० प्र० इलाहाबाद/लखनऊ तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ के लिए सरकारी दौरे पर जाने वाले सरकारी सेवकों को नियमानुसार अनुमन्य दैनिक भत्ते के अलावा प्रतिदिन 10 रुपये की धनराशि अतिरिक्त दैनिक भत्ते के रूप में अनुमन्य है।

निम्न परिस्थितियों में नियंत्रक अधिकारी एक दिन का दैनिक-भत्ता अनुमन्य कर सकते हैं:—

(क) सरकारी कार्यवश गन्तव्य स्थान पर वहां दो तिथियों को मिलाकर 8 घण्टे या उससे अधिक का रात्रि अवस्थान हुआ हो।

(ख) यदि यात्रा के दौरान रात्रि में अगली बस, रेल अथवा वायुयान की प्रतीक्षा में 4 घंटे या उससे अधिक का अवस्थान करना पड़े।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के नियम 249 (सी) (2) में अग्रिम यात्रा भत्ता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-सा-2461/दस-622-76, दिनांक 24-12-79 तथा शासनादेश संख्या-सा-1644/दस-25-622-76, दिनांक

28-9-85 के अंतर्गत राज्य सरकार के अधिकारियों को सरकारी कार्यवश मुख्यालय से बाहर दौरे पर जाने पर अवस्थान की अवधि में दैनिक-भत्ता, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-27 (डी) के अनुसार अनुमन्य है। प्रशिक्षण एवं साधारण दौरे की अवधि में दैनिक-भत्ता निम्न प्रकार ग्राह्य होगा :—

क्रम संख्या	साधारण दौरा	प्रशिक्षण
1.	प्रथम 30 दिन तक पूरी दर पर।	प्रथम 45 दिन तक पूरी दर पर।
2.	30 दिन से ऊपर शेष 150 दिन तक आधी दर पर।	45 दिन से ऊपर शेष 135 दिन आधी दर पर।
3.	180 दिन के बाद शून्य (10 दिन से अधिक का दैनिक भत्ता विशेष अनुमति से देय होगा)।	180 दिन के बाद शून्य।

स्थानान्तरण पर सड़क से यात्रा के लिए बस यात्रा में :—

सरकारी सेवक को कोटि के लिए स्वीकार्य श्रेणी की बस की एक सीट का किराया। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक-एक सीट के लिए वास्तव में दिया गया किराया जो सरकारी कर्मचारी के कोटि के अनुसार बस यात्रा के लिए स्वीकार्य होगा। जबकि कोटि एक या दो का अधिकारी अपनी स्वयं या मंगनी की कार या अन्य साधन जिसका परिवहन व्यय वह स्वयं वहन करे तो उसे निम्नांकित दर से यात्रा व्यय देय होगा—

(1) स्वयं के लिये

सड़क कि० मी० भत्ता उसकी कोटि के लिए निर्धारित दर पर।

(2) परिवार के लिए

एक-सड़क कि० मी० भत्ता सरकारी सेवक के अलावा परिवार के दो सदस्यों के यात्रा करने पर तथा दो-सड़क कि० मी० भत्ते यदि सरकारी सेवक के अतिरिक्त परिवार के दो से अधिक सदस्य यात्रा करते हों। इस हेतु परिवार के सदस्यों की संख्या व संबंध विषयक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। कुमायूं, उत्तराखण्ड डिवीजन तथा देहरादून के पर्वतीय स्थलों के पर्वतीय क्षेत्रों के उन स्थानों के बीच जहां मेंटल्स रोड्स नहीं हैं और मोटर बस, गाड़ी अथवा ठेले प्रयोग में नहीं लाये जा सकते हैं, स्थानान्तरण के समय सरकारी सेवकों को उनके निजी घरेलू सामान के ढुलाई के लिए रु० 1.50 प्रति कि० मी० प्रति 40 कि० ग्रा० की दर से अनुमन्य होता है।

सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति पर घर जाने के लिए उसे तथा उसके परिवार को एवं सामान के लिए स्थानान्तरण की दरों पर यात्रा-भत्ता देय होता है। यदि कम से कम तीन वर्ष की सेवा के पश्चात् कर्मचारी का देहान्त हो जाता है तो उसके परिवार को घर जाने के लिए समस्त सदस्यों को एवं सामान के लिए स्थानान्तरण की दरों पर यात्रा-भत्ता अनुमन्य होता है किन्तु स्थानान्तरण पर जो एकमुश्त भुगतान मिलता है वह मृत्यु की दशा में परिवार को नहीं मिलेगा। मृत्यु पर परिवार के सभी सदस्यों को आनुषंगिक व्यय दुगुनी दर पर मिलेगा। यात्रा मृत्यु की तिथि से छः माह के अन्दर कर लेनी चाहिए (नियम 81 (ए) तथा 81-बी)।

अन्य प्रकीर्ण व्यवस्थायें

(1) यात्रा करने के पूर्व नियंत्रक अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर लेना चाहिये।

(2) यात्रा-भत्ता नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिये।

(3) प्रतिहस्ताक्षर करने के पूर्व नियंत्रक अधिकारी को देखना चाहिये कि दैनिक भत्ता अधिक दिन का तो नहीं लिया गया तथा अन्य मदों की जाँच करके ही और किस श्रेणी में रेल की यात्रा की के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रतिहस्ताक्षर करना चाहिये।

(4) यात्रा-भत्ता के रजिस्टर का रख-रखाव करना चाहिये।

(5) यदि यात्रा समाप्ति के एक वर्ष के अन्दर यात्रा भत्ता कोषागार में पारित होने हेतु नहीं पहुँच जाता तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा उसको स्वीकार करने की विशेष रूप से स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय (शा०आ० संख्या-ए-1-2923/दस, 18-9-85)।

अध्याय 20

अवकाश नियम
(Leave Rules)

उत्तर प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्न प्रकार के अवकाश अनुमन्य हैं :—

1. अर्जित अवकाश (Earned Leave)
2. चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश (Leave on Medical Certificate)
3. निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर अवकाश (Leave on half-pay on Private Affairs)
4. राशिकृत अवकाश (Commuted Leave)
5. विशेष विकलाँगता अवकाश (Special Disability Leave)
6. अध्ययन अवकाश (Study Leave)
7. चिकित्सालय अवकाश (Hospital Leave)
8. बिना वेतन का असाधारण अवकाश (Extra-ordinary Leave without Pay)
9. महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश (Maternity Leave to Female Govt. Servants)
10. संगरोध अवकाश (Quarantine Leave)
11. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
12. प्रतिकर अवकाश (Compensatory Leave)
13. पागल कुत्ता आदि के काटने पर विशेष अवकाश (Special Leave for Anti-Rabic Treatment)

स्थायी तथा अस्थायी सरकारी सेवकों को प्रत्येक प्रकार के अनुमन्य अवकाश को नीचे तालिका में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है :—

क्र० सं०	अवकाश की प्रकृति	नियम अथवा शासनादेश	विवरण	किसको अनुमन्य
1.	अर्जित अवकाश (Earned Leave)	मूल नियम 81-B(1) तथा सहायक नियम 157-A, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2, भाग 2-4 तथा शासनादेश संख्या-सा-4-1751/दस-	दिनांक 1-1-1978 से प्रभावी नई प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक सरकारी सेवक के लेखे में 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन अर्थात् कुल 31 दिन का अर्जित अवकाश प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में जमा किया जायेगा। किन्तु जमा अवकाश एक समय में पहले 240 दिन से अधिक नहीं होता था लेकिन दिनांक 1-7-99 से 300 दिन कर दिया गया है। [illegible] सा-4-392/	स्थायी एवं अस्थायी सरकारी सेवकों को पूरे वेतन पर अनुमन्य।

			एक बार में कुल 120 दिन तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, यदि भारत में व्यतीत किया जाय। यदि भारत के बाहर लिया जाता है, तो 180 दिन तक एक बार में मिल सकता है। यह पूरे वेतन पर देय होता है (मूल नियम 87-ए तथा सहायक नियम 157-ए)। एक माह में कुल 2½ दिन का अवकाश अर्जित किया जायेगा। यदि नियुक्ति माह के बीच में होती है, तो उसके अगली माह की पहली तारीख से अर्जन होगा (शासनादेश संख्या-सा-4-488/दस-700/88, दिनांक 25-8-89)। अवकाश लेखा प्रपत्र 11-सी, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2 से 4 में रखा जायेगा। यह सेवा पुस्तिका में लगा रहेगा। जो कर्मचारी किसी छमाही में बिना वेतन के असाधारण अवकाश पर रहता है तो उसके 1/10 के बराबर अवधि अगली छमाही में जमा होने वाले अर्जित अवकाश से घटा दी जायेगी।	
		सहायक नियम 38-40	अवकाश आरंभ होने के पूर्व तथा उसके पश्चात् पड़ने वाले रविवार एवं राजपत्रित छुट्टियों को अवकाश से संयुक्त (प्रीफिक्स/सफिक्स) किया जा सकता है। अवकाश स्वीकृति के आदेश में इसका उल्लेख होना चाहिये। इसमें द्वितीय शनिवार तथा निर्बन्धित अवकाश को भी मिलाया जा सकता है (शासनादेश संख्या सा-4-जीआई-45/दस-88-201/87, दिनांक 19-1-1989) (दिनांक 19-1-89 से प्रभावी)।	
2.	चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश Leave on Medical Certificate	मूल नियम 81-बी(2), वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 भाग 2 से 4	पूरी सेवा में 12 माह, पूरे वेतन पर स्थायी कर्मचारियों को एवं उन अस्थायी कर्मचारियों को अनुमन्य जिन्होंने 3 वर्ष या इससे अधिक की अस्थायी नियमित सेवा कर रखी हो। अस्थायी सेवा में कार्य एवं आचरण अच्छा होना चाहिए तथा उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हो	स्थायी सरकारी सेवकों को तथा 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले

	रही है। [illegible] Post पर नियुक्त हैं और अनिश्चित (Contract) पर नियुक्त [illegible] हैं। उसकी [illegible] समाप्त होनी चाहिए।	अस्थायी सेवकों को पूरे वेतन पर।
	उक्त 12 माह बाद अवधि समाप्त होने पर स्थायी सेवकों को 6 माह का चिकित्सा अवकाश, आधे वेतन पर, मेडिकल बोर्ड की संस्तुति पर और स्वीकृत किया जा सकता है।	स्थायी कर्मचारियों को आधे वेतन पर।
सा-4-1752/दस-200(2)77, दिनांक 20-6-78 सहायक नियम 89-93	राजपत्रित अधिकारियों को 3 माह तक चिकित्सा अवकाश तो किसी एक प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर स्वीकृत किया जा सकता है। इससे अधिक के लिये मेडिकल बोर्ड के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।	पूरे वेतन पर
सहायक नियम 157-ए	3 वर्षों से कम की अस्थायी सेवा वाले सेवकों को केवल 4 माह का चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश पूरे वेतन पर, पूरी अस्थायी सेवा में, स्वीकृत किया जा सकता है।	पूरे वेतन पर
	चिकित्सा अवकाश उसी दशा में स्वीकृत किया जाना चाहिए जब उसके पश्चात् सरकारी सेवक के स्वस्थ होकर ड्यूटी पर लौटने की सम्भावना हो। यह शर्त स्थायी एवं अस्थायी दोनों पर लागू होगी। यदि किसी कर्मचारी ने नियमानुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया हो तो उसे 60 दिन का चिकित्सा अवकाश बिना वापसी की सम्भावना पर विचार किये स्वीकृत कर देना चाहिये (विज्ञप्ति संख्या-सा-4-525 तथा 526/दस, दिनांक 19-8-96)।	
सहायक नियम 95 एवं 96(क) तथा (ख)	अराजपत्रित सरकारी सेवकों को एक माह तक का चिकित्सा अवकाश किसी रजिस्टर्ड डाक्टर, वैद्य अथवा हकीम आदि के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु इससे अधिक के लिए प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी की चिकित्सा	

			परीक्षा हेतु एवं प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु संदर्भित किया जाना चाहिए।	
3.	निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर अवकाश Leave on half-pay on private affairs	मूल नियम 81-बी(3)	दिनांक 1-7-79 से प्रभावी नई प्रक्रिया के अनुसार यह भी उपार्जित अवकाश की भांति 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन खाते में जमा की जायेगी। स्थायी कर्मचारियों के खाते में कुल 365 दिन जमा होगी किन्तु एक समय में 90 दिन तक भारत के अन्दर तथा 180 दिन भारत के बाहर लेने की दशा में, आधे वेतन पर मिलेगी।	स्थायी कर्मचारियों को आधे वेतन पर।
	निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर अवकाश Leave on half-pay on private affairs	सहायक नियम 157-A(3)	अस्थायी कर्मचारियों को यह 2 वर्ष की निरन्तर सेवा के पश्चात् अनुमन्य होगी। गणना की प्रक्रिया वही है। एक बार में 60 दिन तक अर्जित की जा सकती है तथा उतनी ही एक समय में ली भी जा सकती है। कुल अस्थायी सेवा में यह अधिकतम 120 दिन मिलेगी। निजी कार्य पर अर्द्ध-वेतन का उपरोक्त अवकाश तभी स्वीकृत किया जाना चाहिए जब सरकारी सेवक की अवकाश की समाप्ति के पश्चात् ड्यूटी पर वापस आने की संभावना हो।	अस्थायी सेवकों को आधे वेतन पर।
4.	राशिकृत अवकाश (Com-muted Leave)	मूल नियम 81-बी(4) तथा 84	मूल नियम-84 के अंतर्गत प्रशिक्षण अवकाश (स्टडी लीव) पर जाने वाले स्थायी सरकारी सेवकों को अर्द्ध-वेतन पर मूल नियम 81-बी(3) में देय अवकाश की आधी अवधि के बराबर कम्यूटेड अवकाश के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है :— *(i)* अवकाश तकनीकी योग्यता प्राप्त करने हेतु लिया जाना चाहिए। *(ii)* यदि भारत में व्यतीत किया जाय, तो एक बार में अधिकतम 45 दिन तथा भारत से बाहर 90 दिन का पूरे	स्थायी सरकारी सेवकों को अनुमन्य।

			वेतन पर अनुमन्य होगा। *(iii)* लिये गये कम्यूटेड अवकाश की दुगुनी अवधि को अर्द्ध-वेतन पर देय निजी कार्य पर अवकाश की अवधि से, अवकाश लेखे में घटा देनी चाहिए क्योंकि यह अवकाश पूरे वेतन पर देय होता है। *(iv)* अवकाश की समाप्ति पर सरकारी सेवक की ड्यूटी पर वापस आने की सम्भावना हो।	
5.	विशेष विकलांगता अवकाश Special Disability Leave	मूल नियम 83 और 83-ए तथा शासनादेश संख्या-जी-1-914/ दस-201/80 दिनांक 15-4-82 मूल नियम 9(6)(b)(iv)	ड्यूटी के समय उचित रूप से कर्तव्यपालन में किसी के द्वारा चोट पहुँचाये जाने के कारण यह अवकाश मिलता है। प्रथम 6 माह में ड्यूटी मानी जायेगी। तत्पश्चात् 119 दिन तक पूरे वेतन पर तथा शेष 14 माह एक दिन आधे वेतन पर अर्थात् कुल 24 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यह अवकाश मेडिकल बोर्ड की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।	स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों को अनुमन्य।
		83-ए	ड्यूटी पर संयोगवश चोट लग जाने पर प्रथम 6 माह ड्यूटी माना जायेगा तत्पश्चात् 119 दिन का औसत वेतन पर तथा 14 माह एक दिन आधे वेतन पर अवकाश मिलेगा। यह शासन द्वारा मेडिकल बोर्ड की संस्तुति पर स्वीकृत किया जायेगा।	स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों को अनुमन्य।
6.	अध्ययन अवकाश Study Leave	मूल नियम 84, सहायक नियम 146-ए	स्थायी कर्मचारियों को जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा कर ली हो तथा जिनको सेवानिवृत्त होने में 3 वर्ष या इससे अधिक शेष हों, को वैज्ञानिक/ तकनीकी अथवा इसी प्रकार के अध्ययन हेतु यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसके विस्तृत नियमों तथा उन विभागों के नाम जिनके कर्मचारियों को यह स्वीकृत किया जा सकता है, का उल्लेख सहायक नियम 146-ए में किया गया है। यह अवकाश अर्द्ध-वेतन पर	स्थायी सरकारी सेवकों जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा कर ली हो तथा 3 वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त न होने वाले हों।

		होता है तथा एक बार में 12 माह तक साधारणतया स्वीकृत किया जा सकता है और कुल सेवा में 24 माह। यह अवकाश मूल नियम 81-बी के अन्तर्गत देय निजी कार्य पर अर्द्धवेतन पर देय अवकाश के अतिरिक्त होता है। इस अवकाश को वेतनवृद्धि तथा पेंशन हेतु सेवा गिना जायेगा किन्तु अन्य अवकाश के अर्जन हेतु इसे ड्यूटी नहीं माना जायेगा। विशेष मामलों में यह अन्य छुट्टियों से मिलाकर 28 माह तक का पूरी सेवा में हो सकता है।	
चिकित्सालय अवकाश Hospital Leave	सहायक नियम 155 तथा 156	यह अवकाश सहायक नियम 155 में उल्लिखित सरकारी सेवकों को तथा उसमें निहित शर्तों के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों को जिनको अपनी ड्यूटी के कारण बीमारी अथवा दुर्घटना का विशेष जोखिम उठाना पड़ता है तथा जिनका वेतन दिनांक 1-1-86 के वेतनमानों में रु० 1180 से अधिक न हो, स्वीकृत किया जा सकता है। यह अवकाश 3 वर्ष की अवधि में, 6 माह से अधिक न होना चाहिए, चाहे एक बार में लिया जाय अथवा किश्तों में। यह प्रथम 3 माह में पूरे वेतन पर तथा शेष अर्द्ध-वेतन पर देय होगा। अन्य प्रकार के अवकाशों के साथ संयोजित करने में कुल अवकाश की अवधि 28 माह से अधिक न होनी चाहिए।	
असाधारण अवकाश (बिना वेतन का) Extra-ordinary Leave Without Pay	मूल नियम 81-बी(5)(ए), मूल नियम 85 सपठित मूल नियम-18	उन सरकारी सेवकों को जिनका स्थायी पद पर लियन है, को बिना वेतन का असाधारण अवकाश मूल नियम 85 तथा 18 की व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए, स्वीकृत किया जा सकता है। स्थायी कर्मचारियों के लिए इसकी कोई सीमा नहीं है किन्तु यह 5 वर्ष से अधिक का नहीं स्वीकृत किया जा सकता क्योंकि मूल नियम-18 के अनुसार इससे अधिक	स्थायी सरकारी सेवकों को।

की अनुपस्थिति पर कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। (विज्ञप्ति संख्या-सा-4-34/दस शासनादेश संख्या 89-4-1983, दिनांक 12-9-89)।

9. तदैव सहायक नियम 157-ए (4)

अस्थायी सरकारी सेवकों को।

अस्थायी कर्मचारियों को बिना वेतन का असाधारण अवकाश निम्न प्रकार से अनुमन्य होगा :—

(i) 3 वर्ष से कम की निरंतर सेवा में एक समय में केवल 3 माह।

(ii) 3 वर्ष की या उससे अधिक की सेवा में तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर एक समय में 6 माह।

(iii) एक वर्ष की अनवरत सेवा के पश्चात् तपेदिक (टी०बी०) अथवा कुष्ठ रोग के उपचार हेतु एक समय में 18 माह यदि उपचार सरकारी अस्पताल में, कुष्ठ आश्रम में अथवा घर पर ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कराया जा रहा हो।

(iv) भारत में अथवा बाहर, जनहित में उच्च अध्ययन हेतु एक बार में 24 माह तथा कुल अस्थायी सेवा में 36 माह। अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के पूर्व इस आशय का अनुबन्ध पत्र भरवा लेना चाहिए कि अवकाश के पश्चात् कम से कम वह 3 वर्षों तक सरकारी सेवा करेगा।

उपरोक्त अवकाश की समाप्ति के पश्चात् कोई भी असाधारण अवकाश नहीं स्वीकृत किया जा सकता (जब तक कि राज्यपाल महोदय मामले की विशेष परिस्थिति दृष्टि में रखते हुए अन्यथा अवधारित न करें) तथा अवकाश की समाप्ति के पश्चात् ड्यूटी

			से अनुपस्थित रहने पर अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।	
10.	प्रसूति अवकाश Maternity Leave	मूल नियम 101 तथा सहायक नियम 153-154	स्थायी एवं अस्थायी महिला कर्मचारियों को पूर्ण सेवाकाल में केवल 2 बार स्वीकृत किया जा सकता है। यह पूरे वेतन पर मिलता है तथा अवकाश लेखे में नहीं अंकित किया जाता। इस प्रकार के अवकाश की समाप्ति के दिनांक से 2 वर्ष का अंतर होना चाहिए। अवकाश पर जाने की तिथि से (बच्चा होने की स्थिति में) 135 दिन तक का और गर्भस्राव के मामले में 6 सप्ताह का मिलेगा। बच्चे की बीमारी अथवा अन्य कारणों से लिए गये दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ इसे मिलाया जा सकता है। अस्थाई कर्मचारी के मामले में उक्त अवकाश की अवधि, उसकी नियुक्ति जारी रहने की सम्भावित अवधि से अधिक नहीं होगी। गर्भस्राव या गर्भपात के मामले में कितनी ही बार 6 सप्ताह का अवकाश राजकीय महिला चिकित्सालय की अधीक्षिका की संस्तुति पर मिल सकता है।	स्थायी एवं अस्थायी महिला कर्मचारियों को पूरे वेतन पर देय।
11.	संगरोध अवकाश Quarantine Leave	सहायक नियम 202	सरकारी सेवक के परिवार में यदि कोई सदस्य सहायक नियम-202 में उल्लिखित किसी छुआछूत की बीमारी जैसे-प्लेग, चेचक, हैजा, मिनिनजाइटिस तथा डिप्थीरिया आदि से पीड़ित हो तो उसको चिकित्सा अथवा जनस्वास्थ्य अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर उक्त नियम में दी हुई तालिका के अनुसार कैरेन्टाइन लीव स्वीकृत की जा सकती है। यह अवकाश अधिकतम 21 दिन तथा असाधारण स्थिति में 30 दिन	दोनों प्रकार के स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को पूरे वेतन पर देय।

			का स्वीकृत किया जा सकता है। यह आकस्मिक अवकाश की भांति ड्यूटी माना जाता है तथा पूरा वेतन मिलता है।	
12.	आकस्मिक अवकाश Casual Leave	सहायक नियम 201 तथा M.G.O. के पैरा 1081-1088	यह एक कैलेण्डर वर्ष में कुल 14 दिन का मिलता है किन्तु स्वीकृतकर्ता अधिकारी कुछ (दो-तीन) दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश भी इसके अतिरिक्त स्वीकृत कर सकता है।	स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारी दोनों को अनुमन्य।
13.	प्रतिकर अवकाश Compe-nsatory Leave	मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर का पैरा 1089 शासनादेश संख्या 3/2/1912 नियुक्ति-3, दिनांक 26-7-73	यदि किसी अराजपत्रित कर्मचारी को उसके अधिकारी द्वारा राजपत्रित छुट्टियां अथवा रविवार को सरकारी कार्य में कार्यालय बुलाया जाता है तो इसके एवज में उसको अन्य किसी दिन छुट्टी दी जा सकती है। सामान्यतया यह एक माह के अन्दर ही ले लेना चाहिए और एक समय में दो दिन से अधिक का प्रतिकर अवकाश नहीं स्वीकृत करना चाहिये।	सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को अनुमन्य।
14.	पागल कुत्ता आदि के काटने पर विशेष अवकाश Special Leave for Anti-Rabic Treatment	मूल नियम 9(6)(a)(iii)	यदि किसी सरकारी सेवक को पागल कुत्ता आदि काट ले तो उसको जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संस्तुति अवधि के लिये विशेष अवकाश एण्टी रैबिक इलाज हेतु दिया जाता है। यह ड्यूटी माना जाता है।	समस्त सरकारी सेवकों को देय।

आकस्मिक अवकाश

आकस्मिक अवकाश से सम्बन्धित नियम वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 201 में दिये हैं तथा इनका विस्तृत उल्लेख एम०जी०ओ० के पैरा 1081 से 1088, में भी उपलब्ध है ; जिसका सार निम्नवत है :—

(1) आकस्मिक अवकाश को मूल नियमों के अन्तर्गत अवकाश नहीं माना जाता बल्कि जो व्यक्ति आकस्मिक अवकाश लेता है उसको ड्यूटी पर माना जाता है तथा उसको यह

सुनिश्चित करना चाहिये कि उसकी अनुपस्थिति में कार्य में व्यवधान न पड़े क्योंकि उसके आकस्मिक अवकाश पर जाने के कारण कोई प्रतिस्थानी नहीं दिया जाता। स्वीकर्ता अधिकारी को भी देखना चाहिये कि कार्य में व्यवधान न हो।

(2) पूरे कैलेण्डर वर्ष में समस्त सरकारी सेवकों को कुल 14 दिन तक का आकस्मिक अवकाश मिल सकता है। इसके अतिरिक्त स्वीकर्ता अधिकारी कुछ दिन अर्थात् दो-तीन दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश भी स्वीकृत कर सकता है। मिनिस्टीरियल स्टाफ को छोड़कर अन्य वर्गों को स्वीकृत किये गये विशेष आकस्मिक अवकाश की सूचना शासन के प्रशासकीय विभाग को भेजनी चाहिये।

(3) एक बार में लगातार कुल 10 दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(4) आकस्मिक अवकाश के पूर्व तथा पश्चात् में पड़ने वाले रवियारों तथा अन्य छुट्टियों को संयोजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। आकस्मिक अवकाश के मध्य में पड़ने वाले रविवार या अन्य छुट्टियो को नहीं गिना जायगा।

(5) यदि आकस्मिक अवकाश में मुख्यालय से बाहर जाना हो तो स्टेशन छोड़ने की भी अनुमति ले लेनी चाहिये तथा वहाँ का पता भी सूचित कर देना चाहिये।

(6) आकस्मिक अवकाश पर्याप्त कारणों पर ही स्वीकृत करना चाहिये। यदि कोई कर्मचारी दौरे की अवधि में आकस्मिक अवकाश ले लेता है तो वह उस दिन का दैनिक भत्ता पाने का अधिकारी नहीं रहता (पैरा 1075, एम०जी०ओ०)।

(7) आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने हेतु वे अधिकारी सक्षम हैं जिनको इस हेतु प्राधिकृत कर दिया गया है। यदि स्थिति स्पष्ट न हो तो शासन के प्रशासकीय विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिये।

(8) आकस्मिक अवकाश का लेखा रखने हेतु एक रजिस्टर का भी रख-रखाव प्रत्येक स्वीकर्ता अधिकारी को करना चाहिए तथा उसमें प्रविष्टियाँ नियमित रूप से करते रहना चाहिये ताकि जब कोई इस हेतु आवेदन पत्र दे तो तुरन्त यह सूचना रजिस्टर में उपलब्ध रहनी चाहिये कि उसका कितने दिन का आकस्मिक अवकाश शेष है।

(9) जिन परिस्थितियों में विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है उनका विस्तृत उल्लेख पैरा 1087, एम० जी० ओ० में उपलब्ध है। संक्षेप में वे परिस्थितियाँ निम्न प्रकार हैं :—

(क) जब कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के सिनेट की बैठक में भाग लेने हेतु जाय।

(ख) सरकारी सेवक जब नसबन्दी आपरेशन कराये।

(ग) राष्ट्रीय बचत संगठन के एजेन्ट के रूप में कार्य करने वाले जब शासन द्वारा आयोजित शिविरों में जायँ।

(घ) जब सरकारी सेवकों को इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेने जाना हो।

(ङ) जब सरकारी सेवक किसी संगठन के सदस्य हों और उनको उनकी बैठकों में जाना हो।

(च) महिला कर्मचारी को जब परिवार नियोजन के सम्बन्ध में बन्ध्याकरण आपरेशन कराना हो।

(छ) परिवार नियोजन हेतु जब दूसरा आपरेशन कराना आवश्यक हो जाय।

(ज) जब परिवार नियोजन आपरेशन में चिकित्सा अधिकारी कुछ और विशेष आकस्मिक अवकाश की संस्तुति करे।

(झ) जब ओलम्पिक खेल-कूद में राज्य/देश का प्रतिनिधित्व करे।

(10) भारत के बाहर जाने हेतु भी साधारण आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(11) यदि निजी कार्य से आकस्मिक अवकाश लेना हो तो पहले से स्वीकृत करा लेना चाहिये।

(12) पर्वतीय, उत्तरांचल क्षेत्रों में आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को, यात्रा हेतु समय अलग से दिया जाता है।

प्रतिकर अवकाश

यह अवकाश उन अराजपत्रित कर्मचारियों को स्वीकृत किया जाता है जिनको उच्च अधिकारी द्वारा रविवार अथवा किसी अन्य छुट्टी के दिन विशेष रूप से आवश्यक कार्य के निस्तारण हेतु कार्यालय बुलाया जाता है। इसके स्थान पर वह किसी अन्य कार्य दिवस को अपनी सुविधा अनुसार एक दिन का प्रतिकर अवकाश ले सकता है यदि उसने छुट्टी के दिन पूरे कार्यालय समय में कार्य किया हो। यदि उसने आधे दिन ही कार्य किया हो; तो इस प्रकार से दो आधे दिनों में कार्य करने के कारण, एक दिन का प्रतिकर अवकाश ले सकता है।

2. यदि कोई कर्मचारी अपने अवशेष कार्य के निस्तारण हेतु स्वमेव छुट्टी के दिन कार्यालय आता है तो उसको यह अवकाश देय नहीं होगा।

3. इस सुविधा का उपयोग छुट्टी में कार्यालय आने की तिथि से एक माह के अन्दर कर लेना चाहिये किन्तु यदि जनहित में उसको छुट्टी देना सम्भव न हो तो वह एक माह के बाद भी प्रतिकर अवकाश ले सकता है किन्तु एक बार में कुल दो दिन का ही अवकाश दिया जा सकता है।

4. यह अवकाश उसी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम हो।

1. अवकाश के सामान्य नियम
(General Leave Rules)

1

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS (EMPLOYMENT LEAVE) RULES, 2003

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants (Employment Leave) Rules, 2003.

(2) They shall come into force at once[1] and shall remain in force till March 31, 2008.

2. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything to

1. These rules are in force since 4.1.2003.

the contrary contained in any other rules or orders.

3. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(*a*) "Constitution" means the Constitution of India ;

(*b*) "Employment Leave" means such leave which is sanctioned by the competent authority to a Government servant for undertaking any kind of private trade or business or employment *etc.* in an organisation other than the Government Departments, Semi-Government Departments, a Corporation, a Board, a Public Undertaking or a Body owned or controlled by the State Government of Uttar Pradesh ;

(*c*) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh ;

(*d*) "Government Servant" means a Government servant of the State Government of Uttar Pradesh other than a Government servant belonging to All India Service and who—

(*i*) is a regular Government servant appointed in a substantive capacity ; and

(*ii*) is not appointed on *ad hoc*, daily wages, fixed wages or contract basis ;

(*e*) "Government service" means the public services and posts in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh ;

(*f*) "Governor" means the Governor of Uttar Padesh.

4. Application.—Unless otherwise provided, these rules shall be applicable to such permanent Government servant who has completed at least five years of service after having been confirmed in the service he belongs to and who is appointed on a post in a Government department of the State Government of Uttar Pradesh other than the post belonging to an All India Service, but these rules shall not be applicable to such category of Government servants of the following departments as are mentioned in the brackets against each of them :—

(*a*) Medical, Health and Family Welfare Department (Medical Staff, Para-Medical Staff and Technical Staff).

(*b*) Medical Education Department (Teaching Staff, Medical Staff, Para-Medical Staff and Technical Staff).

(*c*) Technical Education Department (Teaching Staff, Library Staff and Laboratory Staff).

(*d*) Higher Education Department (Teaching Staff, Library Staff, Sports Staff and Laboratory Staff).

(*e*) Basic and Secondary Education Department (Teaching Staff and Library Staff).

(*f*) Home (Police) Department (Non-Ministerial Category).

(*g*) Government servants placed under probation.

(*h*) Such Government servants who are under suspension or against whom prosecution or disciplinary proceedings are pending.

5. Conditions of Employment Leave.—(1) Government servants may be sanctioned Employment Leave for a minimum period of three years and a maximum period of five years. Such Government servants shall, in no case, be allowed to return to duty in the Government service from the Employment leave before the completion of three years.

(2) State Government in case of Government servants belonging to Group 'A' and Group 'B' posts and the Head of the Department in case of Government servants belonging to Group 'C' and Group 'D' posts will be empowered to sanction/disallow the Employment Leave.

(3) During Employment Leave, the Government servant shall be at liberty to undertake any other service or self-employment in India or abroad. On the Completion of Employment Leave and on re-assuming the charge of his post in the Government service, he shall be required to submit a brief description of his work and employment undertaken by him during the period of Employment Leave.

(4) The Government servant seeking Employment Leave shall, during such leave, not be eligible for appointment in another department of the State Government or in a Corporation, Mandal, Company or an autonomous institution, Local Authority, Local Board, Local Body, Society *etc.* owned, controlled or aided by the State Government. He shall also be ineligible to work as Consultant in the abovementioned offices and institutions.

(5) During Employment Leave the concerned Government servant shall be entitled to get fifty per cent of the amount of his basic pay and the allowances thereon (Dearness Allowance, City Compensatory Allowance and House Rent Allowance *etc.*) which was admissible to him immediately before his proceeding on such leave. Deduction of General Provident Fund, Group Insurance Scheme, House Rent and Income Tax *etc.* shall, as per rules, be made from the salary of the concerned Government servant. In the case of death of a Government servant during the period of Employment Leave, he shall be entitled to the benefits provided under the rules in force regarding the Family Welfare Scheme or the Group Insurance Scheme as per rules.

(6) The Government servant may be allowed to retain his pre-allotted official residential accommodation during the period of Employment Leave. For this purpose, he shall be required to pay the standard rent for the first three months and thereafter the rent at the prevailing market rate shall be paid by him.

(7) The Government servant shall not be eligible to avail the facility of medical reimbursement during the period of Employment Leave.

(8) No other kind of leave shall be admissible during the period of Employment Leave and such period shall also not be counted for the eligibility of any other kind of leave.

(9) The period of Employment Leave shall not be counted for the purpose of

granting of annual increment.

(10) During the period of Employment Leave, the seniority of the concerned Government servant shall remain unaffected but he shall not be entitled for promotion. In case the persons junior to him have been promoted, the granting of notional promotion to him may be considered on his reversion from Employment Leave.

(11) The period of Employment Leave shall not be counted for the purpose of computation of qualifying service for pension.

(12) Such Government servants who have executed a Bond with the Government for rendering their services for a fixed period shall not be eligible for Employment Leave before the completion of such stipulated period.

(13) The recovery of loans for the purposes of House Building or purchasing a vehicle *etc.* sanctioned to Government servants prior to their proceeding on Employment Leave shall be continued as per rules during the period of Employment Leave.

(14) The provisions of the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956, as amended from time to time, regarding the engagement of a Government servant in any kind of private trade or business shall stand relaxed during the period of Employment Leave. Other provisions of the aforesaid rules shall remain in force.

(15) The post held by a Government servant prior to his proceeding on Employment Leave shall be kept vacant and shall not be filled in any manner. The authority empowered to sanction Employment Leave to a Government servant shall be competent to draw his salary during the period of Employment Leave.

(16) A Government servant who is on Employment Leave may resign from the Government service at any time during the period of Employment Leave in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Government servants Resignation Rules, 2000, as amended from time to time. A Government servant who is on Employment Leave and who has completed the required length of qualifying service for the purposes of pension may seek voluntary retirement from Government service at any time during the period of Employment Leave which shall be considered in accordance with the standing orders of the Government regarding voluntary retirement.

(17) If after the period of five years, a Government servant does not return to duty in the Government service—

(a) It shall be deemed that he has sought voluntary retirement if he has completed the required length of qualifying service for pension.

(b) It shall be deemed that he has resigned from Government service if he has not completed the required length of qualifying service for pension.

2

THE UTTAR PRADESH FUNDAMENTAL (THIRD AMENDMENT) RULES, 1989

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Fundamental Rules contained in the Financial Handbook, Volume II, Parts II-IV.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Fundamental (Third Amendment) Rules, 1989.

They shall come into force at once.[1]

2. Amendment of Fundamental Rule 18.—In the Uttar Pradesh Fundamental Rules, *for* rule 18 as set out in column 1 below, the rules as set out in column 2, shall be *substituted*.

Column 1 *Existing rule*	**Column 2** *Rule as hereby Substituted*
Unless the Government, in view of special circumstances of the case, shall otherwise determine, after five years continuous absence from duty elsewhere than on foreign service in India, whether with or without leave, a Government servant ceases to be a Government employee.	Unless the Government, in view of the special circumstances of the case, otherwise determine, after five years continuous absence from duty elsewhere than on foreign service in India, whether with or without leave, no Government servant shall be granted leave of any kind. Absence beyond five years will attract the provisions of rules relating to disciplinary proceedings.

By Order,

V.K. SAXENA,

Pramukh Sachiv.

2. स्थायी कर्मचारियों को देय अवकाश
(Leave Due to Permanent Employees)

३

उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1992

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-दो, भाग दो से चार में दिये गये फण्डामेण्टल रूल्स का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल (प्रथम संशोधन), नियमावली, 1992 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।[1]

2. फण्डामेन्टल रूल 81-बी के उपनियम (1) और (3) का संशोधन.—फण्डामेंटल रूल्स 81-बी, में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये उप नियमों के स्थान पर नीचे स्तम्भ 2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

स्तम्भ 1 *वर्तमान उप नियम*	स्तम्भ 2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम*
81-B (1) Earned leave.—A Government servant to whom these rules apply shall earn leave in respect of the period spent on duty and the earned leave admissible to him shall be one-eleventh of the period spent on duty :	**81-बी (1) अर्जित अवकाश.**—राज्य में सेवारत सरकारी सेवकों के संबंध में अर्जित अवकाश की संगणना करने के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1978 से निम्नलिखित प्रक्रिया प्रवृत्त हुई समझी जायेगी :
Provided that :	
(i) when the total of his earned leave amounts to one hundred and eighty days he shall cease to earn such leave ;	(एक) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में, दो छमाही किस्तों में इकतीस दिन का अर्जित अवकाश अग्रिम रूप में जमा किया जायेगा। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी को सोलह दिन का अर्जित अवकाश और पहली जुलाई को पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा।
(ii) subject to the provisions of Fundamental Rules 67 and 86-A :	(दो) वर्ष की पहली छमाही की समाप्ति पर सरकारी सेवक के लेखे में जमा अर्जित अवकाश वर्ष की अगली छमाही में इस शर्त के अधीन रहते हुए अग्रनीत किया जायेगा कि इस प्रकार अग्रनीत अवकाश तथा अगली छमाही को जमा अवकाश 180 दिन
(a) the maximum period of earned leave that may be granted to him at a time shall be one hundred and twenty days if spent in Asia ;	

1. यह नियमावली दिनांक 21.12.1992 से प्रवृत्त होगी।

(b) earned leave may be granted to him exceeding a period of one hundred and twenty days but not exceeding one hundred and eighty days if the entire leave so granted or any portion thereof is spent outside Asia but the period of such leave spent in India shall not in the aggregate exceed the limit of one hundred and twenty days :

Provided further that in the case of a Government servant serving in vacation department :

(i) the period of earned leave admissible to him shall be reduced by thirty days for each year of duty in which he avails himself of the full vacation ;

(ii) if he is prevented by reason of Government work from availing himself of the full vacation in any year as provided for in Subsidiary Rules 145 and 146, the earned leave admissible to him shall be reduced by a fraction of thirty days equal to the proportion which the part of the vacation availed of bears to the full period of the vacation ;

(iii) if in any year he does not avail himself of the vacation in terms of Subsidiary Rules 145 and 146, the earned leave admissible to him shall not be subject to any reduction.

(iv) vacation may be taken in combination with or in continuation of, any kind of leave under these rules, provided that the total duration of vacation and earned leave taken in conjunction whether the earned leave is taken in combination with or in continuation of, other leave or not, shall not exceed the amount of earned leave

की अधिकतम सीमा से अधिक न हो जिसे एक जनवरी उन्नीस सौ सत्तासी से बढ़ाकर दो सौ चालीस दिन कर दिया गया है।

1 जनवरी, 1978 को या उसके पश्चात् नियुक्त किसी सरकारी सेवक की स्थिति में, उसके अवकाश लेखे में प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास की सेवा के लिए जो उससे उस कैलेण्डर वर्ष की छमाही में की जानी प्रत्याशित है जिसमें वह नियुक्त किया गया है 2½ (ढाई) दिन प्रतिमास की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा।

(तीन) जब कुल अर्जित अवकाश दो सौ चालीस दिन हो जाय तब सरकारी सेवक ऐसा अवकाश अर्जित नहीं करेगा।

टिप्पणी.—एक सौ अस्सी दिन की सीमा को 1 जनवरी, 1987 से बढ़ाकर 240 दिन कर दिया गया है।

(चार) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) के अधीन जमा किये गये अर्जित अवकाश में से पिछली छमाही के दौरान उपभोग किए गए असाधारण अवकाश की अवधि के दसवें भाग तक, पन्द्रह दिन की अधिकतम सीमा के अधीन, कम कर दिया जायेगा।

(पांच) ऐसे सरकारी सेवक के मामले में, जो किसी विशिष्ट छमाही में सेवा-निवृत्त हो जाने, त्याग-पत्र दे देने, मृत्यु हो जाने या किसी अन्य कारण से सरकारी सेवक न रह जाय, अर्जित अवकाश उस दिनांक तक, जब वह सरकारी सेवक न रह जाय, प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 2½ (ढाई) दिन की दर पर जमा किया जाएगा। ऐसे मामलों में उस विशिष्ट छमाही के प्रारम्भ से उस दिनांक तक जब वह सरकारी सेवक न रह जाय, उपभोग किये गये असाधारण अवकाश के कारण कटौती उस विशिष्ट छमाही के लिए उसके अवकाश लेखे में जमा किये गये अर्जित अवकाश से

admissible to him at a time under the first proviso to sub-rule (1) of this rule except when it is taken for obtaining higher technical qualifications in which case the limit shall be two hundred and seventy days.

की जायेगी। यदि पहले से उपयोग किया गया अर्जित अवकाश इस प्रकार उसे देय जमा-अवकाश से अधिक हो तो अधिक आहरित किये गये अवकाश वेतन, आदि कोई हो, के सम्बन्ध में आवश्यक समायोजन किया जायेगा। अतएव, उस मास के सम्बन्ध में, जिसमें वह सरकारी सेवक न रह जाय, संबंधित सरकारी सेवक को कोई अवकाश वेतन और/या वेतन का कोई भुगतान करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसे इस प्रकार देय जमा अवकाश से अधिक अर्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है और अवकाश वेतन का अधिक भुगतान नहीं किया गया है।

(छः) अर्जित अवकाश जमा करते समय एक दिन के भाग को निकटतम दिन पर पूर्णांकित कर दिया जायेगा।

(सात) यदि कोई सरकारी सेवक किसी छमाही के अन्तिम दिन को अवकाश पर हो तो वह कैलेण्डर वर्ष की आने वाली छमाही के प्रथम दिन को अपने अवकाश लेखे में जमा किये जाने वाले अर्जित अवकाश का उपभोग, इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए, करने का हकदार होगा कि अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि सरकारी सेवक अवकाश की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस लौट आवेगा।

(आठ) अर्जित अवकाश के संबंध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे जैसा कि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान थे, बन्द कर दिये जायेंगे और 31 दिसम्बर, 1977 को उनके लेखे में जमा अर्जित अवकाश उनके नये अवकाश लेखे में जिसे इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र 11-घ में रखा जायेगा, अग्रनीत किया जायेगा।

(नौ) सक्षम प्राधिकारी के अधीनस्थ सरकारी सेवक के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अर्जित अवकाश स्वीकृत

करने वाले आदेश में, उस समय संबंधित सरकारी सेवक के लेखे में जमा अर्जित, अवकाश का अतिशेष इंगित किया जावेगा।

(दस) फण्डामेंटल रूल्स 67 और 86-ए के उपबन्धों के अधीन रहते हुए —

(क) किसी सरकारी सेवक को एक बार में स्वीकृत की जाने वाली अर्जित अवकाश की अधिकतम अवधि यदि वह भारतवर्ष में बिताई जाय, एक सौ बीस दिन होगी।

(ख) उसे 120 दिन की अवधि से अधिक किन्तु 180 दिन से अनधिक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि इस प्रकार स्वीकृत सम्पूर्ण अवकाश या उसका कोई भाग विदेश में बिताया जाय किन्तु भारत में बिताये गये ऐसे अवकाश की कुल अवधि 120 दिन की सीमा से अधिक नहीं होगी।

(ग्यारह) किसी दीर्घावकाश विभाग में सेवारत सरकारी सेवक की स्थिति में—

(क) उसे अनुमन्य अर्जित अवकाश की अवधि को ड्यूटी के प्रत्येक वर्ष के लिए जिसमें वह पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करता है तीस दिन तक कम कर दी जावेगी।

(ख) यदि उसे सरकारी कार्य के कारण किसी वर्ष में पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करने से, जैसा कि सब्सीडियरी रूल्स 145 और 146 में व्यवस्थित है, रोक दिया जाता है तो उसे अनुमन्य अर्जित अवकाश को 30 दिन के उस भाग तक कम कर दिया जायेगा जो उस अनुपात के बराबर हो जो उपभोग किये गये दीर्घावकाश के भाग का दीर्घावकाश की पूर्व अवधि से है।

(ग) यदि किसी वर्ष में वह सब्सीडियरी रूल्स 145 और 146 के निबन्धनों के अनुसार दीर्घावकाश का उपभोग

नहीं करता है तो उसे अनुमन्य अर्जित अवकाश को कम नहीं किया जायेगा।

(घ) दीर्घावकाश को इस नियमावली के अधीन किसी प्रकार के अवकाश के साथ या उसके क्रम में लिया जा सकता है बशर्ते कि दीर्घावकाश, अर्जित अवकाश की जो अन्य अवकाश के साथ या उसके क्रम में लिया जाए या नहीं, कुल अवधि इस नियम के खण्ड (दो) के अधीन एक बार में उसको अनुमन्य अर्जित अवकाश से अधिक नहीं होगी, सिवाय इसके कि जब वह उच्चतर प्राविधिक अर्हताएं प्राप्त करने के लिए लिया जाय, तब उसकी सीमा दो सौ सत्तर दिन होगी।

(बारह) किसी सरकारी सेवक को उसके लेखे में जमा अर्जित अवकाश के भाग को अभ्यर्पित करने की अनुज्ञा दी जा सकती है और उसे इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उसके बदले में नकद भुगतान किया जा सकता है।

(3) Leave on Private Affairs.—A Government servant to whom these rules apply may also be granted leave on private affairs not exceeding three hundred and sixty-five days in all during his entire service. Such leave shall be earned by him at one-eleventh of the period spent on duty and shall be granted, on any one occasion, for not more than ninety days if spent wholly in Asia and not more than one hundred and eighty days if spent wholly outside Asia. If the leave is spent partly in and partly outside Asia, the period shall be ninety days plus such time as is actually spent outside Asia subject to a maximum total period of one hundred and eighty days :

Provided that no leave may be granted under this sub-rule unless the authority competent to sanction leave has reason to

(3) निजी कार्यों पर अवकाश.—ऐसे सरकारी सेवक को जिस पर ये नियम लागू होते हैं उसकी सम्पूर्ण सेवा के दौरान निजी कार्यों पर कुल तीन सौ पैंसठ दिन से अनधिक का अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है—

(एक) वह प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में इकतीस दिन का निजी कार्य पर अवकाश का हकदार होगा। राज्य में सेवारत सरकारी सेवकों के संबंध में निजी कार्य पर अवकाश की संगणना करने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया 1 जुलाई, 1979 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(दो) प्रत्येक सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में निजी कार्य पर अवकाश दो छमाही किस्तों में अग्रिम रूप से जमा किया जायेगा। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी को 16 दिन का और

सौ पैंसठ दिन से अधिक का अवकाश लिया है, तो ऋणात्मक शेष का अधित्याग कर दिया जायेगा और वह कोई अग्रतर अवकाश अर्जित नहीं करेगा। अन्य मामलों में जहां पर सरकारी सेवक ने उस दिनांक को अनुमन्य, अवकाश से अधिक परन्तु तीन सौ पैंसठ दिन की सीमा से अनधिक अवकाश का उपभोग कर लिया है, उसका समायोजन उस निजी कार्य पर अवकाश के प्रति किया जायेगा जो उसके द्वारा बाद में अर्जित किया जायेगा।

आज्ञा से,

भोला नाथ तिवारी,

प्रमुख सचिव, वित्त।

अध्याय - 21

भवन, भूखण्ड, कार एवं स्कूटर आदि क्रय हेतु अग्रिम (Advances for Purchase of House, Plot, Car and Scooter etc.)

शासन द्वारा सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण, भूखण्ड, कार एवं स्कूटर आदि क्रय करने हेतु अग्रिम दिया जाता है। वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-244, के अनुसार राज्य सरकार, विभागाध्यक्ष तथा जिला जज द्वारा अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों को यह अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। इसकी शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

(1) संबंधित कर्मचारी द्वारा बनवाये गये अथवा क्रय किये गये भवन को सरकार के पक्ष में बन्धक रखना होता है।

(2) बंधक रखने की प्रक्रिया निर्माण/क्रय के चार माह के अन्दर ही प्रपत्र 22, 22-बी या 23 भरकर पूर्ण कर देनी चाहिए तथा उसकी रजिस्ट्री भी करा लेनी चाहिए। बन्धक-पत्र स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा सुरक्षापूर्वक रखना चाहिये।

(3) सरकारी सेवक के नाम कोई अन्य आवासीय भवन नहीं होना चाहिये। इसमें पैतृक सम्पत्ति वाला भवन सम्मिलित नहीं होगा।

(4) अग्रिम की पूर्ण वसूली तक कर्मचारी के सेवा में बने रहने की सम्भावना होनी चाहिए।

यदि पहला भवन बेचकर दूसरा भवन क्रय/निर्माण कराया जाना हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु दिये जाने वाले अग्रिम की धनराशि पहले वाले भवन के विक्रय से प्राप्त धनराशि को समायोजित करके ही निश्चित की जायेगी। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-3-6518/दस-88-100(9)-88, दिनांक 8-12-1988 के अनुसार गृह निर्माण प्रयोजनों हेतु अग्रिम निम्नलिखित सीमा तक अनुमन्य होगा :—

(1) भवन निर्माण अथवा क्रय के लिए, संबंधित कर्मचारी के 50 माह के मूल वेतन या 2,50,000 रुपये जो भी कम हो। इसकी वसूली अधिकतम 240 मासिक किस्तों में की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में इसको बढ़ाकर रु० 7,50,000 कर दिया गया है परन्तु उ० प्र० शासन ने अभी कोई वृद्धि नहीं की।

(2) भवन मरम्मत अथवा विस्तार हेतु 50 माह के मूल वेतन या रु० 60,000 जो भी कम हो अग्रिम मिल सकता है। इसकी वसूली अधिकतम 120 मासिक किस्तों में की जानी चाहिए। मूलधन तथा ब्याज की वसूली 120 किश्तों में पूरी हो जानी चाहिये।

उपरोक्त अग्रिम की वसूली हेतु सरकारी सेवकों की प्रतिदान क्षमता निम्न प्रकार से होनी चाहिए :—

क्र०सं०	सेवानिवृत्ति का समय	प्रतिदान क्षमता
(1)	20 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी	मूल वेतन का 35 प्रतिशत।
(2)	10 वर्ष के पश्चात् किन्तु 20 वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी	मूल वेतन का 40 प्रतिशत।

(1640)

(3)	10 वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी	मूल वेतन का 50 प्रतिशत।

यदि वसूली में उपरोक्त शर्त पूरी न हो रही हो तो स्वीकृत अग्रिम की राशि तदनुसार घटा दी जानी चाहिए।

शासन द्वारा स्वीकृत अग्रिम की धनराशि से निर्मित किये गये अथवा क्रय किये गये भवन की मरम्मत हेतु अग्रिम, पूर्व अग्रिम लेने के पांच वर्ष व्यतीत हो जाने पर ही, अनुमन्य होगा। मरम्मत हेतु अग्रिम केवल एक बार मिलेगा।

गृह निर्माण हेतु कुल लागत सीमा अर्थात् जो धनराशि व्यय की जा सकती है वह संबंधित कर्मचारी के 150 माह के वेतन अथवा निम्नलिखित धनराशि तक, जो भी कम हो, सीमित रहना चाहिये :—

(1) यदि 50 माह का वेतन रु० 1,35,000 तक है, तो रु० 2,50,000 अथवा 150 माह का वेतन, जो भी कम हो इस प्रयोजनार्थ व्यय किया जा सकता है।

(2) यदि 50 माह का वेतन रु० 2,25,000 तक है, तो रु० 4,00,000 अथवा 150 माह का वेतन, जो भी कम हो।

(3) यदि 50 माह का वेतन रु० 2,25,000 से अधिक है, तो रु० 6,00,000 अथवा 150 माह का वेतन, जो भी कम हो।

सक्षम अधिकारी द्वारा इस लागत में विशेष परिस्थितियों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है।

अग्रिम के आहरण एवं भुगतान की प्रक्रिया

वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के पैरा 244-सी के अनुसार, भवन निर्माण हेतु स्वीकृत अग्रिम धनराशि का आहरण, दो या तीन किश्तों में करना चाहिए। प्रथम किश्त के भुगतान के पश्चात् उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही दूसरी-तीसरी किश्त का भुगतान अवमुक्त किया जा सकता है। बने बनाये भवन के क्रय हेतु अथवा प्लाट क्रय हेतु, अग्रिम का भुगतान एकमुश्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि भवन निर्माण अथवा क्रय के पश्चात् कुछ धनराशि शेष बचती है, तो उसे ट्रेजरी चालान द्वारा रिफण्ड कर देनी चाहिए। सामान्यतया चौथे माह के वेतन से वसूली आरंभ कर देनी चाहिए।

गृह निर्माण अग्रिम ब्याज सहित पूर्णतया अदा हो जाने का पुष्टिकरण महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद से कराने के पश्चात् ही मकान के बन्धक पत्र को अवमुक्त किया जाना चाहिये।

यदि सेवाकाल में किसी कर्मचारी का देहान्त हो जाता है और उसके विरुद्ध कुछ गृह निर्माण अग्रिम की धनराशि वसूली हेतु बकाया रह जाती है तो शेष मूलधन तो परिवार के सदस्यों द्वारा अदा करना पड़ेगा किन्तु उस पर देय ब्याज, जो देहान्त की तिथि तक ही लगाया जायेगा, की वसूली अग्रिम स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा माफ कर दी जायेगी (शासनादेश संख्या-बी-3-4086/दस-94-20(24)/92, दिनांक 31-10-1994)। प्रत्येक वर्ष के अन्त में, उपरोक्त प्रकार से माफ की गई ब्याज की कुल धनराशि के विवरण सक्षम अधिकारी द्वारा शासन को सूचित करना चाहिये।

चेक-लिस्ट

भवन निर्माण/क्रय अग्रिम स्वीकृत करने हेतु

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र होना चाहिये।

2. अस्थायी कर्मचारी की दशा में न्यूनतम तीन वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूरी होने पर

दो स्थायी कर्मचारियों की प्रतिभू प्रस्तुत करनी चाहिये।

3. "प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त" सिद्धान्त के अन्तर्गत मामला आच्छादित होना चाहिये।

4. अग्रिम से अर्जित की जाने वाली सम्पत्ति निर्विवाद तथा भारमुक्त होनी चाहिये।

5. भवन के निर्माण में निहित व्यय निर्धारित लागत सीमा के अन्तर्गत होना चाहिये।

6. भूखण्ड/भवन का क्रय अनुमन्य अग्रिम से किया जाना सम्भव होना चाहिये अन्यथा अवशेष लागत किन स्रोतों से वहन की जायेगी, यह स्पष्ट होना चाहिये।

7. भवन निर्माण हेतु अग्रिम यथासंभव दो से अधिक किश्तों में नहीं अवमुक्त किया जाना चाहिये।

8. राज्य कर्मचारियों के वाह्य सेवायोजक द्वारा अग्रिम स्वीकृत करने से पूर्व पैतृक विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

9. कर्मचारी का अवशेष सेवाकाल 10 वर्ष से कम होने की दशा में शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये।

10. अग्रिम की वसूली हेतु मासिक किश्तों का निर्धारण कर्मचारी की प्रतिदान क्षमता के अन्तर्गत इस प्रकार किया जाना चाहिये कि भवन निर्माण अग्रिम की ब्याज सहित वसूली अधिकतम 240 मासिक किश्तों में अथवा उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व, जो भी पहले हो, अवश्य हो जाये।

11. भूखण्ड अथवा भवन क्रय के मामलों में अग्रिम अवमुक्त करने के पूर्व यथास्थिति प्रपत्र 22-ए अथवा 22-सी में अनुबन्ध-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये। कर्मचारी के पास अपना भूखण्ड/भवन होने की दशा में यथास्थिति प्रपत्र-22 अथवा-23 में तथा क्रय किये गये पूर्ण स्वामित्व वाले भूखण्ड को प्रपत्र-22-बी में बन्धक-पत्र प्राप्त करना चाहिये।

12. भवन क्रय हेतु अग्रिम एकमुश्त अवमुक्त करना चाहिए तथा धनाहरण के एक माह के अन्दर सम्पत्ति को विधिवत् क्रय करके शासन के पक्ष में बन्धक कर देना चाहिये।

13. अवमुक्त की गई किश्त की धनराशि के उपयोग के संतोषजनक प्रमाण-पत्र तीन माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिये।

14. कर्मचारी की पत्नी/पति, पिता, माता, सगे भाई/भाईयों, पुत्र/पुत्रों के साथ संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति पर भी अग्रिम अनुमन्य है। अग्रिम की स्वीकृत के पूर्व दिनांक 26-4-1980 के शासनादेश के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

15. स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले भवन को छोड़कर, स्वीकृत अग्रिम से भूखण्ड/भवन का विधिवत् क्रय एक माह के अन्दर सम्भव होना चाहिये।

16. देश के किसी स्थान पर भवन निर्माण/क्रय हेतु अग्रिम अनुमन्य है।

17. भूखण्ड क्रय और उस पर भवन निर्माण हेतु अग्रिम स्वीकृति की दशा में अवमुक्त की गई प्रथम किश्त की धनराशि से भूखण्ड का क्रय-और उसे शासन के पक्ष में बन्धक करने के बाद ही अवशेष धनराशि अगली किश्त/किश्तों के रूप में अवमुक्त की जानी चाहिये।

18. स्वीकृति आदेश में अग्रिम के आहरण हेतु 31 मार्च अथवा एक माह, जो भी पहले हो, का समय दिया जाना चाहिये।

भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत करने के लिये चेकलिस्ट

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्राप्त होना चाहिए।

2. अस्थायी कर्मचारी होने की दशा में न्यूनतम तीन वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूरी होने पर दो स्थायी कर्मचारियों की प्रतिभू प्रस्तुत होनी चाहिए।

3. "प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त" सिद्धान्त के अन्तर्गत मामला आच्छादित होना चाहिये।

4. अग्रिम से मरम्मत अथवा विस्तार की जाने वाली सम्पत्ति निर्विवाद तथा भार-मुक्त होनी चाहिये।

5. कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होने की दशा में पैतृक विभाग से अनापत्ति प्राप्त होनी चाहिये।

6. भवन मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम यथासम्भव दो से अधिक किश्तों में नहीं अवमुक्त किया जाना चाहिये।

7. कर्मचारी का अवशेष सेवाकाल 5 वर्ष से कम होने की दशा में शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

8. अग्रिम की वसूली हेतु मासिक किश्तों का निर्धारण प्रतिदान क्षमता के अन्तर्गत इस प्रकार किया जाना चाहिये कि भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम की ब्याज सहित वसूली अधिकतम 120 मासिक किश्तों में अथवा कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के पूर्व, जो भी पहले हो, अवश्य हो जाये।

9. भवन मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम स्वीकृति के पूर्व प्रपत्र-22 अथवा 23 में रजिस्टर्ड बन्धक-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये।

10. अवमुक्त की गई धनराशि के उपयोग के संतोषजनक प्रमाण-पत्र तीन माह में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

11. कर्मचारी की पत्नी/पति (जैसी भी स्थिति हो) पिता, माता सगे भाई/भाइयों अथवा पुत्र/पुत्रों के साथ संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति पर भी अग्रिम अनुमन्य है। अग्रिम स्वीकृति के पूर्व दिनांक 26-4-1980 के शासनादेश के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

12. स्वीकृति आदेश में अग्रिम के आहरण हेतु 31 मार्च अथवा एक माह, जो भी पहले हो, का समय दिया जाना चाहिये।

भवन निर्माण/क्रय अग्रिम स्वीकृत करने हेतु शर्तें

1. कर्मचारी के पास पैतृक भवन के अलावा स्वयं का कोई भवन नहीं होना चाहिये।

2. कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन न हो तथा अस्थायी होने की दशा में नियुक्ति तदर्थ और संविदा के आधार पर न हो।

3. पति/पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने की दशा में उस नगर/नगर समूह में, जहां अग्रिम से भवन निर्माण/क्रय किया जाना प्रस्तावित है, आवेदक कर्मचारी की पत्नी/पति (यथास्थिति), उसके अवयस्क बच्चे का कोई भवन नहीं होना चाहिये।

3-ए. आवेदक कर्मचारी को पत्नी/पति या अन्य किसी सम्बन्धी के नाम की संपत्ति पर अथवा उनके नाम से अथवा उनके साथ संयुक्त स्वामित्व में संपत्ति अर्जित करने के लिये अग्रिम अनुमन्य नहीं है।

4. किराया क्रय पद्धति के आधार पर अर्जित की जाने वाली संपत्ति के लिये अग्रिम अनुमन्य नहीं है।

भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत करने हेतु शर्तें

1. भवन निर्माण/क्रय अग्रिम स्वीकृत करने के बाद निर्धारित 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व

बिना शासन की पूर्व अनुमति के भवन मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये।

2. कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन न हो तथा अस्थायी होने की दशा में नियुक्ति तदर्थ और संविदा के आधार पर न हो।

ब्याज दरें एवं ब्याज की गणना

भवन निर्माण अग्रिम पर देय ब्याज की दरें निम्न प्रकार हैं :

(1)	Rs. 50,000/-	तक अग्रिम पर	.....	11 प्रतिशत
(2)	1,00,000/-	" "	.....	12.5 "
(3)	1,50,000/-	" "	.....	13.5 "
(4)	2,00,000/-	" "	.....	14.5 "
(5)	2,25,000/-	" "	.....	15.0 "
(6)	2,50,000/-	" "	.....	15.5 "

नियमित भुगतान (अदायगी) करने पर 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है।

ब्याज गणना का फारमूला निम्न प्रकार है :—

प्रोग्रेसिव टोटल x ब्याज दर x 1/12 x 1/100

मोटरकार, मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड एवं बाइसिकल अग्रिम

मोटरकार अग्रिम की स्वीकृति एवं शर्तों आदि का विस्तृत उल्लेख वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के पैरा 245, में दिया गया है। जो इस प्रकार हैं :—

(1) यह अग्रिम शासन के सचिव, विभागाध्यक्ष तथा जिला जज द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) यह उन्हीं अधिकारियों को स्वीकृत किया जायेगा जिनको कार रखने से सरकारी कार्य के निष्पादन में सुविधा हो तथा जिनका वेतन दिनांक 1-1-86 से स्वीकृत वेतनमानों में कम से कम रु० 3000 प्रतिमाह हो।

(3) यह सरकारी सेवक के 20 माह के वेतन के बराबर अथवा रु० 80,000 तक अथवा कार का मूल्य, जो भी कम हो, स्वीकृत किया जा सकता है। दिनांक 1-1-96 से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जिनका वेतन कम से कम रु० 10,500 हो रु० 1,80,000 तक का मोटर अग्रिम प्रथम बार स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु ग्यारह माह के वेतन से अधिक नहीं होना चाहिये।

(4) इस अग्रिम की वसूली अधिकतम 200 किस्तों में की जायेगी।

(5) मूलधन की वसूली के पश्चात् ब्याज की वसूली 18.5 प्रतिशत की दर से की जायेगी। नियमित भुगतान में 3½ प्रतिशत की छूट दी जायेगी (शा० आदेश संख्या-बी-3-2674/दस-92(2) 4-77, दिनांक 21-9-92)।

(6) दूसरी बार अग्रिम चार वर्ष बाद मिल सकता है। यह 20 माह के वेतन अथवा रु० 75,000 या गाड़ी का वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो तक सीमित होगा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को दूसरी बार ग्यारह माह के वेतन या रु० 1,60,000 जो भी कम हो, स्वीकृत किया जा सकता है।

(7) अग्रिम आहरण करने के पूर्व अधिकारी को प्रपत्र 25-ए में एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा कि वे वाहन को शासन के पक्ष में बन्धक रख देंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कोषागार को भेजे जाने वाले अग्रिम के देयक में अंकित किया जायेगा।

(8) अग्रिम आहरण के पश्चात् एक माह के अन्दर कार क्रय करके उसे प्रपत्र-25 में वास्तविक रूप से शासन के पक्ष में बन्धक रख दिया जायेगा।

(9) वाहन के क्रय के बाद एक माह के अन्दर उसका पूर्णरूपेण (Comprehensive) बीमा करा लेना चाहिये तथा उससे संबंधित अभिलेख महालेखाकार, उ० प्र० को भेज देना चाहिये।

कम्प्यूटर अग्रिम

शासनादेश संख्या-बी-3-62 अ/दस-89-4(1)/89-कम्प्यूटर, दिनांक 7 दिसम्बर, 1989 के अनुसार उन अधिकारियों को जो कार अग्रिम पाने के अधिकारी हैं, को निजी प्रयोगार्थ कम्प्यूटर क्रय करने हेतु रु० 45,000 तक का अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। इसकी वसूली 150 मासिक किस्तों में की जायेगी तथा ब्याज दर 18.5 प्रतिशत होगा। नियमित वसूली में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

जिन अधिकारियों को कार अग्रिम मिल चुका है उनको चार वर्ष पश्चात् ही यह अग्रिम मिलेगा तथा भविष्य में मोटरकार अथवा कम्प्यूटर अग्रिम तभी अनुमन्य होगा जब उनमें से एक अग्रिम की वसूली ब्याज सहित पूर्ण हो जाय (शासनादेश संख्या-बी-3-688/दस, दिनांक 8-2-94)।

मोटर साइकिल तथा स्कूटर अग्रिम

वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के पैरा 246, सपठित शासनादेश संख्या-बी-3-4620/दस-125/75, दिनांक 27 जुलाई, 1989 के अनुसार सरकारी सेवकों को मोटर साइकिल अथवा स्कूटर खरीदने हेतु रु० 13,000 तक का अग्रिम अथवा 8 माह का वेतन या वाहन का मूल्य, जो भी कम हो, स्वीकृत किया जा सकता है, यदि इससे उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो। दिनांक 1-1-96 से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों जिनका वेतन रु० 4600 कम से कम हो को रु० 30,000 तक या 6 माह का मूल वेतन जो भी कम हो, मोटर साइकिल/स्कूटर अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। दूसरी बार 5 माह का वेतन या रु० 24000 जो भी कम हो स्वीकृत किया जा सकता है।

इस अग्रिम की वसूली कुल 70 किस्तों में की जायेगी। मूलधन की वसूली के पश्चात् 15 प्रतिशत की दर से ब्याज की वसूली की जायेगी। नियमित भुगतान पर 3.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी (शासनादेश संख्या-बी-3-688/दस, दिनांक 8-2-94)।

दूसरी बार अग्रिम 6 माह के वेतन अथवा रु० 10,000/- जो भी कम हो, के बराबर उ०प्र० के कर्मचारियों को देय होगा। बीमा तथा बन्धक रखने आदि की शर्तें वही होंगी जो मोटर कार के संबंध में हैं।

मोपेड अग्रिम

पैरा-246-ए, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 सपठित शासनादेश संख्या-बी-3-1373/दस-91-125/75 मो०वा०, दिनांक 10 जुलाई, 1991 के अनुसार दिनांक 1-1-86 के वेतनमानों रु० 850 प्रतिमाह अथवा इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मोपेड अथवा आटो साइकिल क्रय हेतु रु० 6,000 तक का अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।

अग्रिम की वसूली 70 किस्तों में की जायेगी। मूलधन की वसूली के पश्चात् ब्याज की वसूली 15 प्रतिशत की दर से की जायेगी। नियमित भुगतान में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी (शासनादेश संख्या-बी-3-2674/दस-92-2(4)/77-ब्याज, दिनांक 21-9-1992)।

बीमा आदि से संबंधित शर्तें वही होंगी जो मोटर वाहन अग्रिम के मामले में होती हैं।

बाइसिकल अग्रिम

पैरा-247, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1, सपठित शासनादेश संख्या-बी-3-6622/दस-125/75, दिनांक 29-7-89 के अनुसार अब रु० 600/- का बाइसिकल अग्रिम केवल उन्हीं कर्मचारियों को स्वीकृत किया जा सकता है जिनका वेतन दिनांक 1-1-86 से स्वीकृत वेतनमान में रु० 1750 प्रतिमाह से अधिक न हो।

इसकी वसूली 30 किस्तों में की जायेगी तथा ब्याज दर 12.5 प्रतिशत होगी। नियमित भुगतान में 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी (शासनादेश बी-3-688/दस, दिनांक 8-2-94)।

अस्थायी कर्मचारियों को यह अग्रिम स्थायी कर्मचारियों की जमानत पर देय होगा।

1. भवन निर्माण अग्रिम

(House Building Advance)

1

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3

संख्या-बी-3-52-दस-81-1(11)-79-भवन

लखनऊ, दिनांक 26 मार्च, 1981

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 19-8-1980-कार्मिक-1, दिनांक 29 अप्रैल, 1980 के द्वारा ऐसे अस्थायी कर्मचारी जो 3 वर्षों से अथवा इससे अधिक अवधि से अस्थायी चले आ रहे हैं और तैनाती की तिथि से निरन्तर कार्य कर रहे हैं उन्हें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद कुछ अन्य सुविधाओं के साथ-साथ निम्नलिखित सुविधा प्रदान की गयी है :—

शर्तें.—(1) कर्मचारी की मूल नियुक्ति भर्ती के प्रासंगिक नियमों विधिवत् प्रशासकीय आदेशों के अनुसार नियमित रूप से (तदर्थ नहीं) हुई हो तथा वह विधिवत् स्वीकृत संवर्गीय (सैंक्शन्ड कैडर स्ट्रेंथ) स्थायी अथवा अस्थायी पद पर कार्यरत हो एवं उसकी नियुक्ति संविदा के आधार पर न हुई हो।

(2) कर्मचारी का कार्य, आचरण संतोषजनक रहा हो, सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो तथा उसके विरुद्ध निलम्बन एवं कोई अनुशासनिक कार्यवाही आदि न हो रही हो।

सुविधाएं.—1. ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को गृह निर्माण, वाहन क्रय के ऋण प्राप्ति की सुविधायें ठीक उसी प्रकार उपलब्ध कराई जायें जो अन्य स्थायी कर्मचारियों को निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार दी जाती हैं। ऋण की अदायगी सुनिश्चित करने के लिये उन्हें स्थायी कर्मचारी की श्योरिटी भी देनी होगी तथा ग्रेच्युटी की धनराशि तभी देय होगी जब कोई सरकारी बकाया न हो।

2. अस्थायी कर्मचारियों को वाहन क्रय हेतु अग्रिम की सुविधा एक स्थायी कर्मचारी की प्रतिभूति देने पर पहले से उपलब्ध है। समुचित विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त श्रेणी के अस्थायी

कर्मचारी को भवन निर्माण, क्रय, मरम्मत हेतु अग्रिम की सुविधा दो ऐसे स्थायी कर्मचारियों की निर्धारित प्रारूप, फार्म 25-डी (प्रतिलिपि संलग्न) में प्रतिभूति देने पर उपलब्ध करायी जाये, जो स्वीकृत अग्रिम के प्रतिदान तथा उस पर देय ब्याज के भुगतान के पूर्ण हो जाने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले न हों। भविष्य में यदि सम्बन्धित अस्थाई कर्मचारी सेवा में स्थायी हो जाता है तो स्थायी कर्मचारियों की प्रतिभूति समाप्त हो जायेगी।

3. वर्तमान नियमों में विभागाध्यक्ष, शासन के सचिव तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अपने अधीनस्थ स्थायी कर्मचारियों को भवन निर्माण, क्रय, मरम्मत अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। शासन ने यह निर्णय लिया है कि उक्त श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को भी भवन निर्माण आदि अग्रिम की स्वीकृति उक्त अधिकारियों द्वारा ही दी जाये।

4. उक्त श्रेणी के अस्थायी कर्मचारी, जिसे अग्रिम स्वीकार किया जायेगा, द्वारा भी अग्रिम लेने वाले स्थायी कर्मचारी द्वारा भरा जाने वाला फार्म, 22, 22-ए, 22-बी, 22-सी, 22-डी, 23 तथा 23-ए, जो भी लागू हो, भरा जायेगा। अतः उक्त फार्म के अन्तिम उपबन्ध में शब्द "retirement or death preceding retirement" के साथ "ceasing to be in the service of the State Government or death preceding such a ceasure" और बढ़ा दिया जाये और फार्म के अन्त में "जो लागू न हो काट दिया जाये" की एक टिप्पणी अंकित कर दी जाये।

5. ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

6. वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 में यथावश्यक संशोधन बाद में अलग से जारी किये जायेंगे।

राज कुमार दर,
वित्त सचिव।

अध्याय 22

सरकारी सेवक का नाम/गृह जनपद परिवर्तन

(Change of Name/Home-District of Government Servant)

सरकारी सेवा में आरंभिक नियुक्ति के समय सरकारी सेवक का जो नाम लिखा रहता है उसमें, सामान्यतः, कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं होती है। यदि कोई आपवादिक एवं समुचित कारण हो तो शासन, अपवादस्वरूप, "नाम" परिवर्तन की अनुमति दे सकता है। संबंधित सरकारी सेवक इस विषय में समुचित कारण सहित आवेदन देगा तथा "नाम परिवर्तित" करने के अपने Intention की सूचना राज्य में प्रचलित समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराएगा तथा उस समाचार-पत्र में भी प्रकाशित कराएगा जो उसके सामान्य निवास वाले locality में प्रकाशित होता हो। शासन, नाम परिवर्तन के प्रस्ताव की सूचना, सरकारी गजट में प्रकाशित कराएगा। शासन द्वारा सरकारी सेवक के नाम परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर देने पर सरकारी अभिलेखों में तदनुसार प्रविष्टि की जाएगी तथा सभी संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाएगी। राजपत्रित अधिकारी के मामले में सरकारी गजट में इसकी अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, उ० प्र० को भी प्रेषित की जाएगी।

सरकारी सेवा में नियुक्ति के समय सरकारी सेवक द्वारा घोषित 'गृह जनपद' में, आपवादिक मामलों में सेवाकाल में सिर्फ एक बार, परिवर्तन की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की जा सकती है।

1

EXTRACT OF PARA 250 OF MANUAL OF GOVERNMENT ORDERS, 1981 EDITION, U.P. GOVERNMENT PUBLICATION

G.O. no. 3497/III—500(5)-46 dated November 6, 1946

250. Applications by Government servants for change of name.—(1) In as much as the names of Government servants are entered in official records and in certain cases officers execute documents on behalf of Government, it has been decided that no Government servant under the administrative control of State Government will ordinarily be allowed to change his name. If, however, there are exceptional and adequate reasons Government can consider to make an exception provided due publicity is given and no room is left for any fraud or deception. Hence, any applicant desiring to change his name will be required to give notice of such intention in the

Government will also cause notice of the proposed change to be published in the *gazette*.

(2) As a general practice, a change in name takes place on the marriage of a female and this also applies to female Government servants. The new name adopted by a female Government servant on marriage should be communicated to the appointing authority of the post held by her. The change will be carried out in the official records relating to her. In the case of a *non-gazetted* Government servant the appointing authority will issue orders and inform all concerned. In the case of a *non-gazetted* officer the appointing authority will issue a notification to be published in the Uttar Pradesh *Gazette* stating the change in name. A copy of the notification should be sent to the Accountant General, Uttar Pradesh also.

2

EXTRACT OF PARA 31 OF MANUAL OF ORDERS, 1989 EDITION, U.P. GOVERNMENT PUBLICATION

31. Criteria for change of home town.—The following orders of the State Government exist in regard to change of home town (*see* rule 81-B, F.H.B., Volume III, Travelling Allowance Rules) :

> "A declaration of Home Town once made shall ordinarily be treated as final but in exceptional circumstances Government in the administrative department may authorise a change in such declaration provided that such a change shall not be made more than once during the service of the government servant".

The Government of India have laid down certain principles in this behalf which can be usefully adopted for employees under the State Government. According to the Government of India, the correct test whether a place declared by a government servant may be accepted as his home town or not is to check whether it is the place where the government servant would normally reside but for his absence from such a station for service under Government. The criteria mentioned below may, therefore, be applied to determine whether the Government servant's declaration may be accepted :

(1) Whether the place declared by the government servant is the one which requires his physical presence at intervals for discharging various domestic and social obligations and, if so, whether after his entry into service the government servant had been visiting that place frequently.

(2) Whether the government servant owns residential property in the place or whether he is a member of a joint family having such property there.

(3) Whether his near relations are resident in that place.

(4) Whether prior to his entry into Government service, the Government servant had been living there for some years.

Note.—The criteria, one after the other, need be applied only in cases where the immediately preceding criterion is not satisfied.

अध्याय - 23

सामान्य भविष्य निधि
(General Provident Fund)

अभिदाता

सरकारी सेवा में नियुक्त होने पर निम्नलिखित सरकारी सेवकों को, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सामान्य भविष्य निधि में अभिदान करना होता है :—

(1) ऐसे अस्थायी या परिवीक्षाधीन सरकारी सेवक (जिसमें प्रशिक्षु भी सम्मिलित हैं) जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक समय तक जारी रहने की सम्भावना हो।

(2) सभी स्थायी सरकारी सेवक।

किन्तु निम्नलिखित कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि में अभिदान करने के पात्र नहीं हैं :—

(क) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, एवं

(ख) पुनर्नियोजित पेंशनभोगी।

इसके लिए महालेखाकार, उ० प्र० को निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र भेजना चाहिए। उनके द्वारा नम्बर आवंटित होने पर निधि में कटौती वेतन बिलों से आरम्भ की जानी चाहिए। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही नम्बर आवंटित किया जायेगा, क्योंकि उनके संबंध में निधि का सभी कार्य कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है।

नामांकन

निधि में अभिदान आरम्भ करते समय प्रत्येक अभिदाता को अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नामांकित करते हुए, निर्धारित प्रपत्र पर, नामांकन-पत्र अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए। नामांकन पत्र विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निधि की पास-बुक के साथ रखा जायेगा तथा उसकी प्राप्ति भी स्वीकार की जायेगी। स्थानान्तरण की दशा में नामांकन-पत्र भी पास बुक के साथ नये कार्यालय भेज देना चाहिए। नामांकन की प्रविष्टि पास-बुक में भी की जानी चाहिए। विवाहित व्यक्तियों द्वारा नामांकन परिवार के किसी सदस्य को ही किया जा सकता है। यहाँ "परिवार" का तात्पर्य अभिदाता के पति या पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, और उसके संतान तथा मृत पुत्र की विधवा और उसके संतान से है।

मासिक अभिदान की दरें व शर्तें

मासिक अभिदान की धनराशि 31 मार्च की परिलब्धियों के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं तय की जायेगी किन्तु यह वेतन के 10% से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम कितनी भी हो सकती है, परन्तु पूरे वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूरे वित्तीय वर्ष में यह एक ही रहेगी किन्तु यदि सरकारी सेवक चाहे तो उसे वित्तीय वर्ष में एक बार घटा सकता है और दो बार बढ़ा सकता है। निलम्बन की अवधि में कटौती नहीं करनी चाहिए तथा बिना वेतन के अवकाश अथवा अर्धवेतन के अवकाश पर, यदि कर्मचारी चाहे तो अभिदान न दे।

सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व कटौती रोक देनी चाहिए।

उ० प्र० के अन्दर किसी उपक्रम आदि में वाह्य सेवा की अवधि में मासिक अभिदान ट्रेजरी चालान द्वारा स्टेट बैंक में जमा करना चाहिए तथा प्रदेश के बाहर जाने पर स्टेट बैंक का ड्राफ्ट

बनवाकर महालेखाकार, उ० प्र०/कार्यालयाध्यक्ष को भेजना चाहिए।

ब्याज तथा प्रोत्साहन बोनस

1-4-86 से फण्ड पर ब्याज की दर 12% कर दी गई है परन्तु एक प्रतिशत का प्रोत्साहन बोनस जो 3 वर्ष तक अग्रिम न लेने पर मिलता था, वह समाप्त कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष में लिये गये स्थायी अग्रिम (फाइनल विथड्राल) की धनराशि पर एक प्रतिशत की दर से धनराशि अनुमन्य ब्याज से घटाने की व्यवस्था 1986-87 से समाप्त कर दी गई है। (विज्ञप्ति संख्या सा-4-जी-ओ०ई०-28/दस-85-86-59/81, दिनांक 5-7-86)। वित्तीय वर्ष 2000-2001 से अर्थात् 1-4-2000 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दी गयी। (विज्ञप्ति संख्या-सा-4-जीआई-8/दस-2000-59/81, दिनांक 15 मई, 2000)।

सेवानिवृत्ति के 6 माह से अधिक बाद यदि अंतिम भुगतान का प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो ब्याज एक वर्ष से अधिक की अवधि तक का नहीं दिया जायेगा अथवा भुगतान की तिथि तक दिया जायेगा यदि वह इसके पूर्व हो।

अस्थाई अग्रिम

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अस्थायी अग्रिम सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर स्वीकृत किया जा सकता है :—

(1) स्वयं तथा परिवार के किसी सदस्य अथवा अपने ऊपर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रसव, शारीरिक अशक्तता और उससे संबंधित यात्रा व्यय को वहन करने हेतु।

(2) (अ) उपरोक्त के भारत के बाहर हाई स्कूल के स्तर से उच्च साहित्यिक, टेक्निकल या व्यावसायिक शिक्षा के व्यय को वहन करने हेतु।

(ब) भारत के अन्दर मेडिकल, टेक्निकल अथवा इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए जो हाई स्कूल से उच्च हो।

(3) उपरोक्त की शादी, मृतक क्रिया आदि अथवा अन्य संस्कारों के लिए।

(4) उपरोक्त के किसी प्रकार के मुकदमों में खर्च के लिए।

(5) अभिदाता के विरुद्ध अपनी विभागीय ड्यूटी के संबंध में की जा रही आचरण की जांच में बचाव के लिए वकील करने पर व्यय को वहन करने हेतु।

(6) मकान क्रय के लिए, प्लाट, मकान बनवाने अथवा मरम्मत या विकास प्राधिकरण आदि द्वारा आवंटित मकान के मूल्य के भुगतान के लिए।

(7) मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड, साइकिल, फ्रिज, रूम कूलर, खाना पकाने की गैस और टेलीविजन क्रय करने के लिए।

इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल किसी अन्य औचित्यपूर्ण प्रयोजन के लिए भी अग्रिम स्वीकृत कर सकते हैं।

साधारणतया अग्रिम की धनराशि अभिदाता के तीन माह के वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से अधिक, जो भी कम हो, न होनी चाहिए तथा पहले लिए गये अग्रिम को अदा करने के पश्चात् 12 माह का समय व्यतीत हो जाना चाहिए।

विशेष परिस्थितियों में अग्रिम उक्त सीमा से अधिक भी स्वीकृत किया जा सकता है तथा पहले अग्रिम के चलते हुए भी स्वीकृत किया जा सकता है।

अग्रिम के लिए प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए तथा स्वीकृति का आदेश भी निर्धारित प्रपत्र पर जारी करना चाहिए।

अस्थायी अग्रिम की वसूली

साधारण रूप से स्वीकृत अग्रिमों की वसूली कम से कम 12 व अधिक से अधिक 24 किश्तों में की जानी चाहिए तथा विशेष दशा में 3 माह के वेतन से अधिक स्वीकृत अग्रिम 36 किश्तों में वसूल किये जा सकते हैं। यदि पहले की कुछ धनराशि बकाया हो तो उसको समेकित करके किश्तें निर्धारित की जानी चाहिये।

निलम्बन की अवधि में तथा जब कर्मचारी अर्द्धवेतन अथवा बिना वेतन की, कम से कम 10 दिन के अवकाश पर हो, वसूली नहीं करनी चाहिए। जिस माह में अग्रिम का भुगतान किया जाय उसके अगले माह से वसूली आरम्भ की जानी चाहिए।

यदि यह पता चल जाता है कि अग्रिम का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए नहीं किया गया, तो पूर्ण धनराशि एकमुश्त या कुछ किश्तों में वसूल की जा सकती है।

अंतिम निष्कासन (स्थायी अग्रिम)

स्थायी अग्रिम उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जो विशेष दशा में अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम हैं। इसके लिए भी प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप पर होना चाहिए तथा स्वीकृति का आदेश भी निर्धारित प्रपत्र में जारी करना चाहिए।

साधारणतया स्थायी अग्रिम 6 माह के वेतन अथवा फण्ड में जमा धनराशि की आधी, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विशेष दशा में यह फण्ड में जमा धनराशि के 3/4 (तीन चौथाई) तक स्वीकार किया जा सकता है। मोटरकार, स्कूटर आदि के क्रय हेतु तीन चौथाई की सुविधा नहीं मिलेगी अर्थात् जमा धनराशि के आधे से अधिक नहीं मिलेगा।

स्थायी अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु स्वीकृत किया जायेगा :—

(क) 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् अथवा सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष रह जाने पर, जो भी पूर्व हो :—

(1) स्वयं अथवा अपने आश्रित बच्चों की निम्नलिखित उच्च शिक्षा हेतु :—

(i) हाई स्कूल के स्तर के बाद, भारत से बाहर साहित्यिक, टेक्निकल अथवा व्यावसायिक शिक्षा।

(ii) हाई स्कूल के स्तर के बाद भारत के अन्दर मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल अथवा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए।

(2) अभिदाता के पुत्र, पुत्री अथवा अन्य वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति की शादी के लिए।

(3) उपरोक्त की बीमारी, प्रसव, शारीरिक अशक्तता के इलाज तथा उससे संबंधित यात्रा व्यय को वहन करने हेतु।

(ख) 20 वर्ष की सेवा के पश्चात् अथवा सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष रह जाने पर (जो भी पूर्व हो)।

(i) मोटरकार, मोटर साइकिल, स्कूटर क्रय करने के लिए 50,000 रुपये अथवा फण्ड में जमा धनराशि के आधे के बराबर अथवा वाहन के मूल्य के बराबर, जो भी कम हो।

(ii) मोटरकार, मोटर साइकिल अथवा स्कूटर की भारी मरम्मत हेतु 5,000 रुपये तक।

(ग) 15 वर्ष की सेवा के पश्चात् अथवा सेवानिवृत्ति में 10 वर्ष रह जाने पर, जो भी पूर्व हो।

गृह निर्माण हेतु, बना बनाया या फ्लैट अथवा प्लाट क्रय करने हेतु अथवा इन प्रयोजनों हेतु लिए गये ऋण की अदायगी हेतु।

या

अपने वर्तमान निजी या पुश्तैनी घर में परिवर्तन, परिवर्धन अथवा नवीनीकरण हेतु किन्तु इस प्रयोजनार्थ 40,000 रुपये से अधिक धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

(घ) तीन वर्ष की सेवा के पश्चात् :—

जीवन बीमा पालिसीज, जो चार से अधिक न हो, के प्रीमियम के भुगतान हेतु किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कुल देय धनराशि वर्ष में एक बार में ही निकाल लेनी चाहिए।

(ङ) सेवानिवृत्ति के 12 माह रह जाने पर :—

कृषि हेतु खेत अथवा दुकान अथवा दोनों के क्रय हेतु। सेवानिवृत्ति के 6 माह रह जाने पर साधारणतया कोई स्थायी अग्रिम स्वीकृत नहीं करना चाहिए।

यदि किसी अभिदाता द्वारा अस्थायी अग्रिम लिया गया हो और उसको उसी प्रयोजन हेतु स्थायी अग्रिम अनुमन्य हो तथा उसको वह स्थाई अग्रिम में परिवर्तन करने का प्रार्थना-पत्र दे, तो स्थायी अग्रिम में परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रत्येक अभिदाता को महालेखाकार, उ० प्र०/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वार्षिक लेखा पर्ची, वर्ष समाप्ति के 6 माह के अन्दर उपलब्ध करा देनी चाहिए। इसमें आरम्भिक शेष, वर्ष में जमा धनराशि, निष्कासित धनराशि, देय ब्याज तथा शुद्ध जमा धनराशि दर्शायी जानी चाहिए।

प्रावीडेण्ट फण्ड ऐक्ट, 1925 की धारा-3 के अनुसार फण्ड से किसी प्रकार के सरकारी बकाया अथवा न्यायालय आदि के आदेश से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती।

सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर भुगतान

अभिदाता की सेवानिवृत्ति पर या देहान्त के पश्चात् अभिदाता के खातों में जमा धनराशि को तत्परता से भुगतान के उद्देश्य से विज्ञप्ति संख्या-सा-4-41/दस-2000-500(1)/99, दिनांक 19-2-2000 द्वारा जी० पी० फण्ड नियमावली, 1985 के नियम 24 के उप नियम 24(4) तथा 5(क) एवं (ख) को जो जमा धनराशि के अंतिम भुगतान से सम्बन्धित हैं, को इस प्रकार से संशोधित कर दिया कि अब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति/देहान्त पर ट्रेजरी प्रपत्र संख्या-425-ख में अंतिम भुगतान के निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र के बगैर ही, सेवानिवृत्ति के दिनांक को तथा अन्य मामलों में धनराशि देय महीने के तीन माह के अन्दर अंतिम भुगतान की व्यवस्था की जाय।

समूह 'घ' से भिन्न अधिकारियों के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी बिना प्रपत्र 425-क या 425-ख में आवेदन-पत्र की प्रतीक्षा के, विहित प्रपत्र पर, चालू और पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट तीन प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की दो प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास-बुक के साथ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा जो उनकी समुचित

जांच करके उन्हें एक माह के भीतर द्वितीय अनुसूची के पैरा-2 में उल्लिखित स्वीकृत प्राधिकार को सामान्य भविष्य निधि पास-बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट 'ग' में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सकें।

जहाँ किसी विभाग में लेखा का निपटारा करने वाला कोई अधिकारी न हो, वहाँ परिकलन शीट की जांच, सम्बद्ध जिले के कोषागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

स्वीकृति प्राधिकारी प्रपत्र 425-क या 425-ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास-बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथासम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।

शासनादेश संख्या-सा-4-775/दस-2000, दिनांक 17-11-2000 में स्पष्ट किया गया है कि विज्ञप्ति संख्या-सा-4-41/दस, दिनांक 19-2-2000 के अनुसार अब सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों तथा दिवंगत होने वाले सरकारी सेवकों के परिवार के सदस्यों से, भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि के भुगतान हेतु ट्रेजरी प्रपत्र संख्या-425-क तथा 425-ख में अंतिम भुगतान के प्रार्थना-पत्र देने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है ; अतएव बिना इनकी प्रतीक्षा के अंतिम भुगतान की कार्यवाही, उपरोक्त विज्ञप्ति दिनांक 19-2-2000 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, तत्काल सुनिश्चित की जानी चाहिए।

डिपाजिट लिंक इन्श्योरेन्स स्कीम

यदि भविष्य निर्वाह निधि के किसी अभिदाता का, कम से कम 5 वर्षों की सेवा के पश्चात् देहान्त हो जाता है, तो उसके परिवार को उसके फण्ड में, देहान्त की तिथि के पूर्व पिछले 3 वर्षों में जमा धनराशि के औसत के बराबर धनराशि का भुगतान किया जायेगा। भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम 30,000 रुपये 25-4-94 से कर दी गयी है (शासनादेश संख्या जी-4-जी. आई-152/दस, दिनांक 25-4-94)।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में उक्त भुगतान की स्वीकृति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदान की जायेगी तथा अन्य श्रेणी के सेवकों के सम्बन्ध में उन अधिकारियों द्वारा स्वीकृति के आदेश जारी किये जायेंगे जो विशेष दशा में निधि से अग्रिम स्वीकृति करने हेतु सक्षम हैं। भुगतान का देयक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा और उन्हीं के द्वारा भुगतान किया जायेगा। औसत प्रत्येक माह के अंत में जमा धनराशि के आधार पर निकाला जायेगा अर्थात् प्रत्येक छत्तीसों माह के अंत में जमा धनराशि को जोड़कर 36 से भाग देकर निकाला जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि इस योजना में भुगतान तभी अनुमन्य होगा, जब मृत कर्मचारी के खाते में

मृत्यु के पूर्व 36 महीनों में कभी भी जमा धनराशि निम्नलिखित सीमा से कम न रही हो :—

1.	वे अधिकारी जिनका वेतनमान अधिकतम 4,000 रु० या अधिक हो। (1-1-86 से स्वीकृत वेतनमानों में)	रु० 12,000
2.	रु० 2,900 से 3,999 तक वेतनमान पाने वाले अधिकारी।	रु० 7,500
3.	तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जिनके पद के वेतनमान का अधिकतम रु० 1151 से 2899 रु० तक हो।	रु० 4,500
4.	रु० 1151 से कम वेतनमान पाने वाले।	रु० 3,000

उपर्युक्त व्यवस्था 25-4-94 से प्रभावी है।

शासनादेश संख्या सा-4-208/दस, दिनांक 1-8-95 में यह आदेश जारी किये गये कि प्रत्येक कर्मचारी को उनके पास बुक के उद्धरण 30 जून तक उपलब्ध करा देना चाहिए।

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि (उ० प्र०) के लेखों में जमा धनराशि पर ब्याज गणना का नमूना

(ऐसे मामले जिनमें वर्ष में कोई अस्थायी अग्रिम अथवा अन्तिम निष्कासन नहीं लिया गया)

प्रारम्भिक शेष 9000/- रु०

मास का नाम	मासिक अभिदान की धनराशि	अस्थाई अग्रिम की वापसी के रूप में जमा धनराशि	योग मासिक जमा	आहरण (अस्थायी अग्रिम अथवा अन्तिम निष्कासन)	मासिक प्रगतिशील (प्रोग्रेसिव) योग
1	2	3	4	5	6
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
मार्च देय अप्रैल 1996	300.00	200.00	500.00		500.00
मई 1996	300.00	200.00	500.00		1,000.00
जून 1996	300.00	200.00	500.00		1,500.00
जुलाई 1996	300.00	200.00	500.00		2,000.00
अगस्त 1996	300.00	200.00	500.00		2,500.00
सितम्बर 1996	300.00	200.00	500.00		3,000.00
अक्टूबर 1996	300.00	200.00	500.00		3,500.00
नवम्बर 1996	300.00	200.00	500.00		4,000.00
दिसम्बर 1996	300.00	200.00	500.00		4,500.00
जनवरी 1997	300.00	200.00	500.00		5,000.00
फरवरी 1997	300.00	200.00	500.00		5,500.00

मार्च 1997	300.00	200.00	500.00	6,000.00
			योग रु०	39,000.00
			मासिक औसत = 39,000.00 ÷ 12	
			= रुपये 3250/-	

उपरोक्त औसत रु० 3250/- में प्रारम्भिक शेष रु० 9000/- जोड़ने से = रु० 12250/-

अस्तु रु० 12250/- पर 12% की दर से ब्याज = रु० 1470/- (एक हजार चार सौ सत्तर रुपये)

(1986-87 के लिए वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या सा-4-जी आई-28/दस-86-59/81 दिनांक 5-7-86 द्वारा 12 प्रतिशत का ब्याज निर्धारित किया गया है तथा इसी के साथ रेडी रेकनर भी प्रकाशित किया गया है)। वित्तीय वर्ष 2000-2001 से ब्याज दर घटा कर 11 प्रतिशत कर दी गयी।

1. नियम एवं प्रक्रिया

(Rules and Procedure)

1

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985

(अद्यतन संशोधित)

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या सी-591/10-374-1934, दिनांक 7 मार्च, 1935 के साथ प्रकाशित जनरल प्रोवीडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985

संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(क) यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 कही जावेगी।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।[1]

2. परिभाषाएं.—(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :—

(क) ऐसे समूह "घ" (पूर्ववर्ती चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों के संबंध में, जिनका लेखा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है, "लेखा अधिकारी" का तात्पर्य सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी से और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी से है जिसको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा का अनुरक्षण करने का कार्य सौंपा गया हो ;

1. यह नियमावली दिनांक 29.10.1985 से प्रवृत्त है।

(ख) "परिलब्धि" का तात्पर्य यदि स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित हो तो उसके सिवाय, फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-2 में यथा परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह अनुदान से है और इसके अन्तर्गत वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह अनुदान यदि देय हो, पर देय समुचित महँगाई वेतन और वास्य सेवा के संबंध में प्राप्त वेतन के प्रकार का कोई पारिश्रमिक भी है,

(ग) "परिवार" का तात्पर्य—

(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में अभिदाता की पत्नी या पत्नियों और संतान तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान से है :

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक कर दी गयी है या उस समुदाय की, जिसकी वह अंग है, रूढ़िजन्य विधि के अधीन भरण-पोषण की हकदार नहीं रह गयी है तो उस ऐसे मामलों में जिनसे यह नियमावली सम्बन्धित हो, आगे से अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में लिखित रूप में लेखा अधिकारी को यह सूचित न करे कि वह परिवार की सदस्य समझी जाती रहेगी ;

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता के पति और संतान तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान से है :

परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित सूचना द्वारा अपने परिवार से अपने पति को अपवर्जित करने की अपनी इच्छा को व्यक्त करे तो पति को उसके आगे से ऐसे मामलों में जिनसे यह नियमावली संबंधित हो, अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित रूप में रद्द न करे।

टिप्पणी.—"संतान का तात्पर्य धर्मज संतान से है और इसके अन्तर्गत, जहां दत्तक ग्रहण अभिदाता पर शासी स्वीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो, दत्तक संतान भी है।

(घ) "निधि" का तात्पर्य सामान्य भविष्य निधि से है,

(ङ) "छुट्टी" का तात्पर्य फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड-2 भाग 2 से 4 में यथा उपबन्धित किसी प्रकार की छुट्टी से है,

(च) "उपक्रम" का तात्पर्य निम्नलिखित से है :—

(एक) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निगमित परिनियत निकाय,

(दो) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत सरकारी कम्पनी ;

(तीन) उत्तर प्रदेश सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 4 के खण्ड (25) के अर्थान्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी,

(चार) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वैज्ञानिक संगठन जो पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो,

[1](छ) "वर्ष" का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किसी अन्य पद का जो या तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925

1. उ.प्र. असाधारण गजट में क्रम संख्या (चार) के पश्चात् (छः) मुद्रित है, जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

(अधिनियम संख्या 19 सन् 1925) में या फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग 2 से 4 में परिभाषित हो, उपयोग उनमें परिभाषित भाव के अनुसार किया गया है।

(3) इस नियमावली में दी गई किसी बात का प्रभाव यह नहीं समझा जायेगा कि उसमें इसके पूर्व यथा विद्यमान भविष्य निधि के अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है या किसी नयी निधि का गठन किया जा रहा है।

निधि का गठन

3. निधि का गठन.—(1) निधि भारत में रुपयों में रखी जायेगी।

(2) इस नियमावली के अधीन निधि में जमा की गयी समस्त धनराशि सरकार की पुस्तिकाओं में "सामान्य भविष्य निधि" नामक लेखा में जमा की जायेगी। ऐसी धनराशियां जिनका भुगतान इस नियमावली के अधीन भुगतान प्राधिकार पत्र जारी करने के पश्चात् छः मास के भीतर नहीं लिया गया हो, वर्ष के अन्त में "निक्षेप" खाते में अन्तरित कर दी जायेंगी और उसके संबंध में निक्षेपों से सम्बन्धित सामान्य नियम लागू होंगे।

[1][**4. पात्रता की शर्तें.**—संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों से भिन्न समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी सरकारी सेवक, जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे :

परन्तु कोई सरकारी सेवक जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् सेवा में प्रवेश करता है, निधि में अभिदान नहीं करेगा।

टिप्पणी 1.—शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जायेगा।

टिप्पणी 2.—ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक (जिसके अन्तर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं) जिन्हें नियमित या अस्थायी रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, निधि में अभिदान करेंगे।

टिप्पणी 3.—जैसे ही कोई सरकारी सेवक निधि में अभिदान करने का दायी हो जाय, वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिये कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे दें।]

नामांकन

5. नामांकन.—(1) अभिदाता निधि का सदस्य बनते समय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को नामांकन प्रस्तुत करेगा जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों को ऐसी धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त होगा जो उस धनराशि के देय होने के पूर्व या देय हो जाने पर भुगतान न होने के पूर्व उसकी मृत्यु की दशा में निधि में उसके नाम जमा हो :

परन्तु कोई अभिदाता जिसका नामांकन करने के समय परिवार हो, ऐसा नामांकन केवल अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ही करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी अन्य भविष्य निधि के संबंध में जिसमें वह निधि का सदस्य बनने के

---

1. नियम 4 पहले सामान्य भविष्य निधि (उ.प्र.) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 द्वारा दिनांक 29.7.1997 से प्रतिस्थापित किया गया, तत्पश्चात उक्त नियम को सामान्य भविष्य निधि (उ.प्र.) (संशोधन) नियमावली, 2005, अधिसूचना संख्या-सा-3-470/दस-2005-301(9)-03, दिनांकित 7.4.2005 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित किया गया जो दिनांक 1.4.2005 से प्रभावी हुआ।

पूर्व अभिदान कर रहा था, अभिदाता द्वारा किये गये नामांकन को, यदि ऐसी अन्य निधि में उसके नाम जमा धनराशि निधि में उसके जमा में अन्तरित कर दी गयी हो, इस नियम के अधीन सम्यक् रूप से किया गया नामांकन तब तक न समझा जायेगा जब तक कि वह इस नियम के अनुसार नामांकन नहीं करता।

(2) यदि अभिदाता उप नियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है तो वह नामांकन में प्रत्येक नामांकिती को देय धनराशि या अंश को ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा जिससे कि सम्पूर्ण धनराशि का, जो किसी भी समय निधि में उसके नाम जमा हो, समावेश हो जाय।

(3) प्रत्येक नामांकन प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में होगा। वह प्राधिकारी जिसे नामांकन प्रस्तुत किया जाय, यह सुनिश्चित करेगा कि वह नियमानुसार है और उसकी प्राप्ति सूचना उसके द्वारा स्वीकार की जायेगी। यदि नामांकन अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाया जाय तो उसे ठीक करने और पुनः प्रस्तुत करने के लिये अभिदाता को लौटा दिया जायेगा। जब नामांकन स्वीकार कर लिया गया हो तब उसके संबंध में अपेक्षित प्रविष्टियां अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में समुचित स्थान पर दर्ज की जायेंगी और उस पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किया जायेगा। नामांकन अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पासबुक से बांधकर रखा जायेगा और जब उसका किसी दूसरे विभाग या कार्यालय को स्थानान्तरण हो जाय तब उसकी सामान्य भविष्य निधि पासबुक के साथ-साथ नामांकन पासबुक में इस आशय की प्रविष्टि करने के पश्चात् सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को अन्तरित किया जायेगा और उसकी प्राप्ति की सूचना भी उस कार्यालय से प्राप्त की जायेगी।

(4) अभिदाता किसी भी समय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को लिखित सूचना भेजकर नामांकन रद्द कर सकता है। अभिदाता ऐसी सूचना के साथ या पृथक रूप से इस नियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया नया नामांकन भेज सकता है।

(5) अभिदाता नामांकन में निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकता है :—

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामांकिती की अभिदाता के पूर्व मृत्यु की दशा में, उस नामांकिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को संक्रांत हो जायेगा जैसा नामांकन में विनिर्दिष्ट किया जाय, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा या ऐसे अन्य व्यक्ति यदि अभिदाता के परिवार में अन्य सदस्य हों, तो ऐसा या ऐसे अन्य सदस्य होगा/होंगे और जहाँ अभिदाता इस नियम के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदान करता है वहां वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देय धनराशि या अंश ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि नामांकिती को देय सम्पूर्ण धनराशि का समावेश हो जाय।

(ख) नामांकन में विनिर्दिष्ट कोई आकस्मिकता होने की दशा में वह अविधिमान्य हो जायेगा :

परन्तु यदि नामांकन करते समय अभिदाता का कोई परिवार न हो तो वह नामांकन में यह व्यवस्था करेगा कि बाद में उसका परिवार हो जाने की दशा में नामांकन अविधिमान्य हो जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता के परिवार में केवल एक सदस्य हो, तो वह नामांकन में यह व्यवस्था करेगा कि खण्ड (क) के अधीन वैकल्पिक नामांकिती को प्रदत्त अधिकार उसके अपने परिवार में बाद में अन्य सदस्य या सदस्यों के शामिल हो जाने की दशा मे अविधिमान्य हो जायेगा।

(6) ऐसे नामांकिती की, जिसके संबंध में उपनियम (5) के खण्ड (क) के अधीन नामांकन में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, मृत्यु होने पर या ऐसी किसी घटना के घटने पर जिसके कारण नामांकन उपनियम (5) के खण्ड (ख) या उसके परन्तुक के अनुसरण में अविधिमान्य हो जाय, अभिदाता तुरन्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को नामांकन रद्द करते हुए लिखित सूचना भेजेगा तथा साथ में इस नियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया नया नामांकन भी भेजेगा।

M.G.O. 56

(7) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और रद्द करने की दी गयी प्रत्येक सूचना, जहाँ तक वह विधिमान्य हो, उस दिनांक को प्रभावी होगा जिस दिनांक को वह विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्त हो।

टिप्पणी.—इस नियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, शब्द "व्यक्ति" या "व्यक्तियों" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या व्यक्तियों का संगम या निकाय भी है चाहे वह निगमित हो या नहीं।

अभिदाता का लेखा

6. अभिदाता का लेखा.—(1) प्रत्येक अभिदाता के नाम एक लेखा खोला जायेगा जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जायेगा :—

(एक) उसका अभिदान,

(दो) ऐसी अन्य धनराशि जैसी सरकार समय-समय पर जमा करने के लिये विनिश्चित करे ;

(तीन) अभिदान पर नियम 11 द्वारा यथा उपबन्धित ब्याज ;

(चार) अभिदान पर नियम 12 द्वारा यथा उपबन्धित बोनस,

(पांच) निधि से अग्रिम और आहरण।

[[(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व, सरकार के आदेशों के अधीन या अनुसार अभिदाता के खाते में जमा की गयी धनराशि को विधिमान्यतः जमा किया गया समझा जायगा, मानो इस नियमावली के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।]

अभिदान की शर्तें और दरें

7. अभिदान की शर्तें.—(1) अभिदाता उस अवधि को छोड़कर जब वह निलम्बित हो, निधि में मासिक रूप से अभिदान करेगा :

परन्तु जब अभिदाता पुनः स्थापन पर निलम्बन की अवधि का पूरा वेतन प्राप्त करता है तो वह उस अवधि के लिये देय बकाया अभिदान का भुगतान एकमुश्त या किश्तों में, जैसा अवधारित किया जाय, करेगा। अन्य स्थितियों में अभिदाता अपने विकल्प पर, निलम्बन की अवधि के लिये देय बकाया अभिदान का भुगतान एकमुश्त में या किश्तों में जैसा अवधारित किया जाय, कर सकेगा :

परन्तु यह और कि अभिदाता ऐसी छुट्टी के दौरान जिसके लिये या तो कोई छुट्टी वेतन न मिले या आधा वेतन या अर्द्ध औसत वेतन के बराबर छुट्टी वेतन मिले, अपने विकल्प पर चाहे तो अभिदान नहीं करेगा।

(2) अभिदाता उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट छुट्टी के दौरान अभिदान न करने के अपने चयन की सूचना निम्नलिखित रीति से देगा :—

(क) यदि वह ऐसा अधिकारी है जो अपने निजी वेतन बिलों का आहरण करता है तो छुट्टी पर जाने के पश्चात् तैयार किये गये अपने प्रथम वेतन बिल में अभिदान के मद्दे कोई कटौती न करके,

(ख) यदि वह ऐसा अधिकारी नहीं है जो अपने निजी वेतन बिलों का आहरण करता हो तो छुट्टी पर जाने के पूर्व अपने कार्यालय के प्रधान को लिखित सूचना द्वारा,

सम्यक और समय से सूचना न देने पर समझा जायेगा कि उसने अभिदान करने का चुनाव कर लिया है। इस उपनियम के अधीन अभिदाता द्वारा दी गई सूचना अन्तिम होगी।

---

1. सामान्य भविष्य निधि (उ.प्र.) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 द्वारा अन्तःस्थापित।

(3) अभिदाता जिसने नियम 24 के अधीन निधि में अपने नाम से जमा धनराशि का आहरण कर लिया है, ऐसे आहरण के पश्चात् निधि में अभिदान नहीं करेगा जब तक कि वह ड्यूटी पर न लौट आये।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अभिदाता की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के पूर्व उसके अन्तिम छः मास के वेतन से निधि में अभिदान के लिये कोई कटौती नहीं की जायेगी।

(ख) अभिदाता उस मास के लिये जिसमें वह सेवा निवृत्ति या अधिवर्षिता पर से भिन्न अन्य रूप से सेवा का त्याग करता है, तब तक निधि में अभिदान नहीं करेगा जब तक कि वह उक्त मास के प्रारंभ होने के पूर्व उक्त मास के लिये अभिदान करने के अपने विकल्प की लिखित सूचना कार्यालयाध्यक्ष को न दे दे।

8. अभिदान की धनराशि.—(1) अभिदान की धनराशि अभिदाता द्वारा स्वयं इस शर्त के अधीन रहते हुए निर्धारित की जायेगी कि धनराशि 10 प्रतिशत से कम और उसकी परिलब्धियों की धनराशि से अधिक नहीं होगी और पूर्ण रुपयों में व्यक्त की जायेगी।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ अभिदाता की परिलब्धियां निम्नलिखित होंगी :—

(क) ऐसे अभिदाता के मामले में, जो पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को सरकारी सेवा में था वह परिलब्धि जिसका वह उस दिनांक को हकदार था ; परन्तु—

(एक) यदि अभिदाता उक्त दिनांक को छुट्टी पर था और ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का उसने चुनाव किया था या उक्त दिनांक को निलम्बित था तो उसकी परिलब्धि वह परिलब्धि होगी जिसका वह अपनी ड्यूटी पर लौटने के पश्चात् प्रथम दिन को हकदार था,

(दो) यदि अभिदाता उक्त दिनांक को भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त दिनांक को छुट्टी पर था और छुट्टी पर ही चल रहा हो और ऐसी छुट्टी के दौरान उसने अभिदान न करने का चुनाव किया हो तो उसकी परिलब्धि वह परिलब्धि होगी जिसका वह हकदार होता यदि वह भारत में ड्यूटी पर होता,

(ख) ऐसे अभिदाता के मामले में जो पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को सरकारी सेवा में नहीं था, उसकी परिलब्धि ऐसी परिलब्धि होगी जिसका वह निधि का सदस्य बनने के दिनांक को हकदार था।

(3) अभिदाता प्रत्येक वर्ष में अपने मासिक अभिदान की धनराशि के निर्धारण की सूचना निम्नलिखित रीति से देगा :—

(क) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को ड्यूटी पर था, तो कटौती द्वारा जिसे वह उस मास के अपने वेतन बिल से इस निमित्त करायें,

(ख) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था और ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का उसने चुनाव किया हो या उस दिनांक को निलम्बित था तो कटौती द्वारा जिसे वह अपनी ड्यूटी पर लौटने के पश्चात् अपने प्रथम वेतन बिल से इस निमित्त करायें,

(ग) यदि उसने वर्ष के दौरान पहली बार सरकारी सेवा में प्रवेश किया हो तो कटौती द्वारा जिसे वह उस मास के लिये जिसके दौरान वह निधि का सदस्य बने, अपने वेतन बिल से इस निमित्त करायें,

(घ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था और छुट्टी पर बना रहे और ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान करने का उसने चुनाव किया है तो कटौती द्वारा जिसे वह उस मास के लिये अपने वेतन बिल से करायें,

(ङ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को किसी उपक्रम में बाह्य सेवा पर था तो चालू वर्ष में अप्रैल मास के लिये अभिदान के मद्दे कोषागार चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में धनराशि जमा करके या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लेखा अधिकारी को धनराशि अग्रसारित करके।

(4) इस प्रकार निर्धारित अभिदान की धनराशि को—

(क) वर्ष के दौरान किसी समय एक बार कम किया जा सकता है :

(ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाया जा सकता है :

परन्तु जब अभिदान की धनराशि इस प्रकार कम कर दी जाय तो वह उपनियम (1) में विहित न्यूनतम से कम नहीं होगी :—

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता किसी कलेण्डर मास के भाग के लिये बिना वेतन के छुट्टी पर या अर्द्ध वेतन या अर्द्ध औसत वेतन पर छुट्टी पर हो और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का चुनाव किया हो तो देय अभिदान की धनराशि ड्यूटी पर व्यतीत किये गये दिनों की संख्या के जिसके अन्तर्गत ऊपर निर्दिष्ट छुट्टी से भिन्न छुट्टी, यदि कोई हो, भी है, अनुपात में होगी।

9. बाह्य सेवा या भारत के बाहर प्रति नियुक्ति पर स्थानान्तरण.—जब अभिदाता का स्थानान्तरण बाह्य सेवा में कर दिया जाय या उसे भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाय तो वह निधि के नियमों के अधीन उसी प्रकार रहेगा मानों उसका इस प्रकार स्थानान्तरण नहीं किया गया हो या उसे प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया हो।

अभिदान की वसूली

10. अभिदान की वसूली.—(1) जब परिलब्धियों का आहरण भारत में किसी सरकारी कोषागार से या भारत के बाहर संवितरण के किसी प्राधिकृत कार्यालय से किया जाय तब अभिदान और अग्रिमों की वसूली स्वयं परिलब्धियों से की जायेगी।

(2)(क) जब कोई अभिदाता उत्तर प्रदेश में स्थित किसी उपक्रम में बाह्य सेवा पर हो तो उपर्युक्त देयों की वसूली प्रति माह ऐसे उपक्रम द्वारा की जायेगी और उसे कोषागार चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जायेगा।

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर अभिदाता के होने की दशा में, उक्त देयों की वसूली प्रति मास उस उपक्रम द्वारा की जायेगी और भारतीय स्टेट बैंक के बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लेखा अधिकारी को भेज दी जायेगी।

(ग) जब अभिदाता किसी अन्य संस्था में बाह्य सेवा पर हो तब बाह्य नियोजक या अभिदाता प्रति मास उक्त देयों को कोषागार चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में जमा करेगा, यदि संस्था उत्तर प्रदेश में स्थित हो या देयों को प्रति मास भारतीय स्टेट बैंक के बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लेखा अधिकारी को भेजेगा यदि संस्था उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित हो।

टिप्पणी.—जब देयों को कोषागार चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जाय तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अभिदाता की लेखा संख्या और अन्य सुसंगत विशिष्टियां सही भरी जायं।

(3) यदि अभिदाता उस दिनांक से जिस दिनांक को उससे निधि का सदस्य बनने की अपेक्षा की जाय अभिदान करने में विफल रहे या वर्ष के दौरान किसी मास या मासों में, नियम 7 में जैसा उपबन्धित है उससे अन्यथा व्यतिक्रम करता है तो अभिदान के बकाये के मद्दे निधि में कुल धनराशि का भुगतान अभिदाता द्वारा तुरन्त कर दिया जायेगा या व्यतिक्रम करने पर उसकी वसूली उसकी परिलब्धियों से किश्तों में या अन्य प्रकार से जैसा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाय, कटौती करके की जायेगी।

ब्याज

11. ब्याज.—(1) उपनियम (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सरकार अभिदाता के लेखे में जमा करके ऐसी दर पर जैसी प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा अवधारित की जाय, ब्याज का भुगतान करेगी।

(2)(क) प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन अभिदाता के लेखे में ब्याज निम्नलिखित रीति से जमा किया जायेगा—

(एक) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिनांक को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि पर चालू वर्ष की समाप्ति तक ;

(दो) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिनांक के पश्चात् लेखे में जमा समस्त धनराशि पर जमा के दिनांक से चालू वर्ष की समाप्ति तक ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान निकाली गयी किसी धनराशि पर उस मास के जिसमें ऐसी धनराशि निकाली गयी थी, प्रथम दिन से चालू वर्ष के अन्त तक कोई ब्याज अनुमन्य नहीं होगा।

(ग) उपर्युक्तानुसार अवधारित ब्याज की धनराशि यदि ऐसी धनराशि पूर्ण रुपयों में न हो, तो उसे निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा, पचास पैसे से कम रुपये के किसी भाग को छोड़कर दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना जायेगा।

स्पष्टीकरण.—पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिनांक को अभिदाता के नामे जमा धनराशि के अन्तर्गत ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिये देय बोनस, यदि कोई हो, की धनराशि भी है :

परन्तु जब अभिदाता के नामे जमा धनराशि देय हो गयी हो तो इस उप नियम के अधीन उस पर ब्याज, यथास्थिति, चालू वर्ष के प्रारम्भ से या जमा के दिनांक से उस दिनांक तक जब अभिदाता के नाम जमा धनराशि देय हो गयी, की अवधि के सम्बन्ध में ही जमा किया जायेगा।

(3) इस नियम में परिलब्धियों से वसूली के मामले में जमा के दिनांक को उस मास का जिसमें वह वसूल किया जाय, प्रथम दिन समझा जायेगा :—

परन्तु जहां अभिदाता के वेतन या छुट्टी वेतन और भत्तों के आहरण में विलम्ब हुआ हो और परिणामस्वरूप निधि में उसके अभिदान की वसूली में विलम्ब हुआ हो वहां ऐसे अभिदान पर ब्याज उस मास से देय होगा जिसमें अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन नियमों के अधीन देय था, इस बात को दृष्टि में लाये बिना कि वह वास्तव में किस माह में आहरित किया गया था :

परन्तु यह और कि जहां किसी मास की परिलब्धियों का आहरण और वितरण उसी मास के अन्तिम कार्य दिनांक को किया जाय, वहां जमा का दिनांक उसके अभिदानों की वसूली के मामले में अनुवर्ती मास का प्रथम दिन समझा जायेगा।

(4) नियम 20, 21 या 22 के अधीन भुगतान की जाने वाली किसी धनराशि के अतिरिक्त उस पर उस मास के जिसमें भुगतान प्राधिकृत किया जाय, पूर्ववत् मास के अन्त तक का ब्याज भी, उस व्यक्ति को जिसको ऐसी धनराशि का भुगतान किया जाना हो, देय होगा :

परन्तु जहां नियम 24 के उप नियम (4) और (5) के अधीन अपेक्षित आवेदन पत्र सब प्रकार पूरा करके दावा की गयी धनराशि के देय होने के दिनांक से छः मास की समाप्ति के पश्चात् कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को, जिसका कर्तव्य उसे लेखा अधिकारी को अग्रसारित करना है प्रस्तुत किया जाय वहां ब्याज केवल उस मास के जिसमें भुगतान प्राधिकृत किया जाय, पूर्ववर्ती मास की समाप्ति तक या उस मास के जिसमें ऐसी धनराशि देय हो गयी, पश्चात् बारहवें मास की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पहले हो, देय होगी, सिवाय उस स्थिति के जिसमें सम्बद्ध कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के संतोषानुसार यह साबित हो जाय कि उक्त आवेदन पत्र के प्रस्तुत करने में विलम्ब आवेदक के नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण हुआ था और ऐसे मामले में इस परन्तुक के प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे ;

परन्तु यह और कि जहां ऐसे अभिदाता को जो किसी उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर हो, ऐसे उपक्रम में बाद में भूतलक्षी दिनांक से आमेलित कर लिया जाय, तब अभिदाता के निधि में संचित धनराशि पर देय ब्याज की गणना करने के प्रयोजनार्थ आमेलन संबंधी आदेश के जारी करने के दिनांक को ऐसा दिनांक समझा जायेगा जब अभिदाता के नाम जमा धनराशि देय हो गयी।

(5) अभिदाता के लेखा में ब्याज जमा नहीं किया जायेगा यदि वह आहरण एवं वितरण अधिकारी को यह सूचित करे कि वह उसे प्राप्त नहीं करना चाहता है किन्तु यदि वह बाद में ब्याज की मांग करे तो उसे उस वर्ष के जिसमें वह उसकी मांग करता है प्रथम दिनांक से जमा किया जायेगा।

(6) यदि यह पाया जाय कि अभिदाता ने निधि से आहरण के दिनांक को अपने खाते में जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकाल ली है तो अति आहरित धनराशि का प्रतिदान, भले ही अति आहरण निधि से किसी अग्रिम या अंतिम निष्कासन के दौरान किया गया हो, उस पर ब्याज सहित उसके द्वारा किया जायेगा, या व्यतिक्रम करने पर, अभिदाता की परिलब्धियों या अन्य देयों से कटौती करके उसकी वसूली करने का आदेश दिया जायेगा। यदि अभिदाता अब भी सेवा में है तो साधारणतया धनराशि का प्रतिदान उसके द्वारा किया जायेगा या उससे एकमुश्त वसूल किया जायेगा किन्तु यदि वसूल की जाने वाली कुल धनराशि अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूलियां अभिदाता की सेवा निवृत्ति के पूर्व बची अवधि को ध्यान में रखते हुये मासिक किश्तों में, जैसा अवधारित किया जाय, की जा सकती है। ऐसे अभिदाता के मामले में जो अब सेवा में न हो उसके द्वारा ब्याज सहित संपूर्ण धनराशि का प्रतिदान किया जायेगा या उससे एकमुश्त वसूल की जायेगी। आहरण के समस्त मामलों में जहाँ अति आहरित धनराशि या उसके भाग को ब्याज सहित अन्य साधनों से वसूल नहीं किया जा सकता वहां उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी। अति आहरित धनराशि को, वसूली के पश्चात् सम्बद्ध विभाग के प्राप्ति शीर्षक के अधीन सरकारी लेखे में जमा किया जायेगा।

(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट अति आहरित धनराशि पर ली जाने वाली ब्याज की दर उपनियम (1) के अधीन भविष्य निधि अतिशेष पर ब्याज की सामान्य दर से 2-1/2 प्रतिशत अधिक होगी। अति आहरित धनराशि पर वसूल किये गये ब्याज को शीर्षक "849-ब्याज प्राप्तियां-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की ब्याज प्राप्तियां-अन्य प्राप्तियां-अन्य विविध ऋणों पर ब्याज" के अन्तर्गत उप शीर्षक "भविष्य निधि से अति आहरण पर ब्याज" में सरकारी लेखे में जमा किया जायेगा।

(8) यदि नियम 23 के अधीन कोई अधिक या गलत भुगतान कर दिया जाय तो इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि को ब्याज सहित जैसा कि ऊपर उपनियम (6) में उल्लिखित है मृत अभिदाता की परिलब्धियों या अन्य देयों से वसूल किया जायेगा और उसे उपर्युक्त उपनियम में विहितरीति से सरकारी लेखों में जमा किया जायेगा। यदि ऐसा कोई देय न हो या अधिक भुगतान की गयी धनराशि की पूर्ण वसूली उससे नहीं की जा सकती तो देय धनराशि की वसूली, यदि आवश्यक हो, उस व्यक्ति से जिसने अधिक या गलत भुगतान प्राप्त किया हो, भू-राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी।

टिप्पणी.—नियम 23 के अधीन अग्रिम/आहरण अन्तिम भुगतान/भुगतान के लिये समस्त अनुरोधों की ध्यान से संवीक्षा की जायेगी और ऐसे मामलों में जहाँ अधिक भुगतान हुआ हो, उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो, प्रशासनिक और लेखा प्राधिकारियों दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

12. प्रेरक बोनस योजना.—(1) ऐसा अभिदाता जिसने निधि में अपने जमाखाते में जमा धनराशि से किसी धनराशि का प्रत्याहरण नियम 13 के अधीन अग्रिम या नियम 16 के अधीन प्रत्याहरण के रूप में पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान न किया हो तो वह वर्ष के अन्तिम दिनांक को अपने नाम जमा सम्पूर्ण अतिशेष पर एक प्रतिशत की दर पर बोनस का हकदार होगा।

(2) अतिशेष जिस पर बोनस की गणना की जायेगी वह अतिशेष होगा जो तीन वर्ष की अवधि के अंतिम वर्ष के अन्तिम दिनांक को उक्त अन्तिम वर्ष का ब्याज जमा करने के पश्चात् हो।

(3) इस प्रकार संगणित बोनस को निकटतम सम्पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा, रुपये के पचास पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना जायगा। यह बोनस अभिदाता के लेखा में उसके नाम अतिशेष पर ब्याज के अतिरिक्त जमा किया जायेगा।

(4) बोनस तब अनुमन्य होगा जब अभिदाता नियमित रूप से पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान निधि में अभिदान कर रहा हो, सिवाय उस स्थिति के जहां इस नियमावली के अधीन संक्षिप्त अवधि के लिये अर्थात् जब वह बिना वेतन के या अर्द्ध वेतन पर छुट्टी पर हो या निलम्बन के अधीन हों, अभिदान के अस्थायी निलम्बन की अनुज्ञा दी गयी हो।

(5) बोनस की गणना करने के प्रयोजनार्थ वर्ष का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से होगा किन्तु यदि अभिदाता वर्ष के मध्य में निधि का सदस्य बनता है या सेवा का त्याग करता है तो निधि का सदस्य बनने के वर्ष को और सेवा का त्याग करने के वर्ष को पूर्ण वर्ष समझा जायेगा।

(6) बोनस की धनराशि को मुख्य शीर्षक "249 ब्याज भुगतान-ग-लघु बचत पर ब्याज-भविष्य निधि आदि" के अधीन गौण शीर्षक "भविष्य निधि अभिदाताओं को प्रेरक बोनस" के अधीन जमा किया जायेगा।

निधि से अग्रिम

13. निधि से अग्रिम.—(1) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित प्राधिकारी के विवेक पर, उपनियम (2), (3), (4), (5), (6) या (7) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी अभिदाता को निधि में उसके खाते में जमा धनराशि से अस्थायी अग्रिम (पूर्ण रुपये में) दिया जा सकता है।

टिप्पणी.—आवेदन पत्र और स्वीकृति आदेश के प्रपत्र परिशिष्ट "क" में दिये गये हैं।

(2) कोई अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक स्वीकृति प्राधिकारी का समाधान न हो जाय कि आवेदक की आर्थिक परिस्थितियां उसको न्यायोचित ठहराती हैं और कि उसका व्यय निम्नलिखित उद्देश्य या उद्देश्यों पर न कि अन्यथा किया जायेगा, अर्थात्—

(एक) बीमारी, प्रसव अवस्था या विकलांगता के सम्बन्ध में व्यय जिसके अन्तर्गत, जहां आवश्यक हो, अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी अन्य व्यक्ति का यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति पर,

(दो) उच्च शिक्षा के व्यय की पूर्ति पर जिसके अन्तर्गत जहां आवश्यक हो, अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति का निम्नलिखित दशाओं में यात्रा व्यय भी है अर्थात्—

(क) हाई स्कूल स्तर के बाद शैक्षिक, प्राविधिक वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा, और

(ख) हाई स्कूल स्तर के बाद भारत में चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य प्राविधिक या विशेषित पाठ्यक्रम।

(तीन) अभिदाता की प्रास्थिति के अनुकूल पैमाने पर आबद्धकर व्यय की पूर्ति पर जिसे अभिदाता द्वारा रूढ़िगत प्रथा के अनुसार अभिदाता के विवाह के संबंध में या उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि या अन्य गृहकर्म के संबंध में उपगत करना हो,

(चार) अभिदाता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों के व्यय की पूर्ति पर,

(पांच) अभिदाता के प्रतिवाद के व्यय की पूर्ति पर, जहाँ वह अपनी ओर से किसी तथा कथित पदीय कदाचार के संबंध में जांच में अपना प्रतिवाद करने के लिये किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त करे,

(छः) गृह या गृह स्थल के लिए या उसके निवास के लिये गृह निर्माण या उसके गृह के पुनर्निर्माण, मरम्मत या उसमें परिवर्द्धन या परिवर्तन के लिये या गृह निर्माण योजना जिसके अन्तर्गत स्व-वित्त पोषित योजना भी है, के अधीन किसी विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, आवास परिषद् या गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा उसे गृह स्थल या गृह के आवंटन के लिये भुगतान करने के लिए व्यय या उसके भाग की पूर्ति पर,

(सात) अभिदाता के उपयोग के लिये मोटर साइकिल, स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है), साइकिल, रेफ्रिजरेटर, रूम कूलर, कुकिंग गैस कनेक्शन या टेलीविजन सेट की लागत के व्यय की पूर्ति पर :

परन्तु राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त उपखण्ड (एक) से (सात) में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिये किसी अभिदाता को अग्रिम का भुगतान करने की स्वीकृति दे सकते हैं यदि राज्यपाल उसके समर्थन में दिये गये औचित्य से संतुष्ट हो जायें।

(3) स्वीकृति प्राधिकारी अग्रिम देने के लिये उसके कारणों को अभिलिखित करेगा।

(4) विशेष कारणों के सिवाय कोई अग्रिम—

(एक) अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें जो भी कम हो, अधिक नहीं होगा, या

(दो) तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि समस्त पूर्ववर्ती अग्रिमों का अंतिम प्रतिदान करने के पश्चात् कम से कम बारह मास व्यतीत न हो जायं :

परन्तु जब तक पहले से दी गयी किसी अग्रिम धनराशि तथा आवेदित नयी अग्रिम धनराशि का योग प्रथम अग्रिम देने के समय खण्ड (एक) के अधीन अनुमन्य धनराशि से अधिक न हो तब तक द्वितीय अग्रिम या अनुवर्ती अग्रिमों की स्वीकृति के लिये विशेष कारणों की अपेक्षा नहीं की जायेगी और ऐसे अग्रिम द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं भले ही खण्ड (दो) में उल्लिखित शर्त की पूर्ति न होती हो।

स्पष्टीकरण.—इस परन्तुक में पद "पहले से दी गयी किसी अग्रिम धनराशि" का तात्पर्य वास्तव में दी गयी धनराशि या धनराशियों से है न कि किसी प्रतिदान के पश्चात् विद्यमान अतिशेष।

(5) जब किसी पूर्ववर्ती अग्रिम की अंतिम किस्त के प्रतिदान की पूर्ति के पूर्व उपनियम (4) के अधीन कोई अग्रिम स्वीकृति किया जाय तब किसी पूर्ववर्ती अग्रिम के वसूल न किए गये शेष को इस प्रकार स्वीकृत अग्रिम में जोड़ दिया जायेगा और वसूली की किस्तें संहत धनराशि के निर्देश में होगी।

(6) किसी अग्रिम की धनराशि का निर्धारण करने में स्वीकृति प्राधिकारी निधि में अभिदाता के खाते में जमा धनराशि पर सम्यक् ध्यान देगा। जब कभी अभिदाता अपने सामान्य भविष्य निधि पासबुक या नियम 27 के अधीन लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये सामान्य भविष्य निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण तथा अनुवर्ती अभिदानों के साक्ष्य सहित निधि, में अपने जमाखाते में विद्यमान धनराशि के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो तो सक्षम प्राधिकारी सीमा के भीतर अग्रिम स्वीकृति कर सकता है। ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी अभिदाता को पहले से स्वीकृत किसी अग्रिम या प्रत्याहरण को

ध्यान में रखेगा। अग्रिम की स्वीकृति में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या अवश्य इंगित होना चाहिए और उसकी एक प्रति सामान्य भविष्य निधि पासबुक रखने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी और लेखा अधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

(7) साधारणतया अभिदाता को कोई अग्रिम उसकी सेवा निवृत्ति या अधिवर्षिता के पूर्ववर्ती अन्तिम छः मास के दौरान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। किसी विशेष मामले में जिसमें ऐसे अग्रिम की स्वीकृति अपरिहार्य हो उसे स्वीकृति किया जा सकता है, किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसी स्वीकृति समूह "ख" के कर्मचारियों के मामले में लेखा अधिकारी को और अन्य अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण कार्यालयों और लेखा अधिकारी को तुरन्त दे दी जाय और उसकी प्राप्ति की सूचना उनसे अविलम्ब प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायगा कि अग्रिम की धनराशि यदि सेवानिवृत्ति के पूर्व अभिदाता से पूर्ण रूप से वसूल न की गयी हो तो सम्यक् रूप से उसका समायोजन नियम 24 के उपनियम (4) या उपनियम (5) के खण्ड (ख) के, जो भी लागू हो, अधीन उसको भुगतान की जाने वाली धनराशि के प्रति किया जायेगा।

14. अग्रिमों की वसूली.—(1) अभिदाता से किसी अग्रिम की वसूली ऐसी बराबर मासिक किस्तों की संख्या में की जायेगी जैसा स्वीकृति प्राधिकारी निदेश दे, किन्तु ऐसी संख्या बारह से कम जब तक अभिदाता ऐसा न चाहे और चौबीस से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में जहाँ अग्रिम की धनराशि नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन अभिदाता के तीन मास के वेतन से अधिक हो, स्वीकृति प्राधिकारी किस्तों की ऐसी संख्या निर्धारित कर सकता है जो चौबीस से अधिक किन्तु किसी भी मामले में छत्तीस से अधिक नहीं हो। प्रत्येक मामले में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किस्तें ऐसी रीति से निर्धारित की जाय कि अग्रिम की समस्त धनराशि अधिक से अधिक अभिदाता की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के दिनांक के पूर्ववर्ती छः मास तक वसूल हो जाये। कोई अभिदाता अपने विकल्प पर एक मास में एक से अधिक किस्तों का प्रतिदान कर सकता है। प्रत्येक किस्त पूर्ण रुपयों में होगी, ऐसी किस्तों का निर्धारण करने में अग्रिम की धनराशि को यदि आवश्यक हो तो बढ़ाया या कम किया जा सकता है।

(2) वसूली नियम 10 में विहित रीति से की जायेगी और उस मास के जिसमें अग्रिम आहरित किया गया हो, अनुवर्ती मास के लिये वेतन दिये जाने से प्रारम्भ होगी। जब अभिदाता जीवन निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा हो या किसी कलेण्डर मास में दस दिन या इससे अधिक के लिये छुट्टी पर हो जिसमें न तो कोई छुट्टी वेतन मिलता हो और न, यथास्थिति, आधा वेतन के बराबर छुट्टी वेतन या अर्द्ध औसत वेतन मिलता हो तब वसूली सिवाय अभिदाता की सम्मति के नहीं की जायेगी। अभिदाता को दिये गये वेतन के किसी अग्रिम की वसूली के दौरान अभिदाता के लिखित अनुरोध पर निधि से लिये गये अग्रिम की वसूली प्राधिकारी द्वारा स्थगित की जा सकती है।

(3) यदि कोई अग्रिम अभिदाता को स्वीकृति किया गया हो और उसके द्वारा आहरित कर लिया गया हो और बाद में प्रतिदान पूरा होने के पूर्व अग्रिम नामंजूर कर दिया जाय तो प्रत्याहित धनराशि का सम्पूर्ण या अतिशेष अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त प्रतिदान कर दिया जायेगा और चूक करने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अभिदाता को परिलब्धियों से एकमुश्त या बारह से अनधिक ऐसे मासिक किस्तों में, जैसा किसी अग्रिम की जिसके दिये जाने के लिये नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित हों, स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाय, कटौती करके वसूल किये जाने का आदेश दिया जायेगा।

(4) इस नियम के अधीन की गयी वसूलियां उसी प्रकार निधि में अभिदाता के लेखे में जमा की जायेंगी जिस प्रकार वे की गयी हों।

15. अग्रिम का दोष पूर्ण उपयोग.—इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, यदि स्वीकृति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि नियम 13 के अधीन निधि से अग्रिम के रूप में आहरित धनराशि

का उपयोग उस प्रयोजन से जिसके लिये स्वीकृति अभिलिखित की गयी हो, भिन्न प्रयोजन के लिये किया गया हो तो वह अभिदाता को निधि में प्रश्नगत धनराशि का प्रतिदान तुरन्त करने का निदेश देगा, या चूक करने पर अभिदाता की परिलब्धियों से एकमुश्त कटौती करने, वसूल करने का आदेश देगा और यदि प्रतिदान की जाने वाली कुल धनराशि अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूली ऐसी मासिक किस्तों में की जावेगी जैसी अवधारित की जाय।

निधि से अन्तिम प्रत्याहरण

16. निधि से प्रत्याहरण.—(1) इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्तिम प्रत्याहरण जो प्रतिदेय नहीं होगा, नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारणों से कोई अग्रिम स्वीकृति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय निम्नलिखित प्रकार से स्वीकृत किया जा सकता है :—

टिप्पणी.—आवेदन-पत्र और स्वीकृति आदेश के प्रपत्र परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं—

(क) अभिदाता द्वारा बीस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हो, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा-निवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये अर्थात् :—

(ए) निम्नलिखित मामलों में :—

(एक) हाई स्कूल के बाद शैक्षिक, प्राविधिक, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिये भारत के बाहर शिक्षा, और

(दो) हाई स्कूल के बाद भारत में चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य प्राविधिक या विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या अभिदाता के किसी आश्रित संतान के उच्चतर शिक्षा पर व्यय जिसके अन्तर्गत जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये,

(बी) अभिदाता के पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य संबंधी के विवाह के संबंध में व्यय की पूर्ति के लिये,

(सी) अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या विकलांगता के संबंध में व्यय जिसके अन्तर्गत, जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये,

(ख) अभिदाता द्वारा बीस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हो, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, और फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 भाग-1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटर कार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिये, अग्रिम की पात्रता के लिये प्रवृत्त वेतन के संबंध में निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये, अर्थात् :—

(एक) फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5, भाग-1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटर कार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) क्रय करने या इस प्रयोजन के लिये पहले से लिये गये अग्रिम के प्रतिदान के लिये,

(दो) उसकी मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर की व्यापक मरम्मत या उसके ओवरहाल करने के लिये,

(ग) अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां, यदि कोई हो, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्षों के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात् :—

(क) उसके आवास के लिये उपयुक्त गृह बनाने या उपर्युक्त गृह या तैयार फ्लैट के अर्जन के लिये जिसके अन्तर्गत स्थल का मूल्य भी है ;

(ख) उसके आवास के लिये उपयुक्त गृह बनाने या उपर्युक्त गृह या तैयार बने फ्लैट के अर्जन के लिये स्पष्ट रूप से लिये गये ऋण के मद्दे बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिये ;

(ग) उसके आवास के लिये गृह बनाने के लिये स्थल क्रय करने या इस प्रयोजन के लिये स्पष्ट रूप से लिये गये ऋण के मद्दे किसी बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिये ;

(घ) अभिदाता द्वारा पहले से स्वामित्व में रखे गये या अर्जित किये गये गृह या फ्लैट के पुनर्निर्माण करने या उसमें परिवर्द्धन या परिवर्तन करने के लिये ;

(ङ) पैतृक गृह का पुनरुद्धार, परिवर्द्धन या परिवर्तन या अनुरक्षण करने के लिये ;

(च) उपखण्ड (ग) के अधीन क्रय किये गये स्थल पर गृह का निर्माण करने के लिये।

(घ) अभिदाता द्वारा तीन वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हो गई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां, यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् अभिदाता द्वारा अपने स्वयं के जीवन पर या अभिदाता और उसकी पत्नी/उसके पति के संयुक्त जीवन पर ली गई जीवन बीमा की चार से अनधिक पालिसियों जिसके अन्तर्गत निधि से अब तक वित्तपोषित की जा रही पालिसियां भी हैं, के प्रीमियम/प्रीमियमों का निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से भुगतान करने के प्रयोजन के लिये।

(ङ) अभिदाता की सेवा निवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती बारह मास के भीतर निधि से उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से किसी फार्म की भूमि या कारोबार या भू-गृहादि या दोनों का अर्जन करने के प्रयोजन के लिये।

टिप्पणी 1.—नियम के अधीन एक प्रयोजन के लिये केवल एक प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी किन्तु विभिन्न संतानों का विवाह या विभिन्न अवसरों पर बीमारी या गृह या फ्लैट में ऐसा अग्रतर परिवर्द्धन या परिवर्तन करने के लिए जो उस क्षेत्र की जिसमें ऐसा गृह या फ्लैट स्थित हो नगरपालिका निकाय द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित नये नक्शे के अनुसार हो, या जीवन बीमा की पालिसियों के प्रीमियम/प्रीमियमों के भुगतान और विभिन्न वर्षों में संतानों की शिक्षा को एक ही प्रयोजन नहीं समझा जायेगा। यदि दो या अधिक विवाह साथ-साथ सम्पन्न किये जाने हों तो प्रत्येक विवाह के सम्बन्ध में अनुमन्य धनराशि का अवधारण उसी प्रकार किया जायेगा, मानों एक के पश्चात् दूसरा प्रत्याहरण पृथक-पृथक स्वीकृत किया गया हो।

टिप्पणी 2.—एक ही गृह को पूरा करने के लिये खण्ड (ग) के उपखण्ड (क) या (ख) के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती प्रत्याहरण की अनुमति टिप्पणी 5 के अधीन निर्धारित सीमा तक दी जायेगी।

टिप्पणी 3.—जीवन बीमा की समस्त पालिसियों के प्रीमियम/प्रीमियमों के भुगतान के लिये एक वर्ष में केवल एक प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी।

टिप्पणी 4.—ऐसा अभिदाता जो फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5, भाग-1 में दिये गये नियमों के अधीन गृह निर्माण के प्रयोजन के लिये किसी अग्रिम का लाभ उठा चुका हो या जिसे इस सम्बन्ध में किसी अन्य सरकारी स्रोत से कोई सहायता प्राप्त हो गयी हो, खण्ड (ग) के उपखण्ड (क), (ग), (घ) और (च) के अधीन उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये और नियम 17 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमा तक उपर्युक्त नियमों के अधीन लिये गये किसी ऋण के प्रतिदान के प्रयोजन के लिये भी अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये पात्र होगा।

टिप्पणी 5.—ऐसा गृह, फ्लैट या गृह के लिये स्थल जिसके लिये उपर्युक्तानुसार, धनराशि प्रत्याहृत करने का प्रस्ताव है, अभिदाता के ड्यूटी के स्थान पर या सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसके आवास के अभिप्रेत स्थान पर स्थित होगा। यदि अभिदाता के पास कोई पैतृक गृह है या उसने सरकार से लिये गये ऋण की सहायता से अपनी ड्यूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर गृह का निर्माण कर लिया है तो वह अपनी ड्यूटी के स्थान पर किसी गृह स्थल के क्रय के लिये या किसी अन्य गृह के निर्माण के लिये या तैयार बने फ्लैट का अर्जन करने के लिए खण्ड (ग) के उपखण्ड (क), (ग) और (घ) के अधीन अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये पात्र होगा।

टिप्पणी 6.—खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वयं यह समाधान करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा कि :—

(एक) धनराशि, अभिदाता द्वारा उल्लिखित प्रयोजनों के लिये वास्तव में अपेक्षित है,

(दो) अभिदाता का प्रस्तावित स्थल पर कब्जा है या वह तुरन्त उस पर किसी गृह का निर्माण करने का अधिकार अर्जित करना चाहता है,

(तीन) प्रत्याहृत धनराशि और ऐसी अन्य निजी बचत, यदि कोई हो, जो अभिदाता की हो, प्रस्तावित प्रकार के गृह के निर्माण, अर्जन या मोचन करने के लिये पर्याप्त होगी,

(चार) गृह स्थल, गृह या तैयार बने फ्लैट के क्रय के लिये प्रत्याहरण के मामले में अभिदाता गृह स्थल, गृह या फ्लैट जिसके अन्तर्गत स्थल भी है, पर निर्विवाद हक प्राप्त करेगा,

(पांच) उपर्युक्त खण्ड (चार) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये अभिदाता ने ऐसे आवश्यक विलेख-पत्र और कागजात स्वीकृत प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिये हैं जिससे प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में उसका हक साबित हो।

टिप्पणी 7.—खण्ड (ग) के उपखंड (ख) के अधीन प्रत्याहरण के लिये प्रस्तावित धनराशि और उपखंड (क) के अधीन पूर्व प्रत्याहरित धनराशि, यदि कोई हो, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को विद्यमान अतिशेष के तीन चौथाई (3/4) से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 8.—खण्ड (ग) के उपखंड (क) या (घ) के अधीन प्रत्याहरण की अनुमति उस दशा में भी दी जायेगी जहाँ गृह स्थल या गृह पत्नी या पति के नाम में हो यदि वह अभिदाता द्वारा किये गये नामांकन में भविष्य निधि पाने के लिये प्रथम नामांकिती हो।

स्पष्टीकरण 1.—जहाँ अभिदाता संयुक्त सम्पत्ति में ऐसे अंश से भिन्न जो स्वतंत्र आवासिक प्रयोजना के लिये उपयुक्त न हो पहले से किसी गृह स्थल या गृह फ्लैट का स्वामी हो, वहाँ उसे, यथास्थिति, गृह स्थल या गृह फ्लैट के क्रय, निर्माण, अर्जन या मोचन के लिये कोई प्रत्याहरण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण 2.—स्थानीय निकायों से पट्टे पर किसी भूखण्ड के अर्जन या ऐसे भू-खण्ड पर गृह निर्माण करने के लिए भी प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण 3.—गृह निर्माण के प्रयोजन के लिये, लिये गये किसी प्रकार के ऋण के चाहे वह किसी निजी पक्षकार से या फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 5, भाग 1, के अधीन सरकार से या निम्न या मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अधीन लिया गया हो, प्रतिदान के लिये प्रत्याहरण अनुज्ञेय है।

टिप्पणी 9.—नियम 17 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्धारित आर्थिक सीमा के अधीन रहते हुए, मोटर कार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिये भी प्रत्याहरण की भी अनुमति दी जावगी चाहे अभिदाता ने फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5, भाग-1, में दिये गये नियमों के अधीन उसी प्रयोजन के लिये पहले से ही कोई अग्रिम ले लिया हो, परन्तु इन दोनों स्रोतों से ली गयी कुल धनराशि, यथास्थिति, मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर के वास्तविक मूल्य से अधिक न हो।

टिप्पणी 10.—जीवन बीमा पालिसियाँ जिनके संबंध में खण्ड (घ) के अधीन प्रत्याहरण स्वीकृत किया जाय, अभिदाता की पत्नी या पति और संतान या उनमें से किसी एक से भिन्न किसी अन्य हिताधिकारी के लाभ के लिये ली गई नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी 11.—(1) यदि नियम 13 के अधीन कोई अग्रिम उसी प्रयोजन के लिये और उसी समय स्वीकृत किया जा रहा हो तो इस नियम के अधीन प्रत्याहरण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) जब अभिदाता अपने सामान्य भविष्य निधि पासबुक या नियम 27 के अधीन लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये सामान्य भविष्य निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण तथा अनुवर्ती अभिदानों के साक्ष्य के निर्देश में निधि में अपने जमाखाते में विद्यमान धनराशि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो तो सक्षम प्राधिकारी विहित सीमा के भीतर प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी अभिदाता के पक्ष में पहले से स्वीकृत किसी प्रत्याहरण या अग्रिम को ध्यान में रखेगा। प्रत्याहरण के लिये स्वीकृत में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या अवश्य इंगित होना चाहिए और उसकी एक प्रति सामान्य भविष्य निधि पासबुक रखने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी को तथा लेखा अधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

(3) साधारणतया किसी अभिदाता को अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्ववर्ती अन्तिम छः मास के दौरान कोई प्रत्याहरण स्वीकृत नहीं किया जायेगा। विशेष मामले में जिसमें ऐसे प्रत्याहरण की स्वीकृति अपरिहार्य हो, उसे स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसी स्वीकृति की सूचना समूह (घ) के कर्मचारियों के मामले में लेखा अधिकारी को और, अन्य अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी और लेखाधिकारी को तुरन्त अधिसूचित की जाय और उसकी प्राप्ति की सूचना उनसे अविलम्ब प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्याहरण की धनराशि नियम 24 के उपनियम (4) या उपनियम (5) के खण्ड (ख) के, इनमें जो भी प्रयोज्य हो, अधीन अभिदाता को भुगतान की जाने वाली धनराशि के प्रति सम्यक् रूप से समायोजित की जाय।

[1][17. **प्रत्याहरण की शर्तें.**—(1)(क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से नियम-16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का, जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है :

परन्तु किसी भी मामले में नियम-16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ब) और (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रुपये से अधिक न होगी।

टिप्पणी 1.—गृह के निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 25,000 रु० से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और स्वीकृति प्राधिकारी का उसके लिये दिये गये औचित्य के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो तद्नुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा सकता है। स्वीकृत प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

टिप्पणी 2.—(क) किसी स्थल, गृह या फ्लैट के एकदम क्रय के लिये या इस प्रयोजन के लिये, लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में जहाँ अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के अधीन, जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद्, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व-वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान करना पड़े तो जब-जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाय उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम-16 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान समझा जायेगा।

---

1. सामान्य भविष्य निधि (उ.प्र.) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 द्वारा नियम 17 प्रतिस्थापित किया गया, जो दिनांक 29.7.1997 से प्रभावी हुआ।

(ख) नियम-16 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 50,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या, यथास्थिति, मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) का वास्तविक मूल्य, इनमें जो भी कम हो, होगी।

(ग) नियम-16 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 5,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या मरम्मत या ओवरहालिंग करने की वास्तविक धनराशि इनमें से जो भी कम हो, होगी।

(2) अभिदाता जिसको नियम-16 के अधीन निधि से धन निकालने की अनुज्ञा की गयी हो, स्वीकृति प्राधिकारी का ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, समाधान करेगा कि धन का प्रयोग उस प्रयोजन के लिये कर लिया गया है जिसके लिये उसका प्रत्याहरण किया गया था और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहृत सम्पूर्ण धनराशि उसके ऐसे भाग का जिसका उपयोग उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह प्रत्याहृत किया गया था, नहीं किया गया है, प्रतिदान अभिदाता द्वारा निधि में एकमुश्त धनराशि में किया जायेगा और ऐसा भुगतान न करने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसकी परिलब्धियों से या तो एकमुश्त धनराशि में या मासिक किस्तों की ऐसी संख्या में जैसी अवधारित की जाय, वसूल किये जाने का आदेश दिया जायेगा।

टिप्पणी 1.—विवाह के लिये किसी प्रत्याहरण का उपयोग तीन मास के भीतर किया जायेगा।

टिप्पणी 2.—गृह का निर्माण धनराशि के प्रत्याहरण के छः मास के भीतर प्रारम्भ किया जायेगा और उसे निर्माण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिये किन्तु यदि गृह का क्रय या मोचन किया जाना हो या उस प्रयोजन के लिये इसके पूर्व लिये गये किसी प्राइवेट ऋण का प्रतिदान करना हो तो उसे प्रत्याहरण के तीन मास के भीतर कर लिया जाना चाहिए।

टिप्पणी 3.—गृहस्थल का क्रय, यथास्थिति, प्रत्याहरण या प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के एक माह की अवधि के भीतर किया जायेगा। इस शर्त की पूर्ति के संबंध में स्वीकृत प्राधिकारी स्थल के क्रय हेतु भुगतान करने के लिये यथास्थिति प्रत्याहरण या किसी प्रत्याहरण किस्त की धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के प्रतीक स्वरूप, विक्रेता, गृह निर्माण समिति, आदि द्वारा दी गयी रसीदें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

स्पष्टीकरण.—विक्रय या अन्तरण विलेख के संबंध में किये गए वास्तविक व्यय को गृह या गृहस्थल के लागत के भाग के रूप में संगणित किया जा सकता है।

टिप्पणी 4.—किसी बीमा पालिसी के लिये प्रत्याहरण का उपयोग उस दिनांक तक किया जायेगा जिस दिनांक को प्रीमियम का भुगतान किया जाना हो और अभिदाता से जीवन बीमा निगम द्वारा दी गयी रसीद की प्रमाणित या फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी, ऐसा न करने पर इस प्रयोजन के लिये कोई अग्रेतर प्रत्याहरण की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(3) कोई अभिदाता जिसे नियम-16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (क) (ख) या (ग) के अधीन निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि से धन प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दी गयी हो, राज्यपाल की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्रकार प्रत्याहृत धनराशि से निर्मित या अर्जित किये गये गृह या क्रय किये गये गृहस्थल के कब्जे से, चाहे विक्रय, गिरवी (राज्यपाल को गिरवी से भिन्न) दान, विनिमय द्वारा या अन्य प्रकार से, अलग नहीं होगा :—

परन्तु ऐसी अनुज्ञा :

(एक) तीन वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिये पट्टे पर दिये गये गृह या गृहस्थल के लिये, या

(दो) आवास परिषद, विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम के या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम के जो नये गृह के

निर्माण के लिये या किसी वर्तमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये ऋण देता हो, पक्ष में उसके गिरवी रखे जाने के लिये, आवश्यक नहीं होगी।]

18. अग्रिम का प्रत्याहरण में परिवर्तन.—नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारणों से अग्रिम स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी ऐसे अभिदाता के जिसने किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जिसके लिये नियम 16 के अधीन अन्तिम प्रत्याहरण भी अनुमन्य हो, नियम 13 के अधीन अस्थायी अग्रिम पहले ही आहरित कर लिया हो, लिखित अनुरोध पर, नियम 16 और 17 में निर्धारित शर्तों के पूरा करने पर, अग्रिम के देय अतिशेष को प्रत्याहरण में परिवर्तित कर सकता है।

टिप्पणी 1.—आहरण एवं वितरण अधिकारी उपरिलिखित सक्षम प्राधिकारी से किसी अग्रिम के प्रत्याहरण में परिवर्तन करने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर वेतन बिल से वसूली रोक देगा। ऐसे राजपत्रित अभिदाताओं के मामले में जो स्वयं आहरण अधिकारी हों, सक्षम प्राधिकारी ऐसे परिवर्तन संबंधी आदेश की एक प्रति कोषागार अधिकारी को जहां से अभिदाता अपना वेतन आहरित करता हो, पृष्ठांकित करेगा, जिससे कि कोषागार अधिकारी अग्रतर वसूलियों को रोक सके। परिवर्तन के प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी अपने आदेश की एक प्रति लेखा अधिकारी को भी पृष्ठांकित करेगा।

टिप्पणी 2.—प्रत्याहरण में परिवर्तित किये जाने वाले अग्रिम की धनराशि नियम 17 के उपनियम (1) में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी और इस प्रयोजन के लिये परिवर्तन के समय अभिदाता के खाते में विद्यमान अतिशेष तथा अग्रिम की बकाया धनराशि को निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान अतिशेष समझा जायेगा। प्रत्येक प्रत्याहरण को एक पृथक प्रत्याहरण समझा जायेगा और यही सिद्धान्त एक से अधिक परिवर्तनों की दशा में भी लागू होगा।

बीमा पालिसियों का पुनः समनुदेशन

19. बीमा पालिसियों का पुनः समनुदेशन.—इस नियमावली के प्रारम्भ के पश्चात् लेखा अधिकारी अब तक निधि से वित्त-पोषित की जा रही वर्तमान पालिसियों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :—

(एक) यदि पालिसी एतद्पूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन राज्यपाल को समनुदेशित की गयी हो तो तृतीय अनुसूची में प्रपत्र (1) में पालिसी, यथास्थिति, अभिदाता को या संयुक्त बीमाकृतों को पुनः समनुदेशित करेगा और उसे जीवन बीमा निगम को सम्बोधित पुनः समनुदेशन की हस्ताक्षरित सूचना सहित अभिदाता को हस्तान्तरित करेगा।

(दो) यदि पालिसी एतद्पूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन केवल उसको समर्पित की गयी हो तो वह पालिसी अभिदाता को हस्तान्तरित कर देगा।

(तीन) यदि अभिदाता की मृत्यु हो गई हो तो लेखाधिकारी—

(क) यदि पालिसी एतद्पूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन राज्यपाल को समनुदेशित की गयी हो तो तृतीय अनुसूची में प्रपत्र (2) में पालिसी ऐसे व्यक्ति को पुनः समनुदेशित करेगा जो वैध रूप से उसे पाने का हकदार हो, और पालिसी जीवन बीमा निगम को सम्बोधित पुनः समनुदेशन की हस्ताक्षरित सूचना सहित ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित करेगा ;

(ख) यदि पालिसी एतद्पूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन केवल उसको समर्पित की गयी हो तो पालिसी हिताधिकारी को, यदि कोई हो, या यदि कोई हिताधिकारी न हो तो ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित करेगा जो वैध रूप से उसे प्राप्त करने का हकदार हो :

परन्तु यदि राज्यपाल को समनुदेशित की गयी कोई पालिसी परिपक्व हो गयी हो या अभिदाता की पत्नी या पति की मृत्यु के कारण भुगतान के लिये देय हो गयी हो और बीमाकृत धनराशि लेखा अधिकारी द्वारा जीवन बीमा निगम से वसूल कर ली गयी हो और अभिदाता के खाते में जमा कर दी गयी हो तो उक्त पालिसी को पुनः समनुदेशित करने की आवश्यकता नहीं है।

20. निधि में संचित धनराशियों का अन्तिम भुगतान.—जब कोई अभिदाता सेवा को छोड़ता है, तब निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि उसको देय हो जायेगी :

परन्तु ऐसा अभिदाता जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो और बाद में उसे बहाल कर दिया गया हो, इस नियम के अनुसरण में निधि से उसको भुगतान की गयी किसी धनराशि को यदि सरकार से ऐसा करने की अपेक्षा की जाय, एकमुश्त या ऐसी किस्तों में जैसी अवधारित की जाय, प्रतिदान करेगा। इस प्रकार प्रतिदान की गयी धनराशि को उसके लेखा में जमा किया जायेगा :

परन्तु यह और कि जहां अभिदाता सेवा छोड़ने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार या किसी उपक्रम के अधीन किसी नये पद पर किसी क्रमभंग सहित या रहित नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसके अभिदानों की समस्त धनराशि तथा उस पर प्रादुभूत ब्याज को, यदि वह ऐसा चाहे, उसके नये भविष्य निधि लेखा में अन्तरित किया जा सकेगा, यदि, यथास्थिति, सम्बद्ध सरकार या उपक्रम भी ऐसे अन्तरण के लिये सहमत हो किन्तु यदि अभिदाता ऐसे अन्तरण के लिये विकल्प नहीं करें या सम्बद्ध सरकार या उपक्रम उसके लिये सहमत न हो तो उपर्युक्त धनराशि अभिदाता को वापस कर दी जायेगी।

21. अभिदाता की सेवानिवृत्ति.—जब कोई अभिदाता—

(क) सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया हो या, यदि वह किसी अवकाश विभाग में नियोजित है, अवकाश मिलाकर सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया हो ; या

(ख) जब छुट्टी पर हो, उसे सेवानिवृत्ति होने की अनुज्ञा दे दी गयी हो या उसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अग्रतर सेवा के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया हो,

तब निधि में उसके जमाखातों में विद्यमान धनराशि इस निमित्त उसके द्वारा आवेदन-पत्र देने पर, अभिदाता को देय हो जायेगी :

परन्तु यदि खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले में, अभिदाता ड्यूटी पर लौट आता है तो वह अपने विवेक से निधि में अपने खाते में जमा करने के लिये इस नियम के अनुसरण में भुगतान की गयी धनराशि का प्रतिदान कर सकता है।

22. अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया.—किसी अभिदाता की मृत्यु उसके जमाखाता में विद्यमान धनराशि उसे देय होने के पूर्व या यदि धनराशि देय हो गयी हो तो उसका भुगतान होने के पूर्व, होने पर अभिदाता को जमाखाते की धनराशि का भुगतान निम्नलिखित रीति से किया जायेगा—

(एक) जब अभिदाता अपने पीछे परिवार छोड़ता है और—

(क) यदि नियम 5 के या एतद्पूर्व प्रवृत्त तत्समान नियम के उपबन्धों के अनुसार अभिदाता द्वारा अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नामांकन विद्यमान है तो निधि में उसके जमाखाता में विद्यमान धनराशि या उसका भाग जिसके संबंध में नामांकन हो, उसके नामांकिती या नामांकितियों को नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय हो जायेगी ;

(ख) यदि अभिदाता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में कोई ऐसा नामांकन न हो या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके जमाखाता में विद्यमान धनराशि के केवल किसी भाग के संबंध में हो, तो यथास्थिति, ऐसी सम्पूर्ण धनराशि या उसका भाग जिसके संबंध में नामांकन न हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में तात्पर्यित किसी नामांकन के होते हुए भी, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर-बराबर भाग में देय हो जायेगी ;

परन्तु कोई अंश—

(1) पुत्रों को जो वयस्क हो गये हों,

(2) मृत पुत्र के पुत्रों को जो वयस्क हो गये हों,

(3) विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हों,

(4) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हों,

देय नहीं होगा यदि खण्ड (1), (2), (3) और (4) में इन विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न परिवार का कोई सदस्य हो ;

परन्तु यह और कि किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवायें और संतान या संतानें अपने बीच बराबर-बराबर भाग में केवल उस अंश को प्राप्त करेंगे, जिसे वह पुत्र प्राप्त करता यदि वह अभिदाता के बाद तक जीवित रहता और उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) के उपबन्धों से छूट दी गयी होती।

टिप्पणी.—1. अभिदाता के परिवार के सदस्य को इस नियम के अधीन देय कोई धनराशि भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे सदस्य में निहित होती है।

टिप्पणी.—2. जहाँ कोई नामांकिती भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित अभिदाता का आश्रित हो, वहां धनराशि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे नामांकिती में निहित होती है।

(दो) जब अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता और यदि नियम 5 के या एतद्पूर्व प्रवृत्त तत्समान नियम के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया गया नामांकन है तो निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि या उसका भाग जिसके सम्बन्ध में नामांकन हो, उसके नामांकिती या नामांकितियों को नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय होगा।

(तीन) जब अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता और नियम-5 के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नामांकन नहीं है या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि के केवल एक भाग से संबंधित हो तो भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के उप खण्ड (दो) के सुसंगत उपबन्ध ऐसी सम्पूर्ण धनराशि या उसके भाग पर जिसके सम्बन्ध में नामांकन न हो, प्रयोज्य होंगे।

[1][**23. जमा से सम्बद्ध बीमा योजना.**—सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह "घ" के अभिदाताओं के मामले में लेखा अधिकारी और अन्य मामलों में द्वितीय अनुसूची के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिए हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा :—

(क) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो—

(एक) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रुपये या अधिक हो के मामले में 12,000 रुपया।

(दो) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 2,900 रुपये या अधिक किन्तु 4,000 से कम हो, के मामले में 7,500 रुपया।

1. सामान्य भविष्य निधि (उ.प्र.) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 द्वारा नियम 23 प्रतिस्थापित किया गया, जो दिनांक 29.7.1997 से प्रभावी हुआ।

(तीन) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का न्यूनतम 1,151 रुपया या इससे अधिक किन्तु 2,900 रुपया से कम हो के मामले में 4,500 रुपया।

(चार) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,151 रुपये से कम हो, के मामले में 3,000 रुपये।

(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो।

टिप्पणी 1.—औसत अतिशेष उस मास के जिसमें मृत्यु हुई हो, पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के अन्त में अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के आधार पर निकाला जायेगा। इस प्रयोजन और उपर्युक्त विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के प्रयोजन के लिये भी—

(क) मार्च के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत नियम-11 के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी होगा, और

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अंतिम मास मार्च न हो तो उक्त अंतिम मास के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत उस वित्तीय वर्ष के जिसमें मृत्यु हो, प्रारम्भ से उक्त अंतिम मास के अन्त तक की अवधि के संबंध में ब्याज भी है।

टिप्पणी 2.—इस योजना के अधीन भुगतान पूर्ण रुपया में किया जायेगा। धनराशि को निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा, रुपये के पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना जायेगा।

टिप्पणी 3.—इस योजना के अधीन देय कोई धनराशि बीमा की धनराशि की प्रकृति का है और इसलिये भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा-3 द्वारा दिया गया संरक्षण इस योजना के अधीन देय धनराशियों पर लागू नहीं होता।

टिप्पणी 4.—जब कोई सरकारी सेवक नियम-25 या 26 के अधीन निधि का सदस्य बन गया हो किन्तु, यथास्थिति, तीन वर्ष की सेवा पूरी करने या निधि का सदस्य बनने के दिनांक से पांच वर्ष की सेवा के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय तो पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि की गणना जिसके संबंध में उसके अभिदान की धनराशि और सेवायोजक का अंशदान, यदि कोई हो, तथा ब्याज प्राप्त हो गया हो, खण्ड (क) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये की जायेगी। पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन सेवा के संबंध में उपर्युक्त टिप्पणी-1 में निर्दिष्ट औसत अतिशेष उस सेवायोजक के अभिलेखों के आधार पर निकाला जायेगा।

टिप्पणी 5.—समूह "घ" के अभिदाताओं से भिन्न अभिदाताओं के मामले में, इस नियम के अधीन भुगतान की गयी धनराशि की सूचना लेखा अधिकारी को दी जायेगी जो गणनाओं की जांच करेगा और यदि यह पाया जाय कि अधिक धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तो उक्त धनराशि नियम-24 के उपनियम (5) के खण्ड (ग) के अधीन भुगतान की जाने वाली अवशिष्ट धनराशि से काट ली जायेगी और शेष अतिशेष का भुगतान लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी कटौती प्राधिकृत किये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा। यदि किसी मामले में यह पाया जाय कि इस नियम के अधीन कम भुगतान किया गया है तो देय अतिशेष को उपर्युक्त अवशिष्ट धनराशि में जोड़ दिया जायेगा और ऐसी कुल धनराशि का भुगतान लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।]

24. निधि में धनराशि के भुगतान की रीति.—(1) जब निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि देय हो जाय तब उसका भुगतान, जैसा कि भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 में दिया गया है, एतद्द्वारा विहित रीति से किया जायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसको इस नियमावली के अधीन कोई धनराशि या बीमा पालिसी भुगतान की

जानी हो, समनुदेशित पुनः समनुदेशित की जानी हो, या परिदत्त की जाने वाली हो, पागल है जिसकी सम्पदा के लिये भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन, इस निमित्त कोई प्रबन्धक नियुक्त किया गया हो तो भुगतान पुनः समनुदेशन या परिदान ऐसे प्रबन्धक को किया जायेगा न कि उस पागल को।

(3) भुगतान भारत में और केवल रुपयों में किया जायेगा। वह व्यक्ति जिसको धनराशि देय हो, भारत में भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं अपना प्रबन्ध करेगा।

[1][(4) किसी अभिदाता के मामले में, जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्रपत्र 425-ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।

(5)(क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र 425-क या 425-ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र पर चालू और पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट तीन प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की दो प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा। जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर द्वितीय अनुसूची के पैरा-2 में उल्लिखित स्वीकृत प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट 'ग' में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सकें।

टिप्पणी:—जहां किसी विभाग में लेखा का निपटारा करने वाला कोई अधिकारी न हो, वहां परिकलन शीट की जांच सम्बद्ध जिले के कोषागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(ख) स्वीकृति प्राधिकारी प्रपत्र 425-क या 425-ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके तत्पश्चात् यथासम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।]

निधि में संचित धनराशियों का अन्तरण

25. किसी व्यक्ति के केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा से उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवा में नियुक्त होने पर प्रक्रिया.—(क) यदि कोई सरकारी सेवक जो केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अनभिदायी भविष्य निधि का अभिदाता हो, उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में स्थायी या अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाय और सम्यक् अनुक्रम में उसे स्थायी किये जाने की संभावना हो तो स्थानान्तरण के दिनांक को ऐसी अन्य निधि में उसके जमा खाते का अतिशेष, अन्य सरकार की सम्मति

1. नियम 24 के उपनियम (4) तथा (5) को सामान्य भविष्य निधि (उ.प्र.) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो दिनांक 19.2.2000 से प्रभावी हुआ।

से, निधि में उस के जमा खाते में अन्तरित कर दिया जायेगा।

(ख) यदि कोई सरकारी सेवक जो केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अभिदायी भविष्य निधि का अभिदाता हो, उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में स्थायी या अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाय और सम्यक् अनुक्रमों में उसके स्थायी किये जाने की संभावना हो तो—

(एक) ऐसी नियुक्ति के दिनांक को ऐसी अभिदायी भविष्य निधि में उसके जमा खाते का अतिशेष अन्य सरकार की सम्मति से, निधि में उसके जमा खाते में अन्तरित कर दिया जायेगा ;

(दो) ऐसे अन्य सरकार के अंशदान की धनराशि जो अभिदायी भविष्य निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान हो उस पर ब्याज सहित, अन्य सरकार की सम्मति से, राज्य राजस्व में जमा की जायेगी।

26. किसी व्यक्ति के किसी उपक्रम की सेवा से सरकारी सेवा में स्थानान्तरण पर प्रक्रिया.—यदि निधि का सदस्य बनाया गया कोई व्यक्ति पहले किसी उपक्रम के भविष्य निधि का अभिदाता था या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1952) द्वारा विनियमित था तो उसके अभिदानों की धनराशि और सेवायोजक का अंशदान यदि कोई हो, उस पर ब्याज सहित, उस निकाय की सम्मति से, निधि में उसके जमाखाते में अन्तरित किया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम

[1][**27. लेखे का वार्षिक विवरण अभिदाता को दिया जायेगा.**—(1) लेखा अधिकारी प्रतिवर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को विद्यमान प्रारम्भिक अतिशेष वर्ष के दौरान जमा की गयी या नाम डाली गयी धनराशि, वर्ष के 31 मार्च को जमा की गयी ब्याज की कुल धनराशि और उस दिनांक को विद्यमान अन्तिम अतिशेष को दर्शाया जायेगा।

(2) लेखा अधिकारी लेखा विवरण-पत्र के दूसरी ओर लुप्त जमा, यदि कोई हो, का पूरा विवरण भी देगा।

(3) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की शुद्धता के संबंध में स्वयं अपना समाधान कर लेना चाहिये और गलतियों को सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित की गयी सामान्य भविष्य निधि पास-बुक के सुसंगत उद्धरणों सहित उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी की जानकारी में लाया जाना चाहिए। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह भी एक व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे सम्बद्ध अधिष्ठान के समस्त कर्मचारियों के महालेखाकार कार्यालय की लेखा पर्ची/लेजरों की लुप्त प्रविष्टियों को भविष्य निधि पास बुकों की प्रमाणित प्रतियों को भेजकर या पत्र-व्यवहार द्वारा या अपने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से ठीक करायें।]

[2][**28. सामान्य भविष्य निधि पास बुक.**—(1) समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा के संबंध में सामान्य भविष्य निधि पास-बुक ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में रखेंगे जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय और अभिदाता ऐसी फीस का, जैसी निहित की जाय, भुगतान करने पर सामान्य भविष्य निधि पास-बुक की एक प्रति प्राप्त करने और ऐसे अन्तराल पर और ऐसी रीति से जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय, उसे अद्यतन कराने का हकदार होगा।

---

1. सामान्य भविष्य निधि (उ.प्र.) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 द्वारा नियम 27 प्रतिस्थापित किया गया, जो दिनांक 29.7.1997 से प्रभावी हुआ।
2. सामान्य भविष्य निधि (उ.प्र.) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 द्वारा नियम 28 प्रतिस्थापित किया गया, जो दिनांक 29.7.1997 से प्रभावी हुआ।

(2) जब किसी अभिदाता का स्थानान्तरण किसी अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम में हो जाय, तब उसके स्थानान्तरण के दिनांक तक के लिये हर प्रकार से पूर्ण उसकी पास-बुक उसके अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र सहित ऐसे अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम को अग्रसारित किया जायेगा और सामान्य भविष्य निधि पास बुक में स्थानान्तरण के दिनांक को विद्यमान अन्त अतिशेष का उल्लेख अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त पास बुक को ऐसे सरकारी विभाग उपक्रम द्वारा ऐसी रीति से रखा जायेगा जैसी उपनियम (1) में विहित है।

(2-क) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित सूचनाएं दी जायेंगी :—

(क) ऐसे अभिदाताओं के नाम और लेखा संख्या जिनका पूर्व एक वर्ष में नामांकन हुआ हो,

(ख) ऐसे अभिदाताओं की सूची जिन्होंने अन्य कार्यालयों/विभागों से स्थानान्तरण द्वारा वर्ष के मध्य में कार्यभार ग्रहण किया हो,

(ग) ऐसे अभिदाताओं की सूची जो वर्ष के मध्य में अन्य कार्यालय/विभागों को स्थानान्तरित हुए हों,

(घ) ऐसे अभिदाताओं की सूची जो आगामी 18 मास के दौरान सेवानिवृत्त होने जा रहे हों।]

प्रथम अनुसूची [नियम 5(3)]

नामांकन का प्रपत्र

क्या अभिदाता का कोई परिवार है—हाँ/नहीं

सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या.....

मैं ..... (पूरा नाम) एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 2(ग) में यथापरिभाषित मेरे परिवार का/के सदस्य है/हैं। नहीं है/नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के रूप में नाम-निर्दिष्ट करता हूँ जो निधि में मेरे जमाखाते में विद्यमान धनराशि को उसके देय हो जाने के पूर्व मेरी मृत्यु की दशा में या मृत्यु पूर्व देय हो जाने किन्तु उसका भुगतान न होने की दशा में, जैसा नीचे इंगित किया गया है, प्राप्त करेगा/करेंगे।

नामांकिती (नामांकितियों) का नाम और पूरा पता	अभिदाता के साथ संबंध	नामांकिती (नामांकितियों) की आयु	प्रत्येक नामांकिती को देय अंश	आकस्मिकता जिसके होने पर नामांकन अविधि-मान्य हो जायेगा	अभिदाता से पूर्व उसकी मृत्यु होने की दशा में जिसको नामांकिती का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का यदि कोई हो, नाम पता और संबंध
1	2	3	4	5	6

दिनांक : ..... मास ..... 19.....

स्थान : .....

दो साक्षी जो हस्ताक्षर करेंगे :—

नाम	पता	हस्ताक्षर
1.		
2.		

अभिदाता का हस्ताक्षर

बड़े अक्षरों में नाम :.....

पद नाम :.....

टिप्पणी.—ऐसा अभिदाता जिसका नामांकन करते समय कोई परिवार हो, केवल अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा नामांकन करेगा। ऐसे अभिदाता के मामले में जिसका नामांकन करते समय परिवार न रहा हो, बाद में परिवार हो जाने पर नामांकन अविधिमान्य हो जायेगा

(प्रपत्र के दूसरी ओर)

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपयोग करने के लिये

स्थान.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पद नाम.....

द्वारा नामांकन :

नामांकन की प्राप्ति का दिनांक.....

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

पद नाम.....

दिनांक.....

अभिदाता के लिए अनुदेश—

(क) यह उल्लेख करें कि क्या आपका कोई परिवार है? सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में यथा दिये गये पद "परिवार" की परिभाषा नीचे पुनः उद्धृत है :—

"परिवार" का तात्पर्य—

(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में अभिदाता की पत्नी या पत्नियों और संतान और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान से है ;

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी उससे न्यायायिक रूप से पृथक कर दी गयी है या उस समुदाय की जिसकी वह अंग है, रूढ़िजन्य विधि के अधीन भरणपोषण की हकदार नहीं रह गयी है तो उसे ऐसे मामलों में जिनसे यह नियमावली सम्बन्धित हो, आगे से अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में लिखित रूप में लेखा अधिकारी को यह सूचित न करे कि वह परिवार की

सदस्य समझी जाती रहेगी।

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता के पति और संतान और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान से है ;

परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित सूचना द्वारा अपने परिवार से अपने पति को अपवर्जित करने की अपनी इच्छा को व्यक्त करे तो पति को उसके आगे से ऐसे मामलों में जिनसे यह नियमावली सम्बन्धित हो, अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित रूप में रद्द न करें।

टिप्पणी.—"संतान" का तात्पर्य धर्म संतान से है और इसके अन्तर्गत, जहां दत्तक ग्रहण अभिदाता पर शासी स्वीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो, दत्तक संतान भी है।

(ख) लेखा संख्या सही-सही लिखी जानी चाहिये।

(ग) स्तम्भ 4 यदि केवल एक व्यक्ति नामांकित किया गया हो, तो शब्द "सम्पूर्ण" नामांकिती के सामने लिखा जाना चाहिये। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामांकित हों तो प्रत्येक नामांकिती को देय अंश जिसके अन्तर्गत भविष्य निधि की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय, विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(घ) स्तम्भ 5 नामांकिती (नामांकितियों) की मृत्यु को इस स्तम्भ में आकस्मिकता के रूप में उल्लिखित नहीं किया जाना चाहिये।

(ङ) स्तम्भ 6 इस स्तम्भ में अपना नाम उल्लिखित न करें।

(च) आपके द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी नाम की बढ़ोत्तरी न कर दी जाय, इसके लिये अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान के आर पार रेखा खींचिए।

द्वितीय अनुसूची (नियम 13)

अस्थायी अग्रिम स्वीकृति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी

1. कोई अग्रिम जिसकी स्वीकृति के लिये नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित नहीं है, फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 5, भाग-1 के पैरा 249 के अधीन स्थानान्तरण पर वेतन के किसी अग्रिम को स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

2. कोई अग्रिम जिसकी स्वीकृति के लिये नियम 13 के उपनियम(4) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है, निम्नलिखित प्राधिकारियों या ऐसे अन्य प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर सक्षम घोषित किया जाय :—

(एक) उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग,

(दो) निम्नलिखित विभागाध्यक्ष और अन्य प्राधिकारी अर्थात्—

(1) सरकार का सचिव

(2) सचिव, राजस्व परिषद्

(3) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

(4) मण्डलों के आयुक्त,

(5) प्रधान मुख्य/मुख्य अरण्यपाल,

(6) प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग

(7) शिक्षा/उच्चतर शिक्षा के निदेशक और शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक

(8) निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

(9) महानिदेशक/महानिरीक्षक, पुलिस

(10) महानिरीक्षक, कारागार

(11) विधि परामर्शी

(12) अरण्यपाल

(13) अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग

(14) कृषि निदेशक

(15) उद्योग निदेशक

(16) आबकारी आयुक्त

(17) रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक

(18) निबंधक, सहकारी समितियां

(19) निदेशक, पशुपालन

(20) सभापति, विधान परिषद्

(21) अध्यक्ष, विधानसभा

(22) प्रेसीडेन्ट, प्रतिपाल्य अधिकरण

(23) जलविद्युत अभियन्ता, सिंचाई शाखा

(24) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग

(25) राज्यपाल के सचिव

(26) श्रम आयुक्त

(27) परिवहन आयुक्त

(28) मुख्य यांत्रिक अभियन्ता, यांत्रिक अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, कानपुर।

(29) संयुक्त कृषि निदेशक

(30) उपनिदेशक, शिक्षा

(31) गन्ना आयुक्त

(32) बिक्री-कर आयुक्त

(33) भूमि सुधार आयुक्त

(34) निदेशक, पंचायत राज

(35) राजकीय मुख्य विद्युत निरीक्षक

(36) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशक

(37) आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास

(38) निदेशक, आर्थिक अभिसूचना एवं संख्या विभाग

(39) निदेशक, फल उपयोग, उत्तर प्रदेश

(40) सूचना निदेशक

(41) चकबंदी आयुक्त

(42) सतर्कता निदेशक

(43) मुख्य संपरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत

(44) प्राचार्य, के०एन० कालेज, ज्ञानपुर (वाराणसी)

(45) पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण

(46) सभापति, सतर्कता आयोग एवं अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकरण

(47) अपर उद्योग निदेशक

(48) मनोरंजन एवं पण कर आयुक्त

(49) खाद्य आयुक्त

(50) कोषागार निदेशक

(51) लाटरी निदेशक

(52) सांस्कृतिक कार्य निदेशक

(53) अपर निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(54) मण्डलीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(55) सचिव, लोक आयुक्त

(तीन) केवल अराजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में—

(क) पुलिस उप महानिरीक्षक (हेड कान्सटेबिल की पंक्ति से ऊपर के कर्मचारियों के सम्बन्ध में)

(ख) उप महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस

(ग) जिला एवं सत्र न्यायाधीश

(घ) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री

(ङ) जिला अधिकारी

(च) पुलिस अधीक्षक (हेड कान्सटेबिलों और कान्सटेबिलों के सम्बन्ध में)

(छ) संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री

(ज) निदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर

(झ) उप खाद्य आयुक्त (मुख्यालय के अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में)।

(ञ) संभागीय खाद्य नियंत्रक (उनके अधीन समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में)

(ट) उप निदेशक, एन०सी०सी०

(ठ) अपर गन्ना आयुक्त (प्रशासन)

(ड) उप आयुक्त, बिक्री कर

(ढ) परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त/उप निदेशक, उद्योग।

परन्तु कोई अभिदाता स्वयं को कोई अग्रिम स्वीकृत नहीं करेगा। जहां अभिदाता स्वयं उपयुक्त पैरा 1 और 2 में निर्दिष्ट प्राधिकारी हो, वहां इस नियमावली के अधीन उसको किसी अग्रिम के लिये अगले उच्चतर प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित होगी।

(2)

अध्याय-23

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।[1]

2. सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ 1 *वर्तमान नियम*	स्तम्भ 2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
4. पात्रता की शर्तें.—संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों से भिन्न समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी सरकारी सेवक एक वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात् निधि में अभिदान करेंगे।	**4. पात्रता की शर्तें.**—संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों से भिन्न समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी सरकारी सेवक जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में

contd.

1. यह नियमावली दिनांक 29.7.1997 से प्रवृत्त है।

टिप्पणी 1.—शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जायेगा।

टिप्पणी 2.—कोई अस्थायी सरकारी सेवक जो एक वर्ष की निरन्तर सेवा किसी मास के मध्य में पूरी करता है, वह अगले अनुवर्ती मास से निधि में अभिदान करेगा।

टिप्पणी 3.—ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक (जिसके अन्तर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं) जिन्हें नियमित रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी एक वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा करते रहने की संभावना है, एक वर्ष की सेवा पूरी होने के पूर्व किसी भी समय निधि में अभिदान कर सकते हैं।

टिप्पणी 4.—जैसे ही कोई सरकारी सेवक निधि में अभिदान करने का दायी हो जाये वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे दें।

अभिदान करेंगे।

टिप्पणी 1.—शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जायेगा।

टिप्पणी 2.—ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक (जिसके अन्तर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं) जिन्हें नियमित या अस्थायी रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे।

टिप्पणी 3.—जैसे ही कोई सरकारी सेवक निधि में अभिदान करने का दायी हो जाय वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे दें।

3. नियम-17 का संशोधन.—उक्त नियमावली में, स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ 1

वर्तमान नियम

17. (1) प्रत्याहरण की शर्तें.—(क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से नियम-16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का, जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के

स्तम्भ 2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

17. (1) प्रत्याहरण की शर्तें.—(क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से नियम-16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का, जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के

तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है :

परन्तु किसी भी मामले में नियम-16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 25,000 रुपये से अधिक न होगी।

टिप्पणी 1.—गृह के निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 25,000 रु० से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और स्वीकृति प्राधिकारी का उसके लिये दिये गये औचित्य के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो तद्नुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा सकता है। स्वीकृत प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

टिप्पणी 2.—(क) किसी स्थल, गृह या फ्लैट के एकदम क्रय के लिये या इस प्रयोजन के लिये, लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में जहाँ अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के अधीन, जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद्, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व-वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान करना पड़े तो जब-जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाय उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम-16 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान समझा जायेगा।

(ख) नियम-16 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 50,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में

तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है :

परन्तु किसी भी मामले में नियम-16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रुपये से अधिक न होगी।

टिप्पणी 1.—गृह के निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 25,000 रु० से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और स्वीकृति प्राधिकारी का उसके लिये दिये गये औचित्य के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो तद्नुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा सकता है। स्वीकृत प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

टिप्पणी 2.—(क) किसी स्थल, गृह या फ्लैट के एकदम क्रय के लिये या इस प्रयोजन के लिये, लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में जहाँ अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के अधीन, जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद्, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व-वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान करना पड़े तो जब-जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाय उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम-16 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान समझा जायेगा।

(ख) नियम-16 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 50,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में

विद्यमान धनराशि की आधी या, यथास्थिति, मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) का वास्तविक मूल्य, इनमें जो भी कम हो, होगी।

(ग) नियम-16 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 5,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या मरम्मत या ओवरहालिंग करने की वास्तविक धनराशि इनमें से जो भी सबसे कम हो, तक होगी।

(2) अभिदाता जिसको नियम-16 के अधीन निधि से धन निकालने की अनुज्ञा की गयी हो, स्वीकृति प्राधिकारी का ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, समाधान करेगा कि धन का प्रयोग उस प्रयोजन के लिये कर लिया गया है जिसके लिये उसका प्रत्याहरण किया गया था और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहृत सम्पूर्ण धनराशि उसके ऐसे भाग का जिसका उपयोग उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह प्रत्याहृत किया गया था, नहीं किया गया है, प्रतिदान अभिदाता द्वारा निधि में एकमुश्त धनराशि में किया जायेगा और ऐसा भुगतान न करने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसकी परिलब्धियों से या तो एकमुश्त धनराशि में या मासिक किस्तों की ऐसी संख्या में जैसी अवधारित की जाय, वसूल किये जाने का आदेश दिया जायेगा।

टिप्पणी 1.—विवाह के लिये किसी प्रत्याहरण का उपयोग तीन मास के भीतर किया जायेगा।

टिप्पणी 2.—गृह का निर्माण धनराशि के प्रत्याहरण के छः मास के भीतर प्रारम्भ किया जायेगा और उसे निर्माण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिये किन्तु यदि गृह का क्रय या मोचन किया जाना हो या उस प्रयोजन के लिये इसके पूर्व लिये गये किसी प्राइवेट ऋण का प्रतिदान करना हो तो उसे प्रत्याहरण के तीन मास के भीतर कर लिया

विद्यमान धनराशि की आधी या, यथास्थिति, मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) का वास्तविक मूल्य, इनमें जो भी कम हो, होगी।

(ग) नियम-16 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 5,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या मरम्मत या ओवरहालिंग करने की वास्तविक धनराशि इनमें से जो भी कम हो, होगी।

(2) अभिदाता जिसको नियम-16 के अधीन निधि से धन निकालने की अनुज्ञा की गयी हो, स्वीकृति प्राधिकारी का ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, समाधान करेगा कि धन का प्रयोग उस प्रयोजन के लिये कर लिया गया है जिसके लिये उसका प्रत्याहरण किया गया था और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहृत सम्पूर्ण धनराशि उसके ऐसे भाग का जिसका उपयोग उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह प्रत्याहृत किया गया था, नहीं किया गया है, प्रतिदान अभिदाता द्वारा निधि में एकमुश्त धनराशि में किया जायेगा और ऐसा भुगतान न करने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसकी परिलब्धियों से या तो एकमुश्त धनराशि में या मासिक किस्तों की ऐसी संख्या में जैसी अवधारित की जाय, वसूल किये जाने का आदेश दिया जायेगा।

टिप्पणी 1.—विवाह के लिये किसी प्रत्याहरण का उपयोग तीन मास के भीतर किया जायेगा।

टिप्पणी 2.—गृह का निर्माण धनराशि के प्रत्याहरण के छः मास के भीतर प्रारम्भ किया जायेगा और उसे निर्माण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिये किन्तु यदि गृह का क्रय या मोचन किया जाना हो या उस प्रयोजन के लिये इसके पूर्व लिये गये किसी प्राइवेट ऋण का प्रतिदान करना हो तो उसे प्रत्याहरण के तीन मास के भीतर कर लिया

जाना चाहिए।

टिप्पणी 3.—गृहस्थल का क्रय, यथास्थिति, प्रत्याहरण या प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के एक माह की अवधि के भीतर किया जायेगा। इस शर्त की पूर्ति के संबंध में स्वीकृत प्राधिकारी स्थल के क्रय हेतु भुगतान करने के लिये प्रत्याहरण किस्त की धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के प्रतीकस्वरूप, विक्रेता, गृह निर्माण समिति, आदि द्वारा दी गयी रसीदें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

स्पष्टीकरण.—विक्रय या अन्तरण विलेख के संबंध में किये गए वास्तविक व्यय को गृह या गृहस्थल के लागत के भाग के रूप में संगणित किया जा सकता है।

टिप्पणी 4.—किसी बीमा पालिसी के लिये प्रत्याहरण का उपयोग उस दिनांक तक किया जायेगा जिस दिनांक को प्रीमियम का भुगतान किया जाना हो और अभिदाता से जीवन बीमा निगम द्वारा दी गयी रसीद की प्रमाणित या फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी, ऐसा न करने पर इस प्रयोजन के लिये कोई अग्रेतर प्रत्याहरण की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(3) कोई अभिदाता जिसे नियम-16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (क) (ख) या (ग) के अधीन निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि से धन प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दी गयी हो, राज्यपाल की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्रकार प्रत्याहृत धनराशि से निर्मित या अर्जित किये गये गृह या क्रय किये गये गृहस्थल के कब्जे से, चाहे विक्रय, गिरवी (राज्यपाल को गिरवी से भिन्न) दान, विनियम द्वारा या अन्य प्रकार से, अलग नहीं होगा :—

परन्तु ऐसी अनुज्ञा

(एक) तीन वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिये पट्टे पर दिये गये गृह या गृहस्थल के लिये, या

(दो) आवास परिषद, विकास प्राधिकरण,

जाना चाहिए।

टिप्पणी 3.—गृहस्थल का क्रय, यथास्थिति, प्रत्याहरण या प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के एक माह की अवधि के भीतर किया जायेगा। इस शर्त की पूर्ति के संबंध में स्वीकृत प्राधिकारी स्थल के क्रय हेतु भुगतान करने के लिये यथास्थिति प्रत्याहरण या किसी प्रत्याहरण किस्त की धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के प्रतीक स्वरूप, विक्रेता, गृह निर्माण समिति, आदि द्वारा दी गयी रसीदें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

स्पष्टीकरण.—विक्रय या अन्तरण विलेख के संबंध में किये गए वास्तविक व्यय को गृह या गृहस्थल के लागत के भाग के रूप में संगणित किया जा सकता है।

टिप्पणी 4.—किसी बीमा पालिसी के लिये प्रत्याहरण का उपयोग उस दिनांक तक किया जायेगा जिस दिनांक को प्रीमियम का भुगतान किया जाना हो और अभिदाता से जीवन बीमा निगम द्वारा दी गयी रसीद की प्रमाणित या फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी, ऐसा न करने पर इस प्रयोजन के लिये कोई अग्रेतर प्रत्याहरण की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(3) कोई अभिदाता जिसे नियम-16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (क) (ख) या (ग) के अधीन निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि से धन प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दी गयी हो, राज्यपाल की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्रकार प्रत्याहृत धनराशि से निर्मित या अर्जित किये गये गृह या क्रय किये गये गृहस्थल के कब्जे से, चाहे विक्रय, गिरवी (राज्यपाल को गिरवी से भिन्न) दान, विनियम द्वारा या अन्य प्रकार से, अलग नहीं होगा :—

परन्तु ऐसी अनुज्ञा

(एक) तीन वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिये पट्टे पर दिये गये गृह या गृहस्थल के लिये, या

(दो) आवास परिषद, विकास प्राधिकरण,

स्थानीय निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम के या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम के जो नये गृह के निर्माण के लिये या किसी वर्तमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये ऋण देता हो, पक्ष में उसके गिरवी रखे जाने के लिये, आवश्यक नहीं होगी।

स्थानीय निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम के या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम के जो नये गृह के निर्माण के लिये या किसी वर्तमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये ऋण देता हो, पक्ष में उसके गिरवी रखे जाने के लिये, आवश्यक नहीं होगी।

4. उक्त नियमावली में, स्तम्भ 1 में दिये गये नियम-23 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ 1

वर्तमान नियम

23. जमा से सम्बद्ध बीमा योजना.—सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह "घ" के अभिदाताओं के मामले में लेखा अधिकारी और अन्य मामलों में द्वितीय अनुसूची के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिए हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा :—

(क) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो—

(एक) (समूह "क" के अभिदाता अर्थात् ऐसा) राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया हो (जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,720 रुपये से अधिक हो) के मामले में 4,000 रुपया।

(दो) समूह "ख" के अभिदाता (अर्थात् ऐसा राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त

स्तम्भ 2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

23. जमा से सम्बद्ध बीमा योजना.—सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह "घ" के अभिदाताओं के मामले में लेखा अधिकारी और अन्य मामलों में द्वितीय अनुसूची के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिए हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा :—

(क) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो—

(एक) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रुपये या अधिक हो के मामले में 12,000 रुपया।

(दो) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का

तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,720 रुपये से अधिक न हो) के मामले में 2,500 रुपया।

(तीन) समूह "ग" के अभिदाता (अर्थात् ऐसा राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का न्यूनतम 354 रुपया या इससे अधिक हो) के मामले में 1000 रुपया।

(चार) (समूह "घ" के अभिदाता) अर्थात् समस्त अन्य राजपत्रित कर्मचारी के मामले में 500 रुपया।

(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो।

टिप्पणी 1.—औसत अतिशेष उस मास के जिसमें मृत्यु हुई हो, पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के अन्त में अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के आधार पर निकाला जायेगा। इस प्रयोजन और उपर्युक्त विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के प्रयोजन के लिये भी—

(क) मार्च के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत नियम-11 के अनुसार जमा की गयी वार्षिक ब्याज भी होगी, और

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अंतिम मास मार्च न हो तो उक्त अंतिम मास के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत उस वित्तीय वर्ष के जिसमें मृत्यु हो, प्रारम्भ से उक्त अंतिम मास के अन्त तक की अवधि के संबंध में ब्याज भी है।

टिप्पणी 2.—इस योजना के अधीन भुगतान

धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 2,900 रुपये या अधिक किन्तु 4,000 से कम हो, के मामले में 7,500 रुपया।

(तीन) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का न्यूनतम 1,151 रुपया या इससे अधिक किन्तु 2,900 रुपया से कम हो के मामले में 4,500 रुपया।

(चार) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,151 रुपये से कम हो, के मामले में 3,000 रुपये।

(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो।

टिप्पणी 1.—औसत अतिशेष उस मास के जिसमें मृत्यु हुई हो, पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के अन्त में अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के आधार पर निकाला जायेगा। इस प्रयोजन और उपर्युक्त विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के प्रयोजन के लिये भी—

(क) मार्च के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत नियम-11 के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी होगा, और

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अंतिम मास मार्च न हो तो उक्त अंतिम मास के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत उस वित्तीय वर्ष के जिसमें मृत्यु हो, प्रारम्भ से उक्त अंतिम मास के अन्त तक की अवधि के संबंध में ब्याज भी है।

टिप्पणी 2.—इस योजना के अधीन भुगतान

पूर्ण रुपया में किया जायेगा। धनराशि को निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा, रुपये के पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना जायेगा।

टिप्पणी 3.—इस योजना के अधीन देय कोई धनराशि बीमा की धनराशि की प्रकृति का है और इसलिये भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा-3 द्वारा दिया गया संरक्षण इस योजना के अधीन देय धनराशियों पर लागू नहीं होता।

टिप्पणी 4.—जब कोई सरकारी सेवक नियम-25 या 26 के अधीन निधि का सदस्य बन गया हो किन्तु, यथास्थिति, तीन वर्ष की सेवा पूरी करने या निधि का सदस्य बनने के दिनांक से पांच वर्ष की सेवा के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय तो पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि की गणना जिसके संबंध में उसके अभिदान की धनराशि और सेवायोजक का अंशदान, यदि कोई हो, तथा ब्याज प्राप्त हो गया हो, खण्ड (क) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये की जायेगी। पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन सेवा के संबंध में उपर्युक्त टिप्पणी-1 में निर्दिष्ट औसत अतिशेष उस सेवायोजक के अभिलेखों के आधार पर निकाला जायेगा।

टिप्पणी 5.—समूह "ध" के अभिदाताओं से भिन्न अभिदाताओं के मामले में, इस नियम के अधीन भुगतान की गयी धनराशि की सूचना लेखा अधिकारी को दी जायेगी जो गणनाओं की जांच करेगा और यदि यह पाया जाय कि अधिक धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तो उक्त धनराशि नियम-24 के उपनियम (5) के खण्ड (ग) के अधीन भुगतान की जाने वाली अवशिष्ट धनराशि से काट ली जायेगी और शेष अतिशेष का भुगतान लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी कटौती प्राधिकृत किये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा। यदि किसी मामले में यह पाया जाय कि इस नियम के अधीन कम भुगतान किया गया है तो देय अतिशेष को उपर्युक्त अवशिष्ट धनराशि में जोड़ दिया जायेगा और ऐसी कुल धनराशि का भुगतान लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।

27. लेखे का वार्षिक विवरण अभिदाता को

पूर्ण रुपया में किया जायेगा। धनराशि को निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा, रुपये के पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना जायेगा।

टिप्पणी 3.—इस योजना के अधीन देय कोई धनराशि बीमा की धनराशि की प्रकृति का है और इसलिये भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा-3 द्वारा दिया गया संरक्षण इस योजना के अधीन देय धनराशियों पर लागू नहीं होता।

टिप्पणी 4.—जब कोई सरकारी सेवक नियम-25 या 26 के अधीन निधि का सदस्य बन गया हो किन्तु, यथास्थिति, तीन वर्ष की सेवा पूरी करने या निधि का सदस्य बनने के दिनांक से पांच वर्ष की सेवा के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय तो पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि की गणना जिसके संबंध में उसके अभिदान की धनराशि और सेवायोजक का अंशदान, यदि कोई हो, तथा ब्याज प्राप्त हो गया हो, खण्ड (क) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये की जायेगी। पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन सेवा के संबंध में उपर्युक्त टिप्पणी-1 में निर्दिष्ट औसत अतिशेष उस सेवायोजक के अभिलेखों के आधार पर निकाला जायेगा।

टिप्पणी 5.—समूह "ध" के अभिदाताओं से भिन्न अभिदाताओं के मामले में, इस नियम के अधीन भुगतान की गयी धनराशि की सूचना लेखा अधिकारी को दी जायेगी जो गणनाओं की जांच करेगा और यदि यह पाया जाय कि अधिक धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तो उक्त धनराशि नियम-24 के उपनियम (5) के खण्ड (ग) के अधीन भुगतान की जाने वाली अवशिष्ट धनराशि से काट ली जायेगी और शेष अतिशेष का भुगतान लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी कटौती प्राधिकृत किये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा। यदि किसी मामले में यह पाया जाय कि इस नियम के अधीन कम भुगतान किया गया है तो देय अतिशेष को उपर्युक्त अवशिष्ट धनराशि में जोड़ दिया जायेगा और ऐसी कुल धनराशि का भुगतान लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।

27. लेखे का वार्षिक विवरण अभिदाता को

दिया जायेगा.—(1) लेखा अधिकारी प्रतिवर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को विद्यमान प्रारम्भिक अतिशेष वर्ष के दौरान जमा की गयी या नाम डाली गयी धनराशि, वर्ष के 31 मार्च को जमा की गयी ब्याज और प्रोत्साहन बोनस, यदि कोई हो, की कुल धनराशि और उस दिनांक को विद्यमान अन्तिम अतिशेष को दर्शाया जायेगा।

(2) लेखा अधिकारी लेखा विवरण-पत्र के दूसरी ओर लुप्त जमा, यदि कोई हो, का पूरा विवरण भी देगा।

(3) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की शुद्धता के संबंध में स्वयं अपना समाधान कर लेना चाहिये और गलतियों को सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित की गयी सामान्य भविष्य निधि पास-बुक के सुसंगत उद्धरणों सहित उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी की जानकारी में लाया जाना चाहिए।

28. सामान्य भविष्य निधि पास बुक.—(1) समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा के संबंध में सामान्य भविष्य निधि पास-बुक ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में रखेंगे जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय और अभिदाता ऐसी फीस का, जैसी निहित की जाय, भुगतान करने पर सामान्य भविष्य निधि पास-बुक की एक प्रति प्राप्त करने और ऐसे अन्तराल पर और ऐसी रीति से जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय, उसे अद्यतन कराने का हकदार होगा।

(2) जब किसी अभिदाता का स्थानान्तरण

दिया जायेगा.—(1) लेखा अधिकारी प्रतिवर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को विद्यमान प्रारम्भिक अतिशेष वर्ष के दौरान जमा की गयी या नाम डाली गयी धनराशि, वर्ष के 31 मार्च को जमा की गयी ब्याज की कुल धनराशि और उस दिनांक को विद्यमान अन्तिम अतिशेष को दर्शाया जायेगा।

(2) लेखा अधिकारी लेखा विवरण-पत्र के दूसरी ओर लुप्त जमा, यदि कोई हो, का पूरा विवरण भी देगा।

(3) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की शुद्धता के संबंध में स्वयं अपना समाधान कर लेना चाहिये और गलतियों को सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित की गयी सामान्य भविष्य निधि पास-बुक के सुसंगत उद्धरणों सहित उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी की जानकारी में लाया जाना चाहिए। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह भी एक व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे सम्बद्ध अधिष्ठान के समस्त कर्मचारियों के महालेखाकार कार्यालय की लेखा पर्ची/लेजरों की लुप्त प्रविष्टियों को भविष्य निधि पास बुकों की प्रमाणित प्रतियों को भेजकर या पत्र-व्यवहार द्वारा या अपने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से ठीक करायें।

28. सामान्य भविष्य निधि पास बुक.—(1) समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा के संबंध में सामान्य भविष्य निधि पास-बुक ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में रखेंगे जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय और अभिदाता ऐसी फीस का, जैसी निहित की जाय, भुगतान करने पर सामान्य भविष्य निधि पास-बुक की एक प्रति प्राप्त करने और ऐसे अन्तराल पर और ऐसी रीति से जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय, उसे अद्यतन कराने का हकदार होगा।

किसी अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम में हो जाय, तब उसके स्थानान्तरण के दिनांक तक के लिये हर प्रकार से पूर्ण उसकी पास-बुक उसके अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र सहित ऐसे अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम को अग्रसारित किया जायेगा और सामान्य भविष्य निधि पास बुक में स्थानान्तरण के दिनांक को विद्यमान अन्त अतिशेष का उल्लेख अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त पास बुक को ऐसे सरकारी विभाग उपक्रम द्वारा ऐसी रीति से रखा जायेगा जैसी उपनियम (1) में विहित है।

(2) जब किसी अभिदाता का स्थानान्तरण किसी अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम में हो जाय, तब उसके स्थानान्तरण के दिनांक तक के लिये हर प्रकार से पूर्ण उसकी पास-बुक उसके अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र सहित ऐसे अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम को अग्रसारित किया जायेगा और सामान्य भविष्य निधि पास बुक में स्थानान्तरण के दिनांक को विद्यमान अन्त अतिशेष का उल्लेख अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त पास बुक को ऐसे सरकारी विभाग उपक्रम द्वारा ऐसी रीति से रखा जायेगा जैसी उपनियम (1) में विहित है।

(2-क) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित सूचनाएं दी जायेंगी :—

(क) ऐसे अभिदाताओं के नाम और लेखा संख्या जिनका पूर्व एक वर्ष में नामांकन हुआ हो,

(ख) ऐसे अभिदाताओं की सूची जिन्होंने अन्य कार्यालयों/विभागों से स्थानान्तरण द्वारा वर्ष के मध्य में कार्यभार ग्रहण किया हो,

(ग) ऐसे अभिदाताओं की सूची जो वर्ष के मध्य में अन्य कार्यालय/विभागों को स्थानान्तरित हुए हों,

(घ) ऐसे अभिदाताओं की सूची जो आगामी 18 मास के दौरान सेवानिवृत्त होने जा रहे हों।

3

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2000

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2000 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।[1]

2. नियम 24 का संशोधन.—सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में नियम 24 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये उप नियम (4) और (5) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

1. यह नियमावली दिनांक 19.2.2000 से प्रवृत्त है।

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
वर्तमान उप नियम	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम*
(4) जहां अभिदाता समूह "घ" का कर्मचारी हों, वहां चतुर्थ अनुसूची में दिये गये प्रपत्र 425-ख में आवेदन, अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में साधारणतया सेवानिवृत्ति के दिनांक से छः मास पूर्व और अन्य मामलों में उस दिनांक से जब धनराशि देय हो जाय, एक मास के भीतर लेखा अधिकारी को दिया जायेगा। लेखा अधिकारी समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए उसके सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।	(4) किसी अभिदाता के मामले में, जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्रपत्र 425-ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।
(5) (क) अन्य अभिदाताओं के मामले में चतुर्थ अनुसूची में दिये गये प्रपत्र 425-क में दो आवेदन-पत्र, तीन प्रतियों में, एक सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत भुगतान करने के लिए और दूसरी अवशिष्ट धनराशि के लिए, आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे। साधारणतया आवेदन-पत्र अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक के छः मास पूर्व और अन्य मामलों में धनराशि देय होने के दिनांक से एक मास के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे।	(5) (क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र 425-क या 425-ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र पर चालू और पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट तीन प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की दो प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा। जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर द्वितीय अनुसूची के पैरा-2 में उल्लिखित स्वीकृत प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट 'ग' में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भगतान प्राप्त कर सकें।

(ख) आहरण एवं वितरण अधिकारी तदुपरान्त विहित प्रपत्र पर चालू तथा पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट तीन प्रतियों में तैयार करेगा और आवेदन पत्रों को प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की दो प्रतियों तथा आवेदन-पत्रों की दो प्रतियां और सामान्य भविष्य निधि पास बुक विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर द्वितीय अनुसूची के पैरा दो में उल्लिखित स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा। ऐसा स्वीकृति प्राधिकारी आवेदन-पत्र पर सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने का आदेश देगा और उसकी सूचना परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी और कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।

टिप्पणी.—जहां किसी विभाग में लेखा का निपटारा करने वाला कोई अधिकारी न हो, वहां परिकलन शीट की जांच सम्बद्ध जिले के कोषागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

टिप्पणी.—जहां किसी विभाग में लेखा का निपटारा करने वाला कोई अधिकारी न हो, वहां परिकलन शीट की जांच सम्बद्ध जिले के कोषागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(ख) स्वीकृति प्राधिकारी प्रपत्र 425-क या 425-ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके तत्पश्चात् यथासम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।

(ग) स्वीकृति अधिकारी सम्यक् रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र 90 प्रतिशत अतिशेष के भुगतान आदेश और सामान्य भविष्य निधि पास-बुक के साथ परिकलन शीटों की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में आवेदन-पत्र सेवानिवृत्ति के दिनांक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथासम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर हो, और अन्य मामलों में धनराशि देय होने के दिनांक के तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सकें।

अध्याय 24

वार्षिक प्रविष्टियाँ, सत्यनिष्ठा
(Annual Entries, Integrity)

प्रत्येक सरकारी सेवक के लिए एक चरित्र पंजिका रखी जाती है जिसमें उसके द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये गये कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। यह एक गोपनीय अभिलेख है। सरकारी सेवकों का स्थायीकरण तथा पदोन्नति आदि इन्हीं प्रविष्टियों के आधार पर किया जाता है। शासन ने प्रविष्टियां करने के लिए नियम बना रखे हैं। प्रत्येक वार्षिक प्रविष्टियों के अन्त में सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र अंकित किया जाता है।

सरकारी सेवकों की चरित्र पंजिका की प्रविष्टियाँ प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समय से सुनिश्चित कराने हेतु शासनादेश संख्या 36/1/76/-का-2/1998, दिनांक 5-2-1998 में यह आदेश जारी किये गये हैं कि संवर्ग की स्थिति के अनुसार जनपद, मंडल, विभागाध्यक्ष तथा शासन में जिस स्तर पर प्रविष्टियों का रख रखाव किया जाता है उनमें प्रत्येक कार्यालय में किसी अधिकारी को पदनाम से नामित करते हुए 'नोडल' अधिकारी बनाया जाय और वही अधिकारी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि प्राप्त करने एवं पूर्ण करने हेतु उत्तरदायी रहेगा।

वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 45 दिन के अन्दर प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी अपना स्वमूल्यांकन 300 शब्दों में, उपरोक्त अधिकारी को उपलब्ध करावेंगे।

नामित (नोडल) अधिकारी प्राप्त स्वमूल्यांकनों को प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी तथा स्वीकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करावेंगे तथा चरित्र पंजिका प्रविष्टियाँ पूर्ण करावेंगे।

यदि कोई स्वमूल्यांकन नहीं प्रस्तुत करता तो भी नोडल अधिकारी ही प्रतिवेदक अधिकारी से उसकी प्रविष्टि करावेंगे और यदि कोई अधिकारी किसी कारण से समय से स्वमूल्यांकन नहीं प्रस्तुत कर सकता तो वह उसका कारण बताते हुए अतिरिक्त समय माँग सकता है।

राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में चरित्र पंजिका प्रविष्टि करने हेतु निम्नलिखित तीन स्तर तथा समय सारिणी निर्धारित हैं—

क्र० सं०	अधिकारी जो प्रविष्टि करेगा	निर्धारित तिथि
1.	प्रतिवेदक अधिकारी	31 जुलाई तक
2.	समीक्षक अधिकारी	31 अगस्त तक
3.	स्वीकर्ता अधिकारी	30 सितम्बर तक

अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित दो स्तर व समय सारिणी निर्धारित हैं :—

1. प्रतिवेदक अधिकारी	31 अगस्त
2. स्वीकर्ता अधिकारी	30 सितम्बर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु केवल एक ही स्तर हैं अर्थात् जिसके अधीनस्थ वह कार्य कर रहा हो वही पर्याप्त है।

उस कार्मिक का वार्षिक प्रविष्टि अभिलिखित करते समय, अन्त में वर्गीकरण भी निम्न श्रेणियों में से किसी एक में करना चाहिए —

(1) उत्कृष्ट

(2) अति उत्तम

(3) उत्तम

(4) संतोषजनक

(5) खराब

प्रविष्टियों के अंत में सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र निम्न प्रकार से अंकित किया जाना चाहिए—

"प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी में कोई ऐसा तथ्य नहीं आया जो श्री .... की सत्यनिष्ठा पर विपरीत प्रभाव डालता हो। ईमानदारी के लिए इनकी सामान्य ख्याति अच्छी है और मैं इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करता हूँ।"

सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जिसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध अंकित कर दी जाती है उसको पदोन्नति, स्थायीकरण, सेलेक्शन ग्रेड, वार्षिक वेतनवृद्धि, आदि सेवा संबंधी लाभ नहीं दिया जा सकता।

चरित्र पंजिका में विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों द्वारा की गई प्रविष्टियों में उच्च अधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टि को ही मान्यता दी जाती है अर्थात् यदि निम्न श्रेणी के अधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्टि दी हो और स्वीकर्ता अधिकारी ने उससे असहमति व्यक्त करते हुए अच्छी प्रविष्टि दे दी हो तो उसकी उस वर्ष की प्रविष्टि अच्छी मानी जायेगी। निम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा अंकित प्रतिकूल अंश चरित्र पंजिका में बना तो रहेगा किन्तु संबंधित कर्मचारी को संसूचित नहीं किया जायेगा। इसके विपरीत यदि प्रतिवेदक अधिकारी ने अच्छी प्रविष्टि दी हो किन्तु स्वीकर्ता अधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्टि दी हो तो संबंधित सरकारी सेवक की उस वर्ष की प्रविष्टि प्रतिकूल मानी जायेगी तथा पूरी प्रविष्टि उसको संसूचित की जायेगी। जिस पत्र के द्वारा यह संसूचित किया जाए उसकी संख्या एवं दिनांक चरित्र पंजिका में अंकित कर देनी चाहिए ताकि यह साबित हो सके कि प्रतिकूल प्रविष्टि उसको संसूचित की गई है।

स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने के दिनांक से 45 दिन के अन्दर संबंधित सरकारी सेवक को संसूचित कर देनी चाहिए। सरकारी सेवक द्वारा उक्त आशय का पत्र प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर दो प्रतियों में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर देना चाहिए। एक प्रति सीधे उच्च अधिकारी को तथा दूसरी उचित माध्यम से प्रेषित की जानी चाहिए। उच्च अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर उसकी एक प्रतिलिपि एक सप्ताह के अन्दर उस अधिकारी की आख्या प्राप्त होने हेतु प्रेषित कर देनी चाहिए जिसने प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की है। उस अधिकारी द्वारा अपनी आख्या 45 दिन के अन्दर उपलब्ध करा देनी चाहिए, आख्या प्राप्त होने के 120 दिन के अन्दर अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय ले लेना चाहिए। यदि संबंधित अधिकारी की कोई आख्या नहीं प्राप्त होती तो भी उक्त अवधि के अन्दर निर्णय ले लेना चाहिए।

उपरोक्त समय सारिणी सन् 1995 की नियमावली में निर्धारित है, जो भी अधिकारी अथवा कर्मचारी उपरोक्त समय सारिणी का पालन नहीं करेगा वह कदाचार का दोषी माना जायेगा तथा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करके दंडित किया जायेगा।

यदि प्रत्यावेदन को स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रतिकूल प्रविष्टि को लोपित कर दिया जायेगा अर्थात् उसके ऊपर चिट्ठी चिपका दी जायेगी तथा वहाँ पर उस आदेश की संख्या एवं दिनांक अभिलिखित किए जायेंगे जिसके आधार पर प्रतिकूल प्रविष्टि को लोपित किया गया।

यदि प्रतिकूल प्रविष्ट के विरुद्ध दिये गए प्रत्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है तो विस्तृत तथा स्व-स्पष्ट सकारण आदेश जारी किया जाना चाहिए।

यदि किसी सरकारी सेवक का प्रत्यावेदन लंबित हो और इसी बीच में कोई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो अथवा अन्य कोई सेवा लाभ देने पर विचार हो तो उस प्रतिकूल प्रविष्टि को नजरअंदाज कर दिया जायेगा अर्थात् उसको दृष्टिगत नहीं रखा जायेगा।

यदि किसी सरकारी सेवक की किसी वित्तीय वर्ष की प्रविष्टि न की गई हो अर्थात् छूटी हुई हो तो उस वर्ष की प्रविष्टि को "ब्लैंक" माना जाता है तथा उसके एक वर्ष पूर्व और एक वर्ष बाद की प्रविष्टि के आधार पर उस वर्ष के कार्य का मूल्यांकन कर दिया जाता है।

प्रविष्टियां अंकित करने हेतु शासन द्वारा जारी किए गए सामान्य मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार यदि किसी सरकारी सेवक के अन्दर कोई कमी पायी जाती है तो पहले मौखिक रूप से उसे दूर करने के लिए उसको समझाया जाना चाहिए अर्थात् सीधे प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं अंकित कर देनी चाहिए। उसके बावजूद भी यदि सुधार नहीं पाया जाता तो उसे लिखित चेतावनी देनी चाहिए तथा इसका भी यदि कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता और अपेक्षित सुधार नहीं पाया जाता, तभी प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की जानी चाहिए।

जिस अधिकारी ने किसी अधीनस्थ सरकारी सेवक का कार्य कम से कम तीन माह तक नहीं देखा है तो वह उसकी चरित्र पंजिका में प्रविष्टि नहीं कर सकता। तीन माह की अवधि में यदि अधिकारी स्वयं या अधीनस्थ सेवक 15 दिन से अधिक के लिए अवकाश पर रहा हो अथवा कहीं प्रशिक्षण आदि में बाहर चला गया हो तो, तीन माह की गणना करने में वह अवधि निकाल दी जायेगी।

यदि कोई अधिकारी स्थानांतरित हो जाता है तो उसे अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों की चरित्र पंजिका में प्रविष्टि करके ही स्थानांतरण पर जाना चाहिए और यदि ऐसा करने के लिए समय न हो तो नये स्टेशन पर पहुँचकर एक माह में प्रविष्टियां पूरी कर देनी चाहिए।

सेवानिवृत्त अधिकारी, निलम्बित अधिकारी तथा सेवा से निष्कासित अधिकारी चरित्र पंजिकाओं में प्रविष्टियां करने हेतु प्राधिकृत नहीं हैं। समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चरित्र पंजिकाओं में प्रविष्टियां करने हेतु उनके विभागों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य के अनुसार अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित हैं तथा उन्हीं निर्धारित प्रपत्रों में प्रविष्टियां की जानी चाहिए।

यदि किसी सरकारी सेवक द्वारा कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो अथवा उसको कोई प्रमाण-पत्र या प्रशंसा पत्र अथवा पुरस्कार आदि प्रदान किया गया हो तो उसका भी उल्लेख चरित्र पंजिका में किया जाना चाहिए। यदि उसने कोई पुस्तक आदि प्रकाशित की हो तो उसका भी उल्लेख चरित्र पंजिका में करना चाहिए।

राज्याधीन सेवाओं के समूह "क" तथा "ख" के राजपत्रित अधिकारियों की चरित्र पंजिका में निम्नलिखित अभिलेख रखे जाने चाहिए :—

(1) सरकार द्वारा जारी किये गये प्रशंसा पत्र/संकल्प, सेवा की मान्यता के उपलक्ष्य में प्रदान किये गये किन्हीं पदकों, पुरस्कारों आदि के सम्बन्ध में अभिलेख।

(2) अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत कोई भी दण्ड लगाने के आदेश की प्रतिलिपि।

(3) अधिकारी को चेतावनी देते हुए अथवा सरकार का असंतोष अथवा भर्त्सना सूचित करते हुए उसे सम्बोधित पत्रावि की प्रतिलिपि।

(4) अधिकारी के विरुद्ध उसकी गोपनीय रिपोर्ट में उल्लिखित आरोपों अथवा अभिकथनों पर जांच के अंतिम परिणाम का अभिलेख।

(5) अधिकारी द्वारा अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम अथवा उसके द्वारा लिए गये प्रशिक्षण अथवा उसके द्वारा प्राप्ति की गयी डिग्रियों, डिप्लोमाओं अथवा प्रमाण-पत्रों का अभिलेख।

(6) अधिकारी द्वारा प्रकाशित कोई पुस्तक, लेख अथवा अन्य प्रकाशन अथवा ऐसे प्रकाशन के सम्बन्ध में अभिलेख जिसके लिए वह जिम्मेदार हो।

(7) ऐसी भाषाओं के सम्बन्ध में अभिलेख जिन्हें अधिकारी जानता हो अथवा उसने सीखी हो।

यदि प्रविष्टि वर्ष में किसी मान्यताप्राप्त अध्ययन कोर्स या प्रशिक्षण कोर्स में सम्मिलित हों, तो उसका उल्लेख उनकी उस वर्ष की प्रविष्टि में किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित अध्ययन/प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख से प्राप्त उस अधिकारी की अध्ययन/प्रशिक्षण में कारगुजारी के बारे में रिपोर्ट (यदि कोई प्राप्त हो) मूल रूप से उसकी चरित्र पंजी में रखा जाना चाहिए अथवा इस रिपोर्ट के सारांश का उल्लेख अधिकारी की प्रविष्टि में किया जाना चाहिए।

यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप कोई दण्ड दिया जाता है तो उसका उल्लेख चरित्र पंजिका में किया जाना चाहिए।

1. प्रक्रिया एवं समय-सारिणी
(Procedure and Time Schedule)

1

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS (DISPOSAL OF REPRESENTATION AGAINST ADVERSE ANNUAL CONFIDENTIAL REPORTS AND ALLIED MATTERS) RULES, 1995

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants (Disposal of Representation against Adverse Annual Confidential Reports and Allied Matters) Rules, 1995.

2. They shall come into force at once.[1]

3. They shall apply to all Government servants.

2. Overriding effect.—These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

3. Definitions.—Unless there is anything repugnant in the subject or context, the expression :—

(a) ''appropriate authority'' means a person who is empowered by the

1. w.e.f. 10.7.1995

Government to act as reporting authority, reviewing authority or accepting authority, as the case may be ;

(b) "Constitution" means the Constitution of India ;

(c) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh ;

(d) "Government Servant" means a person working on a post under the rule-making powers of the Governor under the proviso to Article 309 of Constitution other than a post under control of the High Court.

(e) "report" means annual confidential report regarding the work, conduct and integrity of a Government Servant for each year recorded by an appropriate authority, who has seen the performance of the Government Servant for not less than a continuous period of three months.

(f) "Secretariat" means the Secretariat of the Government.

(g) "Year" means a period of twelve months commencing from the first day of April of a calendar year.

4. Communication of adverse report and procedure for disposal of representation.—(1) Where a report in respect of a Government Servant is adverse or critical, wholly or in part, hereinafter referred to as adverse report, the whole of the report shall be communicated in writing to the Government Servant concerned by the accepting authority or by an officer not below the rank of reporting authority nominated in this behalf by the accepting authority, within a period of 45 days from the date of recording the report and a certificate to this effect shall be recorded in the report.

(2) A Government Servant may, within a period of 45 days from the date of communication of adverse report under sub-rule (1), represent in writing directly and also through proper channel to the authority, one rank above the accepting authority, hereinafter referred to as the competent authority and if there is no competent authority, to the accepting authority itself, against the adverse report so communicated :—

Provided that if the competent authority or the accepting authority, as the case may be, is satisfied that the Government Servant concerned had sufficient cause for not submitting the representation within the said period, he may allow a further period of 45 days for submission of such representation.

(3) The competent authority as the case may be, shall, within a period not exceeding one week from the date of receipt of the representation under sub-rule (2), transmit the representation to the appropriate authority, who has recorded the adverse report, for his comments who shall, within a period not exceeding 45 days from the date of receipt of the representation, furnish his comments to the competent authority or the accepting authority, as the case may be—

Provided that no such comments shall be required if the appropriate authority has ceased to be in, or has retired from, the service or is under suspension before sending his comments.

(4) The competent authority or the accepting authority, as the case may be, shall within a period of 120 days from the date of expiry of 45 days specified in sub-rule (3),

consider the representation alongwith the comments of the appropriate authority, and if no comments have been received without waiting for the comments, and pass speaking orders—

(a) rejecting the representation ; or

(b) expunging the adverse report wholly or partly as he considers proper.

(5) Where the competent authority due to any administrative reasons, is unable to dispose of the representation within the period specified in sub-rule (4), he shall report in this regard to his higher authority, who shall pass such orders as he considers proper for ensuring disposal of the representation within the specified period.

(6) An order passed under sub-rule (4) shall be communicated in writing to the Government servant concerned.

(7) Where an order expunging the adverse report is passed under sub-rule (4), the competent authority or the accepting authority, as the case may be, shall omit the report so expunged.

(8) The order passed under sub-rule (4) shall be final.

(9) Where any matter for—

(i) communication of an adverse report ;

(ii) representation against an adverse report ;

(iii) transmission of representation to the appropriate authority for his comments ;

(iv) comments of the appropriate authority ; or

(v) disposal of representation against an adverse report ;

is pending on the date of the commencement of these rules, such matters shall be dealt with and disposed of within the period prescribed therefor under this rule.

Explanation.—In computing the period prescribed under this rule for any matters specified in this sub-rule, the period already expired on the date of the commencement of these rules shall not be taken into account.

5. Report not to be treated adverse.—Except as provided in Rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules contained in Financial Handbook Volume II, Parts II to IV, where an adverse report is not communicated or a representation against an adverse report has not been disposed of in accordance with Rule 4, such report shall not be treated adverse for the purpose of promotion, crossing of efficiency-bar and other service matters of the Government Servant concerned.

6. Maintenance of register.—The competent authority or accepting authority, as the case may be, or any other authority nominated by him in this behalf, shall maintain a register in such form as may be specified by the government from time to time and shall make appropriate entries therein.

7. Penalty.—(1) Where an officer legally bound to communicate an adverse report to the Government servant concerned or where an officer legally competent to dispose of a representation against an adverse report under these rules, wilfully fails to do so within the period prescribed therefor, shall be guilty of misconduct and be punishable

in accordance with the punishment rules applicable to him.

(2) A Section Officer in the Secretariat and an officer or official incharge of an office, other than the Secretariat, shall place the representation, comments of the appropriate authority thereon and other relevant records, if any, before the competent authority or the accepting authority, as the case may be, immediately after their receipt. Any wilful default, in this behalf, on his part shall be a misconduct and he shall be punishable in accordance with the punishment rules applicable to him.

8. Savings.—Any action taken or anything done in respect of any matter specified in sub-rule (9) of rule 4 before the commencement of these rules, shall be deemed to have been taken or done under the corresponding provisions of these rules.